BED-21

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)

नागरिक शास्त्र शिक्षण
Teaching of Civics

BED-21

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)

नागरिक शास्त्र शिक्षण
Teaching of Civics

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

अध्यक्ष

प्रो. (डॉ.) नरेश दाधीच

कुलपति

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

संयोजक/समन्वयक

डॉ. दामीना चौधरी
सह आचार्य, शिक्षा
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय. कोटा (राज.)

सदस्य

1. प्रो. पी. के. साहू
   शिक्षा विभाग
   इलाहाबाद विश्वविद्यालय (उप्र.)
2. प्रो. आर. पी. श्रीवास्तव (से.नि.)
   जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली
3. प्रो. आर. जे. सिंह
   लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ प्र.)
4. प्रो. डी. एन.सनसनवाल
   देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
5. प्रो. एस. बी. मेनन
   दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
6. प्रो. स्नेह. एम. जोशी
   एम. एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा
7. प्रो.सोहनवीर सिंह चौधरी
   इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली
8. डॉ. एम. एल. गुप्ता
   सह आचार्य शिक्षा (से. नि.)
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
9. डॉ. अनिल शुक्ला
   लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)

संपादन तथा पाठ लेखन

संपादक

प्रो. मथुरेश्वर पारीक

अधिष्ठाता,शिक्षा संकाय,

राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर

पाठ लेखक

1. **डॉ. कमला वशिष्ट,प्राचार्या,सीडलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एजिकेशन एण्ड टेक्नोलोजी,जयपुर,राज.**
2. **डॉ.अशोक कुमार सिडाना,रीडर,श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय सी.टी.ई.,जयपुर,राज.**
3. **डॉ. यदु शर्मा, प्राचार्या एस. एस. जैन सुबोध महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,जयपुर,राज.**
4. **डॉ. शकुन्तला शर्मा,प्राचार्या,राजश्री महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,जयपुर,राज.**
5. **डॉ. बी एम दधीच,प्रवक्ता,आर. एम. टी. टी. कॉलेज,उदयपुर,राज.**

अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

प्रो. (डॉ) नरेश दाधीच	**प्रो. एम. के. घडोलिया**	**योगेन्द्र गोयल**
कुलपति	निदेशक	प्रभारी
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	संकाय विभाग	पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग

पाठ्यक्रम उत्पादन

योगेन्द्र गोयल

सहायक उत्पादन अधिकारी, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पुनः उत्पादन : मार्च 2010

इस सामग्री के किसी भी अंश को व. म. खु. वि., कोटा की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में अन्यत्र पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है। व. म. खु. विश्वविद्यालय, कोटा के लिये कुलसचिव, व. म. खु. विश्वविद्यालय, कोटा (राज.) द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

BED-21

नागरिक शास्त्र शिक्षण

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)

अनुक्रमणिका

इकाई		पृष्ठ संख्या
	खण्ड-1	
	नागरिक शास्त्र विषय पाठ्यक्रम एवं विधियाँ	
1.	विषय वस्तु की संचरना,नागरिक शास्त्र आधारभूत सम्प्रत्यय भावी परिप्रेक्ष्य में	07
2.	नागरिक शास्त्र शिक्षण के भविष्योन्मुखी उद्देश्य	19
3.	विद्यालयी पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र का स्थान,विभिन्न स्तरों एवं अन्य विषयों से संबंध,पाठ्यक्रम में एकीकृत एवं विशिष्ट उपागम	36
4.	पाठ्यचर्या तत्वों का ज्ञानात्मक मानचित्रण तथा पाठ्यचर्या तत्व	58
5.	शिक्षण पद्धतियों के उपागम,विषयवस्तु आधारित शिक्षण विधियाँ, नागरिक शास्त्र के शिक्षण कौशल	70
6.	जन मध्यम एवं नागरिक शास्त्र शिक्षण में उपयोग	118
	खण्ड-2	
	नागरिक शास्त्र शिक्षण विषयों का नियोजन क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन	
7.	नागरिक शास्त्र में नियोजन : सत्रीय,इकाई एवं दैनिक पाठ योजनाएँ	134
8.	विशिष्ट उद्धरणों सहित विद्यार्थियों का आकलन,निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण,विविध प्रकार के प्रश्नो पर आधारित प्रश्न-पत्र,प्रश्न-बैंक का विकास ,खुली पुस्तकों से परीक्षण हेतु विषयवस्तु से संबंद्ध प्रश्नो का निर्माण	157
9.	पाठ्यपुस्तक-निर्माण एवं मूल्यांकन	195
10.	नागरिक शास्त्र शिक्षण पाठ्यवस्तु संदर्भित शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं मूल्यांकन	202
11.	नागरिक शास्त्र अध्यापक की विशेषताएँ,शिक्षण में आने वाली बाधाएँ एवं उनका समाधान	236
12.	नागरिक शास्त्र शिक्षण में प्रयुक्त संसाधन कक्षा-कक्ष,प्रयोगशाला, संग्रहालय,सामुदायिक वातावरण,पुस्तकालय एवं अन्य संसाधन	257
13.	नागरिक शास्त्र शिक्षण में नवाचार एवं उनका भविष्य	268
14.	शिक्षा की शब्द सूची	301

इकाई-1

विषय वस्तु की संरचना नागरिक शास्त्र आधारभूत सम्प्रत्यय भावी परिप्रेक्ष्य में

Structure of Content area, Civics, Basic Conceptual schemes and future's perspectives

इकाई की संरचना (Structure of Unit)

1.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य **(Aims and Objectives)**

1.1 नागरिक शास्त्र की अवधारणा **(Concepts of Civics)**

1.2 नागरिक शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएँ **(meaning and definition of Civics)**

1.3 नागरिक शास्त्र का क्षेत्र **(Scope of Civics)**

1.3(i) विषय की विषय सामग्री **(Content of the Subject)**

1.3(ii) नागरिक शास्त्र की प्रकृति **(Nature of Civics)**

1.3(i) (a) नागरिक शास्त्र एक विज्ञान **(Civics is a Science)**

1.3(ii) (b) नागरिक शास्त्र एक कला **(Civics is Art)**

1.3(iii) विषय की सीमायें **(Limitations of the Subject)**

1.4 नागरिक शास्त्र का महत्व **(Importance of Civics)**

1.5 सारांश **(Summary)**

1.6 संदर्भ ग्रंथ **(References)**

1.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य (Aims and Objectives)

इकाई की सम्प्राप्ति पर आप-

- नागरिक शास्त्र की अवधारणा का प्रत्याभिज्ञान एवं प्रत्यास्मरण कर सकेंगे।
- नागरिक शास्त्र का अर्थ समझ कर उसकी परिभाषा दे सकेंगे।
- नागरिक शास्त्र के क्षेत्र की पहचान कर प्राप्त ज्ञान का व्यावहारिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे।
- नागरिक शास्त्र की प्रकृत्ति को समझकर उसके समीक्षात्मक मूल्यांकन की क्षमता का विकास कर सकेंगे।
- नागरिक शास्त्र के समसामयिक महत्व को समझकर उसकी वर्तमान संदर्भ में व्याख्या कर सकेंगे।

1.1 नागरिक शास्त्र की अवधारणा
(Concept of Civics)

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समूह में रहना उसकी मूल प्रवृत्ति है। इस मूल प्रवृत्ति के कारण वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति, विकास एवं सुरक्षा के लिए समाज पर निर्भर रहता है। समाज में वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है अर्थात् मनुष्य एवं समाज में गहरा संबंध होता है। समाज के परे हम उसके अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। परन्तु समाज एवं समूह में सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण जीवन तभी संभव है जबकि उस में निवास करने वाले सभी सदस्य सुसंस्कृत, चरित्रवान एवं सद्नागरिक हों। नागरिकों में सदनागरिक गुणों को विकसित करने के लिए ही सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र शाखा अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस विषय का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सुसंस्कृत एवं सफल आदर्श नागरिक बनाना है।

वर्तमान समाज के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसे मानव की संकल्पना है जिसमें सद्नागरिक के सभी गुण विद्द्यमान हो। आधुनिक समाज एवं राष्ट्र की माँग के अनुरूप उत्पाद तैयार करने में नागरिक शास्त्र की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. नागरिक शास्त्र की आधुनिक अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।

1.2 नागरिक शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएँ
(Meaning and Definition of Civics)

यूनानी दार्शनिक अरस्तु का मानना है कि नागरिक शास्त्र ही किसी समाज एवं राष्ट्र को सद्नागरिकता प्रदान करता है। अरस्तु ने सर्वप्रथम नागरिकशास्त्र का विस्तृत विवेचन किया और इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

नागरिक शास्त्र अंग्रेजी के Civics शब्द का हिन्दी रूपान्तरण है। Civics शब्द की व्युत्पत्ति लेटिन भाषा के दो शब्दों से मानी जाती है- 1.सिविस (Civis) - नागरिक (Citizen) 2. सिविटास (Civitas) - नगर (City)। इस शाब्दिक अर्थ से यह स्पष्ट होता है कि नागरिक शास्त्र का संबंध नगर से संबंधित कार्यो एवं व्यवहार के अध्ययन से होता है। अत: विशिष्ट अर्थ वाले नगर में निवास करने वाले व्यक्ति ही 'नागरिक' कहलाते हैं। यदि हम प्राचीन यूनानी व्यवस्था का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि वहाँ नगर ही व्यक्ति के समस्त सामाजिक व राजनैतिक जीवन के केन्द्र थे व प्राचीन यूनान में नगर ही राज्य थे। वर्तमान युग में राज्यों के क्षेत्र का बहुत विस्तार हो गया है तथा अत: राज्य नगर तक सीमित न रहकर एक विशाल क्षेत्र में विस्तारिक होकर राष्ट्र राज्य बन गए हैं।

अत: नागरिक शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति प्राचीन काल के नगर राज्यों से मानी जाती है। प्राचीन काल में मनुष्यों का समाज इन नगर राज्यों में ही केन्द्रित था। नगर राज्यों में केन्द्रित मनुष्यों के समाजिक जीवन का अध्ययन करने वाले शास्त्र को ही नागरिक शास्त्र कहा गया है।

नागरिक शास्त्र की परिभाषाएँ (Definition of Civics) -

नागरिक शास्त्र की परिभाषा शिक्षाविदों एवं विषय विशेषज्ञों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से दी है। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर नागरिक शास्त्र का स्वरूप एक गतिशील विज्ञान के रूप में परिलक्षित होता है। विभिन्न विचारकों दी गई परिभाषा निम्न प्रकार है-

1. **अरस्तु के अनुसार** - "नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो अच्छी सामाजिक आदतों का अध्ययन करता है।"

"Civics is the science which studies the conditions of the best possible social life"

- **Aristotle**

2. **टी.एच.ग्रीन के अनुसार** - "सामाजिक हित ही प्रत्येक व्यक्ति का यथार्थ हित है और नागरिक शास्त्र में इसी का अध्ययन किया जाता है।"

"Social good is the real good of a man and civics studies that"

- T.H.Green

3. **प्रो. गेट्स के अनुसार** - "सामाजिक निरीक्षण तथा सामाजिक सेवा में लगाना ही नागरिक शास्त्र है।"

"Civics is the application of Social Survey and social services"

- Prof. Gates

4. **श्री निवास शास्त्री के अनुसार** - "नागरिक शास्त्र का अभिप्राय मनुष्य की नैतिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक उन्नति एवं विकास से है।"

"Civics raises a man to the moral cultural and intellectual heights"

- Sriniwas Shastri

5. **विश्‍ब कोष के अनुसार** -"नागरिक शास्त्र समाज में मनुष्य के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का विज्ञान है।"

'Civics is the Science of rights and duties of man in society"

- Encyclopedia Britania

6. **डॉ. ई.एम.व्हाइट के अनुसार** - "नागरिक शास्त्र न्यूनाधिक रूप से मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित सभी (सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा धार्मिक) पक्षों का प्रतिपादन करती है-चाहे भूतकाल, वर्तमान तथा भविष्य के हो चाहें स्थानीय, राष्ट्रीय तथा मानवीय हो।"

"Civics is more or less useful branch of human knowledge which deals with everything (e.g. social, intellectual, economic, political and even religion aspect) relating to a citizen, past, present and future, local, national and human".) **-**

Dr. E.M.White

7. **पुन्ताम्बेकर** -"नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान तथा दर्शन है।"

"Civics is the science and philosophy of citizenship".

-Puntambekar

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. ''नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान एंव दर्शन है।'' इस कथन की विवेचना कीजिये।

2. नागरिक शास्त्र के अर्थ को विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट कीजिये।

1.3 नागरिक शास्त्र का क्षेत्र (Scope of Civics)

यदि हम नागरिक शास्त्र के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें निम्न तीन पक्षों के बारे में ज्ञान होना अतिआवश्यक है-

1.3.1. विषय की विषय सामग्री (Content of the Subject)

1.3.2. विषय की प्रकृत्ति (Nature of the Subject)

1.3.3. विषय की सीमाएँ (Limitations of the Subject)

1.3.1 विषय की विषय सामग्री (Content of the Subject) - नागरिक शास्त्र का क्षेत्र बहुत विस्तृत एवं व्यापक है। नागरिक शास्त्र की विषय सामग्री में हम परिवार से विश्व तक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक, आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। नागरिक शास्त्र में अध्ययन किए जाने वाले बिन्दु निम्न प्रकार हैं-

1.3.1.1 व्यक्तिगत जीवन का अध्ययन (Study of Personal Life) - किसी भी परिवार, समाज एवं राज्य के निर्माण में व्यक्ति की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। नागरिक शास्त्र नगर, राज्य या देश से पूर्व उस महत्वपूर्ण इकाई मानव का अध्ययन करता है इसलिए इसे व्यक्तियों के जीवन का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा जाता है।

1.3.1.2 समाज व सामाजिक जीवन का अध्ययन (Study of Society and Social Life) - व्यक्ति व समाज एक-दूसरे के पूरक हैं। समाज एवं राज्य की संस्थाओं के निर्माण में व्यक्ति की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। अत: नागरिक शास्त्र नगर, राज्य के अध्ययन के साथ-साथ सभी सामाजिक संस्थाओं एवं ऐजेन्सियों जिनका प्रभाव व्यक्ति और उसके सामाजिक या नागरिक जीवन पर पड़ता है। ये सभी क्षेत्र नागरिक शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

1.3.1.3 समाज के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन (Study of Present structure of Society) - नागरिक शास्त्र का उद्देश्य नागरिकों में सद्नागरिक गुणों का विकास कर स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए परम्पराओं का निर्माण कर अनैतिक एवं अवांछित कार्यो पर अंकुश रखा जा सकता है।

1.3.1.4 अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन (International Study) - आधुनिक युग विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक युग में तकनीकी विकास ने आज विश्व की दूरी को कम कर दिया है। सम्पूर्ण विश्व में घटित घटनाएँ आज सभी देशों को प्रभावित करती है। उदाहरणार्थ - कश्मीर में आतंकवाद, गुजरात का भूकम्प, इराक युद्ध, अफगान युद्ध। वसुधैव कुदुम्बकम की भावना से आज

विश्व का प्रत्येक देश किसी न किसी दृष्टि से एक-दूसरे पर आश्रित है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। विश्व पारस्परिक अन्त:निर्भरता से बंधा हुआ है।

1.3.1.5 भूत, भविष्य एवं वर्तमान का अध्ययन (Study of Past, Future and Present) - नागरिक शास्त्र आदर्श सामाजिक जीवन जीने के लिए भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालो का अध्ययन करता है।

1.3.1.6 राज्य का अध्ययन (Study of Svale) - प्रत्येक नागरिक को राज्य एंव उससे सम्बन्धित संस्थाओं का अध्ययन करना अनिवार्य हैं। इसके अन्तर्गत राज्य एंव सरकार का सम्बन्ध राज्य के नागरिकों को प्राप्त अधिकार एंव देश के प्रति कर्तव्य आदि का अध्ययन प्रत्येक विद्यार्थी को करना आवश्यक है|

डॉ. एस.एम.व्हाइट के अनुसार - नागरिक शास्त्र मानव ज्ञान की उपयोगी शाखा है। प्राय: प्रत्येक ऐसे पक्षों जेसे सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक पक्षों का विवेचन करता है|

इस प्रकार नागरिक शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के विस्तार में व्यक्ति से लेकर विश्व तक सभी सम्मिलित है। मानव जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जो नागरिक शास्त्र के अन्तर्गत नहीं आता है। इस प्रकार नागरिक शास्त्र का क्षेत्र अति विस्तृत एवं व्यापक है।

1.4(i) नागरिक शास्त्र की प्रकृत्ति
(Nature of Civics)

नागरिक शास्त्र की प्रकृति के बारे में विचार करते समय हमारे मस्तिष्क में कई प्रकार के प्रशन उभर कर आते हैं जैसे नागरिक शास्त्र विज्ञान है अथवा कला। कुछ विचारक इसे विज्ञान मानते हैं, कुछ के अनुसार यह कला की श्रेणी में आता है।

1.3.1(i) a नागरिक शास्त्र एक विज्ञान (Civics is a Science) - प्रसिद्व विद्वान पुन्ताम्बेकर के शब्दों में "नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान एवं दर्शन है।" (Civics is the science and philosophy of citizenship". - Puntambekar) कुछ विद्वान नागरिक शास्त्र को शुद्व विज्ञान के रूप में देखते हैं जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि क्योंकि इसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। सजीवों में रूचि, स्वभाव, योग्यता, विचार, कुशलता, क्षमताओं एवं अभिवृत्तियों में एक-दूसरे से भिन्नता पाई जाती है। अत: यह शुद्व विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। फिर भी इससें भूतकाल की घटनाओं के आधार पर भविष्य के बारे में अनुमान लगाने की क्षमता विकसित होती है। इस आधार पर इसे हम अनिश्चित विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। नागरिक शास्त्र विषय को निश्चित विज्ञान व अनिश्चित विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क दिये जा सकते हैं।

नागरिक शास्त्र विज्ञान है - किसी भी विषय के व्यवस्थित एवं क्रमबद्व ज्ञान को विज्ञान कहते हैं । विज्ञान सम्मत ज्ञान में निम्न विशेषताएँ अनिवार्य रूप से पाई जाती हैं-

विज्ञान की विशेषताएँ

वस्तुनिष्ठता (Objectivity)

कार्य कारण संबंध (Cause-Effect relation)

सत्यापनीयता (Verifyability)

सार्वभौमिकता (Universability)

गत्यात्मकता (Dynamism)

विज्ञान की इन विशेषताओं के आधार पर हम पाते है कि नागरिक शास्त्र विषय में ये सभी विशेषताऐ निहित है जो कि इसे विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करती है।

1. नागरिक शास्त्र विषय में अनेक ऐसे नियम एवं सिद्धान्तों का विकास व प्रतिपादन हुआ है जिनकी सत्यता के विषय मे दोराय नहीं हो सकती।
2. नागरिक शास्त्र में विज्ञान की भाँति समस्याओं का अध्ययन कार्य व कारण के मध्य संबंध स्थापित कर खोजने का प्रयास किया जाता है।
3. नागरिक शास्त्र द्वारा दिये गये नियम व सिद्धान्तों में सत्यापनीयता का गुण पाया जाता है।
4. नागरिक शास्त्र के सिद्धान्तों एवं नियमों को विश्व में किसी भी जगह लागू किये जाने पर उसके द्वारा प्राप्त परिणाम सर्वमान्य होते हैं।
5. नागरिक शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिस कारण यह मानव का अध्ययन सामाजिकता के आधार पर करता है। मानव सामाजिकता के साथ-साथ सजीव प्राणी भी है उसके विचारों मे निरन्तर गत्यात्मकता पाई जाती है।

उपरोक्त सभी पक्षों के आधार पर नागरिक शास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। किन्तु जो विचारक नागरिक शास्त्र को विज्ञान मानने के पक्ष में नहीं है वे भी विज्ञान न होने के बारे में निम्न तर्क देते हैं-

1. नागरिक शास्त्र के नियम एवं सिद्धान्तों में गुण एवं दोष दोनों समाहित हैं अत: किसी भी एक व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाना असंभव है। जैसे - शासन प्रणाली का कौनसा रूप सर्वोत्कृष्ट है? यह प्रश्न स्वयं में ही जटिल एवं विरोधाभासपूर्ण है।
2. नागरिक शास्त्र में शुद्ध विज्ञान की भांति कार्य व कारण के मध्य संबंध स्थापित करना भी दुष्कर कार्य है क्योंकि किसी भी घटना के घटित होने में परिवेश, परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है। इस आधार पर सभी घटित घटनाओं के बारे में एक समान भविष्यवाणी कर पाना संभव नहीं है या घटित घटना के स्पष्ट कारण खोज पाना भी कठिन कार्य है।

3. मानव जीवन जटिल एवं परिवर्तनशील है। माता-पिता की संतानों में भी समानता नहीं पाई जाती है उनकी इच्छा भावनाएँ, विश्वास एवं क्रिया-कलाप एक-दूसरे से भिन्न पाये जाते हैं। ऐसे में सम्पूर्ण मानव जाति के विचारों में समानता की नकल सोचना ही असंभव है। शुद्ध विज्ञान में जिन चरों या इकाईयों पर अध्ययन किया जाता है। इनके गुण समय एवं स्थान के अनुसार बदलते नहीं है जबकि मानव जाति पर अध्ययन करने- में एक ही व्यक्ति के विचार समय एंव स्थान के अनुसार हर क्षण बदलते रहते हैं।

इन सभी पक्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नागरिक शास्त्र क्रियाशील मानव का अध्ययन करता है। अत: नागरिक शास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों की भाँति शुद्धता पाया जाना असंभव है। यही कारण है कि इस विषय को आदर्श विज्ञान वर्णनात्मक विज्ञान (नोर्मेटिव साइंस) की श्रेणी में रखा जा सकता है। क्योंकि नागरिक शास्त्र का मुख्य उद्देश्य आदर्श मानव एवं आदर्श समाज की संरचना करना है। इस ध्येय को पाने के लिए वह व्यक्ति एवं समाज दोनों के क्रमबद्ध विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। यह कारण है कि इसे प्राकृतिक विज्ञान के स्थान पर आदर्श विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है ।

1.4.2 नागरिक शास्त्र एक कला (Civics is an Art) - किसी भी सीखे हुए एवं प्राप्त ज्ञान का उपयोग व्यावहारिक जीवन में करना ही कला है। नागरिक शास्त्र का उद्देश्य केवल सैद्धान्तिक ज्ञान व जानकारी उपलब्ध करवाना मात्र नहीं है वरन् उसे क्रियान्वयन या व्यावहारिक रूप देना भी है। नागरिक शास्त्र विषय में आदर्श नागरिक के गुणों कर्त्तव्यों आदि का उल्लेख है। वह केवल इसकी व्याख्या कर ही संतुष्ट नहीं हो जाता वरन् वास्तव में उन नियमों सिद्धान्तों के अनुसार व आचरण करने पर भी बल देता है। सिद्धान्तों को व्यवहार में क्रियान्वित करना ही कला है। नागरिक शास्त्र आचरण या व्यवहार में क्रियान्वित करने पर बल देता है अत: इसको कला के रूप में रख सकते है।

इसके अतिरिक्त नागरिक शास्त्र को कला की श्रेणी में रखने के लिए विचारक यह भी तर्क देते हैं जैसे सत्यं, शिवं, सुन्दरम् की अभिव्यक्ति जहाँ है वह कला है। नागरिक शास्त्र में इस प्रकार की अभिव्यक्ति पाई जाती है। सत्यं से आशय 'यथार्थ' शिव 'कल्याणकारी' अर्थात् जो यथार्थ व कल्याणकारी है उसकी अभिव्यक्ति सुन्दर होगी। नागरिक शास्त्र का उद्देश्य आदर्श नागरिक व मानव निर्मित करना है व जनकल्याण की भावना महत्वपूर्ण ध्येय है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नागरिक शास्त्र एक विज्ञान के रूप में न केवल ज्ञान प्रदान करता है वरन् एक कला के रूप में यह सामाजिक 'आदर्शो के प्रकाश में नागरिक को समाज के प्रति सक्रिया व निष्ठा का जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार नागरिक शास्त्र विज्ञान तथा कला दोनों है।

1.3 (iii) विषय की सीमाऐं (Limitations of the Subject)

नागरिक शास्त्र के क्षेत्र को सीमा में बाँधना असम्मव है क्योंकि यह व्यक्ति से विश्व तक अध्यन करता हैं साथ ही जीवन के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन कर आत्मविश्लेषण करता है। वर्तमान समय में तो इसका क्षेत्र व्यापक हो गया है| डा. व्हाइट का नियम इस सन्दर्भ में उपयुक्त प्रतीत होता है कि " नागरिक शास्त्र मानव ज्ञान की वह शाखा है जो नागरिक से सम्बन्धित सामाजिक, राजनैतिक, बौद्धिक, नैतिक, चारित्रिक तथा धार्मिक आदि सभी पहलूओं पर विचार

करती है। इसके साथ-साथ वह नागरिक के भूत वर्तमान तथा भविष्य व स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय समस्याओं का भी विश्लेषण करती है।"

नागरिक शास्त्र का क्षेत्र व्यापक है। जिसको हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते है-

1. व्यक्ति से लेकर विश्व तक का अध्ययन।
2. नागरिक शास्त्र के विज्ञान व कला दोनो रूप में।
3. नागरिक शास्त्र के अन्तर्गत भूत वर्तमान एंव भविष्य तीनों का ही अध्ययन किया जाता है।
4. इसके अन्तर्गत, राजनैतिक सामाजिक, नैतिक, राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय पक्षों को सम्मिलित किया जाता है।
5. समाज की प्रकृति, स्वरूप एंव आवश्यकताओं ज्ञान।
6. शासन व्यवस्था की प्रकृति व स्वरूप का ज्ञान|
7. नागरिक के रूप में मानव का अध्ययन जिसमें उसके अधिकार कर्त्तव्य व उत्तरदायित्व का अध्ययन किया जाता है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. नागरिक शास्त्र के क्षेत्र को स्पष्ट कीजिये|
2. नागरिक शास्त्र की प्रकृति को समझाइए।
3. नागरिक शास्त्र के क्षेत्र के तीनों पक्षो की विवेचना कीजिये|

1.4 नागरिक शास्त्र का महत्व (Importance of Civics)

परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह प्रगति व विकास का सूचक है। इसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया गत्यात्मक होती है। विज्ञान व प्रौद्योगिक के इस युग में हर क्षण विश्व के किसी भी कोने में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। प्रौद्योगिक के विकास एवं विस्तार के कारण पृथ्वी छोटी हो गई प्रतीत होती है। विश्व के किसी भी कोने में घटित घटना दूसरे कोने तक पलक झपकते ही पहुंच जाती है। अर्थात् आज कोई भी राष्ट्र एकाकी नहीं रह सकता है।

विश्व में घटित प्रत्येक घटना की जानकारी नागरिक शास्त्र द्वारा नागरिकों तक पहुँचाई जाती है। इस ज्ञान के अभाव में नागरिक अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हैं। समसामयिक से आशय उपरोक्त प्रदर्शन द्वारा स्पष्ट होता है -

समसामयिक शब्द से आशय

सामयिक मामलें	सामयिक घटनायें
(Current Affairs)	(Current Events)
(व्यापक)	(सीमित)
(घटित घटना के कारणों से सम्बद्ध विचार्य बिन्दु)	(घटित होने वाली घटना या सूचना)

समसामयिक मामलों के अन्तर्गत दो प्रमुख बिन्दु हैं - सामयिक मामले व सामयिक घटनायें। सामयिक मामलें अधिक व्यापक होते हैं क्योंकि सामयिक घटनायें उन सूचनाओं से सम्बद्ध होती है जो प्राय: घटित हो चुकी होती है ये सूचना सामयिक मामलों में निहित होती है। सामयिक मामलों में कोई भी घटित घटना के पृष्ठ कारणों पर भी विचार किया जाता है। अर्थात् इसका क्षेत्र व्यापक है।

नागरिक शास्त्र शिक्षण का समसामयिक महत्व इस आधार पर निर्भर होता है। विश्व में घटित कोई भी घटना सामयिक घटना की श्रेणी में आती है। उस घटित घटना के कारण, परिणाम व प्रभाव आदि सामयिक मामलों के अन्तर्गत आते हैं। जैसे अमेरिका में घटित आतंकवादि घटना(वर्ल्ड ट्रेड सेंटर) सामयिक घटना की श्रेणी में रखी जायेगी जब उस घटना के घटित होने के कारणों व परिणामों जैसे बिन्दुओं पर विचार किया जायेगा जो कि विश्व के सभी नागरिकों के लिए विचारणीय होगा तो वह सामयिक मामलों की श्रेणी में रखा जायेगा।

प्रत्येक नागरिक को जागरुक, जिज्ञासु बनाने में नागरिक शास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। नागरिक शास्त्र का अध्ययन आज विश्व में हर मानव द्वारा किया जाना अपेक्षित है। मानव में सामाजिक, सभ्य, सुसंस्कृत व आदर्श नागरिक गुणों का विकास नागरिक शास्त्र द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा यह मनुष्य को अपने दायित्वों का बोध करवाता है कि किसी परिवार, समाज, राज्य, राष्ट्र व विश्व के प्रति उसके क्या कर्त्तव्य व दायित्व है। इसका समसामयिक महत्व निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट होता है-

प्रदर्श संख्या-1

नागरिक शास्त्र का महत्त्व

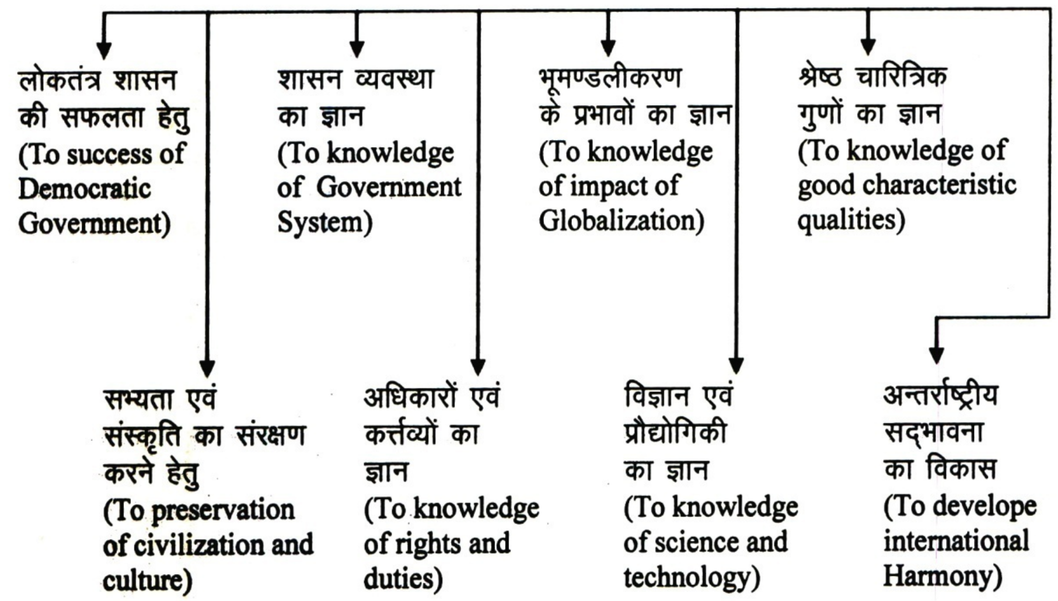

1. **लोकतन्त्र शासन की सफलता हेतु (To success of Democratic Government) -** नागरिक शास्त्र विषय का सर्वाधिक महत्व वर्तमान समय में लोकतंत्र शासन प्रणाली के स्थायित्व, सुरक्षा व सफलता को कायम रखने हेतु है। भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जिसकी सफलता इसमें निवास करने वाले नागरिको पर निर्भर है। तेजी से बदल रहे अन्तर्राष्ट्रीय

परिदृश्य में नागरिकों में आपसी समझ विकसित कर राष्ट्रीय हितों के प्रति विश्वास, आस्था व अखण्डता की भावना विकसित करनें में नागरिक शास्त्र महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस शास्त्र का अध्ययन करने से नागरिकों में निर्वाचन के समय मतदान करने की भावना, देश प्रेम की भावना, राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना, सहयोग की भावना आदि का विकास होता है।

2. **सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण करने हेतु (To preservation of Civilization and Culture)** - नागरिक शास्त्र शिक्षण का महत्व भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण कर इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना है। नई पीढ़ी जो विद्यालय रूपी प्रयोगशाला में तैयार की जाती है। उसमें स्वस्थ नागरिक गुणों का विकास कर सांस्कृतिक आदर्शो व मूल्यों का परिसंचरण करना। साथ ही प्राचीन सभ्यता, सांस्कृतिक धरोहरों, ऐतिहासिक संबंधों और समसामयिक प्रासंगिकता के आधार पर भारत के नागरिकों में सहयोग, विश्वास, मित्रता के भावों का विकास करना, इसका मूल ध्येय है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन द्वारा नागरिकों में स्वानुशासन, स्वावलम्बन स्वं मूल्यांकन जैसी भावनाओं का विकास किया जा सकता है।

3. **शासन व्यवस्था का ज्ञान (To knowledge of Government System)** - नागरिक शास्त्र के अध्ययन से ही नागरिकों को विभिन्न शासन व्यवस्थाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। विभिन्न शासन व्यवस्थाओं के गुणों व दोषों से परिचित होकर वह वैज्ञानिक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेगा। केन्द्र राज्य सम्बन्धों को मधुर बनाने, सुदृढ़ बनाने में आदर्श नागरिक की भूमिका का निर्वहन कर सकेगा।

4. **अधिकारों व कर्त्तव्यों का ज्ञान (To knowledge of Rights and Duties) -** नागरिक शास्त्र शिक्षण का उपयोग समाज में रहने वाले नागरिकों को अधिकारों व दायित्वों की जानकारी कराना। जानकारी प्राप्त करने से उनमें जागरुकता की भावना विकसित होगी। उसे यह पता लगेगा कि उसके अधिकार कौन-कौन से हैं? उसे इनका उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। साथ ही यह शास्त्र यह भी बताता है कि यदि किसी अधिकार का हनन होता है तो उसे क्या करना चाहिए? नागरिक शास्त्र व्यक्ति को केवल अधिकारों का ही ज्ञान नहीं कराता वरन् कर्त्तव्यों का ज्ञान भी कराता है । उसके द्वारा नागरिकों को अपने दायित्वों के बारे में जानकारी मिलती है। परिवार के प्रति, माता-पिता के प्रति, समाज के प्रति, नगर व ग्राम के प्रति राज्य एवं राष्ट्र के प्रति व सम्पूर्ण विश्व के प्रति उसके दायित्वों के बारे में बताना। नागरिक शास्त्र का उद्देश्य अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के उचित उपयोग के बारे में समझाना मुख्य है। वह नागरिकों में इन दोनों में परस्पर समन्वय स्थापित करने की क्षमता विकसित करता है।

5. **भूमण्डलीकरण के प्रभावों का ज्ञान (To knowledge of Impact of Globalization)** - भूमण्डलीकरण के इस युग में नागरिक शास्त्र का महत्व और अधिक बढ़ गया है क्योंकि आज दुनिया छोटी हो गई प्रतीत होती है। इसके सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े है। आज राष्ट्र की संप्रभुता की अक्षुण्ता की अवधारणा बदलती जा रही है। आज देश की योजना-परियोजना पर विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के दबाव में सम्पूर्ण नीतियों में बदलाव शासन द्वारा लाया जाता है। इस कारण वह नागरिकों को प्राप्त होने वाली विभिन्न राहतों को भी घटाया-बढ़ाया जाता है। स्पष्ट है इस प्रकार संविधानेत्तर शक्तियों के दबाव एवं हस्तक्षेप से राज्य की संप्रभुता बुरी तरह प्रभावित होती है|

भूमण्डलीकरण ने आज मनुष्य को उत्पाद व वस्तु में रूपान्तरित करने की सोच विकसित की है जिस कारण कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नष्ट होती प्रतीत होती है। आवश्यकता इस बात की है कि भूमण्डलीकरण की गिरफ्त से रक्षा के लिए राज्यों की कल्याणकारी-भूमिका का विस्तार किया जायें। नागरिक शास्त्र का उद्देश्य बालकों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर स्वदेशी उत्पाद एवं वस्तुओं के प्रति प्रेम व आस्था का भाव निर्मित करना है।

6. **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ज्ञान (To knowledge of Science and Technology) -** प्राचीन समाज जीवन व अस्तित्व के लिए संघर्ष करने वाला समाज रहा है। इस समाज में धन ही केवल ऐसी शक्ति था जो समाज को भूख, असुरक्षा, बीमारी व देवी आपदा पर विजय पाने की शक्ति देता था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिक के विकास ने मानवीय प्रगति को तेज किया है। मनुष्य का विकास अधिक होने के कारण भौतिक आवश्यकताओं में भी वृद्धि हुई है।

नागरिक शास्त्र शिक्षण का महत्व इन परिस्थितियों में बढ़ जाता है क्योंकि यह प्रगति की राह पर समाज के नागरिक जहाँ नए क्षेत्रों का अनुसंधान और व्यापक परिप्रेक्ष्यों का विकास करते हैं। वही व्यक्ति का अपना उपयोगितावाद, अभिव्यक्ति व व्यक्तिवाद में बदल जाता है। जो व्यक्ति में सामाजिक दायित्व का भाव जाग्रत करता है। दूसरी ओर विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास ने राजनैतिक सीमाओं को मिलाकर कर सम्पूर्ण विश्व को विकासशील, विकसित व अल्पविकसित राष्ट्र के रूप में विभक्त कर दिया। ऐसे में नागरिक शास्त्र सम्पूर्ण विश्व में विश्व ग्राम में परिवर्तित करने के लिए आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक असंतुलन को दूर करने का कार्य करता है। विश्व समुदाय की भावना जाग्रत कर इनका सकारात्मक व रचनात्मक उपयोग करने की शिक्षा देता है।

7. **श्रेष्ठ चारित्रिक गुणों का ज्ञान (To knowledge of good characterstic qualities) -** आज का छात्र कल का नागरिक है। देश का भविष्य आज बालकों पर निर्भर करता है। यदि उनमें श्रेष्ठ चारित्रिक गुणों का विकास होगा तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। नागरिक शास्त्र का उद्देश्य बालकों में दया, करुणा, प्रेम, सहिष्णुता, सहयोग, सद्भावना, भाईचारे की भावना का विकास करना है। यह संकीर्ण एवं कुत्सित विचारों जैसे - साम्प्रदायिकता, अन्धविश्वास, जाति-पांति, छुआ छूत जैसी बुराईयों से दूर रखकर मानवीय गुणों का विकास करता है।

8. **अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास (To develop International Harmony) -** आज की परिस्थितियों में नागरिकों में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना उत्पन्न करना अनिवार्य ही नहीं परम् आवश्यक है। नागरिक शास्त्र बालकों को यह सिखाता है कि सम्पूर्ण विश्व एक परिवार के समान है। मनुष्य-मनुष्य के मध्य प्रेम, सहयोग व सद्भावना का अंकुरण करने में नागरिक शास्त्र की महती भूमिका है। इसके अलावा चारों और अराजकता, भाषावाद, जातिवाद, आतंकवाद के कारण मानव विश्रृंखलित होता जा रहा है। इन विघटनकारी प्रवृत्तियों को दूर करके सहिष्णुता, सामंजस्य, सौहार्द की भावना का विकास करके उसे एक आदर्श मानव के रूप में तैयार करना।

इसके अतिरिक्त भी नागरिक शास्त्र शिक्षण के द्वारा भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता तथा सुरक्षा की भावना विकसित की जाती है। इसके अलावा भारत के अनिवार्य राष्ट्रीय हितों और बुनियादी सरोकारों, आकांक्षाओं तथा प्राथमिकताओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का सहयोग प्राप्त करने की क्षमता का विकास करना। देश की निर्णय लेने की प्रक्रिया की स्वायत्तता की रक्षा

करना। नागरिक शास्त्र बालक को आदर्श, चरित्रवान नागरिक बनाने का कार्य करता है। मानव को समाज उपयोगी उत्पादक इकाई बनाने में नागरिक शास्त्र की महत्ती भूमिका होती है ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. समसामयिक विषयों के बारे में आप क्या जानते हैं? नागरिक शास्त्र कक्षा शिक्षण के समय आप समसामयिक महत्व को किस प्रकार स्पष्ट करेंगे?

2. नागरिक शास्त्र विषय से संबन्धित समसामयिक प्रकरण के आधार पर लगभग 200 शब्दों का प्रतिवेदन तैयारकीजिये।

1.5 सारांश (Summary)

- नागरिक शास्त्र के अवधारणा व्यक्ति को सुसंस्कृत एवं सफल आदर्श नागरिक बनाने हेतु वर्तमान समय में समाज की मांग को पूर्ण करने हेतु सुसंस्कृत चरित्रवान एंव सद्नागरिक तैयार करना।
- नागरिक शास्त्र शब्द, लेटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है- सिविस सिविटास । नागरिक शास्त्र के शाब्दिक अर्थ से यह स्पष्ट होता है कि नागरिक शास्त्र का संबंध नगर राज्यों से संबधित कार्यो एंव व्यवहार के अध्ययन से होता है।
- नागरिक शास्त्र के क्षेत्र में तीन पक्षों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता हैं (i) विषय की विषय सारणी (ii) विषय की प्रकृति (iii) विषय की सीमायें
- नागरिक शास्त्र शिक्षण का महत्व- लोकतत्र शासन की सफलता हेतु सभ्यता एंव सस्कृति का संरक्षण करने हेतु शासन व्यवस्था का ज्ञान, अधिकारों एंव कर्त्तव्यों का ज्ञान, भूमण्डलीकरण के प्रभावों का ज्ञान, विज्ञान एंव प्रोद्योगिकी का ज्ञान श्रेष्ठ चारित्रिक गुणों का ज्ञान व अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास।

1.6 सन्दर्भ ग्रंथ (References)

1. Bining and Binig- TEACHING OF Social Studies. in Secondary School
2. Bossing Nelson- Teaching in Secondary School.
3. Civics Teaching- Vashishtha and Sharma.
4. Mittal M.L.principal of Education.
5. Mittal M.L.Teaching of Civics

इकाई 2

नागरिक शास्त्र शिक्षण के भविष्योन्तुखी उद्देश्य

Objective of Teaching subject with Futuristic Vision

इकाई की संरचना (Structure of Unit)

2.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य (Aims and Objectives)

2.1 प्रस्तावना (Introduction)

2.2 नागरिक शास्त्र शिक्षण के लक्ष्य (Aims and Civics teaching)

2.3 लोकतन्त्रीय शासन व्यवस्था में नागरिक शास्त्र शिक्षण के प्रमुख लक्ष्य (Aims of teaching Civics in Democratic India)

2.4 लक्ष्य एवं उद्देश्यों में अंतर (Differention between Aims and Objectives)

2.5 शैक्षिक उद्देश्यों का त्रिमुखी विभाजन (Three Fold division of Educational Objectives)

2.6 नागरिक शास्त्र शिक्षण के प्राप्य उददेष्य (Objectivs of Civics Teaching)

2.7 विभिन्न स्तरों पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के उददेष्य (Aims of teaching of Civcs at different levels)

2.8 सारांश (Summary)

2.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य (Aims and Objectives)

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप----

- नागरिक शास्त्र शिक्षण के लक्ष्य एवं उदेश्यों का प्रत्याभिज्ञान एव प्रत्यास्मरण कर सकेंगे।
- नागरिक शास्त्र शिक्षण के लक्ष्य एवं उदेश्यों को परिभाषित कर व्याख्या कर सकेंगे ।
- लोकतन्त्रीय शासन व्यवस्था में नागरिक शास्त्र शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के महत्व को समझकर समीक्षा कर सकेंगे ।
- नागरिक शास्त्र शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य में अन्तर कर उन्हें व्यवहारगत परिवर्तन सहित व्यक्त करने की क्षमता विकसित हो सकेगी ।
- नागरिक शास्त्र शिक्षण के त्रिमुखी विभाजन उद्देश्यों के मध्य अंतर कर प्रत्येक का महत्व बता सकेंगे।
- नागरिक शास्त्र शिक्षण के विभिन्न स्तरों पर उद्देश्यों का मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित हो सकेगी ।

2.1 प्रस्तावना

(Introduction)

"लक्ष्यों के अभाव मे शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपनी मंजिल को नहीं जानता है तथा बालक उस पतवार विहीन नौका के समान है जो लक्ष्यों के थपेड़े खाकर किसी भी तट पर जा लगेगी।"

- बी. डी. भाटिया

("Without the knowledge of aims, the educator is like a sailor who does not know his Goal or his destination and the child is like a rudderless vessel which will be driftes along somewhere ashore.")

किसी भी कार्य की सफलता व पूर्णता उसके लक्ष्य पर आधारित होती है । सही लक्ष्य का निर्धारण ही कार्य की सफलता के सोपानों की ओर अग्रसर करने में सहायक होता है । सफल व्यक्ति के द्वारा की गयी क्रियाओं का यदि अवलोकन किया जाये तो ज्ञात होगा कि सफल व्यक्ति के द्वारा की गई प्रत्येक क्रिया लक्ष्य निर्देशित होती है यह लक्ष्य ही उसे आगे बढने का मार्ग प्रशस्त करते हैं व लक्ष्य का सही ज्ञान उसे कार्य करने की निरन्तर प्रेरणा देता है ।

2.2 नागरिक शास्त्र शिक्षण के लक्ष्य

(Aims of Civics teaching)

"नागरिक शास्त्र का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक पैदा करना है तथा छात्रों की इस प्रकार सहायता करना है जिससे उनमें नागरिक चरित्र का विकास हो ।"

- बिनिंग तथा बिनिंग

(According to Binning and Binning, The outstanding purpose of instruction in Civics is to produce better and to aid peoples in the formation of a higher type of Civcs character.")

उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि नागरिक शास्त्र का लक्ष्य नागरिकों में आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास कर आदर्श मानव का निर्माण करना है । इस आधार पर नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम के उद्देश्य सामान्य शिक्षा के लक्ष्यों के आधार पर निर्धारित किये जाते है ।

नागरिक शास्त्र शिक्षण के लक्ष्य

(Aims of teaching Civics)

1. **आदर्श नागरिकता की शिक्षा (Education of the ideal Citizenship)** -नागरिक शास्त्र का सर्वप्रमुख उद्देश्य मानव को आदर्श नागरिक बनाना है । आदर्श नागरिक बनाने के लिए उसमें प्रेम, करूणा, दया, सौहार्द, सहिष्णुता, उदारता, त्याग, बलिदान, भ्रातृत्व भावना व देश प्रेम की भावना का बीजारोपण कर उसे विकसित एवं जाग्रत करना है । विद्यार्थी में नागरिक शास्त्र शिक्षण के द्वारा ही लोकतांत्रिक गुणों का विकास किया जाना संभव होता है । लोकतांत्रिक सरकार की सफलता व सुरक्षा हेतु नागरिकों में उत्तम नागरिक गुणों का विकास कर नागरिक शास्त्र

शिक्षण द्वारा उनमें अधिकारों व कर्त्तव्यों के ज्ञान का विकास करने व दूसरे के अधिकारों का सम्मान करने की भावना का विकास करना प्रमुख लक्ष्य है ।

2. **जटिलताओं को समझने की योग्यता का (Development of the ability of understanding complexities)** - आज भौतिकतावादी संस्कृति व औधोगीकरण के परिणाम स्वरूप शहरीकरण की भावना का विकास होने के कारण सम्पूर्ण व्यवस्था में जबरदस्त परिवर्तन आ रहे हैं । इन क्रांतिकारी परिवर्तनों ने सामाजिक व्यवस्था को पूर्ण रूप से प्रभावित किया है । वर्तमान समय में प्राचीन व नवीन व्यवस्था में समन्वय व संतुलन बनाना सबसे जटिल समस्या है । नागरिक शास्त्र का लक्ष्य नागरिकों में उन जटिलताओं को समझने एवं तार्किक आधार पर स्वंतत्र निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने की योग्यता का विकास करना है ।

3. **मानसिक शक्तियों का विकास (Development of Mental Powers)** - नागरिक शास्त्र का मुख्य लक्ष्य नागरिकों में मानसिक शक्तियों का विकास कर प्रबुद्ध नागरिक तैयार करना । मानसिक शक्तियों के विकास से आशय उनमें विचार करने, निर्णय लेने, स्मरण करने व कल्पना करने, अनुमान लगाने, तर्क सहित व्याख्या करने, आलोचना करने, पूर्वानुमान लगाने, स्वतंत्र निर्णय लेने व समालोचनात्मक समीक्षा करने की योग्यता का विकास करना । नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य समस्यात्मक परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की नागरिकों में क्षमता विकसित करना है । विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने से वृहद् दृष्टिकोण का विकास करने में भी सहायता मिलती है ।

4. **वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास (Development of Scientific outlook)** - वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का युग है । यही किसी भी राष्ट्र की प्रगति एवं विकास का मूसलाधार है । वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए नागरिक शास्त्र विद्यार्थी में स्पष्ट चिन्तन भाषण, तर्क करने की योग्यता एवं क्षमता का विकास स्वतंत्र निर्णय लेने एवं तार्किक विचार प्रकट करने की क्षमता का विकास करता है ।

5. **राष्ट्रीय चरित्र का विकास (Development of National Character)** - नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थी में राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना है । राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय विचार, भावनाएँ, सुरक्षा एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का भाव उत्पन्न कर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना । राष्ट्रीय चरित्र के विकास हेतु विद्यार्थी को प्रारम्भिक अवस्था में ही चरित्र निर्माण से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है । विद्यार्थी में प्रेम, सेवा, करूणा, त्याग, सहानुभूति, सहयोग एवं सहकारिता जैसे चारित्रिक गुणों का विकास कर राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना । राष्ट्रीय चरित्र. से ही अन्तरराष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है जिसके द्वारा नागरिक शास्त्र का मूल लक्ष्य, 'वसुधैव कुटुम्बकम्' को प्राप्त कर पाना संभव होता है ।

6. **अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास (Development of international outlook)** - नागरिक शास्त्र शिक्षण द्वारा राष्ट्रीय चरित्र का विकास कर राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जाता है । यही भावना विद्यार्थी को संकुचित दृष्टिकोण के स्थान पर विस्तृत एवं व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने में सहायक होती है । 'वसुवैध कुदुम्बकम' के ध्येय को पूर्ण रूप से विद्यार्थी में विकसित करने के लिए उनमें विश्व बन्धुत्व, विश्व प्रेम, विश्व करूणा, विश्व कल्याण की भावनाओं को विकसित करना । नागरिक शास्त्र शिक्षण का लक्ष्य विद्यार्थी में आतंकवादी

नीति, साम्राज्यवादी नीति, युद्ध एवं आतंक जैसी बुराईयों के विरूद्ध देश भक्ति व अन्तरराष्ट्रीय सद्भावना की भावना जाग्रत करना है ।

7. **राजनैतिक जागरूकता उत्पन्न करना (To create political awareness)** - नागरिक शास्त्र शिक्षण का लक्ष्य सक्रिय एवं सजग नागरिक तैयार करना है । किसी भी शासन व्यवस्था की सफलता एवं असफलता नवयुवकों व नागरिकों की राजनैतिक जागरूकता पर निर्भर करती है । वस्तुत: विद्यार्थी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि एक नागरिक के नाते हमारे क्या कर्त्तव्य हैं? हमारे अधिकार क्या हैं? देश के कल्याण व विकास के लिए कौनसी शासन व्यवस्था बेहतर है? किसी भी देश की शासन व्यवस्था के सफल संचालन में नागरिकों की क्या भूमिका है? इन सभी गुणों का विद्यार्थी में विकास करने के लिए नागरिक शास्त्र शिक्षण के माध्यम से अध्यापन पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा सैद्धान्तिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में बदलने का कार्य करें । विद्यार्थी के समक्ष राजनैतिक सजगता एवं जागरूकता उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करें ।

8. **देश की शासन व्यवस्था का ज्ञान (Knowledge of the Administrative system of the Country)**- नागरिक शास्त्र शिक्षण का लक्ष्य विद्यार्थी को विभिन्न देशों की विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों के गुण-दोषों से अवगत कराकर उनमें समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास करना है । इस प्रकार के ज्ञान से विद्यार्थी में प्रजातंत्र शासन प्रणाली के प्रति सकारात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है । प्रजातंत्र में प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह देश की प्रचलित शासन -व्यवस्था से पूर्ण रूपेण अवगत हो तभी वह युवा बनने पर शासन व्यवस्था में सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकेंगे ।

9. **आदर्श नेतृत्व का विकास (Development of the ideal leadership)** - इतिहास साक्षी है कि किसी भी देश की प्रगति, उन्नति एवं विकास कुशल नेतृत्व की बागडोर से ही संभव हो सकता है । आजादी पाने के लिए किए गये संघर्ष में सफलता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श एवं कुशल नेतृत्व का सफल परिणाम था । महात्मा गांधी के कुशल नेतृत्व के परिणामस्वरूप सारा देश एकता के सूत्र में बंध सका । कुशल नेतृत्व से आशय नेता में उच्च चरित्र, दृढ़ता, तर्क, चिन्तन, विश्लेषण करने की क्षमता, संवेदनशीलता, तुरन्त निर्णय लेने की क्षमता, उदारता, आशावादिता, दयालुता, परोपकार व सेवाभाव का गुण अनिवार्य है ।

नागरिक शास्त्र का मूल लक्ष्य विद्यार्थी में ऐसे गुणों का विकास कर उत्तम चरित्र, दृढ़ता, तर्क शक्ति व परिस्थितियों को समझने की शक्ति का विकास कर आदर्श नेतृत्व के गुणों को विकसित करना है ।

10. **लोकतान्त्रिक मूल्यों का विकास (Development of Democratic Values)** - लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर है कि इस देश के नागरिक का व्यवहार कैसा है? नागरिक व्यवहार से आशय - उनमें सहयोग, दया, धैर्य, समानता, बन्धुता, सहनशीलता जैसे गुणों का विकास हो । नागरिक शास्त्र शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य बालकों में लोकतान्त्रिक मूल्यों का विकास कर आदर्श गुणों का विकास करना है ।

एडम्स वैसले (Adams Weslay) ने अपनी पुस्तक "Teaching Social Studies in high school" में नागरिक शास्त्र के लक्ष्य निम्न प्रकार बताए हैं -

1. प्रजातंत्र सरकार में बालकों के विश्वास को दृढ़ता प्रदान करना ।

2. व्यक्तित्व का विकास करना ।
3. चारित्रिक गुणों का विकास करना ।
4. परिवार एवं पड़ोस में सुख-शांति का वातावरण बनाना ।
5. समस्त धर्मो. जातियों, वर्गो. राष्ट्रीयता के प्रति आदर भाव रखने की क्षमता उत्पन्न करना ।
6. बालकों में सरकार की आवश्यकताओं एंव ढ़ाचे को समझने की शक्ति का विकास करना एवं बालकों में वसुवैध कुदुम्बकम' ' की भावना का सृजन करना ।
7. नागरिकों के अधिकार एवं कर्त्तव्यों से बालकों को अवगत कराना ।
8. बालकों में राजनैतिक समस्याओं के समाधान खोजने की मानसिक शक्ति का विकास करना ।
9. बालकों में सहयोग, सहानुभूति, प्रेम. सहकारिता एवं सेवा की भावना विकसित करना ।
10. छात्रों को सामाजिक संगठनों एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान प्रदान करना ।
11. जनहित एवं मानव कल्याण की भावना को बल प्रदान करना ।

ई.एम.व्हाइट (E. M. White) के मतानुसार नागरिक शास्त्र शिक्षण' के तीन प्रमुख लक्ष्य बताये गये हैं-

- नागरिक शास्त्र शिक्षण का सर्वप्रमुख लक्ष्य विद्यार्थी में उनके निकटवर्ती वातावरण के प्रति रुचि जाग्रत की जानी चाहिए । जिससे शनै: शनै: रुचि का स्वत: विस्तार होता जायेगा ।
- नागरिक शास्त्र शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी की संस्थाओं के विकास, सभ्यता की उन्नति के कारणों व वर्तमान दशाओं के कारणों तथा भविष्य की झलक का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए।
- विद्यार्थी में सामाजिक सद्गुणों का विकास किया जाना चाहिए । समाज के प्रति अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन करने की भावना का विकास किया जाना चाहिए ।

माइकेलिस ने अपनी पुस्तक 'Social Studies for Children in a democracy' में नागरिक शास्त्र शिक्षण के प्रमुख लक्ष्य निम्न प्रकार बताये हैं:-

- बालकों में विभिन्न सामाजिक गुणों तथा कुशलताओं का एवं नागरिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करना ।
- चरित्र निर्माण करने में सहायता करना ।
- बालक में प्रजातान्त्रिक गुणों का विकास कर प्रजातन्त्रकीय समाज में सफलतापूर्वक जीवनयापन करने की क्षमता का विकास करना ।
- मानवीय एवं बौद्धिक विकास करना ।
- मानवीय हित की भावना को प्रबल बनाना ।
- विश्व बन्धुत्व की भावना का विकास कर व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना ।

एडम्स वैसले, ईएम.व्हाइट एवं माइकेलिस द्वारा वर्णित लक्ष्यों को भारतीय परिस्थिति एवं वातावरण के अनुसार नागरिक शास्त्र शिक्षण में निर्धारित करना अनिवार्य है । भारत में

प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था को सफल बनाने के लिए नागरिक शास्त्र का शिक्षण प्रारम्भिक स्तर पर ही दिया जाना अनिवार्य है ।

2.3 लोकतन्त्रीय शासन व्यवस्था में नागरिक शास्त्र शिक्षण के प्रमुख लक्ष्य

(Aims of teaching Civics in Democratics India)

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए संघर्ष करना पडा है । देश में निर्धनता, आर्थिक असमानता, बेकारी, अन्धविश्वास, अज्ञानता, छुआछूत, साम्प्रदायिकता, प्रान्तीयता, जातिवाद, भाषावाद जैसे संकुचित विचारधाराओं ने अपनी जड़े चारों और फैला ली । भारत में राष्ट्रीय एकता, भावात्मक एकता व आत्म गौरव की भावना को विकसित करने के लिए नागरिक शास्त्र का शिक्षण अनिवार्य है ।

विद्यार्थी में नवीन चेतना, नवीन दृष्टिकोण तथा नवीन प्रेरणा प्रदान करने का कार्य नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम द्वारा ही किया जाना सम्भव है । भारत की परिस्थिति एवं वातावरण के अनुसार नागरिक शास्त्र शिक्षण के लक्ष्य प्रमुख है ।

विद्यार्थी में लोकतान्त्रिक भावना का विकास कर आदर्श नागरिक के मूल्यों की महत्ता बताकर उन्हें व्यवहारिक जीवन में ढालने के लिए प्रेरित करना । विद्यार्थी को सामूहिक जीवन हेतु प्रेरित करना, उनमें सहयोग, प्रेम व सहिष्णुता की भावना विकसित करने का प्रयास करना । आज का बालक कल का भावी नागरिक है । इस आधार पर बालक में आदर्श नागरिक गुणों का विकास करना व उसमें राष्ट्र निर्माता, समाज सुधारक तथा प्रशासक के रूप में आदर्श नेतृत्व के मूल्यों का विकास करना ।

- राष्ट्र हित व्यक्ति का सर्वोपरि हित हो । यह भावना विद्यार्थी में विकसित करना ।
- विद्यार्थी आदर्श नागरिक के रूप में अपनी सर्वोत्तम सेवाएं राष्ट्र को समर्पित करें । राष्ट्रीय हित व राष्ट्र के चहुँमुखी विकास में अपनी भागीदारी निभायें व ऐसा कोई भी कृत्य न करें जिससे राष्ट्र के सम्मान, गौरव व स्वाभिमान को ठेस पहुँचे । नागरिक शास्त्र शिक्षण द्वारा इन सभी लक्ष्यों को प्रमुखता से प्राप्त करना ही ध्येय होता है ।
- नागरिक शास्त्र शिक्षण का लक्ष्य विद्यार्थी को शासन व्यवस्था का ज्ञान प्रदान कर शासन में भाग लेने के योग्य बनाना है ।
- वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का युग है । इसमें नागरिक शास्त्र का प्रमुख लक्ष्य वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास माना गया है । वैज्ञानिक प्रवृत्ति के निर्माण के लिए छात्रों में स्पष्ट चिन्तन, भाषण, तर्कशक्ति का विकास व तत्काल सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास प्रमुख लक्ष्य है । आधुनिकीकरण एक गत्यात्मक संकल्पना है जिसमें परिवर्तन व अनुकूलन की प्रक्रिया निहित है । आधुनिक समाज एवं शासन व्यवस्था की अवधारणा को स्पष्ट कर सुदृढ़ राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनाना । विश्व बन्धुत्व की भावना का विकास करना ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. लोकतन्त्रीय शासन व्यवस्था में नागरिक शास्त्र शिक्षण के लक्ष्यों को स्पष्ट कीजिए।

2.4 लक्ष्य एवं प्राप्य उद्देश्य में अंतर
(Differential between Aims and Objectives)

लक्ष्य: लक्ष्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है ।

-कार्टर वी. गुड

(Aim is forseen and that gives direction to and activity)

- Carter V. Good

लक्ष्य का क्षेत्र व्यापक होता है जिस कारण उन्हें प्राप्त करने में समय अधिक लगता है । विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रमीय एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाऐं लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहभागी होते है । इन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त करना सम्भव नहीं होता क्योंकि यह आदर्शवादिता पर आधारित होते है ।

"प्राप्य उद्देश्य: प्राप्य उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वह इच्छित परिवर्तन है जो विद्यालय द्वारा पथ प्रदर्शित अनुभव का परिणाम होता है ।"

-कार्टर वी. गुड

Objective is a desired change in the behavior of pupil as a result of experience directed by the school.

-Carter V. Good

उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि उद्देश्य वह मापदण्ड है जिसको छात्र द्वारा शाला क्रियाओं को पूर्ण कर ही प्राप्त किया जाता है । इस प्रकार उद्देश्य लक्ष्य की अपेक्षा व्यवहारिक होते है ।

लक्ष्य एवं उद्देश्य के मध्य अंतर निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है -

लक्ष्य	उद्देश्य
1. शिक्षा निर्धारित दिशा देने मे महत्वपूर्ण भूमिका लक्ष्यों की ही होती है ।	1. उद्देश्य शिक्षा के लक्ष्य निर्देशित दिशा की उपलब्धि को व्यक्त करते है ।
2. लक्ष्य का क्षेत्र व्यापक है ।	2. इसका क्षेत्र सीमित है ।
3. लक्ष्य आदर्शवादिता पर आधारित होने के कारण इन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाना संभव नहीं होता ।	3. यह व्यवहारिक होते है व पूर्ण रूप से प्रापनीय होते है ।
4. लक्ष्य शिक्षा को निर्धारित दिशा प्रदान करते है । शिक्षा इनके अभाव में वांछित दिशा में प्रगति नहीं कर सकती है ।	4. उद्देश्य वह बिन्दु है जो निर्धारित दिशा में सम्भव उपलब्धि को व्यक्त करते है ।
5. लक्ष्य कक्षा-कक्ष शिक्षण व्यूह रचना के निर्धारण में सहायक नहीं होते ।	5. उद्देश्य कक्षा कक्ष की शिक्षण व्यूहरचना के निर्धारण में। सहायक होते है ।

2.5 शैक्षिक उद्देश्य

(Edcational Objectives)

बी.एस.ब्लूम ने सीखने के उद्देश्यो को तीन भागो मे बाँटा है । सीखने के उद्देश्यो का वर्गीकरण करते समय ब्लूम ने बाल विकास के प्राथमिक पक्षों को आधार बनाकर दिया है ।

1. संज्ञानात्मक उद्देश्य (Cognitive Objectives)	2. भावात्मक उद्देश्य (Affective Objectives)	3. क्रियात्मक उद्देश्य (Psychomotor Objectives)
सूचनाओं, ज्ञान व तथ्यों की जानकारी	रुचियों, अभिवृत्तियों एवं मूल्यों का विकास	शारीरिक क्रियाओं का प्रशिक्षण एवं कौशल

संज्ञानात्मक उद्देश्य (Congnitive Objective) - ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक उद्देश्य को छः भागों में विभक्त किया गया है । ज्ञानात्मक पक्ष के अन्तर्गत ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग विश्लेषण, संश्लेषण व मूल्यांकन उद्देश्य में विभक्त किया गया है । ज्ञानात्मक उद्देश्य की परिधि ज्ञान के मूल्यांकन से जुड़ी होती है । शिक्षण प्रक्रिया के अन्तर्गत शिक्षक अपने उद्देश्य को कार्य सूचक (Action Verbs) क्रियाओं के रूप में लिखता है व अपने शिक्षण कार्य का मूल्यांकन करता है ।

ज्ञान (Knowledge) - ज्ञान उद्देश्य स्मरण पर आधारित होता है । इससे पूर्वज्ञान को अनेक संकेतों व क्रियाओं द्वारा पुनः व्यवस्थित किया जाता है जिसे तीन भागों में बांटा जा सकता है ।

ज्ञान के उद्देश्य

विशिष्टों का ज्ञान (Knowledge Of Specifics)	विशिष्ट से सम्बद्ध साधनों व विधियों का ज्ञान (Knowledge of ways and means of dealing with specifics)	सामान्यीकरण का ज्ञान (Knowledge of universal abstraction in a field)

1. **विशिष्टों का ज्ञान** - ज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट पदों तथ्यों तथा सूचनाओं के अलग-अलग प्रत्यास्मरण से होता है । विशिष्ट ज्ञान में भी दो भाग किये जा सकते हैं-

अ. पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान (Knowledge of terminology) - ज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट शाब्दिक तथा अशाब्दिक संदर्भो का ज्ञान है । इसके अन्तर्गत विषय विशेष से सम्बद्ध विशिष्ट पदों को परिभाषित किया जाता है । विषय से सम्बद्ध शब्दों का ज्ञान व अर्थ प्राप्त किया जाता है।

ब. विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान (Knowledge of specifics facts) - इस पक्ष के अन्तर्गत विशिष्ट से सम्बद्ध, तिथियों, घटनाओं, व्यक्ति विशेष तथा स्थानों का ज्ञान निहित होता है । इसमें स्पष्ट एवं निश्चित सूचनाओ को प्राप्त कर प्रत्यास्मरण किया जाता है ।

स. विशिष्ट से सम्बद्ध साधनों एवं रीतियों का ज्ञान (Knowledge of ways and Means of dealing with specifics) - इससे विशिष्ट से समद्ध ज्ञान के विभिन्न पक्षों का स्पष्ट व्यवस्थित अध्ययन, निर्णय व समीक्षा की जाती है । जिसके अन्तर्गत परम्पराओं का ज्ञान, विधियों का ज्ञान, प्रवृत्तियों एवं क्रमों का ज्ञान, वर्गीकरण व स्तरों का ज्ञान तथा कार्य पद्धति का ज्ञान समाहित होता है ।

द. सामान्यीकरण का ज्ञान (Knowledge of Universal abstraction in a field) - सामान्यीकरण का संबंध नियमों एवं सिद्धान्तों से होता है । इससे नियमों एवं सामान्यीकरण का ज्ञान व सिद्धान्तों तथा संरचना से सम्बद्ध ज्ञान निहित होता है ।

2. **बोध (Comprehension)** - इसके अन्तर्गत ज्ञान द्वारा प्राप्त सूचनाओं, तथ्यों, नियमों व सिद्धान्तों का प्रत्यास्मरण एवं प्रत्याभिज्ञान कर उन्हें सही प्रयोग करना हैं । अर्थात् सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करना । अनुवाद करना, व्याख्या करना आदि क्रियाऐं समाहित है ।

3. **प्रयोग (Application) -** प्रयोग के लिए ज्ञान एवं बोध का होना आवश्यक है । अत: सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करने के लिए ज्ञान एवं बोध आवश्यक है । इसके अन्तर्गत नियमों व सिद्धान्तों का सामान्यीकरण, निदान व अनुप्रयोग जैसी क्रियाऐं समाहित होती हैं ।

4. **विश्लेषण (Analysis) -** किसी भी विषय या सूचना विश्लेषण हेतु ज्ञान, बोध व प्रयोग होना पूर्व शर्त है । इससे पाठ्यवस्तु का विभाजन तत्वों तत्वों में कर तत्वों का विश्लेषण संबधो का विश्लेषण एंव सिद्धातों का विश्लेषण आदि क्रियाऐं की जाती है ।

5. **संश्लेषण (Synthesis) -** संश्लेषण हेतु विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, प्रयोग व विश्लेषण करने के बाद स्वयं नयी संरचना तैयार करने से है । इसके अन्तर्गत पूर्वज्ञान को व्यवस्थित एवं संगठित रखते हुए अमूर्त संबंधों को खोजने की क्रिया समाहित है ।

6. **मूल्यांकन (Evaluation)** - ब्लूम का मत है कि "उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम का रूपांकन तथा शिक्षण का निर्देशन ही नहीं करते वरन् वे मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण तथा प्रयोग को भी विशिष्ट बनाते हैं । मूल्यांकन के अन्तर्गत पाठ्यवस्तु व विधियों की सार्थकता के बारे में निर्णय लिया जा सकता है । साथ ही पूर्व में निर्धारित उद्देश्य की जांच भी मूल्यांकन के माध्यम से ही की जा सकती है ।

नार्मन ई.ग्रीनलैण्ड ने अपनी पुस्तक 'कक्षा शिक्षण के लिए व्यवहारिक उद्देश्य के वर्णन' में ज्ञानात्मक पक्ष के विभिन्न स्तर के उद्देश्य की कार्य प्रक्रियाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार दिया है

1. ज्ञान (Knowledge) - विद्यार्थी नागरिक शास्त्र से सम्बद्ध तथ्यों, नियमों सिद्धान्तों का प्रत्याभिज्ञान एवं प्रत्यास्मरण करता है-

प्राप्य उद्देश्य का निर्धारण -

- परिभाषा देता है
- पहचानता है
- चयन करता है
- सूचीबद्ध करता है
- दोहराता है

2. बोध (Understanding) - विद्यार्थी में नागरिक शास्त्र से सम्बद्ध तथ्यों, सम्प्रत्ययों, विधियों एवं सिद्धान्तों व मान्यताओं, प्रक्रियाओं का अवबोध विकसित होता है ।

प्राप्य उद्देश्य का निर्धारण

- व्याख्या करता है
- सारांश प्रस्तुत. करता है
- अन्तर बताता है
- सामान्यीकरण करता है
- अनुमान लगाता है
- अपने शब्दों में पुन: लिखता है
- उदाहरण देता है
- त्रुटियों का पता लगाने एवं संशोधन की क्षमता विकसित करता है

3. प्रयोग (Application) - विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान एवं अवबोध का प्रयोग व्यवहारिक परिस्थिति में करता है । इसके अन्तर्गत आलोचनात्मक, समीक्षात्मक एवं तार्किक चिंतन की योग्यता विकसित होती है।–

प्राप्य उद्देश्य का निर्धारण -

- परिकल्पना का निर्माण करता है. भविष्यवाणी करता है
- गणना करता है. परिकल्पनाओं की जांच करता है
- समस्या के संभावित समाधान हेतु विकल्प प्रस्तुत करता है
- अनुमान लगाता है व उन्हें सुनिश्चित करता है
- लक्ष्यों का सामान्यीकरण करता है
- निर्णय कर निष्कर्ष निकालता है

4. विश्लेषण (Analysis) - विद्यार्थी ज्ञान, बोध एवं प्रयोग के बाद सूचनाओं एवं ज्ञान का विश्लेषण कर पाने में सक्षम होता है-

प्राप्य उद्देश्य का निर्धारण -

- विभाजन करता है
- भेद करता है
- तुलना करता है
- निष्कर्ष निकालता है
- विभक्त करता है
- पुष्टि करता है

5. संश्लेषण (Synthesis) - प्राप्त सूचनाओं एवं तथ्यों का संश्लेषण करने की क्षमता विद्यार्थी में विकसित होती है-

प्राप्य उद्देश्य का निर्धारण -

- श्रेणीबद्ध करता है
- संकलित करता है
- वर्णन करता है
- संगठित करता है

- प्रारूप तैयार करता है
- निष्कर्ष निकालता है
- सृजन करता है

6. मूल्यांकन (Evaluation) - यह अंतिम तथा सर्वोच्च स्तर है । इसका आधार' आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित कर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना-

प्राप्य उद्देश्य का निर्धारण -

- पहचानना
- आलोचना करना
- निर्णय लेना
- मूल्यांकन करना
- परिणाम निकालना

भावनात्मक उद्देश्य (Objective of Effective Domain) - मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के साथ ही साथ भावनात्मक प्राणी भी है । उसकी आंतरिक भावनाऐं उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है । भावनात्मक उद्देश्य के अन्तर्गत हम रुचि, अभिवृत्ति, सौन्दर्यानुभूति के मूल्यों आदि के बारे में अध्ययन करते हैं ।

ब्लूम ने भावनात्मक उद्देश्य को स्तर के अनुसार छ: भागों में विभक्त किया है । जो इस प्रकार है-

1. **ग्रहण करना (Receiving)** विद्यार्थी की संवेदनशीलता स्तर का प्रत्यक्ष संबंध ग्रहण करने से. है । ग्रहण करने की प्रक्रिया किसी क्रिया और उद्दीपक की उपस्थिति में होती है । इसका सीधा संबंध बालक की ग्रहण करने की इच्छा से होता है । भावनात्मक उद्देश्य में ग्रहण करने की इच्छा के अन्तर्गत चेतना, स्वीकार करने की इच्छा, नियंत्रित एवं चयनित ध्यान प्रक्रिया इसमें समाहित है ।

2. **अनुक्रिया (Responding)** इसका संबंध उद्दीपक के प्रति की गई अनुक्रिया से होता है । यह ज्ञान को ग्रहण करने की आगे की स्थिति है जिससे छात्र सक्रिय रहता है । अनुक्रिया ग्रहण करने में भी तीन स्तर है अनुक्रिया में सहमति, अनुक्रिया की इच्छा, अनुक्रिया में संतोष होना ।

3. **मूल्य (Valuing)** -- इस उद्देश्य से आशय अपने व्यवहार का निर्धारण मूल्यों के आधार पर करना । इसमें वह सभी क्रियायें समाविष्ट की जाती हैं जिन्हें छात्र अपने जीवन में मूल्यों के रूप में आत्मसात कर जिनमें विश्वास एवं आस्था रखता हैं । इसके अन्तर्गत मूल्यों की स्वीकृति, मूल्यों की वरीयता व मूल्यों की प्रतिबद्धता समाहित होती है ।

4. **प्रत्ययीकरण (Conceptualization)** - इसमें छात्रों द्वारा सही संदर्भ में जानकारी को समझने व उसका विश्लेषण करना व प्रत्ययों को प्रदर्शित करना सम्मिलित है ।

5. **व्यवस्था (Organizing)** - मूल्यों को ग्रहण करने या स्वीकार करने पर विद्यार्थी के समक्ष ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जिनमें उसे अपने मूल्यों को एक क्रम में व्यवस्थित करना होता है । इस हेतु मूल्य के दो स्तर होते हैं- मूल्य की अवधारणा व मूल्य क्रम की व्यवस्था ।

6. **मूल्य समूह का विशेषीकरण (Characterization of a value complex)** - मूल्यों को पूर्णरूपेण आत्मसात करने के बाद व्यक्ति के व्यवहार एवं कार्यो में मूल्यों की झलक दिखाई देती है । यही भावात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर माना जाता है ।

क्रियात्मक क्षेत्र के उद्देश्य (Objective of psychomotor Domain) - क्रियात्मक उद्देश्य के अन्तर्गत शारीरिक क्रियाओं का प्रशिक्षण समाहित किया जाता है । यह शिक्षा का प्रयोगात्मक पक्ष है । इसका प्रयोग व्यवसायिक एवं प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण में किया जाता है । इस पक्ष के विकास में ई.जे.सिम्पसन का योगदान महत्वपूर्ण रहा है ।

सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य को पाँच प्रमुख स्तरों में वर्गीकृत किया है-

1. **प्रत्यक्षीकरण (Perception)** - इसके अन्तर्गत किसी भी बाहरी वस्तु घटना के आधार पर ज्ञानेन्द्रियों के जागरुक होने की प्रक्रिया समाहित होती है । अर्थात् प्रत्यक्षीकरण वह मानसिक प्रक्रिया है जिससे घटना एवं वस्तु के गुणों व संबंधों के आधार पर एक श्रृंखला विकसित होती है । जिसके प्रथम स्तर वर्णनात्मक, द्वितीय स्तर संक्रमण काल की स्थिति व तृतीय स्तर पर व्याख्यात्मक गुणों का विकास होता है ।
2. **व्यवस्था (Set)** - क्रियात्मक उद्देश्य में यह विशिष्ट प्रकार की क्रिया तथा अनुभव के लिए प्रारम्भिक समायोजक है जो कि मानसिक, शारीरिक व संवेगात्मक पक्षों के आधार पर निर्मित होता है ।
3. **निर्देशात्मक अनुक्रिया (Guided Response)** - क्रियात्मक कौशल के विकास में निर्देशात्मक अनुक्रिया महत्त्वपूर्ण चरण है । इसमें कौशल के अधिक जटिल स्तर पर बल दिया जाता है ।
4. **कार्य प्रणाली (Mechanism)** - इस स्तर पर छात्र में किसी भी कार्य को करने के प्रति निश्चित आत्मविश्वास द्वारा कौशल का विकास होता है । यह उन परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्ता अनुक्रिया करने पर बल देता है ।
5. **जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया (Complex Overt Responses)** - यह क्रियात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर है जिसमें व्यक्ति बहुत जटिल कहलाने वाली क्रियाओं को भी सुगमता एवं कुशलता के साथ सम्पन्न कर पाता है ।

2.6 नागरिक शास्त्र शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य (Objectives of Civics Teaching)

1. **ज्ञानात्मक उद्देश्य** - नागरिक शास्त्र शिक्षण के अन्तर्गत ज्ञानात्मक उद्देश्य को हम तीन भागों में वर्गीकृत करते हैं ।

(क) ज्ञान	(ख) अवबोध	(स) अनुप्रयोग या ज्ञानोपयोग
(Knowledge)	(Understanding)	(Application of Knowledge)

अ ज्ञान (Knowledge)- इसके अन्तर्गत नागरिक शास्त्र के पदों, सिद्धान्तों, प्रत्ययों, तथ्यों, घटनाओं व प्रक्रिया का ज्ञान प्रदान किया जाता है जिससे छात्रों को इन सभी प्रक्रियाओं के संबंध में-

- प्रत्यास्मरण कराना ।
- पहचान कराना ।
- विश्लेषण कराना ।
- व्यवस्था कराना ।

ब. अवबोध (Understanding) छात्रों को नागरिक शास्त्र विषय के तथ्यों सिद्धातों धारणाओं के बारे में परस्पर-

- विभेद कराना ।
- वर्गीकरण कराना ।
- तुलना कराना ।
- सम्बधों को स्पष्ट कराना ।
- अशुद्धियों को पहचानना ।
- उदाहरण देना ।

स ज्ञानोपयोग (Application)- छात्रों को नागरिक शास्त्र से संबंधित तथ्यों सिद्धान्तों व गतिविधियों का -

- -विश्लेषण कराना ।
- -सामान्यीकरण कराना ।
- -निष्कर्ष निकालना ।
- -संबंध स्थापित कराना ।
- परीक्षण कर न सिद्धान्तों का निरूपण कराना ।
- प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में व परिस्थिति में उपयोग कराना ।

2. **भावात्मक उद्देश्य (Affective Objectives)** - नागरिक शास्त्र शिक्षण के अन्तर्गत भावात्मक उद्देश्य की श्रृंखला में निम्न उद्देश्य समाहित हैं-

अ अभिरुचियों का विकास (Development of Interest)

ब. अभिवृत्ति का विकास (Development of Attitude)

अ अभिरुचियों का विकास (Development of Interest) - नागरिक शास्त्र शिक्षण का यह उद्देश्य छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास करना है । इसके द्वारा छात्रों में निम्न गतिविधियों का विकास होता है-

- सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, नैतिक समस्याओं कें समाधान के प्रति रुचि विकसित कर उनका समाधान निकालने की क्षमता विकसित करना ।
- छात्रों में शासन व्यवस्था व संस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की क्षमता विकसित करना ।
- विषय एवं समस्याओं से संबंधित ग्रन्थों, साहित्य, संदर्भ ग्रन्थों का अध्ययन की रुचि एवं जिज्ञासा विकसित करना ।

ब. अभिवृत्ति का विकास (Development of Attitude) - नागरिक शास्त्र शिक्षण में छात्रों में निम्न बिन्दुओं का विकास करना -

- छात्रों मे अच्छी आदतों का निर्माण करना ।
- छात्रों में उचित व्यवहार करने की दक्षता विकसित करना ।
- छात्रों में समस्याओं की प्रकृति के अनुरूप वैज्ञानिक, समीक्षात्मक, सकारात्मक एवं नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना ।

3. **क्रियात्मक उद्देश्य (Psychomotor Objectives)**

अ क्रियात्मक कौशलों का विकास (Development of Skills) -

ब. आदतें (Habit)

अ क्रियात्मक कौशलों का विकास (Development of Skill) -

– छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित निम्न कौशलों का विकास करना ।
– छात्रों में कार्टून, चित्र, समय चार्ट आदि को बनाने की कुशलता विकसित करना ।
– छात्रों में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित करना ।
– तथ्यों एवं प्रदत्तों को प्रस्तुत करने एवं इस आधार पर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना ।

ब. आदतें (Habbits) - नागरिक शास्त्र शिक्षण में इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु -

– छात्रों में स्वस्थ आदतों का निर्माण कर उन्हें विकसित करना ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1.ब्लूम टेकसोनोमी के अनुसार नागरिक शास्त्र शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य क्या है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये ।

2.शिक्षण प्रक्रिया में प्राप्य उद्देश्य के निर्धारण का महत्व स्पष्ट ।

3.ज्ञानात्मक पक्ष के संबंध में ज्ञान एवं अवबोध संबंधी प्राप्य उद्देश्यो को स्पष्ट कीजिये।

2.7 विभिन्न स्तरों पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य (Aims of Teaching of Civics at different levels)

1. **प्राथमिक स्तर (Elementary Stage)** - व्यक्तित्व विकास व निर्माण हेतु यह स्तर एक आधार स्तर होता है । इस स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य बालकों मे आदर्श नागरिक गुणों का विकास करना होता है । इस दृष्टि से नागरिक शास्त्र शिक्षण में निम्न उद्देश्य नागरिक प्राप्त किये जा सकते हैं-

1. विद्यार्थी में सामाजिक गुणों के साथ-साथ चारित्रिक गुणों का विकास करना ।
2. विद्यार्थीयों में प्रेम, सहयोग, करूणा व सहानुभूतिपूर्वक जीवन जीने की भावना विकसित करना ।
3. विद्यार्थी में प्रेमपूर्वक सामूहिक जीवन जीने की भावना विकसित करना ।
4. विद्यार्थी को मानसिक एवं बौद्धिक विकास की क्षमता विकसित करने का अवसर प्रदान करना ।
5. विद्यार्थी में स्वस्थ आदतों उच्च विचार व नैतिकता के गुणों का विकास करना ।
6. दूसरे के विचारों एवं भावों को ध्यान से सुनने एवं उसके प्रति आदर का भाव विकसित करना ।
7. विद्यार्थी में देश प्रेम की भावना उत्पन्न कर अन्तरराष्ट्रीय सद्भाव उत्पन्न करना ।
8. विद्यार्थी को स्थानीय स्वशासी के बारे में जानकारी प्रदान करना ।
9. समाज में व्याप्त अंधविश्वास, रुढ़ियों एवं परम्परागत धारणाओं के प्रति बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना ।
10. विद्यार्थी को सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान एवं प्रशिक्षण प्रदान करना ।

2. **उच्च प्राथमिक स्तर (Upper Primary Stage)** - प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी को यदि नागरिकता की ठोस शिक्षा मिल जाये तो उच्च प्राथमिक स्तर पर एक जागरुक बालक के रूप में शिक्षा ग्रहण कर पाना उसके लिए आसान होता है । यह अवस्था विकास की सबसे तीव्र अवस्था है । इस अवस्था में बालक का मानसिक एवं बौद्धिक विकास तीव्र गति से होता है । इस दृष्टि से नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य निम्नानुसार है-

1. विद्यार्थी में नैतिक चारित्रिक एवं सामाजिक गुणों का विकास करना ।
2. विद्यार्थी में सभी धर्मो. जातियों, वर्गो, प्रान्तों व भाषाओं के प्रति आदर की भावना विकसित करना ।
3. विद्यार्थी में सहयोग, सहकारिता व सहानुभूति की भावना विकसित करना ।
4. विद्यार्थी में शासन व्यवस्था व देश के प्रति निष्ठा, आस्था, विश्वास एवं प्रेम की भावना विकसित करना ।
5. विद्यार्थी में अपने कर्त्तव्यों के प्रति जागरुकता एवं संवेदनशीलता की भावना विकसित करना ।
6. विद्यार्थी में अपने विचार अभिव्यक्ति, तर्क करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति का विकास करना ।
7. विद्यार्थी में कुशल नागरिक गुणों का विकास कर प्रजातान्त्रिक, भातृत्व भावना जैसे गुणों का विकास करना ।
8. विद्यार्थी में स्वयं के कर्त्तव्यों को समझकर दूसरे के अधिकारों का सम्मान करने की भावना विकसित करना ।

3. **माध्यमिक स्तर (Secondary Stage)** - यह अवस्था बालक की परिपक्व अवस्था की श्रेणी मे आती है । उसके अन्दर शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक दृष्टि से तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं । इस बालक संकुचित दृष्टिकोण के स्थान पर व्यापक दृष्टिकोण व उसकी कार्यशैली सामूहिकता से होती है । इस स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य निम्न हैं-

1. विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास करना ।
2. विद्यार्थी में संकीर्ण राष्ट्रीय भावना के स्थान पर उत्तम राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना ।
3. स्वयं के अधिकार एवं कर्त्तव्यों के प्रति जागरुकता विकसित कर आदर्श नागरिक गुणों का विकास करना ।
4. विद्यार्थी में नैतिक चारित्रिक गुणों का विकास करना ।
5. विद्यार्थी में राज्यीय व अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव को विकसित करना ।
6. विभिन्न परिस्थितियों को समझकर सही निर्णय लेन की क्षमता विकसित करना ।
7. बालकों में आदर्श नेतृत्व गुणों का विकास कर आदर्श एवं उपयोगी नागरिक बनाना ।
8. विद्यार्थी में देश की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं से अवगत होने व उनके समाधान ढूँढने की दक्षता एवं कुशलता विकसित करना ।
9. विद्यार्थी में जनकल्याण एवं जनहित की भावनाओं का विकास करना ।

4. **उच्चतर माध्यमिक स्तर (Higher Secondary Stage)** - इस स्तर पर शारीरिक

मानसिक रूप से विद्यार्थी का पूर्णरूपेण विकास हो चुका होता है । इस अवस्था में विद्यार्थी में स्वचिंतन मनन व स्वनिर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है अत: इस अवस्था में नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य निम्न हैं-

1. विद्यार्थी में स्वस्थ, स्वतंत्र, चिंतन, तर्क व निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जायें ।
2. अधिकारों व कर्तव्यों के सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ ही व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाये।
3. उदाहरणों एवं व्यवहारिक क्रियाओं के द्वारा विद्यार्थी में चारित्रिक, नैतिक गुणों का विकास किया जाये ।
4. देश की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराकर मानसिक चिंतन के आधार पर निर्णय लेने समाधान निकालने व विचार अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित करना
5. राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय सद्भावना को सुद्रढ़ करना ।
6. उससे वैज्ञानिक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित करना ।

स्वमूल्यांकन

1.प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए ।

2.आप कक्षा 8 में नागरिक शास्त्र शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक नैतिक गुण उत्पन्न करेंगे । स्पष्ट कीजिए ।

3.माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण में उद्देश्य स्पष्ट कीजिए ।

4.वर्तमान प्रचलित पाठ्यक्रम द्वारा उच्चतर माध्यमिक स्तर के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना तक संभव है । समीक्षा कीजिए

2.8 सारांश (Summary) -

किसी भी कार्य की सफलता एवं पूर्णता उसके लक्ष्यों पर आधारित होती है । सही लक्ष्य कर निर्धारण ही कार्य की सफलता के सोपानों की और अग्रसर करने में सहायक होता है । नागरिक शास्त्र का लक्ष्य नागरिकों में आदर्श-नागरिकता के गुणों का विकास कर आदर्श-मानव का निर्माण करना ।

– नागरिक शास्त्र शिक्षण के लक्ष्य - आदर्श नागरिकता की शिक्षा, जटिलताओं को समझने की योग्यता का विकास, मानसिक शक्ति का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास राष्ट्रीयता का विकास अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास, राजनैतिक जागरूकता उत्पन्न करना, देश की शासन व्यवस्था का ज्ञान, आदर्श नेतृत्व की भावना का विकास, लोकतान्त्रिक मूल्यों का विकास करना है ।

– लक्ष्य : लक्ष्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है जो किसी कार्य की क्रिया का मार्गदर्शन करता है ।

– प्राप्य उद्देश्य: प्राप्य उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वह इच्छित परिवर्तन है जो विद्यालय द्वारा पथ प्रदर्शित अनुभव का परिणाम होता हैं ।

– बी. एस. ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य का त्रिमुखी-विभाजन निम्न प्रकार से किया है-

(i) संज्ञानात्मक उद्देश्य - (सूचनाओं, ज्ञान व तथ्यों की जानकारी)

(ii) भावात्मक उद्देश्य - (रूचियों अभिवृत्तियों, एंव मूल्यों का विकास)

(iii) क्रियात्मक उद्देश्य - (शारीरिक क्रियाओं का प्रशिक्षण एंव कौशल)

2.9 संदर्भ सूची (References)

1. कोठारी शिक्षा 1968
2. माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953-56.
3. बाइनिग एंव बाईनिंग टिचिंग ऑफ सोशल स्टडीज इन सैकण्डरी स्कूल
4. ली. जे. एम. प्रिसिंपल एण्ड मैथड ऑफ सैकण्डरी एजूकेशन
5. मोफत एम. पी. सोशल स्टेडी इन्सट्रंमान

इकाई-3

विद्यालयी पाठयक्रम में नागरिक शास्त्र विषय का स्थान- विभिन्न स्तरों एवं अन्य विषयों से संबंध, पाठयक्रम में एकीकृत एवं विशिष्ट उपागम

(Place of Civics area in school curriculum, Linkages with other areas and different stages, Unified/specelised approach to curriculum)

इकाई की संरचना (Structure of Unit)

3.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य (Aims and Objectives)

3.1 प्रस्तावना (Introduction)

3.2 पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Curriculum)

3.3 पाठ्यवस्तु का महत्व (Importance of Curriculum)

3.4 पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या में अंतर (Difference between Curriculum and syllabus)

3.5 पाठ्यक्रम निर्माण के आधार (Bases of Curriculum Construction)

3.6 नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत (Principal of Civics Civics Currriculum Construction)

3.7 पाठ्यक्रम के रूप (Forms of Curriculum)

3.8 नागरिकशास्त्र में पाठ्यवस्तु का चयन (Selection of Subject matter in Class)

3.9 विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम की रूपरेखा (Outline Syllabus of Different Classes)

3.10 नागरिक शास्त्र में चयनित पाठ्यवस्तु का संगठन (Organisation of selected subject matter in class)

3.11 नागरिक शास्त्र के वर्तमान पाठ्यक्रम के दोष (Defects of the Present Curriculum of Civics)

3.12 नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम के दोषों को दूर करने हेतु सुझाव (suggestion to remove the defects of Curriculum of Civics)

3.13 नागरिक शास्त्र का अन्य विषयों से सम्बन्ध (Relation of Civics with other subjects)

3.13.1 नागरिक शास्त्र और इतिहास (Civics and History)

3.13.2 नागरिक शास्त्र और अर्थ शास्त्र (Civics and Economics)

3.13.3 नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र (Civics and Sociology)

3.13.4 नागरिक शास्त्र और नीतिशास्त्र (Civics and)

3.13.5 नागरिक शास्त्र और साहित्य (Civics and Literature)

3.13.6 नागरिक शास्त्र एवं सामान्य विज्ञान (Civics and General Science)

3.13.7 नागरिक शास्त्र एवं मनोविज्ञान (Civics and Psychology)

3.13.8 नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम के दोषों को दूर करने हेतु सुझाव

3.14 सारांश (Summary)

3.15 संदर्भ ग्रन्थ (Reference)

3.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य

(Aims and objectives)

इस इकाई की सम्प्राप्ति पर आप-

- पाठ्यक्रम के अर्थ का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे ।
- पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या में अंतर कर सकेंगे ।
- पाठ्यवस्तु का महत्व व पाठ्यक्रम निर्माण के आधारों व सिद्धान्तों को समझ सकेंगे ।
- विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रमानुसार पाठ्यवस्तु के चयन को समझ कर समीक्षा कर सकेंगे ।
- नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम के दोषों को समझ कर उन्हें दूर करने हेतु अपने सृजनात्मक व रचनात्मक विचार प्रस्तुत कर सकेंगे ।
- नागरिक शास्त्र का अन्य विषयों से सम्बन्ध स्थापित कर सकेंगे ।

3.1 प्रस्तावना

(Introduction)

वर्तमान समय में शिक्षा का स्वरूप पूर्णतया बाल केन्द्रित हो गया है । शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वागीण विकास करना है । शिक्षा के इस महत्वपूर्ण उद्देश्य हेतु पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण कड़ी एवं आधार होता है । पाठ्यक्रम का निर्माण मनोविज्ञान के आधार पर करने हेतु विद्यार्थी की रूचि, इच्छाओं, प्रवृतियों, क्षमताओं, अभिवृत्तियों, मनोवृत्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है क्योंकि आज यह बात स्पष्ट है कि बालक पाठ्यक्रम के लिए नहीं वरन् पाठ्यक्रम बालक हेतु है ।

मुनरो - "पाठ्यक्रम में वह सभी क्रियाऐं सम्मिलित है जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विद्यालय में उपयोग करते है ।"

(Curriculum includes all those activities which are utilized by the school to attain the aim of Education)

– Monroe

3.2 पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Curriculum)

पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी शब्द curriculum का हिन्दी रूपांतरण है । curriculum शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द Currere से हुई है जिसका अर्थ हैं दौड़ का मैदान (Race Course) । इस प्रकार पाठ्यक्रम से आशय बालक के लिए उस दौड़ के मैदान के समान है जिसमें दौड़ते हुए वह शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है । पाठ्यक्रम के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए निम्न परिभाषायें उपयोगी है

पाठ्यक्रम की परिभाषा

"पाठ्यक्रम में वह सभी क्रियाऐं सम्मिलित है जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं ।

- मुनरो

(Curriculum includes all those activities which are utilized by the school to attatin the aim of Education)

-Monroe

"पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धान्तिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परम्परागत रूप से पढ़ाये जाते है । अपितु इसमें अनुभवों की वह सम्पूर्णता भी निहित होती है जिनको बालक विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला तथा खेल के मैदान एवं शिक्षकों और छात्रों के अगणित, अनौपचारिक सम्पर्को से प्राप्त करता है । इस प्रकार विद्यालय का सम्पूर्ण जीवन पाठ्यक्रम बन जाता है जो छात्रों के सभी पक्षों को प्रभावित करता है तथा उनके संतुलित व्यक्तित्व विकास में सहायता देता है ।"

- माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952

(Curriculum does not mean only the academic subjects the traditionally taught in the school but it include totality of experiences that pupil receive through the manifold activities that go in the school class room, library, laboratory, workshop, play ground and in the numerous informal contacts between teacher and pupils. In this sense the whole life of the school becomes the curriculum which can touch the life of the students at all points and help in the evolutions of balanced personality)

-Secondry Education Commision Report 1952

"पाठ्यक्रम को मानव जाति के सम्पूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए ।

- फ्रोबेल

(Curriculum should be conceived as an epitome of the rounded whole of the knowledge and experience of an human race)

- Froble

"पाठ्यक्रम में व्यापक रूप में सम्पूर्ण विद्यालय वातावरण निहित है। इस वातावरण में विद्यालय द्वारा छात्रों को प्रदान किये जाने वाले समस्त कोर्स, पाठन क्रियाऐं तथा समुदाय आते है ।'

- रूडयार्ड एवं क्रानबर्ग

(Curriculum in its border sense includes the complete school environment involving all course activities, reading and associations furnishing to the pupils in the school)

- Rudyard and Kroneberg

"कलाकार (शिक्षक) के हाथ में पाठ्यक्रम वह साधन है जिससे वह पदार्थ (शिक्षक) को अपने आदर्श (उद्देश्य) के अनुसार अपने स्टुडियो (विद्यालय) में ढाल सके ।"

- कनिंघम

(curriculum is a tool in the hands of the artist(teacher) to mould his material (pupil) according to his ideal(objectives) in his studio (school)

- Cunninghum

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि शिक्षण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटक शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम है । पाठ्यक्रम शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है ।

3.3 पाठ्यक्रम का महत्व (Importance of Curriculum)

शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें तीन महत्वपूर्ण घटक होते है - शिक्षक, शिक्षार्थी व पाठ्यक्रम । शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य होने वाली अंतःक्रिया में पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है । इसके माध्यम से ही अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति कर पाने में सफल हो जाता है । शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया में पाठ्यक्रम की महत्ता निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट है -

1. **उद्देश्य की प्राप्ति के लिए (For achievement of Aims)** - शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक की अन्तर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना व उनका सर्वागीण विकास करना है । इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए पाठ्यक्रम एक साधन के रूप में क्रिया करता है । शिक्षक पाठ्यक्रम के इर्द-गिर्द ही शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयास करता है ।

2. **शिक्षा प्रक्रिया के नियोजन के लिए (For planning of Educational Process)** - शिक्षा की प्रक्रिया के सफल संचालन हेतु शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को अपनाता है । विद्यालयी क्रियाओं की सम्पूर्ण व्यवस्था पाठ्यक्रम द्वारा ही निर्धारित की जाती है ।

3. **आवश्यकता की संतुष्टि के लिए (For satisfaction of needs)** - व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया उद्देश्य आधारित होती है । अर्थात् व्यक्ति उन्हीं क्रियाओं को करने में रूचि रखता है जिससे उसकी आवश्यकता को संतुष्टि मिलती है । पाठ्यक्रम बालक को वर्तमान व भविष्य दोनों कालों में संतुष्टि प्रदान करने का प्रभावी साधन है ।

4. **कार्यकुशलता के लिए (For Work Efficiency)** - पाठ्यक्रम के द्वारा सम्पूर्ण क्रियाओं को सही ढंग से उद्देश्य के आधार पर नियोजित कर लिया जाता है जिससे समय एवं श्रम का दुरूपयोग नहीं होता है व बालक की कार्य कुशलता में अपेक्षित वृद्धि होती है ।

5. **मूल्यांकन के लिए (For Evaluation)** - शिक्षा की प्रक्रिया उद्देश्य से आरम्भ होकर मूल्यांकन पर समाप्त होती है । पाठ्यक्रम के आधार पर अध्यापक अपने उद्देश्य एवं लक्ष्यों का मूल्यांकन करता है । समान स्तर वाले बालकों का मूल्यांकन करने का सबसे सरल साधन व आधार पाठ्यक्रम ही होता है ।

3.4 पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या में अंतर (Difference between Curriculum and Syllabus)

पाठ्यक्रम शब्द का प्रयोग भ्रमवश कभी-कभी सिलेबस या पाठ्यचर्या के अर्थ में कर लिया जाता है । पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम की एक व्यवहारिक रूपरेखा मात्र होती है जबकि पाठ्यक्रम विस्तृत एवं व्यापक होता है । पाठ्यक्रम की आधुनिक अवधारणा इसके क्षेत्र को व्यापक एवं विस्तृत बनाती है । बालक द्वारा कक्षा कक्ष के अन्दर व बाहर जो भी अनुभव एवं ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे पाठ्यक्रम कहते है जबकि शिक्षक की सुविधा के लिए जब विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाता है तो उसे पाठ्यविवरण (Syllabus) कहा जाता है । पाठ्यक्रम में सभी बौद्धिक विषय, विविध हस्तकौशल, शिल्प, खेलकूद व तकनीकि कौशल सम्पादित किए जा सकते है अर्थात् कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, खेल का मैदान, प्रयोगशाला. श्रव्य दृश्य शाला व विद्यालय प्रांगण में प्राप्त किये जाने वाले सभी अनुभव एवं ज्ञान समाहित होते है ।

'पाठ्यक्रम में वह सभी वस्तुएँ आती है जो बालकों के उनके माता पिता एवं शिक्षकों के जीवन से गुजरती है । पाठ्यक्रम उन सभी चीजों से बनता है जो सीखने वालों को काम करने के घण्टों से घेरे रहती है । वास्तव में पाठ्यक्रम को गतिमान वातावरण कहा जाता है । "

- कैसवेल

(The Curriculum is all that goes in the lives of children, their parents and teachers। The Curriculum is made up of everything that surrounds the learner in all his working hours, infact the Curriculum has been described as the environment in motion.)

– **Caswell**

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या में अंतर स्पष्ट कीजिये ।

3.5 पाठ्यक्रम निर्माण के आधार (Bases of Curriculum Construction)

पाठ्यक्रम निर्माण समाज, देश, काल व परिस्थिति की मांग के अनुसार किया जाता है ।

देश व समाज की मांग के अनुरूप बदलती परिस्थिति में पाठ्यक्रम का निर्माण होने पर ही शिक्षा के मूल उददेष्य बालक के सर्वागीण विकास एवं अन्तर्निहित शक्तियों को बाहर निकाल पाना सम्भव होता है । नागरिक शास्त्र विषय के पाठ्यक्रम निर्माण के निम्न आधार है -

1. **दार्शनिक आधार (Philosophical Bases)** - पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख आधार दर्शन होता है । प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा पाठ्यक्रम के निर्माण पर प्रभाव डालती है । शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का प्रादुर्भाव हुआ है । उनमें मुख्य विचारधारा निम्न है -

(क) **आदर्शवाद एवं पाठ्यक्रम** - नागरिक शास्त्र शिक्षण का आधार बालक में नैतिक, सामाजिक एवं चारित्रिक मूल्यों का विकास करना है । प्लेटो ने कहा कि पाठ्यक्रम मानव विचारों, भावों, आदर्शो व मूल्यों पर आधारित हो । रॉस ने कहा कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें छात्रों के मनोवैज्ञानिक स्तर को ध्यान में रखकर तीन श्रेणियों में विभक्त कर देना चाहिए । उसी के आधार पर विषय को समाविष्ट किया जाना चाहिए । यह विषय व श्रेणी निम्न है :

1. ज्ञान (Knowledge) भाषा, गणित
2. अनुभूति (Affection) संगीत, कला
3. क्रिया (Conation) ग्रह विज्ञान, विज्ञान

आदर्शवाद का लक्ष्य सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान कराना है । वह अपने पाठ्यक्रम को इसी लक्ष्य पर आधारित करता है ।

(ख) **प्रकृतिवादी** - रूसो व हरबर्ट स्पेन्सर ने कहा कि व्यक्ति स्वभाव से ही व्यक्तिवादी होता है । इस कारण पाठ्यक्रम में ऐसे विषय समाविष्ट किये जाये जो बालक की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाली आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें । प्रकृतिवादी दर्शन धर्म तथा नैतिकता के बन्धनों को तोड़कर बालक की मूल प्रवृत्तियों को स्वतन्त्रतापूर्वक विकसित करना चाहता है । यह पाठ्यक्रम में खेलकूद, व्यायाम, पर्यटन, भूगोल, विज्ञान आदि को समाहित करने पर बल देता है।

(ग) प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण क्रियाशीलता, उपयोगिता व अभिरूचियों के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए । उनके अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ण करें व भविष्य के लिए उपयोगी हो । पाठ्यक्रम में लचीलापन व क्रियाशीलता हो और उसके प्रति बालक की अभिरूचि हो ।

(घ) यथार्थवाद पुस्तकीय व साहित्यिक ज्ञान की अपेक्षा बालक के विकास के लिए भौतिक विज्ञान व व्यवहारिक ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते है । उनके अनुसार बालक को दिया जाने वाला ज्ञान उपयोगी है व जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में आवश्यकताओं व समस्याओं में समायोजन कर सके ।

अंत में हम कह सकते है कि पाठ्यक्रम निर्माण पर दार्शनिक विचारधारा का प्रभाव पड़ता है ।

2. **ऐतिहासिक आधार (Historical Bases)** - इतिहास भूतकालीन घटनाओं का एक व्यवस्थित व महत्वपूर्ण स्त्रोत होता है । इतिहास में भूतकालीन घटनाओं, तिथियों, अनुभवों व परिस्थितियों का उल्लेख होता है जिसके आधार पर नये निर्णय एवं अनुभवों को क्रियान्वित करने में पूर्व में की गई गलत आवृत्तियों से बचा जा सकता है जिससे समय, श्रम एवं धन की भी बचत सम्भव हो पाती है ।

3. **मनोवैज्ञानिक आधार (Psychological Bases)** - मनोवैज्ञानिक विचारधारा इस बात पर बल देती है कि शिक्षा बालक के लिए है न कि बालक शिक्षा के लिए । मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत भिन्नता को महत्वपूर्ण आधार मानते है । अर्थात् उनके अनुसार एक ही आयु स्तर के बालकों में शारीरिक, मानसिक व मनोवैज्ञानिक दृष्टि से असमानता पायी जाती है । अत: समान पाठ्यक्रम के आधार पर सभी को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए । पाठ्यक्रम को बालक की रूचि, अभिरूचि, योग्यता के अनुकूल होना चाहिए । पाठ्यक्रम लचीला एवं गतिशील होना चाहिए ।

4. **समाजशास्त्रीय आधार (Sociological Basis)** - पाठ्यक्रम निर्माण में समाज की संरचना की अहम् भूमिका रहती है । समाज की संरचना में संस्कृति, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक स्तर का भी प्रभाव पड़ता है । पाठ्यक्रम निर्माण में समाज विशेष की संरचना उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है । वास्तव में पाठ्यक्रम सामाजिक स्थिति द्वारा ही संचालित होता है । पाठ्यक्रम निर्माण के लिए समाज के मूलभूत विश्वास, आस्थायें, परम्परायें, रीति रिवाज, आकांक्षायें मूल्य भी पाठ्यक्रम निर्माण हेतु महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करते है ।

5. **वैज्ञानिक आधार (Scientific Basis)-** इस विचारधारा के प्रवर्तक हरबर्ट स्पेन्सर है । इनके अनुसार व्यक्ति का विकास किसी एक क्षेत्र में न होकर सम्पूर्णता के रूप में होना चाहिए और बालक को जीवन की पूर्ण तैयारी हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए । यह विचारधारा ये मानती है कि पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए व साहित्यिक विषयों का गौण । इसके लिए स्पेनपर ने कहा कि - मानव जीवन की प्रथम क्रिया आत्मरक्षा है जिसके लिए शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ाया जाये । दूसरी क्रिया अप्रत्यक्ष रूप से आत्मरक्षा है जिसके लिए गणित, समाजशास्त्र व जीवविज्ञान पढ़ाया जाये । तीसरी क्रिया संतान रक्षा से सम्बद्ध है जिसके लिए ग्रहविज्ञान शरीर विज्ञान व मनोविज्ञान पढ़ाया जाये । चतुर्थ वर्ग में सामाजिक, राजनैतिक रक्षा से सम्बद्ध क्रियाऐं जिसके लिए इतिहास, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र का अध्ययन कराया जाये । पाँचवे वर्ग में वह क्रियाऐं हो जो कि अवकाश के समय का सदुपयोग करना सिखाती है । जिसके लिए साहित्य, कला, संगीत का अध्ययन कराया जाये ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख आधार कौन- कौन से है ।
2. नागरिक शास्त्र निर्माण के दार्शनिक आधार को स्पष्ट कीजिये ।
3. यदि आपको नागरिकशास्त्र पाठ्यक्रम निर्माण समिति का सदस्य नियुक्त किया जाए तो आप पाठ्यक्रम निर्माण के किन आधारों को प्रमुखता देंगे।

3.6 नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत (Principles of Civics Curriculum Construction)

नागरिक शास्त्र के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का संगठन निम्न सिद्धान्तों के आधार पर किया जाना चाहिए । नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम

का चयन करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि नागरिक शास्त्र के मूल उद्देश्य एवं लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सके ।

नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत निम्न है -

1. **उपयोगिता का सिद्धांत (Principles of Utility)** - नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम का चयन करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह बालक के भावी जीवन हेतु उपयोगी हो । इस संबंध में नन ने लिखा है कि "साधारण मनुष्य सामान्यतया यह चाहता है कि उसके बच्चे केवल ज्ञान के प्रदर्शन के लिए कुछ बातें सीखे परन्तु समग्र में वह यह चाहता है कि उनकों वे ही बातें सिखायी जाये जो भावी जीवन के लिए उपयोगी हो ।

2. **मनोवैज्ञानिक सिद्धांत (Psychology Principle)** - नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम का चयन बालक की रूचि, योग्यता, मनोवृत्ति, इच्छा, क्षमता, अभिवृत्ति के आधार पर किया जाये । शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक की अन्तर्निहित शक्तियों को विकसित करना है । पाठ्यसामग्री का चयन मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए । पाठ्यक्रम प्रेरणात्मक होना चाहिए जो बालक को स्वक्रिया करने के लिए प्रेरित करें । पाठ्यक्रम बालक को आत्मनिर्भर बनाने वाला हो । यदि हम पाठ्यक्रम मनोविज्ञान के आधार पर तैयार नहीं करते तो योग्य एवं प्रभावी शिक्षक भी छात्रों को ज्ञान प्रदान करने में सफल नहीं हो सकते क्योंकि इसके आधार पर व्यक्तिगत भिन्नताओं को भी ध्यान में रखा जाता है ।

3. **जीवन से सम्बन्धित होने का सिद्धान्त (Principle of Relationship with life)** - पाठ्यक्रम में निहित विषय ऐसे होने चाहिए जो कि छात्रों को जीवन के समीप ले जा सकें । उसमें उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो प्रत्येक बालक के जीवन के विभिन्न पक्षों पर आधारित हो । पाठ्यक्रम दूरगामी नहीं होना चाहिए ।

4. **क्रिया का सिद्धान्त (Principle of Acivities)** - नागरिक शास्त्र का पाठ्यक्रम क्रिया के सिद्धान्त पर आधारित होना चाहिए । बालक को क्रियाशील बनाए रखने के लिए पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होना चाहिए । ज्ञान को स्थायी, प्रभावी एवं रूचिकर बनाने के लिए उसे 'करके सीखना' पर आधारित होना चाहिए । नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम को प्रायोगिक एवं व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए ।

5. **रचनात्मक कार्य का सिद्धान्त** - पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालक को रचनात्मक प्रवृत्ति व सृजनात्मक शक्ति के लिये प्रेरित करें । रेमण्ट के मतानुसार - "जो पाठ्यक्रम वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है, उसमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होना चाहिए ।

(In a Curriculum that is suited to the needs of today and of the future there must be a definite bias towards definite creative subject. - **Raymont**)

6. **सामाजिक जीवन से सम्बन्धित सिद्धान्त (Principle of living with social life)** - नागरिक शास्त्र शिक्षण के पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालक को सफल भावी जीवन जीने के लिए तैयार करना है । बालक को कक्षा कक्ष में जीवन की व्यवहारिक व वास्तविक शिक्षा दी जाती है । समाज में रहकर ही बालक अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करता है । वह दूसरो के

साथ कार्य करने की तथा समाज में रहकर समाजपयोगी क्रियाओं को करने की शिक्षा प्राप्त करता है । इसका मूल उद्देश्य बालक को सफल एवं कुशलतापूर्वक जीवन जीने के लिए तैयार करना है ।

7. **विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धान्त (Principle of variety and Elasticity)** - नागरिक शास्त्र शिक्षण पाठ्यक्रम में विविधता एवं लचीलेपन का समावेशन होना चाहिए जिसे बालकों की रूचि व जिज्ञासा को जाग्रत करने में सहायता मिलती है । शिक्षा में व्यक्तिगत विभेद को ध्यान में रखकर ही हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए । माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार - "पाठ्यक्रम में काफी विविधता और लचीलापन होना चाहिए जिससे वैयक्तिक विभिन्नताओं और वैयक्तिक आवश्यकताओं एवं रूचियों का अनुकूलन किया जा सके ।"

8. **जनतन्त्रीय भावना के विकास का सिद्धान्त (Principle of development of Democratic Spirit)** - भारत राष्ट्र विश्व का सबसे बड़ा प्रजातान्त्रिक राष्ट्र है । प्रजातन्त्र की सफलता के लिए हमें सुयोग्य एवं आदर्श नागरिक तैयार करने होते है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में प्रजातंत्र के सिद्धान्तों - समानता, दया, भ्रातृत्व भावना, न्यायप्रियता आदि को सम्मिलित कर बालकों में दया, करुणा, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, सहिष्णुता एवं त्याग की भावना का विकास करना । आज के युग में समाज में सभ्य एवं सफल जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक है कि नागरिक शास्त्र का पाठ्यक्रम पूर्णरूपेण प्रजातंत्र के सिद्धान्तों पर आधारित होता है ।

9. **सहसम्बन्ध का सिद्धान्त (Principle of Correlation)** - पाठ्यक्रम के विषयों का अध्ययन विभिन्न अध्यापकों द्वारा उतनी सक्षमता द्वारा कराया जाना चाहिए कि एक विषय से दूसरे विषय का सम्बन्ध स्थापित किया जा सकें । छात्र ज्ञान अर्जित करते समय विभिन्न विषयों के भ्रम में न फँसकर उनमें एकरूपता स्थापित करने का प्रयास करें ।

10. **अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धान्त (Principle of Training for Lesiure)** - पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को इस बात का भी प्रशिक्षण दिया जाये कि अपने अवकाश के समय का सार्थक गतिविधियों में उपयोग करें । इसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि छात्रों के अन्दर ऐसी रूचियाँ उत्पन्न की जायें जो उन्हें इस दिशा में जाने हेतु प्रेरित करें । शिक्षा आयोग के अनुसार - "छात्रों के पाठ्यक्रम में सामाजिक उत्पादक कार्यो (SUPW) को रखा जाना चाहिए जिससे कि छात्र खाली समय उनमें व्यतीत करते हुए समाज को सार्थक देन दे सकें ।"

11. **अग्रदर्शिता का सिद्धान्त (Principle of looking forward)** - पाठ्यक्रम में उन विषयों, वस्तुओं एवं क्रियाओं का सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनके द्वारा बालक अपने भावी जीवन में आने वाली समस्याओं का निराकरण कर सके । रासबर्न के अनुसार बालक विद्यालय में जो कुछ भी सीखता है उसके द्वारा उसमें ऐसी योग्यताओं आनी चाहिये कि वह जीवन की परिस्थितियों से अनुकूलन करें और आवश्यकता पडने पर उन परिस्थितियों में परिवर्तन ला सके ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम निर्माण किन-किन सिद्धांतों के आधार प्रकिया जाना चाहिए, स्पष्ट कीजिये

3.7 पाठ्यक्रम के रूप

(Forms of Curriculum)

गुड लैंड (Goodlad) एवं ग्लेथोर्न 1987 द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम रूप-

1. स्वीकृत व संस्तुत्य पाठ्यक्रम (Recomended Curriculum)
2. लिखित एवं आवश्यक पाठ्यक्रम (Written and Mendatory Curriculum)
3. कक्षा में शिक्षण किया गया पाठ्यक्रम (Taught Curriculum)
4. पाठ्यपुस्तकों, निर्देशिकाओं, समय सारणी साधनों पर आधारित पाठ्यक्रम (Supported Curriculum)
5. परीक्षित पाठ्यक्रम. परीक्षणों, प्रश्न पत्रों व छात्रों द्वारा वास्तव में अर्जित अनुभवों द्वारा (Tested Curriculum)

डॉ. यादव एवं टी. के. एस लक्ष्मी द्वारा एनसीईआरटी के सौजन्य से-प्रकाशित पुस्तक (Conceptual Inputs for Secondry Teacher Education 2003 पृष्ठ 306 से साभार) रूपान्तरित रूप में उद्धृत)

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. गुड लैंड (Goodlad) एवं ग्लेथोर्न द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम के रूप कौन-कौन से है

3.8 नागरिक शास्त्र में पाठ्यवस्तु का चयन

(selection of Subject matter in Civics)

नागरिक शास्त्र पाठ्यवस्तु के संदर्भ में विभिन्न विचारकों ने अपने-अपने विचार प्रस्तुत किए है जिनमें प्रमुख विचार डी. के. व्हीलर व बर्टन महोदय के हैं जो निम्न प्रकार हैं-

डी. के. व्हीलर के अनुसार -

- शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक में व्यवहारगत परिवर्तन लाना है । पाठ्यवस्तु का चयन इस बात को दृष्टिगत रखते हुए किया जाय कि अध्यनोपरांत बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन आ सके।
- व्यवहारगत परिवर्तन के साथ-साथ पाठ्यवस्तु व्यापक एवं विस्तृत होनी चाहिए ।
- पाठ्यवस्तु का चयन कक्षा-कक्ष में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर किया जाये । पाठ्यवस्तु में जितनी अधिक विभिन्नता होगी उतनी ही अधिक इस बात की सम्भावना रहेगी कि प्रत्येक स्तर के बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन आ सके ।
- विद्यार्थी को प्राप्त अनुभव वैयक्तिक व वर्ग दोनों स्तरों पर उपयुक्त होने चाहिए ।
- विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सीखने के अनुभवों में पारस्परिक सम्बन्ध तथा तारतम्यता होनी चाहिए । पाठ्यवस्तु व्यवहारिक जीवन से सम्बद्ध होनी चाहिए ।
- सीखने की क्रिया स्वक्रिया पर आधारित होनी चाहिए अर्थात् बालकों की सहभागिता अनिवार्य है ।

बर्टन के मानदण्ड - बर्टन ने पाठ्यवस्तु के निर्धारण में छः बातों का ध्यान रखने पर जोर दिया है।

1. पाठ्यवस्तु छात्रों की दृष्टि में उद्देश्य प्राप्ति हेतु प्रयुक्त किये जाने योग्य हो ।
2. शिक्षकों की दृष्टि में वांछनीय उद्देश्य की प्राप्ति सहायक हो ।
3. इसमें विद्यार्थी के संतुलित विकास हेतु विभिन्न प्रकार की वैयक्तिक एवं सामूहिक प्रवृत्तियों का समावेश हो ।
4. यह बालकों के परिपक्वता स्तर के लिये उपयुक्त हो ।
5. इसमें व्यक्तिगत विभेदों के आधार पर विविधता का समावेशन हो ।
6. उसका आयोजन उपलब्ध साधनों व सुविधाओं जो समाज एवं विद्यालय में उपलब्ध हो द्वारा किया जाना चाहिए ।

3.9 विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम की रूपरेखा (Outlined Syllabus of Different Classes)

कक्षा 6 -

1. श्रेष्ठ आदतों के निर्माण हेतु प्रायोगिक कार्य - घर, पड़ौस, ग्राम आदि ।
2. स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों की जानकारी ।
3. नागरिकता के विकास हेतु विभिन्न सामाजिक गुणों का आविर्भाव करने वाली लघु कहानियों का संकलन ।
4. स्थानीय सरकार (ग्राम, नगर व जिला) का संगठन एवं कार्य ।
5. स्थानीय संस्थाओं (ग्राम पंचायत, नगरपालिका, जिला परिषद का संगठन एवं कार्य ।

कक्षा 7 -

1. आदर्श गुण एवं आदतों के विकास हेतु प्रायोगिक कार्य ।
2. स्वास्थ्य के नियमों का विस्तृत परिचय ।
3. आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं की सामान्य जानकारी देना ।
4. प्रदेश की सरकार (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) का संगठन एवं कार्य ।

कक्षा 8 -

1. आदर्श गुणों एवं स्वस्थ आदतों के विकास हेतु प्रायोगिक कार्य की व्यवस्था करना ।
2. केन्द्रीय सरकार का सामान्य परिचय -
   - केन्द्रीय व्यवस्थापिका का संगठन एवं कार्य ।
   - केन्द्रीय कार्यपालिका का संगठन एवं कार्य ।
   - सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, क्षेत्र एवं कार्य ।
   - केन्द्रीय सरकार का राज्यों की सरकारों से सम्बन्ध ।
3. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का सामान्य परिचय -
   - लीग ऑफ नेशन्स का संगठन एवं कार्य ।
   - संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन एवं कार्य ।
4. सामाजिक समस्याओं की सामान्य जानकारी देना ।

कक्षा 9 व 10 - प्रथम प्रश्न पत्र

नागरिक शास्त्र के सिद्धान्त (Principles of Civics)

1. नागरिक शास्त्र का अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व ।
2. नागरिक शास्त्र का अन्य विषयों से सम्बन्ध ।
3. व्यक्ति व समाज ।
4. नागरिक एवं नागरिकता - नागरिकता की प्राप्ति तथा विलोम ।
5. अधिकार एवं कर्त्तव्य ।
6. राज्य - मुख्य अंग व कार्य ।
7. सरकार तथा उसके विविध रूप - गुण दोष ।
8. सरकार के अंग ।
9. कानून व स्वतंत्रता ।
10. जनमत, मताधिकार तथा निर्वाचन प्रणाली ।
11. राजनैतिक दल ।
12. विविध सामाजिक समस्यायें ।
13. विविध प्रायोगिक कार्य ।

द्विवतीय प्रश्न पत्र एवं भारतीय नागरिकता प्रशासन (Indian Citizenship and Administration)

1. भारत के संवैधानिक विकास का सामान्य परिचय ।
2. भारतीय संविधान की विशेषता ।.
3. मूल अधिकार ।
4. राज्य के नीति-निर्देशक तत्व ।
5. संघीय व्यवस्थापिका - राष्ट्रपति. लोकसभा तथा राज्य सभा ।
6. संघीय कार्यपालिका - राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद् ।
7. संघीय न्यायपालिका ।
8. राज्य प्रशासन ।
9. संघ तथा राज्यों के मध्य सम्बन्ध ।
10. जिले का शासन ।
11. स्थानीय संस्थायें ।
12. विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक समस्यायें एवं सुधार ।
13. भारत में राजनैतिक दल ।
14. संयुक्त राष्ट्र संघ ।
15. विभिन्न क्रियाओं का संगठन व संचालन ।

कक्षा 11 ब 12 -

1. नागरिक शास्त्र का अर्थ, स्वरूप, क्षेत्र एवं महत्व ।
2. नागरिक शास्त्र का अन्य विषयों से सम्बन्ध ।
3. नागरिक समस्यायें ।
4. नागरिकता की समस्यायें ।

5. अधिकार एवं कर्त्तव्य ।
6. कानून एवं स्वतन्त्रता ।
7. शासन के स्वरूप ।
8. लोकतन्त्र एवं अधिनायक तन्त्र ।
9. विभिन्न सामाजिक समस्यायें ।
10. आतंकवाद - राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ।
11. विभिन्न समझौते एवं सिद्धान्त
    - कोलम्बो समझौता
    - शिमला समझौता
    - बांडुंग सम्मेलन या पंचशील का सिद्धान्त
12. तत्कालीन घटनायें ।
13. राष्ट्रीय एकता ।
14. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एवं सम्प्रदाय - उनका संगठन एवं कार्य
15. पड़ोसी देशों से हमारे सम्बन्ध ।
16. भारत का विश्व-शांति के लिये योगदान ।
17. विभिन्न क्रियाओं व संस्थाओं का संगठन एवं संचालन ।

3.10 नागरिक शास्त्र में चयनित पाठ्यवस्तु का संगठन (Organisation of selected subject matter in Civics)

नागरिक शास्त्र विषय अन्दर पाठ्यवस्तु का चयन बाद संगठन कुछ आधार होते है । नागरिक शास्त्र शिक्षण में विषय वस्तु को निम्न आधारों पर संगठित किया जाना चाहिए-

1. **उद्देश्य के आधार पर (Bases of Objectives and Aims)** - पाठ्यवस्तु का संगठन लक्ष्य एवं प्राप्य उद्देश्य के आधार पर किया जाना चाहिए । यदि पाठ्यवस्तु का संगठन उद्देश्य अनुरूप नहीं होगा तो उद्देश्य की प्राप्ति में व्यवधान होगा । अत: पाठ्यक्रम का संगठन उद्देश्य के आधार पर किया जाना चाहिए ।

2. **रूचि एवं मानसिक योग्यता के आधार पर (Basis of Interest and Mental Ability)** - नागरिक शास्त्र की विषय वस्तु का संगठन करते समय बालक के बौद्धिक एवं मानसिक स्तर का भी ध्यान रखा जाना चाहिए । मानसिक बौद्धिक स्तर के अनुरूप विषय वस्तु बालक में विषय के प्रति रूचि एवं जिज्ञासा विकसित करने में सहायक होती है ।

3. **अधिगम स्थानान्तरण के आधार पर (Basis of Transfer of Learning)** - शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान एवं सूचनाओं का अध्ययन करना मात्र नहीं है वरन् सैद्धान्तिक ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में सफल प्रयोग करने से होता है । पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का संगठन इस प्रकार किया जाये जिससे बालक अर्जित ज्ञान का प्रयोग नवीन परिस्थितियों में कर सकें । इसी आधार पर पाठ्यक्रम को क्रमबद्ध किया जाना चाहिए ।

4. **व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर (Basis Individual Difference)** - पाठ्यक्रम की विषयवस्तु का संगठन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए जिससे सभी स्तर के बालकों को इससे लाभ प्राप्त कर ज्ञान में वृद्धि के अवसर प्राप्त हो सके ।

5. **समसामयिकता के आधार पर (Basis of Contemporary Difference)** - नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में समसामयिक प्रकरण व विषय वस्तु का समावेश न किया जाये जिससे विषय के प्रति अभिरूचि एवं अभिवृत्ति का विकास स्वत: ही संभव हो सकें । पाठ्यक्रम को समसामयिक घटनाक्रम से जोड़ा जाये ।

6. **सहसम्बन्ध के आधार पर (Basis of Correlation)-** इस सिद्धान्त के अनुसार नागरिक शास्त्र विषय वस्तु को अन्य विषयों से समन्वित कर पढाया जाये । ज्ञान को एक समग्र इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाये । सहसम्बन्ध के विभिन्न आधारों पर जैसे शीर्षात्मक सहसम्बन्ध के अन्तर्गत पाठ्यवस्तु की विभिन्न इकाइयों को क्रमिक व सुव्यवस्थित किया जाना चाहिये । अनुप्रस्थीय सहसम्बन्ध में नागरिक शास्त्र की पाठ्यवस्तु का समन्वय इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, विज्ञान, समाजशास्त्र, साहित्य सभी विषयों को ध्यान में रखकर किया जाये ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. नागरिक शास्त्र की पाठ्यसामग्री का चयन करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए ।

3.11 नागरिक शास्त्र के वर्तमान पाठयक्रम के दोष (Defects of the Present Curriculum of Civics)

नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक मूल्याकन समय-समय पर होता रहा है व उसके बाद उसमें अपेक्षित सुधार भी किये गये लेकिन उसके पश्चात् भी पाठ्यक्रम में काफी सुधार अपेक्षित है । आज हमें समाज में व्याप्त बुराईयों को रोकने के लिए आदर्श नागरिकों की आवश्यकता महसूस हो रही है । आदर्श नागरिकों का निर्माण कर पाने में हम असफल हो रहे है । जिस कारण मूल्यों में गिरावट, नैतिक मूल्यों का ह्यास जैसी बुराईयाँ, समाज में व्याप्त हो रही है । नागरिक शास्त्र का उद्देश्य सद् नागरिक तैयार करना, धुमिल होता दिखाई दे रहा है । ऐसे समय में हमें केवल नागरिकशास्त्र के सैद्धान्तिक ज्ञान के स्थान पर बालकों को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए । स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत सरकार द्वारा मुदालियर कमीशन 1952 में गठित किया गया उसने पाठ्यक्रम में जो दोष बताऐं वे दोष आज भी पाठ्यक्रम में समाहित है ।

1. नागरिक शास्त्र का वर्तमान पाठ्यक्रम सैद्धान्तिक पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित है । यह वास्तविकता एवं व्यवहारिकता से दूर है ।
2. पाठ्यवस्तु विस्तृत एवं व्यापक है इससे बालकों की मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता को ध्यान में नहीं रखा गया है ।
3. प्रचलित पाठ्यक्रम संकीर्ण विचार धारा पर आधारित है ।
4. पाठ्यक्रम का नियोजन, संगठन, व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार मानकर नहीं किया गया है ।
5. पाठ्यक्रम बाल केन्द्रित नहीं है ।
6. नवीन पाठ्यक्रम नवीन परिस्थितियों के अनुरूप सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शो के अनुसार नहीं है ।
7. पाठ्यक्रम रटन्त विधा पर आधारित व परीक्षा केन्द्रित है ।

8. सृजनात्मक चिन्तन पर आधारित नहीं है ।

9. व्यवहारिक जीवन पर आधारित नहीं है ।

10. नीरस कठिन व बोझिल पाठ्यक्रम

11. पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है ।

12. पाठ्यक्रम में सहसम्बन्ध सिद्धांत का भी अभाव है ।

मुदालियर कमीशन द्वारा बतायें उपर्युक्त दोषों के अलावा यदि हम इसका विश्लेषण सिद्धांतों के आधार पर करें तो निम्न दोष दिखाई देते है -

1. **व्यवहारिक ज्ञान का अभाव (Lack of Practical Knowledge)** - नागरिक शास्त्र के विभिन्न स्तर के पाठ्यक्रम में सबसे बड़ा दोष यह है कि उसमें व्यवहारिक ज्ञान एवं क्रियाओं का अभाव है । सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सैद्धान्तिक एवं पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित है । मूल कर्त्तव्य, मूल अधिकार, आदर्श चरित्र, समाज, ग्राम, पड़ौस आदि की संकल्पना किताबी ज्ञान तक सीमित है ।

2. **व्यापक दृष्टिकोण का अभाव (Lack of Broad View)** - नागरिक शास्त्र की संकल्पना 'वसुधैव कुटुम्बकम् व विश्व ग्राम पर आधारित है । इसका ध्येय उदार राष्ट्रीय भावना एवं अन्तर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना है । आज का बालक नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम का अध्ययन कर 'मैं' एवं 'मेरे' तक सीमित है । स्वंय के हित के आगे राष्ट्रीय हित को गौण समझता है । जिस कारण आतंकवाद, जातिवाद, प्रातीयवाद साम्प्रदायिकतावाद जैसी बुराईयों से हम घिरे हुए है । नागरिक शास्त्र का पाठ्यक्रम व्यापक दृष्टिकोण वाले एवं उदार मन बालकों का निर्माण कर पाने में असमर्थ है ।

3. **सहसम्बन्ध का अभाव (Lack of Correlation)** - नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में अन्य विषयों से सहसम्बन्ध एवं समन्वय का अभाव है और यदि समन्वय किया भी गया है तो केवलं सैद्धान्तिक ज्ञान तक सीमित है जिस कारण बालक के लिए बोझिल पाठ्यक्रम तैयार हो जाता है । बालकों में ज्ञान की अखण्डता व समग्रता का आभास करवाने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं में भी अनुभवों का अभाव परिलक्षित होता हैं । जिस कारण इसे सही क्रम में व्यवस्थित नहीं किया जाता है ।

4. **रूचि एवं जिज्ञासा का अभाव (Lack of Interest and Curiosity)** - वर्तमान पाठ्यक्रम का मूल्यांकन आधार परीक्षा प्रणाली है जो बालक को सीमित दृष्टिकोण व रटन्त प्रणाली के लिए प्रेरित करती है बालक में जिज्ञासा व रचनात्मक अभिवृत्ति समाप्त हो जाती है । जिज्ञासा के अभाव में रूचि का विकास नहीं हो पाता है ।

5. **समसामयिक सूचनाओं का अभाव (Lack of Contemporary Information)** - नागरिक शास्त्र के वर्तमान पाठ्यक्रम में विषयवस्तु में समसामयिक घटना, तथ्यों, विचारों का अभाव पाया जाता है । सम्पूर्ण पाठ्यक्रमकेवल सैद्धान्तिक रह जाता है । पाठ्यक्रम को व्यवहारिक जीवन से जोड़ने के लिए समसामयिक तथ्य एवं सूचना से जोड़ा जाना अपरिहार्य है ।

नागरिक शास्त्र के वर्तमान पाठ्यक्रम की समालोचना में रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्द उपयुक्त प्रतीत हो रहे है उनके अनुसार - "इन सभी वर्षो में हमने पिंजड़े को सज़ाने की कोशिश तो की है किन्तु उसके अन्दर बंद पक्षी भूखा मरता रहता है । शिक्षा की आधुनिक अवधारणा बाल केन्द्रित शिक्षा से सम्बद्ध है । जबकि यह पाठ्यक्रम बालको की रूचियों योग्यताओं क्षमताओं तथा उनके स्तर के अनुरूप तैयार ही नहीं किया जाता हैं ।

स्वमूल्यांकन -प्रश्न

1. माध्यमिक स्तर के लिए प्रचलित नागरिक शास्त्रों विषय के पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक कर सुधार हेतु सुझाव दीजिये ।

2. नागरिक शास्त्र के प्रचलित पाठ्यक्रम के दोष बतलाते हुए उसमें सुधार लाने हेतु दीजिये ।

3.12 नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम के दोषों को दूर करने हेतु सुझाव (Suggestion to remove the defects of curriculum of Civics)

"यदि शिक्षा को समाजवादी समाज और आधुनिक प्रजातन्त्र के उद्देश्य की प्राप्ति करना है तो उसकी वर्तमान प्रणाली में तीव्र परिवर्तन की आवश्यकता होगी । वास्तव में यदि सोचा जाये कि किस बात की आवश्यकता है तो वह शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन ही है?" **- कोठारी कमीशन**

राष्ट्र की प्रगति के लिए यह अवश्यम्मावी है कि नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम को निर्धारित उद्देश्य के आधारपर मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर तैयार किया जाये जिससे भावी पीढ़ी में नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक गुणों का विकास किया जाना संभव हो सके । देश की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम में परिवर्तन अवश्यम्मावी है ।

नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम में परिवर्तन से सम्बद्ध निम्न सुझाव दिये जा सकते है-

- पाठ्यक्रम उपयुक्त, उपयोगी, सार्थक व व्यवहारिक जीवन से सम्बन्धित हो जिससे बालक केवल सैद्धान्तिक ज्ञान ही प्राप्त न करें वरन् व्यवहारिक ज्ञान की भी प्राप्ति कर पायेगा ।
- पाठ्यक्रम रूचिकर, रचनात्मक, सृजनात्मकता पर आधारित होने चाहिए ।
- पाठ्यक्रम का आधार बाल केन्द्रित होना चाहिए ।
- पाठ्यक्रम में वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रख कर पाठ्यक्रम को संगठित, व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाना चाहिए ।
- विषय वस्तु की जटिलताओं को ध्यान में रखकर उसको समवाय सिद्धान्त पर लागू किया जाये ।
- पाठ्यक्रम विस्तृत व बोझिल न हो । अनुभवी पाठ्यक्रम निर्माताओं द्वारा बालकों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए ।
- पाठ्यक्रम का उद्देश्य केवल मानसिक विकास करने तक ही सीमित न हो क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य सर्वागीण विकास है ।
- पाठ्यक्रम निर्माण. करते समय शिक्षण व्यूह रचना व विधियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ।
- पाठ्यक्रम मूल्यांकन का आधार परीक्षा ही नहीं होनी चाहिए ।
- पाठ्यक्रम में परिस्थिति अनुरूप परिवर्तन किये जाने की संभावना होनी चाहिए ताकि शिक्षक स्वतन्त्रता पूर्वक अपने अनुभवों को सम्पादित करते हुए शिक्षण का कार्य कर सके ।

- पाठ्यक्रम में वास्तव में आदर्श, सच्चरित्र नागरिक तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए ।

पाठ्यक्रम को समयानुसार बनाने के लिए रीदेर वाई. जी ने अपनी पुस्तक में बताया है - "यदि आवश्यक पुनरावृत्ति नहीं की गई तो पाठ्यक्रम गतिशील समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है और इससे यह खतरा है कि यह समाज की प्रगति को कई वर्षो पीछे ले जायेगा और समाज का पोषण करने के बदले समाज के लिए अहितकर सिद्ध होगा ।" इसके अतिरिक्त नागरिकशास्त्र के पाठ्यक्रम में कोठारी कमीशन की संस्तुति के आधार पर भी परिवर्तन किया जाना चाहिए जिससे बालकों को पर्यावरण का ज्ञान. मानव सम्बन्धों का ज्ञान कराया जाये तब ही एक आदर्श राष्ट्र की कल्पना को साकार कर पायेंगे ।

नागरिक शास्त्र का अन्य विषयों से संबंध (Relationship of Civics with Other Subjects) -नागरिक शास्त्र का अन्य सामाजिक विषयों से बड़ी सरलतापूर्वक सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है । नागरिक शास्त्र का शिक्षालय में पढाये जाने वाले अन्य विषयों के साथ क्या सम्बन्ध है? इसी बिन्दु पर विचार करना मुख्य ध्येय है । नागरिक शास्त्र का सामान्यत: निम्नांकित विषयों के साथ समन्वय स्थापित किया जा सकता है-

3.13 (i) नागरिक शास्त्र और इतिहास)Civics and History) - इतिहास सभी मानवीय विषयों का ऐतिहासिक स्त्रोत है । इतिहास का संबंध सभी भूतकालीन घटनाओं, उपलब्धियों, संस्थाओं, का संबंध सभी भूतकालीन घटनाओं, उपलब्धियों, संस्थाओं, लेखों विचारों एंव निर्णयों व उनके परिणामों की सफलता एंव त्रुटियों से होता है । अर्थात यह कहा जा सकता है कि इतिहास मानव सभ्यता का भण्डार है । इतिहास भूत की घटनाओं का विश्लेषण कर देश व समाज के उत्थान एंव पतन के कारणों को खोज निकालता है । यह भूतकाल में की गई त्रुटियों से सावधान करता है जबकि नागरिक शास्त्र वर्तमान काल की विभिन्न समस्याओं का हमें अध्ययन कराता है ।

नागरिक शास्त्र अपने सिद्धातों तथा नियमों का निरूपण इतिहास से प्राप्त अनुभवों के आधार पर ही करता है । नागरिक शास्त्र का वर्तमान, भविष्य में इतिहास का रूप ले लेगा नागरिक शास्त्र का इतिहास का एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है । इतिहास तथा नागरिक शास्त्र दोनों ही विषय मानव जीवन से सम्बन्धित है । लोगों मे आदर्श नागरिकता के गुण जैसे-सहानुभूति, दया करूणा, प्रेम-सहयोग, सत्यता, विनम्रता, बंधुत्व, त्याग, सहनशीलता, कर्त्तव्य परायणता आदि का विकास करने के लिये शिक्षक इतिहास से महापुरुषों के. जीवन चरित्र से सम्बन्ध उदाहरण प्रस्तुत करेगा ।उदाहरण के लिये नागरिक के गुणों की शिक्षा देते समय वीर छत्रपति शिवाजी, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गाँधी आदि का उल्लेख कर पाठ को रोचक बना सकते हैं । सामाजिक कुरीतियों का अध्ययन करते समय राजा राममोहन राय, गाँधी का उल्लेख किया जा सकता हैं ।

प्रोफसर सीले ने भी नागरिक शास्त्र एंव इतिहास में सम्बन्ध बताते हुए अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये- "बिना नागरिक शास्त्र के इतिहास का कोई अस्तित्व नहीं है और बिना इतिहास के नागरिक शास्त्र फलदायक नही । "(History without Civics ha not root and Civics with history bears no fruit- Prof. Sealey) स्पष्ट है कि नागरिक शास्त्र का शिक्षक इतिहास की सहायता लिये बिना अपने लक्ष्य तक नही पहुँच सकता । वर्तमान अतीत की देन है

अत: वर्तमान को समझने के लिये हमें इतिहास के पृष्ठों को पलटना ही पड़ेगा । इतिहास से अलग होकर नागरिक शास्त्र की शिक्षा देना कोरी कल्पना मात्र ही है ।

अत: शिक्षक को नागरिक शास्त्र के शिक्षण में आवश्यकतानुसार इतिहास से उदाहरण लेकर सिद्वातों, तथ्यों, आवधारणाओ का स्पष्टीकरण करना चाहिये । किंतु नागरिक शास्त्र का सम्बन्ध इतिहास से केवल उस सीमा तक है जहाँ तक कि उस काल में उसका विकास हुआ है ।

3.13 नागरिक शास्त्र एंव अर्थशास्त्र (Civics and Economics)

नागरिक शास्त्र एंव अर्थशास्त्र दोनों विषयों का पारस्परिक घनिष्ठ संबंध है क्योंकि दोनों विषयों का उद्देश्य मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करना है । मानवीय क्रियाओ का अध्ययन कर नागरिक जीवन को खुशहाल, सुखमय, शांतिपूर्ण तथा समृद्धिशाली बनाया है । यदि एक ओर अर्थशास्त्र व्यक्ति को अर्थो पार्जन करने व उसका व्यय करना सीखाता है तो दूसरी ओर नागरिक शास्त्र उस धन का कुशल प्रयोग करने की योग्यता नागरिकों में विकसित करता है ।

अर्थशास्त्र समाज में अर्थ की उत्पत्ति, उपभोग, वितरण सम्बन्ध क्रियाओं का अध्ययन करता है । दूसरी ओर नागरिक शास्त्र नागरिकों में आदर्श नागरिक के रूप में अपने अधिकार एंव कर्त्तव्यों की शिक्षा प्रदान करता है । अर्थशास्त्र द्वारा अर्थ की उत्पत्ति तथा वितरण का विवेचन कराने के रूप में होता है । नागरिक शास्त्र नागरिकों को राज्य द्वारा लगाये गये करो को समय पर भुगतान करने की शिक्षा देता है । नागरिक शास्त्र जन कल्याण के सिद्धान्त पर बल देकर अर्थशास्त्र यह बतलाता है कि कर प्रणाली जनता तथा राज्य दोनों के हित में होनी चाहिये ।

किसी भी देश भी प्रगति व विकास बिना अर्थशास्त्र के असम्भव है । अर्थशास्त्र समाज के आर्थिक कल्याण की तैयारी करता है तो नागरिक शास्त्र नागरिक कल्याण की तैयारी करता है । शासन सफलतापूर्वक चलाने के लिय बजट बनाने, कर लगाने, उद्योग लगाने में व लोगो को रोजगार, उपलब्ध करवाने में अर्थशास्त्र की महती भूमिका रहती है । देश की प्रगति आर्थिक उन्नति पर निर्भर होती है ।

इतिहास साक्षी है कि राज्य व समाज में यदि क्रान्ति या विद्रोह हुआ है तो उसके पीछे आर्थिक कारणों की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है । चाहे वह फ्रांस की क्रान्ति हो या चीन की क्रान्ति। जब नागरिको के पास अर्थ का अभाव होता है तब वे अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से नही कर पाते तो वह अपने कर्त्तव्यों से मुँह मोड़ लेते है । द्वितीय महायुद्ध का उदाहरण हमारे सामने है जब मानव भुखमरी व आवश्यक साधनों के अभाव में राष्ट्रोन्नति, त्याग, बलिदान आदर्श नागरिकता की सभी आदर्श संकल्पनाओं को भुला चुका था ।

समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिये दोनों विषयों का समन्वयात्मक ज्ञान होना आवश्यक है। हमें अर्थशास्त्र की विषय साम्रगी कभी-कभी नागरिक शास्त्र मे भी प्राप्त हो जाती है । पूँजीवाद, समाजवाढ़ मार्क्सवाद, राष्ट्रीयकरण, करारोपण के सिद्धान्त तथा राज्य की संस्थाओं के आय के साधनों की सामग्री न केवल अर्थशास्त्र में बल्कि नागरिक शास्त्र के चित्रण में भी मिलती है ।

नागरिक शास्त्र के शिक्षक का नागरिक शास्त्र का अर्थशास्त्र से समन्वय स्थापित करने के अनेक अवसरों का लाभ उठाकर समन्वयात्मक रूप से ज्ञान प्रदान करना चाहिये ।

3.13. (iii) नागरिक शास्त्र एंव समाज शास्त्र (Civics and Sociology)- समाज शास्त्र एक वृहद शास्त्र है जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण समाज आता है । समाजशास्त्र को सभी सामाजिक सभी सामाजिक विज्ञानों का जनक माना जाता है यह विषय जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन करता है इसके नियमों एंव सिंद्धातों की सहायता से नागरिक शास्त्र जैसे अन्य सामाजिक शास्त्रों के अध्ययन तथा अध्यापन में सहायता मिलती है । नागरिक शास्त्र की शाखा के रूप में नागरिकता का पाठ पढ़ाता है दोनो ही शास्त्रों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना है ।

नागरिक शास्त्र समाज के एक पक्ष अर्थात् राजनैतिक पक्ष को ही पूर्ण व्याख्या करता है। अन्य पक्षों को गौण रखता है । इसी प्रकार नागरिक शास्त्र आदर्श नागरिकों की संकल्पना लेकर वर्णन करता है न केवल अच्छाइयों के बारे में विचार व्यक्त करता है जब कि समाज शास्त्र अच्छाइयों के साथ-साथ बुराइयों का वर्णन करता है ।

नागरिक शास्त्र अपनी विषय वस्तु समाज शास्त्र के द्‌वारा ही प्राप्त करता है इसका संबंध केवल उस विषय सामग्री से होता है जो आदर्श समाज को स्थापित करने में सहायक होती है । अर्थात् नागरिक शास्त्र की अपेक्षा समाज शास्त्र किसी आदर्श को लेकर समाज का वर्णन नहीं करता है । जब कि नागरिक शास्त्र विकसित समाज अथवा वर्तमान समाज का आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करता है । नागरिक शास्त्र शिक्षण में ऐसे अवसर कई बार आतें हैं जब कि शिक्षण समाज शास्त्र की विषय वस्तु से समन्वय कर पाठ को रोचक बना सकता है । उदाहरण स्वरूप- समुदाय व सघों के बारे में जानकारी देना ।

समाज शास्त्र एंव नागरिक शास्त्र विषय दोनों ही विषय समाजिक जीवन की चर्चा करतें है । अत: शिक्षण करते समय शिक्षण को दोनों से समन्वय स्थापित करना चाहिये ।

3.13. (viii) नागरिक शास्त्र एंव भूगोल (Civics and Geography) - किसी भी राज्य के नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक उन्नति उस राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर रहती है किसी राज्य के नागरिकों के स्वभाव, आदत, कार्यक्षमता आदि पर ही भौगोलिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है । नागरिक जीवन पर पड़ने वाली देश विदेश की सभ्यता संस्कृति तथा कला आदि का ज्ञान हमें भूगोल ही कराता है । नागरिक शास्त्र विषय में यदि बालकों को विश्व नागरिकता की शिक्षा देते हैं तों हमें बालको को इस प्रकार का ज्ञान देना चाहियें कि सम्पूर्ण संसार एक सूत्र में बंधा है अत: सभी देश एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है । भौगोलिक तथ्यों के आधार पर विद्‌यार्थीयों को विश्व बंधुत्व विश्व नागरिकता जैसे प्रकरणो को आत्मसात करने में आसानी होगी ।

नागरिक शास्त्र में राज्य, राष्ट्र आदि का वर्णन किया जाता है । किन्तु राष्ट्र विशेष की आर्थिक तथा राजनैतिक स्थिति उसकी भौगोलिक स्थितियों पर निर्भर करती है । अत: नागरिक शास्त्र शिक्षक को राष्ट्र की स्थिति का अध्यापन करते समय उस राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति को भी स्पष्ट करना चाहिये ।

वर्तमान समय में विकसित राष्ट्र अमेरिका में आदर्श नागरिकता का प्रसार भौगोलिक स्थितियों के कारण ही हो सकता है । अमेरिका की आर्थिक दशा ठीक होने के कारण ही वहाँ के नागरिक कर्त्तव्य परायण की भावना से ओतप्रोत है । जिससे वहाँ का जनजीवन सुखी है । लोक कल्याणकारीराज्य की स्थापना व आदर्श राज्य की भावना भौगोलिक परिस्थितियों पर ही निर्भर

होती है । नागरिक शास्त्र शिक्षक को नागरिक शास्त्र और भूगोल दोनो में समन्वय स्थापित कर शिक्षण कार्य करने से अधिगम स्पष्ट सरल, बोधगमय तथा व्यावहारिक बनाया जा सकता है ।

3.13 (iv) नागरिक शास्त्र एंव नीतिशास्त्र (Civics and Ethics) -नागरिक शास्त्र एंव नीतिशास्त्र के मध्य घनिष्ठ संबंध है । इन दोनों शास्त्रों का उद्देश्य मानव को आदर्श की ओर ले जाना है । दोनों शास्त्र मनुष्य को बुराइयों से दूर रखते हैं । तथा विश्व नागरिकता का उपदेश देते हैं । मानव को संकुचित भावना से ऊपर उठाकर विश्व बंधुत्व, वसुधैव-कुटुम्बकम् की ओर ले जाना चाहते हैं । नैतिकता के अभाव में आदर्शें नागरिक के गुणों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है ।

नागरिक को आदर्श बनाने में नैतिक गुण ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं । वर्तमान समय में समाज के समक्ष सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या नागरिकों का नैतिक पतन होता जा रहा है । स्वार्थ, अंहकार, भ्रष्टाचार, दुराचार, भौतिकवादि प्रकृति निम्न प्रवृत्ति विकसित हो रही है । नीतिशास्त्र का उद्देश्य व्यक्ति में सेवा, ईमानदारी, परोपकारी, त्याग, सत्यता, निःस्वार्थ भाव, न्याय प्रियता आदि गुणों का विकास करना है । जिससे एक स्वस्थ्य सुन्दर समाज का निर्माण किया जा सके ।

नागरिक शास्त्र व नीतिशास्त्र का संबंध बताते हु ये काण्ट ने अपने विचार इस प्रकार दिये है कि - "सच्चा नागरिक शास्त्र जब तक नैतिकता में श्रद्धा नही रखता है एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है । यह नागरिक के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करता है तो नागरिक शास्त्र उस आदर्श को प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है ।"

नागरिक शास्त्र शिक्षक इस विषय के नैतिक तथ्यों, सिद्धातों का सहारा लेकर ही नागरिक शास्त्र के मूल ध्येय प्राप्त कर सकता है ।

3.13 (v) नागरिक शास्त्र एंव साहित्य (Civics and Literature) - किसी शासन व्यवस्था में हु ये कार्यो का सही परिचय तत्कालीन साहित्य के द्वारा किया जाता है । किसी भी काल की सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनैतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने में साहित्य की महती भूमिका होती है । साहित्य की भूमिका होती है । साहित्य समाज का दर्पण होता है । साहित्य के द्वारा ही समाज की बुराईयों तथा कुरीतियों को सामने लाकर दूर करने कर प्रयास किया जाता है ।

गीता, कुरान, बाइबिल, रामायण, महाभारत हमारें सम्मुख आदर्श रूप को प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह आजादी के समय कविताओं, गीतो के माध्यम से देश प्रेम, त्याग, बलिदान की भावनाओं का विकास करने मे साहित्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी साहित्य के माध्यम से आदर्श संस्कार एंव संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण करने में साहित्य संवाहक का कार्य करता है ।

नागरिक शास्त्र का मूल उद्देश्य, आदर्श नागरिको का निर्माण करता है । उस उद्देश्य की प्राप्ति में साहित्य का शिक्षण कार्य करते समय साहित्य को विशेष स्थान देना चाहिये ताकि अध्ययन रूचिकर, सरल, स्पष्ट एंव बोधगम्य हो सके ।

3.13 (vi) नागरिक शास्त्र एंव सामान्य विज्ञान (Civics and General Science) - सामान्य विज्ञान की विभिन्न शाखाएँ है जिससे जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र व रसायन शास्त्र । इन सभी शाखाओं का साधारण ज्ञान बालकों को करवाया जाता है । जिससे वे जीवनोपयोगी

महत्वपूर्ण बातों से अवगत हो कर अपने जीवन को स्वस्थ एंव सुखी बना सकें । सामान्य विज्ञान व नागरिक शास्त्र के मध्य प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही है । किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से यह विषय महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । नागरिक शास्त्र का शिक्षण करते समय हम छात्रों को नागरिक कर्त्तव्य का शिक्षण करवाते है जिससे सफाई एंव स्वच्छता का वह सामान्य विज्ञान में विस्तार से अध्ययन कर लेता है । जिससे इसके अभाव में होने वाले दुष्परिणामों की भी उसे जानकारी प्राप्त होती है । शरीर को स्वस्थ्य रखने के लिये व रोगों से बचाने के लिये सामान्य विज्ञान हमें अनेक नियमों का ज्ञान देता है ।

सामान्य विज्ञान में नागरिक विज्ञान के चमत्कारों व आविष्कारों का अध्ययन करता है । जागरूक देश के नागरिकों का कर्त्तव्य यह है कि वह इन आविष्कारों का प्रयोग जनहित में करे । सामान्य विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर सभी सुविधाओं का भोग करता है किन्तु नागरिक शास्त्र उसे इन सुविधाओं का दुरूपयोग करने पर रोक लेता है । जैसे घर में रसोई गैस, चाकू माचिस रखनें के लाभों से हर नागरिक अवगत होता है । किन्तु इनमें से किसी भी वस्तु का दुरूपयोग किये जाने पर भंयकर परिणाम निकल सकता है । नागरिक शास्त्र ने इसी प्रकार के भंयकर परिणामों से बचाकर वैज्ञानिक खोजो तथा अनुसंधानो को जन कल्याण के लिये काम में लाने की शिक्षा प्रदान की है ।

नागरिक शास्त्र के शिक्षक को नागरिक शास्त्र के शिक्षण में यथास्थान, सामान्य विज्ञान से उपयुक्त उदाहरण दे कर अपने तथ्यों व विषयों की पुष्टि करनी चाहिये । इन दोनों में अप्रत्यक्ष रूप से घनिष्ठ सम्बन्ध है ।

3.13. (vii) नागरिक शास्त्र एंव मनोविज्ञान (Civics and Psychology) - मनोविज्ञान में बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारक वंशानुक्रम एंव पर्यावरण के बारे में अध्ययन करना मुख्य उद्देश्य होता है । व्यक्तित्व का निर्माण तथा विकास, स्मृति, अवधान चिंतन, कल्पना, तर्क, शक्ति अनुमान शक्ति, निर्णय क्षमता आदि मानसिक क्रियाओं के अध्ययन से होता है । व्यक्ति या बालक मानसिक दृष्टि से स्वस्थ है । यदिउसमें मानसिक गुण विकसित है तब वह आदर्श नागरिक बनने की ओर प्रवृत्त हो सकता है ।

समाज में व्याप्त समस्याओं- जैसे बेकारी, निर्धनता, तोड़-फोड़, असन्तोष, आतंकवाद, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार अपराध इत्यादि । नागरिक शास्त्र में आदर्श नागरिक इन सभी समस्याओं के हल मनोविज्ञान के आधार पर निकालने का प्रयास करता है ।

नागरिक शास्त्र के अध्यापक को नागरिक शास्त्र का अध्यापन करते समय मनोविज्ञान के नियम सिद्घातों का सहारा लेना चाहिये जिससे छात्र सीखने की क्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें तथा देश के जागरूक एंव आदर्श नागरिक बन सकें ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. नागरिक शास्त्र विषय का विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से सहसंबंध बताइये।

3.14 सारांश (Summary)

– पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी शब्द Curriculum का हिन्दी रूपान्तरण है । Curriculum शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द Curriculum से हुये है जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान (Race Course)
– पाठ्यक्रम का महत्व- उद्देश्य की प्राप्ति के लिये शिक्षा प्रक्रिया के नियोजन के लिये आवश्यकता की संतुष्टि के लिये कार्यकुशलता के लिये मूल्यांकन के लिये ।
– पाठ्यक्रम निर्माण के आधार- दार्शनिक आधार, ऐतिहासिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, समाजशास्त्रीय आधार, वैज्ञानिक आधार ।
– पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्त - उपयोगिता का सिद्धान्त, मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त, जीवन से सम्बन्धित होने का सिद्धान्त, क्रिया का सिद्धान्त, रचनात्मक कार्य का सिद्धान्त, सामाजिक जीवन से सम्बन्धित सिद्धान्त, विविधता एंव लचीलेपन का सिद्धान्त, जनतन्त्रीय भावना के विकास का सिद्धान्त, सह सम्बन्ध का सिद्धान्त, अवकाश के लिये प्रशिक्षण का सिद्धान्त, अग्रदर्शिता का सिद्धान्त,
– नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम में चयनित पाठ्यवस्तु का संगठन- उद्देश्य के आधार पर रूचि एंव मानसिक योग्यता के आधार पर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर समसामायिक के आधार पर सहसम्बन्ध के आधार पर ।
– पाठ्यक्रम के दोष- व्यावहारिक ज्ञान का अभाव, व्यापक दृष्टिकोण का अभाव, सहसम्बन्ध का अभाव, रूचि जिज्ञासा का अभाव, समसामायिक सूचनाओं का अभाव ।

3.15 संदर्भ ग्रंथ (Reference)

1. Binning and Binning- “Teaching of Social Studies in Secondary Schools”.
2. Bossing Nelson L - “Teaching in Secondry schools”
3. Bloom B.S. “Taxomnomy of Educational Objectives”
4. Civics Teaching - Vashistha and Sharma
5. Mittal, M.L. Principle of Education
6. Mittal, M.L. Teaching of Civics

इकाई-4

पाठ्यचर्या तत्वों का ज्ञानात्मक मानचित्रण तथा पाठ्यचर्या तत्व

(Cognitive Map of concept and curricular element)

इकाई की संरचना (Structure of Unit)

4.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य (Aims and Objectives)

4.1 पाठ्यचर्या की अवधारणा (Concept of Curriculum)

4.2 पाठ्यचर्या तत्व (Concept)

4.3 पाठ्यचर्या तत्वों का ज्ञानात्मक मानचित्रण (Cognitive map of Concept)

4.4 सारांश (Summary)

4.5 संदर्भ ग्रन्थ (Reference)

4.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य

(Aims and Objectives)

इस इकाई की सम्प्राप्ति पर आप इस योग्य होंगे कि -

1. पाठ्यचर्या तत्वों की अवधारणा समझ सकेंगे ।
2. पाठ्यचर्या तत्वों की ज्ञानात्मक अवधारणा को अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे ।
3. पाठ्यचर्या तत्वों का ज्ञानात्मक चित्र' कर सकेंगे ।
4. पाठ्यचर्या तत्वों तथा पाठ्यक्रम तत्वों में भेद कर सकेंगे ।

4.1 पाठ्यचर्या की अवधारणा

(Conginitve map of Concept)

शिक्षा के उद्देश्य के अनुक्स शिक्षार्थी को सिखायी जाने वाली विषय वस्तु का व्यापक एवं विस्तृत रूप जिसमें पाठ्यक्रम के साथ-साथ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे समस्त अनुभव जो अधिगमकर्त्ता के व्यवहार को निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य (Context) में पर्याप्त हो । इन समस्त अनुभवों के संग्रह को पाठ्यचर्या के रूप मे निर्देशित किया जाता है, इसके द्वारा न केवल उद्देश्य की प्राप्ति होती है वरन् इसके द्वारा अधिगम पाए स्थिति के निर्माण क्रियान्वयन तथा मूल्याकन में भी सहायक होती है । पाठ्यचर्चा का सामान्य अर्थ है यह समस्त प्रक्रियायें जो विद्यालय में अथवा विद्यालय के बाहर बालको के विकास के लिये स्कूल द्वारा आयोजित किया जाता है ।

मूलतः पाठ्यचर्या में वे समस्त सम्प्रत्यय कौशल मूल्य सम्मिलित होते है जो समाज तारा अपेक्षित होते हैं । पाठ्यचर्या आवश्यकता आधारित तथा जीवन निन्दित होती हैं । जिसमें समस्त

मूल्य मान्यतायें, विश्वास, तथ्य तथा चिन्तन प्रविधियाँ सम्मिलित है जो समाज द्वारा स्वीकारी जाती है ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न	
1.	पाठ्यचर्या की अवधारणा स्पष्ट कीजिये ।
	Clear the concept of Curiculum

4.2 पाठ्यचर्या तत्त्व
(Concept)

शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया (Tripolar Process) है, जिसके तीन प्रमुख चर होते हैं - शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम । पाठ्यक्रम जो कि पाठ्यचर्या का भाग होता है, मिश्रित व आश्रित चर (Depended Variable) के रूप में कार्य करता है, इसके अतिरिक्त उद्देश्य की कसौटी होती है - विषय वस्तु के सार्थक संबंध । विषय वस्तु के आकार व प्रकार में परिवर्तन होते हैं जो सीखने वाले की आवश्यकता, रूचि, क्षमता तशा उद्देश्य के सन्दर्भ में पढ़ायी या सिखायी जाने वाली विषय वस्तु (Content) का चयन, निर्माण तथा प्रस्तुतीकरण व प्रयोग पाठ्यचर्चा तत्वों तथा आरंभिक आवश्यकता के रूप में किया जाता है । पाठ्यचर्या तत्वो तथा आरंभिक आवश्यकता के रूप में तत्वों के द्वारा किया जाता है । व्हीलर (Wheeler) ने इसे चित्र द्वारा प्रस्तुत किया है -

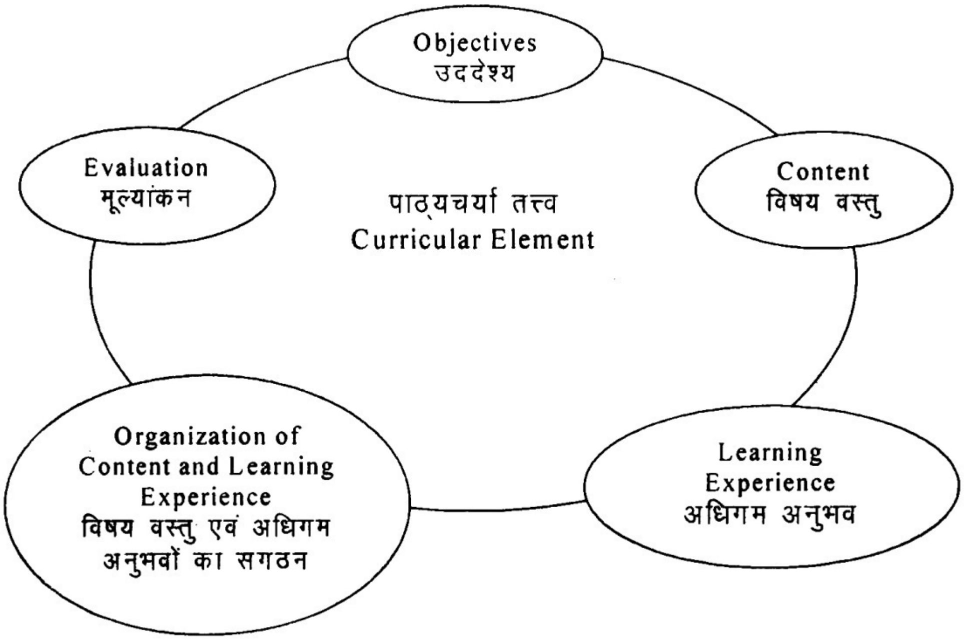

चित्र संख्या : 4.1

किसी विषय के शिक्षण के लिए निर्धारित उद्देश्य क्या है? इसका निर्धारण लक्ष्यों द्वारा किया जाता है और उसकी प्राप्ति के लिए विषय वस्तु का चयन, विश्लेषण एवं निर्माण किया जाता है । इस विषय वस्तु का उद्देश्य के साथ सार्थक संबंध स्थापित कर अधिगम अनुभव प्रदान

किये जाते हैं । शिक्षक-शिक्षार्थी की अन्त: क्रिया के द्वारा अधिगम अनुभव एवं विषय वस्तु का संगठन किया जाता है । उद्देश्य की प्राप्ति का पता लगाने के लिए व्यवहार परिवर्तन की साक्षियों का संकलन के रूप में मूल्यांकन किया जाता है ।

इन पाठ्यचर्या तत्वों द्वारा ही संकल्पनाओं (Concept) का मानचित्रण (Maping) किया जाता है जो शिक्षण एवं अधिगम के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है । इसके द्वारा बौद्धिक स्तर बढ़ाया जाता है और जटिल व अमूर्त ज्ञान को सरल व मूर्त बनाया जाता है ।

एडविन टॉपलर ने "सीखा कैसे जाए" पर विचार इंगित करते हुये इसे शिक्षा व्यवस्था के मूल उद्देश्य के रूप में माना है । विभिन्न समितियों व शिक्षाविदों ने भी इस विषय पर बल दिया। भारतीय शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में रटने की परम्परा अधिक प्रचलित है जिसमें छात्र का ज्ञान पूर्व ज्ञान से नहीं जुड़ता है । रटने की परम्परा तथ्यों को याद करने पर बल देती है । लेकिन अर्थपूर्ण अधिगम (Meaningful Learning) या सम्प्रत्यात्मक बोध को प्रोत्साहित नहीं करती । यह स्पष्ट है कि संकल्पना मानचित्रण द्वारा पाठ्यचर्या विकास तथा नियोजन अधिगम का सरलीकरण संभव है । संकल्पना मानचित्रण द्वारा छात्रों में सम्प्रत्यय निर्माण में सुधार संभव है। संकल्पना मानचित्र द्वारा छात्र मूर्त द्रश्य सहायता के रूप में ज्ञान का संगठन कर सकते हैं ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. नागरिक शास्त्र में पाठ्यक्रमीय तत्वों को लिखिये ।
   Write curriculum Element in Civics

4.3 पाठ्यचर्या तत्वों का ज्ञानात्मक मानचित्रण (Conginitive map of Concept)

संकल्पना का अर्थ (Meaning of Concept) - संकल्पना किसी समूह अथवा वर्ग के विचार, परिस्थिति, घटना अथवा वस्तु की धारणा का प्रतिनिधित्व करता है । जब तथ्यों को संचित किया जाता है तो वे निश्चित संबंध तथा आदर्श नमूना दर्शाने लगते हैं और इन नमूनों की स्पष्ट रूप से व्याख्या करना ही संकल्पना है । करोल (carroll) ने 1964 में अनुभवों की श्रृंखला को उद्देश्य अथवा घटना के सार के रूप में परिभाषित किया जाता है ।

इसी प्रकार ड्रेसेल (Dressel) ने 1960 में संकल्पना को उद्देश्य तथा घटनाओं की छोटी संख्या की श्रेणियों को अनुभवों की श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया ।

संकल्पना की विशेषतायें (Characteristics of Concept) - संकल्पना प्रमुख विचार है जिसकी निम्नलिखित विशेषताये हैं -

1. संकल्पना सामान्य विचार है ।
2. संकल्पना सरल से जटिल, भिन्न-भिन्न होती है ।
3. संकल्पना की परिभाषा होती है ।
4. संकल्पना अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होती है ।
5. संकल्पना अधिगम (Learning) तथा स्मरण (Memory) से भी अधिक है इसकी प्राप्ति अनुभव तथा क्रिया पर निर्भर करती है ।

6. संकल्पना वातावरण में मानसिक क्रिया को वर्गीकृत करने के लिये जरूरी है ।
7. संकल्पना सार विचारों का आधार है ।
8. संकल्पना अधिक व्यवस्थित तथा सामूहिक रूप में ज्ञान को ज्यादा मात्रा में प्रदर्शित करती है
9. संकल्पना भविष्य की खोज के आधार के रूप में कार्य है ।
10. संकल्पना से भविष्यवाणी करना संभव है ।
11. संकल्पना ना तो सही होती है और ना गलत । ये या तो समुचित व पर्याप्त होते हैं या फिर असमुचित या अपर्याप्त ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. सम्प्रत्यय किसे कहते हैं?
   What do you mean by Concept?
2. सम्प्रत्यय मानचित्र किसे कहते है
   What is Concept mapping?

मानचित्र सम्पूर्ण विषय, इकाई अथवा पाठ के लिए विकसित किया जाता है । इस प्रक्रिया में संकल्पना को विकसित करने के लिए अधिगमकर्ता को सक्रिय होकर केन्द्रीय विचार को पहचानना पड़ता है । यह केन्द्रीय विचार अन्य संप्रत्ययों के अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित है ।

संकल्पना मानचित्र विकसित करने के लिए केलहेन तथा क्लार्क (1990) ने निम्न सोपान सुझाए-

(1) सर्वप्रथम सामान्य क्षेत्र के समस्त सम्प्रत्ययों के नाम लिखें । यहाँ पर मात्र नाम ही लिखने हैं ।
(2) इन सम्प्रत्ययों के अलावा यदि कोई विशिष्ट तथ्य (उदाहरण) जो छात्रों के सीखने के लिए अनिवार्य है, उसे भी लिखें ।
(3) चयनित सम्प्रत्ययों की तालिका में से अधीनस्थ (प्रमुख) संप्रत्यय को पहचानें और उसे सबसे ऊपर लिखें ।
(4) अधीनस्थ प्रमुख (super ordinate) संप्रत्यय के नीचे प्रथम स्तर के अधीनस्थ (Sub ordinates) संप्रत्ययों को व्यवस्थित करें । इस स्तर पर संयोजन (Prepositions) अथवा योजक (Connecting) शब्द जैसे - देता है, प्रकार, इसमें है, कर सकता है, आदि का उपयोग करें, जिसमें प्रमुख संप्रत्यय तथा अधीनस्थ सम्प्रत्ययों में उपयुक्त संबंध स्थापित हो सकें ।
(5) एक बार समान सम्प्रत्ययों की पहचान हो जाने पर अधीनस्थ सम्प्रत्ययों के प्रथम स्तर के ऊपर व्यवस्थित करना प्रारंभ कर दें । इसी प्रकार कभी-कभी अनेक अनुक्रम में सम्प्रत्यय व्यवस्थित हो जाता है । इसी प्रकार विशिष्ट तथ्य किन्हीं अधीनस्थ संप्रत्ययों के उदाहरण होते हैं । जो इस प्रकार के अनुक्रम में सबसे नीचे आयेंगे ।
(6) समकक्ष (similar) अधीनस्थ (Sub ordinate) संप्रत्ययों में सह-संबंध दिखाने के लिए रेखाएँ खीचें । समस्त अनुक्रम एक पिरामिड के समान दिखाई देना चाहिये । इनके

जोड़ने वाले अथवा संयोजक शब्दों को रेखाओं के ऊपर लिखें जिनसे उनका संबंध स्थापित हो, यह सम्बन्ध एक सिद्धान्त बनाते हैं ।

(7) जब समस्त सम्प्रत्यय मानचित्र विकसित हो जायें तो कुछ विशिष्ट अधीनस्थ सम्प्रत्यय के चारों ओर एक घेरा बना दे । यह घेरा ऐसे संप्रत्ययों पर बनाये जो छात्रों को पसन्द आते हँ । अथवा छात्रों के कठिन स्तर के हो । यह इकाई की संरचना करते हैं ।

(8) समस्त मानचित्र के चारों ओर कम से कम घेरे बनायें तथा मुख्य अधिगम बिन्दुओं का संतुलन बनाये रखें ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. संकल्पना मानचित्र के प्रमुख सोपान लिखे ।
   Write main steps of Concept Mapping?

नागरिक शास्त्र मेँ ज्ञानात्मक मानचित्रण (Cognitive map in Civics) - अध्ययन की सुविधा तथा समझ के लिए हम समस्त सम्प्रत्यात्मक मानचित्रण को पहले अलग-अलग उपरोक्त 8 भागो में बाटँगे तथा अन्त में इन 8 भागों का एक सम्पूर्ण चित्र नागरिक शास्त्र विषय से लेंगे -

(1) सामान्य क्षेत्र कें समस्त सम्प्रत्ययों के नाम-

चित्र संख्या : 4.2

(2) इन सम्प्रत्ययों के अलावा विशिष्ट उदाहरण / तथ्य देना-

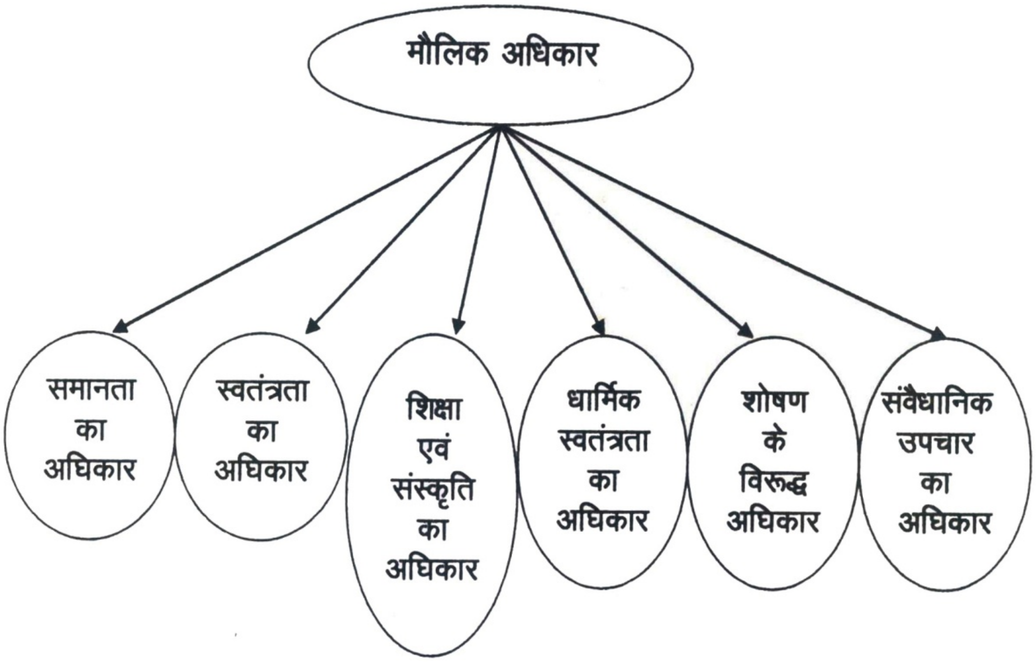

चित्र संख्या : 4.3

(3) चयनित सम्प्रत्ययों की तालिका में से अधीनस्थ सम्प्रत्यय को सबसे ऊपर लिखें-

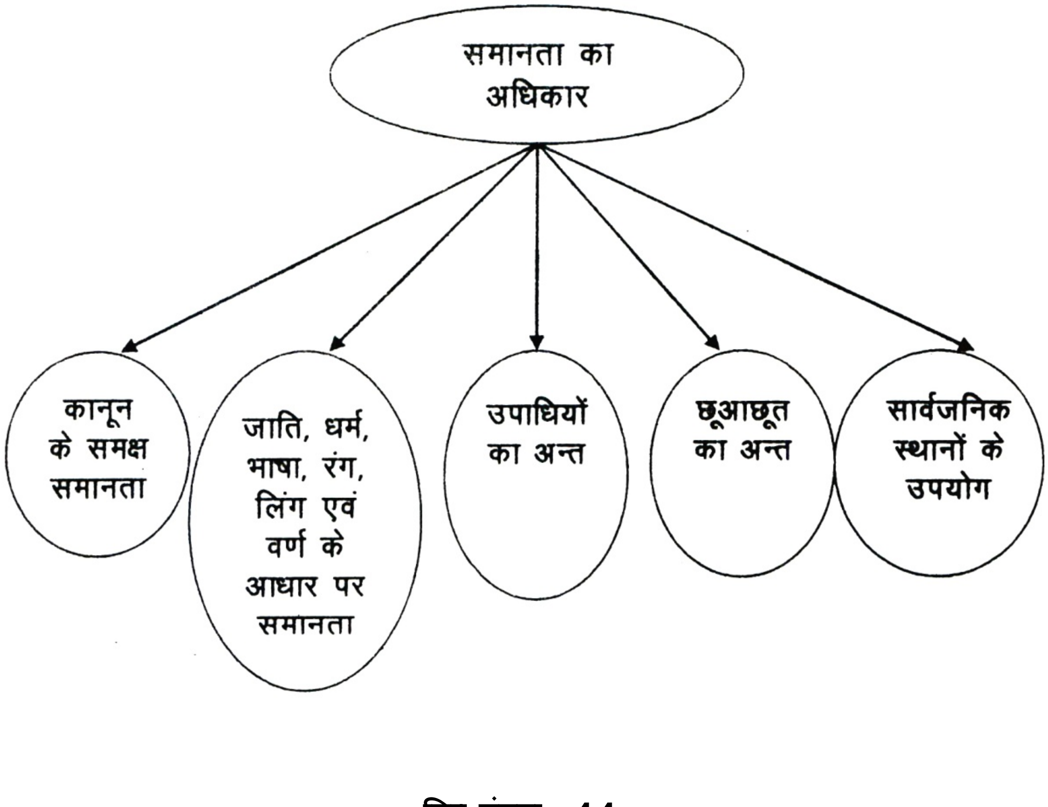

चित्र संख्या : 4.4

(4) अधीनस्थ प्रमुख सम्प्रत्यय करना के नीचे प्रथम स्तर के अधीनस्थ संप्रत्यय को व्यवस्थित करना

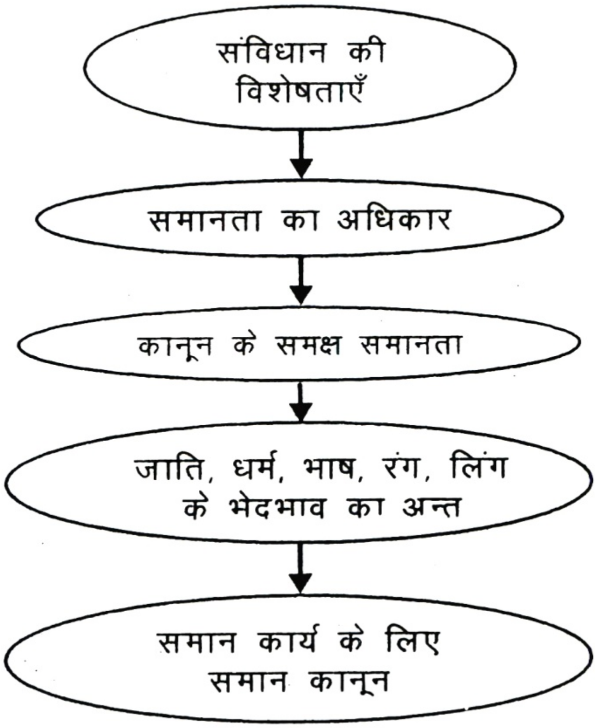

चित्र संख्या : 4.5

(5) समान प्रत्ययों की पहचान होने पर अधीनस्थ सम्प्रत्ययों के प्रथम स्तर के ऊपर व्यवस्थित करना

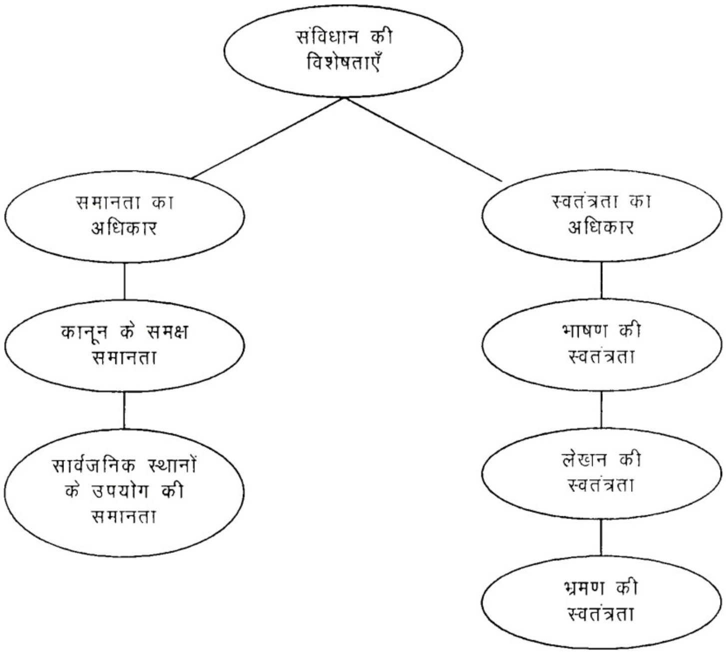

चित्र संख्या : 4.6

(6) समकक्ष. अधीनस्थ सम्प्रत्ययों में सहसंबंध दिखाने के लिए रेखा खींचना, पिरामिड का अनुक्रम बनाना. जोड़ने वाले योजक शब्दों को रेखाओं के ऊपर लिखना-

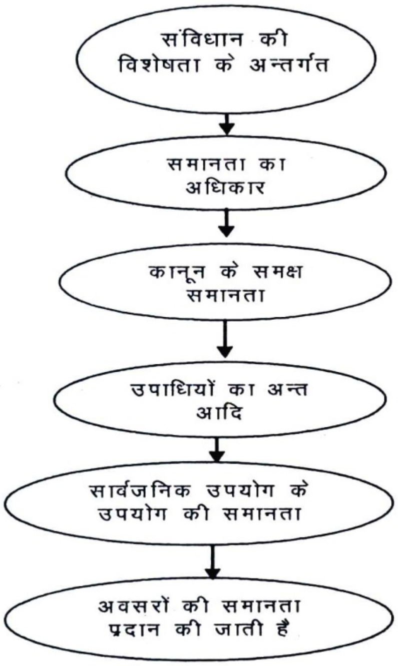

चित्र संख्या : 4.6

(7) समस्त मानचित्र विकसित होने पर कुछ विशिष्ट अधीनस्थ संप्रत्यय के चारों ओर घेरा बनाना (छात्रों की पसंद व कठिनाई के अनुसार घेरा बनाना) (यह इकाई संरचना भी करती है)–

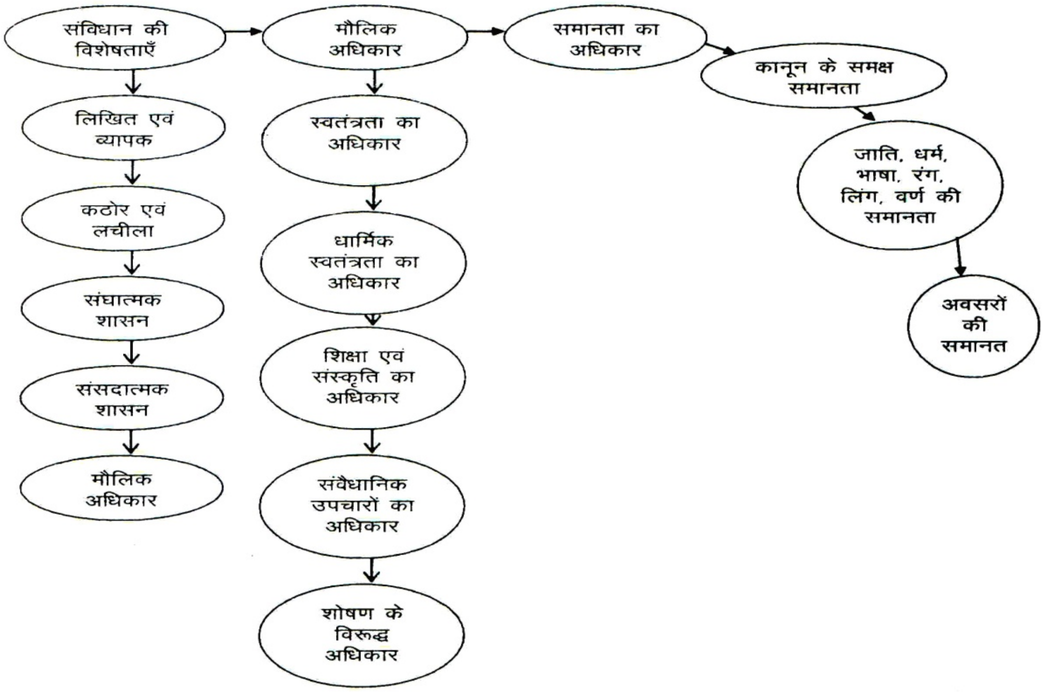

चित्र संख्या :4.8

अधिगम शिक्षण में संकल्पना मानचित्र का महत्व ब लाभ

Significance and use of concept mapping in teaching and learning

1. संकल्पना मानचित्र द्वारा अर्थपूर्ण अधिगम सम्भव है ।
2. इस प्रकार के अधिगम में भ्रान्तियां कम से कम होती है, क्योंकि छात्र स्वयं अपने अनुभव व पूर्ण ज्ञान तथा सहसम्बन्ध के द्वारा अधिगम करता है ।
3. इतिहास विषय में संकल्पना मानचित्र नियोजन व शिक्षण की सघनता हैं
4. संकल्पना मानचित्र किसी भी प्रकार के प्रत्यास्मरण अधिगम में सहायक होती है ।
5. संकल्पना मानचित्र द्वारा विशिष्ट सम्प्रत्ययों में पारस्परिक सम्बन्धों के तर्क अथवा कारण जानने का अवसर प्राप्त होता है ।
6. संकल्पना मानचित्र छात्रों का ध्यान केन्द्रित करने तथा व्यापक रूप से देखने में मार्गदर्शन करता है।
7. संकल्पना मानचित्र के द्वारा छात्रों का मूल्यांकन सम्भव है ।
8. संकल्पना मानचित्र बनाने से अधिगम सरल बनता है एवं बोध विकसित करता है । संकल्पना मानचित्र में पाठ्य सामग्री मस्तिष्क में स्थाई हो जाती है ।

शिक्षक की भूमिका (The role of the Teacher)- सम्प्रत्यात्मक परिवर्तन प्रविधि में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है । शिक्षक को एक उत्प्रेरक का कार्य करना पड़ता है, जिसमें शिक्षक-छात्रों को व्यक्तिगत रूप से छोटे समूहों में पारस्परिक सह भागिता का अवसर प्राप्त होता है । शिक्षक को एक स्वस्थ्य अधिगम वातावरण सृजित करना पडता हैं ताकि छात्र अपने विचार कक्षा में रख सकें ।

<u>सम्पूर्ण मानचित्र</u>

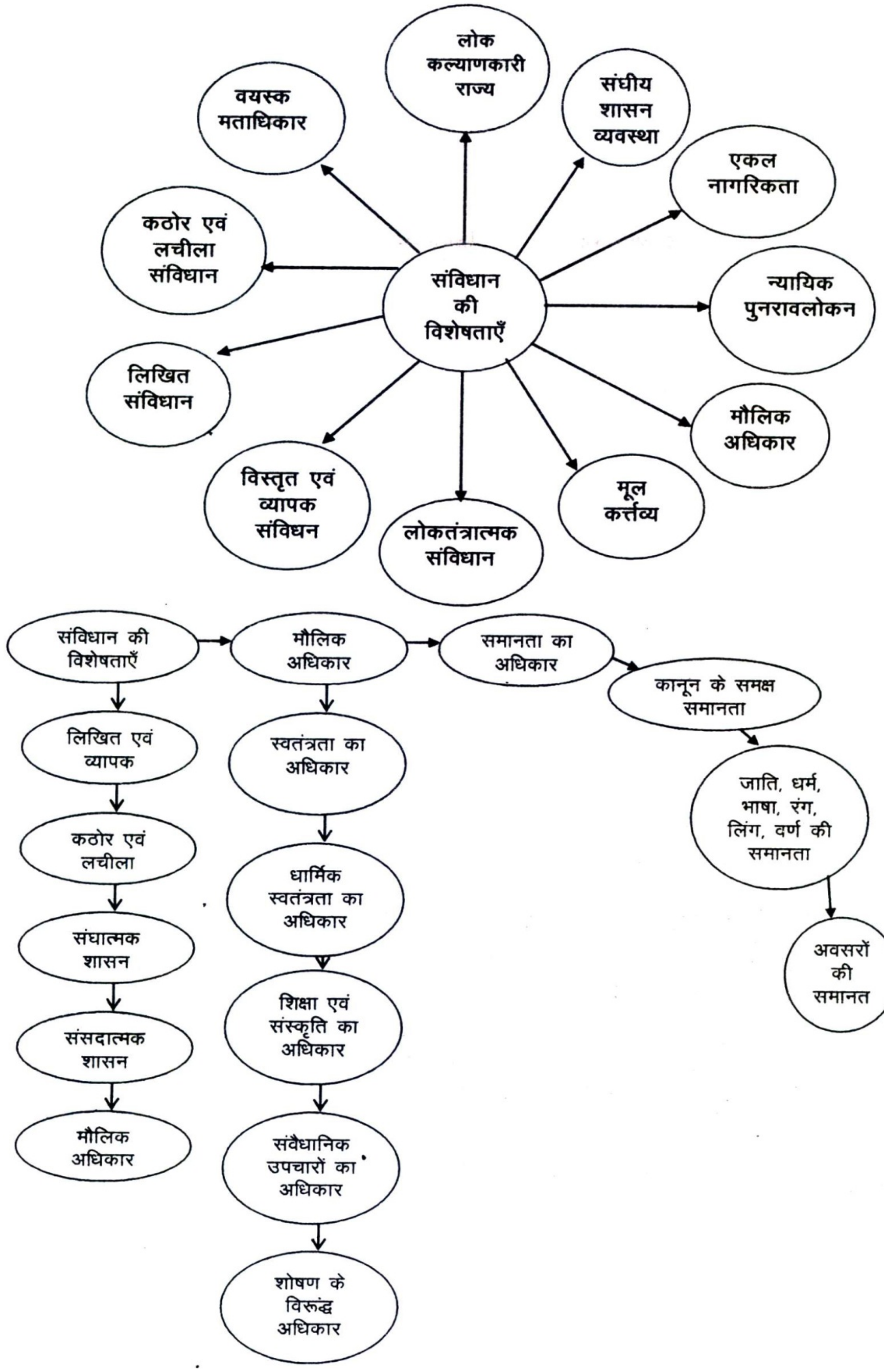

चित्र संख्या : 4.9

4.4 सारांश

(Summary)

पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन के लिए पढ़ायी जाने वाली विषय वस्तु है ।

- **पाठ्यक्रम (Syllabus)** - विषय वस्तु का वह स्वरूप जो बालक को ज्ञानार्जन के लिए अध्ययन करवाने के लिए पढाया जाय ।
- **पाठयचर्या (Curriculum)** - पाठ्यचर्या में विषय वस्तु के अतिरिक्त वे समस्त अधिगम अनुभव तथा पाठ्येत्तर कार्यक्रम (Co-curricular activities) के रूप में प्रदान किये जाते है, सम्मिलित किये जाते है ।
- **पाठ्यचर्या के तत्व (Elements of curriculum) -** पाठ्यचर्या तत्वों में शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम, स्वतंत्र, आश्रित तथा मिश्रित चर (Variable) के रूप में पाठ्यसामग्री का चयन निर्माण व प्रस्तुतीकरण द्वारा सीखने वाले के व्यवहार परिवर्तन के लिए आवश्यक व पर्याप्त अधिगम अनुभव प्रदान करने के समस्त तत्व होते है ।
- **संकल्पना का मानचित्र (Mapping of concept) -** संकल्पना मानचित्र एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न संप्रत्ययों के सहसंबंध को मानचित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है । संकल्पना मानचित्र विकसित करने के सोपान -

1. समस्त संप्रत्ययों के नाम लिखना ।
2. संप्रत्ययों के उदाहरण देना ।
3. चयनित संप्रत्ययों में अधीनस्थ संप्रत्यय सबसे ऊपर लिखना ।
4. अधीनस्थ प्रमुख संप्रत्यय के नीचे अधीनस्थ संप्रत्यय को व्यवस्थित करना ।
5. समान प्रत्ययों के पहचान होने पर अधीनस्थ में प्रथम स्तर के ऊपर व्यवस्थित करना ।
6. समकक्ष, अधीनस्थ संप्रत्ययों के सहसंबंध को दिखाने के लिए रेखाचित्र, पिरामिड, संयोजक बनाना ।
7. समस्त मानचित्र विकसित होने पर कुछ विशिष्ट अधीनस्थ संप्रत्यय के चारों और घेरा बनाना ।
8. समस्त मानचित्र के चारों और कम से कम घेरे तथा मुख्य अधिगम बिन्दुओं का संतुलन इतिहास में ज्ञानात्मक मानचित्रण इसमें इतिहास की विषय वस्तु का उदाहरण लेते हुए मानचित्र बनाना ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या मे क्या अंतर है?
   What is the difference between syllabus and curriculum.?
2. पाठ्यचर्या के तत्व से आप क्या समझते है?
   What do you understand by curriculum?
3. संकल्पनाओं का मानचित्रण क्यों किया जाता है?

	Why is mapping of concept done?
4.	संकल्पनात्मक मानचित्रण को विकसित करने के सोपान कौन-कौन से है?
	What are the steps of development to concept mapping?
5.	इतिहास में किसी भी इकाई पर एक बिन्दू को विकसित करने के लिए मानचित्रण कीजिए।
	Develop one teaching point for mapping in History on any unit।
6.	पाठ्यक्रम विद्यार्थी की प्रगति के लिए अभ्यास का एक अवसर है, इसे शिक्षण की त्रिधुवीय प्रक्रिया में जो चर बताया गया, वह है........... ....(आश्रित चर)
	Syllabus/ Curriculum is a chance of practice for progress of a student, it is the three polar process of teaching, and curriculum is variable of ....type (Dependentvariable)
7.	पाठ्यक्रम की प्राप्ति का मुख्य आधार है.................... (विषय वस्तु)
	Main bases of achievement of curriculum is......... (Content)

4.5 संदर्भ ग्रन्थ (Reference)

1. शिक्षण की तकनीकी - ऑबराय
2. सामाजिक ज्ञान शिक्षण - शैदा एवं शैदा
3. शिक्षण के लिए आयोजन - जगदीश नारायण पुरोहित
4. Advanced methodology of teaching social science- E. Wesely
5. Bloom, Benjamin S. (1956) Taxonomy of Educational objectives the classification of educationsl coman N.Y. McKay.
6. Asinbel D. P. Navak and Hanesian 1978 Educational Psychology, A cognitive view 2nd edition N.Y. Holt, Rinchart and Wintson.
7. Dale, Edger: Audio Visual Methods in Teaching
8. Mohanty : Information Technology
9. Kochar S. K. : The Teaching of Civics
10. पी.के.सूद - विज्ञान शिक्षण, विनोद पुस्तक मंदिर ।

इकाई-5

शिक्षण पद्धतियों के उपागम, विषयवस्तु आधारित शिक्षण विधियाँ, नागरिक शास्त्र के शिक्षण कौशल

(Approaches of Teaching, Specific Illustraions of content based Methodology, Subject Specific Skill)

इकाई की संचरना (Structure of Unit)

5.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य (Aims and Objectives)

5.1 शिक्षण पद्धतियों के उपागम (Approaches of teaching Methods)

5.1.1 शिक्षण के उपागम की संकल्पना (Concept of teaching Approaches)

5.1.2 शिक्षण उपागम एवं शिक्षण पद्धतियाँ (Teaching Approaches and teaching methods)

5.1.3 नागरिक शास्त्र शिक्षण के उपागम एवं पद्धतियाँ (Approaches and teaching methods of Civics Teaching)

5.2 विषयवस्तु आधारित शिक्षण विधियाँ (Content based teaching Method)

5.2.1 नागरिक शास्त्र शिक्षण की प्रमुख विधियाँ (Specific illustrations of various Methods of Civics Teaching)

5.2.2 नागरिक शास्त्र विषय वस्तु के उदाहरणों सहित शिक्षण विधियों की विवेचना (Civics content based illustrations of various Methods of Civics Teaching)

5.3 नागरिक शास्त्र शिक्षण के कौशल (Skills for teaching civics)

5.3.1 शिक्षण कौशल की संकल्पना (Concept of teaching skill)

5.3.2 नागरिक शास्त्र शिक्षण के विभिन्न कौशल (Specific teaching skill for teaching civics)

5.4 सारांश (Summary)

5.5 अभ्यास प्रश्न (Excercise)

5.6 संदर्भ ग्रन्थ (Reference)

5.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य (Aims and Objectives)

इस इकाई की सम्प्राप्ति पर आप-

1. शिक्षण 'पद्धतियों एवं शिक्षण 'उपागम' का अर्थ बता सकेंगे ।
2. शिक्षण उपागम एवं शिक्षण पद्धतियों में परस्पर सम्बन्ध बता सकेंगे ।
3. नागरिक शास्त्र शिक्षण के उपागम एवं पद्धतियों की विवेचना कर सकेंगे ।
4. नागरिक शास्त्र की विषयवस्तु से उदाहरण सहित चयनित शिक्षण पद्धतियों की समीक्षा कर सकेंगे।
5. शिक्षण कौशल का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे ।
6. नागरिक शास्त्र शिक्षण के उपयुक्त शिक्षण कौशलों की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकेंगे ।

5.1 शिक्षण पद्धतियों के उपागम (Aims and Objectives)

शिक्षण 'अधिगम एवं अध्यापन का अनूठा संयोजन है । विषयवस्तु (Content) शिक्षक को शिक्षण के लिऐ आधार प्रदान करता है तथा विषयवस्तु के प्रस्तुतीकरण का माध्यम शिक्षण पद्धतियाँ होती हैं । किस विषयवस्तु के प्रस्तुतीकरण के लिये कौनसी पद्धति चुनी जाए इसका निर्णय शिक्षक को अनेक प्रकार से सोच विचार कर करना होता है । जैसे यदि एक अध्यापक की विषय का क्रियात्मक पक्ष प्रस्तुत करना है तो प्रयोग, प्रदर्शन और अवलोकन पद्धतियों का चयन कर सकता है ।

5.1.1 शिक्षण के उपागम की संकल्पना (Concept of teaching Approach)

वस्तुतः शिक्षण का प्रारूप विषय की प्रत्यक्ष व परोक्ष विशेषताओं, छात्रों, विषयवस्तु व परिवेश के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण और उपलब्ध विधियों व साधनों के चयन की उसकी वैचारिक या सम्प्रत्यात्मक आधारों के अभाव में कभी-कभी एक पद्धति के अन्तर्गत प्रयुक्त नीतियों या 'आव्यूहन' (Stretagoes) और युक्तियों (devices) में परस्पर ताल मेल नहीं होता, कभी कभी तो यह अन्तर्विरोधी भी होती है । दूसरी और शिक्षण उपागम वैचारिक सामंजस्य के कारण अनुदेशन को समग्रता पूर्ण (Totality) तार्किक आधारित से अग्रेसर करती है ।

एक शिक्षण उपागम में अनेक शिक्षण पद्धतियां को समाहित करते हुए 'अनुदेशन-प्रारूप प्रस्तुत किये जा सकते है ।

शिक्षण या अनुदेशन उपागम ऐसी, सुविचारित और व्यवहारिक संकल्पना है जिसका ताना-बाना अनुदेशनात्मक उद्देश्यो (IOS) की सम्प्राप्ति हेतु शिक्षण कार्यो और प्रक्रियाओं (Teaching & Process) के विवेकपूर्ण संचालन हेतु निर्मित किया जाता है ।

शिक्षण उपागम की कतिपय विशेषताएँ -

- शिक्षण उपागम ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर आधारित है - जिनमें छात्रों को अधिगमकर्ता के रूप में सहभागी बनाया जाता है ।
- शिक्षण -अधिगम के लिये उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करने और शिक्षक की भूमिका के निर्धारण में संशैक्षिकी के सिद्धान्तों (Pedological) का अनुसरण होता है ।
- उपागम केवल मनोवैज्ञानिक और संशैकीय दृष्टिकोण ही निहित नहीं होते वरन् दार्शनिक, समाजशास्त्रीय और तर्कशस्त्रीय दृष्टिकोण भी उपागम की पृष्ठभूमि में निहित होते है ।

नागरिक शास्त्र के प्रमुख उपागम (Main Approaches of teaching civics) - शिक्षण में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों के प्रभाव के साथ - साथ अनेक उपागमों का प्रयोग हुआ है ।

जॉन डीवे (Dewey) एवं हरबार्ट (Herbert) ऐसे दार्शनिक मनोवैज्ञानिक व शिक्षाशास्त्री रहे है जिन्होंने शिक्षण प्रक्रिया को नवीन दृष्टि प्रदान की हैं इन्हे उपागम योजनाओं का सूत्राधार भी कह सकते है ।

1. हरबार्ट की पंचपदीय तपागम (Hearbarion Five-Steps Approach)-हरबार्ट (1776-1841) ने पाठयवस्तु के प्रस्तुतीकरण पर अधिक बल दिया है । इस उपागम का मानना है कि नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ समायोजित करने सै बालक के लिए अधिगम की क्रिया सरल हो जाती है । नवीन ज्ञान व्यवस्थित, क्रमबद्ध ढ़ंग से ही बालक के समझ प्रस्तुत किया जाना चाहिए । इस उपागम को हरबार्ट के पंचपदीय उपागम के नाम से भी जाना जाता है ।

इसमें पूर्वज्ञान से संम्बंद्ध शिक्षण क्रमबद्ध, व्यवस्थित, व समन्वय या समवाय के सिद्धांत पर आधारित होता है इस उपागम में शिक्षण के सूत्रों व सिद्धान्तो को ध्यान में रखा जाता है । अर्जित ज्ञान का मूल्याकन करने की भी समुचित व्यवस्था है किन्तु १स उपागम मे कुछ दोष हैं जिससे इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्ये में प्रभावी नहीं कहा जा सकता है ।

प्रथम: इस उपागम में शिक्षक की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है व बालक की भूमिका गौण होती है ।

द्वितीय: यह ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति पर प्रतिबल देती है । माध्यम से अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों की समप्राप्ति को महत्व देने का व्यापक प्रचलन हो चुका है ।

हरबार्ट का प्रसंज्ञान (Appereception) यह सिद्धान्त बहुत चर्चित रहा है । यह सिद्धान्त नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से । सम्बद्ध करने पर अधिक बल देता है । इसी कारण हरबाट की । पंचपदी में पूर्व ज्ञान का पद महत्वपूर्ण स्थान रखता है । इस उपागम से पाठ नियोजन के निम्न पद (Steps) होंगे-

> **ABOUT HERBART'S 'APPERCEPTION'**
>
> *Apperception – Proceas of recognizing relationships between a way to understand the things more clearly. It is to find relationship between facts and one's previously existing knowledge. dictionary of Behavioural Science, ed. Woolman – 1973.*

1. **प्रस्तावना (Introduction)**
2. **प्रस्तुतीकरण (Presentation)**
3. **तुलना (Comparision)**
4. **सामान्यीकरण (Generalisation)**
5. **अनुप्रयोग (Application)**

2. जीन डीदे का परावर्ती चिन्तन उपागम (Reflective thinking approach of John Dewey) - जॉन डीवे (1933) ने शिक्षण को जीवन से सम्बद्ध किया है । शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में सामाजिक और नागरिक कुशलताएँ विकसित करते हुए प्रभावी सामाजिक जीवन जीने योग्य बनाना है । डीवे के शिक्षण उपागम में छात्र एक चिन्तनशील, सक्रिय और अनुभवों के सृजन में सक्षम सामाजिक प्राणी है जो निरन्तर उपयोगी अनुभवों का निर्माण और पुर्ननिर्माणकर्त्ता है ।

डीवे के शिक्षण उपागम के आधार-

1. छात्र अनुभवों का सृजनकर्त्ता स्वयं हैं । वह अनुभवों का केन्द्र है ।
2. उसके अनुभवों के आधार पर स्व-क्रियाशीलता है ।
3. वह सोच सकता है कि उसकी सक्रियता और अर्जित अनुभवों की क्या उपादेयता है एवं उनमें निहित मूल्य (Values) क्या है । निरन्तर अनुभवों को सृजन और पुनः सृजन (Construction and recnstitution of experiences) की प्रक्रिया से परावर्ती चिंतन उदीप्त होता है । इस प्रकार अन्तःक्रिया सत्रों में अध्यापक की महत्त्वपूर्ण भूमिका है, जिसे बिन्दुवार नीचे दिया गया है-

3. व्यवहारवादी अनुदेशन उपागम (Behaviouristic Approach) -व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक अधिगम की व्यवहारगत परिवर्तन' के रूप में विवेचना करते है व्यवहार के विश्लेषण और क्रिया विशेषणों के माध्यम से प्रत्यक्षीकरण द्वारा शिक्षण अधिगम को नियंत्रित, मापनीय और वस्तुनिष्ठ आधार प्रदान किये जा सकते है । थार्नडाइक के सीखने के नियम स्किनर के सक्रिय अनुबन्धन (Operant conditioning) सिद्धान्त शिक्षण अधिगम की व्यवहारवादी उपागम के आधार है । अभिक्रमित अनुदेशन (Programe Instruction) इस उपागम की देन है।

इसी उपागम को बी.एस.ब्लूम (B.S. Bloom) ने मूल्यांकन उपागम के रूप में विकसित और प्रचलित किया मेगर (Mager) ने विषय वस्तु से जोड़ा और फ्लेण्डर (Flander) ने इसे शिक्षण के अवलोकन के अन्त: क्रिया प्रतिमान (Interaction Model) में अपनाया ।

4. मूल्यांकन उपागम (Evaluation Approach) - शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रतिपादन बी. एस. म्हम ने किया था । मूल्यांकन उपागम के अन्र्तगत शिक्षा को एक उद्देश्य प्रक्रिया माना जाता है, अर्थात शिक्षण व प्रशिक्षण की सम्पूर्ण क्रियायें उद्देश्य केन्द्रित होती है । इस उपागम का क्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक है इसमें मूल्यांकन छात्रो की निष्पत्ति (Achievement) तक ही सीमित नहीं होता वरन् इसमें बालक के सम्पूर्ण व्यवहार, शिक्षण प्रक्रिया, विधि, प्रविधि, उपकरण व उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई यह जाँच भी की जाती है । बी.एस.ब्लूम ने शिक्षण को त्रिपदी प्रक्रिया (Tripolar Process) माना है ।

सीखने के अनुभव में वह सभी साधन सम्मिलित होते है, जिनकी सहायता से शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है ।

प्रत्येक अधिगम अनुभव का चयन उद्देश्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है । उच्च स्तरीय अधिगम प्रक्रिया में ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक अनुभव प्रस्तुत किये जाते है ।ये तीन पद है -

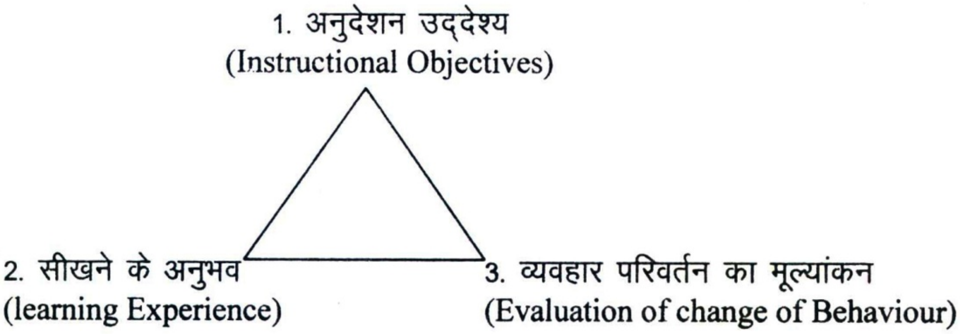

1. अनुदेशन (Formulation of Instructional objectives) - शैक्षिक क्रियाओं के व्यवस्थित रूप से क्रियान्वयन के लिए शिक्षक शैक्षिक उद्देश्य को निर्धारण करता है । शैक्षिक उद्देश्यो से आशय- ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक पक्षों के आधार पर बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन । शैक्षिक उद्देश्य के निर्धारण पर ही शैक्षिक प्रक्रिया की सफलता निर्भर करती हैं अत: निर्धारण करते समय शिक्षक को निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखना चाहिए -

(1) उद्देश्य का निर्धारण करते समय कक्षा कक्ष में **वैयक्तिक विभिन्नताओं** को ध्यान रखना चहिए ।

(2) **विषय वस्तु** का चयन शैक्षिक स्तर, **बालकों** के मानसिक, बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए ।

(3) उद्देश्य का निर्धारण **विषय की प्रकृति** पर किया जाना चाहिए । जिसके आधार पर ही ज्ञानात्मक भावात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्य का निर्धारण किया जा सकता है ।

(4) उद्देश्य का निर्धारण **परिस्थिति, देश, काल, समाज की मांग** व आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए ।

शैक्षिक उद्देश्य के निर्धारण के पश्चात् ही उन्हें व्यवहारिक रूप में लिखा जाना चाहिए ।

2. सीखने के अनुभव (Learning Experience) - इस उपागम में शिक्षक का यह दायित्व है कि वह शिक्षक के अर्न्तगत ऐसी विधियों, प्रविधियों का चयन करें जिसमें छात्र सक्रिय रहकर वाँछित अनुभव प्राप्त कर सकें । सम्पूर्ण क्रिया के बाद शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति की सम्भव हो । सीखने के अनुभव में वह सभी साधन सम्मिलित होते है, जिनकी सहायता से शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है । प्रत्येक अधिगम अनुभव का चयन उद्देश्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है । उच्च स्तरीय अधिगम प्रक्रिया में ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक अनुभव प्रस्तुत किये जाते है ।

3. व्यवहार परिवर्तनों का मूल्यांकन (Evaluations of change of Behaviour) - शिक्षण की प्रक्रिया में सीखने के जो अनुभव प्रदान व प्राप्त किये जाते है, उनके द्वारा छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाये जाते है । इन व्यवहार परिवर्तनों की प्राप्ति शैक्षिक उद्देश्य व वाँछनीय उद्देश्य के अनुरूप हुई अथवा नहीं इसके लिए मूल्यांकन कार्य किया जाता है । सम्पूर्ण व्यवहारगत सपरिवर्तनो का मूल्यांकन करने के लिए उद्देश्य के अनुरूप मूल्यांकन उपकरण प्रयुक्त किये जाते है । उदाहरणार्थ -

ज्ञानात्मक परीक्षण हेतु (cognitive) - परीक्षा (मौखिक, परीक्षण, उपकरण, लिखित, वस्तुनिष्ठ, निबन्धात्क निरीक्षण व साक्षात्कार)

भावात्मक परीक्षण हेतु (Affective) - अभिरुचि, अभिवृत्ति उपकरण एवं परीक्षण ।

क्रियात्मक परीक्षण हेतु (Conatiue)- क्रिया निष्पादक, प्रायोगिक परीक्षण

4. प्रणाली उपागम (Systems Approach) - प्रणाली उपागम विशिष्ट रीति से संचालित कार्य व्यवस्था है जिसमें परस्पर सम्बद्ध एक दूसरे पर आश्रित तत्वों की क्रमबद्धता से प्रयुक्ति होती है ।

प्रणाली उपागम एक वैज्ञानिक संकल्पना है । जिस प्रकार हमारे पाचन संस्थान में विभिन्न अंग मिलकर भोजन के पोषक तत्वों को शरीर में ग्रहण करते है और निरर्थक प्रदार्थो को निर्गत कर देते है- उसी प्रकार शिक्षण प्रणाली में निश्चित प्रक्रिया द्वारा विभिन्न स्तरों पर ऐसे

कार्यो का संयोजन किया जाता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्य की सम्प्राप्ति हो सके । प्रणाली समग्र रूप से कार्य करती है । उदाहरणार्थ एक घड़ी के कल पुर्जे अलग अलग रूप से 'घड़ी' का कार्य नहीं कर सकते किन्तु एक निश्चित प्रणाली से एक दूसरे के साथ जुड़ने पर ही समय दिखाने का कार्य करते है उसी प्रकार शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त विभिन्न कार्य विशेष रूप से व्यवस्थित होने पर ही अधिगम उद्देश्य की पूर्ति करते है । प्रणाली उपागम की कार्य-प्रक्रिया को निम्न प्रदर्श द्वारा दर्शाया जा सकता है

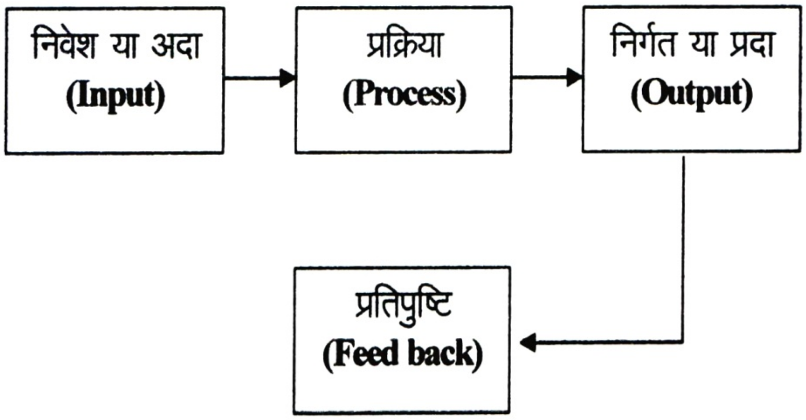

प्रणाली का क्रियात्मक प्रतिमान (Functional Model of a System) - शिक्षण प्रणाली उपागम के विभिन्न अंग या अवयवों मे अध्यापक, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियाँ या प्रविधियाँ, शिक्षण परिवेश, मूल्यांकन की प्रक्रिया आदि हो सकते है । शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ये सभी 'अदा' या निवेश के रूप में अधिगम के परिणामो की प्रक्रिया (Process) का अनुसरण करते है ओर प्रदा' या 'निर्गत' के रूप मे अधिगम के परिणामों की समीक्षा करते हैं । परिणाम अपेक्षित स्तर के है या नही हे इसका निदान (Diagnosis) किया जाता है या जँचा जा सकता है और प्रतिपुष्टि के आधार पर आवश्यकतानुसार 'अदा', 'प्रदा' या वातावरण मे संशोधन/उपचारात्मक उपक्रम अपनाए जा सकते है । इस प्रकार सक्रिय प्रणाली को उक्त प्रदर्श द्वारा स्पष्ट किया जा सकता हैं ।

5.1.2 शिक्षण उपागम एवं शिक्षण पद्धतियौ (Teaching Approaches and teaching methods) - "शिक्षण पद्धति एक ऐसा व्यापक प्रक्रम है, जिसका चयन शिक्षक अपनी सूझ-बूझ से कला की स्थिति, विषय-वस्तु की मांग एवं उपलब्ध साधनों के आधार पर शिक्षण उद्देश्य की सम्प्राप्ति हेतु करता है ।"

शिक्षक शिक्षण कार्यो के विश्लेषण (Task Analysis) द्वारा अधिगम अनुभवों (Learning Experience) का चयन करता है । शिक्षण विधियों इन अधिगम अनुभवों की संवाहक (Carrier of Learning Experience) हैं । शिक्षण के उद्देश्य, विषय-वस्तु शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य सम्प्रेषण कड़ी (Communication Link) का कार्य करती है । शिक्षण विधि या पद्धतियाँ अपने आप में साध्य' नहीं अपितु साधन' है ।

ई.एस.बैस्ले के अनुसार- 'शिक्षा में शिक्षण पद्धति शब्द शिक्षक निर्देशित उस गतिविधि की श्रृंखला को कहते हैं । जिनका परिणाम छात्र-अधिगम के रूप में निकलता है ।"

"In education the word Method ′ indicates a series of teacher directed activities that result in learning by the pupils. ″ -E.S. Wesely

'हरबर्ट वाड एवं फ्रेंक रोस्को के अनुसार - "शिक्षक पद्धति के अन्तर्गत शिक्षण की व्यवस्थित प्रणाली और विषय-वस्तु की क्रमबद्ध प्रस्तुति का समावेश होता है । इसके प्रयोग द्वारा शिक्षण में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं होता है और जिसके द्वारा छात्रों का शिक्षण और अधिगम में सम्पूर्ण सहयोग प्राप्त करने और उनकी सक्रिय अभिरुचि बनाए रखने पर विशेष बल होता है ।"

Teaching method includes orderly procedure in teaching, an arrangement of subject matter which will avoid waste in time and energy and distribution of emphasis which will secure the greatest cooperation for the pupils and maintain their active interest.

इस प्रकार **'विषय-वस्तु को स्पष्ट करने, शिक्षण और अनुदेशन को बास्तविक बनाने शिक्षण-अधिगम को सुग्राहय बनाने और शिक्षक और छात्रों को अधिगम प्रक्रिया से जोड़ने हेतु शिक्षण विधियाँ सेतु का कार्य करती है ।"**

जोसेफ कालान और लियोनार्ड एच. क्लार्क के अनुसार -ये शिक्षक के आवश्यक उपकरण हैं ।

(........ ″ To make things claear, to make instruction real, to spice up the teaching learning process and to make it possible for pupils to teach themselves. It is impossible. Teach without some tools ″

-Callahan & Clark)

शिक्षण उपागम एवं शिक्षण पद्धतियाँ क्यों? (why teaching approaches and Methods?)

- अधिगम-अनुभव-सम्प्राप्ति हेतु (To achieve learning experiences)
- अधिगम प्रक्रिया को सरस बनाने हेतु (learning fun or Interesting)
- उपलब्ध समय और साधनों के सर्वश्रेष्ठ उपयोग हेतु (Best utilization of time and resources)
- शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को व्यवस्थित करने हेतु (Systematisatin the process of teaching & learning)
- विषय-वस्तु, शिक्षक और छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में परस्पर जोडने हेतु (Communicating line between the content, teacher and student)
- अधिगम स्थितियों के प्रभावी निर्माण हेतु (To create effective learning teaching situations)
- शिक्षक को शिक्षण के लिये तैयार करने हेतु ये समुचित उपकरण है । (Equip the teacher with teaching tools)

- विषय की आवश्यकता के आधार पर उसकी उपयुक्त प्रस्तुति की प्रक्रिया अपनाने हेतु (Proper treatment of the subject matter)
- छात्र-सहभागिता की प्राप्ति हेतु (To seek participating learning)

उत्तम शिक्षण विधि या उपागम का चयन कैसे करें? - शिक्षक को अनेक शिक्षण पद्धतियों और उपागमों के विकल्प उपलब्ध है । वह इनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हुए शिक्षण करने में स्वतन्त्र हे । एक उत्तम विधि या उपागम को शिक्षण का माध्यम बनाने से पूर्व शिक्षक को निम्न पक्षों पर विचार करना चाहिए -

(1) अनुदेशी उद्देश्य (Instructional Objective) - अनुदेशन के उद्देश्य का स्वरूप व स्तर, अर्थात ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यदि व्याख्यान पद्धति उपयुक्त होगी तो भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रायोजना मस्तिष्क मन्धन या रोल प्ले का प्रयोग किया जा सकता है । उच्च स्तरीय चिन्तन पूर्ण विश्लेषण, संश्लेषण आदि उद्देश्य की पूर्ति हेतु समस्या विधि उपयुक्त होगी तो कौशलों के विकास हेतु प्रदर्शन ।

(2) विषय-वस्तु (Subject matter) - किसी भी शिक्षण पद्धति का चयन विषय-वस्तु में निहित तत्व (elements) के आधार पर करना चाहिये । तथ्यों के शिक्षण हेतु जहाँ व्याख्यान, पर्यवेक्षित अध्ययन और पाठ्यपुस्तक जैसी विधियाँ प्रयुक्त हो सकती है वही सम्प्रत्यय शिक्षण हेतु विश्लेषण संशलेषण पर आधारित विमर्शी चिंतन' अधिक अपयुक्त है । सामाजिक मुद्दो व समस्याओं से जुड़े विषय की प्रस्तुती समस्या समाधान द्वारा और समूह अन्तःक्रिया वर्गो द्वारा हो सकती है ।

(3) संसाधनों की उपलब्धता (Availabilty of resources) - अनुदेशन विधा का चयन इस बात पर भी निर्भर है कि भवन, फर्नीचर, द्रश्य-श्रव्य साधन, समय-साधन, सामुदायिक' संसाधन, धन आदि की कितनी उपलब्धता है ?

(4) कक्षा का आकार (Size and number of students in the class) - कक्षा में छात्रो की संख्या भी विधि-चयन का आधार होती है । बड़ी कक्षा को एक साथ अनुदेशन देने हेतु व्याख्यान, पैनल चर्चा. सम्मेलन आदि उपयुक्त है तो छोटी कक्षा हेतु परिचर्चा, रोल प्ले. प्रायोजना आदि उपयुक्त है ।

नागरिक शास्त्र शिक्षण में पूर्व ज्ञान के आधार पर तुलनात्मक प्रस्तुतीकरण एवं सामान्यीकरण के साथ अनुप्रयोग आवश्यक है ।

इस प्रकार नागरिक शास्त्र शिक्षण को नियोजित, व्यवस्थित, और तार्किक क्रम में संयोजित करने की दिशा में **हरबार्ट** का उपागम उपयोगी है ।

इस प्रकार शिक्षण उपागम में शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया के व्यवस्थित, तार्किक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक व सामाजिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए एक समग्र शिक्षण - अधिगम प्रणाली निरूपित की जाती है । शिक्षण उपागम शिक्षण पद्धतियों को आधार प्रदान करते है ।

सारांश - शिक्षण का मूल उद्देश्य शिक्षार्थी की अधिगम प्रक्रिया को सक्रिय करते हुए अपेक्षित अनुदेशन उद्देश्य को सम्पादित करना है । इसके लिये अनेक उपायों को अपनाया जाता है । विषयवस्तु छात्र और अधिगम वातावरण की विशेषताओं के अनुरूप ही शिक्षण प्रारूप तैयार किया जाता है । शिक्षण का प्रारूप विविध मनो-सामाजिक आधारों पर तैयार किया जाता हैं ।

शिक्षण उपागम एक ऐसा ही व्यवस्थित एवं सुविचारित उपाय है जिसमें शिक्षण आव्यूहन, (stretagies of teaching) शिक्षण पद्धतियों (teaching methods) अनुदेशन प्रारूपों (omdytsvyos sesigns) का इस प्रकार संयोजन होता है कि परिस्थितयों और आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण - अधिगम प्रक्रिया संचालित हो सके ।

शिक्षण पद्धतियों को छात्रों से विषयवस्तु को जोड़ने वाला सेतु माना जाता है । विभिन्न शिक्षण पद्धतियाँ शिष्या उपागमों से इस अर्थ में भिन्न है कि शिक्षण उपागमों का आधार कोई न कोई विचारात्मक सम्प्रत्यय' अवश्यमेव होता है ।

5.1.3 नागरिक शास्त्र शिक्षण के उपागम एवं पद्धतियाँ (Approaches and teaching method of Civics Teaching) - नागरिक शास्त्र मूलत: प्रजातान्त्रिक संकल्पना को सुदृढ़ करने वाला विषय है । प्रजातन्त्र में जिस प्रकार 'व्यक्ति' महत्त्वपूर्ण इकाई है, शिक्षण में उसी प्रकार 'छात्र' एक महत्त्वपूर्ण इकाई है । शिक्षण प्रक्रिया में कौन अधिक प्रभावी (Pedominates) भूमिका का निर्वाह करता है इस आधार पर शिक्षण पद्धतियों को निम्न तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

(i) शिक्षक केन्द्रित शिक्षण पद्धतियाँ (Teacher Centered Methods)
(ii) छात्र-केन्द्रित शिक्षण पद्धतियाँ (Pupil Centered Teaching Method)
(iii) समूह केन्द्रित शिक्षण पद्धतियाँ (Group Centered Teaching Methods)

(i) **छात्र केन्द्रित शिक्षण पद्धतियाँ** - छात्र केन्द्रित शिक्षण पद्धतियों में छात्र अधिगम अनुभवों के सृजन में व्यक्तिशः प्रत्यक्ष रूप में सक्रियता से सलंग्न होता है । आत्म निर्भर छात्र केन्द्रित पद्धतियों में स्व निर्देशित विधियाँ (Self instructional Methods) जैसे - अभिक्रमित अनुदेशन, प्रायोगिक कार्य, स्वाध्याय व पुस्तकालय-कार्य, दत्त-कार्य, प्रायोजना आदि हो सकते हैं ।

(ii) **समूह-केन्द्रित शिक्षण पद्धतियाँ** - इस वर्ग में ऐसी शिक्षण पद्धतियाँ हो सकती हैं जिनमें शिक्षण-अधिगम का स्त्रोत छात्र समूह होता है । अर्थात् अधिगम क्रिया परस्पर अन्त: क्रियाशील समूह (Mutually Interacive Group) द्‌वारा संचालित होती है ।

(iii) **शिक्षक केन्द्रित शिक्षण पद्धतियाँ** (Teacher Centered Teaching Methods) - इन पद्धतियों में शिक्षक की केन्द्रीय भूमि का होती है ।

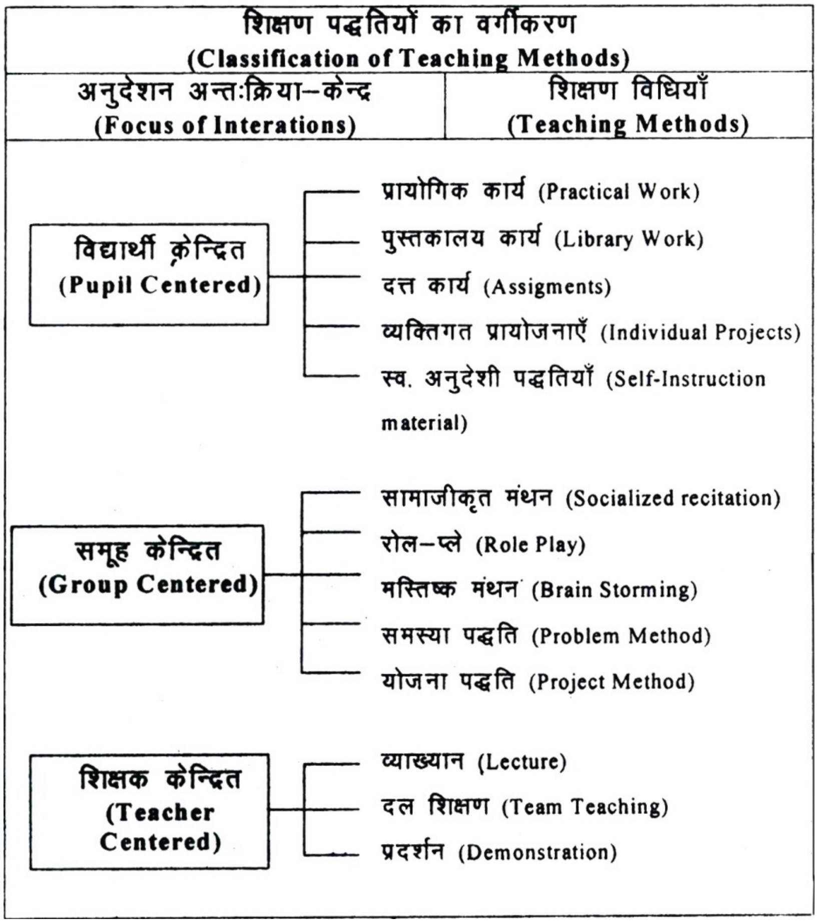

5.2.1 नागरिक शास्त्र शिक्षण की प्रमुख विधियाँ

(Selected Methods of Teaching Civics with Content Based Example)

5.2.1. व्याख्यान पद्धति

(Lecture Method)

नागरिक शास्त्र विषय वस्तु की अवधारणाओं सिद्धातों को कम समय में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने हेतू व्याख्या एक उपयुक्त विधि है । एक-पक्षीय सम्प्रेषण (one way Communication) विधा है । अर्थात् अध्यापक से विषय वस्तु का मौखिक ज्ञान छात्रों की ओर प्रवाहित होती है । छात्र श्रोता के रूप में आवश्यकतानुसार 'नोट्स' ले लेते हैं, समस्याओं की सूची बनाते हैं, प्रश्न पूछते हैं और व्याख्यान समापन के पश्चात् चर्चा भी करते हैं । शिक्षक अपने व्याख्यान को रुचिकर बनाने के लिए अनेक युक्तियाँ प्रयुक्त बरता है तथा छात्रों से अन्तःक्रिया स्थापित करते हुए दो-तरफा सम्प्रेषण (two way Communication) भी स्थापित कर सकता है । अत: आज व्याख्यान कोरी मौखिक पद्धति ही नहीं वरन् एक ऐसी सशक्त शिक्षण पद्धति है जिसमें सूचनाओं को संगठित रूप से छात्रों को प्रस्तुत किया जाता है और जो एक बड़ी कक्षा में अधिक छात्रों को पर्याप्त विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु उपयुक्त विधा है ।

रिस्क (Risc) के अनुसार - "व्याख्यान उन तथ्यों, सिद्धान्तों तथा संबंधो को स्पष्ट करता है जिनको अध्यापक चाहता है कि उसको सुनने वाले समझें ।"

बाइनिंग और बाइनिग (Binning & Binning)- के अनुसार, "व्याख्यान एक मात्र ऐसी व्यावहारिक विधि है तो बड़ी मात्रा में कक्षा-शिक्षण में प्रयोग होती है और जिससे पाठ्यपुस्तक का एक निश्चित अवधि में मितव्ययता के साथ प्रस्तुतिकरण संभव होता है ।"

जेम्स ली (James Lee) के अनुसार - "व्याख्यान एक शिक्षण शास्त्रीय विधि है जिसमें शिक्षक औपचारिक रूप से, नियोजित रूप से, किसी प्रकरण पर 'प्रबन्धन' करता है ।

व्याख्यान के पद (Steps of Lecture) -व्याख्यान पद्धति के आम तौर पर दो पदों का अनुसरण होता है-

1. व्याख्यान नियोजन (Planning)
2. व्याख्यान प्रस्तुति (Delevery)

1. व्याख्यान नियोजन (Planning of lecture) - नागरिक शास्त्र शिक्षण में व्याख्यान का नियोजन आवश्यक है । शिक्षक को व्याख्यान नियोजन में निम्न पूर्व-तैयारी को अंजाम देना आवश्यक है–

1. अनुदेशनात्मक उद्देश्य का निर्धारण (Instructional objects)
2. विषय-वस्तु का निर्धारण (Selection of content)
3. दृश्य-श्रव्य सामग्री का चयन (Audio- Visual aids)
4. कक्षा-अन्त:क्रिया के स्वरूप का निर्धारण (Interaction mode)
5. पृष्ठ-पोषण (Feed-back mechanism)
6. अन्य युक्तियों का चयन (Selecting Otherdevices)
7. आवश्यक सामग्री की व्यवस्था (Planning Logistics)

नियोजित व्याख्यान प्रस्तोता (Lecture) के आत्म विश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि करता है । अनेक छात्रों के चहेते व्याख्याता तो व्याख्यान के दौरान कुछ चुटकुले, शेरोशायरी के अंश, कविता की पंक्तियाँ, लोक आदि का समुट भी नियोजित करते हैं ताकि व्याख्यान रूचिप्रद एवं खुशनुमा (Humerous/Intersting) बना रहे

व्याख्यान हेतु आवश्यक कौशल (Skills involved in Lecturing)'

1. उद्दीपन परिवर्तन (Stimulus variation)
2. व्याख्या कौशल (Explaination Skill)
3. द्रश्य-श्रव्य सामग्री के प्रयोग का कौशल (Use of Audio- Visual aids)
4. विषय वस्तु विश्लेषण कौशल (Skill of content anslysis)
5. पुनर्बलन कौशल (Skill of reinforcement)
6. द्रश्य-श्रव्य साधनों का प्रयोग (Use of Audio- Visual aids)
7. उदाहरण सहित व्याख्या (Decribation for Example)

ब्राऊन (Brown) के अनुसार - "यदि व्याख्यान का ढाँचा भली प्रकार तैयार किया जाये तो उसकी प्रभाविता बढ़ जाएगी । जैसे संगीत की कुंजियों को आगे-पीछे करने से पूरी थीम ही

बदल जाती है वैसे ही विषय के मूल बिन्दुओं को सही क्रम में न रखा जाए तो सम्पूर्ण प्रभाव ही बिगड़ जाएगा ।"

("Just by changing the order of keys in Music, one can provide variations upon the theme, changing order of keys points results in a different structure of a Lecture.")

नागरिक शास्त्र शिक्षण में व्याख्यान पद्धति के गुण (Merit of Lecture Method in Civics Teaching)

1. शिक्षक अपने प्रत्यक्ष प्रभाव से छात्रों की ग्राहमयता के स्तर में वृद्धि कर सकता है ।
2. कम समय में अधिक विषयवस्तु की प्रस्तुति सम्भव,
3. पाठ्य वस्तु संगठन के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित,
4. छात्र-समस्याओं का तुरन्त समाधान सम्भव,
5. कम खर्चीली प्रणाली, कम साधनों से शिक्षण सम्भव,
6. विद्यार्थी की सुनकर समझने की आदतों का विकास,
7. प्रस्तुत पाठ्यवस्तु का उच्च गुणात्मक स्तर
8. ज्ञानात्मक पहलुओं के प्रशिक्षण हेतु श्रेष्ठ विधा,
9. अच्छे व्याख्यान से प्रत्यक्ष: छात्र अन्त: क्रियाओं की, एकाग्रता के नोट्स लेने और प्रश्नोत्तर आदि कुशलताओं का विकास होता है ।
10. एक ही विषय पर विभिन्न रूप से चिन्तन करने, भिन्न-भिन्न पहलुओं से विचार करने की अन्त:दृष्टि का विकास ।
11. उच्च कक्षाओं के शिक्षण की सर्वाधिक सुगम विधि ।

व्याख्यान पद्धति की सीमाएँ (Limitation of Lecture Method) -

- यह एक तरफा सम्प्रेषण विधि है जिसमें शिक्षण-अनुदेशन के द्वि-पक्षीय एवं त्रि-पक्षीय सिद्धान्तों की पूर्ति नहीं होती ।
- व्याख्यान का केन्द्र-बिन्दु (focal-point) शिक्षक है न कि छात्र, जिसमें शिक्षक ज्ञान उड़ेल देता है । विद्यार्थी के द्वारा कितना ग्रहण किया गया है, इस पर विशेष बल नहीं है? इसी कारण इसे शिक्षण उड़ेलने वाली प्रणाली (Pouring in method) कहा जाता है।
- एक स्तर पर पहुँचते-पहुँचते व्याख्यान नीरस लगने लगता है । कक्षा का वातावरण भी निष्क्रिय होने का अंदेशा रहता है ।
- यह सुनने' पर आधारित विधा है जिसमें छात्र अवधान (Concentration) और अधिगम सीमित ही रह पाता है ।
- माध्यमिक और निम्न माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के अनुपयुक्त विधा है ।
- कमजोर छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है ।
- लम्बे समय तक, कई कालांशों तक व्याख्यान करना शिक्षक की कार्यक्षमता एवं गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालता है ।

- प्रभावी व्याख्यान हेतु उपयुक्त प्रदर्शन-सामग्री (या प्रोजेक्टर, चार्ट. मानचित्र) और सन्दर्भ पुस्तकें सामान्यत: सभी विद्यालयों में उपलब्ध नहीं होती । इससे व्याख्यान की समुचित पूर्व तैयारी और प्रस्तुतीकरण स्तरीय नहीं बन पाता ।
- विषय के सभी पक्षों के शिक्षण हेतु यह विधा अनुपयुक्त है । कौशल प्रशिक्षण, प्रायोगिक कार्य और क्रिया-प्रधान विषय इसके माध्यम से प्रस्तुत नहीं किये जा सकते ।
- सभी शिक्षक अच्छे व्याख्यान प्रस्तोता नहीं हो सकते ।

5.2.2 विचार-विमर्श पद्धति
(Discussion Method)

नागरिक शास्त्र विषय का प्रजातान्त्रिक आधार पर स्पष्ट करने हेतु विचार-विमर्श प्रमुख पद्धति है । **जेम्स एमली**. के अनुसार, 'वादानुवाद या विचार विमर्श एक सामूहित शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक तथा छात्र सहयोगी के रूप में किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं।"

(" Discussion is an educational group activity in which the teacher and the student cooperatively talk over some problem or topic ") **(James.M.Lee)**

बाइनिंग और बाइनिंग ने विचार-विमर्श पद्धति को समाजीकृत अभिव्यक्ति (Socialized recepation) का ही एक रूप माना है । उनके अनुसार, "समाजीकृत अभिव्यक्ति को समाजीकृत विचार-विमर्श भी कहा जाता है । कोई भी कक्षा सत्र जो एक वर्ग के रूप में सामूहिक चेतना तथा वैयक्तिक उत्तरदायित्व का प्रदर्शन करे, समाजीकृत अभिव्यक्ति है ।

(" Disscusion may be also called sociallized recition-----------Any class session that exhibits group Consciousness and the feeling of individual responsibility towards the group is a socialized recitation ") **(Binning & Binning)**

क्लार्क ने विचार-विमर्श का विश्लेषणात्मक अर्थ प्रस्तुत किया है । उनके अनुसार- विचार-विमर्श व्यक्तियों का अहम्-भाव प्रदर्शित करने हेतु बातचीत करना भी नहीं है और न ही अपने दृष्टिकोण को दूसरों पर लादना ही है । वास्तविक रूप से न तो यह 'भाषण' ही है न ही 'अभिव्यक्ति मात्र ।

(" A discussion is not a place for one person to treat his ego by dominating the conversation, nor in the place for one person to sell his own point of view. Discussion is not another name of lecture or recitation ") **(Clark)**

टामस एम. रिस्क ने संक्षेप में "अध्ययन की जाने वाली समस्या या प्रकरण में निहित सम्बन्धों के विचारशील विवेचन" को विचार-विमर्श की संज्ञा दी है ।

विचार-विमर्श सत्र का आयोजन कैसे करें?

(How to organizes Discussion & Session?)

मूलत: विचार विमर्श प्रक्रिया निम्न संकेत के रूप में समझी जा सकती है -

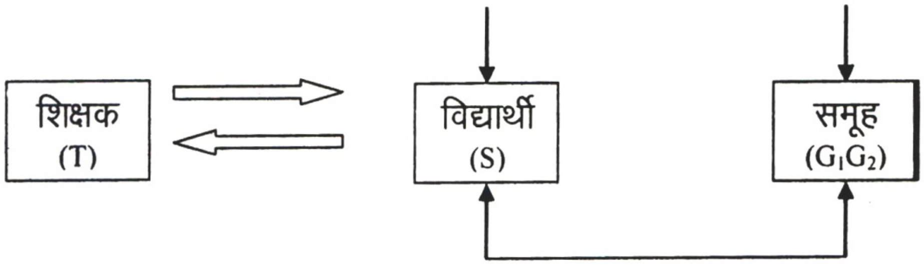

वैस्ले (E. S. Wasley) ने विचार-विमर्श के आयोजन के तीन स्तर बताए हैं -

(I) तैयारी (Preparation) - (i) वादानुवाद आयोजन (Conducting of discussion)

(ii) विचार-विमर्श का मूल्यांकन (Evaluation)

विचार विमर्श की तैयारी - विचार-विमर्श सत्र आयोजन से पूर्व निम्न तैयारी करना आवश्यक है -

(1) समूहों का गठन

(2) बैठक व्यवस्था,

(3) विचार-विमर्श योग्य विषय का चयन

नागरिक शास्त्र में विचार-विमर्श हेतु कतिपय मुद्दे (issues) या प्रकरण के उदाहरण -

1. स्वस्थ जनमत निर्माण में टीवी. की भूमिका/मीडिया की भूमिका
2. भारतीय प्रजातन्त्र के दोष
3. भारतीय प्रजातन्त्र की उपलब्धियाँ
4. नागरिकों को कर्त्तव्य-पालन की प्रेरणा कैसे दी जाए?
5. आज के भारत में जाति-प्रथा का औचित्य?
6. वर्तमान शिक्षा नीति कैसी हो?
7. समान नागरिक संहिता क्यों?
8. महिला आरक्षण क्यों?
9. शिक्षा का मौलिक अधिकार
10. भारत-पाक सम्बन्ध

उक्त विषय संकेत मात्र है । नागरिक शास्त्र से सम्बद्ध अद्यतन प्रश्नों, मुद्दों और विषयों पर यथा आवश्यकता विचार-विमर्श-सत्र आयोजित होने चाहिए ।

विषय का चयन कैसे हो -

1. छात्रों द्वारा विचार-विमर्श के प्रश्न उठाए जा सकते हैं ।
2. अध्यापक विचारणीय 'मुद्दों' को निर्धारित कर सकता है ।
3. किसी घटना, समस्या या समाचार को विचार-विमर्श के विषय के रूप में चयनित किया जा सकता है ।

विचार-विमर्श सत्र के संगठक तत्त्व (Elements of Disscussion Sesion) - विचार-विमर्श सत्र के आवश्यक अंग या संघटक तत्वों की विचार-विमर्श के सही संचालन में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका है । ये निम्न हैं-

- नेतृत्व - शिक्षक

- समूह - विद्‌यार्थी
- प्रकरण - विचारणीय
- विषय वस्तु - चयनित सोद्देश्य ज्ञान खण्ड
- मूल्यांकन - छात्रों में व्यवहारगत संपरिवर्तनो के प्रमाण

नेतृत्व (The Leader) → शिक्षक (The Teacher) →
- व्यवस्थापक (Organiser)
- सूत्रधार (Conductor)
- अच्छा श्रोता (Listener)
- वक्ताओं का प्रेरक (Motivater)
- कुशल कार्य निष्पादक (Keeps work going)
- मिष्ठ भाषी (Speaks in a nice way)
- मूल्यांकन कर्त्ता (Evaluator)

↕

समूह (The group) → विद्यार्थी (The student) →
- विचार प्रस्तोता (Give ideas)
- अच्छा श्रोता (Good listener)
- अपनी बारी की प्रतीक्षा (Wait for turn)
- संयत स्वर में बोलना (Speak quietly)
- नेतृत्व का सहयोगी (work with leader)

↕

प्रकरण (The Topic) → विचार–विमर्श की सम्भावनाओं से युक्त (Potential) →
- छात्रों के स्तर के अनुकूल (Standard of the students)
- रूच्यात्मक (Interesting)
- विचार–विमर्श योग्य (Worth discussion)
- विषय से सम्बद्ध

↕

विषय वस्तु (The content) → सार्थक ज्ञान खण्ड (Relevant body of knowledge) →
- सोद्देश्य (Objective based)
- समूह (Entriched)
- अद्यतन (Current updated)

↕

मूल्यांकन (Evaluation) → व्यवहारगत परिवर्तन परीक्षण (Test of Change in behaviour) →
- तत्परता का परीक्षण (Presence of mind)
- नये दृष्टिकोणों का प्रमाण (Change in attitude)
- नवीन विचारों का आग्रहण (Change in ideas)
- अवधारणात्मक स्पष्टता (Clarity of concepts)
- नवीन विचारों का आग्रहण (Skill of oral expression)

उक्त प्रदर्श से स्पष्ट है कि विचार-विमर्श के पद्धति के संचालन में प्रत्येक तत्व का महत्व है । शिक्षक सावधानी से समस्त पूर्व-व्यवस्थाएँ करता है और विचार-विमर्श को उद्देश्य की दिशा में अग्रसर करता है ।

विचार -विमर्श के निर्देशन में सावधानियाँ (Precauttion in directing the discussions)

1. छात्रों को प्रकरण की महत्ता का पूर्ण ज्ञान हो । उन्हें विचारणीय विषय के चयन के कारण, विषय की प्रकृति व क्षेत्र के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिये जाए ।
2. चर्चा विषय के महत्वपूर्ण पक्षों पर केन्द्रित रहे ।
3. छात्रों को सहभागित्व हेतु निरन्तर प्रेरित रखा जाए ।
4. किसी छात्र को हतोत्साहित नहीं किया जाए ।
5. अहं-भाव या बढ़ चढ़कर दिखाने की प्रवृति रोकी जाए ।
6. 'टीम भावना' की प्रबलता रहे ।
7. संशय, अशुद्धियों, कृतकों आदि का शिक्षक द्वारा छात्र सहयोग में तत्काल निराकरण हो ।
8. सामने आये तथ्यों एवं बिन्दुओं का मूल्यांकन किया जाए ।
9. मत-भिन्नता का समादर हो ।
10. शर्मीले, अन्तर्मुखी छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाए ।
11. गिने चुने छोत्रों को 'हावी (Dominant) होने से रोका जाए ।
12. विचार-विमर्श को उद्देश्य की दिशा में अग्रसर रखा जाए ।

विचार-विमर्श का मूल्यांकन (Evaluating Disscussion) - विचार-विमर्श पद्धति छात्रों में विशिष्ट प्रकार के व्यवहारगत परिवर्तनों के उद्देश्य से प्रयुक्त की जाती है । विचार-विमर्श सत्र की सफलता का आकलन इस आधार पर भी किया जाना चाहिए कि समूह-सदस्यों की सक्रियता कैसी रही? प्रेरणा का स्त्रोत कैसा रहा? और निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति किस स्तर तक हो पाई?

नागरिक शास्त्र शिक्षण में विचार-विमर्श का महत्व (merit of Discussion Method in Civics Teaching)

1. यह पद्धति विवादास्पद मुद्दों (Controvercial issues) को स्पष्ट करने में सक्षम है ।
2. छात्रों की चिन्तन शक्ति को दिशा प्रदान (Crystallising) करता है ।
3. जिन पक्षों को छात्र नहीं जानते हैं, अथवा जिन्हें महत्व नहीं देते उन पक्षों को उजागर करती है ।
4. रटने' (Rote learning) की अपेक्षा 'चिन्तन-स्तरीय (Refelective) अधिगम को महत्व देती
5. सामूहिक क्रियाओं. सामूहिक विचारों, और सहकारिता को महत्व देता है ।
6. दलीय भावना (Team-Spirit) का संचार करता है ।
7. विपरीत-विचारों के प्रति सहनशीलता का विकास करती है ।
8. छात्रों की अभिव्यक्ति को निखारता है । सम्प्रेषण कौशल का विकल्प होता है ।
9. शिक्षक के लिए प्रतिभाशाली छात्रों को पहचानने में सहायक है ।
10. यह प्रजातान्त्रिक गुणों के विकास में सहायक है ।

11. यह विवेक पूर्ण निर्णय लेने और सद्नागरिक गुणों के विकास में सहायक है ।

विचार-विमर्श पद्धति की सीमाएँ (Limitations of Discussion Method)

1. पाठ्यक्रम के सभी पक्षों को प्रस्तुत करने के लिए अनुपयुक्त ।,
2. सभी स्तर की कक्षाओं एवं सभी आयु के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं ।
3. कुछ छात्रों में अधिक आगे आने की प्रवृत्ति बढ़ती है । इससे परस्पर वैमनस्य बढ़ता है ।
4. अव्यवस्थित विचार-विमर्श की सद्भावनाएँ अधिक होती है ।
5. यह भावात्मक असंतुलन और तनाव में वृद्धि का कारण बन सकती है ।'
6. आवश्यक बहस को बढ़ावा मिलता है । कभी-कभी यह अवांछित रूप ले लेता है ।
7. अन्तर्मुखी और सामान्य बुद्धि के छात्रों में हीन भावना विकसित हो सकती है ।
8. सभी शिक्षक इस विधि में पारंगत नहीं होते ।

5.2.3. समस्या समाधान पद्धति
(Problem Solving Method)

नागरिक जीवन के साथ समस्याओं का गहरा सम्बन्ध है । बढ़ते हुए सामाजिक कुसमायोजन और परिवर्तनों के बे-तरकीब सैलाब ने नित-नई समस्याओं की सौगात दी है । शिक्षक को शिक्षण-अनुदेशन द्वारा जटिल और समस्यामूलक पक्षों के प्रस्तुतीकरण में समस्या-समाधान पद्धति के प्रयोग के अवसर तलाशने चाहिए ताकि नागरिक शास्त्र के छात्रों की चिंतन-क्षमता को विकसित किया जा सके ।

1950 से 60 के दशक में **हंट महोदय** (Hunt) का शिक्षण प्रतिमान, **जॉन डीवी** का वैज्ञानिक का सिद्धान्त, **कर्ट तथा लेविन** (Curt & Leven) का समस्यात्मक परिस्थितियों (Problematic Situations) का चिन्तन के विकास से सम्बन्ध स्थितियों का सिद्धान्त, **आसबर्न** (Ausburn) महोदय का सृजनात्मक अनुक्रियाओं (Creative activities) का विवेचन, 1963 में **राबर्ट ग्लेसर** (Robert Glaser) का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान और **मॉरिस बिगी** (Morish Biggi 1963) का समस्या केन्द्रित शिक्षण प्रतिमान (Problem Centered Model of Teaching, 1963), **टॉरेन्स** (Torrence) महोदय के समस्या-समाधान सम्बन्धी शोध कार्यो (1963) आदि ने शिक्षा-शास्त्र में समस्या विधि को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किये । भारत में एनसीईआरटी. ने 1970 के दशक में समस्या पद्धति के प्रभावों का अध्ययन कर इस विधि को लोकप्रियता प्रदान करने में सहायता की ।

समस्या समाधान पद्धति की कतिपय परिभाषायें (Definitions of Problem Solving Method)

समस्या' का शब्दकोषीय अर्थ है - प्रश्न, निर्मेय, संदिग्ध, अनिश्चित, कठिन, जटिल, आदि ।

कार्टर बी. गुड ने शिक्षा शब्दकोष (Dictionary of Education) में समस्या विधि को "निर्देश की वह पद्धति जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों के सृजन द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिनका समाधान करना आवश्यक है ।"

योकाम तथा सिम्पसन के अनुसार, "समस्या एक ऐसी अनुभूत कठिन परिस्थिति है जिसे चिंतन कर्ता स्पष्टता से अनुभव करता है । यह कठिनाई मानसिक भी हो सकती है और शारीरिक

भी । समस्या की विशेषता यह है कि इस पर विचार करने वाला इसे एक चुनौती के रूप में अनुभव करता है ।"

(" A Problem is that occurs in a situation in which a difficulty is clearly present and receognized by a thicker . ") It may be purely mental or it may be physical and may involve the manipulation of data. The distinguishing thing about a problem, however, is that an individual who meet it as needing a solution, recognized it as a ' Challenge।" - Yokam & Simson)

रिस्क के अनुसार, 'समस्या विधि को किसी 'कठिनाई' अथवा 'उलझन पूर्ण' स्थिति पर सन्तोषजनक हल प्राप्त करने के उद्देश्य से योजनाबद्ध कार्य करने की विधि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं ।"

(" A Problem method "may be defined as a planned attack upon a difficulty or perplexity for the purpose of finding a satisfactory solution." RISK)

जेम्स ली (James M. Lee) के अनुसार, 'समस्या-समाधान विधि में शिक्षक तथा छात्र किसी महत्त्वपूर्ण शैक्षिक कठिनाई के समाधान अथवा स्पष्टीकरण हेतु सचेत होकर पूर्ण संलग्नता से प्रयास करते हैं । (Conscious and whole hearted efforts for solving and clarifying of a problem.)

समस्या-समाधान पद्धति के चरण या सोपान (Steps of Problem Solving Method) - समस्या पद्धति के प्रमुख पद निम्न है -

1. समस्या की चेतना (Realisation of the Probllem)
2. समस्या का विश्लेषण व परिभाषीकरण (Analysising and defining the problem)
3. समस्या के सम्भावित समाधान या परिकल्पना निर्माण (Formulating Hypothesis)
4. सम्भावित हलों या परिकल्पनाओं के परीक्षण हेतु तथ्यों का संकलन (Data Collection)
5. संकलित तथ्यों के आधार पर सम्भावित समाधानों या परिकल्पनाओं का परीक्षण (Testing and Hypothesis)
6. परिकल्पना या सम्भावित हलों का लक्ष्यों के आधार पर मूल्यांकन (Evaluating the Hypothesis)
7. निष्कर्षीकरण (Drowning Conclusion)

जॉन डीवी (J. Dewey) ने अपनी पुस्तक 'How We think" (हम कैसे सोचते हैं?) में समस्या समाधान के निम्न पाँच चरण बताए है ।

(1) समस्या की चेतना (2) समस्या का निरूपण (3)तथ्य संकलन
(4) उत्तेजना निर्माण (5) उपकल्पना परीक्षण

जॉन डीवी के अनुसार - "समस्याएं 'निजी रूप से या सामूहिक' रूप से जीवन के साथ जुड़ी है । वास्तविक समस्याएं वह हैं जो भावात्मक रूप से 'व्यक्तिशः ' अनुभूत हों ।

(Real Problems are felt personally and emotionally- John Dewey) जॉन डीवी ने निम्न तनाव-परिस्थितियों को समस्या-उत्पत्ति' और 'अनुभूति' का कारण माना है-

(1) प्रथम स्थिति-पथ विहीन परिस्थिति (No Path Situation) - जैसे ही छात्र बाधाओं में घिरा हुआ अनुभव करता है और उनसे निकलने का कोई प्रत्यक्ष रास्ता नहीं दिखता तो 'समस्या की चेतना' या अनुभूति होती है और समाधान के 'चिंतन' उद्दीप्त करती है । इसे अग्र प्रदर्श में दर्शाया है -

पथ-विहीन स्थिति (No Path Situation)

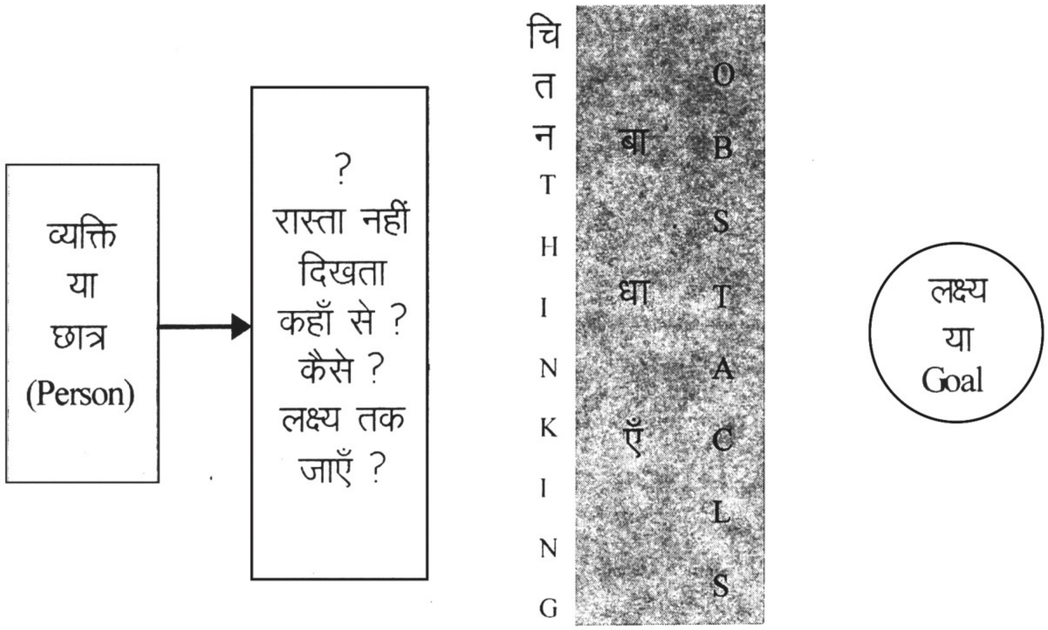

स्थिति-2 द्वि-पथ परिस्थिति (Situation -2)(Forked Path Situation) इस स्थिति में एक से अधिक रास्तों व एक से अधिक लक्ष्य सामने होने के कारण छात्र असमंजस में होता है कि किस लक्ष्य तक कैसे पहुँचे? अर्थात उसे राखा।' और 'लक्ष्यो' के उपलब्ध विकल्पों में से निर्णय लेना पड़ता है जो चिंतन को उद्दीप्त करता है । देखें निम्न स्थिति -

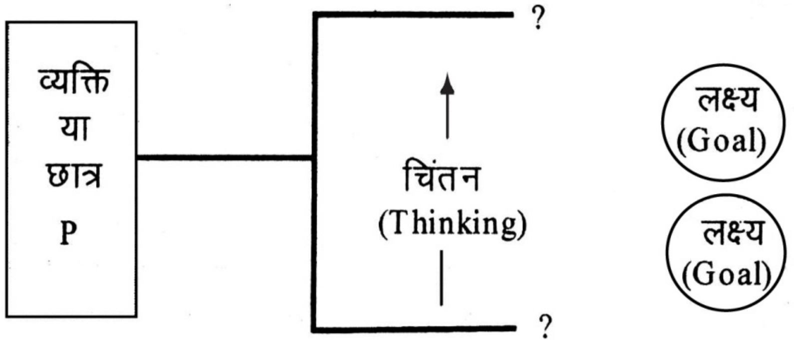

द्वि-पथ स्थिति- अ. (Forked Path Situation'A')

द्वि-पथ स्थिति- ब. (Forked Path Situation-B) - इस स्थिति में छात्र या व्यक्ति के समक्ष 'लक्ष्य' एक होता है । किन्तु उसे प्राप्त करने के साधन या रास्तों के 'दो' या अधिक

विकल्प होते है । जो उसके चिंतन को उद्दीप्त करते हैं, निर्णय लेने या समाधान ढूँढने की प्रेरणा देते है । निम्न प्रदर्श में इस स्थिति को दर्शाया गया है ।

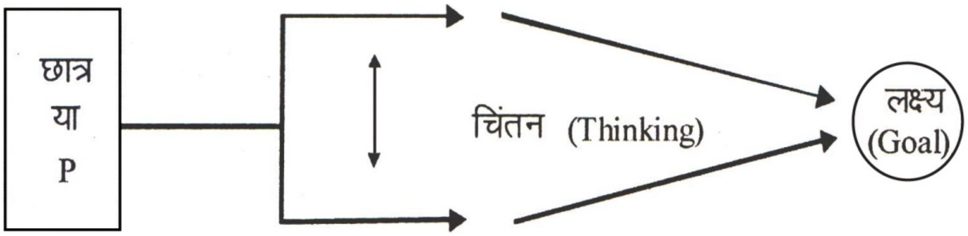

लक्ष्य एक – रास्ते एक से अधिक, द्विपक्ष स्थिति 'ब'

कक्षा में समस्या की प्रस्तुति कैसे हो? (How to pose the problem in the class room)- कक्षा में समस्या की प्रस्तुति तीन रूप में हो सकती है -

(1) अध्यापक द्वारा समस्या की प्रस्तुति,
(2) छात्रों द्वारा समस्या की प्रस्तुति,
(3) समकालीन घटना-चक्र से उत्पन्न परिस्थितियों के आधार पर उत्पन्न समस्याओं की अनुभूति । यथा - कोई समाचार, मुद्दा ।

नागरिक शास्त्र में समस्या-चयन के मानदण्ड (Criterian of selecting problem in the Civics) - समस्या के चयन के समय शिक्षक आधारों का ध्यान रखें -

1. समस्या नागरिक शास्त्र की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण एवं सार्थक हो ।
2. कक्षा में सभी छात्र समस्या से जुड़ाव रख सकें ।
3. समस्या का स्तर. छात्रों की कक्षा के स्तर, आयु एवं रूचि के अनुकूल हो ।
4. समस्या की प्रकृति रचनात्मक हो ।
5. समस्या से बहुउद्देश्यीय विचारों का प्रवर्तन और परावर्ती-चिंतन (Reflective-thinking) उद्दीप्त हो सके । अर्थात समस्या में विचारोत्तेजकता की सम्भावनाएं हो ।
6. समस्या में पाठ्यवस्तु के समस्या-मूलक पक्षों और उस दिशा में चल रही अद्यतन स्थितियों का समावेषण हो । अर्थात् विषय की मांग होने पर ही समस्या पद्धति का चयन हो ।
7. समस्या में नागरिक जीवन के सम्भावित व वास्तविक विरोधाभासों को उजागर करने और उनका सकारात्मक समाधान सुझाने की सम्भावना हो ।
8. समस्या के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने वाली अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो सके ।
9. शिक्षक में समस्या समाधान पद्धति के प्रयोग की दक्षता हो ।

नागरिक शास्त्र में समस्या पद्धति का प्रयोग क्यों? (Why to use Problem Method in Civics) - समस्या पद्धति के गुण निम्न बिन्दुओं में बताए गये हैं-

1. नागरिक शास्त्र विषय के अन्तर्गत समस्या - मूलक तत्वों की बहुतायत।
2. छात्र-सहभागिता से शिक्षण-अधिगम स्थितियों का निर्माण ।
3. नागरिक जीवन की समस्याओं के प्रति जागरूकता-वृद्धि ।
4. छात्र की चिंतन शक्ति को उद्दीप्त करने में सक्षम ।
5. विमर्शी-स्तरीय अधिगम (Reflective Level of Learning) के उच्च स्तरों की सम्प्राप्ति सम्भव।

6. छात्रों की निर्णय-निर्माण क्षमता का विकास सम्भव ।
7. स्वावलम्बी अधिगम की प्रेरक है ।
8. पूर्वाग्रह वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है ।
9. विषय के अप्रत्यक्ष पक्षों को उजागर करती है ।
10. छात्र की मानसिक क्रियाशीलता में वृद्धि करती है ।
11. ज्ञान की खोज एवं ज्ञान के अन्य स्त्रोतों से छात्र का परिचय कराती है ।
12. तथ्यों के संकलन, व्यवस्थितीकरण एवं विश्लेषण-संश्लेषण के आधार प्रस्तुतीकरण का प्रशिक्षण देती है ।
13. स्थाई अधिगम में सहायक ।

समस्या समाधान पद्धति की सीमाएँ (Limitation of Problem-Solving Method) - निम्न बिन्दुओं को देखें और सोचें कि समस्या समाधान पद्धति नागरिक शास्त्र शिक्षण की एक मात्र पद्धति क्यों नहीं मानी जाती-

1. विषय के सभी पक्षों का शिक्षण असम्भव
2. कृत्रिम समस्याओं के समाधान से वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान सम्भव नहीं ।
3. मानसिक सक्रियता पर ही अधिक बल ।
4. कक्षा में सफल प्रयोग कठिन । कुछ ही छात्र लाभान्वित हो पाते हैं ।
5. सभी छात्रों को उपयुक्त अध्ययन-सामग्री उपलब्ध होना कठिन ।
6. बड़े कक्षा समूह के अनुपयुक्त
7. समय अधिक चाहिए, समय सारणी में समायोजन असम्भव ।
8. यह एक खर्चीली पद्धति है ।
9. इस विधि का निर्वाह करने में सक्षम शिक्षक उपलब्ध होना कठिन ।
10. सभी स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं ।
11. प्राय: छात्र अधिक समय व साधन व्यय करके भी सामान्य व हल्के समाधान प्रस्तुत करते हैं जो उपयोगिता की दृष्टि से विश्वसनीय नहीं होते ।
12. विषय के शिक्षण अधिगम के सभी पक्षों की सन्तुलित प्रस्तुति कठिन ।

इसी प्रकार कार्य-दल का यह अनुभव हो सकता है कि "क्षेत्र के नागरिकों में जल-प्रदूषण के खतरों और स्वच्छ स्त्रोतों की स्वच्छता के लाभों की चेतना उत्पन्न करने हेतु शिक्षा का व्यापक अभियान अपेक्षित है ।" अथवा, "इस कार्य में नागरिकों को भी सहयोगी बनाना चाहिए था।'

5.2.4. योजना पद्धति
(Project Method)

प्रयोजनवादी **जॉन डीवी** और उनके शिष्य विलियम किलपैट्रिक ने 'योजना' विधि को विकसित किया और अमेरिका में इस विधि को शिक्षण-अधिगम की महत्त्वपूर्ण पद्धति के रूप में प्रयोग किया । नागरिक शास्त्र शिक्षण में प्रायोजना विधि का प्रयोग अनेक प्रकरणों के शिक्षण और अनुदेशन में सर्वाधिक प्रभावी सिद्ध हुआ है ।

योजना पद्धति का अर्थ एवं परिभाषाएं (Project Method- Meaning and definition) - शिक्षा के शब्द कोष में **वी. गुड** महोदय (V. Good) ने प्रायोजना का अर्थ निम्न प्रकार स्पष्ट किया है- प्रायोजना कार्य की एक विशिष्ट इकाई (A specific unit of an act) है जिसका कि शैक्षिक महत्व होता है । इसके एक या एक से अधिक लक्ष्य हो सकते हैं, जिनमें समस्याओं का शोधपूर्ण समाधान, अथवा किसी सामग्री का निर्माण या हाथ के प्रयोग द्वारा सृजन हो सकता है । इसका शिक्षक एवं छात्रों द्वारा सहज स्वाभाविक स्थितियों में नियोजित रूप से क्रियान्वयन किया जाता है ।"

बैलार्ड के अनुसार -योजना वास्तविक जीवन का एक छोटा 'अंश होता है जिसे विद्यालय में प्रस्तुत किया जाता है ।

A Project is a bit of real life that has been imparted into the school -

Ballard

विलियम किल पैट्रिक ने 1918 में कोलम्बिया विश्वविद्यालय में योजना विधि को अनेक रूपों मे परिकृत करते हुए विकसित किया । उनके अनुसार - **प्रायोजना पूर्ण तन्मयता से सामाजिक वातावरण में सम्पन्न की जाने वाली एक सोद्देश्यपूर्ण गतिविधि है ।"**

“A project is a whole hearted, purposeful activity proceeding in a social environment।”- **William Kill Patorick**

जे.ए. स्टीबेन्सन के अनुसार- प्रायोजना एक समस्यात्मक क्रिया है जिसकी पूर्ति सहज-स्वाभाविक स्थितियो में की जाती है ।

"A Project is a problenmatic act carried to completion in its natural setting."

-J.A. Stevenson

योजना विधि के मूल सिद्धान्त (Fundamental Principals of Project Method) - प्रायोजना विधि प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन पर आधारित है । इसके प्रमुख सिद्धान्त अग्रलिखित है -

1. सोद्देश्यता का सिद्धान्त (Principal of purposefulness)
2. सृजनात्मकता का सिद्धान्त (Principal of creativity)
3. वास्तविकता का सिद्धान्त (Principal of reality)
4. स्वतन्त्रता का सिद्धान्त (Principal of freedom)
5. उपयोगिता का सिद्धान्त (Principal of utility)
6. सह-सम्बन्ध का सिद्धान्त (Principal of correlation)
7. समाजिकता का सिद्धान्त (Principal of sociality)
8. अनुभवशीलता का सिद्धान्त (Principal of experience)

नागरिक शास्त्र, में प्रायोजनाओं के प्रकार (Different Types of Projects) - विलियम किल पैट्रिक ने चार प्रकार की योजनाएं बताई हैं -

1. **उत्पादक योजनाएं (The Production type)** - इस प्रकार की योजनाओं में किसी वस्तु या सामग्री का उत्पादन किया जाता है । जैसे 'मॉडल' या नक्शा या प्रतिकृतियाँ बनाना ।

2. **उपभोक्ता योजनाएं (The Consumer type)** - इन योजनाओं का उद्देश्य प्रत्यक्ष और विविध अनुभवों का सृजन करना होता है । जैसे कथा-साहित्य का अध्ययन, किसी 'थीम पर आधारित भूमिका निर्वहन, अभिनय, संगीत, भ्रमण ।

3. **समस्यात्मक प्रकार की प्रायोजना (The Problem type Project)** - इस प्रकार की प्रायोजना का उद्देश्य किसी समस्या या प्रश्नों का हल खोजना है । जैसे भारतीय प्रजातन्त्र की समस्या का अध्ययन कर व्यावहारिक हल सुझाना ।

4. **अभ्यासात्मक प्रायोजनाएं (Drill Projects)** - किसी प्रकार की 'क्रिया' को अभ्यास द्वारा सही प्रकार से सम्पन्न करने के उद्देश्य से अभ्यासात्मक प्रायोजनाएं की जाती हैं, जैसे 'शुद्ध मानचित्र निर्माण' अथवा मानचित्र में दिशाओं, स्थानों, संकेतकों के शुद्ध प्रयोग का अभ्यास, सड़क संकेतों की सही प्रयुक्ति, संविधान की धाराओं और प्रावधानों का अनुप्रयोग ।

बाइनिंग एवं बाइनिग के आधार पर प्रायोजनाओं के प्रकार

(1) व्यक्तिगत प्रायोजना -

(i) भ्रमण

(ii) अवलोकन

(iii) क्रिया अनुसन्धान

(iv) निर्माण

(v) प्रयोग-दर्शन

(iv) समस्या-समाधान

(2) सामूहिक प्रायोजना -

(i) शिक्षा भवन की सफाई

(ii) कक्षा की सजावट

(iii) संस्थाओं की कार्य प्रणाली का प्रदर्शन

(iv) समस्याओं का अध्ययन

(v) प्रदर्शनी आयोजन

(3) डब्ल्यू स्टोन -

(i) सामान्य योजना

(ii) जटिल योजना

बाइनिंग एवं बाइनिंग (Bining and Binning) ने नागरिक शास्त्र हेतु अनेक प्रायोजनाओं को उपयोगी माना है । विधानसभा / लौकसभा पंचायत के निर्माण प्रक्रिया कार्य प्रणाली गठन आदि को मॉक रूप द्वारा प्रदर्शित करना, नागरिक व सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, द्रश्य-श्रव्य सामग्री निर्माण, राष्ट्रीय पर्वोत्सव आदि को मनाना ।

प्रायोजना पद्धति के चरण (Steps of Projects)

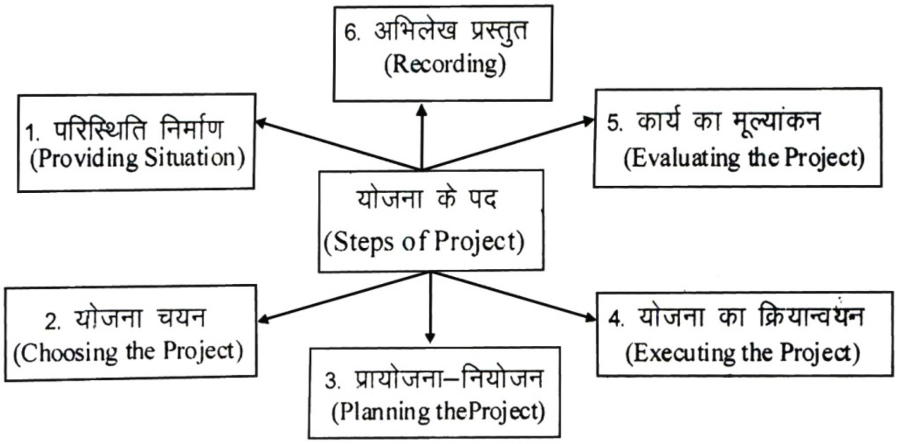

नागरिक शास्त्र विषय के उदाहरणों सहित योजना पद्धति के पदों की विवेचना-

1. परिस्थिति का निर्माण (Providing) - इस स्तर पर छात्र या शिक्षक दोनों मिलकर प्रोयोजना के विभिन्न पहलुओं की आवश्यकता का अनुभव करते है । अनुभव आवश्यकता के आधार पर योजना का चयन किया जाता है । उदाहरणार्थ- 'जल प्रदूषण' के नागरिक जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर चर्चा करते हुए शिक्षक आस-पास पानी के स्त्रोतो (कुआ, नदी, तालाब आदि) की स्थिति और उनसे उत्पन्न होने वाले प्रदूषण पर तथ्यपरक प्रतिवेदन, वक्तव्य, समाचार, फोटोग्राफस आदि प्रस्तुत करते हुए नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का चित्रण करते हुए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र जल स्रोतों को प्रदूषण विहीन बनाने की आवश्यकता अनुभव करते है और इसके आधार पर कोई कार्य-योजना बनाने की परिस्थिति स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है ।

2. प्रायोजना का चयन एवं उद्देश्य का निर्धारण (Choosing and purposing the Project)- अनूभूत आवश्यकताओं के आधार पर 'योजना' को चयनित किया जाता है और उसके उद्देश्य का निर्धारण होता है । डी किल पैट्रिक के अनुसार- विद्‌यालय प्रायोजना के कार्यो के सम्पादन का कितना भाग शिक्षक द्‌वारा पूर्ण होगा और कितना छात्रों द्‌वारा यह इस बात पर अधिकांशत निर्भर करता है कि उद्देश्य के निर्धारण में किसकी कितनी भूमिका रही है?

" The part of the pupil and the teacher in most of the school work, depend largely on who does the purposing "

-Dr. William Kilpatrick

इस प्रकार प्रायोजना चयन में छात्रों की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है । समस्त प्रायोजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि छात्रों ने न केवल योजना का चयन किया है अपितु स्वयं उसके उद्देश्य भी निरूपित किये हैं । अन्तिम निर्णय सदैव प्रजातान्त्रिक रूप से लिया जाए । थोपे हुए निर्णय कभी गुणात्मक परिणाम नहीं देते ।

उदाहरणार्थ - छात्रों द्‌वारा महसूस की गई जल प्रदूषण की समस्या को देखते हुए छात्रों को अच्छे नागरिक के कर्त्तव्यों के अनुरूप अपने निकट के जल स्त्रोत की सफाई की आवश्यकता अनुभव होने पर वह अपने क्षेत्र के तालाब की सफाई का कार्य हाथ में ले सकते हैं । इसी के अनुरूप प्रायोजना के उद्देश्य का निर्धारण भी उन्हीं के द्‌वारा किया जाएगा यथा 'तालाब की जलकुम्भी को समाप्त करना, 'आस-पास एकत्रित पॉलीथीन या गन्दगी को हटाना, ' 'नागरिकों को तालाब को स्वच्छ रखने की शिक्षा देना आदि-आदि । शिक्षक प्रायोजना के स्वरूप व उद्देश्य के निक्षेपण में सहायता करता है ।

3. कार्य-योजना का निर्माण (Planning) - छात्रों को नियोजित कार्य महत्व स्पष्ट करते हुए अध्यापक एवं छात्र उपलब्ध समय और साधनों के आधार पर कार्य- योजना का प्रारूप बनाते हैं । विकल्पों पर खुली चर्चा हो और सभी विकल्पों की व्यावहारिकता के आकलन के पश्चात् सर्वोत्तम विकल्पों " के आधार पर योजना का निर्माण हो ।

उदाहरणार्थ - आस-पास प्रदूषित जल-कूपों की स्वच्छता का विकल्प एक भी छात्र द्‌वारा प्रस्तुत किया जाता है तो कुछ और छात्र लताएं से प्रदूषित पानी की सप्लाई की योजना बनाने का सुझाव देते हैं- अध्यापक उक्ट्र दोनों कार्यो में निहित जटिलताओं और खतरों की ओर छात्रों- को. ध्यानाकर्षण कर व्यावहारिक योजना बनाने की दिशा में छात्रों को प्रेरित कर सकता है।

4. योजना का क्रियान्वयन (Executing the Plan) - योजना का क्रियान्वयन सर्वाधिक परिश्रमपूर्ण और लम्बा कार्य है । इस स्तर पर छात्रों को उनकी योग्यता और रूचि के अनुरूप कार्य-दलों **(Working- Groups)** में बाँट दिया जाता है । शिक्षक एक सहयोगी के रूप में कार्य की दिशा कार्य-प्रणाली और प्रगति के सम्बन्ध में स्पष्ट मार्गदर्शन देता है ।

इस स्तर पर छात्र अनेक गतिविधियों में संलग्न होकर कार्यानुभव अर्जित करते हैं । वह सूचना-संग्रह करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, मानचित्र तैयार करते हैं, अर्थात् प्रायोजना के उद्देश्य के अनुरूप कार्य-कलापों का वास्तविक रूप से निष्पादन करते हैं ।

उदाहरणार्थ - जल प्रदूषण रोकने की दृष्टि से निकट के तालाब की स्वच्छता की प्रायोजना पर कार्य करने वाले छात्रों को कार्य-दलों में विभाजित किया जाएगा । सभी कार्य दल अपने कार्य में संलग्न होकर तालाब की स्वच्छता के अभियान में जुट जायेंगे । जैसे -

कार्य-दल - 1 - तालाब में उगी जल कुम्भी साफ करेगें ।

कार्य-दल - 2 - तालाब के आस-पास बिखरी 'पॉलीथीन' या अन्य गंदगी को साफ करेगें ।

कार्य-दल - 3 - नागरिकों को जल-प्रदूषण रोकने की शिक्षा देने वाले चार्ट, नारे, प्रदर्शन-बोर्ड आदि तैयार करेगें ।

कार्य-दल - 4 - छात्र-अभियान का प्रचार-प्रसार, जन-सम्पर्क, नगर-निगम से सम्पर्क पत्र-व्यवहार कार्य का लेखा, समाचार पत्रों से सम्पर्क आदि कार्य करेंगे । सभी कार्य-दल अपनेअपने कार्यो को एक-दूसरे के सहयोग से पूरा करने में जुट जायेंगे और निर्धारित समय में योजना का क्रियान्वयन करेंगे ।

5. प्रायोजना का मूल्यांकन (Evaluation) - कार्य-सम्पन्न होने के पश्चात् उसका मूल्यांकन होता है । इस स्तर पर छात्र अर्जित अनुभवों की समीक्षा करते हैं और प्रायोजना की कमियों या क्रियान्वयन अथवा अन्य स्तरों पर आई बाधाओं और गलतियों का आलोचनात्मकविश्लेषण करते हैं ।

उदाहरणार्थ - 'तालाब की स्वच्छता' की प्रायोजना में संलग्न छात्र कार्य योजना के क्रियान्वयन में रही न्यूनताओं का आकलन करते हैं साथ ही इस दौरान अर्जित अधिगम अनुभवों को सभी कार्य-दल एक साथ बाँटते हैं । जैसे-कार्यदल-4 यह अनुभव अर्जित कर सकता है कि ' 'यदि नगर-निगम के साथ-साथ स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग लेकर कार्य करें तो जल प्रदूषण की समस्या का अपने क्षेत्र में स्थाई हल हो सकता है । "

6. लेखा (Recording) - इस स्तर पर प्रायोजना के सभी चरणें में सम्पादित क्रियाओं का सम्पूर्ण लेखा तैयार किया जाता है । यह प्रायोजना प्रतिवेदन के रूप में भी हो सकता है । सभी छात्र ‘योजना-लेखा तैयार करते हैं और अपने अनुभवों का अभिलेख प्रस्तुत करते हैं जो योजना की सम्पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करती है ।

उदाहरणार्थ - 'तालाब की स्वच्छता' प्रायोजना में प्रारम्भ से ही परिस्थिति एवं समस्या की अनुभूति किस प्रकार हुई, नियोजन प्रारूप कैसे बनाया, कार्य-योजना, के क्रियान्वयन में क्या-क्या क्रियाएं सम्पन्न हुई । योजना के मूल्यांकन के क्या परिणाम रहे आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा?

नागरिक शास्त्र में योजना पद्धति के गुण, उपयोगिता एवं लाभों को तालिका में दर्शाया गया है ।

नागरिक शास्त्र शिक्षण में योजना पद्धति का महत्व (Merit of Projects Methods in civics Teaching)

1. मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित
2. आत्मनिर्भर रह कर कार्य करने का प्रशिक्षण
3. जीवन से सम्बद्ध
4. प्रजातान्त्रिक जीवन शैली का परिचायक
5. विषयों के सहसम्बन्ध पर आधारित
6. सद्नागरिकता के गुणों का प्रशिक्षण
7. कार्य और श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित-कर्त्ता
8. सहयोगी सामाजिक गुणों के विकास में सहायक
9. शिक्षण स्वाभाविक परिस्थितियों में
10. समस्याओं की समझ और उनके निराकरण का प्रशिक्षण
11. स्वयं करके सीखने पर बल-कृत्रिम कक्षा शिक्षण के दोषों का निवारण
12. उपलब्धि की भावना का अनुभव
13. रचनात्मक अनुशासन की स्थापना में सहायक

योजना पद्धति की सीमाएँ (Limitations of Project Method)

1. व्यय-साध्य, खर्चीला
2. पाठ्यपुस्तकों की उपेक्षा
3. विषयों का व्यवस्थित शिक्षण, कठिन सभी विषय वस्तु के शिक्षण हेतु अनुपयुक्त
4. समय-तालिका के आधार पर शिक्षण सम्भव नहीं अधिक समय लगता है ।
5. बौद्धिक कार्य-कलापों की उपेक्षा
6. अभ्यास-कार्यो की उपेक्षा
7. सह-सम्बन्ध गुणात्मक व स्वाभाविक न होकर आभासीय व कृत्रिम
8. सभी प्रकार के छात्रों के उपयुक्त नहीं ।
9. सभी शिक्षकों द्‌वारा अपनाना असम्भव ।

योजना पद्धति की यद्‌पि कुछ सीमाएं हैं किन्तु जहाँ विषयवस्तु की माँग, उपयुक्त शिक्षक की उपलब्धि और प्रयोग-धर्मी शिक्षण की ललक हो वहाँ प्रायोजना पद्धति का प्रयोग अधिगम-शिक्षण को गतिशील बनाने में उपयोगी सिद्ध होता है ।

कक्षा में नागरिक शास्त्र विषय हेतु कतिपय प्रायोजनाएँ (Suggested List of Simple Projects used in Civics-Class)

1. **स्क्रेप बुक बनाना** - नागरिक शास्त्र विषय की किसी 'थीम' पर सामग्री एकत्रित कर उसे समाचार पत्रों की कटिंग, चित्र, चार्ट मानचित्र आदि से सुसज्जित कर विषय की प्रभावी झलक प्रस्तुत की जाती है ।
2. **नोट-बुक आलेखन** - नागरिक शास्त्र से सम्बद्ध विभिन्न पहलुओं यथा 'मुद्दों' (issue) अद्‌यतन प्रवृत्तियों, संविधान, संशोधनों, टिप्पणियों, आकड़ों, संस्थाओं, आदि को समीक्षात्मक संकलन के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है ।

3. विषय के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाले चार्टस, मॉडल, तालिकाएँ. मानचित्र. रेखाचित्र, ग्राफ आदि बनाए जा सकते हैं।
4. **बुलेटिन बोर्ड, फ्लेनल बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड** आदि प्रदर्शन के पर बनाकर कक्षा में विभिन्न प्रवृत्तियों को दर्शाया जा सकता है ।
5. **दीवार पत्रिका -** समकालीन समाचारों को हस्तलिखित अथवा कम्पूटरराइज्ड रूप में संकलित, सम्पादित व प्रदर्शित करने का कार्य किया जा सकता है ।
6. **प्रदर्शनी,** मेले, पर्यटन, संस्था, अध्ययन, सर्वेक्षण आदि प्रायोजनाऐ भी नागरिक शास्त्र के शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा सम्पन्न की जा सकती है ।

5.2.5. पर्यवेक्षित अध्ययन
(Supervised Studies)

पर्यवेक्षित अध्ययन विधि छात्र आधारित ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें कक्षा के छात्र समूह अध्यापक की देख रेख में स्वयं अध्ययन कार्य पूर्ण करते हैं । आर्थर सी.**बाइनिंग** और डेविस एच. **बाइनिग** के अनुसार -

"पर्यवेक्षित अध्ययन विधि वह शिक्षण पद्धति है जिसके अन्तर्गत शिक्षक द्वारा अपने छात्रों का उस समय पर्यवेक्षण किया जाता है जब वे अपनी 'डेस्क या मेजों पर कार्यरत होते है । इस दौरान छात्र अपने शिक्षण द्वारा प्रदत्त कार्य को पूर्ण करने में व्यस्त रहते है ।'

(" By Supervised study, we mean the supervision by the teacher of a group or class of pupils as they work at their desk or their tables. In this procedure, we find pupils busy at work that has been assigned to them by the teacher" **Binning & Binning)**

क्लीसनीयर के अनुसार - "पर्यवेक्षित अध्ययन कालांश में छात्र अध्यापक द्वारा दिये गये कार्यस्वयं के द्वारा प्रारम्भ की गई क्रियाओं तथा विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत योजनाओं पर कार्य करते है । अध्यापक प्रत्येक छात्र की सहायता करता है (शैक्षिक कालांश का आधा या करीब-करीब आधे से अधिक कालांश निरीक्षित अध्ययन हेतु और शेष वाद-विवाद, व्याख्यान आदि के लिये प्रयुक्त होता है ।

पर्यवेक्षित अध्ययन पद्धति का कब चयन करें? (When to use supeersied study method) -

(i) छात्रों को नई अध्ययन सामग्री, पाठ्यपुस्तक आदि को सही प्रकार से पढ्ने का कौशल विकसित करने हेतु
(ii) शब्द कोष (dictionaries), विश्व कोष (encyclopaedias) आदि का उपयोग करने का प्रशिक्षण ।
(iii) मानचित्र, एटलस, इण्डेक्सेज आदि का प्रयोग करने के कौशल का विकास ।
(iv) सन्दर्भ साहित्य, मूल स्रोतों आदि का उपयोग करने का कौशल विकसित करने हेतु ।
(v) सम्प्रेषण-चिहनों (Communication symbol) को ग्रहण करने और प्रयुक्त करने का कौशल विकसित करने हेतु ।
(vi) विषय वस्तु को कम समय में गहराई से बढ़ने की आदतों के विकास हेतु ।

बाइनिगं एवं **बाइनिग** ने पर्यवेक्षित अध्ययन को दो प्रकार की योजनाओं में विभाजित किया है -

1. प्रथम योजना के अन्र्तगत अध्यापक केवल उन छात्रों का विशेषत: निरीक्षण करते है जो अपने कार्य के सम्पादन में कठिनाई या समस्याओं का अनुभव कर रहे हों ।
2. दूसरी योजना के अन्तर्गत समस्त कक्षा पर्यवेक्षित पद्धति के अधार पर कार्य करती है शिक्षक अपना पूर्ण शिक्षण कार्य पर्यवेक्षित-अध्ययन के आधार पर सम्पन्न करता है-
   उक्त दोनों स्थितियों में मुख्य कार्य-योजनाएं निम्न प्रकार की होंगी-

1. सम्मेलन योजना (Conference Plan) - शिक्षक पढ़ाई में कमजोर छात्रों को अतिरिक्त समय निर्धारित कर औपचारिक कक्षा के रूप में सम्मेलन योजना बनाता है व निरीक्षत शिक्षण सत्र आयोजित करता है ।

2. विशिष्ट शिक्षक योजना (Special Teacher Plan) - इस योजना में किसी विशेष शिक्षक की व्यवस्था की जाती है जो पर्यवेक्षित अध्ययन सत्र आयोजित करते हैं ।

3. कालांश विभाजन योजना (Devided Period Plan) - इस योजना मे सामान्यत: दो शिक्षक होते है जो शिक्षण और पर्यवेक्षण कार्य को परस्पर कार्य-विभाजन के आधार पर बॉट लेते है । एक शिक्षक शिक्षण करता है तो दूसरा निरीक्षण अथवा एक ही शिक्षक आधे कालांश में शिक्षण करता है और आधे कालांश में पर्यवेक्षित अध्ययन के माध्यम से छात्रों की समस्याओं का निदान करता है ।

4. द्विकाल योजना (Double Period Plan) इस योजना में-

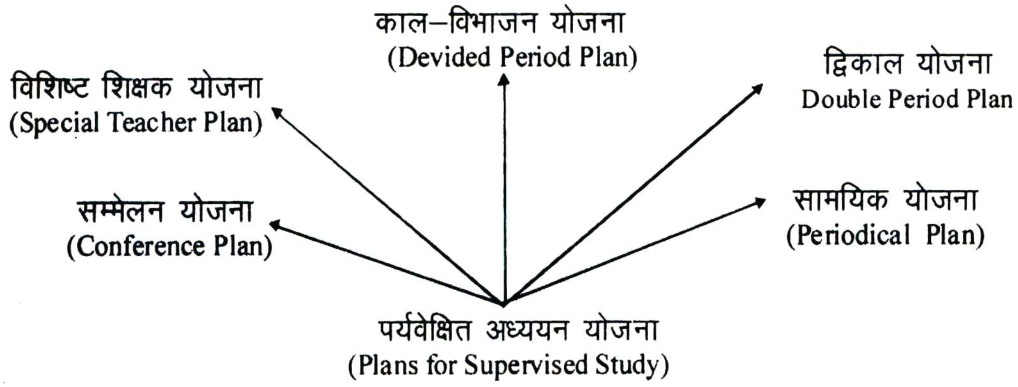

5. सामयिक योजना (Periodical Plan) - इसके अन्र्तगत निरीक्षित-अध्ययन दैनिक रूप से नहीं करके किसी अन्तराल से नियोजित होता है । यह समय का अन्तराल प्रत्येक दूसरे दिन या साप्ताहिक या पाक्षिक भी हो सकता है ।

नागरिक शास्त्र में पर्यवेक्षित अध्ययन पद्धति का प्रयोग कैसे करें? (How to use supervised study method in Civics)

प्रथम पद - उद्देश्य निरूपण - छात्रों की आवश्यकता और विषय की माँग के आधार पर पर्यवेक्षित अध्ययन उद्देश्य निर्धारित होते है ।

द्वितीय पद- अध्यापक द्वारा कार्य निर्धारण - शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षित सत्र का कार्य निर्धारण निम्न-आधार पर होगा-

I. **विषय की आवश्यकता के आधार पर** - यह पद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । शिक्षण की योजना बनाने के साथ ही शिक्षक यह सोच लेता है कि विषय के किस पक्ष को अतिरिक्त

अध्ययन सामग्री से समृद्ध करते हुए (Enriched) छात्रों को अध्ययन हेतु प्रस्तुत करना है । शिक्षक इस अध्ययन सामग्री का संकलन करता है, इसके मुख्य पहलुओं का रेखांकन करता है । चार्ट, मानचित्र आदि को व्यवस्थित करता है । बोध प्रश्नों का निर्माण व संयोजन करता है । अध्ययन क्रम निर्धारण करता है और निर्देश तैयार करता है ।

II. **छात्रों की आवश्यकता के आधार पर** - कार्य-निर्धारण में छात्रों के वैयक्तिक भेदो को भी आधार बनाया जा सकता है । सभी छात्र एक से उपलब्धि स्तर के नहीं होते । अत: उनको शिक्षण-अधिगम की समस्याओं के निदान के आधार पर वर्गीकृत करते हुए समूह बना लिये जाते है और अध्ययन सत्र भी उनकी आवश्यकता के आधार पर आयोजित होते है ।

तृतीय पद- पर्यवेक्षित अध्ययन कार्य-निष्पादन (Performing Super Vised Study Work) - अध्ययन सामग्री का वितरण करते हुए अध्यापक छात्रों को अध्ययन-कार्य के निर्देश प्रदान करता है । सामान्यत: यह अग्र प्रकार से व्यवस्थित क्रम (Sequence) में देते हैं -

अध्ययन क्रम निर्देश (Instructional Sequencing)

1. सर्वप्रथम विषय के शीर्षक पर ध्यान दीजिए और इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए ।
2. प्रस्तुत विषय सामग्री को सरसरी तौर पर (Rapidly) पढ़िये ।
3. विषय सामग्री में दिये गये प्रश्नों को ध्यान से पढ़िये ।
4. विषय वस्तु को पुन: प्रश्नों के उत्तर खोजने की दृष्टि से पढ़िये ।
5. विषय को क्रियात्मक रूप से पढ़िये । रेखांकित अंशों पर ध्यान दीजिए ।
6. सस्वर वाचन कीजिए ।
7. आकड़ों व उदाहरणों पर विशेष ध्यान दीजिए ।
8. शब्द-कोष की सहायता से कठिन शब्दावली के अर्थ खोजिए ।
9. रटने के स्थान पर विषय का गूढ़ अर्थ समझने का प्रयास कीजिए ।
10. विषय को स्पष्ट व क्रियात्मक रूप देने वाली सहायक सामग्री का प्रयोग कीजिए ।
11. अध्ययन में आई समस्याओं को, प्रश्नों को, विषय के अस्पष्ट अंशों को नोट कीजिए ।
12. स्वयं का मूल्यांकन कीजिये और निर्णय लीजिये कि आपने अध्ययन कार्य कितनी सफलता से पूर्ण किया है?

चतुर्थ पद-कठिनाई-निवारण या शंका समाधान (Solving the Difficulties) - इस स्तर पर शिक्षक प्रश्नों एवं चर्चा के माध्यम से छात्रों की कठिनाईयों को पहचान कर उनका निदान करता है । पाठ के कठिन अंशों को पुन: पढ्ने के निर्देश देता है ।

पंचम पद-मूल्यांकन (Evaluation) - अध्ययन सम्पन्न होने के पश्चात् शिक्षक उपलब्धि जाँचने की दृष्टि से पूर्व-निर्धारित उद्देश्य के आधार पर निर्मित परीक्षणों द्वारा मूल्यांकन करता है ।

निरीक्षित या पर्यवेक्षित ' अध्ययन नागरिक शास्त्र के कतिपय प्रकरण-

1. संविधान की प्रस्तावना,
2. नीति निर्देशक तत्त्व,
3. नागरिकों के कर्त्तव्य'

4. प्रजातन्त्र के सिद्धान्त (धर्म निरपेक्षता, स्वतन्त्रता, समानता, न्याय, समाजवाद, व्यक्ति की गरिमा ।
5. पंचशील
6. राष्ट्रीय एकता के तत्त्व
7. अद्यतन विषय (जैसे महिला कानून, मानवाधिकार, वैश्वीकरण, आदि)
8. बाल-श्रम
9. सर्वशिक्षा अभियान
10. आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान

पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को अधिक प्रभावी कैसे बनाए (How to use supervised study method effectively)

1. कक्षा का भौतिक-वातावरण अध्ययन के और निरीक्षण के अनुकूल बनावें ।
2. कार्य-सम्बन्धी सामग्री एकत्रित कर सावधानी से अध्ययन हेतु चयन करें।
3. अध्ययन कार्य को स्पष्ट प्रदान करें ।.
4. कार्य-निर्धारणोपरान्त- यथा शीघ्र पूर्ण करें ।
5. छात्रों को भी संकल्प पूर्ति हेतु दृढ़ करें ।
6. विषय सामग्री का सारांश भी दें ।
7. विशिष्ट तथ्यों को रेखांकित करें ।
8. उस समय तक अध्ययन की प्रेरणा दें जब तक कि निश्चित विषय पर आधिपत्य न हो जाए ।
9. छात्रों की अध्ययन-गति पर व्यक्तिशः ध्यान दें ।
10. सही तकनीकी से अध्ययन-कार्य सम्पन्न करें ।
11. सही आसन में छात्र बैठे तैयारी की व्यवस्था हेतु मौन और सस्वर वाचन के अवसर हों ।

पर्यवेक्षित अध्ययन विधा के गुण (Merits of supersied-study method) -

1. सही अध्ययन आदतों के विकास में सहायक
2. स्वाध्याय की प्रेरक
3. विषय सामग्री की व्याख्या विश्लेषण, क्रियात्मक पक्षों की पहचान, अनुपयोग व चिन्तन स्तर तक अध्ययन करने में सहायक
4. मितव्ययतापूर्वक समय का सदुपयोग करते हुए अधिक अधिगम का सृजन करना ।
5. पाठ्य पुस्तक विधि का एक परिष्कृत विकल्प उपलब्ध,
6. तत्काल सहायता से शंका-समाधान सम्भव, शिक्षक का मार्गदर्शन तत्काल उपलब्ध रहने के कारण छात्रोपयोगी अधिक ।
7. छात्रों को उनकी आवश्यकता के आधार पर अध्ययन के अवसर प्रदान करने में सक्षम,
8. प्रयोग में सुगम व अधिक व्यावहारिक ।
9. बहुआयामी कौशलों के विकास में सहायक (जैसे मानचित्र, ग्लोब, विश्वकोष, शब्दकोष आदि के प्रयोग के कौशल)

पर्यवेक्षित-अध्ययन विधि की सीमाएँ (Limitation of supersied-study method)

1. उपयुक्ता अध्ययन सामग्री की उपलब्धि कठिन ।

2. शिक्षक पर निर्भरता बढ़ने की आशंका ।
3. आम-विद्यालयी समय तालिका में सामायोजन कठिन
4. कमजोर छात्रों की ओर अधिक ध्यान, प्रतिभा सम्पन्न छात्रों के योग्य अध्ययन सामग्री प्राय: उपलब्ध नहीं हो पाती ।
5. इस विधि से शिक्षण के बहु-आयामी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती (जैसे अभिव्यक्ति, समूह के साथ कार्य करने की प्रवृत्ति, निर्माण व प्रयोग सिद्धता आदि) ।

अन्तत: यह विधि चुनिंदा प्रकरणों की प्रस्तुति और उपचारात्मक शिक्षण के अच्छे अवसर प्रदान करती है । नागरिक शास्त्र शिक्षक अन्य विधाओं के साथ अद्यतन विषयों के शिक्षण में इस विधि को प्रयुक्त कर शिक्षण कर सकते हैं ।

5.2.6. मस्तिष्क-मन्थन पद्धति
(Brain-Storming method)

यह एक छात्र-प्रधान, चिन्तन स्तरीय, विचार-उद्वेलन विधा है । इसे मस्तिष्क-विप्लव, मस्तिष्क उद्वेलक, मस्तिष्क प्रवेगी या मस्तिष्क-आवेष्न आदि नाम दिये जा सकते हैं । यह विधि छात्रों के मस्तिष्क में किसी समस्या', 'मुद्दे', 'परिस्थिति' या घटना-क्रम को लेकर उद्वेलन उत्पन्न करती है और उक्त स्थितियों पर छात्रों को स्वतन्त्र व निर्भीक वैचारिक प्रतिक्रिया देने का अवसर प्रदान करती है ।

नागरिक शास्त्र शिक्षण में मस्तिष्क मन्धन पद्धति का प्रयोग कैसे करें? (How to use Brainstorming Method) - मस्तिष्क-प्रवेगी पद्धति का प्रयोग निम्न चरणों में हो सकता है -

1. प्रथम चरण- कक्षा की तैयारी (Stage- I) (Prepration)

- प्रारम्भ में शिक्षक विचारोत्तेजक स्थितियों या समस्या युक्त प्रकरण का निर्धारण करता है और उससे सम्बन्धित विचारणीय पक्षों तथा निष्पन्न व्यवहारगत परिवर्तनों (Behavioral Changes) का निर्धारण करता है ।
- संख्या के आधार पर छात्रों को लघु (प्राय: 5 से 8 तक) विचार-वर्गों (Thinking groups) में बाँट दिया जाता है ।
- प्रत्येक विचार-वर्ग में एक छात्र प्रतिवेदक या लेखा रखने की भूमिका (Recorder) अदा करता है ।
- प्रत्येक वर्ग का एक अध्यक्ष (Chair person) होता है । (लेखाकार एवं अध्यक्ष का चयन प्रत्येक वर्ग स्वयं करेगा)
- शिक्षक समस्त कक्षा में प्रेरक वातावरण बनाए रखता है और वास्तविक ब्रेन-स्टॉर्मिग सत्रका माहौल बनाता है ।

2. द्वितीय चरण-विचार प्रवेगी सत्र क्रियान्वयन (Stage II)-(Brain Storming activation)-

- इस स्तर पर सर्वप्रथम समस्या या 'केस' या विषय अर्थात् चयनित मुद्दा शिक्षक द्वारा भावात्मक समुट के साथ उठाया जाता है ।
- सभी विचार-वर्गो को उक्त समस्या या विषय पर खुलकर विचार प्रकट करने का आह्‌वान किया जाता है ।

- ब्रेन-स्टार्मिंग प्रक्रिया के नियम समझाये जाते हैं । ये नियम निम्न हो सकते हैं-
  - (i) विषय के सभी पक्षों पर सोचें
  - (ii) सोचने के लिए समय लें और उसका शान्ति से 'स्व-चिंतन' में प्रयोग करें ।
  - (iii) उद्दीप्त विचारों को मुखर होकर प्रकट करे ।
  - (iv) जितने विचार आएं- कहते जाएं ।
  - (v) दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनें ।
  - (vi) सभी विचार अक्षशः लिखते जायेंगे (रिकार्डर या लेखाकार द्वारा)
  - (vii) विचारों की आलोचना या उनको अच्छे-बुरे के रूप में मूल्यांकित नहीं करें, मूल बात है विचारों का प्रवाह उमड़ना ।
  - (viii) वर्ग-अध्यक्ष विचार-प्रक्रिया को सन्तुलित करते रहें - कोई अप्रियता उत्पन्न न हो ।
- विचार प्रकट करने हेतु समय निर्धारित करें (प्रायः 15 से 20 मि.)

3. **तृतीय चरण- विचार-मंथन या विचार-विमर्श (Stage- III)-(Discussion) -**
   - इस स्तर पर अभिलेखाकार (Recorder) बने छात्रों द्वारा अपने-अपने वर्ग के विचारों को प्रस्तुत किया जाता है और सामूहिक विचार-विमर्श के द्वारा शिक्षक प्राप्त विचारों को सुधारते हुए परिष्कृत और पूर्ण रूप देता है ।

4. चतुर्थ चरण- संकलित विचारों की प्रस्तुति व प्रदर्शन (Stage- IV)-(Displaying the Presented Idea) -

- सक्रिय मस्तिष्क उद्वेलन से उत्पन्न विचारों को अनेक सृजनात्मक रूप दिये जा सकते हैं उदाहरणार्थ -
- वर्गतार विचारों पर पत्र-वाचन प्रस्तुत हो (Presentation)
- विचारों को सुसंगत रूप से प्रदर्शित किया जाए । (Displaying)
- व्युत्पन्न-विचारों (Generated Ideas) को निम्न रचनात्मक विधाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है-

(i) अवधारणा या प्रत्यय मानचित्र द्वारा (Concept mapping)

(ii) विचार समूह प्रदर्श द्वारा (Cluster diagram)

(iii) समबद्ध-विचारों के जाल का रेखा चित्र (Webbing Chart)

(iv) कार्य-कारण चार्ट (Cause effect Chart)

(v) समानता-असमानता दर्शाने वाली तालिका (Comparison-Contrast Tables)

(vi) समस्या-समाधान चार्ट (Problem Solution Chart)

मस्तिष्क मन्थन विधा में ध्यान दें -

- उन सभी विचारों को प्रकट करते जाएं जो मस्तिष्क में उमड़ रहे हैं ।
- दूसरे साथी द्वारा व्यक्त विचारों से समानता रखने वाले ही विचार आते हैं तो भी उन्हें व्यक्त करते रहें ।
- प्रयास करें कि आपके विचारों में कुछ नया जुड़ता रहे ।
- शान्त रह कर सोचें भी और सुने भी, इससे नये-नये विचार उद्दीप्त होते हैं ।
- बोलने में अपनी बारी की प्रतीक्षा करें ।

- अन्य वक्ताओं को हतोत्साहित नहीं करे ।
- तीखी भाषा और 'तल्ख' (Hurt-full) लहजे से बचें ।

मस्तिष्क-मन्थन पद्धति के गुण एवं सीमाएं (Merits and Limitations of Brain Storming)

गुण (Merit)	दौष (Limitation or Demerits)
यह मनौवैज्ञानिक है । चिंतन स्तरीय शिक्षण (Refelective) में सहायक है ।	छात्रों के अनावश्यक उत्तेजित होने और शोर-गुल (Noise) में फँसने की प्रवर्ति संभव।
यह एक छात्र केंद्रीय क्रिया है ।	अभिलेखन (Recording) कार्य के कारण विचारों का प्रचार रुकने की संभावनाए।
यह अच्छी प्रेरणास्पद (Motivational) विधा है।	अच्छे शिक्षक द्वारा ही इस विधा की प्रयुक्ति सफल हो सकती है ।
इसे समस्या समाधान हेतु भी प्रयोग किया जाता है ।	सभी स्तरों की कक्षाओ के लिए समान रूप में उपयुक्त नहीं ।
छात्रों का `अन्य' का दृष्टिकोण समझाने का धेर्य पूर्ण सुनने का प्रशिक्षण देता है।	अच्छे अध्यक्ष और प्रतिवेदक के अभाव में निष्फल ।
अनावश्यक विवाद को कोई स्थान नहीं ।	
स्वतंत्र और सामूहिक कार्य को महत्व ।	
पूर्व स्थापित विकल्पों के स्थान पर नवीन विकल्पों को स्थान ।	
सामान्य कक्षा परिस्थिति में प्रयोग संभव ।	

5.2.7. भूमिका निर्वाह
(Role Play)

"भूमिका-निर्वहण किसी परिस्थिति को अथवा किसी समस्या को अभिनय द्वारा प्रस्तुत करना है ।"- **प्रो. हैरी ढांड**

('Role-Play is alting-cut of a situation or problem" -(Prof. Harry chand)

भूमिका-निर्वहन-अभिनय के माध्यम से किसी परिस्थिति को द्रश्य रूप में साकार करना किसी विषय-वस्तु या समस्या को केवल वार्ता के रूप में नहीं अपितु क्रियाशील (active) और व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत कर सीखने की पद्धति है । नागरिक शास्त्र से सम्बद्ध अनेकानेक स्थितियाँ (Situation) और 'प्रकार्य' (Functions or roles) ऐसे है जिन्हें भूमिका विधा से प्रस्तुत किया जा सकता है ।

भूमिका निर्वाह विधा हेतु आवश्यकता नहीं है कि छात्र अभिनय कला में पारंगत हो । यह विधा तो केवल विषय को पात्रों की भूमिकाओं में ढाल 'कर प्रस्तुत करने या संपादित करने के

अवसर देती है । **हैरी ढांड** के अनुसार- 'रोल-प्ले छात्र को किसी दूसरे के जूतों में अपने पाँव डाल कर मीलों यात्रा करने जैसा है या किसी अन्य की 'नाप' (Size) में स्वयं को ढाल लेने जैसा है ।"
“It allows the student to walk a mile in same are else shoes or try apposition on the Size.“

भूमिका निर्वहण हेतु किसी कृत्रिम मंच (Stage) या वस्त्र सज्जा की भी आवश्यकता नहीं । कक्षा के किसी मध्यस्थल या कोने में पात्र भूमिका-प्रस्तुत कर सकते हैं और अपनी वेष-भूषा या स्कूली-परिधानों में ही रोल-प्ले हो सकता है ।

रोल प्ले क्यों? (Purpose of Role-Play)

1. विषय के अन्तर्निहित अमूर्त व गूढ (Indirective & Continued) पक्षों को प्रत्यक्ष और मूर्तमान (direct and concert) अनुभवों के रूप में प्रस्तुत करना ।
2. विरोधाभासी (Contradiction) और अनजानी व तनाव-युक्त परिस्थितियों को अनुभव करने के अवसर देना ।
3. निहित मूल्यों, कर्त्तव्यों, दृष्टिकोणों व परिप्रेक्ष्यों को स्पष्ट करना ।
4. छात्रों को किसी अन्य की स्थिति में स्वयं को रखकर सोचने या परानुभूति (empathy) करने का अवसर देना । अर्थात् विभिन्न व्यक्तियों की मानसिकता को अनुभव करने के अवसर देना ।
5. विरोधी स्थितियों में या मत मित्रता की स्थितियों में अनेक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चयन करके उनमें समाहार (Consensus) करने के अवसर प्रदान करना ।

भूमिका निर्वहन पद्धति के चार चरण (Four of Role-Play) - भूमिका निवर्हन पद्धति के प्रमुखतः चार चरण हैं जो निम्नवत प्रस्तुत हैं -

प्रथम चरण (Step- I) द्रश्य का निर्माण (Setting the Seens) - प्रथम चरण में भूमिका हेतु द्रश्य संयोजन की कल्पना की जाती है । इस पद मे निम्न प्रयासों द्वारा भूमिका हेतु परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है-

1. भूमिका पर ध्यानाकर्षक वक्तव्य (To focus on roles)
2. भूमिका में निहित समस्या या परिस्थितियों पर चर्चा (Topic issue)
3. भूमिका से सम्बद्ध घटनाओं एवं व्यक्ति-अध्ययनों की रूप रेखा प्रस्तुत करना (To Narrating to related cases)
4. पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ्यांश या भूमिका के उपर्युक्त क्रियात्मक अंश का चयन कर भूमिका की परिस्थिति उत्पन्न करना
5. किसी समाचार या नागरिक दायित्व से जुड़े विवादों या अद्यपतन विषयों को भूमिका निर्वहण की परिस्थिति उत्पन्न करने में प्रयुक्त करना ।

कक्षा की बैठक व्यवस्था भूमिका निर्वहण के अनुरूप करना ताकि सभी छात्रों को द्रश्य से जोड़ा जा सके ।

द्वितीय चरण (Step - II) - वास्तविक भूमिका निर्वहण : (Actual Role Play)

भूमिका निर्माण की परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है तो दूसरे चरण का कार्य प्रारम्भ हो जाता है । शिक्षण छात्रों में से 'पात्रों' का चयन करता है और उन्हें स्वेच्छा से भूमिका के अनुरुप

पात्राभिनय की प्रेरणा देता है । पात्रों की भूमिका का संक्षिप्त आलेख (लगभग 4० शब्दों का) भी दिया जा सकता है । छात्रों को कुछ समय अपनी-अपनी भूमिका की तैयारी और विचार-विमर्श हेतु दिया जा सकता है । जो छात्र भूमिका अदा नहीं कर रहे उन्हें दर्शक और अवलोकनकर्ता की भूमिका हेतु तत्पर किया जाता है । रोल-प्ले का समय सुनिश्चित कर देते हैं ।

उक्त तैयारी के बाद वस्तुत:, भूमिका निर्वहण प्रारम्भ होता है । दिये हुए समय तक रोल प्ले' होता रहता है । रोल-प्ले तब तक चलने दिया जाता है जब तक कि निर्धारित विषय के सभी बिन्दु या पक्षों पर पात्र अपनी-अपनी भूमिका नहीं करते ।

भूमिका-निर्वहन को निम्न उपायों द्वारा और भी प्रभावी बनाया जा सकता है-

(i) पात्रों को अपनी-अपनी भूमिकाएँ बदल कर एक-दूसरे की भूमिका अभिनीत करने को कहा जा सकता है ।

(ii) पात्राभिनय बीच में रोक कर दर्शकों और व पात्रों से जानकारी ली जा सकती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं? अथवा उनके सुझाव माँगे जा सकते हैं ।

(iii) भूमिका निर्वहन के साथ उसमें जुड़े कौशलों या विशेषताओं को दर्शाने के निर्देश दिये जा सकते हैं, जैसे न्यायालय से जुड़े द्रश्य-संचालन में पात्रों को 'हाजिर हों' कह कर पुकारने या 'मी लार्ड' सम्बोधन प्रयुक्त करने हेतु कहा जा सकता है ।

तृतीय चरण (Step - III)- विषय-अनुवर्तन (Debriefing) -

प्रथमत: इस चरण में पात्रों को अपनी-अपनी भूमिकाओं से बाहर आने और अपना-अपना स्थान ग्रहण करने के उपरान्त कहा जाता है कि अपनी-अपनी भावनाएँ व्यक्त करे ।

द्वितीय स्तर पर अवलोकनकर्त्ता सीखी गई विषय सामग्री पर एवं भूमिकओं पर अपनी प्रतिक्रियाएँ देते हैं । इस प्रकार विषय व भूमिकाओं का खुलासा होता है ।

इस प्रकार इस चरण में पात्रों और दर्शकों द्वारा अपनी-अपनी अनुभूतियों (teaching) का आदान-प्रदान होता है ।

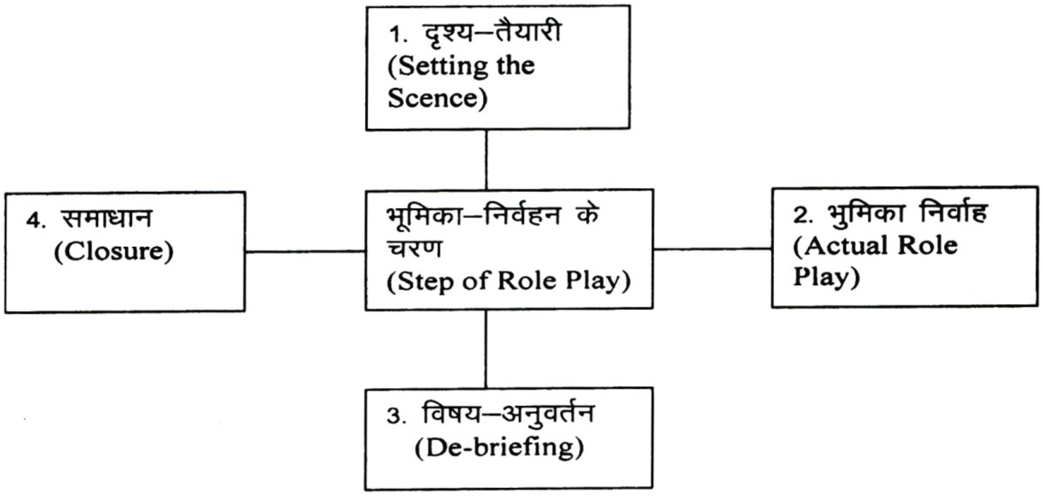

चतुर्थ चरण समापन (closure) -

अन्त में सीखे गये व्यवहारों की संक्षिप्त प्रस्तुती होती है मूल विषय वस्तु के साथ भूमिकाओं को जोड़ा जाता है । समय अनुभवों की व्याख्या सहित समीक्षा प्रस्तुत की जाती है ।

सक्षिप्तीकृत विषय वस्तु श्याम पट्ट पर या चार्ट के माध्यम से पुन: प्रस्तुत की जाती है । इस प्रकार रोल प्ले' चारों चरणों में सम्पन्न होने वाली प्रक्रिया को निम्नवत दर्शाया जा सकता है ।

नागरिकशास्त्र रोल प्ले प्रक्रिया

I	II	III	IV
दृश्य निर्धारण (Setting the scene) ↓ भूमिका चयन (Role Selection) ↓ भूमिका चयन के औचित्य पर व्क्तवय (Statement of rationale of the Role) ↓ भूमिका पर ध्यानाकर्षण (To focus on the role) ↓ मंचन स्थान निर्धारण (Stage Setting)	वास्तविक भूमिका निर्वहन (Actual Role Play) ↓ समय निर्धारण (Role Time Schedule) ↓ पात्र निर्धारण (disding the Players) ↓ भूमिका वितरण (Role anigning) ↓ भूमिका अवलोकन (Observing the Role Play)	विषय अनुवर्तन (De-briefing) ↓ पात्र प्रतिक्रिया (Playes Respons) ↓ दर्शक प्रतिक्रिया (observer's Response) ↓ भूमिका से विषय पर लाना (Shifting from role to main subject)	समापन (Closure) ↓ विषय की संक्षिप्त प्रस्तुति (Summerizing) ↓ भूमिका के विषय का संबंध स्थापना (Linking the role with Main Material)

नागरिक शास्त्र में भूमिका निर्वहन विधि के गुण एवं सीमाएँ (Merits and De-Merits of Role Playing)

क्र.सं.	गुण (Merit)	सीमाएं (Limitations)
1	इसके माध्यम से छात्रों को विषय के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ा जा सकता है	समस्त विषय'-वस्तु -`रोल प्ले' के माध्यम से प्रस्तुत नहीं की जा सकती ।
2	यह छात्रों में सामाजिक कौशल मेँ विकास की वृद्धि करता है ।	इस विधा शिक्षण हेतु समय अधिक चाहिए ।
3	नागरिक मूल्यों के स्पष्टीकरण (Value classification) के लिए	सभी छात्र भूमिकाओं के साथ जुड़कर 'रोल प्ले' करने में सक्षम नहीं होते । अत: शर्मीले और

	उत्तम विधा है ।	अंतर्मुखी छात्रों के लिए अनुपयुक्त है ।
4	छात्रो मेँ सैद्धांतिक ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग की दृष्टि का विकास करती है ।	विवादास्पद विषयों की सही रूप प्रस्तुति कठिन हो जाती है ।
5	यह सृजनात्मक विकास में सहायक है।	कई बार रोल पले हास्यास्पद बनकर रह जाता है। इसके लिए उपयुक्त वातावरण बनाना कठिन होता है ।
6	रोल प्ले बालकों में आत्म- विश्वास जाग्रत करता है ।	सभी शिक्षक रोल प्ले संचालन दक्ष नहीं होते ।
7	यह प्रत्येक स्तर के बालको के शिक्षण हेतु प्रयुक्त की जा सकती है ।	सम्पूर्ण पद्धति के स्थान पर एक तकनीक के रूप में अधिक उपयुक्त है ।

5.9.8. समाजीकृत अभिव्यक्ति
(Sociallized Recitation)

समाजीकृत अभिव्यक्ति समूह केन्द्रित विधियों का ही एक रूप है । बाइनिग एवं बाइनिंग के अनुसार- "समाजीकृत अभिव्यक्ति को समाजीकृत 'वास्तुवाद' भी कहा जाता है ।" ''''''''''''''''''''''

कोई भी कक्षा सत्र जो एक वर्ग (group) के रूप में सामुहिक चेतना तथा वैयक्तिक उत्तरदायित्व का प्रदर्शन करे, समाजीकृत अभिव्यक्ति है ।

Any Class-Session that exhibits group consciousness and feeling of individual responsibility towards the group is a socialized recitation.

नागरिक शास्त्र में शिक्षण प्रयुक्त समाजीकृत अभिव्यक्ति के रूप (Forms of Socialized recitations in Civics Teaching)

- औपचारिक वर्ग योजना (Informal Group plan)
- अनौपचारिक वर्ग योजना (formal Group plan)
- आत्मनिर्देशित वर्ग योजना (self directed plan)
- संगोष्ठी (Seminar)
- वाद-विवाद (Debate)
- कार्यशाला (Work shop)
- सम्मेलन (Conference)

समाजीकृत अभिव्यक्ति के अनेक रूप अन्तःक्रिया सत्र (Interactive sessions) के रूप में प्रयोग होते है । नागरिक शास्त्र शिक्षण में इनकी प्रयुक्ति विशेष रूप में महत्वपूर्ण है । समाजीकृत अभिव्यक्ति के निम्न प्रयोग प्रचलित है-

(1) औपचारिक वर्ग योजना (Formal group plan) - यह विचार विमर्श का ही एक रूप है जिसमें छात्र वक्राकार बैठकर किसी विशेष समस्या या मुद्दे पर व्यवस्थित रूप से चर्चा करते है । वर्ग का अध्यक्ष कार्य सम्पन्न करने में नेतृत्व करता है ।

(2) आत्म निर्देश वर्ग योजना (Self directed group plan) - उच्च स्तरीय कक्षाओं में इस प्रकार के समूह कार्य महत्वपूर्ण है । छात्र परस्पर सहमति से किसी समस्या या प्रकरण पर अध्ययन कार्य करने की योजना बनाते है और कार्य संपन्न करते है । शिक्षक अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करता है ।

(3) संगोष्ठी (Seminar) - यह विधा उच्च कक्षा के छात्रों के लिये उपयुक्त है । विशेष समस्या या प्रकरण पर वर्ग समूहों में गहन विचार अलग-अलग वर्ग समूह के प्रतिनिधि अपने-अपने दृष्टिकोण से एक एक कर विचार प्रकट करते है । अन्त: में सुझाव व प्रश्न आमंत्रित होते है और अध्यक्ष द्वारा निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए समापन किया जाता है ।

(4) सम्मेलन (Conference) - किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बड़े वर्गो में व्यापक विचार विमर्श हेतु सम्मेलन योजना बनाई जाती है । यह उच्च कक्षाओं के लिये यह विधि अधिक उपयोगी है । जिस प्रकार संगोष्ठी में एक ही 'थीम या विचारणी विषय' परिपक्वता पूर्ण चिन्तन और शोध बिन्दु विभिन्न वर्गो के प्रतिनिधि अपने अपने तर्को के आधार पर प्रस्तुत करते है उसी प्रकार सम्मेलन में भी किसी 'विचारणीय' मुद्दे या विषय पर बड़े स्तर पर अधिक प्रतिभागियों के द्वारा परिपक्वता पूर्ण विचार-विमर्श किया जाता है । सम्मेलन विधा में सर्वप्रथम 'थीम पत्र विचारणीय विषय पर आधार-पत्र' (Theme Paper) प्रस्तुत किया जाता है । आधार पत्र में विषय के सभी पक्षों को प्रतिभागी सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । दूसरे सत्रों में प्रतिभागियों को उप-विषयों (Sub-Theme) के आधार पर समूहों में चर्चा करने या अपने शोध पत्र प्रस्तुत करने के अवसर दिये जाते है । अन्त: में पुन: सम्मिलित सत्र (Common session) में सभी वर्गो द्वारा उन विषय पर किये गये विचारों का निष्कर्षात्मक प्रतिवेदन वर्ग प्रतिनिधियों द्वारा प्रेषित किया जाता है ।

(5) कार्य शाला (Workshop) - यह विधा किसी विषय पर व्यावहारिक रूप से कार्य करने और परिणाम प्रस्तुत करने पर अधारित है । 30-40 छात्रों के वर्ग में किसी विषय पर सामान्य सत्र में विषय विशेषज्ञों द्वारा कार्यपरक (Operational) जानकारी दी जाती है । द्वितीय सत्र में छोटे-छोटे दलों 'में वास्तविक रूप से प्रत्येक प्रतिभागी जमकर कार्य करता है और उद्देश्यानुसार विषय पर व्यक्तिश: अधिपत्य स्थापित करता है ।

(6) पटल चर्चा (Forum) - यह विधा व्याख्यान का ही दूसरा रूप है । इसमें विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया जाता है । और व्याख्यान के उपरान्त चर्चा, प्रश्नोत्तरों के माध्यम से सभी छात्रों को सक्रिय अन्तःक्रिया करने और अधिक गहन जानकारी अर्जित करने के अवसर प्राप्त होते है ।

(7) मंच चर्चा (Panel Discussion) - इस प्रकार के अन्तःक्रिया सत्र में विषय के ज्ञाता 3 से 4 सदस्यों का वर्ग किसी सोद्देश्य पूर्व चयनित विषय पर चर्चा करता हैं । मंत्र चर्चा का एक संयोजक होता है जो पैनल सदस्यों के क्रमश: विषय के विभिन्न पहलूओं पर विचार प्रस्तुत करने का अवसर देता है । अस्पष्ट बिन्दुओं पर और गहन चर्चा आमंत्रित करता है । इस प्रकार विषय के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत विचार विमर्श से श्रोता लाभान्वित तो होता है, किन्तु उन्हें अन्तःक्रिया करने का अवसर प्राय: नही दिया जाता है ।

उक्त समाजीकृत अभिव्यक्ति के प्रयोग किसी ने किसी रूप में शिक्षण-अनुदेशन क्रिया में समूह की भागीदारी पर आधारित है । इसको संचालित करने में समूह-अन्तःक्रिया आवश्यक है ।

(8) अन्तःक्रिया सत्र (Interactive Session) - सभी प्रकार की समाजिक अभिव्यक्ति में अन्तःक्रिया निहित है । अनुदेशन की समूह केन्द्रित विधाओ में अन्तःक्रिया सत्र आयोजन सबसे लोकप्रिय है । इनके आयोजन के समय सूझ बूझ पूर्ण नियोजन, क्रियान्वयन और अनुर्वतन पर विशेष ध्यान दिया जाता है ।

समूह अन्तःक्रियात्मक सत्रों के मूल तत्व (Major elements of group interactive Sessions) - समूह अन्तःक्रियात्मक सत्रों में समस्त कक्षा सामूहिक सत्रों में या छोट-छोटे वर्गो (small groups) में सक्रिय भागीदारी करती है । इन्हीं में से चार मुख्य तत्व नियत होते है-

1. अध्यक्ष (Chair person)
2. वक्ता (Speaker)
3. सहभागी (Participants)
4. प्रतिवेदक (Reporter or recorder)

उक्त चारों तत्वों की समूह अन्तःक्रिया में अपनी-अपनी भूमिका है । अत: ऐसी किसी भी शिक्षण विधा का प्रयोग करने से पूर्व विद्यार्थियों को विषय वस्तु की जानकारी दी जाए और उसकी कार्य रूचि, क्षमता और प्रकृति के आधार पर उन्हें उक्त चारों कार्यो के निष्पादन का दायित्व दिया जाए ।

सभी समूह अदा:क्रिया विधाओं के माध्यम से अनुदेशन आयोजन में निम्न चरणों या पदों का अनुसरण किया जाता है

अन्तःक्रिया पूर्व सत्रीय कार्य-कलाप (Pre-Interactive Session activities) - सामूहिक अन्तःक्रिया सत्रों के आयोजन की विशेष तैयारी अपेक्षित है इसके लिये -

1. समय-सारणी में इन्हें विशेष महत्व दे और इनके लिये कार्य दिवस या कार्य छोटे आवश्यकतानुसार निर्धारित करें ।
2. समूह के सुसंचालन हेतु स्थान भी निर्धारित हो । लघु समूह और पूर्ण वर्गो को कार्य करने के आवश्यकतानुसार स्थल उपलब्ध होने आवश्यक है ।
3. विषय-वस्तु का वितरण (Disribution of Subject matter) - सभी विद्यार्थीयों को विषय को उप विषयों में विभाजित कर वितरित कर दें और संदर्भ सामग्री की जानकारी और प्राप्ति के स्रोत्र (Sources) भी स्पष्ट कर दें । वितरित कार्य का रिकार्ड भी रखें । छात्रों को विषय एवं उप विषयों की तैयारी में मार्गदर्शन व प्रेरणा भी दें ।
4. प्रस्तुतीकरण शिड्यूल (Presentation of schedule) या तिथियाँ निर्धारित करे ।
5. समुचित बैठक व्यवस्था (Seating Plan) समूह अन्तःक्रिया सत्र वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार ।

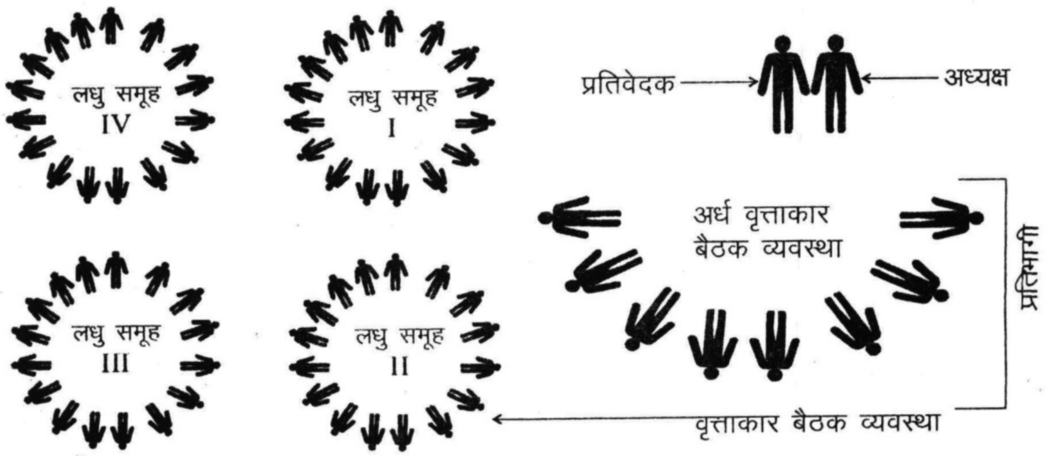

6. आलेख वितरण - छात्रों द्वारा तैयार किये गये विषय आलेखों की प्रतियाँ सभी प्रतिभागियों में पहिले से वितरित की जाएँ ।

शिक्षक द्वारा प्रदर्शन (Demostration and Presentaion by the teacher) - शिक्षक द्वारा अध्यक्ष, प्रस्तोता और प्रतिवेदक की भूमिकाओं को स्वयं करके प्रदर्शित करना चाहिए । छात्रों को समूह अन्तःक्रिया सत्र संचालित करने से पूर्व उसमें निहित उत्तरदायित्वों, सावधानियों व कार्य कलापों की स्पष्ट रूपरेखा चित्रित करना शिक्षक का दायित्व है ।

समूह अन्तःक्रिया का संचालन (Conducting the group Interacting Session) - वास्तविक संचालन के समय निम्न पदो पर ध्यान दें-

(i) **प्रारम्भन (Initiation)** - समूह अन्तःक्रिया सत्र के स्वरूप के अनुसार प्रारम्भिक वक्ता को वार्ता का अवसर दे । सामान्यत: यह कार्य अध्यक्ष द्वारा सम्पन्न होता है ।

(ii) **नियम निर्देश -** प्रतिभागियो को चर्चा या अन्त: क्रिया में भाग लेने के नियम स्पष्ट करे अर्थात -

"सभी प्रश्न व अन्य सम्बोधन अध्यक्ष के नाम से होंगे ।"

"हाथ उठाकर अनुमति प्राप्त करने के बाद ही बोले ।"

"वक्ता या सहभागी की बात बीच में ही नहीं काटें ।"

(iii) **प्रोत्साहन** - निष्क्रिय छात्रों को चर्चा में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करें ।

शिक्षक की भूमिका

(The Role of A Teacher)

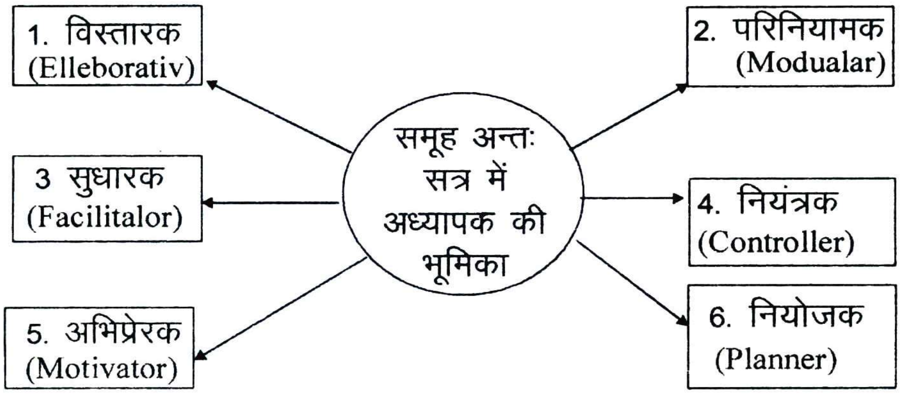

अन्तःक्रिया सत्रों में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे ऊपर चार्ट में दिया गया है-

इस प्रकार शिक्षक छात्रों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देकर अन्त: क्रिया सत्रों के आयोजन उद्देश्य में सहायक होता है

अन्तःक्रिया सत्र समापन (Closing an Interactive Session) - सत्र समाप्ति पर सत्र के उद्देश्य के आधार पर सभी वर्गो के प्रतिवेदन प्रस्तुत होंगे । शिक्षक द्‌वारा किसी पक्ष पर विशेष प्रकाश भी डाला जा सकता है । मुख्य बातों की पुनरावृत्ति की जा सकती है । प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाएँ सुनी जाती है । अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ सत्र समापन होता है ।

उत्तर-अन्त: क्रिया सत्र (Post Interactive Session)

- समूह आधारित शिक्षण सत्रों की समाप्ति के पश्चात उसकी उपलब्धियों पर चर्चा की जानी चाहिए ।
- सत्र की न्यूनताओं को भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।
- समूह अधारित गतिविधियों का भी आयोजन हो ।

इस प्रकार विद्‌यार्थीयों के मन प्रतिक्रियाएँ और सुझावों को ध्यान में रखते हुए भावी सत्रों में सुधार किया जाना चाहिए ।

5.3 नागरिक शास्त्र शिक्षण के कौशल (Specific Skill of Civics Teaching)

प्रत्येक शिक्षक-प्रशिक्षणार्थी को यह जानना आवश्यक है कि शिक्षक में शिक्षण एक बहुआयामी तत्वों (Multiple factors) आधारित जीवन्त प्रक्रिया है । शिक्षक को इन बहु-आयामी तत्वों को प्रयुक्त करने (handling) में दक्ष होना आवश्यक है । नागरिक शास्त्र की शिक्षण क्षमता दो तत्वों से विकसित होती है - **1. शिक्षक का ज्ञान (Knowledge component) 2. शिक्षण-कौशल (Skill component)**

कल्पना कीजिये आप कक्षा में हैं और उन सक्षमताओं की रूपरेखा तैयार कीजिये जो आपको शिक्षण के लिये आवश्यक है । तो शायद कुछ ऐसी तस्वीर बनेगी-

1. मौखिक सक्षमता (Verbal competencies)
   कथन (Narrating)
   स्पष्टीकरण (Explaning)
   वर्णन (Describing)
   प्रश्न (Questioning)
   निर्देश देना (Giving directions)
2. अ-मौखिक सक्षमता (Non verbal competencies)
   हाव-भाव (Gestures)
   संचालन (movement)
   मौन (Pause)
3. संगठनात्मक सक्षमता (organizational Competencies)
   संसाधनों की पहिचान (Identifying resources)

संसाधनों की प्रयुक्ति (Mobilising Resources)

समन्वय (Coordinating)

समुदायों से संबंध (Liason with community)

संसाधनों की आपूर्ति (Replanisment of resources)

4. मूल्यांकन (Evaluation)

मूल्यांकन पदों का निर्माण (Constructing Evaluation)

परीक्षण करना (Conduct test)

अंकन/ जाँच (Assessment)

परिणामों की व्याख्या (Interpretation of results)

5.3.1 शिक्षण कौशल की संकल्पना (Concept of teaching skill)

शिक्षक के उक्त कार्यो को सक्षमता से सम्पन्न करने की दृष्टि से ओर विश्लेषण किया जाए व विभिन्न क्रियात्मक कौशलों में रूपान्तरित किया जाए तो निम्न शिक्षण कौशल बुनियादी तौर पर प्रत्येक शिक्षक में होने चाहिए-

1. उत्प्रेरण कौशल (Set Induction)
2. उदाहरण सहित व्याख्यान (Explaining with example)
3. प्रश्न पूछना (Questioning)
4. खोजपूर्ण प्रश्न (Probing question)
5. पुनर्बलन (Re-inforcement)
6. द्रश्य-श्रव्य साम्रगी प्रयोग (Use of audio-visual aids)
7. श्यामप्रट्ट कार्य (Black-board work)
8. पाठ का समापन (Closure)

उक्त कौशलों का पुन: बारिकी से विश्लेषण करते हुए इनमें निहित घटकों (Component) की पहिचान की गई । इस प्रकार प्रत्येक कौशल की कुछ व्यवहारों के संयोजक के रूप में पहिचान की गई । इस पहिचान का अभ्यास और उन पर स्वामित्व (Mastery) संभव हुआ। यही प्रक्रिया शिक्षक-प्रशिक्षण की एक प्रभावशाली विधा के रूप में सूक्ष्म-शिक्षण के रूप में लोकप्रिय हुई।

5.3.2 नागरिक शास्त्र शिक्षण के विभिन्न कौशल (Specific teaching skill for teaching Civics) - नागरिक शास्त्र शिक्षक को कतिपय शिक्षण कौशलों में दक्ष होना आवश्यक है । आगे तालिका में ऐसे कौशलों के घटकों (Components) का विवरण दिया जा रहा है -

क्रमांक	शिक्षण कौशल		घटक
1	प्रश्न कौशल(Question Skill)	1	प्रश्नो की स्पष्टता (Clarity)
		2	विषय से सम्बद्धता(Content related)
		3	तारम्यता (Continuity)

		4	नुकीलापन (Pin pointing)
		5	छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल (According to the student Mental level)
		6	पर्याप्तता(Sufficiency)
		7	छात्रों में प्रश्नों का समान वितरण छात्रों में प्रश्नों का समान वितरण (Equal distribution of questions among student)
2	उद्धिपनपरिवर्तन (Stimulus Variation)	1	संचलन (Movement)
		2	हाव-भाव प्रदर्शन (Gesture)
		3	वाक-दृश्य प्रदर्शन (Oral-visual Switching)
		4	केन्द्रण (Focussing)
		5	अन्तःक्रिया शैली में परिवर्तन (Change in Interaction)
3	खोज पूर्ण प्रश्न (Probing Question)	1	संकेत देना (Prompting)
		2	और अधिक सूचना प्राप्त करना (seeking further Information)
		3	पुनः केंद्रीयकरण (Refocusing)
		4	पुनः निर्देशन (Re- directing)
		5	आलोचनात्मक सजगता (Critical awarness)
4	व्याख्यान कौशल (Skill of Prompting Pupils Partieintation)	1	विचार व कथनो को जोड़ने वाले शब्द कड़ियों (Explaning Lines)
		2	कथन में समविन्तता (Cordination)
		3	सम्बद्धता (विषय से) (Relevence)
		4	स्पष्ट प्रारम्भवन (Clear Starting)
		5	भाषा मेँ प्रवाह (Fluency)
		6	सुसंगत शब्दो का चयन (Use of Proper Word)
		7	निष्कर्षात्मक कथन (Intering Statiment)
		8	परीक्षण प्रश्न (Question of or Testing)
5	छात्र सहभागिता कौशल (Skill of Promoting Pupils Partienination)	1	मानसिक तैयारी (Mutual Preparation)
		2	शिक्षक का समुचित व्यवहार (Proper attitude of teacher)
		3	पिछड़े या सही उत्तर नहीं देने वाले छात्रो के प्रति शिक्षक का सहयोगी दृष्टिकोण (Cooperative Attitude teacher)

		4	छात्रों को प्रोत्साहन (Enuraging the Students)
		5	प्रश्न पूछना (Asking Question)
		6	छात्रों को उचित संबोधन (Proper way of addressing Students)
		7	अशाब्दिक पुनवबर्लन (Non Verbal reinforcement)
		8	रुचि बनाए रखना (Sustaining Interest)
		9	छात्र सहयोग देना (Seeking Students Cooperation)
6	कक्षा-कक्ष प्रबंधन कौशल (Skill of Class room Managment)	1	विद्यार्थी अभिप्रेरण (Students Motivation)
		2	सरस शिक्षण (Interesting Teaching)
		3	उपयुक्त कक्षा वातावरण (Congenial Classroom Climate)
		4	निरंतर कक्षा वातावरण (Congenial Classroom Climate)
		5	स्पष्ट निर्देश (Clear instruction)
		6	अनुशासनहीनता पर तुरंत कार्यवाही (Immediate action against Indisciplinary act)
		7	लोकतान्त्रिक पद्धतियों का अनुसरण (Use of democratic Methods)
		8	संदर्भ सामाग्री प्रयुक्ति (Use of Material aids)
		9	कक्षा - सुव्यवस्था (Well arranged Class)

चार्ट–1

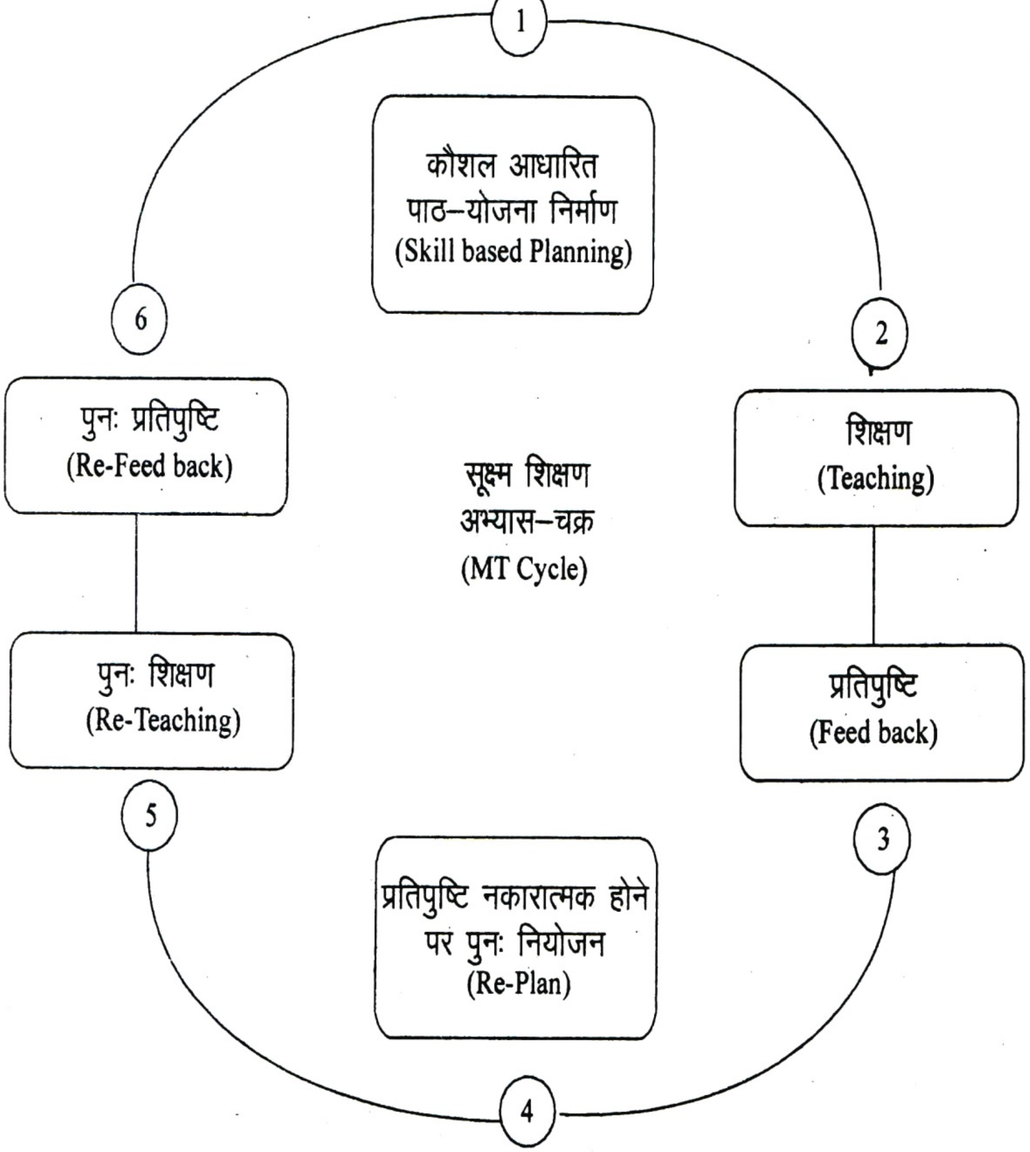

चार्ट - 2 सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास चक्र में अनुरूपित कक्षा-व्यवस्था

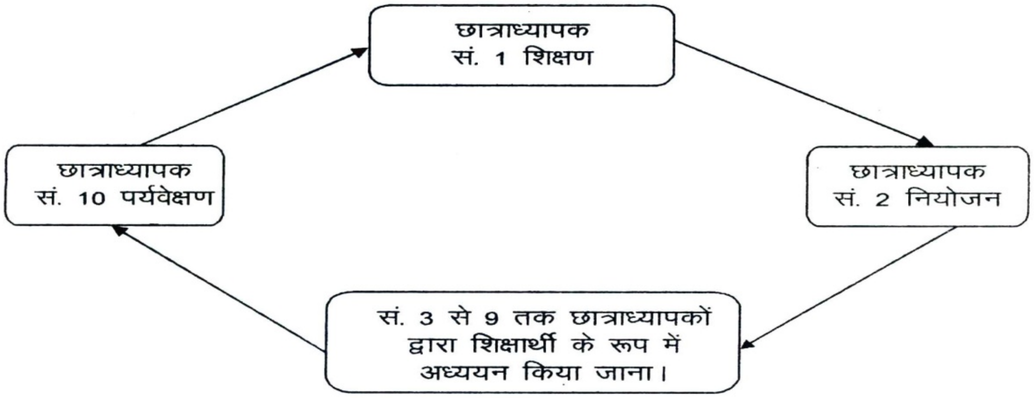

- चार्ट 2 देखें प्रथम चक्र अभ्यास में छात्र सं. 1 शिक्षण कौशल की पाठ-योजना बनाकर शिक्षण कार्य करता है ।

शिक्षण कौशलों की संख्या बड़ी है । यहाँ चुनिन्दा कौशलों के घटक दर्शाए गये हैं । सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास चक्र (Micro Teaching Cycle) अपनाकर सम्बद्ध कौशलों के घटकों के आधार पर 'माइक्रो प्लान 'बना कर साथी प्रशिक्षार्थियों को Simmulation या कृत्रिम अनुकरणीय स्थितियों में अभ्यास हेतु पढ़ाया जाता है ।

माइक्रो-टीचिंग प्रशिक्षण विधा के रूप में प्रचिलित है । इसमें कौशल प्राप्ति मूल होती है - विषय, समय, कक्षा का आकार, सभी सरल, व 'लघु' रहते है । एक-एक कौशल के घटकों के आधार पर प्रत्येक प्रशिक्षार्थी किसी भी लघु विषय पर 05 से 07 मिनट का पाठ बनाता है । 05 से 10 दूसरे छात्राध्यापक विद्यार्थी बन जाते हैं व लघु रूप में नियोजित पाठ का एक-एक कर शिक्षण अभ्यास चलता रहता है । घटकों के आधार पर साथी छात्राध्यापक (Peer) ही पाठ का अवलोकन करते हैं और शिक्षणोपरान्त पृष्ठपोषण (Feed back) द्वारा अपने शिक्षक बने साथी के शिक्षण की समालोचना करते हैं । यदि इस समालोचना में शिक्षक बने छात्र ने सभी घटकों को प्रदर्शित करते हुए कौशल आधारित लघुपाठ सही पढ़ाया है तो उसे अवलोकनकर्त्ता बना दिया जाता है व अवलोकन छात्र की तैयारी शिक्षण हेतु लघु पाठ तैयार करता है और विद्यार्थी बना कोई अन्य छात्राध्यापक लघु पाठ नियोजित कर शिक्षण करता है ।

यदि कोई छात्राध्यापक शिक्षण घटकों के आधार पर पढ़ाने में असफल रहता है तो उसे पुन: पाठ-नियोजन (Re-Plan). पुन: शिक्षण (Re-teach) की प्रक्रिया तब तक अपनानी होती है जब तक वह कौशल पर अधिकार या पूर्ण Mastery नहीं हो जाती ।

एक, दो, या तीन कौशलों पर आधारित पाठ का 15 से 20 मिनट तक शिक्षण करता है । इस शिक्षण में लिये गये कौशलों के सही एकीकृत प्रदर्शन के उपरान्त यह अभ्यास क्रमश: उसे चार और 5-7 या अधिक कौशलों के एकीकरण तक चलता है ।

शिक्षण कौशल प्रशिक्षण की अन्य विधाएं (Strategies)

(1) प्रदर्शन (Demonstration)

(2) अभिक्रमित अनुदेशन (Programmed instruction)

(3) अन्तःक्रिया विश्लेषण (interaction analysis)

(4) अनुरूपण (Simulation)

इन विधाओं पर अन्यत्र विशद् चर्चा होगी ।

5.4 सारांश (Summary)

शिक्षण कौशल, शिक्षण व्यवसाय के गढ़ सैद्धान्तिक ज्ञान को व्यावहारिक एवं क्रियात्मक एवं क्रियात्मक बनाते हैं । कुछ मूल कौशल (Core Skill) होते हैं, जो प्रत्येक शिक्षक की दक्षताओं या सक्षमता पाठों पदस्थापन (Set Induction), प्रश्न प्रवाह (Fluency Questioning) श्यामपट्ट पर कार्य (Black-Board Work), व्याख्या (Explanning) उद्दीपन परिवर्तन (Stimulus Variation) पुनर्बलन (Re inforcement) आदि । विषय से सम्बद्ध कुछ

अन्य कौशल महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं । जैसे नागरिक शास्त्र शिक्षक को - छात्र सहभागिता (Student Participantian) बढ़ाने व प्रजातान्त्रिक आधार पर कक्षा प्रबन्धन में दक्ष होना चाहिये । ऐसे ही अन्य कौशलों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । माइक्रोटीचिंग शिक्षक प्रशिक्षण की लोकप्रिय विधा है । अनुसपित (Simulated) शिक्षण विधा है-एक प्रकार से प्रशिक्षण की प्रयोगशाला विधि (Laboratory Method) है । माइक्रो शिक्षण चक्र में छात्राध्यापक लघु पाठों का शिक्षण-घटकों (Teaching Component) के आधार पर नियोजन, शिक्षण, अवलोकन व पठन कार्य चक्र पूर्ण करता है । एक-एक कौशल अर्जन के उपरान्त सभी कौशलों का एकीकरण करते हुए शिक्षण अभ्यास होता है ।

5.5 अभ्यास प्रश्न (Excercise)

1. शिक्षण उपागम एवं शिक्षण पद्धति का अर्थ स्पष्ट करते हुए इनमें परस्पर सम्बन्ध बताइये ।

   (Clearity the concept of teaching approach and teaching method write the difference in between the two)

2. प्रायोजना एवं समस्या पद्धतियों में प्रमुख अन्तर बताइये ।

   (Differentiate in Between the project and Problem methods of Civics teaching.)

3. नागरिक शास्त्र शिक्षण की समूह कार्य पर आधारित शिक्षण पद्धतियों का विवरण दीजिये ।

   (Describe the various group centered methods of Civics teaching.)

4. नागरिक शास्त्र शिक्षण हेतु भूमिका-निर्वहन (Roll-Play) के आधार पर शिक्षण के प्रमुख पदों को प्रस्तुत करते हुए ऐसे प्रकरणों की सूची तैयार कीजिये जिन्हें आप भूमिका निर्वहन द्वारा पढाना चाहेंगे ।

   (Mention the steps involved in Role Playing and Prepare a List of topics from the concept of Civics you would prefer to teach by Role Playing.)

5. मस्तिष्क-मंथन विधा नागरिक शास्त्र शिक्षण की दृष्टि से क्यों महत्त्वपूर्ण है?

   (Prepare a lesson Plan based on Discussion method for class ix on any topic of your own choice)

6. विचार-विमर्श पद्धति के आधार पर कक्षा IX के लिये अपने पंसद के किसी प्रकरण पर पाठ-योजना तैयार कीजिये ।

   (How far teaching competancies are based on teaching Skills . Described various important teaching skill for Civics teaching(.

7. शिक्षण सक्षमता एवं शिक्षण कौशलों का परस्पर सम्बन्ध बताते हुए प्रमुख शिक्षण कौशलों का परिचय दीजिये ।

How far teacher competancies are based on teaching skills . Describe the microteaching cycle.

5.8 संदर्भ ग्रंथ (Reference)

1. Good, Caster, V, 1959, `Dictionary of Education' Mc Grow hill Back, वी. Company, New York.
2. M.S. Yadav, T.KS. Lakshmi, "Concept and Input for secondary teacher Education, The instructional Role" National Council for Teacher Education New Delhi, 2003.
3. Vygotsky, Mind in Sociaty, Cambridge, MA; Harward university Press, P.86
4. Squires, geoffery, `Teaching as a professional Discipline," Falmer Press, London, 1999.
5. Dhand, H. Learning Contres : An Innovative appneach, APH Publishing Corporation, 1995.
6. Dhand, H., Teachniques of teaching Ashish New Delhi, 1990.
7. Brandt, Bon, `On Coopreative Learning.' A Conversation with spencer Kagan, Educational Leadership,
8. Graves, T. Cooperative Learning Strategies in the Global Context, Cooperative Leadership Cooperative Leadership, 10, No. 4 (June, 90) 13-16.,
9. Hymen, RT, `Ways of Teaching.' New York : J. B. Lippen Cott Co। 1974.
10. Das R. C. Passi, B. K. Sing. (1975) Effectiveness of Micro-Teaching in Training of Teacher, NCERT, Delhi (1975).
11. Jangira, N. K. & Singh, Aje't (1982): Core Teaches Skills: Micro-teaching Approaches NCERT, New Delhi).
12. एससी.ओबराय शैक्षिक तकनीक, आर्य बुक डिपो, करील बाग, नई दिल्ली 2005.
13. Dr. Kamla Vahishth & Dr. Yadu Sharma नागरिक शास्त्र शिक्षणए शिक्षा प्रकाशन 2006.

इकाई-6

जन माध्यम एवं नागरिक शास्त्र शिक्षण में उपयोग
(Media and its use in Teaching if Civics)

इकाई की संरचना (Structure of Unit)

6.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य (Aims and Objectives)

6.1 प्रस्तावना (Introduction)

6.2 जनमाध्यम का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Media)

6.3 जनमाध्यम में शिक्षा की आवश्यकता (Need of Media in Education)

6.4 जनमाध्यम के साधन (Means of Media)

6.5 जनमाध्यम की प्रक्रिया (Process of Media)

6.6 जनमाध्यम के साधनों का नागरिक शास्त्र शिक्षण में उपयोग (Use of Media in Teaching of Civics)

6.7 सारांश (Summary)

6.8 अभ्यास प्रश्न (Excercise Question)

6.9 संदर्भ ग्रन्थ (Reference)

6.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य (Aims and Objectives)

इस इकाई की सम्प्राप्ति पर आप-

1. आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी की बढ़ती महत्ता एवं अध्यापन आवश्यकता से अवगत कराना ।

   To acquaint the trainee with the increasing importance of modern information technology and teaching need.

2. सैद्धान्तिक ज्ञान को सुदृढ़ एवं सबल कराना ।

   To strengthen the theoretical knowledge. (concept and its types)

3. प्रत्येक सम्प्रेषण माध्यम (मिडिया) के संचालन, सम्प्रेषण एवं प्रभावी उपयोग की क्षमता विकसित करना ।

   To develop the Competence of organizing, communicating and utilizing every communicatve media.

4. नागरिक शास्त्र शिक्षण में कक्षागत उपादेयता, (अध्यापन और अधिगम दोनों में) की समझ विकसित कराना ।

   To develop understanding of classroom utility (in teaching and learning) in the teaching of civics

6.1 प्रस्तावना

(Introduction)

समय का चक्र इतनी तेजी के साथ घूम रहा है कि आज के प्रत्यय कल के लिये समय परिवर्तन के साथ बदलते चले जा रहे हैं । आज दुनिया का नारा एक मोबाईल फोन से ही पूरा होता है 'करलो दुनिया मुट्ठी. में " संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा इसका सही प्रतिपादन हो सका है । आज जन सामान्य सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा में योगदान को इसी नजरिये से देखता है जबकि वह प्रौद्योगिकी नहीं जानता । किन्तु विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में यही आलोचक इसे अपने दैनिक जीवन की एक महत्वपूर्ण क्रिया के रूप में अपनायेंगे । " किसी वैज्ञानिक सोच एवं परिमार्जित विधाओं से भरपूर तकनीकी ज्ञान प्रौद्योगिकी कहलाता है जिससे दुष्कर कार्य भी सरलतम हो जाये ।

आज सूचना संचार के माध्यम से शिक्षा जगत में भी नई क्रांति आई है । शिक्षा का एक वैश्विक स्वरूप भी होता है जहाँ हम बहुत कुछ जानना चाहते है । मान लीजिये हमें चीन की जनसंख्या वृद्धि के बारे में जानना हों या अमेरिका के किसी कॉलेज में चल रहे पाठ्यक्रम के बारे में रोम की आर्ट-गेलेरी को प्रत्यक्षत: देखना हो या चिकित्सा सम्बन्धी जानकारी लेनी हो हम संचार के साधनों के माध्यम से ले सकते हैं ।

संसार के इस विराट स्वरूप में शिक्षा केवल एक गाँव की छोटी सी कक्षा तक या पाठ्यपुस्तक के इने गिने पृष्ठों तक सीमित रहे, तो उसकी क्या सार्थकता है? आज की शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि वह संचार के साधनों का पूरा फायदा उठाये और नवीन पीढ़ी को संसार के लिये तैयार करें ।

जनसंचार के साधनों से शिक्षण का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि हमारे देश में बहुत से ऐसे छात्र भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर विद्यालय नहीं जा सकते । वह इन संचार माध्यमों की सहायता से फार्म भरने से लेकर पाठ्य पुस्तक पढ़ने तक का कार्य कर सकते हैं । कहा जा सकता है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय शिक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने में लगा हुआ है ।

6.2 जनमाध्यम का अर्थ एवं परिभाषा

(Meaning and definition of Media)

शब्द कोष के अनुसार संचार शब्द का अर्थ सूचनाओं को प्रेशित एवं ग्रहण करने की प्रक्रिया से है अर्थात् सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पर प्रेशित करने के कार्य का संचार कहा जाता है । कम्युनिकेशन (Communication) शब्द की उत्पति लेटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेयर (Communicare) से हुई है । जिसका अर्थ विचार विमर्श करना है ।

जब संचार के कार्यो को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से किया जाता है तो उसे कम्यूटिकेशन (Computication) कहा जाता है । कम्युनिकेशन शब्द का वर्तमान समय में अर्थ ही परिवर्तित हो गया क्योंकि आज मानव अन्तरिक्ष में पहुँच गया है । वहाँ से अपने सन्देशों को रेडियों रिपोर्ट भेजता है । मानव पृथ्वी पर बैठे-बैठे चन्द्रमा पर गये अपने वैज्ञानिकों से बातचीत कर सकता है ।

संचार का अर्थ है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना । शिक्षा और शिक्षण बिना सूचनाओं तथा विचारों के आदान प्रदान के सम्भव ही नहीं है । अत: कहा जा सकता है कि ' 'संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव-भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त विचारों अथवा संदेशों को समान तथा सही अर्थो में समझने और प्रेषण करने में उपयोग करते हैं"।

संचार प्रेषण करने, विचार विनिमय करने, अपनी बात तक पहुँचाने की और दूसरों की बात सुनने की, विचारों, अभिवृतियों संवेदनाओं तथा सूचनाओं एवं ज्ञान के विनिमय करने की एक प्रक्रिया है।

एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार -

"एक व्यक्ति या संस्थान से दूसरे व्यक्ति या संस्थान तक एक बात को पहुँचाना सूचना कहलाती है । जबकि संचार का अर्थ है सूचना या अन्य किसी तथ्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन । " अत: इस प्रणाली से हम पाते हैं कि सूचनाऐं त्वरित गति से निर्विघ्न यथा स्थान पहुँचे ।

लीगंस के अनुसार

"संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं तथा प्रभावों आदि का इस प्रकार (परस्पर) विनिमय करते है कि सभी लोग प्राप्त संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित करते है । "

लूगीस एवं बीगल के अनुसार

"संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत सूचनाओं निर्देशों तथा निर्णयों द्वारा लोगों के विचारों, मतों तथा अभिवृतियों में परिवर्तन लाया जाता है । "

एडगर डेल, के अनुसार

"संचार विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को जानने तथा समझने की प्रक्रिया है।

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि मीडिया से आशय उन सभी बहु संचारी (मल्टी मीडिया) पद्धतियों से है जिसके अन्तर्गत टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल फोन, टेलीप्रिंटर, टी. वी., रेडियो, कम्प्यूटर, इन्टरनेट व ई-मेल इत्यादि त्वरित संदेश व सूचना-प्रवाह के माध्यम के रूप में प्रकट हो रहे हैं ।

6.3 जनमाध्यम में शिक्षा की आवश्यकता (Need of Media in Education)

निम्नांकित कारणों से जनमाध्यम की शिक्षा मे प्रासंगिकता स्वत: ही बढ़ रही है-

1. सन् 1988-89 के शिक्षा संबंधी आकड़ों को देखे तो भारत में लगभग 2 लाख 28 हजार प्राथमिक स्तर के शिक्षक अप्रशिक्षित है । इतने अप्रशिक्षित शिक्षकों को औपचारिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित किया जाना संभव नहीं है । साथ ही ये अप्रशिक्षित शिक्षक भी किन्हीं कारणों से पूर्ण कालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने में असमर्थ है। इस समस्या का समाधान का एक-मात्र विकल्प जनमाध्यम द्वारा दूरस्थ शिक्षा से ही संभव है ।

2. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् के तत्वावधान में विशेषकर बी.एड. शिक्षा के मूल्यांकन हेतु 1995 में गठित आरसी दास समिति न सेवात शिक्षकों को अपने विषय में अद्यवन नवाचारों से भिन्न होने के लिये 5 वर्ष में एक बार सेवारत छोटा पाठ्यक्रम पूरा करने पर ही वेतन वृद्धि की अनुशंसा की है । ऐसे कार्यक्रम भी अनौपचारिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा ही दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जन माध्यम द्वारा ही पूरे किये जा सकते हैं ।
3. वर्तमान समय में भारत में लगभग 200 विश्वविद्यालय एवं 7800 महाविद्यालय हैं । शिक्षा की इतनी बड़ी एवं व्यापक उच्च संरचना के बावजूद भी ये शिक्षण संस्थान भारत के केवल 17-24 आयुवर्ग के 5.6 प्रतिशत युवा विद्यार्थी को ही नियमित रूप से प्रवेश दे पा रहे हैं । इनमें भी अधिकांश विद्यार्थी उच्च वर्ग से संबंधित हैं । जबकि 9495 प्रतिशत सामान्य युवा वर्ग के विद्यार्थी की आवश्यकता की पूर्ति केवल दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संभव है ।
4. भारत जहाँ एक ओर 2 व वीं सदी में प्रवेश कर चुका है, जहाँ भूमण्डलीकरण एवं उदारीकरण जैसी अवधारणाएँ प्रभावी हैं, वहीं दूसरी ओर निरक्षरता हमारी प्रमुख समस्या बनी हुई है । 191 के अनुसार भारत में पुरूष साक्षरता 63.86 प्रतिशत व स्त्री साक्षरता 39.42 प्रतिशत है । विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सम्पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने व परम्परागत विश्वविद्यालयों द्वारा इतनी बड़ी भीड़ को शिक्षित करना असंभव सा लगता है । जिसे मात्र दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है ।
5. सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कारणों के परिणाम स्वरूप विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के शैक्षणिक स्तर में काफी भिन्नताएँ पैदा हो जाती है । ऐसी स्थिति में सभी क्षेत्रों में सभी समुदायों के लिए शिक्षण संस्थाऐं खोलना संभव नहीं होता अत: सभी समुदायों और सभी क्षेत्रों के लिये जन माध्यम द्वारा शिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं ।

6.4 जनमाध्यम के साधन (Means of Media)

1. रेडियो (Radio) - कई देशों में आज भी रेडियों द्वारा जन शिक्षा को कार्य रूप दिया जाता है । टाके मोटो ने 1987 में अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि अमेरिका में रेडियों ने औपचारिक शिक्षा में बिना किसी शोरगुल के दृढ़ भूमिका का निर्वाह किया है । विकासशील देशों में रेडियों जन शिक्षण का प्रभावी माध्यम बन रहा है । इसके माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की राजनैतिक, आर्थिक, भौगोलिक, शैक्षिक इत्यादि प्रांत, राष्ट्र ' और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सूचनाओं का संचरण किया जाता है ।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा ऑल इण्डिया रेडियो के माध्यम से कक्षा छ से 12 तक के छात्रों के आदर्श पाठ योजनाएँ एवं परीक्षोपयोगी वार्ताओं का प्रसारण निर्धारित कार्य दिवसों पर जिसकी सूचना शिविर पत्रिका के माध्यम से पूर्व प्रसारित करके किया जाता है । विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत रेडियो की प्रमुख भूमिका है । इसके माध्यम से प्रसारित कक्षा

शिक्षण और आदर्श पाठ योजना को सुनकर ज्ञानार्जन किया जाता है । यदपि टेलीफोन के कारण रेडियो का प्रयोग कम हो गया है । किन्तु फिर भी अपने महत्त्वपूर्ण मूल्यों के कारण आज भी स्कूल और उसके बाहर महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में प्रचलित है । मौखिक समाचार का एक अच्छा श्रव्य साधन रेडियो है जो शैक्षिक जगत से जुड़ा हुआ है । शिक्षक को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए । ताकि शिक्षक छात्रों को उसके बारे में पहले से जानकारी दे सके । कार्यक्रम के पूर्व छात्रों को उसके उद्देश्य प्रमुख शिक्षण बिन्दु तथा उसकी विशेषताओं के बारे में ज्ञान देकर पाठ व कार्यक्रम के प्रति प्रेरित करना चाहिए । शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाने के लिए रेडियो का प्रयोग करते समय निम्नांकित पदों को ध्यान में रखा जाना चाहिए

1. अध्यापक को रेडियो के शैक्षिक पाठों के बारे में उपलब्ध साहित्य को एकत्रित करके उसका अध्ययन करना चाहिए । इस साहित्य के अध्ययन में कार्यक्रमों की सूची तथा दैनिक समय सारणी आदि सम्मिलित है ।
2. अध्ययन से संबंधित एकत्रित की गई सूचना के आधार पर अपने विषय के शिक्षण को पाठ प्रसारण के साथ जोड़कर छात्रों को सुनाने की योजना ध्यानपूर्वक बनानी चाहिए ।
3. रेडियो प्रसारण को ध्यान से सुनने के लिये अध्यापक छात्रों को मानसिक रूप से प्रेरित करें । अध्यापक को चाहिये कि जिस विषय का रेडियो पाठ प्रसारित होना है रेडियो सेट का प्रबंध उसी विषय के कक्ष में करें । सभी कक्षा को रेडियों वाले कमरे में नहीं ले जाना चाहिए ।
4. रेडियो प्रसारण के समय रेडियो सेट, बैठक व्यवस्था, प्रकाश, हवा आदि का उचित प्रबंध होना चाहिए । प्रसारण के समय शोर आदि नहीं होना चाहिए ।
5. रेडियो सुनने के बाद अनुवर्ती कार्य भी होना चाहिए । रेडियो प्रसारण से सुने गये पाठ पर वाद-विवाद होना चाहिए । छात्रों को अपनी शंकाओं के समाधान का अवस मिलना चाहिए । यदि छात्र रेडियो प्रसारण के मध्य प्रश्न पूछना चाहे तो उसे मना किया जाना चाहिए । छात्रों को प्रसारण पूर्व ही निर्देश दिये जाने चाहिए कि कोई भी प्रश्न जिसका उत्तर छात्र चाहता है । अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में नोट कर लें । प्रसारण समाप्ति पर उसे पूछा जाना चाहिए ।

   रेडियो प्रसारण सामान्यतया दो प्रकार के हो सकते हैं-

1. सामान्य प्रसारण - इसमें देश विदेश के समाचार महत्त्वपूर्ण घटनाएँ आदि आती हैं । इनमें छात्रों का सामान्यत: ज्ञान बढ़ता है ।

2. शैक्षिक प्रसारण - ये कार्यक्रम विद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित होते हैं तथा विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किये जाते हैं जो छात्रों को उनके पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकरणों पर प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करते हैं ।

रेडियो से लाभ -

1. बच्चों ने रेडियो कार्यक्रम से कितना सीखा है इसके लिए उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं । साथ ही छात्र भी जिज्ञासा वश प्रश्न पूछते हैं और शिक्षक उनका समाधान करते हैं । उन्हें कैसेट में टेप कर लिया जाता है । जिससे आवश्यकता पड़ने पर कार्यक्रम दोहराया जा सकता है ।

2. सामान्य रूप से विद्यालयों में अनुपलय योग्य शिक्षकों की कमी को कुछ सीमा तक पूर्ति हो सकती है ।
3. आवश्यकतानुसार शिक्षक उन्हें पृष्ठ पोषण देने हेतु अपनी टिप्पणी तथा व्याख्या प्रस्तुत कर सकता है ।
4. रेडियो कार्यक्रम के अन्दर एक मूल्यांकित रिपोर्ट जो कि पृष्ठ पोषण तथा छात्रों के लिखित गह कार्यो पर आधारित हो शिक्षक द्वारा तैयार करवाई जा सकती है ।
5. रेडियो कार्यक्रमों द्वारा महापुरूषों, वैज्ञानिकों, राजनीतिज्ञों आदि की जीवनी को प्रस्तुत किया जा सकता है ।
6. पर्यटन को महत्त्वपूर्ण बनाने के लिए समय-समय पर रेडियों संदेश विभिन्न स्थानों उनके आस-पास के क्षेत्रों तथा वहाँ जाने की सुविधाओं आदि को प्रस्तुत किया जा सकता है ।
7. छात्रों के मानसिक विकास तथा समाज के साथ उनके समायोजन को दर्शाने के लिए रेडियो पर ड्रामा, कहानी कविता आदि कार्यक्रम प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।
8. रेडियो प्रसारण विश्व की नवीनतम सूचनाओं को कुछ ही क्षणों में उपलब्ध कराता है क्योंकि संसार साधन अब माईक्रोवेव प्रणाली से तथा उपग्रह प्रणाली से संबंधित है ।
9. रेडियो प्रसारण शिक्षण को सरल बनाता है । महान नेताओं के भाषण तथा अतीत की घटनाओं को स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत कर बालकों में ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा विकसित करता है ।

रेडियो की सीमाएँ

1. कई बार रेडियो प्रसारण की पूर्व सूचना छात्रों तथा शिक्षकों को नहीं मिल पाती, जिससे छात्र तथा अध्यापकों की तैयारी कठिन हो जाती है ।
2. कई बार छात्र रेडियो कार्यक्रम सुनने में लापरवाही करते हैं और पूरी रुचि से कार्यक्रम नहीं सुनते ।
3. इस प्रकार के कार्यक्रमों में छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं । कई बार छात्र अनुवर्ती कार्य में भाग लेता है तो कई बार इसकी उपेक्षा करता है ।

   यदि रेडियो प्रसारण का भली भांति प्रयोग किया जाये तो उपरोक्त कमियाँ दूर की जा सकती है और प्रसारण का पूरा लाभ उठाया जा सकता है ।

2. टेलीविज़न (Television) - टेलीविजन का आविष्कार जे.एल.बियर्ड ने किया था । जनसम्पर्क के माध्यमों में दूरदर्शन का स्थान अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । जनसंचार एक ऐसी अभिव्यक्ति है, जिसके बिना सब सूना सूना हो जाता है । इसमें कोई संदेह नहीं कि जन संचारन के और भी अनेक माध्यम है मगर .ज़न संचार में दूरदर्शन की भूमिका सबसे सर्वोपरि है । इसके माध्यम से हम घटनाओं व समाचारों को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं । प्रतिदिन प्रसारित कार्यक्रमों के माध्यम से नवीन ज्ञान का अर्जन होता है । समसामयिक घटनाक्रम, राज्य एवं राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम घर बैठे देख सकते हैं । शैक्षिक टेलीविजन का प्रसारण सर्वप्रथम ऑल इण्डिया रेडियो द्वारा जनवरी-मार्च, 1960 में किया गया । फोर्ड फाउण्डेशन के साथ हुए समझौते के अनुसार 1965 में 6000 टीवी. सेट माध्यमिक, उच्च

माध्यमिक विद्यालयों में दिये गये । जिसका चार साल बाद मूल्यांकन कराया गया जो संतोषप्रद था ।

1975-76 में "उपग्रह अनुदेशनात्मक टेलीविजन प्रयोग" जो दूरदर्शन एवं स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर द्वारा बनाये गये और भारत के 6 राज्यों के 2400 गांवों में प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिये 1 अगस्त, 1975 से प्रसारित हो रहे हैं ।

वर्तमान में एनसीईआरटी., इग्नू, यूजीसी. द्वारा दूरदर्शन रप सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिये शिक्षा संबंधी कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते है?

केबल टेलीविजन आज एक प्रभावी जन शिक्षा का माध्यम बन रहा है । देश विदेश में सर्वत्र वीडियो कैसेट का निरन्तर निर्माण एवं उत्पादन हो रहा है । जिससे केवल उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं । भारत के खुले विषय विद्यालय अपने-अपने अध्ययन क्षेत्रों पर छात्रों को वीसीपी तथा वीसीआर. के जरिये वीडियो कैसेट्स देखने की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं ।

टेलीविजन एक महत्त्वपूर्ण साधन है जिसमे छात्रों को देखने व सुनने की दोनों ज्ञानेन्द्रियों कान एवं आख का उपयोग किया जाता है । इसके प्रयोग से प्रत्येक घटना देखी जा सकती है और प्रत्येक बात सुनी जा सकती है । इससे पहले प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसका प्रसारण किया जाता है ।

विशेषताएँ -

1. टेलीविजन द्वारा एक ही समय में कठिन प्रकरणों पर तैयार किये गये पाठ विशेषज्ञों द्वारा कम खर्च मे देश के कोने-कोन तक पहुँचाये जा सकते हैं ।
2. विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदत्त वार्ताएँ, व्याख्यान तथा प्रदर्शन टेलीविजन के माध्यम से जरूरतमंद छात्रों तथा शिक्षकों तक पहुँचाये जाते हैं ।
3. इसके द्वारा प्रशिक्षित तथा विशेषज्ञ गुणी अध्यापकों की कमी का निराकरण संभव है ।
4. प्रभावी शिक्षण अनुभवों को प्रदान करने के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाओं के अभाव को दूर रखना संभव है । क्योंकि एक ही शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम लाखों तक पहुँचाता है।
5. स्वयं अध्यापक की शिक्षण तकनीकों में सुधार लाने में सहायक है क्योंकि पूर्व में रिकॉर्ड किए गए शिक्षण को देखकर अध्यापक को शिक्षण की शिथिल स्थलों का पता लग जाता है ।

3. इंटरनेट (Internet) - इंटरनेट की स्थापना अमेरिका के रक्षा विभाग ने 1996 में की थी । इसकी स्थापना का उद्देश्य रक्षा संबंधी सूचनाओं को कम्प्यूटर के द्वारा एक जगह से हजारों मील दूर स्थापित दूसरे कम्प्यूटर में शीघ्रता से पहुँचाना था । यह प्रयोग अपेक्षा से ज्यादा सफल रहा । इसलिये आरम्भ में जो नेटवर्क बना उसे अर्पानेट (ARPANET- Advance Research Project Agency Network) कहा जाता था । लेकिन जब इसका प्रयोग अमेरिकी विश्वविद्यालय और अन्य सरकारी संस्थाएँ करने लगी तो इसका नाम बदलकर इंटरनेट हो गया । इंटरनेट को यदि आज के हिसाब से परिभाषित सकें तो केवल यही कहा जा सकता है कि यह दुनिया भर में फैले लाखों कम्प्यूटर का नेटवर्क हैं । यह सभी कम्प्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं

तथा आपस में किसी भी तरह की सूचनाओं का आदान-प्रदान करने की संसार की सबसे बड़ी व्यवस्था इंटरनेट है |

प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फोर्ड ने एक बार घोषणा की थी कि भविष्य में धन की सुरक्षा व आजादी कभी भी नहीं पा सकेंगे । भविष्य में मनुष्य अपनी आजादी व सुरक्षा केवल अपने ज्ञान, अनुभव एवं बुद्धि कौशल से ही प्राप्त कर सकेगा । यह कथन इंटरनेट के माध्यम से समूची दुनियाँ को एक गांव में तब्दील होने एवं इंटरनेट के 21 वीं सदी के जीवन का आवश्यक हिस्सा बनाने पर लागू होता है । अपने दिमाग एवं दिमागी योग्यता से विश्व के सबसे धनी व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट कम्पनी के मालिक एवं सूचना क्रांति के जनक बिल गेट्स ने कुछ वर्ष पूर्व कम से कम कर्मचारियों और बिना कागज फाइलों वाले कम्प्यूटरों से संचालित जिल भावी कार्यालयों की रूपरेखा प्रस्तुत थी वह अब मूर्तरूप ले रही है । अर्थात् इंटरनेट की ताकत जिसके हाथ लग जायेगी वह पूरी दुनिया पर छा जायेगा ।

वर्तमान समय में विद्यालयों, महाविद्यालयों के सभी छात्रों को नवीनतम सूचना प्रदान करने एवं दूर बैठे विशेषज्ञों की राय. प्राप्त कर विषय का ज्ञान प्रदान करने में इंटरनेट बहुत सहायक है । इंटरनेट द्वारा विशेष के विशेषज्ञ जो हमसे दूर स्थान पर हो या दूर देश में हो तो भी हम वांछित विषय पर नेट चैटिंग के माध्यम से जटिल विषयों पर विचार-विमर्श कर छात्रों को भी सुना सकते हैं, महत्वपूर्ण विषयों पर राय ली जा सकती है । जिससे छात्रो की अभिव्यक्ति क्षमता तर्क शक्ति विशेषण क्षमता एवं सुनकर ग्रहण करने की क्षमता का स्वत: विकास हो सकता है ।

आवश्यक जानकारी भी सम्बन्धित वेबसाइट के माध्यम से ले सकते हैं । देश विदेश के विश्वविद्यालयों में चलने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी प्राप्त छात्र भविष्य संवार सकते हैं । सीनियर सैकण्डरी स्नातक या अधिस्नातक शिक्षा के बाद केरियर को नई दिशा देने में भी इंटरनेट छात्रों का विशेष सहायक बन सकता है ।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने विद्यालयी शिक्षा में कम्प्यूटर शिक्षण को एक विशिष्ट स्थान दिया है । विश्वभर के कम्प्यूटर के जुड़ाव से निर्मित तंत्र को इंटरनेट कहा जाता है । इंटरनेट को जालों के जंजाल की संज्ञा दी जाती है । क्योंकि यह एक कम्प्यूटर नेटवर्क है । इंटरनेट को WWW (वर्ल्ड वाइड वेब) के नाम से भी जाना जाता है । इंटरनेट प्रदान करने वाली ऐजेंसियों को आई.एस.पी. (इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर) कहा जाता है । आग्ल भाषा का शब्द Inter अर्थात् बीच में और तय' का अर्थ है जाल । यह एक ऐसा जाल है जो Internet कनैक्शन धारियों, जिन्हें User कहते हैं, के बीच रहता है जिससे सभी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं ।

इंटरनेट की विशेषताऐं-

इंटरनेट की प्रमुख विशेषताऐ निम्नलिखित हैं -

1. इंटरनेट में एक स्थान से अनेक -स्थानों तक प्रसारण संचार की अपेक्षा बिन्दु से बिन्दु तक संचरित होता है ।
2. बड़ी मात्रा में आकड़ों की खोज करने में यह सहायक होता है ।
3. एक सर्वर से अन्य के बीच हाइपर लिंकिंग सुविधा जिसमें एक शब्द क्लिक करके प्रयोगकर्त्ता विश्व के किसी भी स्थान तक सीधे आंकड़ो के स्त्रोत तक पहुँच सकता है ।

4. इंटरनेट के माध्यम से अनेक मल्टीमीडिया सम्बन्धी कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं । जैसे वीडियो, कांफ्रेंसिंग, डॉक्यूमेंट रीट्रीवल आदि ।

- इंटरनेट एक बहुत उपयोगी व्यवस्था है । यह अनेक कार्य कर्ने में समर्थ है । जैसे -
- विश्व की नवीनतम खबरें प्राप्त करना ।
- व्यापारिक समझौते (वार्ता) करना ।
- समान रुचि वाले लोगों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना आदि ।
- आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर फाइल्स का स्थानान्तरण करना ।

इंटरनेट व्यवसायी कम्प्यूटर नेटवर्क है, जिसमें सूचनाओं का विशाल भण्डार है, जिसे कम्प्यूटर पर उपलब्ध कराया जाता है । जिस व्यक्ति के पास इंटरनेट कनेक्शन होगा, वह किसी भी विषय पर तुरन्त सूचना प्राप्त कर सकेगा । विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों से जानकारी हासिल कर सकता है, उनके साथ पत्राचार कर सकता है और विश्व के किसी भी भाग में होने वाली घटना के बारे में सूचना मात्र कुछ बटन दबाकर ही प्राप्त कर सकता है ।

4. कम्प्यूटर (computer) - विश्व का प्रथम कम्प्यूटर एनिएक (ENIAC) का निर्माण अमेरिका के पैनसित्वानिया विश्वविद्यालय में 1946 में किया गया । इस कम्पयूटर के जनक प्रेस्पर एक्कर्ट एव जॉन मांचली थे । शिक्षा के क्षेत्र में कम्प्यूटर का प्रयोग 1960 के लगभग आरम्भ हुआ । वर्तमान युग को कम्प्यूटर के- युग के नाम से जाना जाता है । आज कम्प्यूटर दैनिक क्रिया कलापों से लेकर रक्षा विज्ञान, शिक्षा, उद्योग, व्यवसाय, मनोरंजन, उपचार, रेल्वे आरक्षण, यातायात, टेलीफोन, टेलीग्राफ, दूरसंचार, अन्तरिक्ष विज्ञान, मौसम से संबंधित जानकारी एवं शोध तक अपनी अहम भूमिका निभा रहा है । अंग्रेजी भाषा के शब्द कम्प्यूटर की उत्पत्ति ' 'कच्छ' ' शब्द से हुई है । कच्छ का अर्थ अंकों की गिनती करना अथवा गणना करने से है ।

आज कम्प्यूटर से निरपेक्ष रहना ठीक वैसे ही है जैसे कोई मुख्य धारा से अपने आप को अलग थलग कर ले । मनुष्य का यह सपना, उसकी यह उड़ान पुरानी है कि वह ऐसी मशीन बनाये जिसकी कार्य प्रणाली एक दम मनुष्य की तरह है । कम्प्यूटर से उसका यह सपना साकार हुआ । जिस प्रकार हम अपनी आखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और हाथ से स्पर्श का अनुभव करते हैं, ठीक उसी प्रकार कम्प्यूटर के प्रवेश उपकरणों से सूचनाऐं कम्प्यूटर के अन्दर पहुँचती है । इसके बाद जिस प्रकार हमारा दिमाग सोचता है और हमारे अंगों से एकत्रित सूचनाओं का विश्लेषण करता है ठीक उसी प्रकार कम्प्यूटर का सीपीयू भी इन सूचनाओं का विश्लेषण करता है । मानव शरीर में मुँह और हाथ, दिमाग में सोचे हुए परिणाम को सामने लाते हैं और कम्प्यूटर में यह कार्य मॉनीटर, प्रिंटर और स्पीकरों से होता है ।

इंसान लगातार एक ही तरह का कार्य करते करते ऊब जाता है लेकिन कम्प्यूटर की डिक्शनरी में उबाऊ शब्द ही नहीं है । वह कभी भी नहीं ऊबता । हमें चाय पीने की छुट्टी चाहिये और तनख्वाह में बढ़ोतरी भी चाहिये लेकिन कम्प्यूटर इन सभी से बेखबर बिना रुके हर समग्र एक जैसा ही कार्य करता रहता है ।

कम्प्यूटर समस्त आधुनिक संचार प्रणालियों की आत्मा है । सही मायने में कम्प्यूटर द्वारा ही सूचना तकनीकी के क्षेत्र में नई क्रांति आई है । आज हर क्षेत्र में कम्प्यूटर की अनिवार्यता एवं गुणवत्ता प्रकाश में आ रही है, इसी अनिवार्यता को देखते हुए व्यापार, चिकित्सा, फिल्म रोजगार, ज्योतिष की भाँति शिक्षा का क्षेत्र भी इस तकनीक से अछूता नहीं रहा है । अब

शिक्षा में सरकार द्वारा विद्यालय एवं विश्वविद्यालय ने सभी डिग्री स्तरों पर कम्प्यूटर विषय को अनिवार्य कर दिया है । पत्राचार एवं खुला विश्वविद्यालय ने भी कम्प्यूटर विषय सम्मिलित किया है । पुस्तकें पढ़ने एवं एकत्र करने हेतु अध्यापक एवं विद्यार्थी हेतु भी कम्प्यूटर बेहद सहायक है । इलेक्ट्रोनिक पुस्तक के माध्यम से अपनी पसन्द एवं चाही गई पुस्तक का कम्प्यूटर स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं एवं आवश्यक सामग्री संचय भी कर सकते है ।

विशेषताऐ - कम्प्यूटर की निम्नांकित विशेषताऐं हैं.

1. शिक्षण प्रणाली व संस्थानों में प्रशासनिक समस्याओं के समाधान के लिए इनका प्रयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है ।
2. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश, परीक्षा, परीक्षाफल एवं अन्य पहलुओं से सम्बन्धित आकड़ों के विश्लेषण करने तथा निष्कर्ष तक पहुँचने में इनकी उपयोगिता का जोड़ नहीं ।
3. इसके माध्यम से छात्रों को अभ्यास के अवसर भी प्रदान किये जाते है ।
4. मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक है ।
5. शिक्षकों के वेतन बिल आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है ।
6. यह शिक्षक एवं छात्रों के लिये तथ्यों तथा सूचनाओं की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है ।
7. इसके माध्यम से समय सारणी का निर्माण आसानी से किया जा सकता है ।

5. टेली कॉन्फ्रेंसिंग (Conferencing) - जन शिक्षा का यह एक प्रभावशाली माध्यम है जहाँ छात्र तथा विशेषज्ञ एक दूसरे से प्रत्यक्ष संवाद कर पाते है । इस विधा द्वारा एक मुख्य केन्द्र पर बैठकर विशेषज्ञ अनेक अध्ययन केन्द्रों के छात्रों की अध्ययन समस्याओं का एक साथ समाधान कर सकते है । भारत में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने समस्त राज्यों की ओपन युनिवर्सिटीज से मिलकर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का एक व्यावहारिक नेशनल नेटवर्क तैयार किया है ।

टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी इलेक्ट्रोनिक प्रणाली है जिसमें दो या दो से अधिक दूर बैठे व्यक्ति विषयवस्तु के वार्तालाप में भाग ले सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं । दूसरों की बात सुन सकते हैं और उस पर तुरन्त प्रतिक्रियाऐं प्राप्त कर सकते हैं एवं आवश्यक सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकते हैं । श्रव्य टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में एक साथ कई टेलीफोनों की लाइनों की जरूरत पड़ती है अथवा पारस्परिक सम्बन्धित युक्तियों की जरूरत पड़ती है जिसे सम्पर्क प्रविधि कहा जाता है । प्रत्येक युक्ति को प्रत्येक सम्पर्क लाइन से जोड़ना सामान्य अभ्यास कहलाता है । सम्पर्क के लिये प्रयुक्त किये? उपकरण साधारण प्रकार के होते हैं जैसे हाथों के सैट, शीर्ष सैट, स्पीकर फोन रेडियों, टेलीफोन आदि की. जरूरत पड़ती है ।

टेली कॉस्केन्सिंग के प्रकार -

1. **ओडियो कॉन्फ्रेंसिंग** - ओडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो वास्तव में व्यक्ति से व्यक्ति तक टेलीफोन का स्वाभाविक प्रसार (Extension) है, जिसमें दो या अधिक लोगों द्वारा चर्चा की जाती है ।
2. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग -** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में टेलीफोन तथा श्रव्य साधनों का प्रयोग करके आमने सामने बात की जा सकती है ।

3. **कम्प्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग** - कम्प्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने वालों को विषय वस्तु तथा ग्राफिक्स का सम्प्रेषण किया जाता है जो टाइपराइटर टर्मीनल के द्वारा नियंत्रक कम्प्यूटर से जुड़े रहते है ।

टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ -

1. छात्रों की आंतरिक प्रेरणा तथा जिज्ञासा में वृद्धि होती है ।
2. टेली कॉन्फ्रेंसिंग विविध अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है ।
3. दूरस्थ शिक्षा में छात्र अपनी उपलब्धियों की स्वयं जाँच करते हैं ।
4. इसमें पुनर्बलन की व्यवस्था होती है ।
5. छात्रों में रुचि, कल्पना शक्ति तथा' ध्यान केन्द्रित करने की क्षमता में वृद्धि करती है '
6. इसमें छात्रों को तुरन्त पृष्ठ पोषण मिलता हैं ।
7. छात्र शिक्षकों से सम्पर्क कर अपनी कठिनाईयों का निवारण करने में समर्थ होते हैं ।
8. इसका प्रयोग औपचारिक, अनौपचारिक तथा निरोपचारिक सभी क्षेत्रों में किया जाता है ।
9. इससे पारस्परिक ढंग से न उपलब्ध होने वाले छात्रों के लिये भी समय सारिणी व्यवस्थित की जा सकती है ।

टेली कॉन्फ्रेंसिंग की सीमाऐं -

1. विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है ।
2. विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ।
3. यह उपकरण अधिक महंगे होते हैं ।
4. विशिष्ट शिक्षक का होना अतिआवश्यक है ।
5. प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध नहीं हो पाते ।

6. **औवरहैड प्राजेक्टर (Overhead Projecter)** - जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ' 'प्रोजेक्टर इमेज' ' पीछे से स्पीकर के शीर्ष से आती है । ओवर-हैड प्रोजेक्टर में एक पारदर्शी छाया समतल रूप में रोशनी के स्त्रोत पर प्रस्तुत की जाती है । रोशनी इस पारदर्शी वस्तु के पास गुजरती है और फिर पर्दे पर स्पीकर के पीछे से एक कोष के रूप में प्रतिबिम्बित होती है । इसी को ओवरहैड प्रोजेक्टर कहा जाता है ।

इसका प्रयोग सर्वप्रथम विश्व युद्ध के बाद सिपाहियों को शिक्षण देने के साधन के रूप में हु आ । ओवरहैड प्रोजेक्टर शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्तम सम्प्रेषण की विधि है । इसके उपयोग करने पर चॉक तथा श्यामपट्ट की आवश्यकता नहीं रहती । इसके द्वारा विषय से संबंधित विषय वस्तु पर विभिन्न ट्रान्सपेरेन्सी बनाई जाती है और इन्हें पर्दे पर प्रदर्शित किया जाता है । ओवरहैड प्रोजेक्टर शिक्षक की मेज पर रखा जाता है शिक्षक छात्रों की ओर उन्मुख होकर प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री को इस प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षक प्रोजेक्टर का संचालन करता है तथामह सामग्री पर्दे पर स्पष्ट दिखाई देती है और शिक्षक आवश्यकतानुसार उसकी व्याख्या करता है ।

आवेरहैड प्रोजेक्टर में उपयोग की जाने वाली ट्रान्सपेरेसी में अंकित संदेश, आकृति, मानचित्र चार्ट आदि की छवि साफ पठनीय एवं स्पष्ट होनी चाहिए इनके लिये निम्न बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए-

1. ट्रान्सपेरेंसीज पर लिखे शब्दों का आकार कम से कम 6 सेमी. अवश्य होना चाहिए ।

2. कक्षा में यदि 1 मीटर का पर्दा लगाया गया है तो छात्रों की अंतिम पंक्ति और पर्दे के मध्य 8 मीटर से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए ।
3. ट्रान्सपेरेंसीज पर लिखने के लिए ' 'मार्कर पैन' ' का प्रयोग करना चाहिए ।

ओवरहैड प्रोजेक्टर के निम्न प्रमुख भाग होते हैं-

1. केबिनेट - यह प्लास्टिक या स्टील का एक डिब्बा होता है । जिसका आकार प्रोजेक्ट की क्षमता पर निर्भर करता है । प्राय: 39 सेमी. x 32.5 सेमी तथा 26.5 सेमी. आकार की केबिनेट सामान्य शिक्षण हेतु उपयोगी है । इस केबीनेट पर नीचे के हिस्सों में सामान्यत: एक पंखा, प्रोजेक्शन लेम्प तथा पॉवर ऐसेम्बली होती है ।

2. प्राजेक्शन लैम्प - प्रोजेक्यान बल्ब तथा होल्डर को मिलाकर प्राय: प्राजेक्यान लैम्प कहते हैं । प्राय: 800 वाट, 240 वोल्ट के हैलोजन बल्व को प्रकाश के लिए प्रयुक्त करते हैं । इस बल्व के प्रकाश से 150 सेमी. प्र 150 सेमी. की आकृति सम्प्रेषणकर्ता के पीछे स्पष्ट दिखाई देती है ।

3. ठण्डा करने की व्यवस्था - केबिनेट के ही हैलोजन लैम्प से उत्पन्न ऊर्जा से बल तथा केबिनेट पर ऊपर लगी शीशे की प्लेट को टूटने से बचाने एवं ठण्डा करने के पंखा लगा होता है । जो बल को ठण्डा रखता है तथा अतिरिक्त ऊर्जा को शीघ्र ही बाहर फेंक देता है ।

4. फोकस व्यवस्था - केबिनेट की शीशे की प्लेट से निकलने वाले प्रकाश को स्क्रीन पर केन्द्रित करने के लिए विशेष प्रकार के लेन्स प्रयुक्त करते हैं जो एक फ्रेम में स्टेण्ड पर लगे होते हैं । यह स्टेण्ड केबिनेट पर एक कोने में लगा होता है । इस फोकस व्यवस्था को एक नियंत्रण नॉब द्वारा ऊपर-नीचे कर आवश्यकतानुसार समायोजित करते हैं ।

ओबर हैड प्रोजेक्टर का महत्व -

1. विस्तृत 'प्रोजेक्टेड इमेज' कम से कम दूरी पर प्राप्त की जा सकती है ।
2. शिक्षक हमेशा छात्रों पर नजर रख सकता है वह छात्रों के भावों को भी उनके चेहरे पर देख सकता है ।
3. संचालन करने वाले की दृष्टि की समन्वय सम्पूर्ण प्रस्तुतिकरण के साथ बहुत ही लचीला रहता है । शिक्षक सम्पूर्ण कक्षा को नियंत्रित रखता है ।
4. यह प्रोजेक्टर प्रकाशयुक्त कमरे में भी काम कर सकता है । इससे कमरे में अंधेरा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और इस कारण स्वच्छ वायु; आने तथा गंदी वायु को बाहर निकालने के लिये अतिरिक्त आवश्यकता नहीं पड़ती है ।
5. श्यामपट्ट पर लिखी या चिन्हित किसी भी साम्री के स्पष्टीकरण के लिये अध्यापक को बार-बार उसके निकट जोन की जरूरत पड़ती है परन्तु यहाँ अध्यापक इस परेशानी से बच सकता है वह यहाँ? प्रक्षेपित सामग्री को ऊपर किसी पेंसिल या संकेतक का प्रयोग कर यह कार्य अच्छी तरह से कर सकता है ।

6.5 जनमाध्यम की प्रक्रिया (Process of Media)

संचार एक सामाजिक प्रक्रिया है ।जिसके द्वारा मानवीय संबंध स्थापित होते हैं । संचार की प्रक्रिया, सामाजि संरचना में ऐसे गुथे हुए है कि बिना संप्रेषण के सामाजिक जीवन की कल्पना

करना ही मुश्किल होता है । संचार की प्रक्रिया को सरल मॉडल के रूप में इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है ।

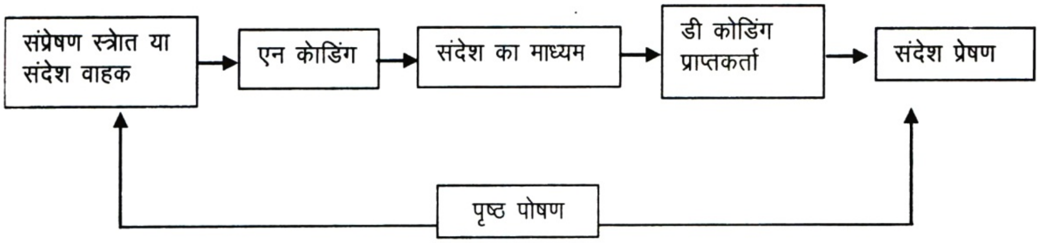

जन माध्यम प्रक्रिया - मॉडल : व

इस मॉडल के अनुसार जो व्यक्ति संदेश भेजता है, वह संदेश बनाता है । उसे लिखता है हफर किसी न किसी माध्यम द्वारा (जैसे रेडियो, टेलीफोन, भाषण आदि) संदेश प्रोशित किया जाता है । प्रेशित संदेश जहाँ पहुँचता है, वह उसे पढ़कर डिकोड करते हैं और जिसके जिये है उस तक उसे पहुँचाते हैं । यह संदेश प्राप्ति की सूचना देता है । जन माध्यम प्रक्रिया को एक अन्य लोकप्रिय मॉडल द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है ।

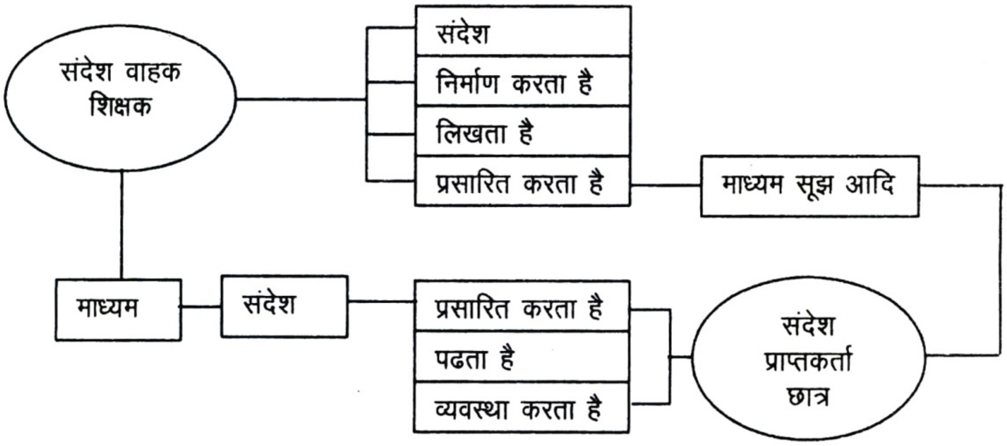

जनमाध्यम प्रक्रिया - मॉडल: 2

उपर्युक्त मॉडल में संदेश देने वाला व्यक्ति सर्वप्रथम संदेश का निर्माण करता है, लिखता है और उसे आवश्यकतानुसार प्रसारित करता है । यह संदेश या विषय वस्तु सूत्र के रूप में या अन्य किसी शाब्दिक या अशाब्दिक माध्यम के द्वारा संदेश करने वाले व्यक्ति तक पहुँचाया जाता है । संदेश ग्रहण करने वाला प्राप्त संदेश को पढ़ता है, उसे समझता है तथा आवश्यकतानुसार प्राप्त संदेश के अनुकूल उचित माध्यम से संदेशवाहक तक अपनी प्रतिक्रिया (Reaction) पहुँचाता है । इस मॉडल में जन माध्यम प्रक्रिया में संदेश और संदेश का प्रत्युत्तर दोनों ही समावेशित रहती है ।

6.6 जनमाध्यम के साधनों का नागरिक शास्त्र शिक्षण में उपयोग (Use of Media in Teaching of Civics)

प्रतियोगिता के इस दौर में हर छात्र की प्रथम आवश्यकता होती है, अपने ज्ञान को अद्यतन करना और ऐसे में अब नित नये परिवर्तन' हो रहे हैं तो जनमाध्यम के साधनों की भूमिका अति महत्त्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह ही वह साधन है जिसके द्वारा छात्रों को सही एवं प्रमाणिक जानाकारी प्राप्त होती

नागरिक शास्त्र शिक्षण मे जन माध्यम के साधनों का महत्व जो प्रारम्भ से ही था किन्तु वह बडी सीमित मात्रा में होता रहा है । इनमें चार्ट. चित्र तथा मानचित्र आदि आसान साधन ही उपयोग में लाये जाते थे । यह भी देखा गया है कि इनका उपयोग बी.एड. के छात्र अपने प्रशिक्षण काल में ही अधिक मात्रा में करते हैं, किन्तु परिस्थितियाँ अब बदल चुकी हैं । आज हमें खर्चीले उपकरणों का उपयोग करके शिक्षा के स्तर को उठाना - है तथा आवश्यकता है कि अध्यापक शिक्षा को सक्षम किया जाए । इसी उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने 1978 में अध्यापक शिक्षा में सभी स्तरों के अध्यापकों के लिये आवश्यक शिक्षा पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है । इसका उद्देश्य यह है कि अध्यापकों को धीरे-धीरे इन उपकरणों के उपयोग में प्रवीण करना जिससे कि वे इन उपकरणो को अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया में आत्मविश्वास के साथ सहायता लेकर उसे आधुनिक बनायें । नागरिक शास्त्र का अध्यापक निम्न प्रकार से जन माध्यम के साधनों का प्रयोग कर सकता है-

एक शिक्षक कक्षा में कम्प्यूटर का प्रयोग आसानी से कर सकता है एवं वांछित विषय सामग्री छात्रों को प्रदान कर सकता है जैसे सम-सामयिक विषय-वस्तु की जानकारी नागरिक शास्त्र में देने हेतु कक्षा में कम्प्यूटर रखकर हाल ही में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में विजयी उम्मीदवार बुश ने कितने मतों से जीत हांसिल की है? वे कितने वर्ष हेतु चुने गये हैं । उनकी योग्यता, अनुभव आदि पुस्तकालय से मालूम कर बताया जा सकता है । इसी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी ने इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन की स्थापना की है । जिसमें सरकारी सेवाओं में विश्वसनीयता पारदर्शिता व गोपनीयता आई है । सूचना प्रौद्योगिकी के नवीनतम आविष्कार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा राजनीति के चुनावी अड्डे की चुनावी प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है । इसी मशीन के द्वारा होने वाली चुनावी प्रक्रिया व गोपनीयता को छात्रों को बताया जा सकता है । इंटरनेट के माध्यम से नागरिक शास्त्र विषय को भी और अधिक रुचिकर बनाया जा सकता है । नागरिक शास्त्र में हम कई जीवन्त समस्याओं पर प्रकरण को लेकर छात्रों को अधिकाधिक नवीन जानकारी प्रदान कर सकते हैं । ऐसे प्रकरण का चयन किया जाना चाहिए जो कि निर्धारित पुस्तक से भिन्न हो । उदाहरण के तौर पर आज 'हिन्द महासागर पर महाशक्तियों की निगाहें लगी हुई हैं । " अत हमारा प्रकरण बन सकता है 'अशांत हिन्द महासागर' इस प्रकरण से संबंधित निम्नांकित शिक्षण बिन्दुओं को प्रस्तुत करना होगा-

- हिन्द महासागर की भौगोलिक स्थिति,
- हिन्द महासागर में महाशक्तियों का स्वार्थ और जमाव,
- अशांत हिन्द महासागर भारत की चिन्ता का विषय
- सैन्यीकरण का व्यापक विरोध आदि ।

उक्त बिन्दुओं में से प्रथम शिक्षण बिन्दु से पूर्व हमें प्रस्तावना, समाचार पत्र की कटिंग (हिन्द महासागर में हथियारों की जमीन चिंताजनक) की सहायता से कर सकते हैं । यहाँ हिन्द महासागर की भौगोलिक स्थिति की जानकारी हेतु एशिया के मानचित्र को प्रयुक्त किया जा सकता है । इसमें छात्रों को हिन्द महासागर के क्षेत्रफल तथा महाद्वीपों एवं हिन्द महासागर में महाशक्तियों के जमाव का स्वार्थ में उदाहरण एवं मानचित्र प्रस्तुत कर प्रश्नोत्तर किये जाते हैं । अशांत हिन्द महासागर भारत की चिंता का विषय के अन्तर्गत अत्याधुनिक युद्धों में प्रयुक्त किये जाने वाले हथियारों का चित्र दिखाया जा सकता हैं तथा भारत की शांति व स्वतंत्रता के खतरे को स्पष्ट किया जा सकता है । आज ऐसी स्थित में अध्यापक को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है । अध्यापक इंटरनेट का प्रयोग कर कक्षा में छात्रों को अशांत हिन्द महासागर से संबंधित शिक्षण बिन्दुओं के चित्र दिखा सकता है एवं अध्ययन करा सकता है । आश्चर्य यह है कि अध्यापक 'हिन्द महासागर' में कम्प्यूटर माउस की सहायता से छात्रों को अंदर तक की सैर भी करा सकता है व नई तकनीक त्रिआयामी फोटोग्राफी के माध्यम से 'अशांत हिन्द महासागर' का अध्ययन करा सकते हैं । आज हम इन सॉफ्टवेयर तकनीकों के माध्यम से भारत ही नहीं विश्व की समस्याओं का भी अध्ययन कर सकते हैं ।

शिक्षा जगत में अब धीरे-धीरे नई अवधारणा का विकास हो रहा है ई. गुरू. अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक टीचर जो कि आज छात्रों में अत्यन्त लोकप्रिय हो गया है । इंटरनेट के माध्यम से संबंधित बेवसाइट कार अध्ययन कर नवीनतम जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

6.7 सारांश (Summary)

शिक्षण एक अन्त: क्रियात्मक कार्य है । इस कार्य मे शिक्षण विद्‌यार्थी के साथ कुछ इस प्रकार की प्रक्रियाएँ करता है कि जिससे वह अपने भविष्यमुखी समय एवं परिस्थितियों में अपने आपका संतुलन एवं समायोजन आसानी से कर सकें । अत: शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक बनाने के लिये जनमाध्यम का उपयोग करने का प्रयास करता है । वर्तमान में यह माना जाने लगा है कि जितनी अधिक इन्द्रियों का प्रयोग शिक्षण अधिगम में किया जायेगा उतना ही अधिक विद्‌यार्थी के द्‌वारा अधिगम होगा । इसी तथ्य को ध्यान में रखकर शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया के लिये अब रेडियो, टीवी., कम्प्यूटर एवं इंटरनेट आदि स्त्रोतों से अपने विषय के जान को तथा अधिगम हेतु प्रयोग में लाने लगा है । बहुत सी संस्थाएँ इन सामग्रियों के निर्माण के लिये कार्य कर रही है । एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली आदि के शैक्षिक प्रौद्‌योगिकी विभाग ने इन वस्तुओं के पुस्तकालय आरम्भ कर दिये हैं । जिनके सदस्य बनकर विद्‌यालय अपने यहाँ विभिन्न शैक्षिक विषयों से संबंधित फिल्में मंगवाकर छात्रों को दिखा सकते है । बहुत से प्रशिक्षण महाविद्‌यालय में भी श्रव्य-द्रश्य विभागों की स्थापनाएँ कर रहे हैं ।

स्वमूल्यांकन

1. जनमाध्यम का अर्थ बताइये ।
   Give the meaning of media.
2. जनमाध्यम की शिक्षा में आवश्यकता को स्पष्ट कीजिये।
   Explain the need of media in Education.

6.8 अभ्यास प्रश्न
(Excercise Question)

1. टेलीकाफ्रेसिंग का क्या अभिप्राय है? टेलीकाफ्रेसिंग की प्रक्रिया तथा लाभों का वर्णन कीजिए ।

   What do you mean by Teleconferencing? Describe its procedure and advantages.

2. शिक्षा में जन माध्यम प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिये ।

   What do you mean by the media approach in education? Explain it.

3. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये ।

   अ. रेडियो ब. कम्प्यूटर स दूरदर्शन की विशेषताएँ

   (a) Radio (b) Computer (c) characterstics of T.V.

6.9 संदर्भ ग्रंथ
(Reference)

1. Dr. Neeraj Bhargava & Others - Fundamentals of Multimedia
2. Das, R.C. : Educational Technology
3. Mohanty S.B. : Educational Teachnology
4. शर्मा, आर.ए. : शैक्षिक तकनीकी ।
5. Kulshertha, S.P. : Educational Teachnology
6. उमेश चन्द सोनी, कम्प्यूटर साक्षरता एवं कक्षा-कक्ष प्रबंधन
7. शर्मा, प्रहलाद. कम्प्यूटर और पुस्तकालय
8. रत्तु डॉ. कृष्ण कुमार : सुचनातंत्र और प्रसारण माध्यम
9. नेटवर्किग की नई मंजिलें, कम्प्यूटर संचार पत्रिका
10. कपूर, उर्मिला. शैक्षिक तकनीकी

इकाई -7

नागरिक शास्त्र में नियोजन : सत्रीय, इकाई एवं दैनिक पाठ योजनाएँ

(Planning Civics Teaching : Sessional, unit and Daily Lession Planning)

इकाई की संरचना (Structure of Unit)

7.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य (Aims and Objectives)

7.1 नागरिक शास्त्र में नियोजित शिक्षण (Planned Teaching in Civics)

- 7.1.1 शिक्षण का नियोजन क्यों? (why instructional Planning)
- 7.1.2 नागरिक शास्त्र में नियोजन के आयाम (Planning aspects of Civics teaching)

7.2 सत्रीय नियोजन, आवश्यकता और महत्व (Sessional Planning, need and importance)

- 7.2.1 नागरिक शास्त्र की सत्रीय योजना की विशेषताएँ (Characterstics of Civics/ Sessional Plan)
- 7.2.2 सत्रीय नियोजन का प्रारूप (Format of the Sessional Planning)
- 7.2.3 सारांश (Summary)

7.3 नागरिक शास्त्र में इकाई एवं इकाई नियोजन: आवश्यकता और महत्व (Unit and unit Plan in Civics: need and importance)

- 7.3.1 इकाई नियोजन के पद (Steps involved in Unit Planning)
- 7.3.2 इकाई योजन के प्रारूप (Tentative formats of a unit plan)
- 7.3.3 इकाई योजना के अन्य पहलू (Other aspects of Unit plan)
- 7.3.4 सारांश (Summary)

7.4 पाठ योजना (Lesson Planning)

- 7.4.1 दैनिक पाठ योजना न होने पर क्या होगा? (why lesson planning ?)
- 7.4.2 पाठ योजना निर्माण का महत्व (Importance of lesson planning)
- 7.4.3 आदर्श पाठ योजना कैसी हो? (Characteristics of an Ideal Lesson Plan)
- 7.4.4 पाठ नियोजन की प्रक्रिया (Process of Lesson Planning)
- 7.4.5 नागरिक शास्त्र पाठ योजना का प्रारूप (Format of Civics lesson Plan)
- 7.4.6 सारांश (Summary)

7.5 अभ्यास प्रश्न (Excercise Question)

7.6 संदर्भ ग्रन्थ (Reference)

7.0 लक्ष्य एव उद्देश्य

(Aims and Objectives)

इस इकाई की सम्प्राप्ति पर आप-

- नागरिक शास्त्र में नियोजित शिक्षण का अर्थ एवं अभिप्रेत स्पष्ट कर सकेंगे ।
- सत्रीय नियोजन (Sessional Planning) की आवश्यकता एवं महत्व उदाहरण सहित प्रस्तुत कर सकेंगे ।
- नागरिक शास्त्र में सत्रीय नियोजन के पद दृष्टांत सहित प्रस्तुत कर सकेंगे एवं सत्रीय नियोजन में सावधानियों का विवरण लिख सकेंगे ।
- नागरिक शास्त्र शिक्षण में इकाई नियोजन की अवधारणा स्पष्ट कर सकेंगे ।
- इकाई नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व का उल्लेख कर सकेंगे ।
- इकाई योजना के नागरिक शास्त्र शिक्षण पर आधारित दृष्टांत दे सकेंगे ।
- दैनिक पाठ योजना की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डाल सकेंगे ।
- नागरिक शास्त्र विषय आधारित पाठ योजना का प्रारूप तैयार कर सकेंगे ।
- विषय आधारित पाठ योजना बना सकेंगे ।

7.1 नागरिक शास्त्र में नियोजित शिक्षण (Planned Teaching in Civics)

नागरिक शास्त्र एक विषय के रूप में नागरिकता का बुनियादी ज्ञान प्रदान करता है । यह वैज्ञानिक रूप से नागरिकता के अधिकार और कर्त्तव्यों की शिक्षा देता है । इसी कारण इसे 'समाज में मनुष्यों के अधिकार और कर्त्तव्यों का विज्ञान तथा दर्शन कहा जाता है । इस रूप में यह एक व्यावहारिक विज्ञान है, जिसका अभीष्ट देश में प्रजातान्त्रिक नागरिकों का विकास है । एक अरब की आबादी के लिये यह उद्देश्य बहुत कठिन अवश्य है किन्तु नियोजित प्रयासों के द्वारा इसे प्राप्त करना असम्भव भी नहीं । शिक्षक अपने शिक्षण को प्रत्येक स्तर की कक्षा हेतु सत्रीय योजना वार्षिक योजना, इकाई योजना, एवं पाठ योजना का निर्माण करते हुए नागरिक शास्त्र उद्देश्य निष्ठ शिक्षण नियोजित करता है ।

7.1.1 शिक्षण का नियोजन क्यों? (why instructional Planning)

- शिक्षण एक सोद्देश्य प्रक्रिया है अत: इसका नियोजन आवश्यक है । शिक्षण में शिक्षक, शिक्षार्थी पाठ्यक्रम एवं वातावरण परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया के आधार पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं - इस प्रभाव की 'दशा' और 'दिशा' सुनियोजित होनी ही चाहिये ।
- शिक्षण अधिगम के लिये है । अधिगम का परिमाण और गुणवत्त, किस सीमा तक प्राप्त हो पाई है, वह अपेक्षित स्तर की है या नहीं, इसके सुनिश्चित आकलन हेतु शैक्षिक नियोजन होना ही चाहिये ।
- समय और साधन सीमित है, शिक्षण-अधिगम की सम्भावनाएँ अनन्त; इन सम्भावनाओं की प्राथमिकता क्रम में प्राप्ति हेतु और समय' एवं 'साधनों के अधिकतम (Optimum) सदुपयोग हेतु नियोजन होना ही चाहिये ।

- शिक्षार्थी भिन्न-भिन्न होते हैं, उनमें वैयकितक भिन्नताएँ की पहिचान करते हुए अधिगम अनुभवों का संयोजन करना शिक्षण में नियोजन द्वारा ही सम्भव है ।
- शिक्षण सैद्धांतिक धारणाओं की प्रस्तुती मात्र नहीं अपितु अनेक बहुउद्देश्यीय (ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक) गतिविधियों का एवं संक्रियाओं का संयोग है । इस व्यावहारिक संक्रियाओं (Acitivities) को सुनियोजित रूप में संगठित करते हुए सम्पूर्ण (Wholiztics) शिक्षण-अधिगम की कल्पना को साकार किया जा सकता है ।

7.1.2 नागरिक शास्त्र में नियोजन के आयाम (Planning aspects of Civics teaching)

यदपि समस्त शिक्षण नियोजित ही होता है, नागरिक शास्त्र में भी शिक्षण विभिन्न स्तरों पर नियोजन द्वारा पूर्ण किया जाता है । नियोजन के विभिन्न आयाम निम्न प्रकार के है -

(1) सत्रीय या वार्षिक नियोजन (Sessional or Yearly Planning)

(2) इकाई नियोजन (Unit Planning)

(3) दैनिक पाठ योजना (Daily Lesson Planning)

7.2 सत्रीय, आवश्यकता महत्व (Sessional Planning, need and importance)

प्रत्येक पाठ्यक्रम एक नियत 'कैलेण्डर के आधार पर प्रारम्भ होकर पूर्ण होता है । यह 'कैलेण्डर नियत कार्य दिवसों, महिनों, त्रैमासिक (Term) अवधि में विभाजित होता है । सामान्यत: हमारे देश में जुलाई से अप्रेल 7 मई तक की अवधि को एक अकादमिक-सत्र (Academic Sesaion) माना जाता है । इस अवधि में संचालित सत्रीय होने वाली शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियों की. रूपरेखा को वार्षिक योजना कहते हैं ।

यह एक दीर्घकालीन योजना है जो पाठ्यक्रम को उसके उद्देश्य, इकाई शिक्षण के तरीकों और अपेक्षित समय या कालांशों के पूर्वानुमानों, संसाधनों की अपेक्षाओं और छात्रों की व्यैक्तिक भिन्नताओं को समेकित करते हुए रचनात्मक एवं अन्तिम (Formative and Summative) मूल्यांकन तक के अकादमिक (academic) प्रयासों की कार्यात्मक-योजना (Working Plan) होती है ।

7.2.1 नागरिक शास्त्र की सत्रीय योजना की विशेषताएँ (Characteristics of Civics / Sessional Plan) - नागरिक शास्त्र की सत्रीय योजना, नागरिक शास्त्र शिक्षक के समस्त सत्र के 'शिक्षण' व 'सहगामी' क्रियाकलापों का संदर्शन या लेखा है । यह नागरिक शास्त्र शिक्षक की 'निर्देशक' एव 'मार्गदर्शक' होने के साथ-साथ उसकी रचनात्मक-अभिव्यक्ति भी है ।

- यह लचीली व नम्य (Flexible) आयोजना है न कि कठोर बन्धन, इसमें शिक्षण के उद्देश्य, छात्रों की आवश्यकताओं, साधनों की उपलब्धता और अध्यापक के सोच में बदलाव आने के साथ संशोधन/ परिवर्धन भी किया जा सकता है ।
- सत्रीय योजना में छात्रों की वैयक्तिक भिन्नताओं के आधार पर अधिगम-अनुभवों (Learning) को संजोया जाता है ।
- नागरिक शास्त्र सत्रीय-योजना इकाई योजनाओं का ऐसा संकलन है जो इकाई शिक्षण के साथ नागरिक- कर्त्तव्यों के बोध सम्बन्धी क्रिया-कलापों, जन चेतना अभियानों, 'मॉक-

पार्लामेण्ट ', नागरिक स्थलों के अवलोकन जैसी गतिविधियों का सत्र में अहम् स्थान देती है ।

- यह विद्यालय समुदाय के सहयोग के साथ-साथ छात्रों व शिक्षकों को अपनी कमजोरियों की पहिचान करने व शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का साधन होती है ।
- सत्रीय-योजना विषय- गत उद्देश्य की व्यवस्थित सम्प्राप्ति को सुनिश्चित करती है, एवं मूल्यांकन, निदान तथा उपचार का प्रावधान करती है ।
- आगामी पृष्ठों में सत्रीय-योजना की एक रूपरेखा दी गई है - आप अपनी कक्षा के स्तर, छात्रों की पृष्ठभूमि एवं उपलब्ध साधनों के आधार पर अपनी तरह से नवीन रूप देते हुए तैयार कीजियेगा ।

7.2.2 सत्रीय योजना प्रारूप

(Tantative Sessional plan for the Civics teaching)

विषय के सामान्य उद्देश्य	उपसत्र /इकाई /समय/पूर्व क्रिया कलाप	प्रथम उप-सत्र जुलाई, अगस्त सितंबर (I-Term, July, August, September)			द्वितीय उप-सत्र अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर (II-Term, October, November, December)			तृतीय उप-सत्र जनवरी, फरवरी, मार्च (III-Term, January, Feburary, March)					
		इकाई -1 (I-Unit)	इकाई -2 (II-Unit)	इकाई -3 (III-Unit)	इकाई -4 (IV-Unit)	इकाई -5 (V-Unit)	इकाई -6 (VI-Unit)	इकाई -7 (VII- Unit)	इकाई -8 (VIII- Unit)	इकाई-9 (IX Unit)	इकाई -10 (X-Unit)		
नागरिक शास्त्र विषय के कक्षा- सत्रीय उद्देश्य की संक्षिप्त रूपरेखा A brief out line of aim and objectives of the Civics for the class under planning process	विषय वस्तु विश्लेषण (Content analyses) इकाई -निरूपण (Finalizing the units) रिसौर्स -यूनिट नियोजन (Planning of Resource - unit) संसाधन- आंकलन (Appraisal of the available resource) छात्रों के वैयक्तिक भेदो की पहचान (Identification of the individual differential)	विषय-प्रवेश (Introduction) (1-कालांश) शिक्षण (Teaching) (4- कालांश) विचार-विमर्श (Discussion) (1-कालांश) पुनरावृत्ती (Revision) (1-कालांश) अभ्यास कार्य (Exercise) (1-कालांश) निदानात्मक (Digresses) (1-कालांश) उपचरात्मक (Remedial) (1-कालांश) विशेष (Special) वृक्षारोपण (Plantation) (2-कालांश)	इकाई की पृष्ठभूमि (An over view of the Content) (1-कालांश) शिक्षण (Teaching) (5- कालांश) वादविवाद (Debating) (1- कालांश) आवृति (Revision) (1- कालांश) प्रश्नोतरी द्वारा अभ्यास (Excercise through Quiz) (1- कालांश) निदानात्मक (Digresses) (1-कालांश) उपचरात्मक शिक्षण (Remedial Teaching) (1-कालांश)	इकाई परिचय (1-कालांश) शिक्षण (1-कालांश) सम्प्रत्यय मानचित्र अभ्यास (Concept mapping excercise) (2-कालांश) विषय आधारित स्किट (skit) (2-कालांश) इकाई - परीक्षण (Unit Test) (1-कालांश) निदानात्मक एवं उपचरात्मक उपक्रम (2-कालांश)	चार्ट द्वारा इकाई पृष्ठभूमि (Introduction through chart) (1-कालांश) शिक्षण (Teaching) (4-कालांश) प्रोजेक्ट वर्क व कार्य- चर्चा (4-कालांश) आवृति (1-कालांश) इकाई परीक्षण (1-कालांश) उपचारात्मक एवं अभ्यास (1-कालांश)	विषय- प्रवेश स्किट द्वारा (2-कालांश) कक्षा शिक्षण (Teaching) (5-कालांश) समूह कार्य (Group-work) (2-कालांश) अभ्यास -कार्य (1-कालांश) इकाई टेस्ट (1-कालांश) सुधार व उपचार (1-कालांश)	इकाई- परिचय (1-कालांश) विशिष्ट वार्ता (Special Talk) (1-कालांश) कक्षा - शिक्षण (3-कालांश) नागरिक शास्त्र खेल (Game) (2-कालांश) एवं भूमिका निर्वहन (Role Play) द्वारा (2-कालांश) आवृति (4-कालांश) विशेष अर्द्धवार्षिक परीक्षाएँ	अभी तक हुए शिक्षण पर आधारित छात्रो द्वारा तैयार की गयी सामाग्री के आधार पर प्रदर्शनी आयोजन (Exhibition) (3- कालांश) शिक्षण (5- कालांश) आवृति (1-कालांश) इकाई परीक्षण (1-कालांश) निदान एवं उपचार (1-कालांश)	दृश्य- श्रव्य विधा से (Audio-Vedio) विषय- प्रवेश (1-कालांश) शिक्षण (4-कालांश) दल शिक्षण (Team Teaching) (2-कालांश) मूल्यांकन सम्बंध तथ्यो पर आधारित वर्ग पहेली (Cross words Puzzel) (1-कालांश) अभ्यास प्रश्न (1-कालांश)	विषय - प्रवेश (1-कालांश) विषय से सम्बंध समाचारो का संकलन व चर्चा (2- कालांश) 'माक' पार्लामेण्ट सत्र (3-कालांश) आवृति (1-कालांश)	इकाई-प्रवेश (1-कालांश) शिक्षण (5-कालांश) अभ्यास प्रश्नोतर (2-कालांश) विशेष विंगत सत्रों के प्रश्न चित्रों के आधार पर समस्या समाधान व उपचारातमक शिक्षण (3-कालांश)	वार्षिक परीक्षाएँ / प्रोन्नति	(Promotion) एवं आगामी सत्र के प्रोन्नति दत्त कार्य (Assesment) एवं (Project Work) प्रयोजन कार्य
कुल कालांश	....	12- कालांश	11-कालांश	12- कालांश	12- कालांश	12- कालांश	13- कालांश	11-कालांश	09-कालांश	10-कालांश	11- कालांश		

7.2.3 सारांश (Summary) - नागरिक शास्त्र नागरिकता का व्यावहारिक ज्ञान एवं विज्ञान है । यह प्रजातान्त्रिक नागरिकता का आधार प्रदान करता है अत: इसका सुनियोजित एवं उद्देश्य-परक शिक्षण आवश्यक है । नागरिक शास्त्र के नियोजित शिक्षण हेतु अध्यापक अनेक स्तरों पर नियोजन करता है जैसे -

- सत्रीय या वार्षिक योजना निर्माण ।
- रिसोर्स इकाई एवं इकाई नियोजन ।
- दैनिक पाठ नियोजन ।

सत्रीय-नियोजन में शिक्षण सत्र के प्रारम्भ से समाप्ति तक नागरिक शास्त्र शिक्षण की गतिविधियाँ की रूपरेखा बनाई जाती है । इसके प्रमुख पद निम्न हो सकते हैं -

(1) दी गई कक्षा के स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य. की पहिचान ।

(2) विषय-वस्तु का उपचार अर्थात् उसको इकाई या विषय खण्ड (Subject block) के रूप में पुनर्गठन ।

(3) उपलब्ध कार्य-दिवसों व कालांशों की गणना ।

(4) शिक्षार्थियों की विशिष्ट-आवश्यकताओं का आकलन ।

(5) इकाई एवं उप विषयों के आधार पर शिक्षण अधिगम अनुभवों का चयन ।

(6) उपसत्रीय कार्यों एवं सम्बद्ध सहगामी क्रियाओं का (जैसे नागरिक कर्त्तव्य-बोध, वृक्षा-रोपण, जैसे कार्यक्रमों का चयन) समायोजन ।

(7) शिक्षण-संसाधनों का लेखा, तैयारी ।

(8) छात्र-विविधताओं के आधार पर उपचारात्मक एवं उच्च स्तरीय (Enriched) अधिगम के प्रावधान ।

(9) विकासात्मक (Formative) एवं अन्तिम (Summative) मूल्यांकन का प्रावधान ।

सुविचारित सत्रीय-योजना नागरिक शास्त्र शिक्षक की पथ-प्रदर्शक होती है । यह विषय के उद्देश्य की सम्प्राप्ति का एक स्पष्ट, व्यावहारिक व गम्भीर भी उपाय है, जिसमें शिक्षक की विचार शीलता, कार्यशीलता, व कार्य-योजना का समग्र संदर्शन होता है ।

7.3 नागरिक शास्त्र में इकाई नियोजन : आवश्यकता और महत्व (Unit and Unit Plan in Civics : need and importance)

दिन-प्रतिदिन के शिक्षण में पाठ नियोजन ही काम आता है । आप यह सोचने लगते हैं कि इकाई योजना बनाने की क्या जल्दी है-कक्षा में तो इकाई योजना के आधार पर पढ़ाना होता नहीं है । किन्तु आपकी यह सोच गलत ही है- पाठ योजना बनाने से पूर्व इकाई को इकाई को समझ कर शिक्षण की इकाई योजना बनाना तो और भी अधिक आवश्यक है । इकाई योजना हेनरी सी. मॉरीसन (Henery C. Morrison) की पारगतीय उपागम (Mostery approach) पर आधारित है । माध्यमिक विद्यालय में शिक्षण -अभ्यास (Practice Teaches in Secondary Schools) नाम पुस्तक में मॉरीसन ने शिक्षण के 'पूर्ण रूप' में (As a Whole)

देखने और उसके पश्चात् उसके विभिन्न भागों को एक-एक कर संगठित रूप में समझने पर बल दिया है । यह 'गेस्टाल्ट' (Gestalt) विचार-धारा के अनुसार 'सूझ-बूझ' और समझ' (Learning by in sight) को सीखने का आधार मानते हैं । इस प्रकार 'मॉरीसन की 'इकाई उपागम मनोवैज्ञानिक आधारों पर विषय वस्तु को प्रस्तुत करने पर बल देती है । इसके प्रमुखतः निम्न पद हैं-

(i) अन्वेषण (Exploration) अर्थात् छात्र के पूर्व ज्ञान की खोज ।

(ii) प्रस्तुतीकरण (Presentation) अर्थात् नवीन ज्ञान की प्रस्तुति ।

(iii) आत्मीकरण (Assimilation) अर्थात् तर्क, उदाहरण प्रश्नोत्तरों से नवीन ज्ञान की पुष्टि

(iv) संगठन व व्यवस्थापन (Organization) अर्थात् अर्जित ज्ञान का मानसिक और व्यावहारिक स्तर पर संगठन ।

(v) अभिव्यक्ति (Recitation & Expression) अर्थात् अर्जित ज्ञान की सार्थक व सही अभिव्यक्ति ।

इकाई पद्धति की समझ आपके शिक्षण को किस प्रकार प्रभावी बनाती है? - इकाई पद्धति को यदि आप समझ कर शिक्षण करते हैं तो आपके शिक्षण में निम्न विशेषताएँ स्वतः ही आ जाती है

(1) **आप ज्ञान को एकीकृत व समग्र रूप में देखेंगे ।** अर्थात् आप देखेंगे कि पाठ्यक्रम एवं विषय-वस्तु की दृष्टि से कौनसा पक्ष अधिक महत्त्वपूर्ण है? विषय चयन की क्या पृष्ठभूमि रही है? मूलतः चयनित ज्ञान-खंड के क्या आधार रहे हैं? उक्त 'अन्र्तदृष्टि या 'समझ' शिक्षक को शिक्षण से पूर्व अवधारणात्मक स्पष्टता (Conceptual Clarity) प्रदान करती है । वह विषय में पारंगत का अनुभव करता है ।

(2) **आप बालक के पूर्व ज्ञान (Previous Knowledge) और उसके मनोवैज्ञानिक स्तर को परखने की आवश्यकता का अनुभव करेंगे ।** अर्थात्, छात्र की स्थिति' और स्तर के अनुसार आपका शिक्षण अधिक अधिगम-निष्पत्ति (Learning -out comes) में सक्षम होगा ।

(3) आप ज्ञान को छात्रों में उतारने और उसे आत्मीकृत करने के प्रयासों को भी अपनाएँगे । अर्थात् आप रट कर किसी ज्ञान को अर्जित करने की अपेक्षा उसकी चिन्तनपूर्ण, विवेक-सम्मत, तार्किक प्रस्तुति पर बल देंगे ।

(4) खण्ड-खण्ड ज्ञान को छात्र के व्यवहारगत अनुभवों में सुव्यवस्थित व सार्थक रूप से जोड़ते हुए **संगठित (Organized) शिक्षण** की ओर अग्रसर होंगे ।

(5) जब तक छात्र ज्ञान को अपना कर उसके प्रयुक्त करने, अभिव्यक्ति करने, अपने व्यवहार में, वार्तालाप में उतारने में सक्षम नहीं होता, आप तब तक अपने शिक्षण को सार्थक नहीं मानेंगे ।

इस प्रकार **'इकाई'** को दैनिक शिक्षण का आधार बना कर एक अच्छे और आत्मविश्वासी शिक्षण की ओर अग्रसर हो सकेंगे । '

आज इकाई योजना दैनिक शिक्षण का आधार बन चुकी है । इसे व्यावहारिक एवं जाँचने योग्य बनाने हेतु मूल्यांकन-उपागम का इसमें समावेषण होता जा रहा है । **बैसले एवं एडम्स** के शब्दों में -

विद्यार्थी के द्वारा सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिये विषय-वस्तु को सुगम बनाने के लिये विषय-वस्तु और शिक्षण-क्रियाओं के संगठित समूह को **`इकाई'** कहते हैं ।

"A unit in an organized body of Contents and activities, designed to facilate pupil's learning"

(E.S. Wesely & Adoms)

इस प्रकार इकाई नियोजन से पूर्व विषय-वस्तु का समुचित आधारों पर पृथक-पृथक भागों में वितरण करते हुए इकाई के रूप में 'शिक्षण-खण्ड' तैयार किया जाता है । इसके निर्धारण में निम्न बातों का समावेषण होता है ।

- एक शिक्षण इकाई सदा ही किसी केन्द्रीय विचार बिन्दु (Focal Point) के आधार पर संगठित होती है । केन्द्रीय विचारों की संरचना को स्पष्ट करने हेतु **सम्प्रत्यय मैपिंग (Concept mapping)** की जाती है ।
- केन्द्रीय विचार से सम्बद्ध विषय-वस्तु किसी भी **अध्ययन स्त्रोत (Source)** से ली जा सकती है । यह पाद्य पुस्तक भी हो सकती है या फिर अन्य नवीन आलेख, शोध प्रतिवेदन, सन्दर्भ ग्रन्थो से भी संकलित हो सकती है ।
- इकाई के संगठन में **शारीरिक, बौद्धिक, शैक्षिक** सभी प्रकार की क्रियाएँ-प्रक्रियाएँ समाहित होती है ।
- शिक्षण इकाई का उद्देश्य शिक्षार्थियों के **नियत अधिगम उद्देश्य की सम्प्राप्ति** करना होता है । अर्थात्, यह अधिगम की प्रगति को सुनियोजित एवं सुनिश्चित करने का व्यवस्थित उपक्रम है ।

7.3.1 इकाई नियोजन के पद (Steps involved in Unit Planning) - शिक्षण इकाई नियोजन के निम्न पद हो सकते हैं :-

(i) परिचयात्मक पद : इसमें इकाई का परिचय अर्थात् कक्षा, अपेक्षित समयावधिया कालांश विषय, इकाई शीर्षक (title), उपइकाई विवरण आदि का, उल्लेख किया जाता है ।

(ii) द्वितीय चरण में विषय-वस्तु विश्लेषण एवं उसके आधार पर उपइकाईयों या प्रकरणों को छींटा जाता है । इन प्रकरणों को दैनिक शिक्षण की दृष्टि से शिक्षण बिन्दुओं में बाँटा जाता है ।

(iii) इकाई के उद्देश्य को व्यवहारगत सपरिवर्तन सहित निरूपित किया जाता है ।

(iv) शिक्षण अधिगम संस्थितियाँ का चयन किया जाता है ।

(v) आवश्यक शिक्षण सामग्री का उल्लेख किया जाता है ।

(vi) सम्पूर्ण प्रकरणों के श्यामपट्ट कार्य का आलेख तैयार किया जाता है ।

(vii)उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन पदों की रचना की जाती है ।

(viii) गृहकार्य एवं दत्त कार्य (Assigin mint) का लेखा तैयार किया जौता है ।

एक इकाई योजना का संक्षिप्त प्रारूप नीचे दिया जा रहा है ।

7.3.2 इकाई योजन के प्रारूप (Tentative formats of a unit plan)

इकाई का नाम unit title	उप इकाई का नाम Sub unit Tenrtative format of a unit plan	वांछनीय समयावधि Required time	वांछनीय कालांश Required Teaching Periods		कक्षा class वर्ग Section	उतप्रेषन उपक्रम एवं स्वरूप Type of motivation	सामाग्री Required Teaching material	
विषय वस्तु Content analysis	उप-इकाई एवं शिक्षण बिन्दु Sub-Units and teaching Points	उद्देश्य एवं व्यवहारगत परिवर्तन Objective with behavioral changes	शिक्षण क्रिया Teacher's activities	छात्र क्रिया students activities	सहायक सामाग्री Teaching aids	श्यामपट्ट पर कार्य Black Board work	मूल्यांकन Evaluation	गृहकार्य home work

7.3.3 इकाई योजना के अन्य पहलू (other aspect of Unit Plan)

- सामान्यत: प्रत्येक इकाई के शिक्षण के उपरान्त इकाई-परीक्षण (Unit Test) लिया जाता है । जो **नील-पत्र (Blue-Print)** पर आधारित लघु उपलब्धि परीक्षण (Achievement test) होता है ।
- इकाई नियोजन में विषय-वस्तु और अधिगम उद्देश्य के अनुसार अध्ययन-अध्यापन और शिक्षण-अधिगम संस्थितियाँ भिन्न हो जाती है । यदि प्रायोगिक और क्रियात्मक विषय-वस्तु है तो शिक्षण-विधाएँ भी प्रायोगिक और क्रियात्मक अनुभवों पर आधारित होगी ।
- सम्प्रत्यय-मानचित्र (Concept mapping) इकाई के संगठन को सुगम बना देता है ।
- इकाई एक लचीला प्रारूप है । एक रूप बन्धन नहीं । इसमें शिक्षक की सृजनशीलता, संसाधनों को जुटाने की क्षमता और सक्षमता का अधिक महत्त्वपूर्ण है ।
- इकाई में व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ।
- इकाई अलग-थलग नहीं यह **पूर्ववर्ती (Previous) और 'आगामी' (for the coming unit)** इकाईयों से सह सम्बन्धित होनी चाहिये ।
- इकाई के साथ अतिरिक्त सन्दर्भ सामग्री या अध्ययन सामग्री का भी उल्लेख किया जा सकता है ।

7.3.4 सारांश (Summary)

- "इकाई में पूर्व निर्धारित अनुभव एवं क्रियाएँ निहित होती है । वह किसी समस्या, परिस्थिति योजना के सम्बन्ध में सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकात्मकता को प्रकट करती है ।"
- इकाई-उपागम को मॉरीसन (Morrison) ने अधिगम की 'एकता व समग्रता के संज्ञानात्मक (Cognitive theories of learning) सिद्धान्त के आधार पर विकसित किया है ।

- शिक्षण नियोजन में इकाई योजना का प्रमुख स्थान है । विषय-वस्तु उपचार, चयन, अधिगम उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षार्थी और, सहायक सामग्री का निर्धारण श्यामपट्ट सार, मूल्यांकन उपक्रम एवं गह-कार्यो को नियत करते हुए शिक्षक अपनी सृजनशीलता के आधार पर विषय खण्डों का सम्प्रत्यात्मक मानचित्र (Concept mapping) तैयार करते हुए दैनिक शिक्षण योग्य उपखण्डों या उपइकाईयों में व्यवस्थित करता है ।
  इकाई पूर्ति होने पर उपलब्धि-जाँच हेतु इकाई परीक्षण तैयार किया जाता है ।

7.4 पाठ योजना
Lesson Planning

शिक्षक एक सर्जनहार है । वह नये-नये तरीके से शिक्षण करता है । जब शिक्षक पहले से उपलब्ध ज्ञान को नये ढंग से रचता है तो सीखना एक सजीव और रोचक प्रक्रिया बन जाती है, यह आधिगम को समग्र दृष्टि से एक दूसरे का पूरक बनाने की प्रक्रिया है । पाठ योजना इसी दृष्टिकोण से प्रतिदिन के कालांशों के लिये किये जाने वाले शिक्षण-अधिगम कार्य की एक नियोजित रूप-रेखा है ।

नियोजित कार्य ही सफलता की सीढी है । नागरिक शास्त्र शिक्षक को शिक्षण की दीर्घगामी वार्षिक योजना, सत्रीय शिक्षण योजना और इकाई योजनाओं में निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये दैनिक और कालांश आधारित लघु उप इकाईयों के रूप में दैनिक पाठ योजना बनाता है । नीचे पाठ योजना की कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को पढ़ें एवं पाठ योजना की संकल्पना बनाएँ ।

'शिक्षक की प्रगति के लिए कक्षा में तैयार न होकर जाने से घातक और कुछ हो ही नहीं सकता अत: उसे पाठ को अवश्य पूर्व नियोजित कर लेना चाहिए ।"

- डेविस

(Lesson must be prepared in advanced for there is nothing so fatel to a teacher’s progress as unpreparedness - Davis)

शिक्षण में पाठ योजना से आशय उन सभी पदों के विवरण से है जिनका प्रयोग शिक्षक एक निश्चित समय में शिक्षण करते समय करता है ।

"दैनिक पाठ-योजना के निर्माण में उद्देश्य को परिभाषित करना, पाठ्य-वस्तु का चयन करना तथा उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना और प्रस्तुतीकरण की विधियों तथा प्रक्रिया का निर्धारण करना है ।‘’

- विनिंग और बिनिंग

"पाठ योजना का अर्थ उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए उन विशिष्ट साधनों का वर्णन है जिनके प्रयोग से एक निश्चित समय में लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव है ।"

- बॉसिंग

(Lesson plan is the title given to a statement of the achievements to be realized and the specific means by which these are attained as a result of activities engaged during the period - **Bossing)**

7.4.1 दैनिक पाठ योजना न होने पर क्या होगा? (Why lesson planning?) -

बिना पाठ योजना के सोचिये क्या होगा?

1. शिक्षण के लिये आवश्यक सामग्री का प्रबन्ध कैसे होगा?
2. विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप से कैसे पढ़ा पाएँगे?
3. छात्रों एवं शिक्षक के बीच अन्त: क्रिया कैसे सन्तुलित होगी ?
4. महत्त्वपूर्ण विषय छूट सकते हैं ।
5. निरर्थक व कम महत्व के बिन्दुओं पर शिक्षण समय नष्ट हो सकता है ।
6. विद्यार्थी द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को नकारा जा सकता है ।
7. सोद्देश्य, संतुलित विषयोपचार (Subject treatment) द्वारा सरलीकृत और छात्रों के अनुकूल विधियों व कौशलों पर आधारित शिक्षण कैसे हो पाएगा?

7.4.2 पाठ योजना निर्माण का महत्व (Importance of lesson planning) -

पाठ योजना शिक्षण के लिये उपयोगी है । इसके महत्व को निम्न बिन्दुओं में दर्शाया गया है -

1. पाठ योजना शिक्षक को विषय के सम्बन्ध में सुसंगठित, सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप से चिन्तन व मनन करने के लिए प्रेरित करती है ।
2. पाठ योजना द्वारा शिक्षक शिक्षण व पाठ से सम्बद्ध लक्ष्यों एवं उद्देश्य को ध्यान में रखकर उनकी प्राप्ति का प्रयास करता है ।
3. अध्यापन के समय शिक्षण सूत्रों के आधार पर शिक्षण कराते समय पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने व कठिन विषय- वस्तु को सरल बनाने में पाठ योजना का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है ।
4. शिक्षक में आत्मविश्वास की भावना विकसित करने में सहायक होती है । 'पूर्व पाठ योजना निर्माण करने से संभावित परेशानी व कठिनाईयों का समाधान वह मस्तिष्क में रखता है ।
5. इससे शिक्षण कार्य को निश्चित दिशा प्राप्त हो जाती है इसके द्वारा वह बालकों को ज्ञान क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से दे पाने में समर्थ होता है ।
6. यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण क्रिया को सरल, स्पष्ट, बोधगम्य एवं प्रभावी बनाने में सहायक होती है ।
7. इसके माध्यम से शिक्षण प्रभावी एवं सुग्राहम हो जाता है ।
8. पाठ-योजना से अध्यापक बालकों को स्वक्रिया के माध्यम से अधिगम का अवसर उपलब्ध करवाता है ।
9. सुव्यवस्थित पाठ योजना शिक्षण की सफलता की आधारशिला है । कक्षा-कक्ष में जाने से पूर्व शिक्षक को सुव्यवस्थित पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए ।

आदर्श पाठ योजना कैसी हो? (Characteristics of Ideal Lesson Plan)

1. पाठ योजना बालकों के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए ।
2. पाठ योजना की भाषा स्पष्ट, सरल एवं व्यवहारिक होनी चाहिए ।
3. पाठ योजना उद्देश्यधारित होनी चाहिए ।
4. योजना स्पष्ट अर्थात् शिक्षण के प्रत्येक स्तर की स्पष्ट व्याख्या करने वाली हो ।
5. पाठ योजना में क्रियासूचक उद्देश्य हो ।

6. पाठ योजना बाल केन्द्रित होनी चाहिए व मनोविज्ञान नियमों पर आधारित होनी चाहिए ।
7. पाठ योजना व्यैक्तिक विभिन्नता के आधार पर निर्मित की जानी चाहिए ।
8. महत्त्वपूर्ण तथ्य, प्रत्यय. विचार व घटनाओं की सोदाहरण व्याख्या की जानी चाहिए ।
9. प्रस्तावना के प्रश्न बालकों के मानसिक स्तर ब पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए ।
10. पाठ योजना निर्माण करते समय विषय-वस्तु की माँग के अनुरूप विधि, प्रविधि व
11. सहायक सामग्री का चयन सही ढंग से किया जाना चाहिए ।
12. पाठ योजना शिक्षण का साधन है साध्य नहीं- आवश्यकतानुसार शिक्षक को इसमें
13. परिवर्तन करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए ।
14. पाठ योजना में उदाहरण स्पष्ट एवं व्यवहारिक जीवन से सम्बद्ध होने चाहिए ।
15. पाठ योजना में प्रश्न खोजपूर्ण. विचारात्मक एवं विकासात्मक होने चाहिए ।
16. अध्यापक को शिक्षण में साथ-साथ श्यामपट्ट सारांश का विकास करना चाहिए,
17. जिससे ज्ञान के स्थायित्व में सहायता मिलती है ।
18. शिक्षण की समाप्ति पर मूल्यांकन की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए ।
19. प्रदत्त-कार्य एवं गृह-कार्य का समावेषण हो ।

7.4.4 पाठ नियोजन की प्रक्रिया (Process of Lesson Planning) - पाठ योजना कक्षा-शिक्षण या अनुदेशन का एक मानचित्र, एक शब्दचित्र और एक क्रियात्मक आलेख है । यह स्वयं में महत्त्वपूर्ण नहीं किन्तु महत्त्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है । दूसरे शब्दों में, पाठ योजना अधिगम उद्देश्य का निर्धारण और उनको प्राप्त करने का उपक्रम है । पाठ योजना की प्रक्रिया में निम्न पद उल्लेखनीय है -

(I) **विषय-वस्तु विश्लेषण (Content analysis)** - विषय-वस्तु पाठ्य-सामग्री का वह अंश होती है जो छात्र-अधिगम के लिये चयन की जाती है । यह इकाई का एक अर्थपूर्ण उपखण्ड भी हो सकता है अथवा स्वतन्त्र विषय का लघु रूप भी हो सकता है ।

विषय के अर्थपूर्ण प्रस्तुतीकरण हेतु - मूलत: समग्र विषय को लघु तत्वों में पहचाना जाता है । विषय-वस्तु विश्लेषण में निम्न बातों को सूक्ष्म रूप से देखा जाता है-

1. विषय में **निहित मुख्य भाव**/विचार/सन्देश/सामान्यीकरण/मूलसत्व आत्मसात को करने की दृष्टि से पहचानना होता है ।
2. विषय-वस्तु में आई **नई शब्दावलियों** की पहिचान कर उन्हें लिख लिया जाता है ।
3. विषय-वस्तु में निहित **नये तथ्यों,** तिथियों, आकड़ों, पदों, नियमों, सिद्धान्तों, परिभाषाओं आदि को पहचानते हुए पृथक कर लिख लिया जाता है ।

(II) **अनुदेशन उद्देश्य का व्यवहारगत परिवर्तन सहित आलेखन (Writing instruction objectives with behavioural term)** - शिक्षण को अधिगम प्रतिफल (Learning Outcomes) में रूपान्तरित करने के लिये शिक्षण के फलस्वरूप होने वाले छात्रों के संज्ञानात्मक (Cognitive) भावात्मक (Attractive) एवं क्रियात्मक (Psychometer) पक्षों (Domains) को व्यवहारगत परिवर्तनों सहित छोटे-छोटे क्रिया-विश्लेषणों (action varies) में विषय-वस्तु के साथ जोड़ कर लिखा जाता है । **बी. एस. ब्लूम (B.S. Bloom)** का उद्देश्य का वर्गीकरण, **राबर्ट मेगर (Robart Mager)** की

'विषय-वस्तु से जोड़ कर उद्देश्य लिखने' की तकनीकी और **मैसूर रीजनल कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन** द्वारा सुझाई गई उद्देश्य आलेखन विधाओ के आधार पर शिक्षण उद्देश्य को व्यवहारगत परिवर्तनों को साथ जोड़ कर लिखा जाता है । जैसे -

उद्देश्य (Objective)	**व्यवहारगत परिवर्तन (Behavioural Change)**	**विषय- वस्तु (Content)**
ज्ञान(Knowledge)	**प्रत्यासमरण(Recall)** **प्रत्यभिज्ञान(Recognition)**	**मुख्य विचार(Main Idea)** **मुख्य शब्द (Main termenology)** **मुख्य तथ्य (Main fact)**

उदाहरणार्थ -

छात्र नागरिक शास्त्र की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे ।

उक्त वाक्य में -

उद्देश्य - ज्ञान

व्यवहारगत परिवर्तन - प्रत्यास्मरण

विषय-वस्तु - नागरिक शास्त्र की परिभाषा

पाठ योजना के उद्देश्य का आलेखन करते समय निम्न बातों पर विशेष ध्यान दें -

1. उद्देश्य अधिगम प्रतिफल (Learning outcomes) के रूप में लिखें । जैसे - ' 'विद्यार्थी धर्म निरपेक्षता के उदाहरण दे सकेंगे ' ।
2. भाषा स्पष्ट व सम्प्रेषणीय हो । जैसे - 'विद्यार्थी' 'धार्मिक' एवं धर्मनिरपेक्ष राज्यों में अन्तर बता सकेंगे ।
3. प्राप्तव्य हो, अर्थात् कक्षा व विद्यार्थी के स्तर के अनुकूल पूरे किये जा सकें ऐसे उद्देश्य का चयन हो ।
4. मूल्याकनीयता शिक्षण के पश्चात् मूल्यांकन द्वारा यह जाँच हो सके कि उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं, अर्थात् उद्देश्य की जाँचने की वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया अपनाई जा सके ।
5. क्रिया-पदों का स्पष्ट समावेष हो सके । जैसे- धर्म निरपेक्षता सम्बन्धी सूची बनाना ।

(III) **पाठ की आकर्षक शुरूआत हो - अच्छी** शुरूआत या प्रारम्भ (initiation) या अभिप्रेरण (motivation) या प्रस्तावना (introduction) ध्यानकर्षक प्रश्नों, कथनों, कथाओं, समस्याओं, चित्रों, आदि के माध्यम से हो सकती है ।

ध्यान रहे प्रारम्भिक चरण कहीं नीरस, कृत्रिम बन कर रह गया तो अच्छी योजना भी निष्प्रभावी हो जाएगी । प्रस्तावना जटिल, बेजान व नाटकीय बन कर नहीं रह जाए । कहीं-कहीं शिक्षक इस पद को इतना घुमावदार व उबाऊ बना देते हैं कि एक के बाद एक छात्रों को खड़ा कर प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर नहीं मिलते । छात्रों से उत्तर लेने की ऐसी बाध्यता क्या उचित है?

पाठ का प्रारम्भन-पाठ के प्रारम्भन या प्रस्तावना को ऐसा नियोजित करें कि वह - .

- छात्रों के सोच-विचार को उद्दीप्त करें ।
- उनके मन में उत्सुकता जगाए ।
- उनके पूर्वज्ञान पर आधारित हो ।
- उन्हें अभिव्यक्ति के अवसर दें ।

(IV) **प्रस्तुतीकरण (Presentation)** - कक्षा शिक्षण के समय प्रेरण, प्रस्तावना, या प्रारम्भन, प्रस्तुतीकरण से अलग-थलग नहीं लगे । सहज रूप में प्रारम्भन से प्रस्तुतीकरण जुड़ कर शिक्षण का एक ही अंग बन जाना चाहिये । वस्तुत: प्रस्तावना व प्रस्तुतीकरण विषय को छात्रों की सहभागिता से प्रस्तुत करने की **शिक्षक के मन की** ही तैयारी है ।

प्रस्तुतीकरण के निम्न घटक महत्त्वपूर्ण हैं -

(1) शिक्षण बिन्दु (Teaching Points)

(2) अध्ययन-अध्यापन संस्थितियाँ (Teaching Learning Situations)

(3) सहायक सामग्री (Teaching aid)

(4) श्यामपट्ट सारांश (Black Board Summary)

(5) मूल्यांकन (Evaluation)

(6) ग्रहकार्य (Home assingnment)

2. **अध्ययन-अध्यापन संस्थितियाँ (Teaching Learning Situations)** - इस पद को दो अंशों में देख सकते हैं -

(i) शिक्षक द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न जिन्हें विकासात्मक प्रश्न (development questions) भी कह सकते हैं, तथा यह विषय-वस्तु को खोलने वाले या उसे सुगमता से आगे बढ़ाने वाले होते हैं ।

(ii) प्रश्नों के आधार पर छात्रों द्वारा दिये गये अपेक्षित उत्तरों का संकेत शब्दों में ।

(iii) छात्रों के उत्तरों को संजोते हुए शिक्षक द्वारा किया गया स्पष्टीकरण जिसे शिक्षक कथन (Teacher Statment) भी कह सकते हैं ।

3. **सहायक सामग्री (Teacing aids)** - यहाँ शिक्षक द्वारा प्रश्नोत्तर या कथन के समय दर्शाई गई सहायक सामग्री (चार्ट, चित्र, ऑडियो-विडियो सीडी, कैसेट्स, पारदर्शी आदि) का उल्लेख करते हुए उसका छोटा प्रारूप या 'मिनिएचर चस्पा किया जाता है । (सहायक सामग्री निर्माण हेतु आप आगामी इकाई देखें ।)

4. **श्यामपट्ट सारांश (Black Board Summary)** - शिक्षक कथन के उपरान्त संक्षिप्त सारांश प्रत्येक बिन्दु के साथ श्यामपट्ट पर लिखता है एवं छात्रों को इसे उत्तर पुस्तिकाओं में लिखने का निर्देश देता है । यहीं संक्षिप्त, लघुरूप श्यामपट्ट सार पाठ योजना में दर्शाया जाता है ।

5. **मूल्यांकन (Evaluation)** - इस पद का उल्लेख अन्तिम कॉलम में उद्देश्य में निर्धारित प्राप्तव्य उद्देश्य संकेतों के आधार पर प्रश्न बनाते हुए किया जाता है । (मूल्यांकन पर निर्माण हेतु आप आगामी इकाई का अध्ययन करें ।)

मूल्यांकन पाठ के अन्त में भी दिये जा सकते हैं । यह सामान्यत: वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं । इन्हें रोल-अप-बोर्ड पर लिख कर लाया जाना चाहिये ।

6. **ग्रहकार्य (Home assignment)** - शिक्षण के उपरान्त छात्रों को स्पष्ट क्रियाओं के रूप में सम्पूर्ण शिक्षण का लिखित अभ्यास करने हेतु गृह कार्य दिया जाता है ।

गृहकार्य की जाँच आप अगले दिन अवश्य करें । उसकी गुणवत्ता को देखते हुए छात्रों को प्रोत्साहित करने वाले संकेत या टिप्पणी भी दें ।

उदाहरणार्थ,

आगामी पृष्ठों में एक पाठ योजना दी गई है । आप उक्त पदों को ध्यान में रखते हुए किसी नये विषय पर पाठ योजना प्रारूप तैयार कीजिये ।

7.4.5

नागरिक शास्त्र पाठ योजना का प्रारूप

(Format of Civics lesson Plan)

विद्यालय : राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गाँधी नगर, जयपुर

कक्षा : IX — **दिनांक : 15/06/07**

विषय : नागरिक शास्त्र — **कालांश : 11**

प्रकरण : "चुनाव आचार संहिता" — **अवधि : 30 मिनट**

1. विषय वस्तु विश्लेषण -

मुख्य विचार : भारतीय संविधान में स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये भारत निर्वाचने आयोग ने स्वतन्त्र' एवं निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था की है । अत: सभी राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों, मतदाताओं, सरकार, सरकारी कार्मिज़ें, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों व अधिकारियों के सक्रिय सहयोग हेतु एक आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है ।

मुख्य शब्दावली :

1. निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया से सम्बन्धित विधिक आयोग ।
2. चुनाव आचार संहिता चुनावों के अन्तर्गत आदर्श आचरण हेतु बनाये गये नियम, उपनियम व प्रावधान ।

मुख्य तथ्य :

1. निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया से सम्बन्धित आयोग ।
2. भारत निर्वाचन आयोग ने अपने परिपत्र संख्या 437/6/ES023/94MCS दिनांक 4.1 0.94 के द्वारा राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के आचरण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी किये थे ।
3. भारत की संसद ने जन प्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 81 में वर्ष 1958 में संशोधन किया ताकि मतदान के समय मतदाता पहचान पत्र आवश्यक हो ताकि फर्जी मतदान रोका जा सके ।
4. सभाओं, जुलूसों, मतदान दिवस, मतदान केन्द्र, प्रेक्षक एवं सत्ताधारी दल के आचरण हेतु भी आदर्श आचार संहिता लाग की जा सकती है ।

शिक्षण बिन्दु :

1. चुनाव आचार संहिता का अर्थ
2. चुनाव आचार संहिता की आवश्यकता
3. चुनाव आचार संहिता के प्रमुख प्रावधान

2. उद्देश्य एवं व्यवहारगत परिवर्तन:-

उद्देश्य	व्यवहारगत परिवर्तन
1. ज्ञानात्मक	K_1 - विद्यार्थी चुनाव आचार संहिता प्रकरण के अन्तर्गत चुनाव आचार संहिता का अर्थ, आवश्यकता व चुनाव आचार संहिता के प्रमुख

प्रावधानों को प्रत्यास्मरण कर सकेंगे ।

K_2 - विद्यार्थी चुनाव आचार संहिता के अन्तर्गत की गयी व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में उदाहरण दे सकेंगे ।

K_3 - विद्यार्थी उपरोक्त विषयवस्तु का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे ।

2. **अवबोध**

U_1 - विद्यार्थी चुनाव आचार संहिता का महत्व बता सकेंगे ।.

U_2 - विद्यार्थी चुनाव आचार संहिता के प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या कर सकेंगे ।

U_3 - विद्यार्थी स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनावों के आयोजन हेतु किये गये चुनाव सुधारों का कारण बता सकेंगे ।

U_4 - विद्यार्थी उपरोक्त विषयवस्तु का अपने शब्दों में दोहरना कर सकेंगे ।

3. **ज्ञानोपयोग**

AP_1 - विद्यार्थी ये निष्कर्ष निकाल सकेंगें कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावों के आयोजन हेतु ही चुनाव आचार संहिता लाग की जाती है ।

AP_2- विद्यार्थी चुनाव आचार संहिता के भारतीय प्रजातन्त्र पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख कर सकेंगे ।

4. **कौशल**

S_1- विद्यार्थी चुनाव आचार संहिता के अर्थ, आवश्यकता व प्रमुख प्रावधानों को चार्ट के माध्यम से दर्शा सकेंगे ।

S_2 - विद्यार्थी चुनाव आचार संहिता से सम्बन्धित सुधारों को क्रियात्मक मॉडल द्वारा दर्शा सकेंगें।

5. **अभिरूचि**

I_1 - विद्यार्थी चुनाव आचार संहिता से सम्बन्धित प्रश्न पूछ सकेंगे ।

I_2 - विद्यार्थी चुनाव आचार संहिता के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन कर सम्बद्ध समाचारों का संकलन कर सकेंगे ।

6. **अभिकृति**

Att_1 - विद्यार्थी चुनाव आचार संहिता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे ।

3. सहायक सामग्री : -

(1) कक्षोपयोग सामान्य उपकरण

(2) चुनाव आचार संहिता के अर्थ

(3) आवश्यकता व प्रावधानों को दर्शाने वाला चार्ट

(4) चुनाव आयोग के सुधारों से सम्बन्धित मॉडल ।

4. पूर्व ज्ञान-

विद्यार्थी चुनाव और चुनाव आचार संहिता के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी रखते हैं ।

5. प्रस्तावना-

(ऑडियो कैसेट द्वारा चुनावी प्रचार के नारे व शोरगुल सुनाते हुए अध्यापिका कथन के माध्यम से प्रस्तावना करेगी ।)-

भारत जैसे सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न गणराज्य में स्वस्था लोकतन्त्र की स्थापना हेतु स्वतन्त्र, निष्पक्ष चुनावों के आयोजन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कतिपय नियम, उपनियम एवं विशेष प्रावधान निर्धारित किये जाते हैं जिन्हें चुनाव आचार संहिता कहते हैं । इसके द्वारा मतदाता बिना किसी भय, लोभ व लालच के अपनी पसंद के जन प्रतिनिधि का निर्वाचन कर सकता है ।

6. उद्देश्य कथन-

आज हम चुनाव आचार संहिता के सम्बन्ध में अध्ययन करेंगे ।

7. प्रस्तुतीकरण :-

अध्ययन अध्यापन संस्थितियाँ				
शिक्षण बिन्दु	**शिक्षक - क्रियाए**	**विद्यार्थी क्रियाए**	**सहायक सामाग्री**	**श्यामपट्ट सार**
1. चुनाव आचार संहिता का अर्थ	(मैगनेट बोर्ड दर्शाते हु ए) प्रश्न 1 चुनाव संहिता से तात्पर्य है? बनाए गए नियम व प्रावधान । प्रश्न 2 चुनाव आचार संहिता किन पर लागू होती है ? प्रश्न 3 चुनाव आचार संहिता की घोषणा कौन करता है? प्रश्न 4 चुनाव आचार संहिता कब से लागू मानी जाती है? प्रश्न 5 चुनाव आचार संहिता कब तक प्रभावी रहती है **छात्र अध्यापिका कथन** : चुनाव आचार संहिता के निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए नियम उपनियम व प्रावधान आते है जिनके द्वारा स्वतंत्र निष्पक्ष व शान्तिपूर्वक मतदान की व्यवस्था की जाती है । आगामी लोकसभा चुनाव दिन से चुनाव आचार संहिता को लागू कर दिया गया है ।	उत्तर 1 स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव हेतु को दर्शाने वाला चार्ट । उत्तर 2 सभी राजनैतिक दल प्रत्याशियों, मतदातायों व सरकारी कार्मिको पर । उत्तर 3 भारतीय निर्वाचन आयोग । उत्तर 4 चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के दिन से ही । उत्तर 5 चुनाव प्रक्रियापूर्ण होने व परिणाम घोषित होने तक। विद्यार्थी छात्राध्यापिका कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे ।	चुनाव आचार संहिता के अर्थ राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों	चुनाव आचार संहिता - सभी नागरिकों व मतदाताओं और सरकारी कार्मिको पर समान रूप से लागू होती है **चुनाव संहिता का अर्थ** 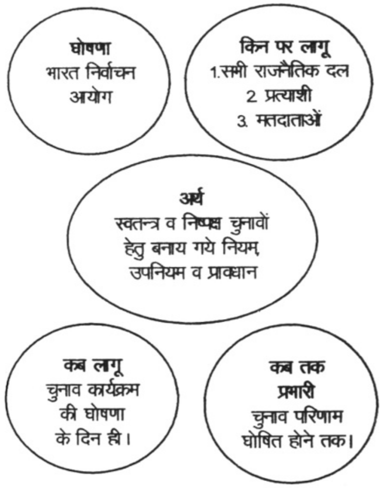
2. चुनाव आचार संहिता का की आवश्यकता	(मैगनेट कार्ड्स प्रदर्शित करते हु ए) प्रश्न 1 भारत में चुनाव आचार का होना क्यों अवश्यकता है?	उत्तर 1 शांतिपूर्वक, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावो के आयोजन हेतु।		

अध्ययन अध्यापन संस्थितियाँ				
शिक्षण बिन्दु	**शिक्षक - क्रियाए**	**विद्यार्थी क्रियाए**	**सहायक सामाग्री**	**श्यामपट्ट सार**
	प्रश्न 2 फर्जी मतदान को रोकने हेतु चुनाव आयोग ने किस सुधार को चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत आवश्यक माना है ? प्रश्न 3 बूथ कैप्चरिंग रोकने में चुनाव आचार संहिता किस प्रकार सहायता करती है ? प्रश्न 4 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किस प्रकार चुनाव प्रक्रिया को सरल बनती है ? प्रश्न 5 आपकी नज़र में सत्ताधारी दल के चुनाव के अंतर्गत क्या कर्तव्य है ? **छात्रअध्यापिका कथन** :- सत्ताधारी दल से यह अपेक्षा की जाती है की वह शासकीय मशीनीरी का दुरुपयोग न करे व अन्य दलों को भी समान रूप से सभी सुविधायें उपलब्ध कराये । मतदान को रोकने, चुनाव प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने हेतु व चुनाव सुचारु रूप से शीघ्र सम्पन्न कराने में किया जाता है ।	उत्तर 2 मतदाता पहचान पत्र। उत्तर 3 मतदान केन्द्रों को सवेदनशील माने, उनके पूर्व इतिहास की जानकारी रख व कानून व्यवस्था पर ध्यान दे। उत्तर 4 फर्जी मतदान रोकती है, परिणाम शीघ्र आते है । उत्तर 5 संभावित उत्तर विद्यार्थी छात्राध्यपक कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे ।	चुनाव आचार संहिता संबन्धित मेंगनेटिक कार्ड्स	सत्ताधारी दल को पक्षपातपूर्ण को ख्याति नहीं करनी चाहिये । चुनाव आयोग के प्रमुख सुधार । 1. मतदाता पहचान पत्र 2. इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन 3. सरकारी तंत्र के दुरुपयोग पर रोक
			चुनाव आचार संहिता क्यों? 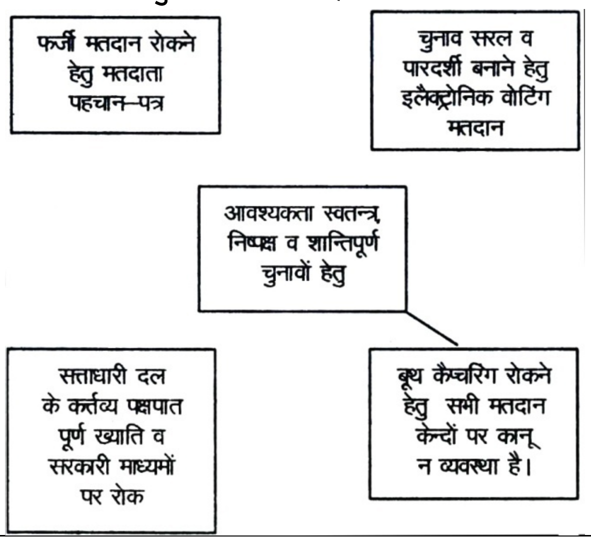	

अध्ययन अध्यापन संस्थितियाँ				
शिक्षण बिन्दु	**शिक्षक - क्रियाए**	**विद्यार्थी क्रियाए**	**सहायक सामाग्री**	**श्यामपट्ट सार**
1. चुनाव आचार संहिता के प्रमुख प्रावधान	प्रश्न 1 चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत कौन से प्रमुख प्रावधान किए गए है ? प्रश्न 2 चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत सरकारी कार्मिको के लिए प्रावधान किए गए है ? प्रश्न 3 राजकीय वाहनो के दुरुपयोग पर रोक लगाने के सम्बंध में क्या प्रावधान किया गया है ? प्रश्न 4 चुनाव आचार संहिता में सभी कार्मिको के स्थान्तरण संबंधी क्या व्यवस्था है ? प्रश्न 5 इन सुधारों से चुनाव प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा । **छात्राध्यापिका कथन** - आचार संहिता के अनुसार सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों को एक निश्चित प्रसारण समय दिया जाता है । सांप्रदायिकता बढाने वाले भाषणो आदि को दिखाना प्रतिबंधित होता है मदिरा वितरण पर भी चुनाव से पूर्व व चुनाव के दिन रोक होती है । सभी दलों पर ये प्रावधान समान रूप से लागू होते है । रिश्वत, हथियार, अप्राधिकारण व हेलिकोपटर व वायुयान के प्रयोग पर भी आचार संहिता के अंतर्गत रोक है ।	उत्तर 1 प्रावधान 12 है । उत्तर 2 चुनाव प्रचार में भाग लेने व राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने पर रोक । उत्तर 3 राजकीय वाहन का उपयोग दलों द्वारा नहीं होगा । उत्तर 4 चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद तुरन्त प्रभाव से सभी स्तरों पर स्थानंतरण पर रोक लगा दी जाती है । उत्तर 5 चुनाव शान्ति पूर्ण एवं सही प्रकार से होंगे । विद्यार्थी छात्राध्यापिका कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे ।	चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों को दर्शाने फ्लेश कार्ड	चुनाव आचार संहिता में 12 ऐसे प्रावधान किए गए है जो चुनाव को शान्ति पूर्वक एवं संवैधनिक ढंग से करने में सहायक है ।

8. पुनरावृत्ति प्रश्न-

प्रश्न 1. चुनाव आचार संहिता की व्यवस्था क्यों की जाती है?

प्रश्न 2. फर्जी मतदान रोकने हेतु चुनाव आयोग ने किन सुधारों का प्रावधान आचार संहिता के तहत किया जा रहा है'

प्रश्न 3. चुनाव आचार संहिता में सरकारी कार्मिकों के आचरण व स्थानान्तरण सम्बन्धी क्या प्रावधन किये गये हैं'

प्रश्न 4. चुनाव आचार संहिता के प्रमुख प्रावधानों के उदाहरण दीजिये ।

9. मूल्यांकन प्रश्न -

(नोट :- सही उत्तर का क्रमश: कोष्ठक में लिखिए ।)

प्रश्न:-1 चुनाव आचार संहिता का क्या अर्थ है-

(अ) चुनाव से सम्बन्धित नियम, उपनियम (ब) चुनावी कार्यक्रम

(स) राजनैतिक दल का घोषणा पत्र (द) इनमें से कोई नहीं । ( )

प्रश्न:-2 चुनाव आचार संहिता का क्या महत्व है-

(अ) स्वतन्त्र व निष्पक्ष चुनावों के आयोजन हेतु(ब) शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने हेतु

(स) स्वस्थ व निष्पक्ष चुनावों के आयोजन (द) उपरोक्त सभी । ( )

प्रश्न:-3 स्वतन्त्र व निष्पक्ष चुनावों के आयोजन हेतु चुनाव आयोग द्वारा किये प्रमुख सुधार हैं-

(अ) मतदाता पहचान पत्र (ब) इलैक्टॉनिक वोटिंग मशीन

(स) उपरोक्त दोनों (द) इनमें से कोई नहीं । ( )

प्रश्न:-4 चुनाव आचार संहिता के अन्तर्गत प्रमुख रूप से हथियारों के सम्बन्ध मे क्या प्रावधान हैं?

10. गृहकार्य.

स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनावों के आयोजन हेतु चुनाव आचार संहिता अत्यंत महत्त्वपूर्ण क्यों हैं? उदाहरण सहित समझाइये ।

ध्यान रहे पाठ योजना शिक्षण का साधन मात्र है । ऊपर दिया गया पाठ योजना का प्रारूप मात्र एक उदाहरण है । विषय वस्तु की मांग, शिक्षण विधि के चयन, छात्रों की रूचि, शिक्षक की योग्यता व स्तर के अनुकूल पाठ योजना के प्रारूप में आवश्यकतानुसार परिवर्तन होगा।

7.4.6 सारांश (Summary) - पाठ योजना वास्तविक कक्षा अनुदेशन का मानचित्र है । यह कक्षा में जाकर पढ़ाने की पूर्व तैयारी है । इसके प्रमुख पद निम्न हो सकते हैं - (1) परिचयात्मक विवरण (2) विषय वस्तु विश्लेषण (3) उद्देश्य एवं व्यवहारगत परिवर्तन (4) सहायक सामग्री (5) पूर्व ज्ञान (6) प्रस्तावना (7) उद्देश्य कथन (8) प्रस्तुतीकरण (9) पुनरावृत्ति (10) मूल्यांकन (11) गृहकार्य ।

पाठ का प्रारम्भ और समापन आकर्षक होना चाहिये । वास्तविक शिक्षा में उक्त सभी पद अलग-थलग न होकर समग्र रूप से सार्थक व सुसम्बद्ध होते हैं । यह एक दूसरे के पूरक हैं, जो विद्यार्थी में छुपी गहराई तक विषय-वस्तु को ले जाते हैं । प्रारम्भ में पाठ-योजना का अभ्यास शिक्षक को आत्म विश्वास के साथ शिक्षण करने में मदद करता है । शनै: शनै: इसे संक्षिप्त या मानसिक स्तर पर निर्मित करने का अभ्यास किया जाना चाहिये ।

7.5 अभ्यास प्रश्न
(Excercise Question)

प्रश्न 1. निम्न विकल्पों में से सही उत्तरों पर (सही) को निशान लगाएँ -

शिक्षण नियोजन के मूल आधार होते हैं -

(अ) अनुदेशन उद्देश्य ( )

(ब) विषय वस्तु ( )

(स) छात्रों की पृष्ठ भूमि एवं उनकी सीखने की शैली ( )

(द) अध्यापक की शिक्षण शैली ( )

(य) उक्त सभी ( )

The main criteria of planning the teaching are -

Instructional Objective ( )

Subject Matter ( )

Back ground of the students & their learning styles ( )

Teacher's teaching styles ( )

All of the above mentioned ( )

प्रश्न 2. आप सत्रीय नियोजन में किन-किन गतिविधियों को समाविष्ट करना चाहेंगे? उदाहरण सहित लिखें

State the major activities you would prefer to include in a sessional- plan. Examplefy your answer.

प्रश्न 3. नियोजित पाठ योजना के विभिन्न पदों का उल्लेख कीजिये–

Mention the various steps of planning a lesson.

प्रश्न 4. इकाई योजना की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिये-

Elucidate the need and importance of unit planning.

प्रश्न 5. निम्न का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिये -

(1) मॉरीसन-इकाई उपागम (2) श्याम पट्ट सारांश

(3) अनुदेशनात्मक उद्देश्य (4) विषय वस्तु विश्लेषण

Give a short description of the following.

(1) Morrison's unit approach (2) Black-Board Summary

(3) Insstructional objectives (4) Content analysis

7.6 संदर्भ ग्रंथ
(Reference)

(1) Taba Hildo (1962) Curriculum Development, Theory and practice, New York Harcourt Brance Jovanict.

(2) Mc Nell, John & Wiles, John (1990), The essential of Teaching : Decisions, Plans, Methods, New York Mc Millan.

(3) शैक्षिक-- तकनीकी, डी. आर. शर्मा, लॉयल बुक डिपो, मेरठ.

(4) भावी शिक्षको के लिये आधारभूत कार्यक्रम, जगदीश नारायण पुरोहित, हरिशचन्द्र शर्मा, मुरली मनोहर शर्मा, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर,-. 2002.

इकाई-8

विशिष्ट उद्धरणों सहित विद्यार्थी का आकलन, निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण विविध प्रकार के प्रश्नों पर आधारित प्रश्न-पत्र, प्रश्न-बैंक का विकास, खुली पुस्तकों से परीक्षण हेतु विषयवस्तु से सबद्ध प्रश्नों का निर्माण

Student assessments with Specific Illustrations, Diagnosis, Remedial Teaching. Development of multiple question paper sets/development of question bank, content specific questions for open bank examination.

इकाई की संरचना (Structutre of unit)

8.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य (Aims and Objectives)

8.1 विद्यार्थी, आकलन एवं मूल्यांकन : पृष्ठभूमि, संप्रत्यय
(Concept & Background of student's appraisal & Evaluation)

- 8.1.1 विद्यार्थी आकलन क्यों (Why Student's Apprasial)
- 8.1.2 विद्यार्थी आकलन की प्रक्रिया, उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन (Process of Student Appraisal)
- 8.1.3 नागरिक शास्त्र विषय में विद्यार्थी आकलन के विशिष्ट उद्धरण (Specific illustrations of students's Appraisal from Civics)

8.2 निदान (Diagnosis)

8.3 उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching)

8.4 बहु आयामी प्रश्न पत्रों/प्रश्नबैंक का विकास
(Development of multiple question paper set/Development of question bank)

8.5 खुली पुस्तकीय परीक्षाओं के लिए विषयवस्तु आधारित प्रश्नों की रचना
(Content specific question for open book examination)

8.6 सारांश (Summary)

8.7 अभ्यास प्रश्न (Excercise Question)

8.8 संदर्भ ग्रन्थ (Reference)

8.0 लक्ष्य एव उद्देश्य
(Aims and Objectives)

इस इकाई की संप्राप्ति पर आप-

- मूल्यांकन एवं छात्र-आकलन के संप्रत्यय की उदाहरण सहित विवेचना कर सकेंगे ।
- मूल्यांकन की पृष्ठभूमि से अवगत होंगे एवं वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोषों को दूर करने हेतु सुझाए गए विभिन्न उपायों का आकलन कर सकेंगे ।
- विद्‌यार्थी-आकलन की प्रक्रिया स्पष्ट कर सकेंगे ।
- नागरिक शास्त्र में छात्र-उपलब्धियों के आकलन हेतु परीक्षण पत्र का निर्माण कर सकेंगे ।
- उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण में संबंध बता सकेंगे ।
- खुली पुस्तकीय परीक्षा प्रणाली की विवेचना कर सकेंगे ।
- 'प्रश्न-बैंक' निर्माण की संकल्पना एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार हेतु इनकी महत्ता की समालोचना कर सकेंगे ।
- मूल्यांकन प्रक्रिया के परिणामों की व्याख्या हेतु 'ग्रेडिंग' प्रणाली के प्रयोग बता सकेंगे ।

8.1 विद्‌यार्थी, आकलन एवं मूल्यांकन : पृष्ठभूमि, संप्रत्यय
(Concept & Background of Student's Apprasial & Evaluation)

शिक्षा विद्‌यार्थी की आंतरिक एवं बाह्य क्षमताओं का समन्वित, एकीकृत एवं प्रगतिगामी विकास करती है । विद्‌यालयी शिक्षा एवं कक्षागत अनुदेशन शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित और परिणामास्पद (Result Oriented) बनाते हैं । दूसरे शब्दों में शिक्षा एक के बाद एक कुछ कक्षाएँ उत्तीर्ण कर लेना भर ही नहीं है, न ही डिग्री और प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का साधन मात्र है। विद्‌यार्थी में सही और गलत की समझ उत्पन्न करना शिक्षा है, उत्कृष्टता की ओर बढ़ने की ललक शिक्षा है । यह सामाजिक वातावरण की समझ, उस पर नियंत्रण एवं उपयुक्त जीवन मूल्यों को आत्मसात् करने की प्रक्रिया है । जब हम छात्रों के आकलन एवं उन्हें मूल्यांकित करने की बात करते हैं तो उसमें शिक्षा के उक्त गुणों के समाकलन (apprasial) की क्षमता होनी चाहिये।

शैक्षिक मूल्यांकन की पृष्ठभूमि (Background of Educational Evaluation)

भारत में सन् 1902 से लेकर वर्तमान तक शिक्षा सुधारों की यात्रा में 'मूल्यांकन' अहम् मुद्दा रहा है । 1902 तक' भारतीय विश्वविद्‌यालय केवल परीक्षा लेने के केन्द्र थे । अंग्रेज सरकार द्‌वारा गठित भारतीय शिक्षा आयोग ने अनुशंसा की कि विश्वविद्‌यालय 'परीक्षाकेन्द्र ही बन कर न रह जाएँ, वह 'शिक्षा केन्द्र' बनें । स्वतंत्र भारत में विश्वविद्‌यालय शिक्षा आयोग (1948-49) ने परीक्षाओं के स्तर को ऊँचा उठाने, कृपांक- (Grace mark) बंद करने व वस्तुनिष्ठ परीक्षण अपनाने पर प्रतिबल दिया । उनके अनुसार, "शिक्षा में यदि कोई एक सुधार का सुझाव दिया जाए तो वह होगा परीक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करना" ।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) ने छात्रों के वास्तविक ज्ञान की जाँच करने हेतु कई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए जैसे -

- बाह्य परीक्षाओं (External Exam) की संख्या कम की जाए ।
- माध्यमिक स्तर तक शिक्षा लेने के उपरान्त केवल एक सार्वजनिक परीक्षा हो ।
- परीक्षाओं में व्यक्तिपरकता (Subjectively) की समाप्ति हो ।
- आतरिक मूल्यांकन (Internal Examination), सावधिक परीक्षण (Perodic Test) एवं विद्यालय अभिलेखों (School Record) को छात्र आकलन का आवश्यक अंग बनाया जाए ।
- मूल्यांकन अंकों के स्थान पर प्रतीकों (Symbols) में हो ।

भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन (1964-66)ए ने विद्यार्थी मूल्यांकन को शिक्षा के उद्देश्य से जोडने की अनुशंसा करते हुए निम्न सुझाव दिए -

- लिखित परीक्षाओं को विश्वसनीय बनाया जाए ।
- मौखिक, निदानात्मक (Diagnostic) परीक्षणों के साथ-साथ संचित अभिलेखों (Cumulative Record) को छात्र आकलन का अंग बनाया जाए ।
- प्राथमिक स्तर की समाप्ति पर बाह्य परीक्षाओं और प्रमाण-पत्रों की व्यवस्था है ।
- आतरिक जाँचों द्वारा विद्यार्थी के सभी पक्षों का आकलन एवं मूल्यांकन हो ।
- मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ (Objective) हो ।
- ऐसे प्रयोगात्मक विद्यालय स्थापित हों जिन्हें कक्षा दस तक के छात्रों की स्वयं परीक्षाएँ लेने का अधिकार दिये जाएँ ।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (Central Board of Education) (1970) ने छात्र आकलन प्रक्रिया में व्यापक सुधार लाने की सिफारिश की ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)ए ने परीक्षाओं में गुणवत्ता लाने एवं उन्हें विश्वसनीय (Reliable) बनाने हेतु व्यावहारिक कदम सुझाए ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पुनरीक्षण समिति (National policy on Education Review Committee) (1990) ने छात्र आकलन हेतु सतत व व्यापक (Continuous and Comprehensive) मूल्यांकन अपनाने पर बल दिया ।

इस प्रकार विगत 100 वर्षो से भारतीय शिक्षा में छात्र आकलन की प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन, परिवर्धन होता रहा है ।

छात्र आकलन का संप्रत्यय (Concept of Evaluaton) -आज एक शिक्षार्थी का आकलन व्यापक आधारों पर होता है । परीक्षाओं का स्थान सतत मूल्यांकन प्रक्रिया ने ले लिया है । छात्र आकलन की नवीन अवधारणा छात्रों की विषयगत (Subject related) उपलब्धि तक ही सीमित नहीं है । इसके द्वारा छात्र में सद्नागरिकता के विकास की प्रक्रिया में अर्जित समग्र अधिगम अनुभवों का आकलन (Apprasial), मूल्य निर्धारण (Valuation) करते हुए इसका श्रेणीकरण (Gradation) किया जाता है । इस प्रकार यह सामान्य परीक्षाओं की तुलना में अधिक व्यापक, बहुआयामी तो है ही तकनीकी दृष्टि से भी अधिक परिष्कृत अवधारणा है । इसके दो रूप महत्वपूर्ण हैं- (1) विकासात्मक (2) संकल्पनात्मक मूल्यांकन ।

(1) **विकासात्मक मूल्यांकन (Formative Evaluation)** - इस प्रकार के मूल्यांकन द्वारा नागरिक शास्त्र शिक्षण करते समय प्रयुक्त विधियों (Method), युक्तियों (Tactics) और तकनीकियों (Techniques) की अधिगम-अनुभवों (Learning Experience) के संदर्भ में जाँच करते हुए उनकी प्रभाविता और उपयोगिता की जाँच की जाती है । शिक्षण प्रक्रिया की न्यूनताओं को दूर करने और छात्र- समस्याओं को समझ कर उनकी समस्याओं का निदान करने में संरचनात्मक मूल्यांकन निरन्तर सहायता करता है । इस प्रकार यह शिक्षक के प्रयासों का भी आकलन है ।

(2) **संकल्पनात्मक मूल्यांकन (Summative Evaluation)** - नागरिक शास्त्र में शिक्षण की उपलब्धियों का एक निश्चित अवधि के अंतराल में या सत्र समाप्ति पर मूल्यांकन करते हुए उसके आधार पर छात्र को सफल घोषित करने, क्रमोन्नत (Promotion in further category or class) योग्य घोषित करने, अन्य साथियों की तुलना में उनका स्थान (Rank) निर्धारित करने और उन्हें वरीयता-क्रम देने की दृष्टि से अंतिम मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जाती है ।

8.1.1 विद्यार्थी आकलन क्यों? (why Student's Appraisal(

माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय (टेप्स) के अनुसार, "मूल्यांकन का संबंध संपूर्ण शिक्षा-कार्य से है । इसका मूल उद्देश्य शिक्षण में सुधार करना है । यह उन कारकों को ज्ञात करता है जो छात्र में अन्तर्निहित हैं, जैसे उचित दृष्टिकोण, आदतें, कौशल, समझ, प्रशंसा और उसके विकास में सहायक है ।

("Evaluation is integrated with the whole task of education and its purpose is to Improve Instruction. It bring out factor that are inherent in student growth such as proper attitudes, habits, skills, understanding and appreciation. ″ -**DEPSE**)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (NCERT) द्वारा दिये गये मूल्यांकन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

1. अनुदेशन प्रक्रिया में सुधार (To improve instructional process)
2. छात्रों का वर्गीकरण एवं विभेदीकरण (Classification and Categorization of Students)
3. छात्र कमजोरियों का निदान (Diagnosis of Student ′ s Weakness)
4. प्रमाणीकरण (Certification)

8.1.2 विद्यार्थी आकलन की प्रक्रिया. उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन (Process of Student's Appraisal)

विद्यार्थी आकलन की प्रक्रिया - छात्र आकलन की प्रक्रिया को चरण बद्ध रूप से निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है -

- संज्ञानात्मक क्रियाओं का विश्लेषण (Analysis of Cognitive Activities) - इस स्तर पर पाठ्यक्रमीय (curricular) एवं सहपाठ्यक्रमीय (co-curricular) गतिविधियों का विश्लेषण कर उन्हें शिक्षणअधिगम अनुभवों के रूप में संयोजित किया जाता है ।

- शिक्षण अनुभवों को विशिष्टीकृत उद्देश्य (Specific Objective) के रूप में लिखा जाता है या पहचान की जाती है ।
- विशिष्ट उद्देश्य के अनुरूप परीक्षण उपकरणों (Testing Tool) का चयन एवं प्रशासन होता है ।
- मूल्यांकन उपकरणों के प्रशासन द्वारा अर्जित दत्तों या साक्ष्यों (data or evidence) का विश्लेषण कर उन्हें सांख्यिकीय गणना या मान (statistical or measure) दिया जाता है ।
- उपलब्ध साक्ष्यों' या 'आकलनों' को और विश्लेषित कर अन्य छात्रों के परिप्रेक्ष्य में या पूर्व परिणामों अथवा विषयों की उपलखियों को तुलनात्मक 'मूल्य' (valueing) दिया जाता है।
- छात्र संबंधी निर्णय यथा प्रोन्नति, परिणाम, विकास आदि लिए जाते हैं ।
- पृष्ठ पोषण (Feedback) द्वारा निदान किया जाता है ।
- नये विकल्पों के चयन या उनमें सुधार करके, समस्याओं का समाधान व उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching) किया जाता है ।

इस प्रकार पूर्ण सुधार तक यही क्रम चलता है ।

<u>उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन का प्रारूप</u>

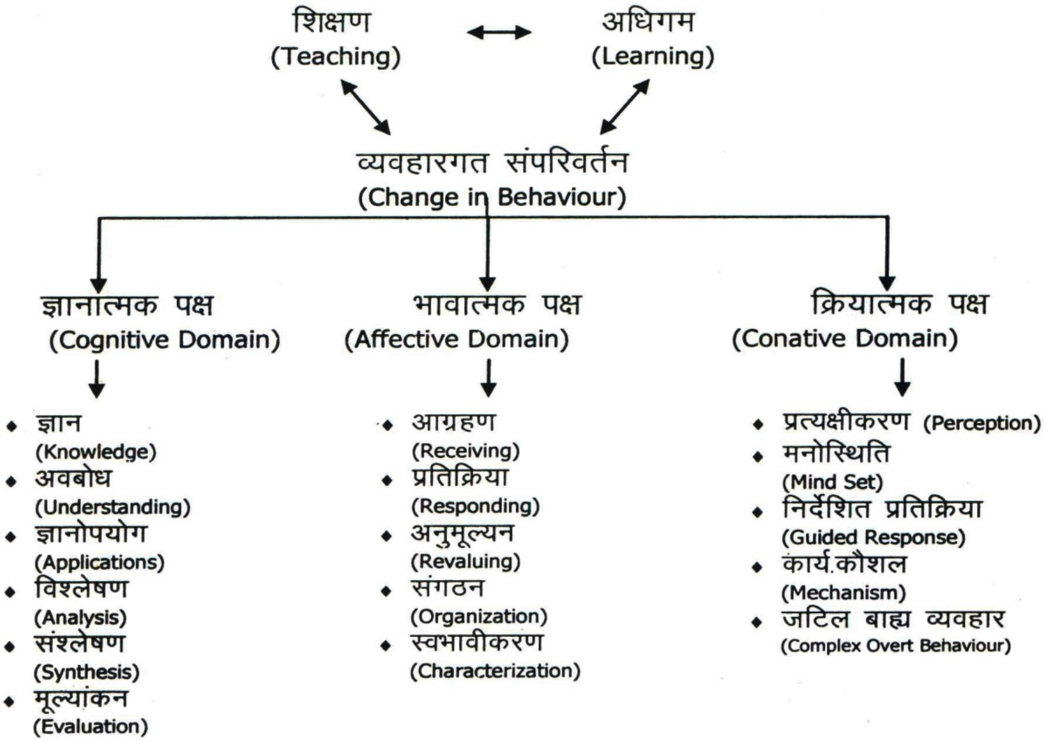

8.1.3 नागरिक शास्त्र विषय में विद्यार्थी आकलन के विशिष्ट उद्धरण (Specific illustrations of Apprasial from Civics)

अधिगम को व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत करने और लिखने से मूल्यांकन प्रक्रिया को तर्क संगत, वस्तुनिष्ठ और उद्देश्यनिष्ठ बनाना संभव हुआ है । मूल्यांकनकर्त्ता को शिक्षण उद्देश्य के विशिष्टीकरण अथवा उनमें निहित विशिष्ट व्यवहार को शब्द रूप में दर्शाने वाले क्रियाविशेषणों का ज्ञान होना आवश्यक है । विशिष्टीकृत उद्देश्य को इस प्रकार लिखा जाता है कि वह व्यावहारिक क्रियाओं (Action verb) द्वारा उल्लेखित हो सके और उनका मूल्यांकन संभव हो सके ।

नागरिक शास्त्र विषय में उद्देश्य निष्ठ मूल्यांकन प्रश्न पत्र निर्माण के चरण (Steps of Objective based evaluation in civics)- उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन पद बनाते समय उनमें विषयवस्तु में निहित तथ्यों, तिथियों, सिद्धांतों, समस्याओं, नियमों, परिभाषाओं आदि का समावेषण भी आवश्यक है । विषयवस्तु विश्लेषण की सहायता से मूल्यांकन पदों का निर्माण उपयुक्त रूप से किया जा सकता है । अत: नागरिकशास्त्र शिक्षक को उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन प्रश्न-पत्र बनाने से पूर्व निम्न तीन पक्षों पर विचार करना आवश्यक है -

(1) विषयवस्तु विश्लेषण

(2) उद्देश्य के व्यवहारगत संपरिवर्तनो को दर्शाने वाले क्रिया विशेषणों के साथ विषयवस्तु के परीक्षण योग्य पक्षों का संयोजन । उपयुक्त प्रश्नों या परीक्षण उपकरणों का चयन व रचना जिसमें उद्देश्य को परीक्षित करने वाले क्रियाविशेषणों के साथ विषयवस्तु का संयोजन ।

(3) नीलपत्र पर आधारित प्रश्नपत्र का निर्माण ।

(1) विषय वस्तु विश्लेषण (Content Analysis) - वस्तुतः उपलब्धि परीक्षण या प्रश्न-पत्र विषय वस्तु पर 'आधिपत्य' या उससे संबंधित उद्दश्यों की प्राप्ति का स्तर परखने की दृष्टि से निर्मित किये जाते हैं । अत: विषय वस्तु का विश्लेषण प्रश्न-पत्र निर्माण का मुख्य कार्य होता है । पाठ्यवस्तु विश्लेषण की अनेक विधियाँ हैं । व्यावहारिक दृष्टि से डेवीस की मैट्रिक तकनीकी (I. K. Davis ' s Matric Techniques) अधिक लोकप्रिय है । इसमें पाठ्यवस्तु को पाठों या प्रकरणों में विभाजित कर उन्हें क्रमश: उप प्रकरणों एवं उनके तत्वों के रूप में विश्लेशित किया जाता है । देखें प्रदर्श-6 इस मीट्रिक्स के साथ प्रत्येक तत्व को व्यावहारिक बनाने की दृष्टि से पुन: तीन तत्वों में बाँटा गया है, वे हैं -

1. मुख्य विचार (Main Idea)
2. मुख्य शब्दावली (Main Terminology)
3. मुख्य तथ्य (Main Fact)

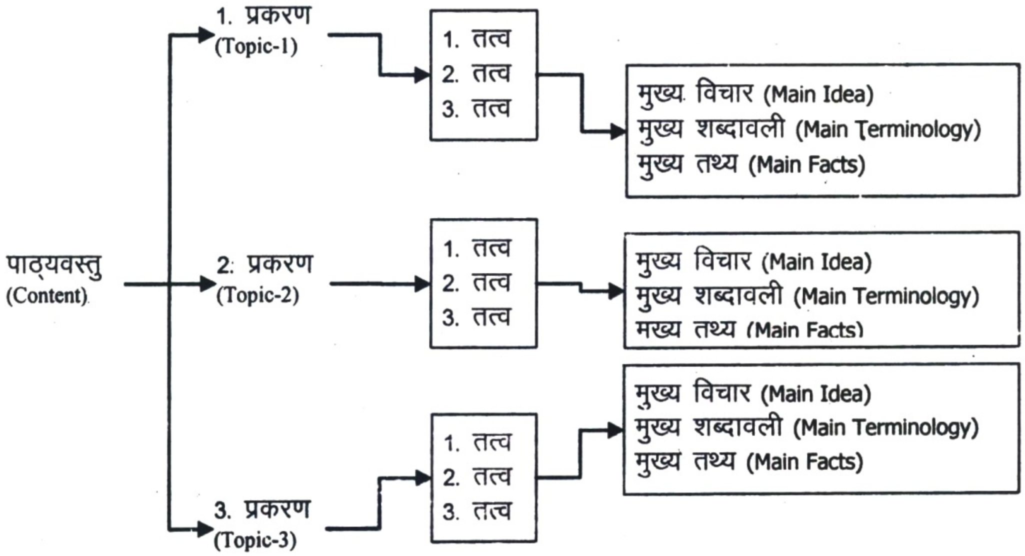

पाठ्यपुस्तक विश्लेषण (Content Analysis)

इस प्रकार प्रत्येक पाठ्यवस्तु को प्रकरणों में, प्रकरणों को छोटे तत्वों (जैसे शिक्षण बिन्दु) और इन तत्वों को उनमें आने वाले मुख्य विचारों, मुख्य शब्दावलियों, मुख्य तथ्यों में विश्लेशित किया जाता है । विश्लेशित विषय वस्तु शिक्षण और मूल्यांकन का आधार होती है ।

(2) उद्देश्य के व्यवहारगत संपरिवर्तनो को दर्शाने वाले क्रिया विशेषणों के साथ विषयवस्तु को जाँचने वाले परीक्षण प्रश्नों का निर्माण-

बहुविकासात्मक प्रश्नों का निर्माण कैसे हो - बहुविकल्पात्मक्र प्रश्नों के दो भाग होते हैं, पहले भाग में कोई प्रश्न या कथन या अपूर्ण वाक्य होता है, जिसे हम 'स्टेम (Stem) करते हैं । दूसरे भाग में उससे संबंधित विकल्प होते हैं, जिन्हें विकर्षक कहते हैं । इनमें से एक विकर्षक सही उत्तर लिये हुए होता है । सभी विकर्षको का वाक्य से जुडाव होना आवश्यक है । विकर्षक (Distraction) संख्या में चार या पाँच हो सकते हैं ।

कथन (Stem) - कथन या स्टेम प्रश्न के दूसरे भाग या विकल्पों से पूरी तरह जुडा हुआ, सरल. संक्षिप्त एवं परीक्षार्थी के लिए समझने योग्य हो । कथन अनावश्यक रूप से लंबा नहीं होना चाहिए । उसमें ऐसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए जिससे परीक्षार्थी को उत्तर का संकेत मिले । विकल्पों में बार-बार प्रयुक्त होने वाले शब्दों को स्टेम में ही शामिल कर लिया जाना चाहिए ।

नकारात्मक प्रश्न न हों-प्रश्नों के कठिनाई स्तर को बढ़ाने के लिए कई बार प्रश्नों को नकारात्मक बना दिया जाता है, जिससे प्राय: परीक्षार्थी भ्रमित होते हैं । अत: प्रश्न-पत्र में ऐसे प्रश्नों का शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

उपरोक्त सभी उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प नहीं हो-बहुचयनात्मक प्रश्नों में अनेक बार विकल्पों के अभाव में 'उपरोक्त सभी' अथवा 'उपरोक्त में से कोई नहीं' जैसे अनावश्यक विकल्पों को ठूंस दिया जाता है । इससे उचित प्रकार के प्रश्नों का निर्माण नहीं हो पाता ।

प्रत्येक प्रश्न में एक ही सही या सर्वोत्तम उत्तर हो-विकल्पो में सारे विकल्प ऐसे होंने चाहिए जिनको पढ़कर परीक्षार्थी यह सोचे कि ये तो सारे उत्तर सही हैं अथवा लगभग सही हैं

किन्तु फिर उनमें से वह सही या सर्वोत्तम को चयनित कर सके । विकल्प ऐसे नहीं होने चाहिए जो स्पष्टत: गलत या असंबद्ध दिखाई दें । विकल्प सही उत्तर के नजदीक होने चाहिए ।

विकल्पों की भाषा एवं लंबाई में समानता- विकल्पों के सभी शब्द या वाक्य लगभग बराबर हों और उनमें यथासंभव भाषा या लंबाई की दृष्टि से बहुत अधिक भिन्नता नहीं होनी चाहिए ।

सही उत्तर विभिन्न प्रश्नों में अलग-अलग स्थान या क्रमांक पर हो-सही उत्तर का क्रमांक सभी प्रश्नों में भिन्न-भिन्न होना चाहिए ।

पाठ्य पुस्तकों से बाक्य ज्यों के त्यों न हो- पाठ्यवस्तु से प्रश्न निर्माण करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रश्नों का निर्माण अपनी भाषा एवं शब्दों में हो ।

विकल्पों को यथासंभव क्रमबद्ध लिखा जाए-यदि विकल्पों में वर्ष, तथ्य या आँकडों का प्रयोग किया जा रहा हो तो सन् या वर्ष चढ़ते हुए या उतरते हुए क्रम में लिखे जाने चाहिए ।

उपरोक्त वर्णित सावधानियों को ध्यान में रखने से अच्छे बहु-चयनात्मक प्रश्नों का निर्माण किया जा सकता है । इनका निर्माण अपने आप में एक बडा कौशल है । निरंतर अभ्यास एवं विषयवस्तु को गहरी पकडकर यह कुशलता अर्जित होती है । लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों में संकेतों एवं अन्य तरीकों से नकल करना सरल है । इसे प्रश्न पत्रों के अलग-अलग सैट बनाकर एवं प्रश्नों के क्रमांक बदलकर दूर किया जा सकता है, किन्तु उसमें खर्चा तथा प्रशासनिक कठिनाईयाँ बढ़ जाती हैं ।

नागरिक शास्त्र शिक्षण में नियोजन के अध्याय में उद्देश्य और क्रिया-विशेषण (Action verb) तालिका दी गई है जो, उद्देश्य को व्यावहारिक एवं मूल्यांकन आधारित रूप में लिखने में सहायता करती है । इनके आलेखन में विषयवस्तु को उद्देश्य में दिये गये क्रिया विशेषणों से जोडकर दर्शाया जाता है तथा मूल्यांकन में उन क्रिया विशेषणों के आधार पर परीक्षण प्रश्न बनाए -जाते हैं । उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन प्रश्नों के कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं -

उदाहरण-1

उद्देश्य (Objective)	->	ज्ञान (Knowledge)
क्रिया विशेषण (Action Verb)	->	प्रत्याभिज्ञान (Recognition)
प्रश्न का प्रकार (Type of Question)	->	बहुविकल्पात्मक (1/2 Mark)

निर्देश - सही विकल्प चुनकर क्रमाक्षर कोष्ठक में लिये ।

प्रश्न: वह भारतीय, जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्चपूर्ण पद पर कार्य किया है -

(अ) श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित (ब) श्री लाल बहादुर शास्त्री

(स) श्रीमती इन्दिरा गाँधी (द) श्री अटल बिहारी वाजपेयी () 1/2

उदाहरण-2

प्रश्न: भारत द्वारा व्यापक अणु प्रसार निषेध संधि पर हस्ताक्षर न करने का कारण था -

(अ) राष्ट्रीय सुरक्षा (ब) निशस्त्रीकरण नीति

(स) संयुक्त राष्ट्र में आस्था (द) अमरीकी दबाव ( ) 1/2

उक्त प्रश्न को उद्देश्यानुसार निम्न प्रकार देखा जा सकता है -

उद्देश्य	→	अवबोध
क्रिया विशेषण	→	कारण बताना

इकाई → भारत की विदेश नीति (कक्षा 9)

प्रश्न का प्रकार → बहु विकल्पात्मक (1/2 Marks)

उदाहरण-3

उद्देश्य → ज्ञानोपयोग

क्रिया विशेषण → चयन (Select)

इकाई → लोकतंत्र की समस्याएँ (कक्षा 9)

प्रश्न का प्रकार → बहु विकल्पात्मक (1/2 Marks)

प्रश्न: भारतीय लोकतंत्र के लिए आतंकवाद गंभीर चुनौती है । आप इस समस्या के निराकरण का सर्वाधिक प्रभावी उपाय मानते हैं -

(अ) जनमत निर्माण (ब) राष्ट्रीय समस्याओं पर आम सहमति

(स) अणु-शक्ति का विकास (द) सुरक्षा संधियों पर हस्ताक्षर ( ) 1/2

उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि मूल्यांकन पदों (Items) अथवा प्रश्नों की रचना में उद्देश्य के क्रिया विशेषणों को इस प्रकार संगठित किया जाता है कि वह अमूर्त मानसिक क्रियाओं को मूर्तमान (Concrete) एवं जाँच योग्य बना देती हैं । उक्त तीनों उदाहरण प्रश्नों में प्रत्येक सही विकल्प का क्रमाक्षर दर्शाने पर '1/2 अंक दिया जाएगा, अत: अंकन कार्य भी 'वस्तुनिष्ठ' या पूर्वाग्रह-मुक्त होगा ।

इसी प्रकार व्यवहार के सभी पक्षों (ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक) के उद्देश्य को अवलोकनीय (Observable) व अंकन-योग्य (Score based) प्रश्नों, क्रियाओं एवं स्थितियों के आधार पर मूल्यांकित किया जा सकता है ।

(3) नील पत्र निर्माण (Preparation of Blue Print)

जिस प्रकार किसी भवन के निर्माण से पूर्व उस भवन का मानचित्र बनाकर 'ब्लू-प्रिंट' में उतारा जाता है और निर्माण कार्य उसी मानचित्र के अनुरूप करते हुए भवन बना लिया जाता है । उसी प्रकार परीक्षण प्रश्न-पत्र बनाते समय प्रश्न-पत्र का नील पत्र बनाया जाता है । वस्तुत: यह प्रश्न-पत्र निर्माण की योजना या उसका आधार पत्र होता है, जिसमें निम्न पक्ष एक साथ दर्शाए जाते हैं-

1. परीक्षित किये जाने वाले उद्देश्य संकेत (Objetcive)
2. परीक्षित की जाने वाली इकाईयाँ या उप इकाईयाँ (Content)
3. परीक्षण हेतु निर्मित प्रश्न या पद (Questions or Items)

इसे **त्रि-दिशा सूचक चार्ट** भी कहते हैं क्योंकि उक्त तीनों पक्षों को 'ब्लू-प्रिंट', तीन दिशाओं में दर्शाते हुए प्रश्न-पत्र निर्माण की योजना दर्शाता है ।

नील पत्र निर्माण के चरण (Steps of Preparing Blue Print)

1. **परीक्षण की जाने वाली इकाईयों (या विषय वस्तु) को भार प्रदत्त करना** (To provide weightage to the unit to be tested) - इस स्तर पर परीक्षण के लिए निर्धारित पूर्णाकों को विषय वस्तु की महत्ता के आधार पर शिक्षक अपने विवेक से चयनित इकाईयों/उप इकाईयों में वितरित कर देता है । (प्रश्न-पत्र निर्माण के अगले चरण में

देखिए) इस प्रकार प्रत्येक इकाई को दिये जाने वाले अंकों और उनकी प्रतिशत का 'अंक-भार' कहा जाता है ।

2. **उद्देश्य को अंक भार प्रदत्त करना** (To provide weightage to the objective) - द्‌वितीय स्तर पर परीक्षण के लिए निर्धारित उद्देश्य में पूर्णाक के अंकों को आवंटित करके उसका प्रतिशत ज्ञात करते हैं । अंकों और प्रतिशत को उद्देश्यानुसार अंक-भार आवंटित करने की प्रक्रिया ही उद्देश्यानुसार भार प्रदत्त करना कहलाती है ।
3. **प्रश्नों या परीक्षण पदों के आधार पर भार प्रदत्त करना** (Weightage to Type of Question) - इस स्तर पर प्रश्नों के प्रकारों के आधार पर उन पदों का चयन करना होता है, जो परीक्षक, अवधि अंक, विषय वस्तु और उद्दश्यों के बीच से न हो ।
4. चतुर्थ पद है **नील-पत्र** (Blue Print) **का निर्माण** - जैसा कि पिछले प्रदर्श में दर्शाया गया है, इस स्तर पर विषय वस्तु, प्रश्नों के प्रकार एवं उद्दश्यों को दिये गये अंक भार का समायोजन इस प्रकार से किया जाता है कि उक्त तीनों का योग उन्हें आवंटित अंकों से अधिकच हो । नील-पत्र प्रारूप को त्रि-दिशा-सूचक चित्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें उद्दश्यों, विषय वस्तु और प्रश्नों को तीन दिशाओं में दर्शाया जाता है और इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है कि उक्त तीनों का योग पृथक-पृथक तो आवंटित अंक-भार (Alloted weightage of Mark) के समान हो ही, पूर्णाक भी दोनों ओर से समान रहे और प्रतिशत भी दोनों ओर से 100% की समान संख्या में आये ।

प्रथम चरण : प्रश्न पत्र प्रारूप निर्माण (Design of Question Paper)

1.1 उद्देश्य के आधार पर अंक भार प्रदान करना-

(Providing weightage to the Objectives)

उद्देश्य (Objectives)	**अंक (Marks)**	**प्रतिशत (Percentage)**
ज्ञान (Knowledge)	19	38%
अवबोध (Understanding)	21	42%
ज्ञानोपयोगी (Application)	10	20%
योग (Total)	50	100%

1.2 प्रश्नों के प्रकार के आधार पर अंक-भार प्रदत्त करना -

(Providing weightage to the Types of Questions)

प्रश्नो के प्रकार (Types of Questions)	**अंक (Marks)**	**प्रतिशत (Percentage)**
निबधात्मक	7(3)	42%
लघूत्तरात्मक	2(7)	28%
अतिलघूत्तरात्मक	1(11)	22%
वस्तुनिष्ठ	½(8)	8%
योग	50	100%

1.3 विषय इकाई/उप इकाई को अंक-मार प्रदत्त करना -
(Providing Weightage to Unit/Sub-unit of Subjects)

इकाई (Unit)	अंक (Marks)	प्रतिशत (Percentage)
इकाई -1	4	8%
इकाई -2	6	12%
इकाई -3	8	16%
इकाई -4	7	14%
इकाई -5	5	10%
इकाई -6	5	10%
इकाई -7	10	20%
इकाई -8	5	10%
योग (Total)	50	100%

1.4 त्रि-दिशा सूचक चार्ट (Three dimensional Chart)

उद्देश्य एवं प्रश्न	ज्ञान				अवबोध				ज्ञानोपयोग				योग	प्रतिशत
इकाई/ उप.इकाई	नि. (E)	ल. उ. S. A	अ. ल. उ. V. S. A	वस्तु (O)	नि. (E)	ल. उ. S. A	अ. ल. उ. V. S. A	वस्तु (O)	नि. (E)	ल. उ. S. A	अ. ल. उ. V. S. A	वस्तु (O)		
1.	-	1(2)	-	-	-	-	1(1)	2(1)	-	-	-	-	4	8%
2.	-	-	2(2)	-	-	1(2)	1(1)	-	-	-	-	2(1)	6	12%
3.	-	-	-	2(1)	1(7)	-	-	-	-	-	-	-	8	16%
4.	1(7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	14%
5.	-	-	3(3)	-	-	1(2)	-	-	-	-	-	-	5	10%
6.	-	-	2(2)	-	-	1(2)	1(1)	-	-	-	-	-	5	10%
7.	-	-	1(1)	-	-	1(2)	-	-	1(7)	-	-	-	10	20%
8.	-	-	-	2(1)	-	1(2)	-	-	-	1(2)	-	-	5	10%
योग	19				21				10				50	100%
	38%				42%				20%				50	100%

द्वितीय चरण -

प्रश्न पत्र आलेखन (Writing the Question paper) - इस स्तर पर विषय वस्तु के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों को दर्शाने वाले क्रिया-विशेषणों को जोड़कर नील-पत्र में दिये हुए अंकों और प्रश्नों के प्रकार के आधार पर प्रश्न बनाये जाते हैं । यह ध्यान रहे कि प्रश्न-पत्र में प्रश्नों के प्रकार, चुनी गई इकाईयों व उद्देश्य को उतने ही अंक दिये जाएं जितने कि त्रि-दिशा सूचक चार्ट में दर्शाये गये हैं ।

प्रश्न-पत्र निर्माण के प्रारूप एवं नील-पत्र के आधार पर सावधानी से प्रश्नों का निर्माण करें।

उदाहरणार्थ - प्रारूप में बिन्दु 1.3 पर इकाई सं.-1 से कुल 04 अंकों के प्रश्न बनाने का हमने निर्णय लिया है । सोचिये, 04 अंकों के लिए निबंधात्मक प्रश्न तो बना नहीं सकते क्योंकि उसके लिए 07 अंक होने चाहिए । यदि इस इकाई में से आप निबंधात्मक प्रश्न बनाते हैं तो 1/2 निबंधात्मक प्रश्न (अर्थात् 03 अंकों का) आगे की किसी इकाई से चुनना पड़ेगा तथा 04 अंक का प्रश्न का आधा भाग इकाई 01 से बनाना पड़ेगा । नमूने के प्रश्न-पत्र में हमने 01 लघूत्तरात्मक दो अंकों का ज्ञान के उद्देश्य को परखने वाला बनाया. है जबकि 01 अंक का एक अति लघूतरात्मक प्रश्न और 01 अंक के दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न (1/2 प्रत्येक) अवबोध के उद्देश्य जाँचने के लिए बनाए हैं । सभी इकाईयों के लिए क्रमश: इकाईवार उद्देश्य के अनुरूप निर्धारित संख्या में प्रश्नों का आलेखन किया गया । नमूने का प्रश्न-पत्र संलग्न है ।

नील-पत्र आधारित काल्पनिक प्रश्न-पत्र का नमूना

उच्च माध्यमिक परीक्षा - 2004

कक्षा - XI

वैकल्पिक वर्ग- (कला)

नागरिक शास्त्र-प्रथम पत्र

समय : 3 घण्टे **पूर्णांक 50**

भाग - 'अ'

नोट - निम्नांकित प्रश्नों में प्रत्येक के सही विकल्प का वर्णाक्षर कोष्ठक में लिखिए ।

1. **भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है -**
   (अ) संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा
   (ब) राज्य के विधान मंडलों एवं संसद सदस्यों द्वारा
   (स) संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा
   (द) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ( ) 1/2
2. **किसी विधेयक को संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है -**
   (अ) संविधान संशोधन विधेयक (ब) जन विधेयक
   (स) साधारण विधेयक (द) निजी सदस्य विधेयक ( ) 1/2
3. **ताशकन्द समझौता किन-किन देशों के मध्य संपन्न हुआ -**
   (अ) भारत और रूस (ब) भारत व बाग्लादेश
   (स) भारत व चीन (द) भारत व पाकिस्तान ( ) 1/2
4. **भारतीय विदेश नीति की सर्वोपरि उपलब्धि है -**
   (अ) तीसरी शक्ति के रूप में उभरना
   (ब) अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना
   (स) पडौसी देशों के साथ संबंध सुधारना
   (द) गुट निरपेक्ष देशों का नेतृत्व करना ( ) 1/2
5. **जो व्यवस्था 1945 के अधिनियम के अन्तर्गत तो थी किन्तु व 1919 के अधिनियम में नहीं थी, वह है -**
   (अ) केंद्र में दोहरे शासन की व्यवस्था करना
   (ब)

(स) प्रान्तों में दोहरा शासन समाप्त करना

(द) प्रान्त व केंद्र दोनों में दोहरा शासन लागू करना ( ) 1/2

6. पूना समझौता, मैकडोनाल्ड पंचाट से किस अर्थ में भिन्न है -

(अ) हरिजन को हिन्दुओं से पृथक् निर्वाचन अधिकार प्रदान करना

(ब) अल्पसंख्यकों को पृथक् निर्वाचन अधिकार देना

(स) हरिजनों को कांग्रेस में विशेष संरक्षण प्रदान करना

(द) अल्पसंख्यकों सहित हरिजनों को भी पृथक् निर्वाचन अधिकार देना ( ) 1/2

7. **बोर्ड की परीक्षा की तिथि आगे खिसकने के उद्देश्य से कुछ विद्यार्थी बोर्ड कार्यालय में तोड़ फोड़ की कार्यबाही करना चाहते हैं । नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी के नाते आप निम्न में से क्या करना चाहेंगे -**

(अ) प्रदर्शन का नेतृत्व (ब) तटस्थता की नीति का अनुसरण

(स) प्रदर्शन का विरोध (द) अधिकारियों से विचार विनिमय ( ) 1/2

8. **भारत की प्राचीन मूर्तियाँ विदेशियों को चोरी-छिपे बेची जाती हैं । इस दुष्प्रवृत्ति को रोकने के लिए निम्न सुझावों में से कौनसा सुझाव सर्बाधिक कारगर होगा -**

(अ)पुलिस द्वारा विदेशियों पर कडी निगरानी रखी जाये

(ब)मूर्तियों के क्रय-विक्रय करने वालों को कठोर दण्ड दिया जाये

(स)संचार साधनों द्वारा जूनता में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाये

(द)मंदिरों से संबंद्ध कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया जाये ( ) ½

नोट-निम्न प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखें -

9. ऐसा कौनसा मूल अधिकार है जिसके अभाव में अन्य मूल अधिकार महत्वहीन हैं?
10. 44वे संविधान संशोधन द्वारा किस मूल अधिकार को समाप्त किया गया है?
11. किस व्यवस्था के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय कानून की संवैधानिकता की जाँच करता है?
12. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपदस्थ करने में कौन सक्षम है?
13. केन्द्र व राज्य के विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं?
14. अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त हैं?
15. योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है?
16. कोठारी आयोग द्वारा शिक्षण वर्णो संबंधी कौनसी शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया गया?
17. महात्मा गाँधी का उपवास द्वारा विरोध करने का तरीका आदोलन के किस स्वरूप को प्रकट करता है?
18. भारत में राज्यों की अपेक्षा केन्द्र को अधिक शक्तिशाली बनाने का एक मुख्य कारण कौनसा है?
19. स्वायत्त संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए नीति-निदेशक सिद्धांतों मे किसका प्रावधान किया गया है?

भाग-'ब'

समय : 2 घण्टे 30 मिनट, **पूर्णांक : 35**

निर्देश -

(i) प्रश्न 1 से 7 तक उत्तर साधरणत: आपकी उत्तर-पुस्तिका की 8 पंक्तियों से अधिक न हो ।

(ii) प्रश्न 8 से 10 तक के उत्तर आपकी उत्तर-पुस्तिका के लगभग दो पृष्ठों के हैं ।

1. चौरी-चौरा काण्ड का असहयोग आदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा?
2. यदि उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति समाप्त कर दी जाये तो उसका-संसद की विधि निर्माण शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
3. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय. के न्यायाधीशों के बराबर दर्जा क्यों दिया गया है?
4. जनता सरकार और कांग्रेस (आई.) सरकार की विदेश नीति में अंतर स्पष्ट कीजिए?
5. "भारत निःशस्त्रीकरण का प्रबल समर्थक है । " पक्ष में कोई तीन तर्क दीजिए?
6. राजभाषा संशोधन अधिनियम में हिन्दी की अपेक्षा अंग्रेजी की स्थिति सुदृढ़ की है । ' 'तर्क दीजिए?
7. बिहार के भागलपुर जेल में बिना अपराध सिद्ध हुए कैदियों की पुलिस द्वारा आंखें फोड़ देना संवैधानिक प्रावधान के प्रतिकूल क्यों था ?' ' दो कारण लिखिये ।
8. संसद द्वारा साधारण विधेयक पारित करने की प्रक्रिया समझाइए?

   अथवा

   संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए?
9. उन कारणों की विवेचना कीजिए जिनके फलस्वरूप लोकसभा की शक्तियाँ ?मंत्रिमंडल की तुलना में सीमित होती जा रही हैं?

   अथवा

   'प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का सलाहकार ही नहीं, वास्तविक शासक भी है ।' इस कथन की समीक्षा कीजिए?
10. यदि हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में तुरंत पूर्ण प्रचलन कर दिया जाये तो उससे राष्ट्र की एकता पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख कीजिए?

    अथवा

    यदि भारतीय शासक का स्वरूप धर्म निरपेक्ष नहीं होता तो उसका राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकता पर क्या प्रभाव पड़ता है|

तृतीय चरण-अंकन तालिका एवं उत्तर तालिकाओं का निर्माण

(1) वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अंकन कुंजी या तालिका बनाई जाती है । इसके ऊपरी कॉलम में प्रश्न संख्या व उनके नीचे सही उत्तर का वर्णाक्षर दर्शाया जाता है ।

(2) लघुत्तरात्मक एवं अति-लघूत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर, उत्तर तालिका. में लिखे जाते हैं ।

(3) निबंधात्मक प्रश्नों के मुख्य उत्तर बिन्दु प्रश्न-क्रम में दर्शाए जाते हैं ।

3.1 प्रश्न संख्या 1 से 8 तक अंक तालिका (Score Key)

1	2	3	4	5	6	7	8
स	ब	द	ब	अ	स	द	अ

3.2 उत्तर-तालिका

प्रश्न संख्या 9-19 तक (प्रत्येक सही उत्तर का 01 अंक देय होगा)

1. संवैधानिक उपचारों का अधिकार
2. सम्पत्ति का अधिकार (Right to Property)
3. न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review)
4. संसद (Parliament)
5. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार
6. केन्द्रीय सरकार (Central Goverment)
7. प्रधानमंत्री (Prime Minister)
8. (10+2+3) शिक्षा प्रणाली
9. अहिंसा
10. राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता
11. विकेन्द्रीकरण (Decentralization)

3.3 भाग 'ब'

इसी प्रकार भाग 'ब' के सही उत्तरों की रूपरेखा प्रेशित हो व भाग के निर्धारित अंक दर्शाये जाए ।

चतुर्थ चरण-प्रश्न पत्र विश्लेषण

प्रश्न-पत्र आलेखन और उत्तर तालिका एवं अंक तालिका देने के पश्चात प्रश्न-पत्र का विश्लेषण किया जाता है । निम्न तालिका देंखे - प्रश्न-पत्र विश्लेषण प्रश्न वार किया गया है ।

1. प्रश्न क्रम दें ।
2. दूसरे कॉलम में उद्देश्य इंगित करें ।
3. उद्देश्य का विशिष्ट क्रिया-विशेषण लिखें (जैसे अवबोध का उद्देश्य है तो क्रिया विशेषण, अंतर करना है या अन्य जो भी हो लिखें)
4. चतुर्थ कॉलम में उस इकाई या उप इकाई की संख्या दें । जिससे प्रश्न लिया गया है ।
5. पाँचवे कॉलम में प्रश्न का प्रकार दर्शाएं ।
6. छठे कॉलम में प्रश्न का कठिनाई स्तर लिखें ।

प्रामाणीकृत परीक्षणों में कठिनाई स्तर की गणना की जाती है किन्तु शिक्षण निर्मित परीक्षण में सामान्यत: ज्ञानोपयोग के प्रश्न-विश्लेषण, संश्लेषण व मूल्यांकन के प्रश्नों का कठिनाई स्तर उच्च, अवबोध का सामान्य वू ज्ञान के प्रश्नों का न्यून मान् रख सकते हैं ।

7. सप्तम् कॉलम में प्रश्न का अंक लिखें ।
8. अषठम कॉलम में उस प्रश्न को हल करने का अनुमानित समय उल्लेखित करें ।
9. नवमू कॉलम में यदि प्रश्न संबंधी कोई विशेष निर्देश या सामग्री विवरण हो तो वह लिखें।

नमूने के प्रश्न-पत्र का प्रश्नवार विश्लेषण

(Question-wise Analyis of Sample Question Paper)

विषय : नागरिक शास्त्र

कक्षा - XI

प्रश्न संख्या	उद्देश्य	विशिष्ट उद्देश्य	प्रकरण संख्या	प्रश्नो के प्रकार	अनुमानित कठिनता स्तर	कुल अंक	अनुमानित समय	विवरण
1.	ज्ञान	पुनः पहचान या प्रतभिज्ञान	b-3	वस्तुनिष्ठ	सामान्य	1/2	1 मिनट	
2.	ज्ञान	पहचान	b-3	वस्तुनिष्ठ	सामान्य	½	1 मिनट	
3.	ज्ञान	पहचान	b-8	वस्तुनिष्ठ	न्यून	½	1 मिनट	
4.	ज्ञान	पहचान	b-8	वस्तुनिष्ठ	सामान्य	½	1 मिनट	
5.	अवनेय	पहचान	b-1	वस्तुनिष्ठ	सामान्य	½	1 मिनट	
6.	अवनेय	पहचान	b-1	वस्तुनिष्ठ	उच्च	½	1 मिनट	
7.	ज्ञानोप योग	निष्कर्ष	b-2	अति लघुतरात्मक	उच्च	½	1 मिनट	
8.	ज्ञानोप योग	समाधान	b-2	अति लघुतरात्मक	उच्च	½	1 मिनट	
9.	ज्ञान	प्रत्यास्मरण	b-2	अति लघुतरात्मक	निम्न	1	2 मिनट	
10.	ज्ञान	प्रत्यास्मरण	b-5	अति लघुतरात्मक	सा. (B)	1	2 मिनट	
11.	ज्ञान	प्रत्यास्मरण	b-5	अति लघुतरात्मक	सा. (B)	1	2 मिनट	
12.	ज्ञान	प्रत्यास्मरण	b-6	अति लघुतरात्मक	सा. (B)	1	2 मिनट	
13.	ज्ञान	प्रत्यास्मरण	b-6	अति लघुतरात्मक	सा. (B)	1	2 मिनट	
14.	ज्ञान	प्रत्यास्मरण	b-7	अति लघुतरात्मक	सा. (B)	1	2 मिनट	
15.	ज्ञान	पुनः पहचान	b-1	अति लघुतरात्मक	सा. (B)	1	2 मिनट	
16.	ज्ञान	पुनः पहचान	b-6	अति लघुतरात्मक	सा. (B)	1	2 मिनट	
17.	अवबोध	उदाहरण	b-1	अति लघुतरात्मक	सा. (B)	1	2 मिनट	
18.	अवबोध	कार्य कारण	b-6	अति लघुतरात्मक	सा. (B)	1	2 मिनट	
19.	अवबोध	कार्य कारण	b-2	अति लघुतरात्मक	सा. (B)	1	2 मिनट	

भाग- ब

	ज्ञान	पहचान	b-1	लघुतरात्मक	(B)	2	2 मिनट	
	अवबोध	उदाहरण	b-1	लघुतरात्मक	सा. (B)	2	2 मिनट	
	अवबोध	अंतर	b-1	लघुतरात्मक	सा. (B)	2	2 मिनट	
	अवबोध	कारण	b-1	लघुतरात्मक	सा. (B)	2	2 मिनट	
	अवबोध	उदाहरण	b-1	लघुतरात्मक	सा. (B)	2	2 मिनट	
	अवबोध	तुलना	b-1	लघुतरात्मक	सा. (B)	2	2 मिनट	
	ज्ञानोपयोगी	नवीन परिस्थिति में प्रयोग	b-1	लघुतरात्मक	उच्च (A)	2	2 मिनट	
	ज्ञान	प्रत्यास्मरण	b-1	लघुतरात्मक	सा. (B)	7	30 मिनट	
	अवबोध	तुलना	b-1	लघुतरात्मक	सा. (B)	7	30 मिनट	
	ज्ञानोपयोगी	समाधान	b-1	लघुतरात्मक	उच्च (A)	7	30 मिनट	

(यह प्रश्न-पत्र स्वयं लेखिका द्वारा लिखित **'नागरिक शास्त्र शिक्षण** पुस्तिका से साभार लिया गया है)

कठिनाई स्तर का फलन - उत्तर पुस्तिकाएँ जाँचने के पश्चात् उन्हें उच्च से निम्न फलांकन के अनुसार रखा जाता है । उनमें से कुछ पुस्तिकाएँ इस प्रकार निकाल ली जाती हैं कि उनमें बुद्धिमान, सामान्य एवं कमजोर परीक्षार्थियों का प्रतिनिधित्व रहे उसके पश्चात् उनका विश्लेषण दिए गए प्रारूप के माध्यम से किया जाता है । जिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सोपान 8 में दिए गए अनुमानित कठिनाई स्तर से बहुत अधिक भिन्न होता है उनको बदलकर प्रश्न-पत्र को संशोधित किया जाता है । फिर उसको प्रमापीकृत जाँच-पत्र बनाया जाता है । इकाई परख में इसकी आवश्यकता नहीं होती है लेकिन ऐसा करने पर शिक्षक को अपने विद्यार्थी के स्तर के अनुसार प्रश्न-पत्र बनाने में भविष्य में सहायता मिल सकती है ।

विभेदीकरण मान - प्रश्न कठिनाई स्तर के साथ विभेदीकरण मान भी ज्ञात किया जाता है तथा मानकों (Norms) का विकास किया जाता है ।

प्रश्नवार विश्लेषण को अधिक प्रमाणिक बनाने के लिए रॉस एवं स्टेनले (Ross & Stanley) ने अशुद्ध उत्तरों पर आधारित एक विधि प्रतिपादित की है । इसमें 27 प्रतिशत उच्च प्राप्तांक वाले तथा 27 प्रतिशत निम्न प्राप्तांक वाली उत्तर पुस्तिकाओं के समूह बना लिए जाते हैं। उन पर निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है -

इन दोनों वर्गो (उच्च तथा निम्न) में प्रत्येक पद को कितने विद्यार्थी ने अशुद्ध हल किया है, तथा कितनों ने छोड़ दिया है, इसको ज्ञात किया जाता है (प्रश्नवार विश्लेषण के आधार पर) तत्पश्चात् निम्न सूत्रों के अनुसार विभेदीकरण मान (Discriminating Power) तथा कठिनाई मूल्य (Difficulty Value) ज्ञात किया जाता है -

विभेदीकरण मान (D.P.) $= \frac{WL - WH}{N} \quad \frac{D_1}{N}$

कठिनाई मूल्य (D.V.) $= \frac{WH - WL}{N} \quad \frac{D_2}{N}$

यहाँ WH = वह प्रश्न जो गलत हल किए गए हैं ।

WL = वह प्रश्न जिनको छोड़ दिया गया है ।

रॉबर्ट एल. एविल (Robert L. Eble) ने रॉस तथा स्टेनले की विधि संशोधित कर निम्न विधि का प्रयोग किया है । यह गणना की दृष्टि से अधिक सुगम है । इसमें 25 प्रतिशत निम्न अंक वाले तथा 25 प्रतिशत उच्चतम अंक वाली उत्तर पुस्तिकाओं के समूह बनाए गए । इन पर निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया -

विभेदीकरण मान (D.P.) = Ph - P_2

कठिनाई मूल्य (D.V.)= $\frac{Ph+P_2}{2}$

जहाँ P_h उच्च समूह के सही उत्तरों का अनुपात

P_2= निम्न समूह के सही उत्तरों का अनुपात

इनको ज्ञात करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है -

(i) इसको निम्न तालिका के अनुसार विश्लेषण कर विभेदीकरण मान व कठिनाई मूल्य इतत किया जाता है -

पद संख्या	उच्च समूह	निम्न समूह	D. V.	D.P.
	Ph	P_L	$\frac{Ph+P_L}{2}$	Ph-P_L
1.	.60	.30	.45	.30
2.	.64	.28	.46	.36
3.	.72	.44	.58	.28
4.	.80	.34	.57	.46
5.	.64	.40	.52	.24

(i) उपर्युक्त गणना के आधार पर D. एवं ०५. का अध्ययन कर आनुमानित कठिनाई से तुलना कर प्रश्नों को प्रश्न-पत्र के लिए चुना अथवा निष्कासित किया जा सकता है ।

(ii) असंगत या कठिन प्रश्नों को निकालकर प्रश्न-पत्र के लिए उपयुक्त प्रश्नों का चयन कियाजाता है तथा अंतिम रूप में प्रश्न-पत्र (परीक्षण) का प्रारूप तैयार किया जाता है ।

प्रश्न-पत्र की वैधता एवं विश्वसनीयता ज्ञात कर परीक्षण को प्रमापीकृत किया जा सकता है ।

एक अच्छे परीक्षण के गुण

(Characterstics of a Good Test)

नागरिकशास्त्र में प्रचलित मूल्यांकन विधा के रूप में परीक्षाओं की सीमाओं की समीक्षा करने के उपरान्त जानें कि एक अच्छे परीक्षण प्रश्न-पत्र में मापन की दृष्टि से क्या-क्या विशेषताएँ होनी चाहिए-

1. **वस्तुनिष्ठता (Objectivity)** - यदि अंकन कार्य में व्यक्तिगत पसन्द रूझानों या वैषयिकताओ (Subjectivity) का प्रभाव पड़ता है तो परिणाम सही नहीं हो सकते ।

अत: परीक्षण ऐसा हो कि एक से अधिक परीक्षक उत्तर पुस्तिका की जाँच करें तो भी परिणाम लगभग समान ही रहें ।

2. **विश्वसनीयता (Reliablity)** - यदि किसी परीक्षण के आधार पर किसी छात्र या समान समूह की परीक्षा एक से अधिक बार ली जाती है और परिणाम समानान्तर या लगभग एक से रहते हैं तो परीक्षण विश्वसनीय कहलाता है । अच्छे परीक्षण विश्वसनीय होते हैं।
3. **वैधता (Validity)** - वैधता से अभिप्राय है - परीक्षा जिस उद्देश्य को लेकर जिस विषयवस्तु की जाँच करने हेतु बनाई गई है, उसकी जाँच करती भी है या नहीं । एक अच्छा परीक्षण वह है जो विषय की उपलब्धि या उन्हीं योग्यताओं की 'वैध' जाँच करने में सक्षम हो जिनके लिए उनका निर्माण किया जाता है ।
4. **व्यावहारिकता (Practibility)** - परीक्षण ऐसे हों जिन्हें शिक्षक और छात्र उपयोग में ला सकें । जिनका निर्माण सरलता से किया जा सके, जो अधिक जटिल परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं करते हों, जिन्हें आसानी से प्रशासित किया जा सके, अंकन की दृष्टि से जो सरल हों, लचीले हो ।
5. **मितव्ययता (Economical)** - परीक्षण अधिक खर्चीले न हों । इनके निर्माण, प्रशासन, अंकन, परिणाम-विश्लेषण का कार्य मितव्ययता पूर्ण हो । इनमें प्रयोग आने वाली सामग्री ऐसी हो जो सहज ही उपलब्ध हो सके और सस्ती भी हो ।
6. **व्यापकता एवं पर्याप्तता (Board Based and Appropriates)**- परीक्षण समस्त पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करने वाला हो । इसमें पदों की पर्याप्त संख्या हो । यह सभी शैक्षिक कार्यो जैसे उपलब्धि, निदान, मार्गदर्शन तथा शिक्षक, शिक्षण और शिक्षण प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने वाला हो ।
7. **विभेदकता (Differentiation and Classification)** - परीक्षण के परिणाम छात्रों का उनकी योग्यता के आधार पर अंतर करने एवं वर्गीकरण करने में सक्षम हों ।

उक्त विशेषताओं के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि मूल्यांकन हेतु कार्य के प्रति 'नीतिगत' (Policy Level) निर्णय लेते हुए नवाचारों को बढावा दिया जाए ।

कतिपय सावधानियाँ (Precaution)

1. नील-पत्र **विषय वस्तु. विश्लेषण** (Content Analysis) के बाद बनाया जाना चाहिए ।
2. विषय वस्तु इकाई, उप-इकाई आदि का **चयन विषय के महत्व के आधार पर** किया जाए।
3. **विषय वस्तु विश्लेषण** को **उद्देश्य के चयन का आधार** बनाया जाए ।प्रश्न उठता है - प्रत्येक उद्देश्य को अंक भार कैसे प्रदत्त करें? इसका उत्तर है - विषय में किस उद्देश्य को कितना महत्व दिया गया है?
4. **प्रश्नों का** या पदों का चयन एवं उनकी **संख्या संबंधी निर्णय** समय की या **अवधि की उपलब्धि से जुडा है ।** प्रश्नों के सभी प्रकारों में विषय और उद्देश्य निहित हो सकते हैं किन्तु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों एवं लघूत्तरात्मक प्रश्नों की तुलना में निबधात्मक प्रश्नों को अधिक समय चाहिए । अत: जिस विषय वस्तु में उच्च मानसिक क्षमता या मौलिकता सहित अभिव्यक्ति के उद्देश्य की संभावना हो उसमें से निबंधात्मक प्रश्न बनाया जाए ।

सामान्यत: **प्रमाणीकृत उपलब्ध परीक्षणों का निर्माण** वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की रचना द्वारा ही होता है

5. **नागरिकशास्त्र के प्रश्न पत्र में अद्यतन विषयों** (Current Affairs) को स्थान दिया जाए। ज्ञानोपयोग के उद्देश्य के परीक्षण प्रश्नों का निर्माण करते समय पाठ्यवस्तु के तथ्यों, तिथियों, प्रावधानों, नियमों, सिद्धांतों, घटनाक्रम आदि को नवीनकृत रूप से जीवन की परिस्थितियों से जोडते हुए किया जाए । इसी आधार पर अंक-भार भी दिया जाना चाहिए ।
6. **अध्यापक अपनी 'सूझ-बूझ और अन्वेषी दृष्टि** से ऐसे परीक्षण पदों का निर्माण करे जो परीक्षणों को दूरगामी शिक्षा के उद्देश्य की संप्राप्ति में सहायक बनाएं, साथ ही उपलब्धि के स्तरों की 'विश्वसनीय' व 'वैध' पहचान प्रस्तुत कर सकें ।
7. **परीक्षणों का क्रम** शिक्षण के साथ **अनवरत** चलता रहे ।
8. परीक्षा प्रारूप का स्वरूप शिक्षक की विषय पर पकड़, उसकी सामान्य परिवेश की समझ और मूल्यांकन तकनीकी दक्षता पर निर्भर होगा ।

8.2 निदान (Diagnosis)

छात्र आंकलन साथ-साथ छात्र की समस्याओं एवं शिक्षण-अधिगम की कमजोरी का निदान किया जाता है । निदान हेतु शिक्षण द्वारा निर्मित परीक्षणों के साथ-साथ के अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों का भी प्रयोग शिक्षक द्वारा किया जा सकता है, जिनका विवरण निम्नलिखित है :-

1. आत्मनिष्ठ आकलन विधियाँ (Subjective Method)
   - (i) प्रेक्षण, या अवलोकन विधि (Observation Method)
   - (ii) साक्षात्कार (Interview)
   - (iii) प्रश्नावली (Questionair)
   - (iv) निर्धारण मापनी (Rating scale)
2. प्रक्षेपी आकलन विधियाँ (Projective Techniques)
   - (i) रोशार्क का स्याही धब्बा परीक्षण (Roscharch’s Ink Blot Test)
   - (ii) C.A.T.
   - (iii) T.A.T.
   - (iv) Picture Frustation Test
3. वस्तुनिष्ठ आकलन विधियाँ (Objective Techniques)
   - (i) उपलब्धि परीक्षण (Achivment Test)
   - (ii) निदानात्मक परीक्षण (Diagnnostic Test)

उक्त विधियाँ छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक व्यवहार के सभी पक्षों के आकलन एवं विसंगतियों के निदान हेतु प्रयोग की जाती हैं । प्रक्षेपी विधियाँ मूलत: मनोवैज्ञानिक विधियाँ हैं, जो विशेष परीक्षणों द्वारा संपन्न होती हैं ।

उपलब्धि एवं निदानात्मक परीक्षण (Achievment & Diagnostic Test)

ऊपर प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है । यह किसी छात्र की लिखित उपलब्धि को जाँचने या उनका आकलन करने का समयबद्ध उपाय है । पाठ्यक्रम विशेष के आधार पर निर्धारित उद्देश्य की समयबद्ध संप्राप्ति के 'साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु उपलब्धि परीक्षण प्रयुक्त होते हैं एवं उपलब्धि की कठिनाईयों का आकलन करने हेतु निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है ।

इबेल (Ebel) के अनुसार, "उपलब्धि परीक्षण वह है जो किसी छात्र द्वारा अर्जित ज्ञान या कौशलों में निपुणता का मापन करने हेतु बनाए जाते हैं ।"

दूसरे शब्दों में उपलब्धि परीक्षणों को उनके उपयोग एवं प्रकृति के आधार पर निम्न दो प्रकारों में बीटा जा सकता है -

(1) उपलब्धि परीक्षण (Achievement Test)

(2) निदान परीक्षण (Diagnostic Test)

इसी प्रकार निर्माण. प्रक्रिया के आधार पर उपलब्धि परीक्षणों के निम्न प्रकार हो सकते हैं -

(1) प्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण (Standardized Achievement Test)

(2) अप्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण (Non-Standardized Achievement Test)

अथवा

शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण (Teacher Made Achievement Test)

परीक्षण प्रशासन 'की दृष्टि से निम्न प्रकार के उपलब्धि परीक्षण होते हैं -

(1) प्रायोगिक परीक्षण (Practical Test)

(2) मौखिक परीक्षण (Oral Test)

(3) लिखित परीक्षण (Written Test)

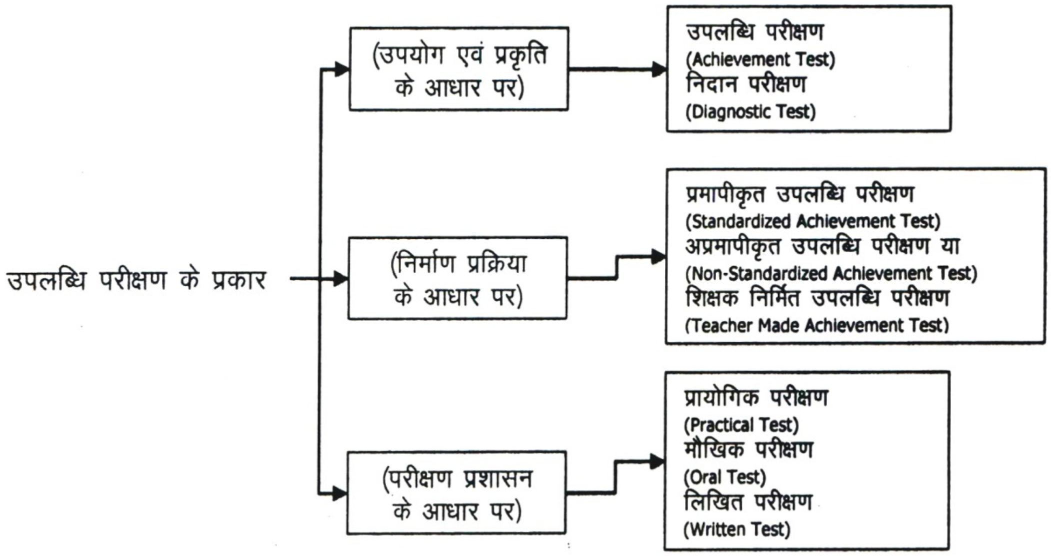

निदानात्मक परीक्षण (Diagnostic Test)

ऊपर दिये गये प्रश्न पत्र निर्माण के चरणों के आधार पर ही उपलब्धि परीक्षण किया जाता है । निदानात्मक परीक्षण भी उपलब्धि परीक्षणों का एक रूप है । इन परीक्षणों के माध्यम

से शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की कमजोरियों के साथ की उपलब्धि संबंधी कमियों का 'निदान' संभव होता है । इबेल (Ebel) ने निदानात्मक परीक्षण की निम्न परिभाषा दी है -

"निदानात्मक परीक्षण किसी अध्ययन विषय में आई विभिन्न कठिनाईयों या असफलताओं को सामने लाने हेतु निर्मित किये जाते हैं । "

किसी विषय के निदानात्मक परीक्षणों द्वारा किसी "एक या अधिक क्षेत्रों में उस विषय की **उपलब्धि संबंधी न्यूनताओं को पहचाना** जाता है । यह व्यक्ति की कमियों को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किये जाते हैं । इनके द्वारा ज्ञात न्यूनताओं को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण () का आयोजन किया जाता है । इस प्रकार नैदानिक मूल्यांकन एक व्यापक और गहन प्रक्रिया है जो छात्रों की सीखने की व्यक्तिगत कठिनाइयों से लेकर छात्र भिन्नताओं के आधार पर उत्पन्न कठिनाईयों को भी उजागर करती है ।

संक्षेप में निदानात्मक परीक्षणों के निम्न प्रयोजन होते हैं -

1. पाठ्य विषयों के उपलब्धि स्तर का आकलन करना व उसे बनाए रखना ।
2. पाठ्य-वस्तु के किसी एक विशेष पक्ष की कमजोरियों को ज्ञात करना ।
3. छात्र-कमजोरियों को पहचानना और विभिन्न विषयों अथवा एक ही विषय में न्यून उपलब्धि के क्षेत्रों को दर्शाना ।
4. छात्र- उपलब्धि तथा शिक्षण प्रक्रिया के सबल और सफल क्षेत्रों को पहचानना और उसमें सुधार करना ।
5. पिछड़े शिक्षार्थियों की कठिनाईयों को दूर करने हेतु उपचारात्मक शिक्षण की दिशा प्रदान करना ।

8.3 उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching)

विभिन्न परीक्षणों के आधार पर छात्रों की विषयवस्तु से संबंधित अथवा व्यवहार से संबंधित न्यूनताओं के उपचार हेतु शिक्षक द्वारा शिक्षण सामग्री का इस प्रकार संयोजन किया जाता है कि वह उन पक्षों का पुनर्शिक्षण करे, जो छात्र द्वारा पूर्व परीक्षण में पूर्णत: संप्राप्य (Acieve) नहीं किये गये हैं । इस प्रकार के शिक्षण में अप्राप्य उद्देश्य के आधार पर शिक्षण की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाते हुए पद्धतियों को पिछडे हुए छात्रों के आधार पर पुन: चयनित करते हुए शिक्षण करता है एवं पुन: मूल्यांकन द्वारा यह सुनिश्चित करता है कि उपचारात्मक शिक्षण के परिणामस्वरूप छात्रों का उपलब्धि स्तर उन्नत हो । उपचारीकरण हेतु शिक्षण, उपचारात्मक अभ्यास एवं परीक्षणों की प्रक्रिया सतत् रूप में अपनाते हुए सुधारात्मक व उपचारात्मक सामग्री का निर्माण व प्रयोग आवश्यक है ।

छात्र आकलन के नवीन आयाम (New Dimensions of Student's Appraisal)

सतत आकलन - सतत आकलन का प्रत्यय वस्तुत: परीक्षा-सुधार के दो सिद्धान्तों पर आधारित है - (1) जो व्यक्ति अध्यापन कार्य करे, वही व्यक्ति मूल्यांकन भी करे तथा (2) मूल्यांकन कार्य सत्रांत में न होकर संपूर्ण सत्र के दौरान लगातार होता रहे । सतत आकलन प्रणाली के अंतर्गत छात्रों की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन शिक्षण कार्य कर रहे अध्यापकों के

द्‌वारा सत्र के बीच लगातार थोड़े-थोड़े अंतराल पर किया जाता रहता है तथा छात्रों को उनकी कमियों व सफलताओं की जानकारी दी जाती है । इससे छात्रों को पृष्ठपोषण (Feed Back) मिलता है तथा वे अपनी क्षमताओं के अनुरूप सर्वोत्तम शैक्षिक प्रगति करने के लिए प्रयासरत रहते हैं । सतत आकलन में अध्यापकों के द्‌वारा छात्रों की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए लिखित परीक्षाओं के अतिरिक्त मापन व मूल्यांकन की विभिन्न प्रविधियों व उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है । सतत आकलन छात्रों के साथ-साथ अध्यापकों को भी अपनी शिक्षण योजना में सुधार करने के अवसर प्रदान करता है । छात्रों द्‌वारा अर्जित ज्ञान व कौशल की जानकारी के आधार पर अध्यापकगण भी अपनी शिक्षण व्यूह रचना (Teaching Strategy) को यथा- आवश्यक परिवर्तित कर सकता है । अत: यह संपूर्ण शिक्षा-प्रणाली में वांछित सुधार लाने की दिशा में एक सार्थक कदम है । इसके विभिन्न पक्षों पर व्यापक विचार-विमर्श किया जा चुका है तथा विद्वानों के द्‌वारा इसे स्वीकार किया जा चुका है । अनेक शैक्षिक संगठनों तथा परीक्षा समितियों ने इस विचार को सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया है तथा कहीं-कहीं पर तो इसका क्रियान्वयन भी किया जाने लगा है । सतत आकलन वास्तव में वर्तमान समय में प्रचलित परंपरागत सत्रांत-बाह्य मूल्यांकन प्रणाली के दोषों का निराकरण करने एवं शिक्षा-प्रणाली को शिक्षण-अधिगम की ओर उऩ्‌ख करने का एक प्रयास है ।

इसमें अध्यापकगण दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं द्‌वारा अपने छात्रों के ज्ञान, बोध व कौशल का मापन करते थे तथा उन्हें सुधार हेतु आवश्यक पृष्ठपोषण प्रदान करते थे । लेकिन कालान्तर में आतरिक परीक्षाओं की वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता तथा वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगन लगे तथा धीरे-धीरे बाह्य परीक्षाओं के परिणामों को ही सामाजिक स्वीकृति प्रदान की जाने लगी । बाह्य परीक्षाओं की उपयोगिता, सार्थकता तथा महत्व से इंकार नहीं किया जा सकता है । निःसंदेह बाह्य परीक्षायें विभिन्न शिक्षा संस्थाओं के परीक्षा परिणामों में एकरूपता (Uniformity) लाने की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक हैं परन्तु विचारणीय प्रश्न है कि सत्र के अंत में ली जाने वाली बाह्य परीक्षाओं से छात्रों के द्‌वारा संपूर्ण सत्र में अर्जित ज्ञान, बोध व कौशल की सही जानकारी संभव है? क्या मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों को अगली कक्षा में भेजने अथवा नहीं भेजने अथवा किसी रोजगार के लिए आवश्यक योग्यता प्रमाण-पत्र देने तक ही सीमित है? इन प्रश्नों पर विचार करने पर उत्तर नकारात्मक मिलता है ।

इस प्रकार आतरिक व सतत आकलन -

- शिक्षण-अधिगम में सुधार के लिए मार्गदर्शन करता है ।
- छात्रों का व्यापक दृष्टि से मूल्यांकन करने में समर्थ होता है ।
- बुद्धि, रूचि, अभिवृत्ति, अभिरूचि, व्यक्तिगत व सामाजिक गुण, नैतिक चरित्र, पाठ्य-सहगामी क्रियाओं में सहभागिता जैसे व्यक्तित्व आयामों की जानकारी प्रदान करता है ।
- संपूर्ण सत्र के दौरान छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करता है ।
- चयनित व सतत स्तरीय अध्ययन की प्रवृत्ति को समाप्त करता है ।

सतत आकलन में परीक्षक को धोखा देने की संभावना नगण्य है । सतत आकलन के द्‌वारा छात्रों को समय-समय पर इनकी शैक्षिक प्रगति से अवगत कराकर उन्हें आवश्यक पृष्ठपोषण देना संभव है । सतत आकलन प्रणाली की प्रभावशीलता-अध्यापको के ऊपर निर्भर

करती है । यदि अध्यापकगण निष्पक्षता, कर्त्तव्यपरायणता, निष्ठा तथा विश्वास के साथ सतत आकलन के कार्य को संपादित करेंगे तो निःसंदेह यह प्रणाली शिक्षाप्रणाली में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन ला सकती है एवं छात्र के समग्र विकास में योगदान दे सकती है ।

मूल्यांकन प्रक्रिया और श्रेणीकरण - मूल्यांकन शिक्षण-प्रक्रिया का अभिन्न अंग है । यह बालक की शैक्षिक उपलब्धि, उसके स्तर, स्थान और श्रेणी को निर्धारित करने का मानदण्ड तो है ही, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने का भी आधार है । शिक्षाविद् सर्वपल्ली डी. राधाकृष्णन ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के विश्लेषणों में मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार को अत्यन्त आवश्यक मानते हुए लिखा है कि, 'यदि शिक्षा व्यवस्था में किसी एक सुधार की आवश्यकता सबरने पहले करने की है तो वह है 'मूल्यांकन प्रक्रिया' में सुधार की' । स्वतंत्र भारत में यह आवश्यकता आज अर्ध-शतकीय शिक्षा यात्रा पूरी होने के अनन्तर और भी गहराई से अनुभव की जा रही है ।

शिक्षा के गिरते स्तरों के उन्नयन में मूल्यांकन प्रक्रिया के दोषों का निवारण एक उपाय बन सकता है । सामान्यत: मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार हेतु निम्न उपायों पर प्रतिबल दिया जाता रहा है -

1. **मूल्यांकन विकास रूप हो** - अर्थात् यह शिक्षण के साथ-साथ चले । पढ़ाते समय छात्र की सीखने की गति, दिशा, क्षमता और बाधाओं का 'निदान' और 'उपचारात्मक-शिक्षण' प्रत्येक पद पर होता रहे । विकासात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्र को 'पास' या 'फेल' करना नहीं अपितु ऐसे सीखने के 'माहौल' का निर्माण करना है जिसमें बालक अपनी कमजोरियों को दूर करता है, अधिक से अधिक सीखने के अवसर प्राप्त करता है और निहित संभावनाओं की पूर्ति करता है ।

2. **समेकित अंतिम मूल्यांकन** - शैक्षिक सत्र के अंत में 'प्रोन्नति' का आधार समेकित मूल्यांकन होता है । प्रश्न यह है कि सत्र भर की किन-किन निष्पत्तियों को मूल्यांकन मानकों में समाविष्ट किया जाए? उपयुक्त हो कि विद्यालय में बालक के समग्र-व्यवहार को 'मानक' माना जाए और उसके आकलन के समुचित आधार निर्धारित किये जाऐं । समग्र-व्यवहार से अभिप्राय है-

- संज्ञानात्मक (ज्ञान)
- भावात्मक (भाव)
- संक्रियात्मक (कर्म)

विकासात्मक मूल्यांकन की प्रक्रिया से बालक में लगातार उक्त व्यवहारगत परिवर्तनों के लिए शिक्षण-अनुभव उपलब्ध होते रहें और अधिगम परिस्थितियों का निर्माण अनवरत चलता रहे यह तभी संभव होगा ।

3. छात्रों के आकलन के भी निम्न तीनों आधारों को अपनाया जाए -

   10 - छात्र द्वारा 'स्वयं का आकलन'

   20 - शिक्षक द्वारा तय किये गये मानकों के आधार पर आकलन

   30 - अन्य छात्र-समूहों के संदर्भ में एक छात्र की उपलब्धि का ऑकलन

   उक्त आधारों पर छात्रों की तुलनीयता और व्यापकता और वैध मानी जायेगी ।

4. तुलनीयता को 'श्रेणी' या ग्रेड्स में दर्शाया जाना अधिक उपयुक्त है । छात्रों को दिये जाने वाली अंक-प्रणाली में 0 से व 100 तक कुल 101 बिन्दु की अंक-योजना में से मात्र किसी एक प्राप्तांक पर रख दिया जाता है । जैसे - 100 में से 60 अंक या 69 अंक या 49 अंक आदि-

आदि। इस मनचाहे विभाजन से बालक प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी ही प्राप्त नहीं करता अपितु उसे अनुत्तीर्ण भी किया जाता है । उदाहरणार्थ 59.4 प्रतिशत अंक पर द्वितीय श्रेणी तो 60 प्रतिशत अंक पर प्रथम । बालक पर इन अंकों से जो उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण का पट्टा चढ़ जाता है वह उनकी योग्यता का सही द्योतक हो, ऐसा आवश्यक नहीं । अध्ययन कार्य स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान अंकन कार्य शिक्षकों की मानसिक विचारधाराओं और व्यक्तिगत रूझानों से प्रभावित होते हैं । वस्तुत: छात्रों की शैक्षिक-लब्धि को एक प्राप्तांक से निश्चित करने के स्थान पर 101 बिन्दु मापनी का तर्क-संगत प्रयोग करते हुए किया जा सकता है ।

एक ही विषय का एक परीक्षक जहाँ ज्ञान, स्मृति, बुद्धि, अभिव्यक्ति, लेखनी आदि से विषयग्रस्त हो सकता है वहीं विभिन्न विषयों के परीक्षकों का अंकन आधार भी भिन्न-भिन्न होता है । जैसे विज्ञान और गणित जैसे विषयों में 100 पूर्णाक में से प्राप्तांक 'शून्य' से 'पूर्ण-प्रसार 100 ' अंक तक देखे जा सकते हैं जबकि अन्य विषयों में -यह प्रसार प्राय: सीमित भी (20 से 70 तक) देखा गया है । यह विषमता छात्रों के विभेदन का सम्यक् आधार नहीं मानी जानी चाहिये । ऐसे विषयों के प्राप्तांकों का योग करने पर यदि छात्रों को योग्यता आया 'रेस' दी जाती है तो वह भी विसंगति पूर्ण होगी ।

दो विषयों में 05 छात्राओं के प्राप्तांक
(काल्पनिक)

विषय	**सीमा**	**रीमा**	**मीता**	**गीता**	**सीता**
1. संस्कृत	70	30	50	52	40
2. गणित	40	90	54	55	30
योग	110	120	104	107	70

योग्यता क्रम – रीमा - 120 प्रथम स्थान
सीमा - 110 द्वितीय स्थान

उक्त सारिणी को देखने से स्पष्ट होता है कि रीमा और सीमा की 'गणित' और 'संस्कृत' विषय की उपलब्धियाँ असमान हैं फिर भी इनमें सर्वप्रथम स्थान रीमा को मिला है । यहाँ संस्कृत विषय की वरीयता श्रेणी और गणित विषय की वरीयता श्रेणी में मानक विचलन और अंक प्रन्यास असमान हैं । अत: प्राप्तांकों की समतुल्यता का आधार मानक विचलन समान होने पर ही सही विभेदक का सूचक हो सकता है ।

इसी कारण से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अंक-प्रणाली की 'ग्रेड-प्रणाली' से शनै:-2 स्थानापन्न करने का सुझाव दिया है । ग्रेड-प्रणाली यदपि त्रुटि-हीन या निरापद मूल्यांकन विकल्प हो ऐसी बात नहीं है फिर भी अपेक्षाकृत त्रुटि-रहित और मानवीयता-पूर्ण विकल्प है जिसमें एक-एक अंक के अंतर से अवैज्ञानिक रूप से बालक को 'अनुत्तीर्ण' होने का अमनोवैज्ञानिक खिताब चस्पा होने से बचाया जा सकता है|

क्रमांक	श्रेणी	अंक प्रसार	शाब्दिक श्रेणी	टिप्पणी
1.	A	90% से अधिक	उत्कृष्ट	अंक प्रसरण और शब्द श्रेणी की संख्या में आवश्यकता परिवर्तन किया जा सकता है
2.	B	80% से अधिक, 90% से न्यून	उत्तम	
3.	C	70% से अधिक, 80% से न्यून	बहुत अच्छा	
4.	D	60% से अधिक, 70% से न्यून	अच्छा	
5.	E	50% से अधिक, 60% से न्यून	औसत से अच्छा	
6.	F	40% से अधिक, 50% से न्यून	औसत	
7.	G	30% से अधिक, 40% से न्यून	औसत से निम्न	
8.	H	20% से अधिक, 30% से न्यून	सीमांत	
9.	I	20% से न्यून	असंतोषप्रद	

इस प्रक्रिया से अंक विभाजन का सुगमता से श्रेणीकरण और श्रेणीकरण की निष्पत्ति की शाब्दिक व्याख्या में परिवर्तन संभव है । किन्तु ' श्रेणी' देने की इस विधा में अंकों का विभाजन कर ग्रेड्स में बाँटने का आधार यहाँ भी स्वैच्छिक ही है, जिससे इसमें वैषयिकता का समावेषण होना स्वाभाविक है । इस प्रक्रिया को और परिष्कृत करने की दृष्टि से सामान्य संभावना वक्र (NPC) द्वारा अंक वितरण की 'सापेक्ष' विधा का प्रयोग किया जाता है ।

सापेक्ष श्रेणीकरण - छात्रों की भिन्न-भिन्न अभियोग्यताओं को व्यवहारगत-परिवर्तन में ढाले गए उद्देश्य के आधार पर परीक्षित कर लिया जाता है । उपलब्धि अंकों को सारिणीबद्ध कर 'ग्राफ' की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है । इसे 'संप्राप्ति' वक्र भी कहते हैं । इस वक्र को सामान्य संभाना वक्र या एनपीसी. में परिवर्तित कर ' श्रेणी-बद्ध' किया जाता है । उदाहरणार्थ यदि ' 9-बिन्दु' युक्त मापनी पर '9-बिन्दु' आधारित श्रेणीकरण करें तथा उक्त तालिका के आधार मानक विचलन ' 2 ' और मध्यमान ' 5' हो तो 'ग्रेड-मूल्य' की संगणना संभव होती है । 1987 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार हेतु आयोजित राष्ट्रस्तरीय संगोष्ठी द्वारा उक्त 'नौ-बिन्दु' आधारित 'ग्रेडिंग' को उपयुक्त माना गया। इसे 'सात' या 'पाँच' बिन्दुओं में भी सीमित कर सकते हैं ।

क्रमांक	**शब्द श्रेणी**	**अंतराल**	**छात्र संख्या**	**ग्रेड मूल्य**
1.	(A) ए	1.750 to . .	4%	9
2.	(B) बी	1.250 to 1.750	7%	8
3.	(C) सी	0.750 to 1.250	12%	7
4.	(D) डी	0.250 to 0.750	17%	6
5.	(E) ई	0.250 to 0.250	20%	5
6.	(F) एफ़	0.750 to 1.250	17%	4
7.	(G) जी	1.250 to 0.750	12%	3
8.	(H) एच	1.750 to 1.250	7%	2
9.	(I) आई	0.00 to 1.750	4%	1

('ग्रेडिंग इन स्कूल', एनसीईआरटी. प्रकाशन 2000 से साभार)

उक्त तालिका के आधार मानक विचलन '2' और मध्यमान '5' हो तो 'ग्रेड-मूल्य' की संगणना संभव होती है । 1987 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षक परिषद् द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार हेतु आयोजित राष्ट्रस्तरीय संगोष्ठी द्वारा उक्त 'नौ-बिन्दु' आधारित 'ग्रेडिंग' को उपयुक्त माना गया । इसे 'सात' या 'पाँच' बिन्दुओं में भी सीमित कर सकते हैं ।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एनसीईआरटी. के सौजन्य से अगस्त 2004 में आयोजित 'ग्रेडिंग' विषयक संगोष्ठी में यह स्वीकारा गया कि अंकन के स्थान पर राजस्थान में भी 'ग्रेडिंग व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए । इसके आधार निम्न माने गये -

1. उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण के नकारात्मक प्रभाव से बचने हेतु ।
2. उक्त सारिणी के आधार पर प्रयुक्त ग्रेड व्यवस्था से छात्र की तुलना 'समूहगत' और व्यक्तिगत स्तर पर मानदण्ड निश्चित करते हुए की जानी संभव है ।
3. पाठ्यक्रमीय एवं 'पाठ्यक्रमेत्तर' दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों में सम्प्राप्य उपलब्धि की तुलना संभव है । यह एक व्यापक आधार देती है ।
4. बालक के विकास की सकारात्मक दिशा के निर्धारण में यह व्यवस्था सहायता देती है । भावी पाठ्यक्रमों के चयन और आव्रजन में यह अधिक सहायक रहती है ।
5. तकनीकी दृष्टि से 'अंकन' की अपेक्षा यह सुगम, सार्थक, पारदर्शी और विश्वसनीय परिणाम देने वाली व्यवस्था है । अत: संस्कृत शिक्षण और मूल्यांकन में भी इसे अपनाने के प्रयास किये जाने चाहिए ।

8.4 बहु-आयामी प्रश्न पत्रों/प्रश्न-बैंक का विकास (Development of multiple question paper set/Development of question bank)

प्रश्न बैंक (Question Bank)- परीक्षा प्रणाली में पूछे जाने वाले प्रश्नो का अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया के साथ तालमेल होना आवश्यक है । प्राय: देखा जाता है कि प्रश्नपत्रों में सम्मिलित अधिकांश प्रश्न बहुत ही सतही स्तर के होते हैं तथा भाषायी अंतर को छोडकर लगभग उसी रूप में उन प्रश्नों की बार-बार पुनरावृत्ति होती रहती है । इसके अतिरिक्त प्रश्नपत्र निर्माता द्वारा तैयार किये गये प्रश्नपत्र न तो संपूर्ण पाठ्यक्रम का सही प्रतिनिधित्व कर पाते हैं न ही वे छात्रों के ज्ञान, बोध व कौशल का विस्तृत अर्थो में मूल्यांकन कर पाते हैं । प्रश्नपत्रों की इन कमियों के फलस्वरूप छात्र परीक्षा हेतु कुछ केवल विशिष्ट प्रश्नों / प्रकरणों को तैयार करते हैं तथा शेषों को महत्वहीन मानकर छोड देते हैं । शिक्षा प्रक्रिया को सार्थक बनाने के लिए छात्रों द्वारा उन सभी प्रकरणों में अर्जित ज्ञान, बोध व कौशल का मूल्यांकन किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है । परंतु प्रश्नपत्रों की रचना में होने वाली कमियों के कारण निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन असंतुलित हो जाता है तथा शिक्षा प्रक्रिया के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती । इस समस्या के निराकरण हेतु प्रश्न-बैंक तैयार करने की एक योजना प्रस्तुत की गई है । प्रश्न-बैंकों के निर्माण का उद्देश्य प्रश्नपत्र निर्माता को प्रश्न तैयार करने में सहायता करने के साथ-साथ अध्यापकों तथा छात्रों को शिक्षण-अधिगम में सहयोग करना है । जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रश्न बैंक वस्तुत: प्रश्नों का एक पूर्व तैयार समूह (Pre-Prepared & Readymade Collection) होता है । प्रश्न-बैंक में किसी विषय अथवा प्रकरण की विभिन्न इकाईयों पर अनेक

प्रश्नों को तैयार करके संग्रहीत किया जाता है । प्रश्न बैंक वस्तुत: किसी प्रकरण/विषय पर संभावित प्रश्नों का एक वृहद समूह है जो शिक्षण, अधिगम. व परीक्षा को शैक्षिक निर्देश प्रदान करता है और सभी इन प्रश्न-बैंकों में सम्मिलित प्रश्नों का लाभ उठा सकते हैं । जैसे -

1. प्रश्न बैंक शिक्षण-अधिगम तथा मूल्यांकन के लिए एक सुलभ आधार का कार्य संपादित करता
2. इनमें एक ही विषय / प्रकरण / इकाई पर अनेक प्रश्न दिए होते हैं । इन प्रश्नों को दृष्टिगत रखकर शिक्षक अपनी शिक्षण-योजना को व्यवस्थित कर सकते हैं ।
3. इन प्रश्नों को ध्यान में रखकर परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं ।
4. परीक्षक इन प्रश्नों की सहायता से एक संतुलित प्रश्नपत्र की रचना कर सकता है ।
5. प्रश्न बैंक, अध्यापकों को क्या तथा कैसे पढ़ाना है एवं परीक्षकों को क्या तथा कैसे पूछना है, के संबंधु में दिशा-निर्देश प्रदान कर सकते हैं ।

प्रश्न-बैंक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे -

(i) वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक
(ii) लघूत्तर प्रश्न बैंक
(iii) विस्तृत उत्तर प्रश्न बैंक
(iv) मिश्रित प्रश्न बैंक

विषयों / प्रकरणों के अनुरूप भी अनेक प्रश्न-बैंक हो सकते हैं, जैसे - हिन्दी, गणित, अर्थशास्त्र का प्रश्न-बैंक आदि-आदि । कक्षा स्तर के अनुरूप भी प्रश्न बैंक हो सकते हैं, जैसे हाईस्कूल एवं स्नातक स्तरीय प्रश्न बैंक आदि ।

जैसा कि पूर्व पृष्ठों में प्रश्न-पद विश्लेषण का उदाहरण दिया गया है, हम प्रश्न बैंक को प्रमाणिक बनाने के लिए उसमें सम्मिलित प्रश्नों की मनोमितीय विशेषताओं, जैसे कठिनाई के स्तर (Difficulty Value) तथा विभेदन क्षमता (Discriminating Power) के प्रायोगिक आधार पर ज्ञात किया जा सकता है । ऐसी जानकारी के उपलब्ध होने पर प्रश्नपत्र में सम्मिलित करने के लिए प्रश्नों का चयन तर्कसंगत ढंग से करना संभव हो सकेगा ।

कम्प्यूटर की सहायता से प्रश्न बैंकों का संचालन तथा उनसे प्रश्नों का चयन बहुत ही सुविधाजनक ढंग से संभव हो सकता है ।

प्रश्न बैंक निर्माण की समस्याएँ :-

1. बने-बनाए प्रश्नों के उपलब्ध हो जाने पर प्रश्नपत्र निर्माता नवीन प्रश्नों की रचना करने के श्रम से बचना चाहेगा तथा उसके चिंतन, संवेदनशीलता व सृजनात्मकता का सदुपयोग नहीं हो सकेगा ।
2. प्रश्न बैंकों की उपलब्धता के परिणामस्वरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केन्द्र बिन्दु प्रश्न बैंकों के बन जाने की संभावना हो जायेगी ।
3. प्रश्न बैंकों में संग्रहण किये गये प्रश्नों के उत्तर कालान्तर में गाइड पुस्तकों के रूप में बाजार में उपलब्ध होने लगेंगे, जो शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति में बाधक होंगे ।

प्रश्न बैंक निर्माण में सतर्कता -प्रश्न बैंकों के इस दोष का निवारण करने के लिए, प्रश्न बैंक निर्माण के समय निम्नलिखित सतर्कताऐ रखना आवश्यक है -

1. प्रश्न बैंकों में समय -समय पर नवीन प्रश्नों को जोडते जाने तथा पुराने प्रश्नों को हटाने की सतत आवश्यकता होगी ।
2. विभिन्न विशेषज्ञों से निर्मित प्रश्नों की उद्देश्य आधारित समीक्षा की जानी चाहिये ।

परीक्षण प्रश्नों के विभिन्न प्रकार (Various Types of Questions)

प्रश्नों के माध्यम से ही विषयवस्तु, शिक्षण उद्देश्य एवं परीक्षार्थी की उपलब्धि के स्तरों को जोड़ा जाता है. । मूल्यांकन प्रक्रिया प्रश्नों पर ही आधारित होती है । प्रश्नों के विभिन्न प्रकारों के संयोजन द्वारा ही प्रश्न-पत्रों की रचना होती है । उपलब्ध परीक्षण भी निम्न प्रकार के प्रश्नों की सहायता से निर्मित होते हैं -

1. निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)
2. लघूत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)
3. वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Question) - निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से परीक्षण की परंपरा अत्यन्त प्राचीन है । निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से छात्रों की लिखित अभिव्यक्ति (Written Expression), भाषा संबंधी दक्षता, वैचारिक स्पष्टता, चिंतन कल्पनाशीलता, विश्लेषण-संश्लेषण, आलोचनात्मक शक्ति, सुलेख, लिखने की गति, विषय पर पकड़, आवश्यकता के अनुसार विषय का विस्तार (Extrapolation) अथवा संक्षिप्तीकरण (Summarization) आदि व्यवहारों का परीक्षण किया जाता है । परीक्षार्थी के संज्ञानात्मक (Cognitive) पक्षों अर्थात् बौद्धिक एवं मानसिक योग्यताओं के साथ- साथ भावाभिव्यक्ति, रूझान, अभिवृत्तियों और भाषा-कौशलों का आकलन करने में भी निबंधात्मक प्रश्न सक्षम हैं ।

निबंधात्मक प्रश्नों के प्रकार (Types of Essay Type Question) - मुनरो तथा कार्टर (Monroe & Carter) ने निबंधात्मक प्रश्नों के 21 प्रकार बताए हैं, निम्न तालिका देखें -

(i) चयनित पुन: स्मरण प्रश्न (Selective Recall)
(ii) मूल्यांकन परक पुन: स्मरण प्रश्न (Evaluation Recall)
(iii) सामान्य तुलना (Comparison in General)
(iv) दिये हुए आधारों पर तुलना (Comparison on a Single basis)
(v) पक्ष या विपक्ष में निर्णय (Decision For or against)
(vi) कारण या प्रभाव (Causes of effects)
(vii) व्याख्या (Explination)
(viii) सारांश (Summary)
(ix) विश्लेषण (Analysis)
(x) संबंध-कथन (Statment or Relationship)
(xi) सारांश (Summary)
(xii) विश्लेषण (Analysis)
(xiii) उदाहरण (Illustration or Example)
(xiv) वर्गीकरण (Classification)

(xv) अनुप्रयोग (Application)

(xvi) विवेचना (Discussion)

(xvii) उद्देश्य कथन (Statment of Aims)

(xviii) समालोचना (Criticism)

(xix) रूपरेखा (Outline)

(xx) तथ्यों का पुनर्गठन (Re-organisation of facts)

(xxi) निष्कर्षात्मक चिंतन (Conclusive Thinking)

आपने अभी तक उक्त उद्देश्य के परीक्षण करने वाले विभिन्न निबंधात्मक उद्दश्यों के उत्तर लिखे होंगे, वस्तुतः ये प्रश्न अनेक प्रकार से अध्यापक या परीक्षणकर्त्ता की दृष्टि से उपयोगी हैं वहीं इनकी कुछ सीमाएँ भी हैं ।

नागरिकशास्त्र उपलब्धि परीक्षणों में प्रयुक्त प्रश्नों के प्रकार

(Types of Questions, used in Testing)

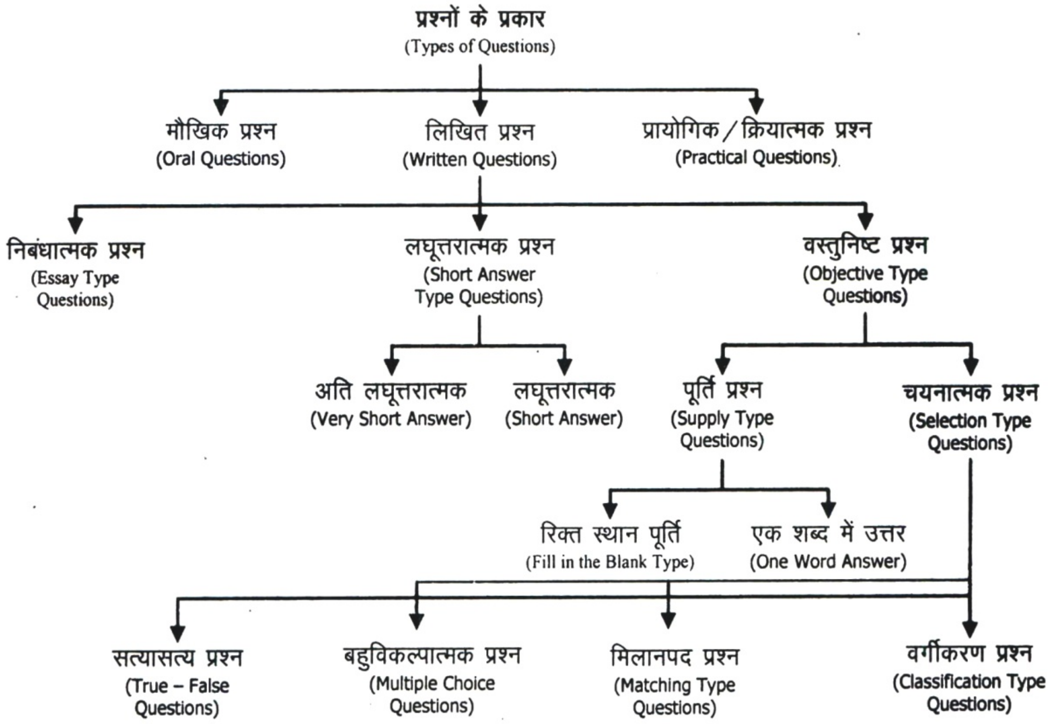

क्रिया अभ्यास - देखें, सोचें और पहचानें

उक्त प्रदर्शन देखें और नीचे दिये प्रश्नों की पहचान करें कि वह किस प्रकार का प्रश्न है और उनकी रचना किन उद्देश्य के मापन हेतु की गई है?

1. निम्न प्रश्न का उत्तर एक पंक्ति में लिखें -

   विशिष्ट ज्ञानवान् व्यक्ति को बिना चुनाव लड़े व्यवस्थापिका का सदस्य बनाने हेतु आप किस निर्वाचन पद्धति को अपनायेंगे?

2. सही विकल्प का चयन कीजिए और उसका क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखिए -

   भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाए रखने हेतु अपेक्षित है -

(अ) संसदीय नियंत्रण (ब) न्यायाधीशों का निर्वाचन

(स) पद की सुरक्षा (द) सीमित कार्यकाल ( )

3. भारत में मानवाधिकार आयोग का सदस्य जिस क्षेत्र से हो सकता है, वह है ------------ क्षेत्र ।
4. सुनामी जैसी विनाशकारी आपदाओं से देश की सुरक्षा हेतु राष्ट्रपति को संविधान द्वारा कौनसी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? इन शक्तियों का प्रयोग किये जाने वाले संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए ।
5. नीचे कुछ शब्दावली दी गई हैं । इनमें से जो शब्द अन्यों के अनुरूप नहीं हो उसे रेखांकित कीजिए (i) राष्ट्रपति (ii) प्रधानमंत्री (iii) उपराष्ट्रपति (iv) मुख्यमंत्री

निबंधात्मक प्रश्नों को प्रभावी कैसे बनाए? (How to prepare effective Essay type Question)

निबंधात्मक प्रश्नोत्तरों की शब्द सीमा निश्चित करें ।

1. परीक्षण प्रश्नों की संख्या अधिक हो ताकि **पाठ्यवस्तु का प्रतिनिधित्व** अधिक हो ।
2. प्रश्न की रचना इस प्रकार करें कि **सुनिश्चित उत्तर** मिल सकें ।
3. प्रश्न के **उत्तर प्रभागों में माँगें और प्रत्येक प्रभाग के अंक पृथक्-पृथक्** निर्धारित करें ।

उदाहरणार्थ - निम्न प्रश्न 10 अंकों का है जिसके अंक विभाजित कर दर्शाए गये हैं ।

भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि स्पष्ट कीजिए, साथ ही उसे पद से हटाने की संवैधानिक व्यवस्था की विवेचना कीजिए । 5, 5

उक्त प्रश्न के दोनों भागों के उत्तरों के लिए अंक पृथक्-पृथक् दर्शाए गए हैं अर्थात् 10 अंकों को 5 + 5 में बाँटा गया है । इस प्रकार के अंकन में वस्तुनिष्ठता बढ़ने की संभावना होती है ।

4. प्रश्नों में **विकल्प** (Choice) **सीमित** हों । यदि हों भी तो आतरिकविकल्प (Intrenal Choice) के रूप में हों । अर्थात् जिस इकाई से प्रश्न चुना है उसी से उसका वैकल्पिक प्रश्न चुनें ।
5. प्रश्नों की **भाषा सरल. सुबोध और संक्षिप्त** हो ।
6. ऐसे प्रश्नों के साथ **प्रक्षेपण तकनीकियों** (Projective Technique) का प्रयोग करें ।
7. प्रश्नोत्तरों की **उत्तर तालिका** (Answer Key) तैयार करें ।
8. प्रश्नों में **प्रामाणिक शब्दावलियों का ही प्रयोग** किया जाए ।
9. **'अंकों के स्थान पर 'श्रेणी का प्रयोग करें ।**

लघूत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Question)

लघूत्तरात्मक प्रश्न निबंधात्मक प्रश्नों की कमियों की पूर्ति करते हैं । इनके माध्यम से विषयवस्तु का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा सकता है । सामान्यत: इनके दो प्रकार होते हैं -

(1) लघूत्तरात्मक प्रश्न (2) अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

इन प्रश्नों द्वारा छात्र से उत्तर की संक्षिप्त, सटीक, विदवत प्राप्ति संभव है । इस प्रकार यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तुक्केबाजी (Chance Factor) को सीमित करते हैं वहीं निबंधात्मक

प्रश्नों की वैशयिकता (Subjectivety) के स्थान पर वस्तुनिष्ठता से अंकन कार्य को संभव बनाते हैं ।

निम्न उदाहरण देखिए -

लघूत्तरात्मक- (1) नौकरशाही के तीन लक्षण लिखिए । 3

उद्देश्य - **ज्ञान**

लघूत्तरात्मक-

(2) एक नवोदित राज्य में लोकतंत्र की स्थापना करनी है । सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादकों में से आप किसका अनुसरण करने का सुझाव देंगे और क्यों? 3

उद्देश्य **ज्ञानोपयोग**

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Question)

निबंधात्मक प्रश्नों की तुलना में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अंकन अधिक वस्तुनिष्ठता से संभव है, इसी कारण इन्हें 'वस्तुनिष्ठ' कहाजाता है । ये विषय को उद्देश्य से जोडकर प्रत्यक्ष एवं मापनीय बनाते हैं । मूल्यांकन एवं उपलब्धि परीक्षणों में आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सर्वाधिक प्रयोग होता है । जैसा कि प्रदर्श सं. ----------- में दिखाया गया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के निम्न प्रकार प्रचलन में हैं -

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार (Types of Objective Type Question)

(1) **आपूर्ति प्रश्न (Supply Type)** - इस प्रकार के प्रश्नों में छात्र को उत्तर की आपूर्ति करनी होती है । यह दो प्रकार से निर्मित होते हैं -

(i) रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न

(Fill in the Blank Type Questions or Completions Type Questions)

(ii) सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्न या एक शब्द में उत्तर पूर्ति प्रश्न

(Simple Recall Questions or One Word Questions)

उदाहरणार्थ -

पूर्ति प्रश्न -

ऐसा कौनसा तत्व है जिसके विद्‌यमान होने से भारत एक राज्य है किन्तु राजस्थान नहीं ------------------------------ 1

रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न -

सामाजिक समझौते के सिद्धांत में 'सामान्य इच्छा के प्रतिपादक --- - थे । 1

(2) **चयनात्मक प्रश्न (Selections Type Questions)** - इस प्रकार के प्रश्नों में परीक्षार्थी को दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनना होता है । इसीलिए इन्हें चयनात्मक प्रश्न कहा जाता है । इनके निम्न प्रकार प्रचलित हैं

(i) सत्यासत्य प्रश्न (True False Type Questions)

(ii) बहु विकल्पात्मक प्रश्न (Multiple choice Type Questions)

(iii) मिलान पद प्रश्न (Matching Type Questions)

(iv) वर्गीकरण प्रश्न (Classifications Type Questions)

नोट - पृष्ठ के अभ्यास पद में उक्त प्रश्नों के उदाहरण देखें ।

तालिका

क्र. सं. S. No.	वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण (Merits of Objective Type Questions)	क्र. सं. S. No.	वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की सीमाएं (Limitation of Objective Type Questions)
1	वस्तुनिष्ठता (Objectivity)	1	अनुमान से उत्तर देना संभव (Answer by Chance)
2	मापनीयता (Measurability)	2	उच्च मानसिक योग्यता का परीक्षण कठिन (Not suitable for higher mental capabilities)
3	पाठ्यवस्तु का व्यापक प्रतिनिधित्व (Wide coverage of Content)	3	निर्माण कठिन (Difficult to construct)
4	विश्वसनीयता (Reliability)	4	नकल की अधिकता (Prove to copying)
5	वैधता (Validity)	5	मौलिकता का आंकलन नहीं (Originality ignored)
6	उद्देश्यनिष्ठता (Objective based)	6	भाषा, अभिव्यक्ति का परीक्षण नहीं
7	निदानात्मकता (Diagnostic Quality)	7	अधिक व्यय साध्य (More Expensive)
8	अधिक विभेद्कता (More Discriminative)	8	प्रत्येक शिक्षक उपयोग में नहीं ला सकता (Every Teacher cann’t handle Objective Type Questions)
9	समय गति की महत्ता (Importance of Time & Space)		
10	प्रमापीकरण सुगम (Suitable for Standardization)		

वस्तुनिष्ठ प्रश्न निर्माण में सावधानियाँ (Precautions in preparing Objective Questions)

प्रश्नों की रचना करते समय ध्यान दें -

1. प्रारम्भिक निर्देश स्पष्टता से लिखें
2. प्रश्न के मूल भाग में विषय वस्तु और क्रिया विशेषण सहित उद्देश्य जोडते हुए विकल्प पूछा जाए । इस भाग को प्रश्न का तना भी कहते हैं ।
3. दिये हुए विकल्प एक- दूसरे के इतने निकट हो कि उत्तरदाता को निर्णय लेते समय सभी सही उत्तर का भ्रम पैदा करें । प्रश्न के इस भाग को ' स्मृति-भ्रम' उत्पन्न करने के कारण इन्हें विभेदक या Destructive भी कहा जाता है ।
4. प्रश्न-पत्र में ही प्रश्नोत्तर का स्थान दर्शाया जाए ।
5. प्रश्न सभी इकाईयो का प्रतिनिधित्व करने वाले हों ।
6. सही विकल्पों का क्रम अलग-अलग प्रश्नों में अलग-अलग रखा जाए ताकि ' अनुमान द्वारा या ' तुक्के ' से उत्तर. नहीं लिखे जा सकें । अर्थात् प्रश्नों के उत्तर को भिन्न-भिन्न क्रम में लिखा जाए ।
7. प्रत्येक प्रश्न का एक ही निश्चित उत्तर होना चाहिए ।
8. दोहरे कथनों से बचना चाहिए ।

क्रिया-अभ्यास

तालिका - म्

नीचे दिये गये प्रश्न या पद का विश्लेषण करें और लिखें कि निर्माण-तकनीकी की दृष्टि से इसमें क्या-क्या विशेषताएँ हैं. क्या-क्या कमियाँ हैं?

निर्देश - सर्बाधिक उपयुक्त विकल्प का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखे ।

प्रश्न - भारतीय संविधान द्वारा धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत को जिस मूल प्रश्न या Stem स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित किया है, वह है -

(अ) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (ब) शिक्षा की स्वतंत्रता विकल्प या विभेदक या (Destructive)

(स) उपासना की स्वतंत्रता (द) तीर्थ स्थलों पर दर्शन की स्वतंत्रता ( ) उत्तर स्थान 1/2 देय अंक -

8.5 खुली पुस्तकीय परीक्षाओं के लिए विषयवस्तु आधारित प्रश्नों की रचना (Content specific questions for open book examinations)

खुली-पुस्तक परीक्षा (Open Book Examination)

आइये, आज की शिक्षा का जायजा लें । छात्रों, अध्यापकों तथा अभिभावकों के परीक्षा उत्तीर्ण करने व करवाने के लिए किये जाने वाले प्रयासों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे समस्त शिक्षा- व्यवस्था का आयोजन परीक्षा के लिए ही किया जाता है । अध्ययन तथा अध्यापन

धीरे-धीरे पिछडते जा रहे हैं । समाज में ज्ञानवान व्यक्तियों की तुलना में उच्च प्रमाणपत्रधारी व्यक्तियों को अधिक प्रतिष्ठा मिलने लगी है । उच्च कक्षाओं में प्रवेश के लिए तथा रोजगार हेतु चयन में भी प्रमाणपत्र पर अंकित उपलब्धियों पर अधिक जोर दिया जाने लगा है । इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप शिक्षा प्रक्रिया पूर्णरूपेण परीक्षा केद्रित हो गई है । शिक्षा के परीक्षा केद्रित होने का दुष्परिणाम यह हुआ है कि प्रमाणपत्र तथा अंकपत्र को प्राप्त करना ही शिक्षा का पर्याय मान लिया गया है तथा ज्ञानार्जन गौण हो गया है । ऐसी स्थिति में अध्ययन तथा अध्यापन हेतु कठोर परिश्रम करने के स्थान पर उच्च अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु अनेक अवांछित तरीके भी प्रयोग में लाये जाने लगे हैं । परीक्षा केन्द्रों पर सामूहिक नकल (Mass copying) होने तथा निरीक्षकों को आतंकित करके नकल करने जैसी प्रवृत्ति बढ़ रही है ।

अत: परीक्षा प्रणाली अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई है । परन्तु खेद का विषय यह है कि हमारा समाज नकल की घातक समस्या का समाधान करने में विफल प्रतीत हो रहा है । वस्तुत: परीक्षा का उद्देश्य छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान, बोध व कौशल आदि का मापन करना है । यदि छात्र परीक्षा में किसी भी प्रकार से अनुचित साधन का प्रयोग करते हैं तब परीक्षा का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है । कुछ छात्रों द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग के फलस्वरूप वे छात्र, जो अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करते हैं, बहुत ही दयनीय व निराशाजनक स्थिति में रह जाते हैं तथा नकल करने वाले छात्रों से योग्य छात्र पिछड जाते हैं ।

इसके लिए एक वैकल्पिक परीक्षा सुधार है, खुली पुस्तक प्रणाली (Open Book Examination) । खुली पुस्तक प्रणाली से तात्पर्य परीक्षा के समय छात्रों को पुस्तकें अपने साथ रखने तथा उन्हें देखने की अनुमति देने से है । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि खुली पुस्तकें परीक्षा प्रणाली में छात्र, प्रश्नपत्र में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पुस्तकों की सहायता ले सकेंगे । इस प्रणाली में पुस्तकों से तात्पर्य पाठ्य पुस्तकों अथवा संदर्भ पुस्तकों से है न कि सस्ते बाजारू नोटय अथवा गाइडों अथवा प्रश्नोत्तर पुस्तकों से । खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली के पीछे निहित तर्क है कि छात्रों के ज्ञान संचय से दूषित व संकुचित दृष्टिकोण को समाप्त करने के लिए परीक्षा में रटने के स्थान पर बोध, चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण, समस्या-समाधान आदि योग्यताओं के मापन को अधिक वरीयता देनी चाहिए । इसके लिए खुली पुस्तक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति को प्रचलित परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों से भिन्न करना होगा । परंपरागत परीक्षाओं में प्राय: सीधे-सीधे वर्णनात्मक प्रकृति के प्रश्न पूछे जाने का प्रचलन है, जबकि खुली पुस्तक परीक्षा में उद्देश्यनिष्ठ, बोध, कौशल, विश्लेषण, संश्लेषण अनुप्रयोग आदि पर आधारित प्रश्नो को सम्मिलित करना होगा जिससे छात्र परीक्षा में उन्हें उपलब्ध पुस्तकों से अपने उत्तरों को सीधे-सीधे न दे सकें । इस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर देते समय छात्र परीक्षा में पुस्तकों का उपयोग तभी कर सकते हैं जब उन्होनें मूल पुस्तकों का विधिवत अध्ययन किया हो तथा वे उनमें से आवश्यकतानुसार सूचनायें खोजने और उन्हें प्रयोग करने में सिद्धहस्त हों । अर्थात् उन्होंने किसी न किसी रूप में मूल या उत्कृष्ट विषय पुस्तकों का अध्ययन किया हो ।

खुली पुस्तक प्रणाली के लाभ-

1. विषय को विश्लेशित करने से उनके अनुप्रयोग का अभ्यास बढ़ेगा ।
2. यह उद्देश्यपरक शिक्षा की दिशा में एक सही कदम होगा ।

3. नकल करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा ।

खुली पुस्तक प्रणाली में रखी जाने वाली सावधानियाँ-

1. परीक्षकों तथा कक्ष-निरीक्षकों की भूमिका अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण होनी चाहिए ।
2. प्रश्नपत्र निर्माता को बहुत ही सावधानी तथा परिश्रम के साथ एसे प्रश्नों की रचना करनी होगी जिनका तैयार उत्तर न मिल सके ।
3. रटने या स्मरण पर आधारित प्रश्नों को इस प्रकार की परीक्षा में महत्व नहीं दिया जाना चाहिए ।
4. छात्रों के उत्तरों का मूल्यांकन करते समय परीक्षकों को भी अपना कार्य ध्यानपूर्वक करना होगा जिससे छात्रों की वास्तविक योग्यताओं का मापन हो सके ।
5. ध्यान देना होगा कि छात्र परीक्षा के दौरान केवल पाठ्यपुस्तकें या स्वीकृत संदर्भ पुस्तकें ही अपने पास रखें । नोटस, गाइड, प्रश्नोत्तर पुस्तकें आदि छात्रों को परीक्षा में कदापि उपलब्ध नहीं होनी चाहिए ।

8.6 सारांश (Summary)

छात्रों में शिक्षण के परिणम स्वरूप सम्प्राप्य उपलब्धियों का वैध, विश्वसनीय व व्यापक आकलन करने में वर्तमान परीक्षा प्रणाली सक्षम नहीं है । इसके लिये व्यापक, सतत् और उद्देश्यनिष्ठ मूल्याकन प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है । नागरिक शास्त्र शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार हेतु विकासात्मक मूल्याकन प्रक्रिया अपना सकता है । साथ ही छात्रों के उपलब्धि स्तर को जाँचने, उन्हें सफल व असफल घोषित करने, उनका कक्षा में स्थान व श्रेणी क्रम निर्धारण करने व प्रोन्नति करने में संकलनात्मक मूल्याकन प्रयुक्त होते हैं ।

शिक्षक उपलब्धि परीक्षणों का प्राय: स्वयं निर्माण करते हैं यह परीक्षण विषय वस्तु विश्लेषण उद्देश्यो के विशिष्टीकरण एंव प्रश्नों के प्रकारों को नीलपत्र में संयोजित करके, प्रश्न पत्र को निर्माण एवं विश्लेषण के अधार पर बनते है । इस प्रकार के प्रश्न पत्रों में पद विश्लेषण द्वारा कठिनाई स्तर एवं विभेदीकरण क्षमता निर्धारण किया जाता है ।

निदान एवं उपचार: उपलब्धि परीक्षणों के आधार पर प्राप्त साक्ष्यों के विश्लेषण से छात्र-अधिगम की कमियों या न्यूनताओं का आकलन किया जाता है । यदि छात्र के व्यवहार में असंगति है तो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों एव 'व्यक्ति-अध्ययनों' के आधार पर छात्र की कठिनाइयों व न्यूनताओं का निदान होना चाहिये । शिक्षक सतत अवलोकन एवं उपलब्धि के विश्लेषण द्वारा व्यवहारगत एवं विषयगत समस्याओं का आकलन एवं शिक्षण की विशेष सुधारात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं द्वारा उनका उपचार करता है ।

वर्तमान मूल्याकन के दोषों के निवारण हेतू अनेक उपाय सुझाये जाते है जैसे परीक्षा परिणामों को व्यावहारिक बनाने हेतु श्रेणीकरण अपनाना, प्रश्न बैंकों का निर्माण करना एवं उन्हें नवीनीकृत करते रहना । खुली पुस्तकों के आधार परीक्षाएँ देने की प्रक्रिया अपनाना ।

इन सभी सुधारों में शिक्षक की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है । गम्भीर शैक्षिक माहौल के निर्माण के साथ-2 परीक्षण को उद्देश्यनिष्ठ व स्तरीय गुणात्मक तभी प्रदान की जा सकती है जब उपलब्धि के उत्कृष्ट मानकों का अनुसरण किया जाये ।

8.7 अभ्यास प्रश्न
(Excercise Question)

प्र. अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में मूल्यांकन की संकल्पना आवश्यकता, महत्व और भूमिका का उचित उदाहरण देकर वर्णन कीजिए ?

प्र. विकासात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन के अंतर को इनकी संकल्पना. महत्व और कार्यो को ध्यान में रखकर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए ?

प्र. छात्र आकलन की विभिन्न विधाओं का विवरण दीजिए ?

प्र. शिक्षक द्वारा उपलब्धि परीक्षण निर्माण के चरण स्पष्ट कीजिए ?

प्र. निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण की महत्ता लिखिए ?

प्र. छात्र आकलन के नवीन आयामों पर प्रकाश डालिये ?

प्र. प्रश्न बैंकों के निर्माण की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिये ?

प्र. आप खुली पुस्तक आधारित परीक्षा को वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोषों को दूर करने में कहाँ तक उपयुक्त मानते हैं ?

8.8 संदर्भ ग्रन्थ
(Reference)

1. Gronlund N.E. (1981), `Measurement and Evaluation in Teaching', Holt, Rinehart and Winston, Inc. New York.
2. Thorndike, R. L. and Hagen, E. (1977), `Measurment and Evaluatiion in Psychology and Education,' 4th Edi., John Wiley & Sons, New York.
3. Patel, R. N. (1978), `Educational Evaluation-Theory and Practice, ' Himalaya Publishing House, Bombay.
4. Singh, P. (1989), `Scheme of Continuous Comprehensive Evaluation for Navodaya Vidyalayas ' , Navodaya vidyalya Samiti, MHRD, New Delhi.
5. Srivastava, H. S. (1989), `Comprehensive Evaluation in School', NCERT, New Delhi.
6. Srivastava, H. S. and Pritam Singh, (1977), `Use of Test Material in Teaching ' , NCERT, New Delhi.
7. Glass, G.V. & Hopkins, K.D. (1996), `Statistical Metthods in Education & Psychology ' (3rd Edi.). Boston: Allyn and Bacon.
8. Hays, W. L. (1981), `Statistics (3rd Edi.). New Work: Holt, Rinehart & Winston

9. Mandeville, G.K. (1972), `A New Look at Treatment Differences ', American Education Research Journal, 9, 311-321

10. Org, C.J.. and Ryan, K. E. (1993), `Tips for Improving Testing and rading ', London: Sage Publication.

11. Ved Prakash and Others (2000), 'Grading in Schools', NCERT, New Delhi.

12. 'प्रश्न पत्र निर्माण मार्गदर्शिका', मूल्यांकन एवं अकादमिक विभाग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर (2000) ।

13. Ingram Cregg A. (1993), 'Fundamentals of Educational Assessment', D. Van Nostrand Company, New York.

14. Bloom, B.S. and G.P. Hastings (1981), 'Evaluation to Improve Learning', Mc Graw Hill, New Delhi.

15. Sudeshena Lahri, 'Uses and Abuses in Student Evaluation of Teachers', The Journal of Indian Education, May 2006

16. Bala Chandran, E.S. (2000), 'Student Evaluation for Effective Teaching', Rajammal Publication, Chennai

इकाई-9

पाठ्य पुस्तक - निर्माण एवं मूल्यांकन

Text Books- Its Preparation and Evaluation

इकाई की संरचना (Structure of Unit)

9.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य (Aims and Objectives)

9.1 पाठ्यपुस्तक की अवधारणा, आवश्यकता एवं स्वरूप का ज्ञान
(Knowledge of concept, need and form of text book)

9.2 नागरिक शास्त्र में पाठ्यपुस्तक का स्थान (Place of text book in civics)

9.3 पाठ्यपुस्तक का निर्माण तथा रचना (Formation and preparation of text book)

9.4 पाठ्य-पुस्तक का मूल्यांकन एवं समीक्षा (Evaluation and Criticism of text book)

9.5 संदर्भ ग्रंथ (Reference)

9.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य (Aims and Objectives)

उपरोक्त उद्देश्य. की प्राप्ति पर विद्यार्थी निम्न सूचनाएं एवं ज्ञान प्राप्त कर सकेंगें -

1. पाठ्य-पुस्तक की अवधारणा, आवश्यकता एवं स्वरूप का वर्णन अपने शब्दों में कर सकेंगें।
   (Understanding of text book and its concept, need and form)
2. नागरिक शास्त्र में पाठ्यपुस्तक के स्थान का निर्धारण कर सकेंगे ।
   (Determination of place of text book in civics)
3. पाठ्य पुस्तक की रचना एवं तैयारी करेंगे और उसे अर्थपूर्ण बना सकेंगे ।
   (Making meaningful of text book civics-Construction and preparation)
4. पाठ्य पुस्तक की समीक्षा एवं मूल्यांकन (Critising & Evaluation of text book) कर सकेंगे ।

9.1 पाठ्यपुस्तक की अवधारणा, आवश्यकता एवं स्वरूप का ज्ञान (Knowledge of concept, need and form of text book)

9.1.1 अवधारणा (Concept) - ज्ञानार्जन में पाठ्यपुस्तक वह लिखित अध्ययन सामग्री है जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्तकर्ता (Student) अपने विषय से संबंधित समस्त सूचनाएं लिखित रूप में प्राप्त करता है । वह विषय वस्तु के रूप में आस-पास, समाज, राज्य, राष्ट्र तथा विश्व की नागरिक जीवन से जुड़ी सम्पूर्ण व्यवस्था एवं संस्थाओं (Political Institution & Systems) के साथ-साथ महान नागरिकों का परिचय उनके कृतित्व के रूप में करता है । पाठ्यपुस्तक में प्रदत्त सूचनाएं लिखित सामग्री के साथ-साथ चित्र, संकेत, सहायक सामग्री के द्वारा उनके मूल रूप तथा उनकी व्याख्याओ से अपने अधिकार एवं कर्तव्यों से जुड़े समस्त

नियमों, परंपराओं (convenes) विश्वास (Belives) एवं मान्यताओं की जानकारी प्राप्त करता है। पाठ्यपुस्तक से आशय शिक्षण सामग्री (Study material) है जो उसे विषय का ज्ञान प्रदान करती है । वह पुस्तक में वर्णित विषय वस्तु का अध्ययन करता है । पुस्तके ज्ञानवर्द्धक होने के साथ-साथ मनोरंजक, रोचक कौतुहल एवं जिज्ञासापूर्ण हो सकती है । पाठ्यपुस्तक आदर्श रूप में विषय वस्तु का प्रस्तुतीकरण है । इसके द्वारा इसका अध्ययनकर्ता की मानसिक शक्तियों (Mantal abilities) का विकास होता है । वह अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के साथ भविष्य की संभावनाओं की परिकल्पनाएं बनाता है । इस प्रकार पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी के लिए स्वाध्ययन (Self Study) के लिए अध्ययन सामग्री है जिससे वह अपनी अपेक्षित सूचनाएं एवं ज्ञान प्राप्त करता है । पुस्तकें शब्दों के साथ-साथ चित्र, रंग, आकृति, आकार आदि अनेक रूप में अध्ययन सामग्री प्रदान करती है ।

9.1.2 पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता (Need of text book) - पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता उनके महत्व के कारण है। विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक से मानसिक सन्तोष की प्राप्ति करता है वह पुस्तकों से अपने विषय का ज्ञान प्राप्त करता है, इसके अलावा पुस्तकें सुलभ होने के कारण भी उनकी आवश्यकता आदतन बढ़ गई है । प्रमाण के रूप में, स्थायी अध्ययन सामग्री के रूप में भी पुस्तकों का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है, पुस्तकों के स्वरूप में प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है । किन्तु फिर भी पुस्तकों की निर्भरता हर कक्षा व स्तर के विद्यार्थी के लिए बढती जा रही है । पुस्तकों की इस आवश्यकता के निम्न आधार हो सकते है -

1. छात्रों की मानसिक शक्तियों के विकास के लिए
2. अध्ययन संबंधी आदतों के विकास के लिए
3. स्थाई अध्ययन सामग्री के लिए
4. प्रमाण के लिए
5. ज्ञानवर्द्धन के साथ मनोरंजन, जिज्ञासा, रूचि, कौतुहलता की संतुष्टि के लिए
6. अवधान (Attention) बनाने के लिए
7. स्वाध्याय (Self Study) के लिए
8. अतिरिक्त समय के सदुपयोग के लिए
9. साहित्यिक क्रियाओं एवं सृजनात्मकता (Creativity) के लिए
10. उपहार के लिए

आदि अनेक आधार पुस्तकों की आवश्यकता के लिए है । कहा भी गया है कि खेलों के मैदान की भांति पुस्तकें भी जरूरी है ।

9.1.3 पाठ्यपुस्तक का स्वरूप (Form of Text Book) - तकनीकी एवं जनसंचार के बढ़ते क्षेत्र एवं उपलब्धियों के कारण पाठ्यपुस्तकों के रूप में भी तीव्र गति से परिवर्तन होते जा रहे है । पुस्तकों के स्वरूप में अध्ययन पुस्तकें (Study Books) क्रिया पुस्तक (Work/Action book), प्रायोगिक पुस्तकें (Practical Book) संदर्भ पुस्तकें (Reference books), विश्वकोष (Encylopedia), मानचित्र अथवा एटलस पुस्तकें (Maps or Atlas), शब्द कोष (Dictionary) आदि इनके प्रयोग, आकार (Size), आकृति (Format), तकनीकी प्रयोग (Technical use), और वर्तमान में इंटरनेट (Internet) से प्राप्त सामग्री (विशेष वर्ग यथा ब्रेल लिपि की पुस्तकें) अर्थात्

ज्ञान के साथ इसके बढ़ते क्षेत्र के कारण इसके स्वरूप में भी नवीनीकरण एवं विकास हो रहा है । पुस्तकें विभिन्न स्वरूप के साथ ही भिन्न-भिन्न भाषाओं, क्रियाओं पर भी आधारित होती है । पुस्तकों का उपयोग बढ़ने के कारण इनकी रखने की सुविधा के रूप में कम्प्यूटराइजड (सी.डी.) की अध्ययन सामग्री भी पुस्तक का ही स्वरूप है । पुस्तकों में शब्दों के अलावा उसको संकेत के रूप में भी अध्ययन सामग्री का प्रचलन बढता जा रहा है ।

यथा - राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का निर्वाचन आदि अनेक प्रकार की पुस्तकें थ्री डी (Three Dimensional books) भी काफी लोकप्रिय हो रही है । पुस्तक के स्वरूप में निरंतर अध्ययन सामग्री का विकास होता जा रहा है ।

9.2 नागरिक शास्त्र में पाठ्यपुस्तक का स्थान (Place of text book in civics)

अन्य विषयों की भांति नागरिक शास्त्र में भी पाठ्य पुस्तक का विशेष स्थान है । नागरिक जीवन से जुड़ी सूचनाओं की प्राप्ति पाठ्यपुस्तक द्वारा ही ज्यादा प्रभावी हो रही है क्योंकि ये आसानी व सुलभता से प्राप्त हो जाती है । पुस्तक द्वारा अध्ययन करने से मानसिक शक्तियों का विकास होता है । नागरिक शास्त्र का व्यक्ति तथ्यों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर लेता है । स्थायी सामग्री के कारण इसका उपयोग सरल होता है । यदि नागरिक शास्त्र में कठिन तथ्य पढाने हो तो उन्हें पुस्तक के माध्यम से सरल, ग्राहय एवं बोधगम्य (Comprehensive) बनाया जा सकता है । उदाहरणार्थ लोकसभा अस्थाई सदन व राज्य सभा स्थाई सदन है - राज्य सभा के एक तिहाई सदस्य पांच वर्ष पश्चात बदल जाते है उनके स्थान पर नये सदस्य मनोनीत होते है जैसे -

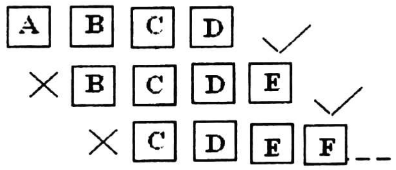

इसी प्रकार मंत्री परिषद् व मंत्रीमण्डल में भेद –

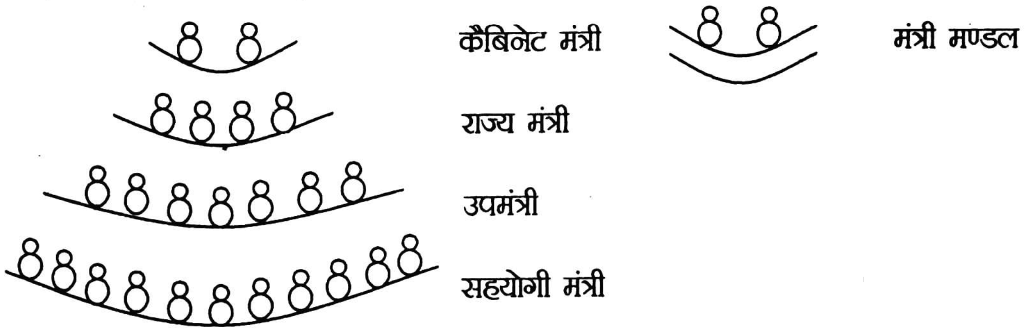

मंत्री परिषद् - इस प्रकार नागरिक शास्त्र में नक्शे द्वारा सीमाओं की जानकारी, सड़क यातायात के संकेत, वायु जल एवं थल मार्ग आदि पाठ्य पुस्तक के रूप में विषय को समझने में महत्वपूर्ण स्थान रखते है ।

9.3 पाठ्यपुस्तक का निर्माण तथा रचना (Formation and preparation of text book)

विषय मैं बदते जनसंचार के माध्यम तथा व्यक्ति के बदते संबंधो का विस्तृत होता क्षेत्र, ये दोनों ही कारक (Factor) आज विश्व को परस्पर जोड़े हुए हैं विश्व के किसी भी कोने में घटित होने वाली घटनाओं का न केवल तीव्रता से प्रसारण होता है वरन् उस घटना या तथ्य (Fact) पर तत्काल प्रतिक्रिया (Reaction) भी होता है । हाल ही में प्रिंस का खड्डे में गिरना और विश्व से उसके प्रति शुभ संदेश आदि मानव के बढ़ते संबंधों को दर्शाते है । वैश्वीकरण (Globlalization) के बढ़ते दायित्वों एवं कार्यो (Duties and work) ने शिक्षा जगत को काफी सक्रिय प्रभावपूर्णता से दायित्व (Responsibility) को जबाव देरी प्रदान की है । आज की शिक्षा न केवल बालक को आत्मनिर्भर बनाती है । अपितु उसे भविष्य के समक्ष चुनौतियों का सामना करने के लिए भी प्रेरणास्पद रूप से तैयार करती है और यह सब कुछ तभी संभव है जब विद्यार्थी को अद्यतन ज्ञान (Upto date knowledge) की अनवरत जानकारी दी जाय । पाठ्यपुस्तक व पाठ्य सामग्री (Text Books and study material) के रूप में अनेकों प्रकार की पुस्तकें सीडी. (Compact Disc) कैसेट (Cassette) इंटरनेट (Internet) ई-मेल (E-mail) फैक्स (FAX) SMS आदि अनेक प्रकार के तीव्र गति के संचार (Media) व संदेश (Message 2 communication) विद्यार्थी को वह सब कुछ शीघ्रता से प्रदान करते है जिसकी उसे वर्तमान के साथ भविष्य में भी जरूरत है । शिक्षण तकनीकी ने पुस्तकों को पाठक की रूचि एवं आवश्यकता के अनुरूप अधिक सुगम, सहज एवं बोधगम्य बनाया है । आज का विद्यार्थी सामान्य से नहीं अपितु अतिरिक्त ज्ञान से संतुष्ट होता है ऐसी स्थिति (Situtation) में यदि पाठ्य पुस्तक खरी नहीं उतरतीं तो उनके अस्तित्व एवं प्रयोग के खतरे को रोका नहीं जा सकेगा । पाठ्यपुस्तकें केवल पाठ्यक्रम की पूर्ति नहीं करती वरन् विषय वस्तु (Content) के विश्लेषण (Analysis) उद्देश्य (Objective) विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थिति सहित उसकी प्राप्ति की साक्षियों के संकलन के रूप में मूल्यांकन तक की अवस्थाओं का स्पष्टीकरण करती है ।

पाठ्य पुस्तकों का शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ व्यक्ति के जीवन के हर पहलू से नाता है (Relation) है अत: प्रारंभ से ही बालक को पुस्तकों से जोड़ने के लिए पुस्तकों को अधिक से अधिक आकर्षक (Attractive) व प्रभावपूर्ण (Effective), रोचक (Interesting), बोधगम्य (Comprehensive) बनाना होगा । इसके अलावा पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु के साथ उसके स्वरूप (Form) को भी समय की मांग (Demand) के अनुसार परिवर्तित करना होगा । पुस्तकों के प्रति रूझान (Interest) उत्पन्न करने के लिए सरकारी व निजी स्तर पर प्रयास भी जारी (continue) है । भाषा विषय में तो पुस्तकों का बहुत महत्व है, किन्तु नागरिक शास्त्र में भी पुस्तकों का महत्व कम नहीं है । पुस्तकों से विद्यार्थी को लिखित रूप में तथ्यों (fact) एवं

सूचनाओं की प्राप्ति होती है जो उसके लिए स्थायी अनुभव (Permanent Learning Experience) प्रदान करती है । कहा भी जाता है कि पहले लिख, पीछे दें, भूल पड़े, कागज से ले । विद्यार्थी पुस्तकों से अपना अवधान (Attention) केन्द्रित करता है अतिरिक्त समय का सदुपयोग करता है । पुस्तके ना केवल विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है अपितु शिक्षक के लिए भी पुस्तके अत्यधिक आवश्यक साधन है । परम्परागत शिक्षण विधि के रूप में इसे 'तुक पढ़ मैथड" भी कहते है ।

पुस्तकों का इतना अधिक उपयोग व महत्व होने के कारण इनकी ज्यादा से ज्यादा मांग होने से ही इनकी रचना (Preparation) भी होने लगी है । पुस्तक की रचना करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण तथ्य (Facts) निम्नवत है

1. पुस्तक का प्रयोजन (Purpose)
2. विषय वस्तु (Content)
3. पाठक का मानसिक स्तर (Mental Level of Reader)
4. लेखक की योग्यता (Qualification of Writer)
5. पुस्तक की भाषा (Language of text book)
6. पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतीकरण (Presentation of text book)
7. विषय वस्तु को सरल, रोचक एवं बोधगम्य बनाने के लिए सहायक सामग्री (Material Aid to make content easy, Interesting and comprehensive)
8. अभ्यास के अवसर (Chance for practice)
9. पुस्तक का आकार (Size of Book)
10. पुस्तक का मुख्य पृष्ठ (Head page of book)
11. पृष्ठों की मात्रा एवं गुणवत्ता (Quantity and Quality of papers)
12. लेखक का पूर्व परिचय एवं अनुभव (Experience and Introduction of Writer)
13. पुस्तक का मूल्य (Price of book)
14. पुस्तक की विस्तृत ब्यौरा एवं संस्करण (Complete Information and year with edition)
15. पुस्तक की वैधता (Validity of book)
16. विषय सूची (Index)

इस प्रकार उपरोक्त कारकों के साथ पुस्तकों की रचना की जाती है । पुस्तक की रचना हेतु अनेक सोपानों (Steps) से उस पर कार्य किया जाता है । पुस्तक की रचना में उसके बाहय एवं आतरिक स्वरूप (External and Internal form) महत्वपूर्ण होते है । बाहय स्वरूप में पुस्तक का भौतिक स्वरूप उसकी बनावट उसका रूप-रंग, आकार, पृष्ठों की गुणवत्ता, खोलने का तरीका पुस्तकों का बाहय पृष्ठ आदि भी पाठक को पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करते है, इसके साथ आतरिक स्वरूप में पुस्तक की विषय सूची (Index), प्राकक्यन (Acknowledge) विषय वस्तु (Content), उदाहरण (Example) सहायक सामग्री (Material aid) चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र, समय सारणी, ग्राफ वंश वृक्षावली (Diagram, Map, Line, chart, Time chart and

Generation chart) प्रश्न बैंक (Question bank), अभ्यास की क्रियाएं (Activities for practice) इकाई के उद्देश्य (Objectives of unit), मूल्यांकन (Evaluation) अनुक्रमाणिका संदर्भ शब्द, (Glossary), विषय वस्तु का प्रस्तुतीकरण (Presentation of element)

किसी भी पुस्तक का महत्व उसकी रचना की पूर्व तैयारी से मूल्यांकन की क्रियाओं तक पाठक को आकर्षित करता है । पुस्तक की गुणवत्ता (Quality) उसके द्वारा सीखने अथवा पढ़ने वाले के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन पर निर्भर करती है । एक अच्छी पुस्तक विद्यार्थी के साथ-साथ शिक्षकों को भी मदद करती है । पुस्तक के द्वारा बौद्धिक (Intellectual) एवं मनोवैज्ञानिक (Psychological) संतुष्टि (Satisfication) प्राप्त होती है ।

पुस्तक की रचना में लेखक द्वारा प्रयुक्त (Applied) भाषा, स्तर एवं स्थायी प्रभाव का विशेष ध्यान रखा जाता है । पुस्तकों में' दी जाने वाली सूचनाएं वैध (valid) हों । नागरिक शास्त्र में संवैधानिक तथ्यों (Constitutional facts) को तोड़ा-मरोड़ा नहीं जा सकता है । वे वैधानिक (Legal) होते हैं इसमें राष्ट्रीय स्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसके अनुकुल परिणाम वाली होने चाहिए, उनमें विरोधाभास (Controversy) नहीं हो और पुस्तकें पाठय पुस्तक (Text book), संदर्भ पुस्तक (Reference book) पुस्तक पाठिका (Booklet) के रूप में अपनी सीमा रेखा तथा गुणवत्ता में पहचान व स्थान (Identification and) बनाने पर ही पाठक उसका उपयोग करेगा । पुस्तक लिखते समय पाठकों से सुझाव (Suggestion) भी मांगे जाय ।

9.4 पाठ्य-पुस्तक का मूल्याकन एव समीक्षा (Critisim and evaluation of text book)

शिक्षा के बढ़ते दायित्वों एवं जबावदेही ने पुस्तकों की कसौटी को गंभीर एवं चुनौतीपूर्ण बना दिया है । पुस्तक में लिखे गये प्रत्येक शब्द व सहायक सामग्री का यथार्थ चित्रण (Realistic presentation) एक बहु त बडी शर्त है । पुस्तकके किसी भी भाग का विरोधाभास या अस्पष्टता पाठ को न केवल दूर कर देती है वरन् लेखक को कानून के कटघरे के भीतर भी पहुंचा सकती है । अत: पुस्तक का प्रतिकूल प्रभाव पाठक, समाज व देश विदेश के लिए हानिकारक हो सकता है । पुस्तक की समीक्षा में उसके गुण व सीमाएं (Limitations) आते है । पुस्तक लिखने का प्रयोजन (Purpose) अद्यतन (Upto date) सूचनाए, वास्तविक जानकारी (Real Information) उसका मूल्य (Price) उसकी अवधि (Time Duration) भाषा (Language) वैधता (Validity) कानूनी (Legal) पर्याप्त सहायक सामग्री (Sufficient material aid) लेखक का परिचय (Introduction of writer/ writers) अनुभव (Experience) योग्यता (Qualification) शब्द सूची (Glossary), सुझाव (Suggestion) पृष्ठ (Papers) खुलने का तरीका (Opening way) पाठक का मानसिक स्तर (Mental level of reader) आदि अनेक आधारों पर किसी पुस्तक को अच्छी, ठीक, अनुपयोगी आदि संज्ञाओं से जाना जाता है । पुस्तक की समीक्षा यदि विद्वान अथवा कमेटी द्वारा करवा के उसे प्रकाशित किया जाय तो और प्रभावी होगी, संदर्भ पुस्तकें अथवा जिस पुस्तक / पुस्तकों में से सूचनाएं ली हो उनका विवरण, तथ्यों

एवं आकडों का प्रमाण विद्यार्थी की क्रिया के अवसर । संदर्भ पुस्तकों की सूची आदि अनेक महत्वपूर्ण तथ्य पाठक को अन्य पुस्तक पढ्ने के लिए भी प्रेरित करते है । एक अच्छी पुस्तक उपरोक्त वर्णित गुणों से युक्त हो तभी लाभदायक होगी ।

2.5 संदर्भ ग्रन्थ
(Reference)

1. Curriculum construction and syllabus improvement research journal
2. पाठ्यक्रम के सिद्धान्त - शैदा एवं शैदा
3. शिक्षा क्रम के सिद्धान्त - डी. श्याम लाल कौशिक
4. Advance methodology of teaching social sciences- Weekly

इकाई-10

नागरिक शास्त्र शिक्षण पाठ्यवस्तु संदर्भित शिक्षण सामग्री का निर्माण एव मूल्याँकन

(Content context Civics teaching aids, its preparation and evaluation)

इकाई की संरचना (Structure of Unit)

10.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य (Aims and Objectives)

10.1 प्रस्तावना (Introduction)

10.2 पाठयवस्तु संदर्भित शिक्षण सहायक सामग्री (Content context teaching aid)

10.2.1 पाठयवस्तु की अवधारणा (Concept of teaching aid)

10.2.2 शिक्षण सहायक सामग्री/द्रश्य-श्रव्य सामग्री का अर्थ (Meaning of teaching aid/Audio-visual teaching aid)

10.2.3 नागरिक शास्त्र शिक्षण में द्रश्य-श्रव्य सामग्री की आवश्यकता तथा महत्व (Need and importantance of teaching aid in Civics teaching)

10.2.4 शिक्षण सहायक सामग्री का विकास (Development of teaching aid)

10.2.5 शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार/वर्गीकरण (Types/classification of teaching aid)

10.2.6 नागरिक शास्त्र में प्रयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री व उनके उपयोग (various teaching aid and their uses in Civics teaching)

10.2.7 नागरिक शास्त्र शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण एवं शिक्षक की भूमिका (Role of teacher to prepare teaching aid in civics teaching)

10.3 शिक्षण सहायक सामग्री का मूल्यांकन (Evaluation of teaching aid)

10.4 सारांश (Summary)

10.5 संदर्भ ग्रंथ (Reference)

10.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य (Aims and Objectives)

इस इकाई के निम्नलिखित उद्देश्य है-

- नागरिक शास्त्र शिक्षण विषय की पाठ्यवस्तु संबंधी अवधारणा को जानना ।
- नागरिक शास्त्र शिक्षण की पाठ्यवस्तु संदर्भित शिक्षण सामग्री को जानना ।

- नागरिक शास्त्र पाठ्यवस्तु को स्पष्ट करने हेतु शिक्षण सामग्री के महत्व को समझना ।
- नागरिक शास्त्र शिक्षण में पाठ्यवस्तु एवं संदर्भित शिक्षण सामग्री में अंतर करना ।
- शिक्षण सहायक सामग्री की अवधारणा को समझना ।
- शिक्षण सामाग्री का पाठ्यवस्तु के संदर्भ में पढ़ने की प्रवर्ति को विकसित करना ।
- शिक्षण सहायक सामग्रियों के निर्माण संबंधी प्रवृत्तियों शिक्षकों में विकसित हो, ऐसा वातावरण विद्यालय में उत्पन्न करना ।
- विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्रियों यथा चित्र, चार्ट, मानचित्र, मॉडल, प्रोजेक्ट को पारदर्शीकाएँ व फिल्म स्ट्रिप तैयार करवाना ।
- शिक्षण सामग्री के उपयोग करने संबंधी कुशलता का विकास करना ।
- शिक्षण सामग्री के उपयोग व व्यवहारिकता के संबंध में मूल्यांकन करना ।

10.1 प्रस्तावना (Introduction)

वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कक्षा शिक्षण को अधिक रोचक, प्रभावी व बोधगमय बनाने हेतु एवं शिक्षार्थी मात्र श्रोता बनकर कक्षा में नहीं रहे, इन उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नाना प्रकार के विकरणों, प्रयोगों, संसाधनों व कौशलों का प्रयोग किया जाता है ।

प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री पेस्टालोजी, रूसो, मान्टेंसरी, फ्रॉबेल इत्यादि विद्वानों द्वारा परम्परागत शिक्षण के दोषों पर विचार कर मनोवैज्ञानिक व तार्किक ढंग से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि कक्षा शिक्षण में केवल संभावनाओं को जैसे-तैसे ग्रहण कर लेना, शिक्षक का भाषण सुन लेना ही मात्र शिक्षा नहीं है । शिक्षा से तात्पर्य स्वयं के अनुभव व स्वयं क्रिया करके ज्ञान को आत्मसात करने का अवसर प्रदान करने से है । कक्षा कक्ष मैं प्रभावी 'शिक्षण करने के लिए अध्यापक द्वारा विधियों व प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है । शिक्षक द्वारा प्रयुक्त इन विधियों व प्रविधियों को सफल, आकर्षक, प्रभावी व स्थायी बनाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री की संज्ञा दी गई है ।

10.2 पाठ्यवस्तु संदर्भित शिक्षण सहायक सामग्री (Content context teaching aid)

10.2.1 पाठ्यवस्तु की अवधारणा

पाठ्यवस्तु से अभिप्राय है एक पूर्ण शैक्षिक सत्र में विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा छात्रों को दिये जाने वाले ज्ञान की मात्रा के विषय में 'निश्चित जानकारी प्रस्तुत करता है । शिक्षा-शब्दकोश में पाठ्यवस्तु के विषय में लिखा है, "पाठ्यवस्तु अध्ययन की विषय-वस्तु के मुख्य बिन्दुओं का कथन अथवा संक्षिप्त रूपरेखा है । " शिक्षकों एवं प्रकाशकों के उपयोग के लिए शिक्षण सामग्री एवं कार्यविधियाँ आदि के सम्बक में भी निर्देश दिए रहते हैं । इसके सम्बन्ध में शिक्षा-शब्दकोश में लिखा है. ''अध्ययन की विषय-वस्तु प्रदत्त विषय में शिक्षण के लिए सामाग्री अथवा शिक्षण समूह अथवा निर्दिष्ट कक्षा अथवा स्तरों के समुच्च, प्रदत्त स्तर के लिए अध्ययन क्षेत्र के रूप में विशेष विद्यालय अथवा विद्यालय प्रणाली के शिक्षकों. पर्यवेक्षकों और प्रशासकों के

उपयोग के लिए तैयार की गई कार्यालयी संदर्शिका है । इसमें कोर्स के उद्देश्य, अपेक्षित परिणामों, अध्ययन की जाने वाली सामग्री की प्रकृति एवं क्षेत्र, उपयुक्त शैक्षणिक सामग्री, पाठ्यपुस्तक, पूरक पठन, क्रियाएं, सुझाए गये सीखने के अनुभवों, शिक्षण विधियों एवं उपलब्धियों के मापन के सुझाव भी सम्मिलित किए जा सकते हैं । "

उक्त अवधारणा से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी कक्षा के विभिन्न विषयों के शिक्षण हेतु विषय गत दक्षताओं को विकसित करने हेतु तय किया गया पाठ्यवस्तु का प्रारूप तभी अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है जब संदर्भित पाठ्यवस्तु को व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित किया जाए । पाठ्यवस्तु की विभिज्ञानन दक्षताओं को विद्यार्थी तक पहुँचाने हेतु शिक्षक को विविध प्रकार के प्रयोगों, साधनों, विधाओं व कौशलों का उपयोग करना पड़ता है जिसके माध्यम से पाठ्यवस्तु को अधिक सुगम सहज व बोधगम्य बनाया जा सके । पाठ्यवस्तु को अधिक सुगमता से प्रसारित करने हेतु एक महत्त्वपूर्ण प्रयास द्रश्य-श्रव्य साधनों के उपयोग का भी है ।

10.2.2 शिक्षण सहायक सामग्री / द्रश्य-श्रव्य सामग्री का अर्थ (Meaning of teaching aid/Audio-visual teaching aid)

शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली वह सामग्री द्रश्य-श्रव्य सामग्री कहलाती है जो छात्रों की श्रवण तथा चाक्षुक (Audiotiry and Visual) इन्द्रियों को किसी न किसी मात्रा में प्रभावित करती है । इसलिए द्रश्य-श्रव्य सामग्री का अभिप्राय उन साधनों से होता है जो-श्रव्य तथा द्रश्य ज्ञानेन्द्रियों को सक्रिय कर पाठ को सरल व रोचक बना दें । जब शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण विधियाँ (Methods) और प्रविधियाँ प्रभावशाली दिखाई नहीं देती तब इस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है । यह सामग्री केवल अधिगम प्रक्रिया (Learning Process) को ही प्रभावित नहीं करती है वरन् शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली विधियों एवं प्रविधियों को भी प्रभावित करती है । डेन्ट (Dent) के अनुसार - ' 'द्रश्य--श्रव्य सामग्री वह है जो कक्षा में अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता दे । "

10.2.3 नागरिक शास्त्र शिक्षण में द्रश्य-श्रव्य सामग्री की आवश्यकता तथा महत्व (Need and importance of teaching aid in Civics teaching)

आवश्यकता (Need) - नागरिक शास्त्र शिक्षण के अन्तर्गत सभी प्रकार के महत्त्वपूर्ण अनुभव प्रदान करने व उनकी विचारधारा को स्पष्ट तथा विस्तृत करने के लिए विभिन्न प्रकार की आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है । इसी कारण वर्तमान युग में नागरिक शास्त्र शिक्षण की व्यवस्था करने व इनका पूर्ण ज्ञान देने के लिए आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक तथ्यों को प्रतिनिधित्व करने वाले चित्रों, ग्राफों तथा चाटी आदि द्रश्य साधनों का प्रयोग किया जाए । इनके प्रयोग से छात्रों को सीखने में सहायता ही नहीं मिलती, वरन् उन्हें उन बातों का भी पता चलता है, जिनकी उन्हें दैनिक जीवन में बड़ी आवश्यकता होती है । इनके प्रभावपूर्ण प्रयोग से छात्रों को प्रचलित घटनाओं के समझने में भी बड़ी सहायता मिलती है । इसके अतिरिक्त इनके प्रयोग से बालक हर घड़ी नए विचार ग्रहण करने के लिए सजग रहता है और हर प्रकार की नई परिस्थितियों में बुद्धिमतापूर्वक आचरण करता है । नागरिक शास्त्र शिक्षण में अवधारणाओं के विकास, अभिवृत्तियों के सुधार तथा रूचियों के विस्तार हेतु द्रश्य-श्रव्य साधनो की भी आवश्यकता पड़ती है । इन साधनों के प्रयोग से छात्र कक्षा में पढ़ाए गए पाठ को भली प्रकार देख-सुन सकते

हैं और इसलिए सामूहिक नियोजन, तर्कपूर्ण चिन्तन तथा सामूहित विचार-विमर्श का आधार तैयार हो जाता है । इसके अतिरिक्त वास्तविक द्रश्य-श्रव्य सामग्री के प्रयोग से छात्रों को मानव की सामान्य क्रियाओं तथा आवश्यकताओं का पता चलता है और वे परस्पर एक दूसरे के योगदान का मूल्य समझने लग जाते हैं ।

महत्व (Important) - ई. बी. वैस्ले (E.B. Wesely) के शब्दों में ' 'द्रश्य-श्रव्य साधन अनुभव प्रदान कराते हैं । उनके प्रयोग से शब्दों व वस्तुओं का सम्बन्ध सरलतापूर्वक जुड़ जाता है, बालकों के समय की बचत होती है तथा उनकी सहायता से सरल व सही-सही बातों का पता चलता है । उनसे जहाँ बालकों का मनोरंजन होता है । वहाँ वे विभिन्न वस्तुओं की प्रशंसा करना भी सीख जाते हैं । वे जटिल बातों का भी सरल ढंग से पेश करते हैं, बालकों की कल्पना शक्ति को प्रेरित करते हैं और उनकी सामग्री की व्याख्या तो करनी पड़े पर उनके लिए अनुवादक की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनमें प्रकृति, रंग, स्थिति तथा गति सम्बन्धी सर्वत्र पाई जाने वाली भाषा प्रयुक्त होती है । इस प्रकार वे सीखने के लिए राजमार्ग का काम दे सकती है।

(1) इन्द्रियों से ज्ञान की प्राप्ति (Senses-Gateway of Knowledge) - इन्द्रियाँ सीखने के लिए प्रवेश द्वार मानी जाती है । अत: इन्द्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव से अधिगम को बढ़ावा मिलता हैं नए शब्द तथा अपरिचित बातों को बच्चा उस समय तक नहीं समझ सकता जब तक उनका सम्बन्ध व्यक्ति के अनुभवों से न जुड़ जाए । द्रश्य-श्रव्य सामग्री विभिन्न इन्द्रियों से सम्बन्धित अनुभवों की प्राप्ति में बहुत सहायता करती है । छोटे बालकों को अनुभवों की विशेष आवश्यकता हैं । नागरिक शास्त्र शिक्षण में तो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार के अनुभव महत्त्वपूर्ण हैं, जिस के लिए द्रश्य-श्रव्य सामग्री सहायक सिद्ध होती है ।

(2) अधिगम में स्पष्टता एवं मूर्तता (Vividness and Reality to the Learning) - द्रश्य-श्रव्य साधन बड़े रोचक एवं प्रेरणादायक होते है । इससे विषय के अधिसग्रण में स्पष्टता तथा मर्तता आती है । द्रश्य-श्रव्य सामग्री बालकों का ध्यान केन्द्रित करने तथा उनकी रूचियाँ जागत करने का अच्छा साधन है ।

(3) अधिगम प्रक्रिया को उत्तेजित करने में सहायता (Helps Stimulating the Process of learning) - द्रश्य-श्रव्य साधन से न केवल अधिगम शीघ्र हो जाता है, बल्कि छात्र इस अधिगम को बहुत समय तक नहीं भूलते, क्योंकि छात्र द्रश्य-श्रव्य सामग्री द्वारा उत्तेजित होकर अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने लगते हैं ।

(4) प्रत्यक्ष अनुभव देने में सहायक (Helpful for impating direct experiences) - द्रश्य-श्रव्य साधन प्रत्यक्ष अनुभवों के पूरक भी है । भूतकाल या दूरवर्ती प्रदेशों के जीवन सम्बन्धी घटनाओं का अध्ययन करते समय हो सकता है कि अपने विद्यार्थी को प्रत्यक्ष अनुभव देना हमारे लिए सम्भव न हो । ऐसे समय पर नयी अवधारणाओं, नये तथ्यों तथा नये चिन्हों को समझने के लिए द्रश्य-श्रव्य साधन उनकी बड़ी सहायता कर सकते हैं और प्रत्यक्ष अनुभवों के स्थान पर हम चित्रों, मॉडल आदि का प्रयोग बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से कर सकतें हैं । कभी-कभी तो मूक व बोलने वाली फिल्मों के प्रयोग से समय की बचत होती है और प्रत्यक्ष अनुभवों की सहायता से प्राप्त किए गए ज्ञान की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है ।

(5) कल्पना शक्ति उत्तेजित करने में सहायक (Helpful for Stimulating Imagination) - प्रतिमान शिक्षण का सर्वोत्तम साधन है । द्रश्य-श्रव्य साधन जो इन्द्रियानुभव

प्रदान करते हैं, वे मौखिक प्रतिबिम्बों की अपेक्षा कहीं स्पष्ट व प्रभावपूर्ण होते हैं । अत: इनके प्रयोग से शिक्षण क्रिया स्वाभाविक तथा सरल हो जाती है । द्रश्य-श्रव्य साधन कल्पना शक्ति को प्रेरित करते हैं तथा निरीक्षण व संश्लेषण शक्ति का विकास करते हैं । द्रश्य-श्रव्य साधन इस प्रकार की शिक्षा में बड़े उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं ।

(6) पिछड़े छात्रों के लिए सहायक (Useful for slow Learner) - द्रश्य-श्रव्य सामग्री मन्द बुद्धि बालकों के लिए बडी सहायक होती है । ऐसे बच्चे पाठ्य पुस्तक से सारी आवश्यक बातें ग्रहण नहीं कर सकते और इसलिए उन्हें पिछड़ा हुआ माना जाता है । ऐसे बालक चित्रों, फिल्मों, मॉडलों तथा रेडियों आदि की सहायता से नई बातों को सरलतापूर्वक सीख व ग्रहण कर सकते हैं ।

(7) क्रिया करने का अवसर (Opportunities for Activities) - सहायक सामग्री के प्रयोग से छात्रों को विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ करने के अवसर प्राप्त होते हैं । कोई चलचित्र दिखाने के बाद छात्र उस पर वाद करने का अवसर प्राप्त करते हैं ।

(8) सुदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति (Helpful in attaining Perfect Knowledge) - प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है कि बालक द्रश्य-श्रव्य के उचित प्रयोग से केवल शीघ्रता पूर्वक ही नहीं सीखते, अपितु इस प्रकार सीखी हुई बातें उन्हें देर तक याद भी रहती है । जब छात्र देखते, सुनते, छूते, चखते या सूंघते हैं, तो उनके अनुभवों को मूर्त रूप मिलता है और वे काफी समय तक स्थायी रहते हैं । चित्रों, मॉडलों, चाटो तथा इसी प्रकार के अन्य साधनों से प्राप्त ज्ञान यथासमय याद भी आ जाता है । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रश्य-श्रव्य साधनों के प्रयोग से प्राप्त किया गया ज्ञान सुदृढ़ हो जाता है ।

(9) वैज्ञानिक मनोवृति का विकास (Develops Scientific Attitude) - कक्षा में हाईवेयर के प्रयोग से तथा तकनीकी सिद्धान्तों पर आधारित अन्य सामग्री के विधिवत् प्रयोग से छात्रों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास होता है ।

(10) साधनों की कमी को पूरा करना (Meets the Shortage of Resources) - सहायक सामग्री उन क्षेत्रों में स्कूलों आदि की कमी को पूरा करती है और इससे विषय विशेषज्ञों की कमी भी पूरी हो सकती है । जैसे अच्छे शिक्षकों के रेडियों पाठों का प्रसारण, नागरिक शास्त्र शिक्षाविज्ञान के पाठों का दूरदर्शन पर प्रदर्शन आदि ।

(11) पाठ में बिबिधता लाने के लिए (To give Varity to the lesson) - कक्षा में कथन विधि से नीरसता आने लगती हैं । सहायक सामग्री के प्रयोग से पाठ में विविधता आती है और छात्र नए कार्यो में लग जाते हैं जिससे कक्षा की नीरसता दूर हो जाती है ।

(12) पाठ में विविधता लाने के लिए (To make the lesson interesting) - सहायक सामग्री के प्रयोग से पाठ में रोचकता आ जाती है । छात्र रूचि लेते हैं और कक्षा की नीरसता समाप्त हो जाती है । छात्रों की सक्रियता से अधिगम बढ़ता है ।

(13) भाषा समस्या से छुटकारा (Relives from the Problem of Language) - कुछ छात्र भाषा समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं । चित्रों की अपनी एक अलग भाषा होती है उसे सभी अपने ढंग से पढ़ते व समझते हैं । इसलिए भाषा की समस्या से छुटकारा मिल जाता है ।

(14) शब्दों की बचत (Saves Words) - जिस प्रकार विचार, भाव संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए अध्यापक लम्बे-चौड़े कथन करता है और इस पर भी स्पष्टीकरण नहीं हो पाता वहाँ पर सहायक सामग्री के प्रयोग से कार्य सरलता पूर्वक और कम शब्दों में हो जाता है । इसलिए कहा जाता है कि सहायक सामग्री के प्रयोग से शब्दों की बचत होती है ।

अनन्ततः यह स्पष्ट है कि द्रश्य-श्रव्य साधनों की आवश्यकता एवं महत्व इसलिए है कि यह शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में अधिक निखार लाकर शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए ऐसे वातावरण की सृष्टि करता है जो अत्यन्त सजीव, सक्रिय एवं स्थायी प्रभाव छोड़ने वाला होता है । इस प्रकार जहाँ एक ओर हर स्तर के शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में द्रश्य-श्रव्य महत्त्वपूर्ण हैं वहाँ दूसरी ओर नागरिक शास्त्र शिक्षण में भी आवश्यक है ।

10.2.4 शिक्षण सहायक सामग्री का विकास (Development of teaching aid)

शिक्षण सहायक सामग्री के क्षेत्र में एडगर डेल का नाम उल्लेखनीय है । एडगर डेल ने पाठ्यसामग्री विषयवस्तु को अनुभव के आधार पर केन्द्रित किया जिसे अनुभव का त्रिकोण शंकु के द्वारा वर्गीकृत किया है जो इस प्रकार है-

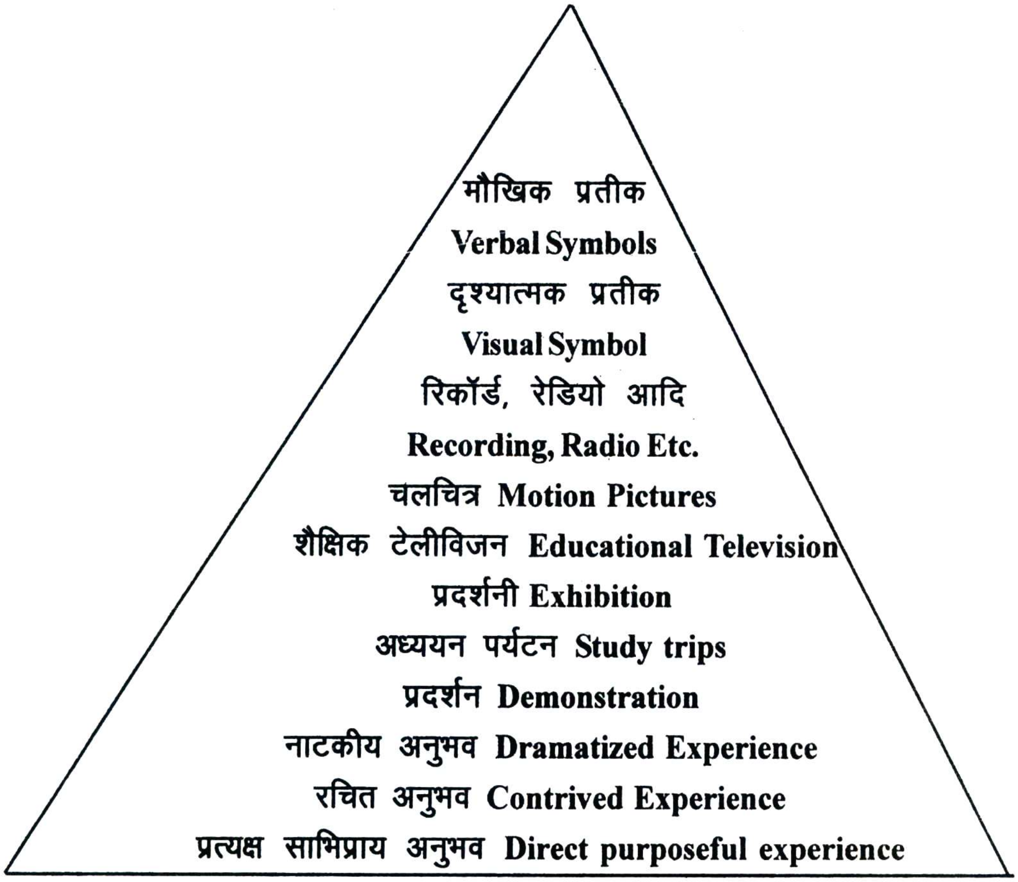

चित्र संख्या. 10.1

उपर्युक्त त्रिकोण. इस तथ्य को इंगित करता है कि शिक्षण का अनुभव धीरे-धीरे शिक्षक को अपनी पाठ्य सामग्री में सहायता प्रदान करता है और शिक्षण विभिन्न सामग्रियों का प्रयोग करते हुए कक्षाकक्ष में शिक्षण को उपरोक्त तरीके से प्रभावी एवं रोचक बनाता है । इतिहास

शिक्षण में सहायक सामग्री पाठ्य सामग्री का ही एक रूप है या प्रकार है । पाठ्य सामग्री के अनुभव, मूर्त, प्रत्यय प्रदर्शन, नाटक, कृत्रिम एवं मूल स्त्रोत है जो शिक्षक को कक्षागत कार्य मे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में सहायता करते है । यह सहायता अधिगम केन्द्रित होती है और विद्यार्थी में सीखने की गतिशीलता, तत्परता का विकास होता है ।

10.2.5 शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार / वर्गीकरण

(Types/classification of teaching aid)

आधुनिक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को सरल, सजीव, रोचक तथा प्रभावपूर्ण बनाने में सहायक सामग्री का प्रयोग नागरिक शास्त्र शिक्षण में प्रचुरता से होने लगा है । यह सामग्री विभिन्न प्रकार की है जिनका उचित वर्गीकरण करना आवश्यक है । यह वर्गीकरण मनोविज्ञान (Psychology) तकनीक (Technology) प्रेक्षती (Projection) तथा ज्ञानेन्द्रिय (Sense organ) आधार पर किया जा सकता है.-

(1) मनोविज्ञान के आधार पर -

(i) परम्परागत सामग्री (Traditional Aids) - इस वर्ग में श्यामपट्ट (चाक बोर्ड), पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ आदि आते हैं ।

(ii) द्रश्य-श्रव्य सामग्री (Audio-Visual Aids) - इस वर्ग में एपीडायास्कोप व प्रोजेक्टर, फिल्म-स्लाइडस, फिल्म पट्टियाँ चार्ट, रेडियों, टेलीविजन, कम्प्यूटर, चित्र, रेखाचित्र, चार्ट, ग्राफ मानचित्र ग्लोब, वास्तविक पदार्थ, प्रतिमान (मॉडल) कामिक्स, कार्टून आदि आते हैं

(2) तकनीकी आधार पर -

(i) कठोर उपागम (Hardware) - इस वर्ग में वह सामग्री आती है जिसके बनाने और प्रयोग करने में तकनीकी ज्ञान या इन्जीनियरिंग का ज्ञान आवश्यक होता है । इसके उदाहरण हैं- प्रोजेक्टर (Projector) फिल्म स्लाइडस (Film Slides) फिल्म पट्टियाँ (Film Strips) अध्यापन मशीन, कम्प्यूटर, फिल्म, टेलिविजन, टेप रिकार्डर आदि ।

(ii) मृदुल उपागम (Software) - इसमें वे चीजें शामिल की जाती हैं जिन्हें अध्यापक स्वयं बना व प्रयोग कर सकता है । इसके उदाहरण हैं- चित्र, रेखाचित्र, चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, पोस्टर, प्रतिमान (मॉडल) आदि ।

(3) ज्ञानेन्द्रिय के आधार पर -

(i) श्रव्य साधन (Audio-aids) - इस वर्ग में आते हैं- ग्रामोफोन, विडियों टेप, रेडियों आदि।

(ii) द्रश्य साधन (Visual Aids) - इसके अन्तर्गत आते है-वास्तविक पदार्थ, नमूने, प्रतिमान (मॉडल), चार्ट, ग्राफ, फिल्म स्लाइडस, फिल्म पट्टियाँ ।

(iii) द्रश्य-श्रव्य साधन (Audio-Visual Aids) - इसके अन्तर्गत आते हैं- नाटक, फिल्मस, टेलिविजन आदि ।

(4) प्रेक्षपी आधार

(i) प्रैक्षपी (Projected) - इसके अन्तर्गत आते हैं- फिल्म, टेलिविजन, फिल्म स्लाइडस, फिल्म पट्टियाँ आदि ।

(ii) गैर-प्रेक्षपी (Non-Projected) - इसके अन्तर्गत आते हैं - वास्तविक पदार्थ, नमूने, प्रतिमान (मॉडल) चित्र, ग्राफ आदि ।

आपकी सुविधा के लिए शैक्षिक सहायक सामग्री के विभिन्न वर्गीकरण नीचे तालिका के रूप में दिए गए हैं-.

तालिका 1

मनोविज्ञान पर आधारित वर्गीकरण

(Classification based on Psychology)

परम्परागत सामग्री द्रश्य-श्रव्य सामग्री (Traditional Aids)	**द्रश्य-श्रव्य सामग्री (Audio-Visual Aids)**
1. पुस्तकें (Books)	1. ऐपीडायोस्कोप (Epidiascope)
2. पत्र-पत्रिकाएँ (Magzines)	2. फिल्म स्ट्रिप्स (Film Strips)
3. जरनल (Journal)	3. फिल्म स्लाइड्स(Film Slides)
4. श्याम पट्ट (Black Board)	4. कम्प्यूटर (Computers)
	5. फिल्मस (Films)
	6. टेलिविजन (Television)
	7. चार्ट, ग्राफ (Chart- Graph)
	8. रेखाचित्र (Diagram)
	9. वास्तविक पदार्थ (Real Objects)
	10. नमूने (Samples)
	11. प्रतिमान (Models)
	12. कामिक्स (Comics)
	13. कार्टून (Cartoons)
	14. टेपरिकार्डर (Tape-recorder)
	15. ग्रामाफोन (Gramophone)
	16. रेडियों (Radio)

तालिका 2

तकनीकी आधारित वर्गीकरण

(Classification based on Technology)

कठोर उपागम (Hardware approach)	**मृदुल उपागम (Software approach)**
1. ऐपीडायोस्कोप (Epidiascope)	1. चित्र, चार्टस (Picture, charts)
2. प्रोजेक्टर (Projector)	2. ग्राफ (Graph)
3. फिल्म स्लाइडस (Film Slides)	3. मानचित्र (Maps)

4. फिल्म स्ट्रप्स (Film Strips)	4. ग्लोब (Globe)
5. चल चित्र (Films)	5. वास्तविक पदार्थ (Real Objects)
6. दूरदर्शन (Television)	6. नमूने (Samples)
7. कम्प्यूटर (Computer)	7. प्रतिमान (Models)
8. अध्यापन मशीन (Teaching Machine)	8. पोस्टर (Poster)
9. रेडियों (Radio)	9. कॉमिक्स (Comics)
10. विडियो कैसेटस (Video Cassates)	10. कार्टून (Cartoon)
	11. श्यामपट्ट (Black Boards)

10.2.6 नागरिक शास्त्र में प्रयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री व उनके उपयोग (Various teaching aid and their uses in civics teaching)

1. श्यामपट्ट'/चॉक बोर्ड (Black Board/Chalk Board) - श्यामपट्ट शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले सर्वाधिक प्राचीन साधनों में से एक है । आज श्यामपट्ट को चाक बोर्ड कहा जाने लगा है । ये बोर्ड काले ही न होकर हरे, पीले या अन्य किसी रंग के भी हो सकते हैं । नागरिक शास्त्र शिक्षण/विज्ञान शिक्षक अब यह अनुभव करने लगे हैं कि चॉक बोर्ड उनके लिए बड़े उपयोगी हो सकते हैं । उनका प्रयोग विभिन्न दशा में विचारों को प्रस्तुत करने या किसी प्रकरण की रूपरेखा बनाने के लिए या, कार्य की प्रगति का लेखा जोखा रखने के लिए आकृतियाँ बनाने, योजनाओं का विकास करने और सारांश आदि लिखने के लिए किया जा सकता है । चूकि श्यामपट्ट अध्यापक के समीप रहता है । यदि उचित प्रयोग किया जाए तो श्यामपट्ट भी हर एक प्रकार के शिक्षण में अद्भुत सहायता कर सकता है । कई अध्यापक अनुभव करते हैं कि वे श्यामपट्ट पर ठीक ढंग से लिख नहीं सकते । किन्तु यह बात यहाँ उल्लेखनीय है कि इस गुणकी हर अध्यापक में बड़ी आवश्यकता है, चाहे वह नागरिक शास्त्र शिक्षण पढ़ाता हो या भाषा, गणित, विज्ञान अथवा अन्य कोई विषय । यह सत्य है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण पढ़ाने के लिए कई प्रकार के नमो, चार्ट, समय रेखाएँ, आकृतियाँ तथा अन्य प्रकार की चित्रित सामग्री बाजार में उपलब्ध हैं किन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सर्वोत्तम नमो, चार्ट, ग्राफ और रेखाचित्र वे हैं जो बालकों की उपस्थिति में बनाए जाते हैं । इस प्रकार की चित्रित सामग्री में केवल उतना ही विस्तार किया जा सकता है, जितना कि पढ़ाए जा रहे प्रकरण के लिए सहायक व आवश्यक हो । ऐसा मानचित्र जो छात्रों की आँखों के सम्मुख बनाया गया है उस मानचित्र या चार्ट की अपेक्षा जो पहले से तैयार हो, कहीं लाभदायक सिद्ध हो सकता है । यही कारण है कि चॉक बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर सुन्दर चित्र बनाने की योग्यता बहुत आवश्यक है । एक ही समय में सामग्री की भीड़ सी न लगाए, विभिन्न अर्थो व बातों पर बल देने के लिए विभिन्न रंगों के चाको का प्रयोग करें और बोर्ड के कार्य की भी पहले से योजना बना लें ।

श्यामपट्ट /चॉक बोर्ड का महत्व - यदि इसका ठीक-ठीक उपयोग किया जाए तो यह बहुत ही प्रेरणादायक हो जाता है । स्वच्छता, शुद्धता तथा तीव्रता को मानक (Standrad) स्थापित करने में इसका महत्व बहुत अधिक है । वर्तनी को समझने में यह छात्रों की बहुत सहायता करता है । किसी पाठ के दौरान श्यामपट्ट चॉक बोर्ड पर बनाया गया कोई चित्र समूची कक्षा का ध्यान

पाठ की ओर आकृष्ट कर सकता है । श्यामपट्ट पर लिखकर तथा रेखाचित्र बनाकर शिक्षक पाठ की तात्विक बातों पर बल दे सकता है । रेखाओं के सहारे वह कोई नक्शा या चित्र छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । श्यामपट्ट एक ऐसा साधन है जो कक्षा में सदैव उपलब्ध रहता है । उसके उपयोग के लिए न किसी तकनीकी ज्ञान (Technical Knowledge) की आवश्यकता है और न उच्च कोटि के कलात्मक कौशल की

श्यामपट्ट/ चॉक बोर्ड का उपयोग (Uses of Black-Board/Chalk Board) - नागरिक शास्त्र शिक्षण में श्यामपट्ट चॉक बोर्ड का उपयोग निम्नलिखित बातों के लिए किया जा सकता है-

1. किसी नाम या शब्द के सम्बन्ध को स्पष्ट बनाने एवं महत्ता प्रदान करने के लिए ।
2. मुख्य निर्देशन देने के लिए ।
3. चार्ट, रेखाकृति, ग्राफ, लाक्षणिक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ।
4. योजना की रूपरेखा लिखने के लिए ।
5. किसी वस्तु के क्रम को स्पष्ट करने के लिए ।
6. नियम, परिभाषा आदि लिखने के लिए ।
7. सूचना, अंकन, तिथि ज्ञान देने, तालिका लिखने आदि के लिए ।
8. सारांश देने के लिए ।

श्यामपट्ट के उपयोग से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण बातें - नागरिक शास्त्र शिक्षण के शिक्षक का प्रयोग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए-

1. कक्षा का कार्य प्रारम्भ होने से पहले ही श्यामपट्ट के लिए आवश्यक सभी वस्तुएँ एकत्र कर लें-सफाई उपकरण या झाड़न, चॉक या खड़िया, पटरी, परकार, फर्मे, स्टेंसिल अथवा अन्य सामग्री ।
2. श्यामपट्ट को झाड़न या कपड़े से साफ करें, हाथ से या अँगुलियों से नहीं ।
3. श्यामपट्ट पर ऊपर के बाँये कोने से लिखना प्रारम्भ करें । श्यामपट्ट पर केवल महत्वपूर्ण बातें ही लिखें । स्मरण रहे कि श्यामपट्ट विस्तारपूर्ण कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता ।
4. पहले से योजना बना ले कि श्यामपट्ट पर क्या लिखना है । कभी भी कोई मानचित्र पहले से श्यामपट्ट बनाकर न रखें, न किसी पुस्तक का लगातार सहारा लेकर बनाए ।
5. श्यामपट्ट पर बने मानचित्र या रेखाचित्र पर छात्रों के ध्यान को केन्द्रित करने के लिए संकेतक (Pointer) का प्रयोग अवश्य करें ।
6. श्यामपट्ट की स्थिति ऐसे स्थान पर हो जहाँ से सभी छात्र उसको सुविधापूर्वक देख सकें । उस पर प्रकाश का प्रतिबिम्ब न हो । श्यामपट्ट बच्चों के दृष्टि स्तर से बहुत ऊँचा न हो और सामने वाली डेस्कों की प्रथम पंक्ति श्यामपट्ट से कम से कम आठ फुट दूर हों ।
7. श्यामपट्ट पर सुन्दर तथा एक सा लिखना चाहिए । इसके अतिरिक्त जो भी बात श्यामपट्ट पर लिखी जाए, वह क्रम में होनी चाहिए, जिससे छात्र भी क्रम से लिखने की आदत बनाएँ ।
8. श्यामपट्ट पर लिखें शब्दों का आकार ऐसा होना चाहिए जिनको समस्त छात्र आसानी से देख सकें । उस पर छोटे छोटे शब्द नहीं लिखना चाहिए । श्यामपट्ट पर जो कुछ भी लिखा जाए वह सीधी पंक्तियों में हो ।

9. शिक्षक को लिखते समय श्यामपट्ट को ढक नहीं लेना चाहिए बल्कि उसे 45 डिग्री के कोण पर खड़े होकर लिखना चाहिए । यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो कक्षा में अनुशासनहीनता आने के अवसर उत्पन्न हो जायेंगे ।
10. शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखने के पश्चात् एक ओर खड़ा होना चाहिए । कक्षा का निरीक्षण करना और छात्रों की वैयक्तिक कठिनाईयों को सुलझाना चाहिए । उनको ऐसा इसलिए करना चाहिए जिससे प्रत्येक छात्र लिखी हुई बात को ठीक प्रकार से देख सकें ।
11. शिक्षक श्यामपट्ट पर जो कुछ लिखे उसे मुख से साथ-साथ बोलता जाए ।
12. शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखते समय कभी-कभी छात्रों पर दृष्टि डाल लेनी चाहिए ।
13. प्रतिवर्ष कम से कम एक बार श्यामपट्ट को अवश्य सुधारा-सँवारा जाना चाहिए ।

निष्कर्षत: श्यामपट्ट /चॉक बोर्ड नागरिक शास्त्र शिक्षण के उपकरणों में एक महत्वपूर्ण उपकरण है ।

2. श्रव्य सामग्री
(Audio Aids)

(1) मौखिक उदाहरण (Oral Illustrations) - शिक्षक को कक्षा-शिक्षण में शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करना पड़ता है । अध्ययन के समय उचित समय यथा स्थान पर इन उपकरणों का प्रयोग कर शिक्षक छात्रों को अधिगम को सरल एवं सुबोध बनाने का प्रयत्न करता है । शिक्षण में कुछ तथ्य तथा प्रत्ययों का स्वरूप अमूर्त होने पर उन्हें बोध्यगम्य कराना अति कठिन होता है । ऐसी परिस्थिति में शिक्षक को कुछ उदाहरणों की सहायता से कठिन तथ्यों तथा प्रत्ययों को रूचिकर तथा बोधगम्य बनाने में सरलता हो जाती है । उदाहरण के माध्यम से शिक्षक छात्रों का ध्यान विषय-वस्तु की ओर आकर्षित कर लेता है तथा इनके द्वारा छात्रों के अनुभवों को भी विकसित करने में सहायता करता है ।

नागरिक शास्त्र शिक्षण के अन्तर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक-शास्त्र आदि विषयों के प्रकरण को पढ़ाते समय मौखिक उदाहरण देकर तथ्य, संप्रत्यय, सिद्धान्त, प्रक्रियाएँ आदि स्पष्ट और बोधगम्य बनाई जा सकती हैं । मौखिक उदाहरण. से तात्पर्य है कि शिक्षक पढ़ाते समय कठिन पाठ्यवस्तु को मूर्तरूप देने हेतु उनके उदाहरण मौखिक रूप से देता है कि वे स्पष्ट हो सकें । जैसे-इतिहास में 'लोकप्रिय शासक' का उदाहरण अशोक, अकबर, नागरिक-शास्त्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति-प्रयासों के अन्तर्गत कोरिया, ईरान-इराक युद्ध, भूगोल के रेगिस्तानी प्रदेश' प्रकरण से राजस्थान के थार-मरूस्थल का उदाहरण दिए जा सकते है ।

मौखिक उदाहरण हेतु शिक्षक में अधोलिखित क्षमताएँ होनी आवश्यक है-

1. प्रत्ययों, तथ्यों, सिद्धान्तों तथा विचारों से सम्बन्धित समुचित उदाहरण चयन करने की क्षमता होनी चाहिए ।
2. उदाहरण को कक्षा में प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता ।
3. चयनित उदाहरण को तथ्यों तथा सिद्धान्तों से सम्बन्धित करने की क्षमता ।
4. उदाहरण की सहायता से शिक्षण प्रत्यय एवं सिद्धान्त को स्पष्टीकरण तथा बोधगम्य कराने की क्षमता ।

मौखिक उदाहरण - प्रभावी बनाने हेतु उनकी उपयुक्तता, संक्षिप्तता तथा सरल, सुबोध भाषा-शैली में प्रस्तुतीकरण पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है । ये उदाहरण शिक्षक स्वयं देकर

छात्रों से भी अन्य उदाहरण देने हेतु कह सकता है । उदाहरणों के आधार पर संबंधित संप्रत्यय, तथ्य, सिद्धान्त आदि को छात्रों द्वारा व्यक्त कराया जाना वांछनीय होगा । जिससे कि शिक्षक यह अनुमान लगा सके कि उसके द्वारा प्रस्तुत उदाहरण के द्वारा प्रत्यय एवं सिद्धान्त स्पष्ट हुआ अथवा नहीं ।

(2) आकाशवाणी / रेडियो (Radio) - आरम्भ में रेडियों का प्रयोग केवल मनोरंजन के लिए किया जाता था किन्तु वर्तमान में रेडियों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में दिनोंदिन बढ़ रहा है । आकाशवाणी केन्द्र विभिन्न कक्षा एवं स्तरों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं । इन कार्यक्रमों द्वारा छात्र एवं शिक्षक दोनों को ही ज्ञान प्राप्त होता है तथा उनका दृष्टिकोण विस्तृत होता है । रेडियों द्वारा चुनाव, नागरिक कर्त्तव्य, अधिकार, देश की समस्याओं का विवेचन आदि से सम्बन्धित कार्यक्रमों का नागरिक शास्त्र शिक्षण के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है ।

रेडियों के गुण/ महत्व /उपादेयता

1. इन कार्यक्रमों से छात्र एवं शिक्षक दोनों के ही दृष्टिकोण में विशालता होती है ।
2. रेडियों कार्यक्रम बहुत अनुभवी एवं विशिष्ट योग्य व्यक्तियों की विचार धाराएँ प्रस्तुत करता है । इससे हम नवीनतम विचारों से अवगत होते हैं ।
3. कार्यक्रम बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है । अत: ये रोचक एवं बोधगम्य होते हैं ।
4. रेडियों संवेगों को प्रभावित करते हैं । संगीत तथा अन्य उपायों में रेडियों वार्ताओं को और भी मर्मस्पर्शी बनाया जा सकता है ।
5. रेडियों से एक ही समय में बड़े समुदाय को शिक्षा प्रदान की जा सकती है ।
6. रेडियों सुनना ही स्वयं एक रोचक कार्य है । अत: रेडियों द्वारा किए गए पाठों में छात्रों की रूचि जागत करना कठिन नहीं होता है ।
7. रेडियों कार्यक्रम कक्षा-शिक्षण की कठिनाईयों को पूरा करते हैं ।
8. रेडियों शैक्षिक कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा में एकता लाते हैं ।

सुझाव - रेडियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करना महत्त्वपूर्ण है किन्तु इसकी कुछ सीमाएँ हैं जैसे- 1. जिज्ञासा पैदा होने पर हम कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं । 2. प्रसारण को दोहराया भी नहीं जा सकता है । 3. रेडियों द्वारा प्रदत्त शिक्षा में व्यक्ति भेदों का कोई स्थान नहीं है ।

सीमाओं का समाधान - इन सीमाओं से प्राप्त होने वाली हानियों को कम करने के लिए निम्नांकित बातों को ध्यान में रखना चाहिए-

1. रेडियों कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूरी सूचना आकाशवाणी केन्द्र से प्राप्त कर ली जाए । (कार्यक्रम - प्रसारण पुस्तिका द्वारा) 2. रेडियों कार्यक्रम के लिए छात्रों में पूर्ण रूचि जाग त कर दी जाए । 3. छात्रों के बैठने की व्यवस्था की जाए । 4. अच्छे रेडियों की व्यवस्था हो । 5. कार्यक्रम के अनत में वाद-विवाद या अन्य किसी विधि के द्वारा कार्यक्रम की विवेचना की जाए । 6. रेडियों के कार्यक्रम से छात्र कितने लाभान्वित हुए इसका मूल्यांकन किया जाए ।

(3) ग्रामोफोन - ग्रामोफोन को देहाती भाषा में ' 'चूड़ी का बाज' ' के नाम से जाना जाता है । इसमें एक मशीन तथा मशाले के तवे (रिकार्ड) का प्रयोग किया जाता है । मशीन में मुख्य कार्य माऊथ एवं सुई का होता है । इसमें चाबी भर कर उस पर चूड़ी का तवा रख दिया जाता है । तथा तवे पर सुई जो कि माऊथ में लगी होती है, रख दी जाती है । तावा मशीन की सहायता से

धूमता है और सुई के द्वारा उसमें पूर्व में भरी गई आवाज निकल कर माऊथ में जाती है और जैसा कि विवरण यथा भाषण, संगीत, कविता अगर जो भी तवे में भरा गया है, सुनाई देता है, इसका प्रयोग भी टेप रिकार्डर के समान किया जा सकता है । टेपरिकार्डर महँगा होता है तथा ग्रामोफोन सस्ता होता है । टेपरिकार्डर बिजली की सहायता से चलता है जबकि ग्रामोफोन में बिजली की आवश्यकता नहीं पडती है । वह मात्र चाबी देने से अपना कार्य प्रारम्भ कर देता है । टेपरिकॉर्डर में टेप की गई सामग्री 90 मिनट तक स्वयं टेप चलती रहती है । जबकि ग्रामोफोन में तवे को बार-बार बदलना पड़ता है और चाबी देने की आवश्यकता होती है । प्राथमिक विद्यालयों के लिए ग्रामोफोन सस्ता, सुलभ एवं महत्त्वपूर्ण साधन है ।

(4) टेपरिकॉर्डर - इस उपकरण के द्वारा रेडियों की सीमाओं को दूर करने में सहायता मिलती है । क्योंकि रेडियों पर वार्ताएं व कार्यक्रम निश्चित समय पर आते हैं । प्रात: या रात्रि के समय होने वाले कार्यक्रम विद्यालय के लिए उपयोगी नहीं हो सकते हैं । अत: ऐसी वार्ताओं व कार्यक्रमों को जो विषय से सम्बन्धित होती हैं उन्हें टेप कर लिया जाता है और फिर विद्यालय में दिन में किसी भी समय या विषय के कालांश में ही छात्रों को वार्ता सुनवाई जा सकती है तथा इसके द्वारा समय-समय पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के व्याख्यानों से भी लाभ उठाया जा सकता है ।

3. पत्र, पत्रिकाएँ
(Newspapers/ journals)

नागरिक शास्त्र शिक्षण विज्ञान के शिक्षण में समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का महत्त्वपूर्ण स्थान है । ये शिक्षण के प्रभावशाली उपकरण है । समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ लोगों की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक दशाओं के विषय में महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्रदान करती है । इनका अध्ययन शिक्षक एवं छात्रों, दोनों के लिए लाभप्रद हैं, क्योंकि इनके द्वारा उनका ज्ञान को पूर्ण एवं आधुनिक बनाया जाता हैं' । भारत में इनके अध्ययन पर पर्याप्त रूप से बल दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि आज भारत में औद्योगीकरण, समाजीकरण एवं नगरीकरण होने से समाज में महान् परिवर्तन हो रहे हैं । जब तक शिक्षक एवं छात्र इन तत्कालीन परिवर्तनों से स्वयं को अवगत नहीं करेंगे तब तक वे नागरिक शास्त्र /शिक्षण विज्ञान के उद्देश्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे । इसके अतिरिक्त वे इस परिवर्तित समाज में अपने को व्यवस्थित करने में असफल पायेंगे ।

इनके माध्यम से छात्र विभिन्न प्रकार के ग्राफों, चित्रात्मक रेखाओं आदि को सीखने तथा उनकी व्याख्या करने में समर्थ होते हैं । शिक्षक इन विभिन्न प्रकार के ग्राफों को जिनमें तापक्रम, वर्षा, जनसंख्या, शिक्षा की प्रगति, व्यावसायिक उन्नति उत्पादन आदि को प्रदर्शित करवाकर बनवा सकता है । इससे नागरिक शास्त्र शिक्षण की प्रयोगशाला भी सुसज्जित हो जाएगी तथा छात्रों को इन विभिन्न वस्तुओं का सरलता से ज्ञान भी हो जायेगा । शिक्षक छात्रों को समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करें तथा उन्हें विशेष लेखों पर संक्षिप्त नोट बनाने के लिए कहें जो महत्त्वपूर्ण हो । इसके साथ ही उन्हें महत्त्वपूर्ण लेखों को काटकर अपने एलबम में चिपकाने के लिए कहें जिससे उनका आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा सके ।

पत्र-पत्रिकाएँ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी देकर विश्व के प्रति दृष्टिकोण का निर्माण करती हैं तथा एक विश्व नागरिक के रूप में अपना निष्पक्ष एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत कर विश्व बंधुत्व एवं शांति में अपना योगदान देकर मानवता की रक्षा करने में

हाथ बटाती हैं । इस प्रकार पत्रिकाओं का नागरिक शास्त्र शिक्षण में विशेष स्थान है, परन्तु खेद है कि विद्‌यालय में धनाभाव के कारण उच्च स्तरीय पत्र-पत्रिकाओं को विद्‌यालय वाचनालय में स्थान प्राप्त नहीं होता और निम्न श्रेणी की पत्रिकाएँ क्रय कर कर्त्तव्य की इतिश्री समझ ली जाती है ।

4. द्रश्य सहायक सामग्री

Visual Aids

(1) वास्तविक पदार्थ (Real Objects) - यदि शिक्षण के दौरान मूल अर्थात् वास्तविक पदार्थो को शिक्षण सामग्री (Teaching Aids) के रूप में प्रयोग किया जाए तो इनका प्रभाव सभी प्रकार की अन्य सामग्री से अधिक पड़ता है । जैसे पौधे के भाग पढ़ाने हैं, तो वास्तविक पौधे को दिखाकर ही छात्रों को पाठ पढ़ाया जाए । इससे छात्रों में रूचि उत्पन्न होती है और छात्रों को आनन्द मिलता है । अत: जहाँ तक सम्भव हो सके, वास्तविक पदार्थो को ही सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए ।

उपकरणों को प्रस्तुत करने की विधि जैसे हड्‌डियों, पक्षियों के पंख के नमूने, तितलियाँ, पत्तियाँ, फूल, धातु मुद्राएँ, चट्टानों के नमूने, 'मशीनें व औजार, टिकट आदि विवेच्य वस्तुएँ हैं । इनका संग्रह करना अति उत्तम हैं । काँच की छोटी-छोटी शीशियों में विभिन्न अनाजों व दालों के नमूने रखे जा सकते है । स्याही सोख्ता पर फूल या पत्ती रख कर उसे भारी पुस्तक से दबा दें, 4-5 दिनों में इसका चपटा रूप तैयार हो जायेगा । इसे फाइल में संगहित कर लें । संग्रहणीय कठोर वस्तुएँ काँच के डिब्बो या आल्मारियों में बंद कर प्रदर्शन करें । इस संदर्भ में नागरिक शास्त्र शिक्षण शिक्षण में धातु मुद्राएँ की उपयोगिता विशेष महत्व रखती है । जैसे- गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त, के काल के सिक्कों को ही लें । एक सिक्के पर समुद्रगुप्त का वीणा बजाते हुए चित्र अंकित है । इससे उसके संगीत प्रेम एवं वीणा वादन में निपुणता का ज्ञान होता है । इसी प्रकार वर्तमान युगीन भारत सरकार का पचास पैसे का सिक्का लें इसमें पं. जवाहर लाल नेहरू का चित्र अंकित है । जिससे पं. नेहरू के जन्म एवं मृत्यु के वर्ष का पता लगता है । सिक्के के पिछले भाग में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, सिक्के का मूल्य तथा अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा में भारत अंकित है । इस सिक्के से भारत की आर्थिक स्थिति, राजकीय भाषा आदि का सरलता से ज्ञान हो जाता है । अत: सिक्के भूतकाल को स्पष्ट करने का एक सशक्त साधन है ।

(2) मानचित्र (Maps) - मानचित्र नागरिक शास्त्र शिक्षण विज्ञान शिक्षण में विशेष महत्व रखते है । मानचित्रों का प्रयोग अधिकतर भूगोल तथा इतिहास के शिक्षण में किया जा सकता है। बने बनाये मानचित्र बाजार में उपलब्ध होते हैं, परन्तु यदि कक्षा में शिक्षक स्वयं मानचित्र बनाकर छात्रों को दिखायें तो इसका प्रभाव कुछ और ही पड़ेगा । मानचित्रों पर उसका नाम तथा अन्य आवश्यक संकेत देने चाहिए । मानचित्र स्पष्ट तथा सुन्दर बनाए जाने चाहिए ।

भौगोलिक स्थिति तथा भूगोल में बच्चों को किसी स्थान की दूरी, उसका क्षेत्रफल तथा विभिन्न प्रदेशों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान मानचित्र की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, राजनीति एवं भूगोल किसी भी विषय से सम्बन्धित मानचित्र हो सकते हैं । अध्यापक स्कूलों में इनके प्रयोग पर अधिक बल दें । बच्चे वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे । मानचित्र एटलस में बने होते हैं । ये कागज, कपड़े पर भी बने हुए प्राप्त किये जा सकते हैं । मानचित्र का इतिहास मानव विकास की कहानी है, यह मानव की

सबसे पहली लिखित कृति है । आदि मानव भी पेड़ों की छाल पर, पत्थरों पर मानचित्र बनाते थे। भूगोल अध्ययन में पृथ्वी को मानव के परिवार के रूप में जानना अत्यन्त आवश्यक है ताकि वह समझ सके कि विश्व में कौन-कौन से परिवार कहाँ रहते हैं । कौन-सी चीजे कहीं अधिक पाई जाती हैं, किन पदार्थो का अभाव है विश्व का कौन सा भाग अभी भी पिछड़ा हुआ है और कौन-सा अधिक प्रगति कर चुका है । समस्त विश्व को कक्षा में वास्तविक रूप में उपस्थित नहीं किया जा सकता और न ही विश्व की गतिविधियों को दर्शाया जा सकता है । केवल मानचित्र ही ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा विश्व को कक्षा में उपस्थित किया जा सकता है । मानचित्र एक जादुई गलीचे (Magic Carpet) की भाँति दुनिया के किसी भी कोने में पलक झपकते ही आपको पहुँचा सकता है ।

अध्यापक स्वतन्त्र चित्रण (Free hand Drawing) की सहायता से श्यामपट्ट पर छपे चित्रों को नकल करके बना सकता है । नक्शा स्पष्ट व सुन्दर होना चाहिए उसमें प्रदर्शित दिशा, पहाड़, समुन्द्र, उद्योग साफ रूप से चित्रित होने चाहिए । नमो को ऐसे स्थान पर लटकाना चाहिए, जहाँ से बच्चों को दिखाई दे सके । अध्यापक बच्चों से उनके सम्बन्ध में प्रश्न पूछे तथा बचो को अंकित स्थान बताने के लिए प्रेरित करना चाहिए । अध्यापक खाली नमगें को बच्चों के द्वारा कक्षा में भरवाए जिससे बच्चे सक्रिय बने रहें तथा पढ़ाई में उनकी रूचि रहे व स्थायी ज्ञान प्राप्त हो सके । छोटी कक्षाओं से ही रेखाओं में रंगीन पेन्सिल द्वारा नक्शा भरने का प्रयास कराना चाहिए ताकि उच्च कक्षा में कठिनाई न हो ।

प्रसंग आने पर ही नक्शों का प्रयोग करना चाहिए, फिर उसे उतार कर रख लेना चाहिए, नहीं तो बच्चों का ध्यान उसी तरफ लगा रहेगा । इस प्रकार नमो के प्रयोग द्वारा अध्यापक बच्चों को जिले, देश, विदेश तथा विश्व की भौगोलिक स्थिति के बारे में सही ज्ञान दे सकता है ।

मानचित्र के प्रयोग के लाभ (Uses of Maps) -शिक्षक बच्चों में मानचित्र से पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए रूचि उत्पन्न करें । पहले उन्हें अपने कमरे का मानचित्र बनाने के लिए कहें, फिर अपने घर का फिर अपने घर से स्कूल तक आने की दूरी तथा रास्ते का नमग बनाने के लिए कहा जाए । जब रूचि और ज्ञान उत्पन्न हो जाए तब छात्र कल्पना से भी मानचित्र बना सकते हैं ।

1. मानचित्र मार्ग दर्शाते हैं जैसे कि सड़कें, नहरें, बाँध जनकल्याण केन्द्र, समाज शिक्षा केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, उच्च शिक्षा विद्यालय कही-कहाँ खोले जाने चाहिए ।
2. किसी स्थान की दूरी ज्ञात करने में मानचित्र सहायता करते हैं । जैसे आप के नगर से देहली, कलकत्ता, सिकन्दराबाद, फरीदाबाद, चण्डीगढ़ आदि कितनी दूर हैं ।
3. मानचित्र विभिन्न स्थानों पर वर्षा, तापक्रम, जलवायु, वायु भार-ऋतु परिवर्तन आदि में तुलना करने में सहायता' करते हैं ।
4. मानचित्र जलवायु का भी ज्ञान देते हैं । कहीं अधिक गर्मी पड़ती है, कहीं अधिक वर्षा होती है आदि ।
5. धरातल ज्ञान मानचित्र (Topological Maps) के आधार पर किसी स्थान की ऊँचाई, निचाई नदियों, घाटियों पहाड़ों आदि का ठीक अनुमान लगाया जा सकता है ।

6. मानचित्र किसी स्थान की सांस्कृतिक, भौतिक तथा भौगोलिक जानकारी भी देते हैं । जैसे समुन्द्र तल से ऊँचाई, घरातल की रचना, धनी आबादी वाले क्षेत्र, विकासशील देश आदि का ज्ञान मानचित्र ही देते हैं ।
7. मानचित्रों की सांकेतिक भाषा (Symbolic Language) द्वारा रेल मार्गो, सड़कों, शहरों, नदियों. समुन्द्र, पठारों घाटियों तथा समतल भूमि का ज्ञान दिया जा सकता है । दूरी का भी अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है ।
8. मानचित्र द्वारा विश्व में, विभिन्न पैदावार, जनसंख्या, खनिज पदार्थो आदि का ज्ञान दिया जा सकता है ।
9. मानचित्र दिशा का ज्ञान कराते हैं, जैसे उत्तर, दक्षिण, आदि । इस प्रकार मानचित्र शिक्षा प्रक्रिया में अत्याधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते है ।
10. उदाहरणार्थ भारत के मानचित्र या नक्शे पर भारत के ऐतिहासिक, आधुनिक उद्योग, दर्शनीय स्थल उन स्थानों पर दर्शाने हो तो या उन स्थानों पर दर्शनीय ऐतिहासिक या औद्योगिक स्थल का छोटी आकृति में चित्र उस स्थान पर चिपका कर नाम लिख दें ।

अपने स्कूल के भवन का मानचित्र, कक्षों की स्थिति, अपने स्कूल से नगर के विभिन्न भागों और जाने का रास्ता बनाएँ ।

(3) रेखाचित्र (Diagram) - किसी वस्तु को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए रेखाओं द्वारा बनाया गया रेखा चित्र होता है । स्पष्ट व उचित ज्ञान देने के लिए विज्ञान तथा भूगोल के अध्यापन के लिए अध्यापक विभिन्न डायग्रामों या रेखाचित्रों को प्रयोग करता है । इसमें किसी प्रकार का खर्चा या विशेष समय की आवश्यकता नहीं होती ।

1. श्यामपट्ट पर उसी समय बनाया हुआ आरेख बच्चों पर स्थाई प्रभाव डालता है ।
2. वनस्पति विज्ञान में फूल, पौधों को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए तथा जीव विज्ञान में मानव के विभिन्न अंगों का प्रदर्शन रेखाचित्र की सहायता से किया जा सकता है ।
3. रेखाचित्र दिखाते समय वास्तविक रूप से या फिल्म पट्टियों तथा चित्रों का प्रदर्शन कर दिया जाए तो अधिक अच्छा रहेगा । इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा ।
4. रेखाचित्र स्पष्ट व सरल होना चाहिए ताकि आसानी से समझ आ सके । इसका आकार भी बड़ा होना चाहिए ताकि सभी विद्यार्थी स्पष्ट रूप से देख सकें । रेखाचित्र विषयानुसार होना चाहिए । अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अध्यापक चाहे तो समय-समय पर विभिन्न रंगों का प्रयोग करके भी रेखाचित्र को. आकर्षक बना सकता है ।

पाठ्यक्रम के सभी विषयों तथा लगभग सभी प्रकार की विषयवस्तु का रेखाचित्रों की सहायता से दृश्यात्मक रूप में अच्छी तरह अभिव्यक्त किया जा सकता है । परन्तु इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जिन रेखा तथा शब्द संकेतों को इस प्रकार की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया जाए उन्हें विद्यार्थी द्वारा पूरी तरक समझा जाए और उसका अर्थ वे भली भाँति ग्रहण कर सकें । उदाहरण के लिय फूल की आतरिक रचना, कान और आँख की आतरिक रचना और कार्य प्रणाली को स्पष्ट करने वाले रेखा चित्र, टेलिविजन, कम्प्यूटर आदि की कार्य प्रणाली तथा व्यवस्था को समझाने वाले आरेख आदि को छात्रों द्वारा तब तक अच्छी तरह नहीं समझाया जा सकता है जब तक कि उनकों उसमें प्रयुक्त संकेतात्मक भाषा और विषय वस्तु की पहले से ही अच्छी जानकारी न हो । इस तरह जहाँ तक किसी पाठ्यवस्तु को शुरू-शुरू

में. पड़ाने का प्रश्न है, आरेखों से इसमें सहायता नहीं मिलती । बाद की अवस्था चाहे वह पुन: प्रस्तुतीकरण की हो या अभ्यास तथा पुनरावृत्ति की, उसमे रेखाचित्र, महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं । इस तरह संक्षिप्त रूप में कम समय और शक्ति द्वारा अधिक बातों को सामने लाने में रेखा चित्रों का कोई सानी नहीं, परन्तु यह तभी हो सकता है जबकि छात्रों को इनमें निहित रेखाओं तथा संकेतों की भाषा का पूरा-पूरा ज्ञान करा दिया गया हो ।

(4) चार्ट (Chart) - चार्ट एक द्रश्य साधन है जिसके द्वारा विषय को स्पष्ट रूप से परिलक्षित किया जा सकता है । चार्ट के प्रयोग से सीखने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है । बालकों की पाठ्य वस्तु में रूचि बढ़ जाती है, वे अधिक सक्रिय बन जाते हैं । चार्टो का प्रयोग सभी विषयों के शिक्षण में बड़ी सुगमता तथा प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है । ये चार्ट भी बने बनाए ही बाजार में उपलब्ध होते हैं । यदि ये चार्ट बाजार में उपलब्ध न हो तो पाठ की आवश्यकतानुसार अध्यापक स्वयं इन चार्ट को तैयार कर सकता है । चार्ट पर आकृतियों का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि सभी स्थानों पर बैठे कक्षा के छात्र लाभ उठा सकें । छोटी आकृति रूचि को समाप्त कर देती है और उन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ता है । इससे कक्षा में अनुशासनहीनता के फैलने का भय भी रहता है । चार्ट पर बनाया चित्र स्पष्ट होना चाहिए ।

चार्ट कई प्रकार के होतें हैं । अध्यापक पाठ के अनुसार चार्ट तैयार करवा कर शिक्षण उपागम के रूप में प्रयोग कर सकता है । कुछ चार्ट इस प्रकार हैं-

(1) समय चार्ट (Time Chart) - इसे समयसारणी भी कहते हैं । इनका प्रयोग अधिकतर ऐतिहासिक तिथियों, घटनाओं, कालक्रमानुसार विभिन्न शासकों व युद्धों का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है ।

(2) तालिका चार्ट (Table Chart) - इनमें कई प्रकार के खाने बनाकर विचारों घटनाओं तथा विवरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाता है इनमें ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम, शासकों का क्रम, युद्धों आदि की सूची भी समयानुसार इन चाटो द्वारा दी जाती है ।

(3) प्रवाह चार्ट (Flow Chart) - इसके द्वारा किसी वस्तु का क्रमिक विकास तथा राजे महाराजाओं का उत्थान व पतन दर्शाया जाता हैं कानून की रचना का चार्ट बनाया जाता है ।

(4) चित्र सम्बन्धी चार्ट (Pictorial Chart) - इसमें विभिन्न चित्रों को इकट्ठा करके दर्शाया जा सकता है, जैसे यातायात के साधन, सिंचाई. के साधन, संचार के साधन आदि ।

(5) वृक्षाकृति चार्ट (Tree Chart) - किसी भी वस्तु के क्रमिक विकास को इस चार्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है । वृक्ष का तना मुख्य रूप होता है, उसका टहनियाँ उसके विकास को दर्शाती है । वनस्पति विज्ञान में पेड़-पौधो का विकास तथा जीव विज्ञान में जीव-जन्तुओं का क्रमिक विकास इसके अच्छे उदाहरण हैं । जिस प्रकार से तने से डालियाँ निकल विकास करती है, उसी प्रकार चार्ट का विकास होता है ।

(6) संगठन चार्ट (Organizational Chart) - इसका प्रयोग नागरिक शास्त्र शिक्षण में विशेषकर किया जाता है । विभिन्न शासन प्रबन्धों का केन्द्र राज्य, संसद, न्यायालय, कार्यपालिका, पंचायत आदि के संगठन रूप को चार्ट पर दिखाया जाता है ।

(7) ग्राफिकल चार्ट (Graphical Chart) - इन चार्ट की सहायता से सांख्यिकी आँकडे (Statistical Chart) जैसे बढ़ती जनसंख्या, कीमतों में वृद्धि एवं कमी आदि को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ।

(8) ग्राफ चार्ट (Graph Chart) - ऐसे चार्ट अधिकतर भूगोल एवं नागरिक शास्त्र शिक्षण / विज्ञान में प्रयोग होते हैं । इन चार्ट द्वारा आँकडों का प्रदर्शन किया जाता है । जैसे-वर्षा तथा तापक्रम तथा जनसंख्या आदि । ये पाँच प्रकार के होते हैं क्षेत्रफल, पाई, चित्र, लाइन एवं लम्बा ग्राफ ।

(9) चित्रायुक्त चार्ट (Pictorial Chart) - जो चार्ट छोटे-छोटे चित्रों को प्रदर्शित करें, उन्हें चित्र युक्त चार्ट कहते हैं । जैसे चावल की बोरी, गेंहू की बोरियाँ, पशुओं के चित्र आदि ।

चार्ट का प्रभाव पूर्ण उपयोग कैसे किया जाए? (How to Use Chart as an Effective Aid) - चार्ट का द्रश्य साधन के रूप में अच्छी तरह प्रयोग करने के लिए निम्न कुछ बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए-

1. चार्ट के द्वारा निश्चित शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता मिलनी चाहिए ।
2. यद्यपि विभिन्न प्रकार के चार्ट पुस्तकालय तथा बाजार में उपलब्ध हो सकते हैं, परन्तु जहाँ तक भी हो सके । इनका निर्माण अध्यापक की देख रेख में छात्रों द्वारा ही किया जाना चाहिए ।
3. जिस विचार, तथ्य, सूचना अथवा प्रक्रिया को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना हो उसके ऊपर भली-भाँति विचार कर चार्ट की द्रश्य सामग्री को इस प्रकार दिखाया जाना चाहिए कि उससे प्रस्तुत विषय को स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त किया जा सके ।
4. विषयवस्तु छात्रों के स्तर, उपलब्ध शिक्षण अधिगम परिस्थितियों आदि बातों को ध्यान में रखकर ही उपयुक्त प्रकार के चार्ट का चयन किया जाना चाहिए ।
5. एक चार्ट का केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए । एक ही चार्ट में बहुत सी बातों को शामिल कर लेने से उसकी स्पष्टता पर असर पड़ता है ।
6. जिस उद्देश्य से चार्ट को प्रदर्शित किया जा रहा है उसी को स्पष्ट करने से सम्बन्धित आवश्यक सामग्री ही उसमें होनी चाहिए, अनावश्यक एवं व्यर्थ की बातें नहीं ।
7. चार्ट में द्रश्य सामग्री की उत्तमता एवं प्रभावपूर्णता पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए । इस दृष्टि से रंगों, अक्षरों, आकृतियों के आकर्षण तथा आकार आदि पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए ।
8. कक्षा में जिस चार्ट की जिस समय आवश्यकता हो उसको उसी समय प्रदर्शित किया जाना चाहिए । व्यर्थ हो पाठ से सम्बन्धित सभी चार्ट की प्रदर्शनी नहीं लगानी चाहिए ।
9. चार्ट को इस तरह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि उसका सम्पूर्ण भाग विद्यार्थी को अच्छी तरह दिखाई दे सके ।

(5) पोस्टर्स (Posters) - नागरिक शास्त्र शिक्षण में पोस्टर्ज अध्यापक उपकरणों में विशेष महत्व रखते हैं । पोस्टर यू तो एक प्रकार से वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों या घटनाओं के चित्र ही होते हैं, परन्तु इनमें चित्रात्मक अभिव्यक्ति चित्रों की तरह बिल्कुल स्पष्ट और प्रत्यक्ष ढंग से नहीं होती बल्कि एक खास अंदाज में अप्रत्यक्ष तथा संकेतात्मक रूप (Indirect and Symbolic

form) में की जाती है । जबकि सामान्य चित्र विषय वस्तु के बारे में सारा विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं । पोस्टर द्वारा किसी एक विचार को ही केन्द्र बिन्दु बनाकर इतनी सशक्त संवेगात्मक अपील की जाती है कि जो भी विशेष संदेश या खास बात छात्रों को प्रेशित करनी होती है, वह उनके दिल और दिमाग पर पूरी छा जाती है । यही कारण है कि विज्ञापन और प्रचार की दुनिया में जितनी अधिक सहायता पोस्टर सामग्री से ली जाती है उतनी और किसी से नहीं । पोस्टर अपनी निराली शैली के बलबूते पर किसी मनोवृति को बनाने, बदलने तथा किसी कार्य को करने की प्रेरणा देने में ऐसा जबदस्त वातावरण तैयार कर सकते हैं, जिनसे न केवल व्यक्तिगत व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने की भूमिका निभाई जा सकती है । बल्कि इस प्रकार से पूरे जन समूह को इच्छित दिशा में मोडकर विशेष योजनाओं तथा प्रचार आन्दोलनों को भी बढ़ाने में इनसे पूरी-पूरी सहायता मिल सकती है ।

विद्यार्थी को आकर्षित ढंग से संदेश पहुँचाने के लिए पोस्टर द्वारा शिक्षा देना एक अच्छा साधन माना गया है । उनके हृदय पटल पर पोस्टर किसी भी विषय से सम्बन्धित प्रभाव डाल सकते है । आकर्षक पोस्टरों में शब्द कम होते हैं । चित्र, व्यंग्यचित्र, रेखा आदि को इतने सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि विद्यार्थी शीघ्र संदेश ग्रहण कर लेते हैं । पोस्टर के विचार स्पष्ट होने चाहिए । प्रस्तुत विचार एक कड़ी में संगठित होने चाहिए जिससे भाव समझ आ सके । रंगों (colours) का चयन तथा विरोधाभास प्रभा उपयुक्त होना चाहिए । पोस्टर पर लिखित सामग्री आकार में बड़ी होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी को स्पष्ट दिखाई दे सके । इन्हीं की सहायता से अध्यापक दाँत, बाल, आँख तथा कपड़ों की सफाई, गंदी चीजें खाने की हानियाँ, सफाई का महत्व आदि विचारों की स्थाई छाप बच्चों पर छोड़ देता है । मैगजीन, कटिंग, चित्र आदि की सहायता से भी पोस्टर तैयार किये जा सकते हैं । पोस्टर कागज, लकड़ी कपड़ा प्लाईबुड के ऊपर विभिन्न रंगों में बनाए जाते हैं । ये किसी भी आकर के हो सकते हैं ।

अत: पोस्टरों को अध्यापक द्वारा कहाँ से प्राप्त किया जाए, इस सन्दर्भ में सम्बन्धित स्त्रोतो (Sourrces) को दो भागों में बाँटा जा सकता है, बाहरी स्त्रोत तथा निजी स्त्रोत । विद्यालय से बाहर समुदाय तथा समाज में प्रचार और विज्ञापन की दुनिया से जो कुछ भी उपयुक्त संकलन हो सकता है, अध्यापक को छात्रों की सहायता से तथा अपने निजी प्रभाव का उपयोग कर उसे संग्रहित करने का प्रयत्न करना चाहिए । निजी स्त्रोत के रूप में विद्यालय द्वारा भी छात्रों की रचनात्मक याक्ति का उपयोग करते हुए पोस्टर तैयार करने का प्रयास करना चाहिए । इनके निर्माण, संग्रह तथा प्रयोग में जो बातें विशेष रूप से ध्यान में रखी जानी चाहिए वे निम्न हैं-

1. पोस्टरों की शैक्षिक उपयोगिता को ज्यादा महत्त्व देना चाहिए तथा उन्हीं पोस्टरों का संकलन या निर्माण किया जाना चाहिए जिनसे विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हो सके ।
2. उन्हीं पोस्टरों का चयन और प्रयोग कक्षा अध्यापक द्वारा किया जाना चाहिए, जिनकों अच्छी तरह समझने की योग्यता कक्षा के छात्रों में हो तथा जिनके द्वारा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने की भूमिका अधिक सशक्त ढंग से निभाई जा सकती हो ।
3. विचार संप्रेषण तथा संवेगात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से पोस्टरों में जितने अनुपात में स्पष्टता, सरलता, आकर्षण, क्षमता, विचार केन्द्रित और संवेगों को उभारने की शक्ति

हो, उसी को ध्यान में रखकर कक्षाध्यापक द्‌वारा उनका चयन तथा प्रयोग किया जाना चाहिए । '

अत: नागरिक शास्त्र शिक्षण में इन पोस्टरों का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया जाना चाहिए । इस प्रकार अध्यापक अपने शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति कर सकेंगे । इनकी सहायता से सड़क पार करने के नियम, सफाई का महत्व, संचार अवस्था मौलिक अधिकार आदि की शिक्षा सरलता से दी जा सकती है । निरक्षरता दूर करने के लिए नागरिक शास्त्र शिक्षण के कार्यक्रमों को गाँवों में तथा शहरों में भी पोस्टर पद्धति द्‌वारा दिखाया जा सकता है ।

(6) प्रतिमान (Model) - किसी वस्तु के मॉडल से तात्पर्य किसी बडी वस्तु की उपयुक्त नकल कर छोटे आकार में बनाई गई वस्तु से लिया जाता है । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वह वास्तविक पदार्थ की पूर्ण नकल (Imitation) ही हो अपितु आकार, स्थान, समय, कीमत आदि का ध्यान रखते हुए कक्षा में प्रयोग करने के लिए वास्तविक ज्ञान करा सके । उदाहरण के लिए ताजमहल, वायुयान या रेल का इंजन कक्षा में नहीं जाया जा सकता उनके छोटे मॉडल (Model) द्‌वारा उनकी बनावट आदि दिखाई जा सकती हैं ।

अत: मॉडल वास्तविक पदार्थो के लघुरूप होते हैं । अर्थात् वस्तु का स्पष्ट स्वरूप छोटा या उसी आकृति में बना देना मॉडल या अनुकृति कहलाता है । इसका प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब वास्तविक पदार्थ बड़े हो और उपलब्ध न किए जा सकते हों तथा उनके चित्रों से स्पष्टता न झलकती हो । उदाहरणार्थ, किसी डेम के बारे में बताना है, तो उसका मॉडल दिखाकर शिक्षण प्रभावशाली बनाया जा सकता है, क्योंकि पूरे डैम को कक्षा में नहीं लाया जा सकता और चार्ट पर इसका चित्र स्पष्ट नहीं बन सकता । अत: इसका मॉडल दिखाना उचित रहता है । इसी प्रकार जहाज का मॉडल जंगली जानवरों के मॉडल, पहाड़ों के मॉडलों का प्रयोग किया जा सकता है । ये मॉडल भी तब ही उपयोगी हो सकते हैं जब ये स्पष्ट, सुन्दर तथा वास्तविक पदार्थ का सही प्रतिनिधित्व करते हों ।

उपयोगिता (Utility) - क्योंकि मॉडल वास्तविक वस्तु की नकल होते हैं जिनमें लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई होती है । इसलिए इसी को देखकर वास्तविक रूप का अनुमान लगाया जा सकता है । **W. Schewler** के शब्दों में "Models can be defined as recognizable three dimensional representation of real things. ‘’

विज्ञान सहित विभिन्न विषयों को पढ़ाते समय ऐसे अवसर आते ही रहते हैं जिसमें वस्तुओं तथा उनके सम्बन्धित क्रियाकलापों के प्रदर्शन के लिए मॉडलों का उपयोग काफी प्रभावपूर्ण सिद्ध होता है । ऐसी कुछ परिस्थितियाँ निम्न प्रकार की हो सकती हैं-

1. विभिन्न विषयों में त्रिआयामी पदार्थो के बारे में ज्ञान प्रदान करने के लिए जिन्हें न तो चित्र, चार्ट आदि द्‌विआयामी साधनों द्‌वारा पढ़ाया जा सकता है और न जिनके लिए वास्तविक वस्तु या नमूनों इत्यादि की व्यवस्था की जा सकती है, मॉडलों का उपयोग उपयुक्त ठहराया जा सकता है । आँख की बनावट तथा कार्यप्रणाली का अध्ययन करना है तो इस कार्य मे उसके गोलाकार मॉडल (Three dimensional Model) की सहायता ली जा सकती है ।
2. ऐसी परिस्थितियों में जबकि बड़ी वस्तुओं का छोटे रूप में तथा छोटी वस्तुओं का बड़े रूप में प्रदर्शित कर ज्ञान प्राप्त करने में सुविधा हो मॉडलों का उपयोग काफी प्रभावपूर्ण सिद्ध

होता है । उदाहरण के लिए पृथ्वी के आकार तथा उससे सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके छोटे प्रतिरूप में ग्लोब का प्रयोग करना काफी ठीक रहता है और मक्खी, मच्छर, चींटी, अमीबा अनेक सूक्ष्म जीव-जन्तुओं का अध्ययन करने के लिए इससे बड़े आकार के' मॉडल बनाए जाते हैं ।

3. कार्यकारी मॉडल (Working Model) तथा विभागीय प्रकार के मॉडलों (Sectional or Dissectable Model) शिक्षण कार्य में हमें वस्तुओं तथा उनकी प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए ऐसे मॉडल भी उपलब्ध हो जाते हैं जिनके द्वारा जटिल से जटिल रचना और कार्य प्रणाली का अध्ययन करने में बहुत सहायता मिलती है । इससे वस्तुओं के भागों को अलग-अलग खोलकर तथा फिर जोडकर दिखाया जा सकता है । इस दृष्टि से हृदय, फेफड़े आदि जीवित और कार्यशील भागों की रचना और कार्यप्रणाली को मॉडलों की सहायता से अच्छी तरह समझा जा सकता है तथा किसी एक भाग की कार्य प्रणाली का अलग-अलग ज्ञान कराया जा सकता हैं । एक इंजन के भीतरी संयंत्र तथा कार्यपद्धति को मॉडल की सहायता से अच्छी तरह दिखाया और समझाया जा सकता है । इसी प्रकार दिन रात कैसे बनते हैं, मौसम कैसे बदलते हैं, जलपम्प तथा साईकल पम्प कैसे कार्य करते हैं, कान की आन्तिरिक और बाहय रचना कैसी है, हम कैसे सुनते हैं, इत्यादि बातों को भली भाँति स्पष्ट करने में मॉडल प्रभावकारी भूमिका निभा सकते है ।

(7) बुलेटिन बोर्ड (Bulletin Board) - इन बोर्डो पर विद्वानों के लेख, ग्राफ तथा अन्य आवश्यक सूचनाओं को प्रदर्शित कर छात्रों की जिज्ञासा को उत्पन्न किया जा सकता है तथा उन्हें नागरिक शास्त्र शिक्षण के लिए अभिप्रेरित (Motivate) किया जाता है । बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित की गई सामग्री एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए तथा छात्रों की आयु तथा मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए । इस बोर्ड को उस स्थान पर रखा जाना चाहिए जहाँ सभी छात्र उसे सरलता से देख तथा पढ़ सके । ये बोर्ड सुन्दर तथा आकर्षक होने चाहिए । छात्रों को भी इन पर सामग्री प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना चाहिए ।

बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित सामग्री आकर्षक, उचित, उद्देश्यपूर्ण, समयोचित तथा रोचक होनी चाहिए । इस सामग्री में चित्र, विज्ञापन, कार्टून, ग्राफ, नमो, चार्ट, आकृतियों, समाचार, विशिष्ट पत्र-पत्रिकाओं के लेख तथा बालकों के रचनात्मक कार्य आदि हो सकते हैं प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री का चुनाव अध्यापक अथवा इस उद्देश्य से बनाई गई बालकों की किसी समिति द्वारा बहुत सोच-समझकर किया जाना चाहिए ।

बुलेटिन बोर्ड की उपयोगिता (Uses of Bulletin Board) -

1. बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित सामग्री जहाँ रोचक हो, वहाँ ऐसी भी हो कि छात्र उसें समझ सकें ।
2. जहाँ तक हो सके, उस सामग्री का सम्बन्ध कक्षा में पढ़ाए जा रहे विषय से होना चाहिए।
3. उद्देश्य व समस्याओ के परिवर्तन के साथ-साथ सामग्री भी बदल दी जानी चाहिए । इसका प्रयोग तो अध्ययन की जाने वाले इकाई को उचित दिशा में आगे बढ़ाने के लिए किया जाता ।
4. प्रदर्शन को उद्देश्यपूर्ण व उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक है कि शीर्षकों टिप्पणियों, आवरणों व रंगों आदि का कलात्मक व सन्तुलित प्रयोग किया जाए ।

5. छात्र जब कोई सामग्री तैयार करें या घर से तैयार करके लाएँ तो बुलेटिन बोर्ड पर सजाने का अवसर भी उन्हें दिया जाना चाहिए ।

(8) फलैनल बोर्ड (Flannel Board) - निश्चय ही ऐसे बोर्ड का प्रयोग नागरिक शास्त्र शिक्षण के अध्यापक को पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए । फलैनल बोर्ड बहुत कुछ श्यामपट्ट जैसे ही होते हैं, किन्तु इनमें रंग-गति तथा शीघ्र परिवर्तन के विशिष्ट अवसर मिलते हैं । अत: अधिक रोचक बन जाते हैं और ज्ञान भी ।

फलैनल बोर्ड की उपयोगिता (Utility of Flannel Board) -

1. किसी भी. काल अथवा आन्दोलन से सम्बन्धित रंगीन समय रेखाएँ तैयार करके उन्हें फलैनल बोड पर क्रमानुसार बड़े उपयोगी ढंग से दिखाया जा सकता है ।
2. किसी इकाई या क्षेत्रीय विस्तार के बारे में पढ़ाते समय किसी बड़े नक्शे को भागों में काटकर नये जुड्ने वाले प्रदेशों को क्रमबद्ध रूप में उसमें जोड़कर दिखाया जा सकता है ।
3. समाचार पत्रों अथवा पत्र-पत्रिकाओं से बड़े-बड़े चित्र, फोटो, चार्ट बनाकर या ग्राफ आदि काटकर किसी देश के आर्थिक, सामाजिक या राजनैतिक पक्ष पढ़ाते समय उनका प्रदर्शन फलैनल बोर्ड पर किया जा सकता है ।
4. किसी नगर, प्रान्त या केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित समस्याओं का चार्ट बनाकर उनका प्रदर्शन फलैनल बोर्ड पर इन सरकारों के स्वरूप की व्याख्या के लिए किया जा सकता है।

(9) ग्लोब (Globe) - नागरिक शास्त्र शिक्षण उपकरणों में ग्लोब विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह भूमि का. सर्बाधिक सही प्रतिनिधित्व करता है । चूंकि पृथ्वी गोल है और ग्लोब भी गोल है अत: पृथ्वी के विभिन्न भाग, सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहण, पृथ्वी और सूर्य का सम्बन्ध, पृथ्यी का क्षेत्रफल, चन्द्र कलाएँ, दिन राज तथा पृथ्वी पर वायुमण्डल का प्रभाव आदि की विस्तृत जानकारी दी जा सकती है ।

एक अच्छा ग्लोब इस प्रकार भूमंडल की आकृति, रचना और परिस्थितियों की वास्तविकता को सही अर्थो में प्रकट -करने वाले सर्वोत्तम मानचित्र का प्रतिनिधित्व करता है । यह अपनी विशेष आकृति तथा रचना की दृष्टि से कुछ आवश्यक तथ्यों पर ध्यान बनाए रखने में सफल भूमिका निभाता है । जैसे-

1. पृथ्वी की आकृति चपटी नहीं बल्कि नारंगी की भाँति गोल है ।
2. पृथ्वी स्थिर नहीं अपितु, अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है । परिणामस्वरूप पृथ्वी की दैनिक तथा वार्षिक दो गतियाँ होती है । जिनके कारण दिन-रात बनते हैं तथा मौसम में परिवर्तन होता है ।
3. पृथ्वी पर भूमि कम और जल अधिक है । तथा पृथ्वी का धरातल समतल नहीं अपितु काफी ऊँचा-नीचा है ।
4. महाद्वीप, द्विप देश प्रदेश नगर आदि की सीमा, उनके तुलनात्मक आकार तथा पारस्परिक दूरी, आवागमन के मार्ग, अक्षांश तथा देशान्तर रेखाओं के सन्दर्भ में किसी देश-प्रदेश की स्थिति, किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले स्थानीय समय, देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समय आदि की सही जानकारी और ज्ञान सरलता से दिया जा सकता है ।

(10) ग्राफ (Graph) - ग्राफ संख्यात्मक आकड़ों को प्रस्तुत करने का एक प्रभावशाली साधन 'है । इसके द्वारा सम्बन्धों एवं विकास के प्रदर्शन के साथ-साथ तुलनात्मक अध्ययन को

प्रस्तुत किया जा सकता है । नागरिक शास्त्र शिक्षण में इसके प्रयोग बहुत उपयोगी है । इस विषय का शिक्षक इसका प्रयोग विभिन्न तथ्यों को स्पष्ट करने तथा उसके तुलनात्मक अध्ययन के लिए कर सकता है । परन्तु ग्राफ का प्रयोग तभी करना चाहिए जब किसी अन्य उपकरण से किसी बात को स्पष्ट न किया जा सके ।" इसका कारण यह है कि ग्राफ बनाने में काफी समय और सावधानी की आवश्यकता होती है । फिर भी शिक्षक को कुछ ग्राफ स्वयं बनाने के बजाय छात्रों से बनवाने चाहिए जिससे उनको रेखाचित्र बनाने की कुशलता का विकास हो सके ।
भली प्रकार तैयार किए गए ग्राफ सरल, सम्बद्ध, आकर्षक तथा सुन्दर होते हैं । ग्राफ की मुख्य किस्में हैं 1 चित्र ग्राफ 2. लम्बे (बार) ग्राफ 3. वृत ग्राफ तथा 4. लाइन ग्राफ । चित्र ग्राफ बनाने में आसान होते हैं । किसी अंश का पूर्ण से सम्बन्ध दिखाने के लिए वृत ग्राफ उपयोगी समझे जाते हैं ।

5. अध्यापन यन्त्र
(Teaching Machine)

नागरिक शास्त्र शिक्षण में शिक्षक शिक्षार्थी एवं शिक्षा प्रक्रिया अध्यापन के प्रमुख अंग है। अध्यापन यन्त्र एक यान्त्रिक या विद्युत युक्ति है । यह यन्त्र एक समय में प्रोग्राम का छोटा हिस्सा प्रस्तुत करता है । इस यन्त्र का संचालन एक छात्र करता है । एक बार जो सामग्री उसे प्रस्तुत की जाती है, उसे वह पढ़ता है, उसे उत्तर स्वयं देना होता है । तुरन्त सही उत्तर उपलब्ध करा कर सशक्तिकरण किया जाता है ।

जेने सी. फसको कहते हैं "अध्यापन यन्त्र विषय को पूर्ब निश्चित क्रम से प्रस्तुत करते हैं । छात्र को जवाब देने का अवसर देते है और उसे तुरंत प्रति पुष्टि देते हैं ।

"Teaching machines present items in an essentially pre-determined sequence, permit the student to resond, and give him immediately feed back."

-Gene C. Fusco

एडवर्ड बी. फ्राई के शब्दों में "अध्यापन यन्त्र ऐसी स्वचालित या कुछ अंशों में स्वचालित युक्तियाँ होती हैं जो प्रश्न या एक उद्दीपन से दूसरा उद्दीपन प्रस्तुत करते हैं, जबाव देने का साधन उपलब्ध कराते हैं और जबाव मिलने के तुरन्त बाद उसके सही होने की जानकारी देते हैं ।"

"Teaching machines are defined as automatic, partially automatic devices which present a question or other stimulus provide a means of response, and then inform him of the correctness of his response immediately after he had responded.''

– Edward B. fry

नागरिक शास्त्र शिक्षण में अध्यापन यंत्रों की मूलभूत उपयोगिताएं निम्नलिखित हैं-

1. ये युक्तियों अध्यापक की सहायता के बिना छात्रों को पढ़ाती हैं ।
2. उन्हें छात्रों की सक्रियता की आवश्यकता होती है ।
3. छात्र अपनी रफ्तार से चलते है । प्रत्येक छात्र को अभिक्रमित सामग्री में दिए हुए ही प्रश्न या प्रश्नों के जबाव देने पड़ते हैं ।

4. अध्यापक यन्त्र का संचालन हाथ से या बिजली से करवाया जाता है ।
5. जब छात्र जबाव देता है, अध्यापन यन्त्र उसे सही जवाब देता है जिससे वह आगे बढ़ सकता ।
6. कुछ अध्यापन यन्त्रों में समूह शिक्षा के लिए परदे पर रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए सुविधा उपलब्ध होती है ।
7. कुछ अध्यापन यन्त्र बहु चयन पद्धति के प्रश्नों के जबाव की माँग करते हैं ।
8. अध्यापन यन्त्रों का अभिप्राय: व्यक्तियों के लिए होता है ।

(1) प्रोजेक्टर (Projector) - प्रोजेक्टर अर्थात मैजिक लैनटर्न (Magic Lantern) प्रोजेकटिव उपकरणों में सबसे पुराना आविष्कार माना जाता है । इसे डॉयस्कोप तथा स्लाइड प्रोजक्टर भी कहते हैं । प्रोजेक्टर स्लाइड की आकृति को बड़ा बनाकर दिखाने में सहायता करता । इसमें स्लाइड को उल्टा रखा जाता है उस पर प्रकाश की तीव्र किरणें डालकर उन्हें एक लेन्स (शीशे) के माध्यम से पर्दे पर बड़ा करके दिखाया जाता है । इस प्रकार अध्यापक नागरिक शास्त्र शिक्षण को अधिक रोचक बनाने में सक्षम हो जाता है ।

प्रोजेक्टर की उपयोगिता (Utility of Projector) -

1. छात्रों को स्लाइड दिखाने से पूर्व यदि अध्यापक उसकी जानकारी दे देता है तो विषय का प्रभाव अधिक मनोवैज्ञानिक ढंग से छात्रों पर पड़ता है ।
2. स्लाइड दिखाते हुए अध्यापक को टिप्पणी देते रहना चाहिए । सामान्य चर्चा करते हरना चाहिए ताकि छात्रों की शंकाएँ उसी समय दूर हो जाएँ ।
3. यह सुविधाजनक उपकरण है अत: इसका प्रयोग कहीं भी कक्षा में किया जा सकता है ।

(2) चित्र विस्तार (Epidiascope) - यह उपकरण जैसा कि नाम से स्पष्ट है दो उपकरणों के मेल से बना है । एपीस्कोप (Episcope) एवं एपिडॉस्कोप (Epidiascope) अर्थात् मैजिक लैन्टर्न के मिले जुले रूप का प्रतिनिधित्व करता है । इस प्रकरण के लिए स्लाइडस बनाने की आवश्यकता नहीं होती । किसी भी अपारदर्शी वस्तु को सीधा पर्दे पर लाया जा सकता है । पुस्तक में दिया गया चित्र खींचना कठिन होता है । श्यामपट्ट पर बनाने में समय लगता है । इसके अतिरिक्त श्यामपट्ट पर आकृति ठीक नही बनती । अत: नागरिक शास्त्र शिक्षण करने वाला अध्यापक ऐसी आकृतियों को एपिडॉयस्कोप द्वारा उसका प्रतिबिम्ब छात्रों के सामने पर्दे पर दिखा सकता है ।

छात्रों के लिए इसकी उपयोगिता का विशेष महत्त्व है । कक्षा में यदि किसी छात्र द्वारा बनाया गया चित्र या उसका सुलेख सुन्दर है तो इस उपकरण द्वारा उस चित्र, सुलेख की आकृति पर्दे पर दिखाकर अन्य छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है ।

(3) फिल्मस्ट्रिप्स (Film Strips) - फिल्मस्ट्रिप्स अर्थात् पट्टियों से है जिन पर एक निश्चित क्रम (Sequence) अथवा लडी के रूप में अनेक फोटोग्राफ बने होते हैं । इस आधार पर अलग-अलग स्लाइडो को अविच्छिन (Continuous) लड़ी के रूप में दिखाने से भी फिल्मस्ट्रिप सम्बन्धी प्रयोजन पूरा हो जाता है । एक फिल्मस्ट्रिप पर जितने भी चित्र बने होते हैं । उन्हें प्रोजेक्टर द्वारा क्रमबद्ध रूप से दिखाया जा सकता है । जिससे कि सम्बन्धित प्रक्रिया या घटना या विषय वस्तु की सुनियोजित ढंग से क्रमबद्ध सूचना प्राप्त हो सके । फिल्म स्ट्रिप्स का निर्माण कार्य कठिन नहीं कोई भी अध्यापक थोड़े से प्रशिक्षण (Training) द्वारा छात्रों को सिद्धहस्त बना

सकता है । इसका निर्माण उसी प्रकार हैं जिस प्रकार कैमरे की सहायता से किसी व्यक्ति की फोटोग्राफी तैयार करते हैं ।

6. द्रश्य-श्रव्य
(Audio-Visual)

(1) फिल्मस (चलचित्र) (Films) - चलचित्र भी प्रभावशाली शैक्षणिक साधन माना जाता है । यह भी छात्रों की सभी इन्द्रियों को प्रभावित करता है । चलचित्रों को कक्षा में दिखाने के लिए निम्न सोपानों का अनुसरण करना चाहिए । अध्यापक को उस विषय सूची का पहले से ही पता होना चाहिए । फिल्म छात्रों को दिखाने से पहले अध्यापक उसे स्वयं देख लें ताकि वह अपने शिक्षण के साथ उस फिल्म की विषय वस्तु का तालमेल बैठा सके । फिल्म दिखाने के लिए छात्रों को पहले मानसिक रूप से तैयार करना भी आवश्यक है जिससे फिल्म को छात्र पूरी अभिप्रेरणा से देखे । फिल्म दिखाने से पहले छात्रों को बैठाने, हवा, रोशनी आदि का प्रबन्ध ठीक ढंग से होना चाहिए । प्रोजेक्टर का भी पहले निरीक्षण कर लेना चाहिए विचार विनिमय के लिए भी छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए । अध्यापक व छात्रों को साथ-साथ आवश्यक सामग्री नोट करते रहना चाहिए । अधिक स्पष्टता के लिए फिल्म के किसी अंश कों दोबारा से दिखाना चाहिए । छात्रों पर फिल्म के प्रभाव के मूल्यांकन की व्यवस्था आवश्यक है । छात्रों को इसके लिए खुलकर विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए । फिल्म से प्राप्त जानकारी को क्रियात्मक रूप से प्रयोग करने का अवसर भी दिया जाना चाहिए ।

चूँकि फिल्म छात्रों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिए उपयोगी उपकरण सिद्ध हुई है, इसलिए नागरिक शास्त्र शिक्षण में इसकी उपयोगिता अधिक है । इसके द्वारा विभिन्न देशों के रीति-रिवाजों, परम्पराओं, पोशाकों, रहन-सहन, मेले, त्यौहार, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति आदि की भाँति-भाँति प्रदशित कर सकते है ।

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास इसके माध्यम से अति मनोवैज्ञानिक है । अन्तर्राष्ट्रीय तात्कालिक घटनाओं का भी प्रदर्शन आसानी से किया जा सकता है ।

(2) दूरदर्शन (Doordarshan) - वर्तमान युग में दूरदर्शन सम्प्रेषण संचार क्रिया (Communication) का एक शक्तिशाली माध्यम हो गया है । इसमें श्रवण तथा दृष्टि सम्बन्धी इन्द्रियों का प्रयोग होता है । इसके द्वारा प्रत्येक बात सुनी जा सकती है तथा प्रत्येक घटना देखी जा सकती है । इसमें प्रत्येक - घटना को रिकार्ड करने की व्यवस्था तथा उसे फिर से प्रस्तुत करने की व्यवस्था होती है । भारत में सैटेलाइट्स की सहायता से राष्ट्रीय कार्यक्रम दूरदर्शन पर दिखाए जाने लगे है । ये कार्यक्रम पूरे देश मे दूरदर्शन पर देखे जा सकते हैं । दूसरे देशों के कार्यक्रम भी भारत में देखे जा सकते हैं ।

दूरदर्शन को चलाना बहुत सरल है । इसमें किसी प्रकार के विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती । इसे चलाने तथा बन्द करने के लिए बटनों पर ही निर्देश अंकित होते है 1 अध्यापक को दूरदर्शन को शिक्षण में प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित सोपानों का अनुकरण करना चाहिए।

(i) **तैयारी (Preparation)** - नागरिक शास्त्र शिक्षण के अध्यापक को स्वयं को इसके लिए तैयार कर लेना चाहिए । उसे सभी दूरदर्शन केन्द्रों से आवश्यक सामग्री प्राप्त करके सभी शैक्षिक कार्यक्रमों से अवगत हो जाना चाहिए । अध्यापक अपनी तैयारी के बाद छात्रों को दूरदर्शन के कार्यक्रमों के बारे में बताए । उन्हें मनोवैज्ञानिक ढंग से तथा मानसिक रूप से तैयार करें ।

दूरदर्शन सैट का जायजा लेकर ही उसे कक्षा के सम्मुख लाया जाए । छात्रों के बैठने का उचित प्रबन्ध को । दूरदर्शन का स्थान और छात्रों के बैठने के स्थान को निर्धारित कर देना चाहिए ।

(ii) **प्रस्तुतीकरण (Presentation)** - कक्षा को दिखाने से पहले अध्यापक स्वयं दूरदर्शन को म् चलाकर देख लें प्रसारण के समय कक्षा में पूर्ण अनुशासन होना चाहिए । छात्र कापी पर आवश्यक नोटस लिखते रहें । प्रसारण समाप्त होने के बाद छात्रों को अपने नोट्स पूरे करने को कहा जाए ।

(iii) **अनुवर्ती कार्य (Follow-up)** - प्रसारण विषय पर विचार विमर्श होना चाहिए । छात्र अपनी शंकाओं का निवारण करें । प्रसारण से अर्जित ज्ञान को क्रियात्मक रूप देने के लिए छात्रों को अवसर दिया जाना चाहिए । प्रसारित विषय की जानकारी के मूल्यांकन का प्रबन्ध भी होना चाहिए ।

दूरदर्शन द्वारा अध्यापक का अपना विकास भी सम्भव है । दूरदर्शन छात्रों के सम्मुख श्रेष्ठता के नमूने (Models of Excellence) प्रस्तुत करता है । उच्च कोटि के कलाकारो, शिक्षकें आदि को दूरदर्शन. पर दिखाया जा सकता है । दूरदर्शन द्वारा कक्षा में बैठे-बैठे संसार की वास्तविकताओं से परिचित करवाया जा सकता है । दूरदर्शन अच्छे अध्यापकों और अन्य साधनों कई कमी दूर करता है । इसकी सहायता से स्कूल को समुदाय कल्याण केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकता है । टेलिविजन द्वारा शिक्षा सस्ती, उच्च कोटि की हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के उच्चकोटि के शिक्षा शास्त्रियों को पाठ पढ़ाने के लिए बुलाया जा सकता है । किन्तु इसके लिए आवश्यक है कि पाठशाला की समय सारणी, टेलिविजन के प्रोग्राम के अनुरूप बनाई जाए ।

(3) वीडियों टेप (Video Tape or Audio-Video Cassets) - आजकल दूरदर्शन के विस्तार " के कारण विडियों का प्रचलन भी शिक्षा एवं मनोरंजन के क्षेत्र में बढ़ रहा है । इसी का दूसरा नाम द्रश्य-श्रव्य कैसेट (Audio-Video Cassets) है । शिक्षा के क्षेत्र में यह तकनीक (Technology) एक आन्दोलन के रूप में उभरकर आई जो नए आयामों नयी खोज की प्रतीक है।

अब छात्र घर पर ही द्रश्य-श्रव्य कैसटों के आधार पर शिक्षण ग्रहण कर सकता है । इसमें किसी घटना, भाषण, या पाठ को बार-बार रोक-रोक कर चलाया जा सकता है । अध्यापक को दोहराना बुरा लग सकता है इसे नहीं ।

इसके उपकरणों मे वीडियों एवं टी. वी. का होना आवश्यक है । शिक्षण के विभिन्न विषयों पर वीडियों कैसेट अर्थात् फिल्मों के वीडियों टेप उपलब्ध हैं जो कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT), केन्द्रीय औद्योगिक शिक्षण संस्थान (Central institute of Educational Technology) एवं इन्दिरा गाँधी खुले विश्वविद्यालय (IGNOU) ने सभी पाठ्यक्रमों पर कैसेट तैयार कर लिए हैं जो कि अपने अध्ययन केन्द्र (Study Centre) में प्रयोग होते हैं ।

नागरिक शास्त्र शिक्षण में इसकी शैक्षिक उपयोगिता - शैक्षिक क्षितिज में विडियो टेक्नोलोजी का आविष्कार एक, नया आयाम है । शिक्षा मंत्रालय ने कुछ विषय /क्षेत्र में ई.टी. एण्ड टी. (E.T. & T.) द्वारा विकसित करवाये हैं । इन्हें वीडियों एवं टी. वी. द्वारा देखा जा

सकता है । हम अपनी आवश्यकता अनुसार वीडियों कैमरे की सहायता से दृश्यों की शूटिंग कर सकते है और वीडियों एवं टी. वी. की सहायता से विद्यार्थी के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते है । इसमे सजीवता व वास्तविकता का समावेश हो जाता है और छात्रों के समक्ष विषय वस्तु को बड़े ही प्रभावशाली रूप में लाया जा सकता है । जो निम्न है-

1. वीडियों द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसमें देखने और सुनने की दोनों ज्ञानेन्द्रियाँ सक्रिय रहती है ।
2. वीडियों टेप ओद्यौगिक तथ्यों तथा उनके प्रभावों एवं ऐतिहासिक घटनाओं और वैज्ञानिक अनुसंधानों का साक्षात्कार कराने में बहुत ही सहायक है ।
3. अच्छे वीडियों टेप द्वारा बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है ।
4. इनके द्वारा मन्द एवं तीव्र बुद्धि के सभी बालकों को जहाँ एक ओर मनोरंजन होता है वहाँ दूसरी ओर वे सभी तरह की शिक्षा भी ग्रहण करते हैं ।
5. वीडियों टेप की सहायता से बालकों को विभिन्न देशों की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ तथा मानव का ज्ञान आसानी से. दिया जा सकता है ।

10.2.7 नागरिक शास्त्र शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण एवं शिक्षक की भूमिका (Role of teacher to prepare teaching aid in civics teaching)

1. **कठपुतली (Puppet)** - शैक्षिक सहायक सामग्री के कठपुतली प्रदर्शन कार्यक्रम का अब प्रसार हो रहा है । वस्तुतः यह शिक्षण में एक प्रभावकारी माध्यम हैं जो नागरिक शास्त्र शिक्षण की आधिकांश विषय-वस्तु का अध्यापन नाटकीय करण की विधि से बड़े प्रभावकारी ढंग से किया जाता है । तकनीकी दृष्टि से यह कठिन नहीं है.। एक बार प्रशिक्षण प्राप्त कर इसका शिक्षण में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है । राजस्थान में इसका प्रशिक्षण भारतीय लोक कला मण्डल, उदयपुर के तत्वावधान में संचालित गोविन्द शैक्षिक कठपुतली प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा दिया जाता है ।

कठपुतली के प्रदर्शन में विषय-वस्तु से सम्बन्धित परिसंवाद बनाना कुछ कठिन अवश्य है किन्तु अध्यापकगण आपस में सहयोग से इनकी रचना कर सकते हैं । आजकल दूरदर्शन पर कठपुतली के माध्यम से विद्यालीय कार्यक्रमों का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है जो बहुत ही प्रभावपूर्ण, सौन्दर्यात्मक एवं ओजपूर्ण होते हैं । नागरिक शास्त्र शिक्षण में अनेक प्रकरण ऐसे हैं जिन्हें कठपुतली प्रदर्शन के माध्यम से सहज ही प्रदर्शित किया जा सकता है । इससे छात्रों पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है और उनमें नागरिक शास्त्र शिक्षण से सम्बन्धित उद्देश्यों की पूर्ति' सरलता से की जा सकती है ।

2. **चित्र** - चित्र का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता है । अर्थात् जब वास्तविक पदार्थ व मॉडल उपलब्ध न हों । चित्रों से सभी प्रकार का ज्ञान नहीं दिया जा सकता लेकिन फिर भी शिक्षण में इनका प्रयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । चित्र स्पष्ट तथा सुंदर होने चाहियें । ये आकार में इतने छोटे भी न हो कि कक्षा में बैठे छात्रों को दिखाई भी न दें । छोटे बच्चों की कक्षा में रंगीन चित्र बच्चों को अधिक आकर्षित करते हैं ।

चित्र बनाने की विधि - चित्र बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है । चित्रों के माध्यम से चित्रकार अपने भावों को अभिव्यक्त करता है । चित्र विभिन्न तरीकों से तैयार किए

जा सकते हैं । कई चित्रकार जो काफी अभ्यस्त होते हैं, फीहैंड ड्राइंग तथा पेंटिंग से चित्र बना लेते हैं । ऐसे चित्रकार कागज पर हल्की पैंसिल से रेखाएँ खींच लेते हैं फिर उनमें रंग भरते हैं । अच्छे चित्रों व दृश्यों को ट्रेसिंग द्वारा ट्रेस करके भी चित्र बनाए जा सकते हैं । एपीडायस्कोप द्वारा पाठ्य पुस्तक के छोटे चित्र, महापुरूषों के चित्र तथा मुखाकृति को बड़े रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है । किसी कलैन्डर, मैगजीन आदि में से चित्रों को काटकर अलग पेपर पर चिपका कर भी चित्र तैयार किए जा सकते हैं ।

चित्र प्रयोग में सावधानियाँ-

- चित्र विषयानुकूल होने चाहिए ।
- जब प्रसंग आए तभी चित्र दिखाने चाहिए तथा दिखाने के बाद उन्हें उतार लेना चाहिए तो बालकों का ध्यान उधर ही लगा रहेगा ।
- एक चित्र को बार-बार प्रयोग में नहीं लाना चाहिए इससे बच्चों की रूचि समाप्त हो जाएगी ।
- चित्र छात्रों की आवश्यकता पूरी करने में सहायक हों जो चित्र छात्र देख चुकें हो उन्हें या जानते हों उन्हें नहीं दिखाना चाहिए ।

3. **चित्र एलबम** - विभिन्न स्थानों के चित्र कैमरे से खींचकर उनको बड़ा (एनलार्ज) करके भी एलबम में चिपकाये अथवा अलग-अलग लिफाफों में रखें और उस पर नाम लिख दें तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग में लाएं ।

कैलेंडर, पत्र-पत्रिकायें, अखबार आदि से चित्रों को काटकर पीछे पतला गत्ता चिपका दें । यह भी समय-समय पर फ्लैनल बोर्ड या सामान्य बोर्ड पर लगाकर दिखाये जा सकते हैं । एलबम बनाने में यह ध्यान रखें कि एक पृष्ठ पर एक ही विषय के तथ्य प्रस्तुत करें । जैसे 'भारत के दर्शनीय ऐतिहासिक स्थल' ।

भारत के पशु, पक्षी आदि । इन्हें शीर्षक दें व उल्लेख के लिये कम से कम व सार्थक शब्दों द्वारा चित्र का परिचय लिख दे ।

4. **मॉडल या प्रतिमान** - किसी वस्तु के मॉडल से तात्पर्य उस वस्तु की उपयुक्त एवं सुविधा प्रजनक दृष्टि से उसकी नकल की बनावट वाली प्रतिरूप से है । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वह वास्तविक पदार्थ के पूर्ण नकल ही हो अपितु आकार, स्थान, समय. कीमत आदि का ध्यान रखते हुए कक्षा में प्रयोग करने के लिए वास्तविकता का ज्ञान करा सके उदाहरण के लिए,- ताजमहल, वायुयान या रेल का इंजन कक्षा में नहीं लाया जा सकता उनके मॉडल द्वारा उनकी बनावट आदि दिखाये जा सकते हैं ।

विभिन्न सामग्रियों से मॉडल निर्माण -

- **मिट्टी के मॉडल बनाना** :- मिट्टी की सहायता से विभिन्न प्रकार के मॉडलों का आसानी से निर्माण किया जा सकता है । इस कार्य के लिए अधिकतर बालू रहित चिकनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है जो नदी, तालाब, पोखर, खान व खेत आदि में से खोदकर निकाली जा सकती है । इस प्रकार की सूखी मिट्टी को मोगरी अथवा हथौड़ी से तोड़कर अच्छी तरह महीन कर लिया जाता है । फिर इसे किसी बर्तन में डालकर आवश्यकतानुसार पानी में भिगों दिया जाता है । 2-4 घंटों में जब मिट्टी मुलायम हो जाती है तब इस आटे की तरह गूँथ लिया जाता है जिससे वह मुलायम और लेसदार बनकर मिट्टी बनाने लायक बन जाए । इस मिट्टी को खुले में नहीं छोड़ा जाता बल्कि

अच्छी तरह से गीला करके किसी मोटे कपड़े में लपेटकर या बंद पीपों में भरकर रखा जाता है । ताकि इसमें दरारें न पड़े और यह पर्याप्त रूप से मुलायम रहें ।

- **कुट्टी या पेपर मेशी के मॉडल :** कुट्टी फ्रेंच भाषा में पेपर मेशी कहा जाता है, कागज को गलाकर तैयार की जाती है । जब कागज अच्छी तरह गल जाए तो मूसल से कूटकर अथवा सिलबट्टे से पीसकर लोचयुक्त लुगदी बना ली जाती है । जिस पानी में कागज गलाया जाता है उसे हर तीन दिन के बाद बदलते रहना चाहिये और इस तरह लगभग 10-20 दिन में कागज गल जाता है । जल्दी गलाने के लिए पानी को गर्म कर लेना चाहिए और इस तरह फिर 4-5 घण्टे में ही कागज गल जाता है । बढ़िया मेशी तैयार करने के लिए कागज की लुगदी में बढ़िया गोंद व सरेस और चावलों की लेही मिला दी जाती है ताकि यह पर्याप्त रूप से लसेदार और चिकनी बन जाये । इस तरह से तैयार पेपरमेशी को अब मनचाहे मॉडल बनाने के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है ।

- **प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां :** किसी भी मूर्ति की अनुकृति बनाने के लिए सादी गीली मिट्टी को अच्छी तरह चिकना (आटे की तरह) माड लें फिर इसे मूर्ति के चारों ओर लगाकर बाहर से सपाट स्वरूप दें । मूर्ति पर तेल जैसी चिकनी सामग्री लगायें । इससे मूर्ति का साँचा तैयार हो जाएगा । मूर्ति की इस आकृति को सँभाल कर बीले में ही निकाल कर रख लें, नीचे सपाट होने पर यह रखा जा सकेगा । अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का घोल जल्दी से तैयार करें अथवा यह जम जायेगा । घोल को मिट्टी के साँचे में डाल दें । कुछ देर जमने दें । यह प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी मूर्ति की अनुकृति होगी । इसे सूखे कपड़े से साफ करें, खुरदरे भाग को रेगमाल से हल्के हाथों से रगड़कर छुटा लें तथा रंग कर लें ।

5. **पोस्टर -** पोस्टर यूं तो एक प्रकार से वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों या घटनाओं के चित्र ही होते हैं परन्तु उनमें ये चित्रात्मक अभिव्यक्ति चित्रों की तरह बिल्कुल स्पष्ट और प्रत्यक्ष ढंग से नहीं होती बल्कि एक खास अंदाज में अप्रत्यक्ष तथा संकेतात्मक रूप में की जाती है । जबकि सामान्य चित्र विषय-वस्तु के बारे में ढेर सारा विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं । पोस्टर द्वारा किसी एक विचार को ही केन्द्र बिन्दु बनाकर इतनी सशक्त संवेगात्मक अपील की जाती है जो भी विशेष संदेश या खास बात वर्शकों को प्रेशित करनी होती है वह उनके दिल और दिमाग पर पूरी तरह छा जाती है ।

6. **चार्ट -** चार्ट एक द्रश्य साधन है जिसके द्वारा विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से परिलक्षित किया जा सकता है । चार्ट के प्रयोग से सीखने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है । बालकों की पाठ्यवस्तु में रूचि बढ़ जाती है, वे अधिक सक्रिय बन जाते हैं । चार्टों का प्रयोग सभी विषयों के शिक्षण में बड़ी सुगमता तथा प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है । ये चार्ट भी बने बनाए ही बाजार में उपलब्ध होते हैं ।

चार्ट बनाने की विधि - चार्ट कम से कम 21/ 2 x 3 फीट आकार का होना चाहिये । इन पर आकृति स्पष्ट और लेख एक ही आर से स्पष्ट तथा बड़े अक्षरों में लिखे प्रयुक्त होने चाहिए । चार्ट को कक्षा की अंतिम पंक्ति का छात्र भी पढ़ सके । अंतिम का कागज मजबूत व स्पष्ट तना हु आ सिलवट रहित होना चाहिए । इस पर भी आकृति को बनाकर रंग भरकर प्रस्तुत करना चाहिए । सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग से बना हआ चार्ट दो-आयाम चार्ट है तथा रंगों का उभारात्मक प्रयोग तीन-आयामी चार्ट होगा ।

इनमें किसी (वस्तु के) विकास की अवस्था, संख्कीय प्रस्तुतीकरण, प्रतिशत. प्रवाह आदि भी दिखाया जा सकता है । इसके उपयोग पर छात्रों को बोध व रूचि प्रदान करने संबंधी ध्यान दें ।

7. **ग्लोब -** ग्लोब द्वारा विश्व के संबंध में सबसे अधिक जानकारी प्राप्त होती है । जिसे मानचित्र द्वारा स्पष्ट नही किया जा सकता वह तथ्य ग्लोब द्वारा स्पष्ट किए जा सकते हैं, जैसे पृथ्यी गोल 'है, पृथ्वी के विभिन्न भाग सूर्यग्रहण, चन्द्र ग्रहण, पृथ्यी और सूर्य का संबंध, पृथ्वी का क्षेत्रफल, चन्द्र कलायें, दिन-रात तथा विभिन्न देशों राज्यों के मध्य होकर गुजरने वाली कर्क रेखा इत्यादि ।

ग्लोब बनाने की विधि - कागज की लुगदी व घास के ग्लोब बनाये जा सकते हैं । फिर उन पर अखबारी कागज को कई परते चढा लेनी चाहिए । उसे सुखाकर रंग भरकर नक्शा खींचकर ग्लोब आसानी से तैयार किया जा सका है । राजनैतिक व भूगौलिक व भौतिक राजनैतिक ग्लोब दो प्रकार के होते हैं । इनका विभिन्न कक्षाओं में उचित प्रयोग करके अध्यापक बच्चों को सही ज्ञान दे सकता है ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. पाठ्यवस्तु का अर्थ स्पष्ट कीजिए ।
   Explain the meaning of Conent.
2. नागरिक शास्त्र विषय की पाठ्यवस्तु के तीन उदाहरण लिखिये ।
   Write three example of Civics content.
3. नागरिक शास्त्र शिक्षण में पाठ्यवस्तु के महत्व से आप क्या समझते हैं?
   What do you mean by the important of content in Civics teaching.
4. शिक्षण सहायक सामग्री की अवधारणा का वर्णन कीजिए ।
   Mention about the concept of teaching aid.
5. नागरिक शास्त्र शिक्षण में सहायक सामग्री की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए ।
   Explain the need of teaching aid in Civics teaching.
6. शिक्षण सहायक सामग्री के विकास के बारें में आप क्या जानते हैं?
   What do you know about the development of teaching aid.
7. शिक्षण सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार क्या हैं?
   What are the main types of teaching aid
8. विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग में नागरिक शास्त्र शिक्षक की स्पष्ट कीजिए।
9. Explain the role civics teacher in using different types of teaching aid.

10.3 शिक्षण सहायक सामग्री का मूल्यांकन (Evaluation of teaching aid)

शिक्षण जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है । व्यक्ति जाने-अनजाने में अनेक तथ्यो को सीखता है और उनका अपने जीवन में प्रयोग करता है । जीवन भर चलने वांछित लक्ष्यों को पूरा कर 'रही है अथवा नहीं, इसकी जानकारी हमें मूल्यांकन द्वारा होती है । शिक्षा की प्रक्रिया में तीन पद निहित होते है

1. शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण, 2. शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनुदेशनात्मक ब्यूह रचनायें और 3. वांछित उद्देश्य की प्राप्ति की सम्भावना ज्ञात करने के लिए मापन और मूल्यांकन करना हूँ । सहायक सामग्री में मूल्यांकन में अनेक क्षेत्र निहित हैं । विद्यार्थी की शैक्षिक निष्पत्ति के साथ ही साथ शिक्षण उद्देश्य, अधिगम उद्देश्य, शिक्षण विधि, प्रविधि, शिक्षण ब्यूह रचनाओं, अन्तःक्रिया प्रणाली, सहायक सामग्रियों, मूल्यांकन उपकरणों आदि सभी क्षेत्रों का भी मूल्यांकन किया जाता है ।

मूल्यांकन की परिभाषा (Definition of Evaluation) - मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है । शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रमुख कार्य शिक्षा को उद्देश्य केन्द्रित बनाना है । ग्रीन व अन्य का कहना है 'शिक्षा में मूल्यांकन अभी नवीन धारणा है । इसका प्रयोग विद्यालय कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री, शिक्षक एवं बालकों की जाँच के लिए किया जाता है । ' इसके द्वारा शिक्षण के उद्देश्य, सीखने, अधिगम अनुभवों तथा परीक्षणों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया जाता है ।

शिक्षा आयोग (1964-66) - ने अपने प्रतिवेदन में मूल्यांकन की अवधारणा को इन शब्दों में परिभाषित किया है 'मूल्यांकन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, जो शिक्षा-प्रणाली का एक अभिन्न अंग है । इससे छात्र की अध्ययन आदतों तथा शिक्षक की शिक्षण पद्धति पर प्रभाव पड़ता है । मूल्यांकन की प्रविधियाँ वांछित दिशाओं में विद्यार्थी के विकास के सम्बन्ध में प्रमाण संग्रहित करने के साधन हैं । '

बैस्ले (Wesley) - 'मूल्यांकन एक समावेशित धारणा है, जो वांछित परिणामों के गुण, महत्त्व तथा प्रभाव का निर्णय करने के लिए समस्त प्रकार के प्रयासों एवं साधनों की ओर संकेत करता है । यह वस्तुगत प्रमाण तथा आत्मगत निरीक्षणों का मिश्रण है! यह सम्पूर्ण एवं अन्तिम अनुमान है । यह नीतियों के रूप-परिवर्तनों एवं आगामी कार्य के लिए महत्त्वपूर्ण एवं अनिवार्य पथ-प्रदर्शक है | '

मूल्यांकन की विशेषतायें (Characteristics of Evaluation)

1. मूल्यांकन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है ।
2. यह शैक्षिक, शिक्षण एवं अधिगम उद्देश्य से सम्बन्धित है ।
3. शिक्षण प्रक्रिया को निर्धारित करती है ।
4. मूल्यांकन शैक्षिक उपलब्धियों का मापन है ।
5. यह एक निर्णायात्मक प्रक्रिया है ।
6. इससे अनुदेशनात्मक व्यूह रचना की भी जाँच की जाती है ।

मूल्यांकन के उद्देश्य (Purpose of Evaluation)

1. छात्र के व्यवहार सम्बन्धी परिवर्तनों की जाँच करना ।
2. शिक्षण ब्यूह रचना की प्रभावशीलता की जाँच करना ।
3. छात्रों की कमजोरियों का निदान करना ।
4. उपचारात्मक अनुदेशन करना ।
5. सहायक सामग्रियों की उपादेयता का पता .लगाना ।
6. पाठ्यक्रम की कमियों एवं गुणों को जानने में सहायता देना ।
7. शिक्षकों, शिक्षण-पद्धतियों, पाठ्य-पुस्तकों आदि की उपयुक्ता की जाँच करना ।
8. छात्रों का वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण करना ।
9. छात्रों की उपलब्धियों एवं व्यवहार सम्बन्धी भविष्यवाणी करना ।

शिक्षण सामग्री पाठयवस्तु का अभिन्न अंग है । यह तथ्य सच है फिर भी यदि हम सहायक सामग्री का मूल्यांकंन करें तो कुछ बिन्दु विचारणीय बनाये जा सकते है-

– शिक्षण सामग्री का प्रयोग वास्तविक परिस्थिति में ही है । इसे दिखावे के रूप में प्रयुक्त न किया जावे ।
– शिक्षण सामग्री विंषय सामग्री से जुडी हो, कक्षा में विद्यार्थी ऐसा अनुभव करे कि शिक्षक जिस मानचित्र का प्रयोग कर रहा है, वह प्रकरण का महत्वपूर्ण पक्ष है ।
– शिक्षण सामग्री आकार प्रकार में कक्षा वातावरण से तालमेल वाली होनी चाहिये । न तो सामग्री बहु त बडी हो और न ही बहु त छोटी ।
– शिक्षण सामग्री को आकर्षित रूप में ही प्रस्तुत होना चाहिये । ताकि छात्र एकाग्रचित होकर ज्ञान अर्जन कर सके ।
– शिक्षण सामग्री एवं विषयवस्तुत ये दोनों बिन्दु एक सिक्के के दो पहलू है,' दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण है । जितनी प्रभावी पाठ्यवस्तु पढाया जायेगी उतनी 'ही सहायक सामग्री सार्थक बनी रहेगी ।
– सहायक सामग्री को कई बार शिक्षक कक्षा में पढाये जाने से पूर्व देखते नही है, जब इसका प्रयोग करते है तो वह अस्पष्ट दिखायी देती है । अत: कुशल शिक्षक ही इसके उपयोग एवं महत्व को जान सकते है ।
– सहायक सामग्री पाठ्यवस्तु का अंश होनी चाहिए, सम्पूर्ण नही क्योंकि इससे विषय को रोचक बनाते है न कि सम्पूर्ण । पाठ्यवस्तु के संदर्भ में ही इसका महत्व है ।
– सहायक सामग्री का निर्माण करना एवं उसको प्रस्तुत करना दोनों अलग-अलग क्रियायें है । शिक्षक इन दोनों का अभ्यास करके ही प्रयोग करें ।
– हमारे देश में उत्साही शिक्षकों का अभाव है । प्राय: कक्षा में' हम केवल एक पुस्तक से पूरा सत्र समाप्त कर देते है पर यदि आवश्यकतानुसार शिक्षक विषयवस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखकर इसका प्रयोग करें तो बालकों / विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन होगा।
– सहायक सामग्री मात्र युक्ति है साधन है, साध्य नही इस तथ्य से अवगत रहना चाहिये।
– सहायक सामग्री शिक्षक या पाठ्य सामग्री का स्थान नही ले सकती, इस पृष्ठभूमि का ध्यान रखते हु ये ही इसका निर्माण एवं प्रयोग करना चाहिये ।
– कई बार यह देखा गया है कि सहायक सामग्री मनोरंजनात्मक बन जाती है, अत: निर्माण एवं प्रयोग करते समय ऐसे तत्वों को दूर कर देना चाहिये ।

- सहायक सामग्री उद्देश्यनिष्ठ (Objective based) होनी चाहिये ताकि कक्षा में छात्रों की जिज्ञासा शांत होती रहे ।
- सहायक सामग्री से कक्षा में अन्त: क्रिया होनी चाहिये, केवल एक-दो प्रदर्शित करने तक सीमित नही होना चाहिये । सामग्री उद्दीपक के रूप में छात्रों में उत्साह एवं जिज्ञासा पैदा करने वाली होनी चाहिये ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए ।
   Explain the meaning of evaluation.
2. शिक्षण सहायक सामग्री के मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं?
   What do you mean by evaluation of teaching aid?
3. शिक्षण सहायक सामग्री के मूल्यांकन की विभिन्न युक्तियों का उल्लेख कीजिए।
   Mention about various devices for evaluation of teaching aid.

10.4 सारांश (Summary)

कक्षा कक्ष में प्रभावी शिक्षण करने के लिए अध्यापक द्वारा विधियों व प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है । शिक्षक द्वारा प्रयुक्त इन विधियों व प्रविधियों को सफल, आकर्षक, प्रभावी व स्थायी बनाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री की संज्ञा दी गई है । नागरिक शास्त्र शिक्षण के अन्तर्गत सभी प्रकार के महत्त्वपूर्ण अनुभव प्रदान करने व उनकी विचार को स्पष्ट तथा विस्तृत करने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है । शिक्षण सहायक सामग्री के विकास के क्रम में एडगर डेल का नाम अग्रणी है जिन्होंने त्रिकोण शंक के माध्यम से विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के विकास की व्याख्या की है ।

शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार व वर्गीकरण के अन्तर्गत चार प्रमुख आधार हैं- प्रथम मनोवैज्ञानिक आधार, द्वितीय तकनीकी आधार, तृतीय ज्ञानेन्द्रिय आधार, चतुर्थ प्रक्षेपी आधार ।

मनोवैज्ञानिक आधार के अन्तर्गत परम्परागत शिक्षण सहायक सामग्री जैसे श्यामपट्ट, पुस्तक इत्यादि सम्मिलित है । इसी प्रकार द्रश्य-श्रव्य सामग्री के अन्तर्गत प्रोजेक्टर, दूरदर्शन, कम्प्यूटर, विभिन्न प्रकार की वस्तुऐं, मानचित्र इत्यादि सम्मिलित हैं ।

तकनीकी आधार में दो प्रमुख आयाम हैं-प्रथम कठोर उपागम जिसके अन्तर्गत प्रोजेक्टर, फिल्म स्लाईड, फिल्म पट्टियां, मशीन, टेप रिकॉर्डर इत्यादि आते हैं । मृदुल उपागम के अन्तर्गत चित्र, रेखाकृति, चार्ट, ग्राफ, मॉडल, पोस्टर इत्यादि आते हैं ।

ज्ञानेन्द्रिय आधार में तीन प्रमुख साधन माने गए हैं-प्रथम श्रव्य साधन जैसे ग्रामोफोन, टेप, रेडियो आदि । द्वितीय द्रश्य साधन जिसके अन्तर्गत पदार्थ, नमूने, प्रतिमान, ग्राफ, फिल्म,

स्ताईड इत्यादि आते हैं । तृतीय साधन श्रव्य-द्रश्य है जिनमें नाटक, फिल्म, टेलीविजन इत्यादि आते हैं ।

चतुर्थ आधार में दो साधनों को माना गया है-प्रथम प्रक्षेपी साधन जिसमें फिल्म, टेलीविजन, स्ताईड इत्यादि हैं तथा द्वितीय गैर-प्रक्षेपी साधन जिसमें प्रतिमान, वास्तविक पदार्थ, नमूने इत्यादि हैं ।

नागरिक शास्त्र शिक्षण में विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री के निर्माण में शिक्षक द्वारा अपनी भूमिका निभाई जाती है जैसे कठपुतली निर्माण, चित्र बनाना, चित्र एलबम बनाना, मॉडल या प्रतिमान बनाना । इन मॉडलों में मिट्टी के मॉडल, कुट्टी या पेपरमेश के मॉडल, प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित आकृतियाँ, पोस्टर. चार्ट इत्यादि सामग्री का निर्माण ।

शिक्षण सहायक ' सामग्री का निर्माण की सार्थकता तभी है जब सामग्री का मूल्यांकन भी समय-समय पर होता रहे । सामग्री के मूल्यांकन के संबंध में कई आधारों एवं मानदण्डों का सहारा लिया जा सकता है जैसे शिक्षण सामग्री के उपयोग की वास्तविक स्थिति, कक्षा स्तर के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, सुलभ व सस्ती शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण, उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण इत्यादि के मापदण्डों पर शिक्षण सहायक सामग्री का मूल्यांकन किया जाता है

10.5 संदर्भ ग्रंथ (Reference)

1. Dale Adger - Audio-Visual Methods in Teaching, ch-9
2. गुरूशरण दास त्यागी, नागरिक शास्त्र शिक्षण, विनोद पुस्तक मंदिर ।
3. Teaching of Social Study D. D. Mehta, Tondon Publication, Ludhiyana.
4. Ahluwalia S.V.- Audio Visual Hand Book, NCERT Delhi 1967 Ch-10.
5. Horn E.-Methods of Instructions in the Social Studies, Charles Scribner’s Sons, New York.
6. Harolikar, L.B.- The Teaching of Modrern Civics, George G. Harrad & Co. Ltd. Bombay.
7. White F. M. - The Teaching of Modern Civics, Padma Publication Ltd. Bombay.
8. डी. कमला वशिष्ट, डी. यदु शर्मा - नागरिक शास्त्र शिक्षण शिक्षा प्रकाशन, जयपुर ।

इकाई-11

नागरिक शास्त्र अध्यापक की विशेषताएँ, शिक्षण में आने वाली बाधाएँ एवं उनका समाधान

Qualities of a good Civics teacher, problems and solution

इकाई की संरचना (Structure of Unit)

11.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य (Aims and Objectives)

11.1 प्रस्तावना (Introduction)

11.2 नागरिक शास्त्र शिक्षक का महत्व (Importance of Civics Teacher)

11.3 नागरिक शास्त्र शिक्षक के गुणा विशेषताएँ (Characteristics of Civics Teacher)

11.4 नागरिक शास्त्र शिक्षक का सेवाकालीन प्रशिक्षण (In-service Training of Civics Teacher)

11.5 नागरिक शास्त्र शिक्षक की समस्याएं एवं उनका निवारण (Problem of Civics Teacher and their solutions)

11.6 सारांश (Summary)

11.7 संदर्भ ग्रन्थ (Reference)

11.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य (Aims and Objectives)

इस इकाई की सम्प्राप्ति पर आप-

- नागरिक शास्त्र शिक्षण का महत्व बता सकेंगे ।
- नागरिक शास्त्र शिक्षण की विशेषताएं बता सकेंगे ।
- नागरिक शास्त्र शिक्षण की प्रशिक्षण व्यवस्था जान सकेंगे एवं
- नागरिक शास्त्र शिक्षण की प्रमुख समस्याओं एवं उनके निवारण के उपायों को बता सकेंगे।

11.1 प्रस्तावना (Introduction)

वैश्वीकरण एवं प्रतिस्पर्धा के इस युग का आकार लघु हो गया है । अर्थात पूरी दुनिया सिमट गई है । जिसके कारण कोई भी संस्कृति, सभ्यता एक-दूसरे से प्रभावित हुए बिना नहीं रह गई है । प्रत्येक राष्ट्र व समाज की संस्कृति एवं सभ्यता जैसी ऐतिहासिक. सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु सजग, मूल्यवान, कर्तव्यनिष्ठ, राष्ट्रभक्त, शांतिप्रिय. सहिष्णु एवं सदाचारी आदर्श नागरिकों की आवश्यकता की महत्ता निरन्तर बढ़ रही है । मौजूदा समाज की

आवश्यकता केवल भौतिक संसाधनों तक सीमित न होकर समाज हेतु मूल्यवान व आदर्श नागरिकों की हो गई है ।

आदर्श नागरिकों के निर्माण एवं उनमें नागरिक आचार सहिंता के गुणों का विकास करने में संस्कृति एवं समाज व राष्ट्र का सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक परिवेश अपनी भूमिका निभाता है । भावी नागरिकों के निर्माण एवं विकास के क्रम में नागरिक शास्त्र विषय उपयोगी व समर्थ विषय है । इस विषय की प्रासंगिकता बालकों के सर्वागीण विकास एवं आने वाले कल हेतु सुयोग्य नागरिकों के निर्माण तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाले नागरिकों की भूमिका वाले व्यक्तियों के निर्माण में यह विषय तभी सफल हो सकता है जब इस विषय का शिक्षण करने वाले शिक्षक में वे तमाम दक्षताऐं व क्षमताऐं व गुण उनके व्यक्तित्व में समाहित हो जिससे आदर्श, सजग व कर्त्तव्यनिष्ठ नागरिकों के निर्माण के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके ।

11.2 नागरिक शास्त्र शिक्षक का महत्व (Importance of Civics Teacher) -

शिक्षा जगत में शिक्षक का स्थान सदेव सर्वोपरि रहा है । शिक्षक ही निर्माता है, जो अपने ज्ञान, कौशल एवं व्यक्तिगत से राष्ट्र के योग्य भावी नागरिकों का निर्माण करता हे । राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में कोठारी शिक्षा आयोग ने इस तथ्य को इन शब्दों में स्वीकार किया है कि इसमें कोई संदेह नही कि शिक्षा के स्तर और राष्ट्रीय विकास में उसके योगदान को जितनी भी बातें प्रभावित करती है, उनमें शिक्षक के गुण, क्षमता और चरित्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । योग्य शिक्षकों पर ही विद्यालय की प्रतिष्ठा तथा समाज के जीवन पर उसका प्रभाव निर्भर रहता है । आज बाल केन्द्रित शिक्षा के युग में शिक्षक का महत्व और भी बढ़ जाता है । वह शिक्षा प्रक्रिया की धुरी के समान है । एक योग्य शिक्षक अपने विषय को सजीव, रोचक एवं उपयोगी बना देता है । जबकि अयोग्य शिक्षक प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है । अत: प्रत्येक विषय के शिक्षक का योग्य एवं कुशल होना अत्यन्त आवश्यक है ।

अन्य विषयों की अपेक्षा नागरिक शास्त्र विषय की यह विशेषता है कि वह अतीत से सम्बन्धित है और उसका वर्णन विषय मानवीय है, शिक्षक से यह अपेक्षा रहती है कि वह विद्यार्थी के समक्ष इसे सजीव एवं निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करें । नागरिक शास्त्र शिक्षक को भूतकाल के व्यक्तियों एवं घटनाओं की यथार्थ एवं सजीव रूप में व्याख्या करनी होती है । यह कार्य अत्यन्त श्रम साध्य एवं कौशलपूर्ण हूँ जिसकी सफल क्रियान्विति शिक्षक की योग्यता एवं कुशलता पर निर्भर होती है । भूत एवं वर्तमान को जोड़ने के लिये शिक्षक एक कड़ी का कार्य करता है । नागरिक शास्त्र शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य वर्तमान को भूतकाल के प्रकाश में समझाना होता है । श्री घाटे ने इस तथ्य को प्रकट करते हुए लिखा है कि 'वर्तमान को समझने के लिये इसमें अर्न्तनिहित भूतकाल को देखना है, यह एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है । ' भूत तथा वर्तमान को संबद्ध कर वर्तमान को भली-भांति समझने में नागरिक शास्त्र शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है । जिसे वह अपनी योग्यता एवं कुशलता से ही निभा सकता है ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. नागरिक शास्त्र शिक्षक से आप क्या समझते है?

   What do you mean by Civics teacher

2. नागरिक शास्त्र शिक्षक का समाज के लिए क्या महत्व है ?

   What is the importance of Civics teacher for the Society?

3. विद्यार्थियों की जागरूकता बढाने में नागरिक शास्त्र शिक्षक का महत्व स्पष्ट कीजिये ।

   Explain the importance of Civics teacher in increasing awareness of the student.

11.3 नागरिक शास्त्र शिक्षक के गुणा/विशेषताएँ (Characteristics of Civics Teacher)

नागरिक शास्त्र विषय के शिक्षक के गुणों एवं भूमिका के संबंध में शिक्षाविदों व मनीशियों द्वारा अनेक ढंग से व्याख्याऐं की गई हैं । जैसे निर्णायक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, व्यवस्थापक के रूप में, कुशल व सजग दैक्षताधारी शिक्षक के रूप मे शिक्षकों के गुण निश्चित करने का प्रयास किया गया

द कामनवैल्थ टीचर ट्रेनिंग स्टडी (1929) के अनुसार अध्यापक के प्रमुख 25 गुण बताए गए हैं । ए.एस.बर और इमनस ने सफल अध्यापकों की विशिष्टताओं का संकलन कर इसके कई गुणों का वर्णन किया है । अमेरिकी शिक्षा परिषद् द्वारा अध्यापकों के विभिन्न प्रकार के व्यवहार के क्रम में 12 गुणों की व्याख्या की गई है । जिनके अन्तर्गत व्यक्तित्व, ज्ञान और प्रशिक्षण संबंधी गुणों का हवाला प्राप्त होता है । शिक्षा मनीशियों, शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा बताए गए अध्यापक के गुणों को सार रूप में निम्नांकित चार्ट के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है ।

अध्यापक के गुण (Virtue of Teacher)

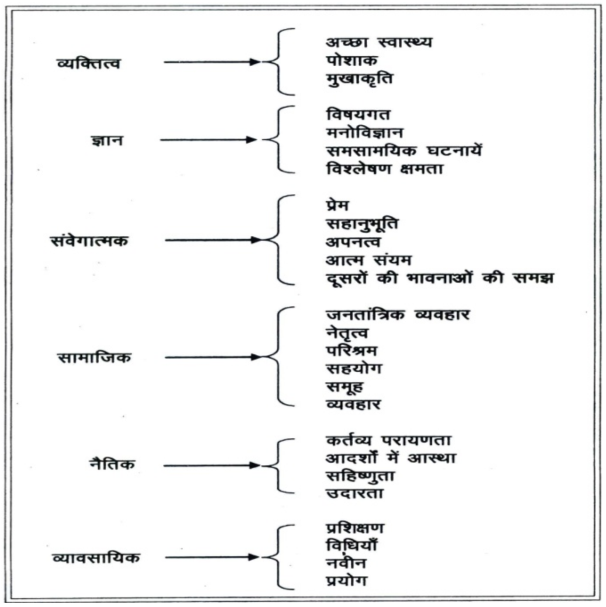

आदर्श अध्यापक के सामान्य गुण
(General Qualities of Teacher)

(1) चरित्र (Character)- शिक्षक के विश्वास, विचार और उसके दैनिक व्यवहार का बच्चे के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है । अत: वह चरित्रवान् होना चाहिए । उसे उन्हीं विचारों को प्रकट करना चाहिए जिनका वह व्यावहारिक जीवन में उपयोग करता है । गांधी जी के शब्दों में -

``Who is the teacher who teaches one thing with the lips and carries another in the heart"

अर्थात् `**वह अध्यापक शत्रु है जो बाणी से तो कुछ कहे एवं हृदय में कुछ और रखे ।**'

(2) व्यक्तित्व (Personality) - एक विद्वान शिक्षा शास्त्री के मतानुसार - "While books can teach, only personality can educate." क्योंकि एक शिक्षक का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली होता है और उसका छात्रों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि छात्र शिक्षक के प्रत्येक कार्य को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं और जीवन में उसका अनुकरण भी करते हैं । अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण में निम्नलिखित बातें होना आवश्यक हैं-(क) निरीक्षण शक्ति और उसकी आकृति. (छ) भाषण पटुता, (ग) चरित्र, (घ) अभिव्यक्ति, (ड) धैर्य, (च) सहानुभूति, (छ) प्रेम, (ज) प्रसन्नता. (झ) शिष्ट व्यवहार, (भ) नैतिकबल ।

उत्तम व्यक्तित्व के लिये शिक्षक में कोई दुर्गुण न हों और उसका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो क्योंकि उपरोक्त बातें शिक्षक के व्यक्तित्व का निर्माण करती एवं निखारती हैं । उसकी बुद्धि तेज हो, वह अध्ययन में रूचि रखता हो ।

(3) प्रशिक्षित (Trained)-मॉर्क पेटीसन (Mark Pettison) के शब्दों में- "The first condition of a good teacher is that he shall be trained as a teacher and not brought to serve other profession."

'शिक्षक के लिये यह प्राथमिक आवश्यकता है कि वह प्रशिक्षित हो और दूसरे धन्धे को नही अपनावे ।" यदि शिक्षक को अन्य कहीं उदरपूर्ति के लिये कार्य नहीं मिला हो और वह विवश होकर यह कार्य कर रहा है तो उसमें अध्यापन के लिये मन में वह उमंग एवं उत्साह नहीं होगा जोकि आवश्यक है । वह प्रथम और अन्तिम मनसा वाचा कर्मणां शिक्षक हो । उसे शिक्षा सिद्धान्तों एवं शिक्षा की प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान होना चाहिये ।

(4) बच्चों में रूचि हो (Keen interest in the children) - शिक्षक को बच्चे के स्वभाव, उसकी कठिनाइयों, उसके व्यवहारों और उसके घर के वातावरण को समझने का प्रयत्न करना चाहिये । इस प्रकार से बच्चा यह अनुभव करे कि. शिक्षक वास्तव में उसका हितैषी है, तभी उसका शिक्षण सफल होगा । उसमें बच्चों के प्रति रूचि होनी चाहिए ।

(5) मनोविज्ञान का ज्ञान (Knowledge of psychology) - मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षक को बच्चों का समझने, उनकी समस्याओं को सुलझाने, उनमें परिवर्तन करने, उनके विकास को समझने में सहायता मिलती है औा इन बातों में शिक्षक की बहुतसी शक्ति और समय तथा साधन व्यर्थ नष्ट होने से बच जाते हैं ।

(6) शिक्षण विधियों का आत्मीकरण (Graps over the Method) - शिक्षण विधियों के आत्मीकरण से शिक्षक का पढ़ाना प्रभावशाली होगा और उसके अच्छे नतीजे निकालने की अच्छी संभावना होती हैं ।

(7) समय की पाबन्दी (Punctuality) - समय की पाबन्दी से सभी काम समय पर हो जाते हैं "Example is better than percept." 'उपदेश से उदाहरण अच्छा है ।" इस उक्ति के आधार पर अच्छे शिक्षक दृढ़ता से पालन करते हैं । इसका बच्चों के अनुशासन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है ।

(8) बच्चे के व्यक्तित्व का आदर (Respect for the individuality of the child) - इमर्सन (Emerson) के शब्दों में- "The secret education lies in respecting the pupils because a child wants to be heard His opinion should not be brushed aside merely because he is a child."

“शिक्षा का रहस्य बच्चे के व्यक्तित्व के आधार में ही निहित होता है । क्योंकि बच्चा चाहता है कि उसकी बात सुनी जाये, उसके विचार हंसी में केवल इसलिए न उड़ा दिए जाएं कि वह बच्चा है । बच्चा भी सोचता है और अनुभव करता है । गूंगे पशु के समान उससे, 'व्यवहार नहीं करना चाहिए ।"

(9) निष्पक्ष एवं न्यायी (Just and Impartial) - अच्छे अध्यापक सदा निष्पक्ष व्यवहार करते हैं । वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते । इन गुणों के अभाव में बच्चों में हलचल मची रहती है, जिससे बच्चों पर शिक्षक का प्रभाव नहीं पड़ता । बच्चे अनुशासन भंग करके व्यक्तित्व की अवहेलना तक करने लगते हैं और सच्चे मन से उनकी इज्जत नहीं करते ।

(10) धैर्यवान (Patience) - शिक्षकों को भिन्न-भिन्न बुद्धि वाले बच्चों की संख्या में पढ़ाना पड़ता है और पाठ भी कई बार दोहराने पड़ते हैं । बच्चों में अच्छे विचार और अच्छी आदतें अलाउद्दीन के जादू के चिराग के समान एक दिन में नहीं लाई जा सकती है । इसके लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है ।

(11) सहयोगात्मक भाव (Sense of Co-operative Spirit) - किसी भी संस्था की उन्नति वहीं के काम करने वाले लोगों के सहयोग पर ही निर्भर करती है । इसलिये अच्छे शिक्षक को चाहिए कि विद्यालय की परम्परा और वहाँ का वातावरण बनाने में संस्था के कल्याण के लिये अपने अधिकारी की सहायता करे ।

(12) प्रयोगात्मक दृष्टिकोण (Experimented Attitude) - अच्छे शिक्षक सदा नई-नई पढ़ाने की विधियाँ ढूँढकर उसका प्रयोग अध्यापन में करते हैं । इसलिये प्रत्येक शिक्षक को चाहिए कि अच्छा शिक्षक बनने के लिये नई-नई शिक्षण विधियाँ ढूँढने के लिये अपना समय लगाये ।

(13) ज्ञान की तृष्णा (Thirst for Knowledge) - इस सम्बन्ध में श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के विचार लाघनीय एवं मनन करने योग्य हैं; वे लिखते हैं - 'A teacher can never truly teach unless he is still learning himself' अर्थात् **"अच्छा शिक्षक कभी भी तब तक सच्चाई से नहीं पढ़ा सकता जब तक कि यह स्वयं भी न सीखता रहे ।"** ज्ञान अनन्त है, वह

अपने से अनुभवी शिक्षकों के सम्पर्क में आकर उनकी योग्यता से अपना ज्ञान बढ़ा सकता है । उसे उनसे सीखने में कभी नहीं झिझकना चाहिये ।

(14) नेतृत्व (Leadership) - अच्छे शिक्षक में नेतृत्व के गुण होते हैं । वे अपनी बात के पक्के होते हैं । वे बहुत कम आज्ञा देते हैं; परन्तु आज्ञा देने के पश्चात् उसका पालन अवश्य करा लेते हैं अन्यथा उसका प्रभाव नहीं पड़ता । वे विद्यार्थी को डाँटने के साथ-साथ समझाते भी हैं और उसकी समय-समय पर प्रशंसा करने से भी नहीं चूकते । रॉबिन जॉनसन (Robin Johnson) के शब्दों में - "Praise like gold diamond owes its value of scarcity."

(15) प्रश्न कहने की योग्यता (Skill in Questioning) - प्रश्न करना भी एक कला है । कक्षा के अध्यापन. की सफलता भी मुख्यत: इसी कला पर निर्भर है । दोष रहित प्रश्नों से उसका शिक्षण प्रभावशाली होता है । इस प्रकार बच्चे को सही-सही मार्ग-दर्शन कर ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाया जा सकता है ।

(16) शाला के अन्य कार्यक्रमों में रूचि (Interest in Co-curricular Activities) - पाठ्यक्रम-सहगामिनी क्रियायें विद्यालय के पाठ्यक्रम से भी अधिक महत्व रखती हैं क्योंकि इससे शाला का वातावरण बनता है । अत: अच्छे अध्यापक का यह गुण होगा कि वह उसमें रूचि ले ।

(17) प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोण (Democratic Attitude) - एक आदर्श शिक्षक बच्चों को प्रजातांत्रिक जीवन में जीना सिखाता है और उनसे उसका व्यवहार भी ऐसा ही होता है ।

(18) विषय का पूर्ण ज्ञाता (Master over the Subject) - आदर्श शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए । उसका उच्चारण शुद्ध हो और वह एक सफल वक्ता हो। यदि उसे अपने विषय का अधूरा ज्ञान रहेगा तो वह छात्रों की दृष्टि से गिर जायेगा ।

(19) धर्म-निरपेक्षता (Free from Religious Fanatism) - आदर्श शिक्षक धर्म-निरपेक्ष (Secular) होता है । वह साम्प्रदायिक एवं वर्गगत संकीर्ण भावनाओं से अपने छात्रों को दूर रखता है ।

(20) दैनिक तैयारी (Daily Preparation) - प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री बागले (Bagley) के शब्दों में - "However able and experienced the teacher he could do never,". अर्थात् 'शिक्षक चाहे कितना ही योग्य एवं अनुभबी क्यों न हो बिना प्राथमिक तैयारी के वह ठीक-ठीक न पढ़ा सकेगा ।" अत: आदर्श शिक्षक प्रतिदिन अपने विषय की तैयारी में अपना समय लगाते हैं ।

(21) राष्ट्रीयता की भावना (Sense of Patriotism) - ऐसा कहा जाता है कि दो ही व्यक्ति दुनिया में ऐसे हैं जो किसी पीढ़ी को बना या बिगाड़ सकते हैं, वे हैं माता-पिता और शिक्षक । अत: आदर्श शिक्षक राष्ट्रीयता, अन्तर्राष्ट्रीयता और देश-प्रेम से ओत-प्रोत रहता है और अपने विद्यार्थी में भी इन्हीं भावनाओं को भरने का प्रयत्न करता है ।

(22) आत्म साक्षात्कार (Self- Analysis) - आदर्श शिक्षक अपनी कमियों और दोषों को आत्म-निरीक्षण करके उन्हें दूर करने का प्रयत्न करता है । रायबर्न (Ryburn) के शब्दों में - "Self analysis on the post of teacher is necessary equipment".

(23) सर्वतोमुखी प्रतिभा (All Rounder) - आदर्श शिक्षक की प्रतिभा सर्वतोमुखी होती है । वह वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक, शिक्षा-शास्त्री, समाज-शास्त्री, प्राणी-शास्त्री, भूगोल-शास्त्री, इतिहासवेत्ता तथा वनस्पति-शास्त्री भी होती है जिससे कि वह आसानी से आदर्श शिक्षक का कार्य सम्पन्न कर सके ।

(24) शिक्षा के उद्देश्य के प्रति जागरूक (Always alive to the Aims of Education) - आदर्श शिक्षक शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य के प्रति सदा जागरूक रहता है और कभी एक क्षण के लिये भी उन्हें दृष्टि से ओझल नहीं होने देता है । उसका उद्देश्य यह नहीं होता है कि वह बच्चों को केवल परीक्षा के लिये तैयार कर रहा है बल्कि उसका यह परम उद्देश्य होता है कि बच्चे के मस्तिष्क (विचार), हृदय (भाव) और हाथों (कार्यो) का परिष्कार करे और उनमें उच्च-विचार, भाव एवं व्यवहारों को लाने का प्रयत्न करें ।

(25) अध्यापन का अनुभव (Teaching Experience) - प्रशिक्षण के उपरान्त शिक्षक को पढ़ाने का अनुभव भी होना चाहिये क्योंकि बिना अनुभव के शिक्षक आदर्श एवं सफल शिक्षक नहीं बन सकता । इसके लिये उसे अन्य अनुभवी शिक्षकों के अनुभवों का भी लाभ उठाते रहना चाहिए ।

उपरोक्त बातों के अतिरिक्त आदर्श शिक्षक को निम्नांकित बातों कों सदा ध्यान में रखना चाहिए-

(1) किसे पढ़ाना है? (Who is to Teach)? -The teacher is to teach and he must know himself. अर्थात् 'उसे किसे पढ़ाना है? शिक्षक को पढ़ाना है । उसके लिये यह आवश्यक है कि वह अपने आपको पहिचाने ।"

(2) क्यों पढ़ाना है? (Why to teach)?. He should never forget even for a moment the ains of education. अर्थात्, 'उसे क्यों पढ़ाना है? शिक्षक को एक क्षण के लिये भी शिक्षा के उद्देश्य को विस्मृत नहीं करना चाहिये ।"

(3) कहाँ पढ़ाना है? (Where to Teach) ? He should nor merely think of place for study. अर्थात, 'उसे कहाँ पढ़ाना है? उसे केवल यह नहीं सोचना चाहिये कि शाला केवल अध्ययन का ही स्थान है । वह इसके अतिरिक्त कुछ और भी है । "

(4) किसे पढ़ाना है? (Whom to teach)? - He should understand the child thoroughly his interest, aptitude, ability, aims, etc. अर्थात्, ' 'आदर्श शिक्षक को यh जानना आवश्यक है कि उसे किसे पढ़ाना है? उसे बच्चे को अच्छी प्रकार समझकर उसकी रूचि, योग्यता, अभिरूचियों एवं उद्देश्य आदि को समझना चाहिये और उन्हें विकसित करने में सहायता करनी चाहिये । "

(5) किस प्रकार पढ़ाना है? (How to Teach)? - He must use proper method of teaching. अर्थात्, 'उसे कैसे पढ़ाना है? उसके लिये उचित शिक्षण-विधियों का प्रयोग करना चाहिये ।" नागरिक शास्त्र कला तथा विज्ञान दोनों का समन्वित रूप है । सत्य तथ्यों के अन्वेषण, निर्धारण, वर्गीकरण तथा व्यवस्था के रूप में नागरिक शास्त्र वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करता है किन्तु उन्ही सत्य तथ्यों को रोचक एवं प्रभावी भाषा शैली में व्यक्त करते समय वह कला का अवलम्बन लेता है । नागरिक शास्त्र के लिये ये दोनों पक्ष आवश्यक है ।

अत: नागरिक शास्त्र शिक्षक को भी इन पक्षों का उचित सामंजस्य करना होता है । जिससे कि उसका शिक्षण उपयोगी व प्रभावी बन सकें । इस प्रकार नागरिक शास्त्र विषय की उक्त विशिष्टताओं के कारण नागरिक शास्त्र शिक्षक का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है जो शिक्षक में कुछ विशेष गुणों की अपेक्षा करता है । नागरिक शास्त्र शिक्षक में अपेक्षित गुणों को निम्नांकित वर्गो में विभक्त किया जा सकता है ।

(क) **नागरिक शास्त्र शिक्षक के सामान्य गुण (General qualities of Civics Teacher)** - अन्य विषयों के शिक्षकों की भाँति नागरिक शास्त्र शिक्षक में भी निम्नलिखित वैयक्तिक गुणों की आवश्यकता है-

1. **उत्तम स्वास्थ्य (Good Health)** - स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है । इस सिद्धान्त के अनुसार शिक्षक में शैक्षिक तथा अन्य योग्यताओं के साथ यह भी आवश्यक है कि -वह स्वस्थ हो । स्वस्थ शिक्षक ही अपनी श्रमशीलता एवं आकर्षक व्यक्तित्व से शिक्षण को प्रभावी बना सकता है ।

2. **संवेगात्मक संतुलन (Emotional Balance/Stability)** - शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही आवश्यक है । मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य शिक्षक में संवेगात्मक संतुलन होना है । संवेगों पर उचित नियंत्रण एवं नियमन कर उनका उन्नयन किया जाना मानसिक स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है । संवेगात्मक असंतुलन से शिक्षक में चिडचिडापन, पूर्वाग्रह, दुराग्रह पक्षपात आदि अनेक दोष आ जोत है । जिनका शिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है । नागरिक शास्त्र शिक्षक को तटस्थ, वैज्ञानिक, निष्पक्ष तथा सत्यान्वेषी दृष्टिकोण रखते हुए अतीत के प्रति सहानुभूति, रूचि एवं निष्ठा का उचित सामंजस्य कर उसे सजीव एवं प्रभावी रूप में प्रस्तुत करना चाहिये । यह तब ही सम्भव होता है जबकि शिक्षक मानसिक रूप से स्वस्थ हो ।

3. **सामाजिक गुण (Social Quality)** - मनोशारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ शिक्षक में सामाजिक गुणों का होना भी आवश्यक है । सद्भावना, सहयोग, साहस, सहानुभूति तर्क एवं 'निर्णय क्षमता जीवन के प्रति आशावादी विचारधारी आदि गुण सामाजिक गुणों में सम्मिलित किये जाते है एवं ये गुण शिक्षण कार्य में सहायक सिद्ध होते है । जिस शिक्षक में ये गुण पर्याप्त मात्रा में निहित होते है वह शिक्षक अपने नागरिक शास्त्र विषय के छात्रों में तथा सामान्य छात्रों में नागरिक शास्त्र के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण उत्पन्न कर उन्हें अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा दे पाता है ।

4. **उच्च चरित्रवान हो (High Moral Character)** - एक आदर्श शिक्षक के लिये चरित्रवान होना अत्यन्त आवश्यक है । क्योंकि अच्छे चरित्रवाला शिक्षक ही विद्‌यार्थी में अच्छी आदतों का संचरण कर सकता है । उसके आचरण एवं कार्य-प्रणाली का प्रभाव विद्‌यार्थी पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में पडता है । नागरिक शास्त्र शिक्षक अतीत के ज्ञान को अपने चरित्र की दृढ़ता द्‌वारा और उपयोगी बना देता है । ऐतिहासिक महापुरूषों का जीवन एवं कृतित्व चरित्रवान शिक्षक की व्याख्या द्‌वारा विद्‌यार्थी को देश एवं मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देने में सहायक होते है ।

5. **नेतृत्व गुण (Leadership Quality)** - आज का युग प्रजातंत्रात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसी व्यवस्था के अनुकूल बालकों में नेतृत्व गुणों का विकास करने के लिये

शिक्षक में अपने व्यवहार से उनका नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिये । नागरिक शास्त्र शिक्षक विद्यार्थी का उचित नेतृत्व कर उनमें विषय के प्रति वांछित अभिरूचि एवं अभिवृत्तियां विकसित कर सकता है ।

6. **सहानुभूति एवं स्नेह (Symphathetic and Affectionate)** - शिक्षक को सभी विद्यार्थी के साथ स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिये । इस प्रकार के व्यवहार करने एवं वातावरण बनाने में शिक्षण कार्य अत्यन्त सहज हो जाता है । इससे शिक्षक एवं छात्रों के संबंधों में भी मधुरता आती है ।

(ख) विषय योग्यता सम्बन्धी गुण (Subject's qualificational quality)

वैयक्तिक गुणों के अतिरिक्त शिक्षक में विषय संबंधी योग्यता होना अनिवार्य है विषय के स्वामित्व के अभाव में वह शिक्षक की भूमिका का पूर्णत: निर्वाह नहीं कर सकता । विषय की पूर्ण एवं गहन जानकारी, नवीन अनुच्छेद नवाचारों का ज्ञान सतत् अध्ययन करता एक शिक्षक हेतु अत्यन्त आवश्यक है । विषय में वास्तविक अभिरूचि एवं पूर्ण निष्ठा एक कुशल शिक्षक के लिये अनिवार्य गुण है । नागरिक शास्त्र शिक्षक में जिन विषयगत गुणों की अपेक्षा की जाती है वे निम्नलिखित है -

1. **शैक्षणिक योग्यता (Academic Qualification)** - नागरिक शास्त्र शिक्षक का कार्य उन्हीं शिक्षकों को सौंपा जाए जिन्होंने नागरिक शास्त्र विषय लेकर न्यूनतम निर्धारित योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन करने के लिये शिक्षक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नागरिक शास्त्र विषय के साथ क्रमश: उच्च माध्यमिक, स्नातक तथा अधिस्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए ।

2. **विश्व एवं स्थानीय नागरिक शास्त्र का ज्ञान (Knowledge of world and Local Civics)** - नागरिक शास्त्र शिक्षक को विश्व एवं भारत के नागरिक शास्त्र तथा स्थानीय क्षेत्र के नागरिक शास्त्र की स्पष्ट जानकारी होना आवश्यक हैं विश्व नागरिक शास्त्र में स्पष्ट एवं पर्याप्त ज्ञान के द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के समन्वय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की दृष्टि से उनका महत्व निर्धारित करने में सहायता मिलती है । स्थानीय नागरिक शास्त्र के ज्ञान के आधार शिक्षक द्वारा छात्रों में अपने प्रदेश, प्रान्त तथा राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना का विकास कर सकता है ।

3. **तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान (Knowledge of Current affair)** - नागरिक शास्त्र एक अनवरत चलने की प्रक्रिया है । समय के साथ-साथ इसके परिणाम की निरन्तर वृद्धि होती रहती है । देश-विदेश में होने वाली घटनाएं रेडियो, टेलीविजन तथा समाचार पत्रों के माध्यम से जन-मानस को आन्दोलित करती रहती है क्योंकि उनका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है । किन्तु वर्तमान भूतकाल से ही अद्भुत हुआ है । कार्य-कारक की इस अनवरत श्रृंखला से वर्तमान भूतकाल से सम्बन्ध रखता है । वर्तमान को समझने के लिये ही भूतकाल अथवा नागरिक शास्त्र की उपयोगिता है । भूत- एवं वर्तमान का यह सहसम्बन्ध ध्यान में रखते हुए नागरिक शास्त्र शिक्षक को ज्वलन्त घटनाओं की जानकारी रखना चाहिये जिससे छात्रों को बताकर उनमें नागरिक शास्त्र विषय के अध्ययन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता है ।

4. **अन्य सम्बद्ध विषयों का ज्ञान (Knowledge of other related subjects)** - नागरिक शास्त्र शिक्षक को नागरिक शास्त्र के अलावा नागरिक शास्त्र, भूगोल, पुरातत्वशास्त्र मुद्रा विज्ञान, अभिलेख विज्ञान, मानव शास्त्र आदि ऐसे प्रमुख विषय है जिनका सामान्य ज्ञान होना नागरिक शास्त्र शिक्षक की कुशलता एवं निपुणता में वृद्धि करते है । इन सभी विषयों आधार पर भूत एवं वर्तमान की तुलना एवं समन्वय का अध्ययन किया जा सकता है ।

5. **स्वाध्याय की प्रवृति (Tendency of self study)** - शैक्षिक योग्यता की निर्धारित न्यूनतम अनिवार्यता पूर्ण क्र लेना ही पर्याप्त नहीं है । वरन् नागरिक शास्त्र शिक्षक का सतत् अध्यवसायी होना आवश्यक है । शिक्षक को अपने विषय का निरन्तर अध्ययन एवं स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित रखनी चाहिये । ' जर्विस' ' के अनुसार "केवल विशद ऐतिहासिक ज्ञान तथा पर्याप्त शिक्षण-अनुभव का अध्यापक ही अपने विद्यार्थी में नागरिक शास्त्र के प्रति स्थायी वास्तविक अभिरूचि उत्पन्न कर सकता है । "

6. **विषय के प्रति निष्ठा (Devotion towards the subjects)** - किसी भी कार्य को सफलतम अंजाम देने के लिये उसमें निष्ठा होना आवश्यक है । यही बात नागरिक शास्त्र शिक्षक के लिये भी लागू होती है । निष्ठा के अभाव में विषय के प्रति वह लगन और उत्साह नहीं रहता जो उसे सजीव एंव उपयोगी बनाने में सहायक होते हैं ।

7. **ऐतिहासिक भ्रमण एवं पर्यटन (Historical Tour & Excussion)** - नागरिक शास्त्र के अध्ययन से अपने देश, प्रान्त एवं प्रदेश के उन स्थलों के दर्शन की जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक है जो ऐतिहासिक महत्व के रहे हों, इसके अतिरिक्त ऐसे स्थलों, भवनों, भग्नावशेषों एवं संग्रहालय में संग्रहित अवशेषों के देखने से तत्कालीन ऐतिहासिक ज्ञान को जीवन्त किया जा सकता है ।

नागरिक शास्त्र शिक्षक के व्यावसायिक गुण (Professional Quality) - शिक्षण को व्यवसाय कहा गया है, अत: बतौर व्यवसाय नागरिक शास्त्र शिक्षक में भी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक गुणों का होना आवश्यक है, जिनका विवेचन निम्नलिखित हैं -

1. **प्रशिक्षण योग्यता (Training Qualification)** - प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर एस. टीसी. तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर बी.एड., बीटी. तथा एलटी. न्यूनतम प्रशेक्षिक योग्यताएं निर्धारित की गई है । अत: नागरिक शास्त्र शिक्षक को तदनुकूल प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है । प्रशिक्षित अध्यापक को शिक्षण के सिद्धान्त एवं सामान्य सूत्रों का ज्ञान होता है जिनका प्रयोग व कक्षा-अध्यापन में प्रयोग कर सकता है । किस प्रकरण के लिये किस प्रकार की सहायक सामग्री का प्रयोग किया जायेगा विषय का प्रस्तुतीकरण सरल एवं बोधगम्य करने के लिये क्या करना होता है, किस प्रकरण के लिये कौनसी तकनीक एवं पद्धति काम में लेनी है, एक प्रशिक्षित अध्यापक को भलीभांति पता होता है । प्रशिक्षण दृष्टि से एक प्रशिक्षित अध्यापक में निम्नांकित योजनाएं स्पष्ट परिलक्षित होती है -

(क) **योजनाबद्ध कार्य (Planned Work)** - पाठ्यक्रम के अनुसार, कक्षा स्तर विद्यालय में उपलब्ध साधन एवं समुचित समयानुसार एक प्रशिक्षित शिक्षक को वार्षिक योजना, इकाई योजना एवं पाठ योजना का निर्माण करने का ज्ञान होना चाहिये । योजना में उद्देश्य के अतिरिक्त, विषय-वस्तु अध्यापन-ज्ञानार्जन स्थितियों, शिक्षण सामग्री मूल्यांकन एवं गृहकार्य आदि की विस्तृत रूपरेखा देना आवश्यक होता है । जो एक कुशल शिक्षक को आना वांछनीय है ।

(ख) **योजना का क्रियान्वयन (Implementation)** - निर्धारित उद्देश्य को प्राप्ति के लिये नागरिक शास्त्र शिक्षक को योजना का क्रियान्वयन भी तदनुकूल ही करना पड़ता है इसके लिये उसे शिक्षण की विशेष विधियें जैसे स्त्रोत-संदर्भो, प्रश्नोत्तर कथन, नाट्यीकरण, परिविक्षित अध्ययन, विचार-विमर्श आदि का सम्यक ज्ञान एवं अभ्यास होना आवश्यक है । छात्रों में स्व-क्रिया एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण' का विकास करने के लिये प्रत्येक विधि एवं परिस्थिति के अनुकूल शिक्षण उपकरणों का समुचित प्रयोग करना आना चाहिये ।

(ग) **मूल्यांकन (Evaluation)** - छात्रों ने कितना सीखा है? इसकी जानकारी के लिये मूल्यांकन किया जाता है । प्रशिक्षित अध्यापक को ब्लू-प्रिन्ट, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का निर्माण, विभिन्न मूल्याकन पद्धतियों का प्रयोग, मौखिक एवं लिखित परीक्षा का निर्माण, निदानात्मक परीक्षा तथा उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था करने का उचित ज्ञान होता है ।

2. **पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियों में रूचि (Interest in co-Curricular activites) -** छात्रों में स्वक्रिया के विकास एवं क्रियाशीलता के सिद्धान्त की अनुपालना के लिये विभिन्न नवीन विधियों को शिक्षण में अनुसरण किया जाता हैं । विचार-विमर्श, वाद-विवाद, पैनल चर्चा, परिचर्चा, जयन्ती समारोह, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्व, भ्रमण, चल-चित्र प्रदर्शन के आयोजन, मानचित्र, समय-रेखा, मॉडल, युद्ध-योजना आदि का निर्माण एवं मौलिक स्त्रोत संदर्भ अध्ययन आदि विधियों का ज्ञान होता आवश्यक है ।

3. **प्रयोग एवं प्रायोजना (Experiment and Project)** - प्रशिक्षित अध्यापक में नवीन विधियों एवं प्रविधियों के प्रयोग, विषयगत समस्याओं के समाधान हेतु क्रियात्मक अनुसंधान (Action Research) तथा विकासात्मक प्रायोजना (Development Project) की क्रियान्विति कर शिक्षण को प्रभावी बनाने में अभिरूचि होनी आवश्यक है ।

4. **विषय प्रस्तुतीकरण की प्रभावोत्पादकता एवं वस्तुनिष्ठता (Effectiveness and objectivity of subject presentation) -** नागरिक शास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों का समन्वित रूप है । हम भूतकाल को सजीव बनाना चाहते है । यह वैज्ञानिक पक्ष है तथा नागरिक शास्त्र को सरस एवं प्रभावी रूप में जानने को उत्सुक रहते है जो नागरिक शास्त्र का कला पक्ष है । नागरिक शास्त्र में से दोनों अपेक्षित है । अत: नागरिक शास्त्र शिक्षक को प्रशिक्षण द्वारा विषय का प्रस्तुतीकरण को प्रभावोत्पादकता एवं वस्तुनिष्ठता को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित विशेषताएं वांछनीय है ।

(क) **वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific Attitude)** - नागरिक शास्त्र शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास उच्च स्तर पर होना आवश्यक है । निष्पक्ष रूप से नागरिक शास्त्र शिक्षक द्वारा स्त्रोत संदर्भ विधि का प्रयोग कर विद्यार्थी को सत्य तथ्यों से अवगत करवाया जावे ।

(ख) **प्रस्तुतीकरण की प्रभावोत्पादकता (Effectiveness of Presentation)** - अध्यापक को एक कुशल कलाकार होना आवश्यक है । उसे ऐतिहासिक तथ्यों को सजीव रूप में प्रस्तुत करने की तकनीक का ज्ञान होना चाहिये । प्रस्तुतीकरण सहीं अर्थो में सरल, बोधगम्य हो सके इसके लिए शिक्षक को ऐतिहासिक तथ्यों का भावानुकूल आरोह-अवरोह युक्त प्रभाव-पूर्ण भाषा शैली तथा अनुकूल उपयुक्त स्वरों में किया जाना चाहिये ।

(ग) **व्यावसायिक निष्ठा (Professional Devotion)** -व्यवसाय के प्रति निष्ठावान होना आवश्यक है । शिक्षक एक व्यापारी एवं शिक्षण-कार्य व्यवसाय माना गया है । इसलिये शिक्षक को भी अध्यवसाय, परिश्रम एवं कुशलता द्वारा अपने व्यावसायिक स्तर को उच्चतर बनाने का प्रयास करें ।

स्वमूल्यांकन

1. नागरिक शास्त्र शिक्षक के सामान्य गुणो के बारे में आप क्या समझते है ?
   What do you mean by the general merits of Civics teacher?
2. आदर्श नागरिक शास्त्र शिक्षक को परिभाषित कीजिये ।
   Define an ideal civics teacher
3. अध्यापक के व्यक्तित्व का शिक्षण के साथ क्या संबंध है ?
   What is relationship between personality of teacher and teaching.

11.4 नागरिक शास्त्र शिक्षक का प्रशिक्षण (Training of Civics Teacher)

यद्यपि सरकारी व गैर-सरकारी क्षेत्र में शिक्षकों के चयन का आधार सेवापूर्व प्रशिक्षण अर्थात् शिक्षक-प्रशिक्षण के क्षेत्र में कोई डिग्री / डिप्लोमा होने की शर्त की बाध्यता रहती है । अध्यापकों का सेवापूर्व प्रशिक्षण यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि वर्तमान एवं भविष्य में चयनित अध्यापक अपना अध्यापन कार्य सदैव कुशलतापूर्ण ही करेगा । चूंकि विधियों में आए दिन नये नवाचार, परिवर्तन होते रहते हैं । सेवा काल में अध्यापक शिक्षा के नवाचारों, शोधों एवं नई विधाओं से पूरे रूप से अवगत नहीं हो पाता है । अत: हमारे देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के खण्ड-9 'अध्यापक शिक्षा' में यह सुनिश्चित किया गया कि सेवारत अध्यापकों हेतु चार स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का ढाचा देश के शिक्षा तंत्र में क्रियान्वित होगा जिसके अन्तर्गत महाविद्यालय स्तर के अध्यापकों हेतु अकादमिक स्टाँफ कालेज की स्थापना की गई, विद्यालय स्तर पर सकूल व्याख्याताओं हेतु आई.ए.एस.ई (उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों), वरिष्ठ अध्यापकों हेतु सीटीई (शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों) व तृतीय श्रेणी / सामान्य अध्यापकों हेतु डाईट संस्थाओं की स्थापना की गई जिसमें प्रति पाँच वर्ष पश्चात सेवारत अध्यापकों के अनवरत प्रशिक्षण की व्यवस्था शिक्षा विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की गई । सेवारत अध्यापक कार्यक्रमों को अधिक व्यवहारिक, प्रभावी तथा कारगर बनाने हेतु इन संस्थाओं को सरकारी व विभागीय संबलन दिया जाता है । सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान अध्यापकों को सम-सामयिक शिक्षा की आधुनिक जानकारियों से अवगत करवाते हैं तथा उन्हें रूढीवादी प्रक्रियाओं से हटाकर नवीन प्रक्रियाओं से जोड़ा जाता है ।

नागरिक शास्त्र शिक्षकों हेतु सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनी महत्ती भूमिका रखते हैं । सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों को नवीन शिक्षा तकनीकी के

ज्ञान से लाभान्वित कर कक्षा शिक्षण की नई युक्तियों, रीतियों व विधाओं से कुशल बनाया जाता है । सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विविध प्रकार के क्रियाकलापों जैसे- चलचित्र, शैक्षिक वीडियो कार्यक्रम, शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के घटनाक्रमों, राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलनात्मक पहलुओं की जानकारी नवीनतम तकनीकों के माध्यम से प्रदान कर शिक्षकों में एक नई स्फूर्ति व नवीन युक्तियों की चेतना प्रसारित की जाती है ।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अध्यापकों के व्यवसायिक विकास व दक्षताओं से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है । व्यवसायिक विकास के संदर्भ में अध्यापकों को शिक्षण कौशल, युक्तियों, प्रविधियों एवं विधियों को समुन्नत बनाने का प्रयास किया जाता है । इंटरनेट व नवीन शिक्षा तकनीकी के माध्यम से नागरिक शास्त्र विषय की विषय वस्तु से जुड़े अनेक पहलुओं पर रोचक व प्रभावी जानकारी अध्यापकों को दी जाती है । जिसका लाभ शिक्षक के कार्य की पद्धति एवं शिक्षण संस्कृति में बदलाव के क्रम में सामने आ रहा है ।

11.5 नागरिक शास्त्र समस्याएं एवं उनका (Problem of Civics Teacher and their solutions)

नागरिक शास्त्र शिक्षक में जब हम उपरोक्त गुणों की अपेक्षा रखते है तो हम उसके मार्ग में आने वाली. कठिनाईयों की अवहेलना नहीं कर सकते । सामान्यत: नागरिक शास्त्र-शिक्षक की कठिनाइयां का निम्नांकित विभाजन कर अध्ययन किया जा सकता है -

1. **विद्यार्थी में भावात्मक विकास की समस्याएं (Problem of Emotional development in student)** - नागरिक शास्त्र अध्यापक विद्यार्थी के बौद्धिक पक्षों को तो आसानी से विकसित कर देता है किन्तु राष्ट्रीय अखण्डता, अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव. शांति एवं राष्ट्रीय भावात्मक एकता के सबंध में विद्यार्थी की संवेगात्मक क्षमताओं का विकास करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है ।

2. **भूत को वर्तमान से सम्बन्धित करना (To relate present from past)** - शिक्षाविदों के अनुसार "नागरिक शास्त्र शिक्षक को अपने विषय-ज्ञान के क्रम में वर्तमान की ज्वलन्त समस्याओं तथा उनसे भूतकाल का सहज संबंध बनाने के क्रम में अवश्य ध्यान में रखना चाहिये जिससे कि विद्यार्थियों में राजनीतिक घटनाक्रमों के क्रम में उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हो सके । इस हेतु शिक्षक को अपने सामान्य ज्ञान की निरन्तर वृद्धि करते रहना चाहिये ।"

3. **विषय वस्तु के चयन एवं प्रस्तुतीकरण की समस्या (Problem of selection and presentation of content) -** ब्रिटिश नागरिक शास्त्र समिति ने नागरिक शास्त्र शिक्षक का प्रमुख कार्य एक ऐसे विषय को बालकों के समक्ष प्रस्तुत करना बतलाया है जो कि प्रौढ़ विकसित लोगों के अध्ययन का विषय है ।" इसके लिये शिक्षक में उच्चस्तरीय कुशलता की अपेक्षा करता है ।

4. **निष्पक्ष वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific Attitude) -** नागरिक शास्त्र शिक्षक को राजनैतिक घटनाक्रमों से जुड़े विभिन्न विवादास्पद प्रसंग, राजनैतिक दृष्टि से कपोलकल्पित घटनाओं, रूढ़ियों एवं राजनैतिक मान्यताओं को बालकों के समक्ष निध्यक्ष रूप से प्रस्तुत करना एक कठिन कार्य है ।

5. **विद्यालय में नागरिक शास्त्र कक्ष एवं उपकरणों का अभाव (Scarcity of Civics room and tools)** - प्राय: विद्यालयों में नागरिक शास्त्र कक्ष एवं उपकरणों का पूर्णतया अभाव मिलता हैं जिससे नागरिक शास्त्र शिक्षकों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है । लेकिन शिक्षक द्वारा तथ्यों को जानने में पर्याप्त उत्साह, लगन एवं परिश्रम से उनका निराकरण किया जा सकता है । माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952) के अनुसार 'ज़ो शिक्षक अपने विषय में अभिरूचि तथा उसे उचित परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की क्षमता रखता हो उनसे संपर्क करने के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु अधिक प्रेरणास्पद नहीं हो सकती ।

6. **सद् आदतों के विकास संबंधी समस्या (Problem related to development of Healthy habits)** - नागरिक शास्त्र विषय का मुख्य उद्देश्य समाज व राष्ट्र के लिए सजग एवं कर्त्तव्यबोध नागरिकों का निर्माण करना है । नागरिक शास्त्र शिक्षकों के समक्ष नागरिक आचार संहिता का निर्वहन करने वाले भावी नागरिकों को तैयार करना है । परन्तु वर्तमान परिवेश एवं अन्य कारणों की वजह से भावी नागरिकों के निर्माण के क्रम में नागरिक आचार संहिता संबंधी सद् आदतों को विकसित करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । अत: शिक्षक को चाहिए कि भावी नागरिकों के इस निर्माण कार्य के क्रम में कक्षा कक्ष शिक्षण के दौरान विविध प्रकार की शैक्षिक व अशैक्षिक प्रवृत्तियों को प्रभावी एवं निरन्तर रूप से क्रियान्वित करे जिससे उद्देश्य की प्राप्ति हो सके ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. नागरिक शास्त्र शिक्षक की सामान्य समस्याओं का उल्लेख कीजिए ।
   Mention about the general problem of Civics teacher.
2. नागरिक शास्त्र शिक्षक की समस्याएं शिक्षण से कैसे संबंधित है?
   How the problems of civics teacher are related to teaching?
3. नागरिक शास्त्र शिक्षक की समस्याओं के समाधान के उपायों का वर्णन कीजिए।
   Explain the solution of the problems of civics teacher.

11.6 सारांश (Summary)

आदर्श नागरिकों के निर्माण एवं उनमें नागरिक आचार संहिता के गुणो का विकास करने में संस्कृति एवं समाज व राष्ट्र का सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक परिवेश अपनी भूमिका निभाता है । भावी नागरिकों के निर्माण एवं विकास के क्रम में नागरिक शास्त्र विषय उपयोगी व समर्थ विषय है । शिक्षक ही वस्तुत: राष्ट्र निर्माता है, जो अपने ज्ञान, कौशल एवं व्यक्तिगत से राष्ट्र के योग्य भावी नागरिकों का निर्माण करता है ।

नागरिक शास्त्र विषय के आदर्श अध्यापक के व्यक्तित्व संबंधी गुणों में चरित्र, प्रभावी व्यक्तित्व, विषयगत दक्षताऐं, बालकों के शिक्षण में रुचि, बाल मनोविज्ञान में शिक्षण विधियों का

ज्ञान, निष्पक्ष व रचनात्मक दृष्टिकोण, सहयोगी भाव, प्रजातांत्रिक मूल्यों का संवर्द्धन, राष्ट्रीयता की भावना, धर्मनिरपेक्षता एवं आत्म साक्षात्कार संबंध गुणों की अपेक्षा की गई ।

आदर्श अध्यापक के उपरोक्त गुणो के अतिरिक्त यह भी अपेक्षित है कि उन्हें किसे पढ़ाना है?, क्यों पढ़ाना है?, कहाँ पढ़ाना है? किस प्रकार पढ़ाना है? इत्यादि अपेक्षाऐं भी अध्यापक से की जाती है । नागरिक शास्त्र विषय के शिक्षक में व्यवसायिक दक्षताऐं, स्वाध्याय की प्रवृत्ति, स्थानीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के प्रति रोचकता, समाचार पत्रों व मीडिया के क्रम में लगाव, व्यवसायिक निष्ठा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विषय प्रस्तुतिकरण की प्रभावशीलता तथा योजना के क्रियान्वयन में मूल्यांकन संबंध दक्षताएं भी अपेक्षित मानी गई है ।

नागरिक शास्त्र विषय के शिक्षक के समक्ष अनेक प्रकार की चुनौतियाँ व समस्याऐं भी समय-समय पर उपस्थित होती रहती हैं जिसके अन्तर्गत भावात्मक एकता विकसित करने संबंधी, पाठ्यवस्तु से संबंधित भूत को वर्तमान से संबद्ध करने संबंधी, विषय वस्तु के चयन एवं प्रस्तुतिकरण संबंधी, निष्पक्ष वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा नागरिक शास्त्र कक्ष व उपकरणों के रख-रखाव संबंधी अनेक व्यवहारिक कठिनाईयाँ व समस्याऐं उजागर होती हैं जिसका समाधान शिक्षक अपने विवेक एवं परिस्थितियों के अनुसार करते हैं ।

11.7 संदर्भ ग्रन्थ (Reference)

1. कोठारी शिक्षा आयोग (1966)
2. माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953)
3. माध्यमिक शिक्षा आयोग (1956)
4. उपेन्द्र नाथ, बघेला हेत सिंह, नागरिक शास्त्र शिक्षण
5. बाईनिग एवं बाईनिग : टीचिंग द सोशल स्टडीज इन सैकेण्डरी स्कूल मेकग्रोहिल न्यूयार्क ।
6. Harolikar, L.B.- The Teaching of Civics, Padma Publication Ltd. Bombay.
7. White F. M. - The Teaching of Modern Civics, George G. Hared & Co. Ltd., London
8. डॉ. कमला वशिष्ट, डी. यदु शर्मा - नागरिक शास्त्र शिक्षण, शिक्षा प्रकाशन, जयपुर ।

इकाई-12

नागरिक शास्त्र शिक्षण में प्रयुक्त संसाधन कक्षा-कक्ष, प्रयोगशाला, संग्रहालय. सामुदायिक वातावरण. पुस्तकालय एवं अन्य संसाधन

Resource, Class room, Laboratory, Museum, Community Environment, Library and other resources used in Civics Teaching

इकाई की संरचना (Structure of Unit)

12.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य
(Aims and Objectives)

12.1 नागरिक शास्त्र शिक्षण में प्रयुक्त संसाधन कक्षा-कक्ष (Resources used in Civics teaching - Class Room)

12.2 प्रयोगशाला (Laboratory)

12.3 संग्रहालय (Museum)

12.4 सामुदायिक वातावरण (Community Environment)

12.5 पुस्तकालय एवं अन्य संसाधन (Library and other Resource)

12.6 सारांश (Summary)

12.7 संदर्भ ग्रन्थ (Reference)

12.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य (Aims and Objectives)

इस इकाई सामग्री का अध्ययन करने के पश्चात शिक्षक प्रशिक्षणार्थी :-

1. नागरिक शास्त्र शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले संसाधनों को समझ सकेंगे ।
2. नागरिक शास्त्र में प्रयुक्त होने वाले संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे ।
3. नागरिक शास्त्र में प्रयुक्त होने वाले संसाधनों के महत्व को समझ सकेंगे ।
4. नागरिक शास्त्र में प्रयुक्त होने वाले संसाधनों के रख-रखाव के लिए प्रेरित होंगे ।
5. नागरिक शास्त्र शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले संसाधनों की व्यवस्था अपने महाविद्यालय में करवाने में शिक्षक का सहयोग कर सकेंगें ।
6. नागरिक शास्त्र शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले संसाधनों के लिए विभिन्न प्रकार के मॉडल चार्ट, चित्र आदि बनाने का अभ्यास कर सकेंगे ।

7. नागरिक शास्त्र शिक्षण में प्रयुक्त किये जा सकने योग्य सामग्री का संग्रह कर सकेंगे यथा सिक्के, डाक टिकट, राष्ट्रीय ध्वज आदि ।
8. नागरिक शास्त्र शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले संसाधनों की व्यवस्था, उपयोग एवं रख-रखाव में शिक्षक की भूमिका को समझ सकेंगे ।

12.1 नागरिक शास्त्र कक्ष (Civics Room)

प्रत्येक विषय की प्रकृति भिन्न होती है और विषय की प्रकृति के अनुरूप उपयुक्त वातावरण तैयार करने में उस विषय का कक्ष महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । नागरिक शास्त्र शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए नागरिक शास्त्र कक्ष की आवश्यकता लगभग सभी नागरिक शास्त्र शिक्षक अनुभव करने लगे है । नागरिक शास्त्र का वह स्थान या कक्ष होता है जहाँ प्रजातंत्रात्मक वातावरण में छात्रों को अध्ययन-अध्यापन का अवसर मिलता है । इससे शिक्षण रोचक, सुगम तथा प्रभावशाली बनता है ।

नागरिक शास्त्र कक्ष की आवश्यकता (Need of Civics Room) - नागरिक शास्त्र कक्ष की आवश्यकता निम्न बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट की जा सकती है -

1. नागरिक शास्त्र को आदर्श विषय कहा जाता है । नागरिक शास्त्र कक्ष छात्रों में विषय के प्रति सकारात्मक एवं स्वस्थ दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकता है । इस विषय में - "नागरिक शास्त्र का अपना एक कक्ष होना चाहिए । नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी अपने विषय का सम्मान करें तथा वे और उनका शिक्षक उसका गम्भीरता से उसका अध्ययन करें । एक सुसज्जित नागरिक शास्त्र कक्ष विद्यार्थी में नागरिक एवं प्रजातांत्रिक अभिवृति को जगत करने में सहायक होगा । "
2. नागरिक शास्त्र कक्ष द्वारा एक विशेष प्रकार का वातावरण प्रस्तुत किया जा सकता है जो कि प्रभावी एवं कुशल शिक्षण के लिए आवश्यक होता है ।
3. नागरिक शास्त्र कक्ष में नागरिक शास्त्र शिक्षण से सम्बन्धित विभिन्न शिक्षण सामग्रियों को रखा जा सकता है जिससे अध्यापक आवश्यकतानुसार इनका प्रयोग कर सकता है ।
4. नागरिक शास्त्र से सम्बन्धित उपकरणों के रख-रखाव की समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है । इधर-उधर लाने ले जाने के इनको होने वाली क्षति को रोका जा सकता है ।
5. किसी भी पाठ से सम्बन्धित अन्य संदर्भ स्त्रोतों की आवश्यकता हो तो अध्यापक के मार्ग-दर्शन में छात्र उसी समय उनका अध्ययन कर अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते है ।
6. छात्रों को एक ही कक्ष में सुबह से लगातार पढ़ाते रहने से वे थकान महसूस करने लगते है, परिणाम स्वरूप शिक्षण में रूचि नहीं लेते नागरिक शास्त्र कक्ष उनकी इस समस्या का समाधान भी करता है ।
7. इतिहास कक्ष में लगे मानचित्र चार्ट चित्र समय-सारणी, राष्ट्रीय प्रतीक आदि को छात्र बार-बार देखता है और पढता है जिससे अनेक तथ्य उसे आसानी से याद हो जाते हैं उन्हें

रटने की आवश्यकता नहीं पडती है जिससे छात्र विषय के प्रति सकारात्मक अभिवृति विकसित करने में सक्षम होते है ।

8. नागरिक शास्त्र कक्ष में रखी सामग्री को देख कर छात्र के मन में अनेक प्रश्न उठते है और वह उनका उत्तर खोजने के लिए अधिक रूचि के साथ विषय का अध्ययन करता है । इस प्रकार नागरिक शास्त्र कक्ष छात्रों मे स्वाध्याय की आदत का विकास करता है ।
9. नागरिक शास्त्र कक्ष में रखे उपकरणों को देख कर छात्रों में प्रेरणा का संचार होता है और वे भी चार्ट चित्र मॉडल आदि का निर्माण करने का प्रयास करते है और इससे उनमें विभिन्न कौशलों का विकास आसानी से हो जाता है ।
10. नागरिक शास्त्र कक्ष में बैठकर अध्यापक अपने विषय से सम्बन्धित योजनाओं का निर्माण कर उन्हीं के अनुसार' कार्य कर एक प्रभावी वातावरण के साथ ही साथ छात्रों को उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है ।
11. नागरिक शास्त्र से सम्बन्धित चार्ट, चित्र, मानचित्र, मॉडल आदि उपलब्ध होने पर भी अध्यापक इन्हें प्रत्येक कक्षा में बार-बार ले जाने एवं लाने मे आलस्य करते है और वे इनके बिना ही शिक्षण करते हैं । नागरिक शास्त्र कक्ष होने से वे इनका प्रयोग करेंगे इससे छात्रों के अनुभवों में विविधता लाई जा सकती है ।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि नागरिक शास्त्र के प्रभावी शिक्षण के लिए नागरिक शास्त्र कक्ष आवश्यक है । इसके अभाव में नागरिक शास्त्र विषय अपने वास्तविक उद्देश्य को पूर्ण करने में सक्षम नहीं हो सकता है ।

नागरिक शास्त्र कक्ष (Civics Room) - नागरिक शास्त्र कक्ष की बनावट कैसी हो, उसका आकार क्या हो तथा आतरिक साज-सज्जा किस प्रकार की हों । यह विद्यालय के पास उपलब्ध संसाधन एवं नागरिक शास्त्र के छात्रों की संख्या के आधार पर ही निश्चित किया जा सकता है । नागरिक शास्त्र कक्ष केलिए एक बड़ा एवं हवादार कक्ष होना चाहिए । नागरिक शास्त्र कक्ष के आकार को बडा या छोटा भी बनाया जा सकता है । उपयुक्त आकार के कक्ष में ही संपूर्ण व्यवस्थायें की जा सकती है । आवश्यक उपकरणों को सुव्यवस्थित ढंग से रख कर इसे आकर्षक बनाया जा सकता है ।

नागरिक शास्त्र कक्ष के उपकरण (Equipment of Civics Room) - नागरिक शास्त्र-कक्ष में निम्न सामग्री का होना आवश्यक है -

1. सूचना-पट्ट (Notice Board) - नागरिक शास्त्र कक्ष के बाहर अथवा दरवाजे पर सूचनाओं समाचारों तथा निर्देशों के लिए सूचना पट्ट लगाया जाना चाहिए ।

2. फर्नीचर (Furniture) - नागरिक शास्त्र कक्ष में पर्याप्त मात्रा में उपर्युक्त आकार का फर्नीचर आवश्यक है । छात्रों को नागरिक शास्त्र कक्ष में बैठकर कार्य करना होता है । इसलिए मेंजें, कुर्सियाँ, मानचित्र, स्टेण्ड, आलमारियां, शो-केस रोलर-बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, आदि होने चाहिए ताकि आवश्यकतानुसार उपकरणों को रखा जा सकें तथा इसका प्रयोग किया जा सकें ।

3. श्याम-पट्ट (Black Board) - नागरिक शास्त्र कक्ष में एक बड़े आकार का श्याम पट्ट होना चाहिए । सुविधा के लिए इसके तीन भाग किये जा सकते है । एक भाग पर भारत का मानचित्र दूसरे भाग पर राजस्थान का मानचित्र अथवा भारत के राष्ट्रीय राजनीति की समय

सारणी बनाई जा सकती है तथा तीसरे भाग का शिक्षण के समय श्याम पट्ट सार के लिए प्रयोग किया जा सकता है ।

4. मानचित्र (Maps) - मानचित्र नागरिक शास्त्र को धरातल प्रदान करता है । इसलिए नागरिक शास्त्र कक्ष में मानचित्रों का होना आवश्यक है । कक्ष की दीवारों को पेन्ट करवा कर उन पर मानचित्र बनवाये जा सकते है । इसके अतिरिक्त फ्रेम किये हुए मानचित्र टांग सकते है । मानचित्र स्टेन्ड मे भी इन्हें रखा जा सकता है । आवश्यकता के अनुसार मानचित्र का प्रयोग करके नागरिक शास्त्र शिक्षक अपने विषय के रोचक एवं प्रभावी ढंग से पढा सकता है ।

5. चित्र (Picture) - नागरिक शास्त्र कक्ष में व्यक्तियों, भवनों, शिला लेखों, संग्रहालयों, किलों आदि के चित्र भी होने चाहिए । चित्र बडे छोटे आकार के हो सकते है जिन्हें कक्ष की दीवारों पर कालक्रमानुसार लगाया जा सकता है । इससे कक्ष को सुन्दर एवं आकर्षक बनाने के अतिरिक्त छात्रों के ज्ञान में वृद्धि भी की जा सकेगी ।

6. चार्ट एवं रेखाचित्र (Chart and Line Chart) - नागरिक शास्त्र कक्ष में युद्ध योजनाएं, युद्ध स्थलों, युद्ध मार्गो, वंशावली आदि से संबंधित चार्ट होने चाहिए । इनके अतिरिक्त रेखाचित्रों के माध्यम से विषय वस्तु को स्पष्ट करना चाहिए तथा इन्हें नागरिक शास्त्र कक्ष की दीवारों पर टांग दिया जाना चाहिए । इससे न केवल नागरिक वातावरण निर्मित किया जा सकता है अपितु छात्रों में चार्ट एवं रेखाचित्र बनाने का कौशल भी विकसित किया जा सकता है ।

7. अनुलेखन मेज (Tracing Table) - नागरिक शास्त्र कक्ष में छात्रों को राजनैतिक मानचित्र, चित्र, रेखाचित्र, समय रेखा आदि बनाने का अभ्यास करवाया जाता है । इसके लिए अनुरेखन मेजों की आवश्यकता होती है । इससे छात्रों में इन कौशलों का विकास किया जा सकता है ।

8. आलमारियां (Almirahs) - नागरिक शास्त्र कक्ष में अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं रखी होती है जो मूल्यवान तथा दुर्लभ होती है जैसे संदर्भ ग्रन्थ, मॉडल, साहित्य, स्त्रोत आदि इन्हें सुरक्षित रखने के लिए आलमारियों का होना आवश्यक है । आलमारियां लोहे की अथवा दीवार में बनी हुई जिन पर दरवाजे लगे हुए हो, होनी चाहिए । इससे महत्वपूर्ण सामग्री को सुरक्षित रखा जा सकता है ।

9. शो-केस (Showcase) - नागरिक शास्त्र कक्ष में शीशे लगे शो केस भी होने चाहिए । इनमें विभिन्न राजाओं के चित्र किसी काल में प्रयुक्त ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक आदि को प्रदर्शित किया जा सकता है । इनका विवरण जैसे काल, ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक विशेषताएं किस काल की है आदि भी साथ में दिया जा सकता है । शो-केस की वस्तुओं की सुन्दरता में वृद्धि के लिए इनमें रोशनी की व्यवस्था भी की जानी चाहिए ।

10. पानी की टंकी (Water Tank) - नागरिक शास्त्र कक्ष में पानी की टंकी जिसमें नल लगा हुआ हो अवश्य होनी चाहिए क्योंकि सांमग्री आदि का निर्माण करने के लिए छात्रों को बार-बार पानी की आवश्यकता पडती है तथा अपना काम समाप्त करके हाथ धोने के लिए बाहर जाते है । इसमें अधिक समय व्यर्थ चला जाता है । छात्रों को होने वाली असुविधा तथा समय की बचत के लिए यह आवश्यक है ।

11. प्रतिरूप (Model) - नागरिक शास्त्र को सजीव बनाने के लिए शिक्षण करते समय विभिन्न शिक्षण सामग्रियों के प्रतिरूप प्रस्तुत करने चाहिए । इस कक्ष में इन प्रतिरूपों को सजा

कर इसके आकर्षक में भी वृद्धि की जा सकती है । नागरिक शास्त्र कक्ष में कुछ महत्वपूर्ण प्रतिरूप जैसे भवन, इमारतें, राष्ट्रीय प्रतीक आदि के प्रतिरूप अवश्य रखे जाने चाहिए ।

12. प्रक्षेपण सामग्री (Projective Material) - नागरिक शास्त्र से संबंधित स्लाइड, चलचित्र, चित्र आदि को बडे आकार में प्रदर्शन के लिए वहां प्रक्षेपण यंत्र जैसे जादू की लालटेन, ओवर हैड प्रोजेक्टर फिल्म प्रोजेक्टर, विडियो, कम्प्यूटर आदि का होना आवश्यक है । प्रोजेक्ट के लिए पोर्टिबल ट्राली तथा एक सफेद पर्दा होना चाहिए । नागरिक शास्त्र कक्ष में इसे उपर्युक्त स्थान पर लगाया जाना चाहिए । जहां से कक्षा के हर कोने रवे स्पष्ट दिखाई दें । फिल्म तथा स्लाइड आदि के प्रदर्शन के लिए कक्ष में अंधेरा होना चाहिए । इसके लिए कक्ष की खिडकियों एवं दरवाजों पर गहरे रंग के पर्दे लगे होने चाहिए ताकि प्रदर्शित की जाने वाली फिल्म स्पष्ट रूप से दिखाई जा सकें ।

उपयुक्त सभी सामग्रीयो को संग्रह कर एक उपर्युक्त नागरिक शास्त्र कक्ष की व्यवस्था करना प्रत्येक विद्यालय के लिए कोई सरल कार्य नहीं है । क्योंकि सीमित संसाधनों से इन सब वस्तुओं की व्यवस्था असंभव नहीं तो कठिन कार्य अवश्य है । इसके लिए नागरिक शास्त्र शिक्षक का उत्साही तथा श्रमशील होना आवश्यक है । वह अपने प्रयासों से एक उपयुक्त कक्ष की व्यवस्था कर सकता है । नागरिक शास्त्र शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए । वह कक्ष में उन्हीं वस्तुओं का संग्रह करें जिनका छात्र उपयोग कर सकें और उनकी क्रियाशील में, वृद्धि करने में सहायक हों ।

सुझाव (Suggestions) -

1. नागरिक शास्त्र कक्ष में स्थानीय नागरिक शास्त्र से संबंधित सामग्री को महत्व दिया जाना चाहिए जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र, मानचित्र, टिकटों चित्रकला शैलियों आदि का प्रदर्शन छात्रों में स्थानीय राजनीति के प्रति रूचि जाग्रत करने में सहायक हो सकते है ।
2. चित्र, चार्ट, प्रतिरूप, मानचित्र आदि को तैयार करने में छात्रों का सहयोग लिया जायें ।
3. नागरिक शास्त्र कक्ष में रखे जायें संसाधनों की उचित देख रेख का दायित्व नागरिक शास्त्र शिक्षक को ही सौंपा जाना चाहिए ।
4. नागरिक शास्त्र कक्ष के लिए सामग्री का चयन एवं प्रदर्शन नागरिक शास्त्र शिक्षक की रूचि के अनुसार होना चाहिए ।
5. सभी उपकरण एक साथ क्रय नहीं करके प्रति वर्ष कुछ चित्र, चार्ट, मानचित्र आदि का संग्रह किया जाना चाहिए । इससे बजट की समस्याका सामना नहीं करना पडेगा ।
6. नागरिक शास्त्र कक्ष में अभिनय के लिए स्टेज एवं प्रक्षेपण सामग्री भी रखी जानी चाहिए।
7. नागरिक शास्त्र कक्ष के निर्माण के लिए सेवा प्रसार विभाग अथवा आरटीसी की सहायता ली जा सकती है ।

12.2 नागरिक शास्त्र - प्रयोगशाला
Civics - Laboratory

आज के वैज्ञानिक युग में यदि कोई भी विषय अपने आप को कायम रखना चाहता है तो उसे स्वयंको वस्तुनिष्ठ व प्रयोगों पर आधारित करना होगा । यही कारण है कि आज प्रत्येक

विषय के बारे में यही कहा जाता है कि वह विज्ञान एवं कला दोनों है । नागरिक शास्त्र भी सामाजिक विज्ञान का एक विषय है । जो राजनैतिक घटनाओं का क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निष्पक्ष विवेचन करता है । अत: यह विज्ञान की श्रेणी में आता है । अन्य विषयों की भांति नागरिक शास्त्र को रोचक, सजीव तथा व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है कि इसके लिए भी एक प्रयोगशाला का निर्माण किया जायें ।

आज साधन सम्पन्न एवं प्रगतिशील विचारों वाले विद्यालय न केवल भौतिक विज्ञानों के अपितु सामाजिक विज्ञानों के लिए भी उपयुक्त प्रयोगशालाओं की व्यवस्था करने लगें है परन्तु यह कार्य आसन कार्य नहीं है । इसलिए विद्यालय में जिस विषय की प्रयोगशाला स्थापित की जायें । उस विषय के शिक्षकों की राय लेकर प्रयोगशाला के रख रखाव भी उपयुक्त व्यवस्था भी की जानी चाहिए ।

प्रयोगशाला की व्यवस्था (Organisation of Laboratory) -

1. सीमित संसाधनों के कारण सभी विषयों की पृथक-पृथक प्रयोगशाला नहीं बना कर सभी सामाजिक विज्ञानों के लिए एक संयुक्त प्रयोगशाला बनाई जा सकती है ।
2. छात्रों को प्रयोगशाला में कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए । परन्तु विषय अध्यापक का मार्ग दर्शन लेकर ही कार्य करे इसके लिए उन्हें पहले से ही निर्देशित किया जाना चाहिए ।
3. प्रत्येक प्रयोगशाला का प्रभारी विषय से संबंधित अध्यापक ही होना चाहिए ।
4. प्रयोगशाला के लिए बडे आकार का कक्ष होना चाहिए जहां आवश्यक उपकरणों को आसानी से रखा जा सकें ।
5. प्रयोगशाला के पास ही एक भंडार गृह भी होना चाहिए जहां अतिरिक्त सामान को सुरक्षित रखा जा सकें ।
6. प्रयोगशाला में छात्रों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त उपकरण व सुविधाऐं होनी चाहिए ।
7. प्रयोगशाला में विषय से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए ।
8. प्रयोगशाला में बैठने के लिए स्ट्रल एवं कार्य करने के लिए बडे आकार की मेंजे पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए ।
9. प्रयोगशाला में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए ।
10. प्रयोगशाला में एक बडा श्यामपट्ट भी होना चाहिए जिसे आवश्यकता पडने पर प्रयोग किया जा सकें ।

विभिन्न विषयों की प्रयोगशालायें

चित्र संख्या : व 2.1

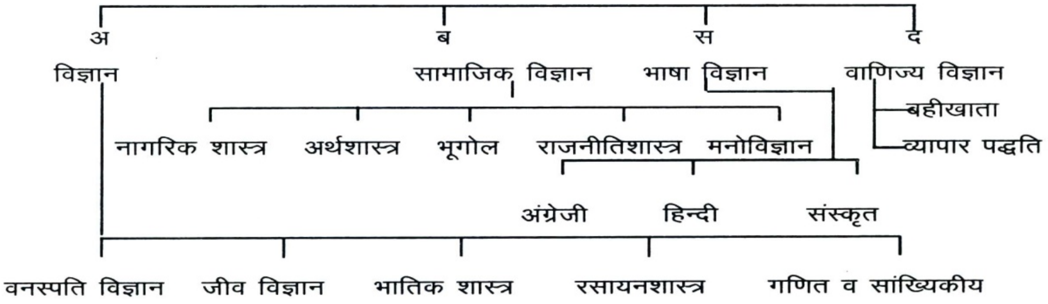

चित्र संख्या : 12.1

भिन्न-भिन्न विषयों की प्रकृति भी भिन्न-भिन्न होती है । इसलिए प्रत्येक विषय की प्रयोगशाला के लिए उसी के अनुसार उपकरणों की आवश्यकता होती है । जे.बी.बीचमैन तथा जे.डम्हवाल्डविन ने सामाजिक विज्ञानों की प्रयोगशाला में निम्न वस्तुओं को अनिवार्य बतलाया है

1. एक बडा स्वच्छ एवं हवादार कक्ष ।
2. पर्याप्त संख्या में मेज व कुर्सी की व्यवस्था हो ।
3. श्यामपट्ट एवं बुलेटिन बोर्ड की उपर्युत व्यवस्था हो ।
4. आलमारियां
5. प्रक्षेपण यंत्र (ओवरहैड तथा स्लाइड प्रोजेक्टर)
6. आवश्यक शिक्षण सामग्री जैसे नागरिक शास्त्र की प्रयोगशाला में राजनेताओं, पदाधिकारियों के चित्र, चार्ट, ग्राम, समय-रेखा, फिल्म, स्लाइड्स आदि होनी चाहिए ।
7. विषय से संबंधित संदर्भ नथ, शब्दकोष, समाचार पत्र, पत्रिकायें आदि नागरिक शास्त्र की प्रयोगशाला में ये सभी नागरिक शास्त्र से संबंधित होनी चाहिए ।
8. रेडियो, टेलीविजन, बीसी.आर एवं टेपरिकार्डर ।
9. विषय से संबंधित मॉडल ।
10. अध्यापक का कक्ष ।

प्रयोगशाला के लाभ (Advantage of Laboratory) - नागरिक शास्त्र की एक अच्छी प्रयोगशाला न केवल छात्रों का अध्ययन के लिए प्रेरित करती है । बल्कि उनके ज्ञान को स्थायित्व भी प्रदान करती है । छात्रों में विभिन्न कौशलों का विकास होता है । प्रयोगशाला के निम्नलिखित लाभ है -

1. व्यावहारिक शिक्षा (Practical Education) - प्रयोगशाला की स्थापना से छात्रों को पुस्तकीय एवं सैद्धान्तिक ज्ञान के स्थान पर वास्तविक एवं व्यावहारिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है ।

2. शिक्षण में रोचकता (Interest in teaching) - प्रयोगशाला में छात्र शिक्षक के मार्ग दर्शन में विभिन्न प्रयोजनाओं पर कार्य करते हु ए ज्ञानार्जन करते हैं । इससे शिक्षण में नवीनता एवं रोचकता आती है ।

3. प्रत्यक्ष अनुभव (Direct Experience) - प्रयोगशाला में विद्‌यार्थी कार्य करके सीखता है जिससे उसे प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होते हैं । छात्र जिस ज्ञान को क्रिया करके सीखता है वह स्थाई तथा जीवनोपयोगी होता है ।

4. नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग (Use of New Teaching Methods) - परम्परागत कक्षा शिक्षण में जहाँ अध्यापक एक ही विधि द्‌वारा शिक्षा करता है । प्रयोगशाला में अनेक नवीन शिक्षण विधियों के द्‌वारा शिक्षण कर सकता है । जैसे प्रयोगशाला विधि, सामान्य समाधान विधि, डाल्टन विधि, खेल विधि आदि । इनसे अधिगम सरलता से हो जाता है ।

5. बालक का सर्वागीण विकास (All-round Development of a child) - प्रयोगशाला बालकों में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत गुण विकसित करने में सक्षम है जैसे अवलोकन, धैर्य, तर्क, चिन्तन, निष्कर्ष निकालना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कार्य के प्रति निष्ठा एवं सकारात्मक दृष्टिकोण आदि । इन गुणों के विकास से बालक का सर्वागीण विकास संभव है ।

6. विभिन्न कौशलों का विकास (Development of Different Skill) - प्रयोगशाला में कार्य करने से बालक की ज्ञानेन्द्रियां लिप्त होती है । वह स्वयं कार्य करना सीखता है जिससे विभिन्न कौशलों का विकास स्वाभाविक रूप से बिना अतिरिक्त श्रम के हो जाता है ।

7. श्रम एवं धन की बचत (Saving of labour and money) - प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले उपकरण वहीं रखे होते है जिससे बार-बार कक्षा कक्ष में ले जाने में लगने वाले श्रम को बचाया जा सकता है तथा इधर-उधर ले जाने एवं लानेमें होने वाली क्षति को रोका जा सकता है जिससे अप्रत्यक्ष रूप से धन की भी बचत होती है ।

8. सामाजिकता की भावना का विकास (Development of Social Feeling) - प्रयोगशाला में सभी छात्र एक साथ बैठकर कार्य करते है जिससे उनमें सामाजिकता की भावना का विकास होता है ।

9. उपयुक्त वातावरण (Proper Enviornment) - विषय की प्रयोगशाला छात्रों को उस विषय की प्रकृति के अनुसार वातावरण प्रदान करने में सक्षम होती है । जिससे छात्रों में विषय के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास होता है । इस प्रकार छात्रों में उस विषय के बारे में अधिक से अधिक जानने की रूचि जागत की जा सकती है ।

12.3 संग्रहालय (Museum)

संग्रहालय बालक को शिक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन है । यह वह स्थान है जहां कला, साहित्य, विज्ञान तथा नागरिक शास्त्र से संबंधित सामग्री का संग्रह होता है । इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए माध्यमिक शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते है । नागरिक शास्त्र शिक्षण में स्त्रोत विधि की सफलता के लिए संग्रहालय का विशेष महत्व है । अत: नागरिक शास्त्र शिक्षक को चाहिए कि वह जहां तक संभव हो विद्यार्थी को संग्रहालय दिखा कर लाये तथा शिक्षण करते समय उन वस्तुओं से संबंध स्थापित करें जो छात्रों ने संग्रहालय में देखी हों ।

संग्रहालय का महत्व (Importance of Museum) - संग्रहालय के महत्व को निम्न बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है -

1. संग्रहालय में नागरिक शास्त्र से संबंधित सामग्री को देखने से छात्रों के सामान्य ज्ञान एवं विषय ज्ञान में वृद्धि होती है ।
2. ऐतिहासिक सामग्री को देखकर छात्रोंमें यह विश्वास दृढ होता है कि नागरिक शास्त्र काल्पनिक नही है और इस प्रकार विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता है ।
3. छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास होता है जैसे अवलोकन, तर्क, कल्पना तथा निर्णय आदि
4. छात्र संग्रहालय में तथ्यों से संबंधित सामग्री को देख कर उन्हें स्वाभाविक रूप से समय लेते है जिससे उन्हें रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती ।
5. नागरिक शास्त्र को पढने के लिए प्रेरणा मिलती है तथा इसमें रूचि उत्पन्न होती है ।
6. संग्रहालय में रखी सामग्री को देख कर छात्र अतीत की घटनाओं को लिखता है । जिससे उसमें विचार अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है ।

7. संग्रहालय जैसी राष्ट्रीय विरासतों के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास होता है । इनके द्वारा राष्ट्रीय विरासतों को सुरक्षित रखा जा सकता है ।

विद्यालय में नागरिक शास्त्र संग्रहालय की व्यवस्था हेतु सुझाव (Suggestions for the arrangement of Civics museum in school) - विद्यालय में नागरिक शास्त्र संग्रहालय की व्यवस्था करते समय निम्न तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए -

1. संग्रहालय की मूल्यवान एवं दुर्लभ वस्तुओं को शे-केस में रखना चाहिए ।
2. विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों की कटिंग एलबम में रखनी चाहिए ताकि वे अधिक समय तक सुरक्षित रखी जा सकें ।
3. राष्ट्रीय महत्त्व की वस्तुओं के चित्र को फ्रेम करवा कर दोवार पर लगाने चाहिए ।
4. प्राचीन राष्ट्रीय महत्त्व की वस्तुओं आदि से संबंधित वस्तुओं को शीशे की आलमारियों में रखा जाना चाहिए । इनके साथ इनका संक्षिप्त विवरण भी होना चाहिए ।
5. चित्र, चार्ट, रेखाचित्र, प्रतिरूप. मानचित्र, समय-सारणी आदि छात्रों से बनवाई जा सकती है ।
6. विश्व राजनीति का ज्ञान कराने के लिए विद्यालय संग्रहालय में विदेशी मुद्रा, वहाँ का ध्वज, प्रतीक चिन्ह, स्टाम्प्स आदि भी रखे जाने चाहिए ।
7. महत्वपूर्ण शिला लेख, किलो, ऐतिहासिक, इमारतें आदि के प्रतिरूप बनवा कर अथवा यदि उपलब्ध हो तो बाजार से खरीद कर रखे जाने चाहिए जैसे दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु आदि ।
8. नागरिक शास्त्र से संबंधित संदर्भग्रन्थ जीवनियां पुस्तकें, यात्रा वृत्त, आत्म कथाएं आदि भी संग्रहालय में रखी जानी चाहिए ।
9. छात्रों को भी संग्रहालय के लिए उपयोगी वस्तुओं के संग्रह के लिए प्रेरित किया जायें । ऐसा करने वाले छात्र को पुरस्कृत किया जायें तथा उसके द्वारा लाई गई वस्तु पर उसका नाम अंकित किया जाना चाहिए ताकि अन्य छात्रों को भी प्रेरित किया जा सकें ।

12.4 सामुदायिक वातावरण (Community Envioronment)

विद्यालय एवं समुदाय शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक साधन है जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है । विद्यालय की स्थापना समुदाय के परिक्षेत्र में होती है और समुदाय विद्यालय की स्थापना अपने विकास के लिए करता है । इसलिए विद्यालय का सदैव ही यह प्रयास होना चाहिए कि वह समुदाय की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुसार कार्य करें । इसके लिए उसे समुदाय से संपर्क बनाये रखना होगा । बालक को सकारात्मक दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करने का कार्य विद्यालय करता है तो समुदाय का वातावरण भी सकारात्मक गतिविधियों को प्रेरित करेगा । इसलिए कहा जाता है कि विद्यालय समाज का प्रतिबिम्ब होते है। जॉन ड्यूबी ने विद्यालय को एक सामाजिक संस्था स्वीकार करते हु ए कहा है - जिस प्रकार शरीर को कायम रखने हेतु भोजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार समुदाय के अस्तित्व के लिए शिक्षा आवश्यक होती है और इसके लिए शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन के रूप में विद्यालय की आवश्यकता होती है । यह संस्था बालकों को उन सामाजिक क्रियाओं का प्रशिक्षण प्रदान करती है

जो वर्तमान सामाजिक जीवन में प्रचलित है । अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि शिक्षा बालक को समाजपयोगी नागरिक बनाने में सहयोग करती है ।

वैश्वीकरण के इस युग में प्रत्येक समुदाय अपना विकास तीव्र गति से करना चाहता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि विद्यालय एवं समुदाय के संबंध प्रगाढ हो तथा दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करें । विद्यालय तथा समुदाय के संबंध सशक्त होने चाहिए इस तथ्य को स्वीकार करते हुए डी. जे.पी. सैय्यदन ने कहा है - ' स्कूल और समुदाय का सहयोग माता-पिता, अध्यापक या विद्यार्थी और समुदाय के परस्पर संबंध से भी अधिक बुनियादी वस्तु है । स्कूल के लक्ष्य और उद्देश्य, उसकी शिक्षण विधियां और अनुशासन-सभी अन्ततः उस समुदाय के लिये जाते है जिसमें स्कूल स्थित है । यदि दोनों में सजीव और गतिशील संबंध नहीं है तो शिक्षा निर्जीव और अवास्तविक होगी तथा उसका बच्चों के मन और चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं होगा । "

विद्यालय तथा समुदाय के संबंधों को सक्षम बनाने के उपाय (Measures to make school and community relationship more strengthen) - विद्यालय तथा समुदाय के संबंधों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निम्न तथ्यों को मध्यनजर रखना आवश्यक है -

1. विद्यालय में शिक्षक अभिभावक संघ स्थापित किये जायें विद्यालय में विभिन्न आयोजनों में अभिभावकों को आमंत्रित किया जायें । सत्र पर्यन्त एक निश्चित अन्तराल के पश्चात् शिक्षक अभिभावक दिवस आयोजित किये जाये जिसमें अभिभावकों को आवश्यक रूप से बुलाया जायें ।
2. छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का विशेष ध्यान रखा जायें तथा उसी के अनुरूप शिक्षण की व्यवस्था की जायें । यदि किसी छात्र की कोई विशेष समस्या हो तो अभिभावकों के सहयोग से उसका निदान किया जायें ।
3. विद्यालय में एक परामर्श समिति गठित की जायें जिसका कार्य शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान करना है ।
4. समाज में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में विद्यालय का सहयोग लिया जाये जैसे किसी रोग के प्रति जागरूकता के लिए रैली आदि निकालना, किसी समस्या के प्रति जन जागृति करना । इन कार्यो में विद्यालय के छात्र एवं शिक्षक समाज का सहयोग कर सकते है ।
5. प्रत्येक विद्यालय की एक प्रबंध समिति हो जिसमें समुदाय के सदस्य भी हों । यह प्रबंध समिति जन सहयोग से विद्यालय की समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी लें । जैसे विद्यालय में स्वच्छ जल, शोचालय आदि की व्यवस्था समुदाय के सहयोग से की जा सकती है ।
6. विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रम जैसे वार्षिकोत्सव, राष्ट्रीय पर्व आदि पर समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया जायें, उन्हें विद्यालय को प्रगति से अवगत कराया जायें तथा विद्यालय की प्रगति के लिए उनके सुझाव आमंत्रित किये जायें ।

7. विद्यालय में समुदाय के 'कुछ विशेषज्ञों के भाषण आयोजित किये जायें तथा इनके विद्यालय के शिक्षकों एवं छात्रों को भी अपने विचार अभिव्यक्ति करने का अवसर दिया जायें । इससे दोनों में वैचारिक आदान-प्रदान होगा ।
8. सामुदायिक कल्याण से संबंधित गतिविधियों का आयोजन विद्यालय भवन में किया जायें जैसे प्रौढ़ शिक्षा, सेमीनार आदि के आयोजन में विद्यालय भवन का उपयोग कर दोनों के संबंधों को प्रगाढ बनाया जा सकता है ।
9. समुदाय में आयोजित विभिन्न समारोह जैसे मेले, उत्सव आदि में छात्रों को स्वयं सेवक की भूमिका का निर्वाह करने के लिए भेजा जाना चाहिए ।
10. विद्यालय गे उपलब्ध शैक्षिक सामग्री का उपयोग सामुदायिक शिक्षा हेतु किया जायें ।
11. विद्यालय पुस्तकालय का उपयोग समुदाय के लेख भी कर सके । इसके लिए उपयुक्त समय निर्धारित किया जा सकता है ।
12. विद्यालय में आयोजित खेल कूद संबंधी क्रियाओं के आयोजन में निर्णायक के रूप में समुदाय के व्यक्तियों को आमंत्रित किया जा सकता है जिनका इस क्षेत्र में निजी अनुभव है ।
13. विद्यालय में उपलब्ध निर्देशन सेवाओं का लाभ समुदाय के सदस्य भी उठा सकें । विद्यालय द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए ।
14. विद्यालय में अच्छा शैक्षिक वातावरण प्रदान किया जायें जिससे अनुशासन की समस्या उत्पन्न नहीं हो और यदि उत्पन्न हो भी जायें तो उसका उपचार समुदाय के सहयोग से किया जाना चाहिए ।

इस प्रकार विद्यालय एवं समुदाय को एक दूसरे के समीप लाकर शिक्षण एवं अधिगम के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया जा सकता है । वर्तमान में हुए विभिन्न शोध अध्ययन से पता चलता है कि कक्षा कक्ष तथा विद्यालय का सामाजिक वातावरण छात्रों के व्यक्तित्व, व्यवहार तथा शैक्षिक उपलब्धियों को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करता है । अत: अध्यापकों का परम कर्तव्य है कि वे विद्यालय के वातावरण को अधिगोन्मुखी बनायें । छात्रों में संकीर्ण विचारधारा का विकास न होने से अनुशासनहीनता को न पनपने दें, उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें व संपूर्ण वातावरण को सोहार्दपूर्ण बनायें ।

12.5 पुस्तकालय एवं अन्य संसाधन (Library and other Resource)

विद्यालय में पुस्तकालय का महत्वपूर्ण स्थान होता है कुछ शिक्षाविदों ने इसे विद्यालय का हृदय कहा है । विद्यालय वह स्थान है जहां व्यक्ति अपना बौद्धिक विकास तथा साहित्यिक ज्ञान में वृद्धि कर सकता है । पुस्तकालय में छात्र पुस्तकों के अतिरिक्त संदर्भ ग्रन्थो, पत्र-पत्रिकाओं आदि का अध्ययन कर अपने ज्ञान में अभिवृद्धि कर सकते है । बी.आर एफ कैली के मतानुसार - "पुस्तकालय ज्ञान को सुरक्षित रखते है ताकि कुछ भी खो न जायें ज्ञान को संगठित रखते है ताकि कुछ भी उससे वंचित न रहें ।" पुस्तकालय के महत्व को स्पष्ट करते हुए माध्यमिकशिक्षा आयोग ने लिखा है - "व्यक्तिगत कार्य समुह प्रयोजन कार्य, शैक्षिणिक व मनोरंजक कार्य तथा पाठयक्रम सहगामी क्रियाओं के लिए अच्छे तथा दक्ष पुस्तकालय का होना

आवश्यक है । छात्रों की रूचियों का विकास उनके शब्द भंडार का वर्धन तथा कक्ष में अर्जित ज्ञान की वृद्धि करना - यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि छात्रों को पुस्तकालय में कितने साधन उपलब्ध है । "

Individual work, the persuit of group perfects, many academy hobbies and co-curricular activities postulate the existences of a good, efficiently managed library. To broaden interest of students to increase vocabulary of students and to know more about the topic discussed in the class or text book, students depend upon the resources available in the library"

–Secondary Education Commission

पुस्तकालय का महत्व (Importance of Library) - अग्रलिखित बिन्दुओं के द्वारा पुस्तकालय के महत्व को समझा जा सकता है -

1. बालकों के ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है ।
2. छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास किया जा सकता है ।
3. छात्रों में आत्मानुशासन एवं उत्तर दायित्व की भावना का विकास किया जा सकता है ।
4. छात्रों को पुस्तकों के उचित प्रयोग का प्रशिक्षण मिलता है ।
5. पुस्तकालय से छात्रों को आधुनिकतम साहित्य का परिचय प्राप्त होता है ।
6. छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है ।
7. छात्रों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया जा सकता है ।
8. पुस्तकालय का प्रयोग छात्रों को समय का पाबंद बना देता है क्योंकि पुस्तकालय की पुस्तकें उसे समय पर लौटानी होती है ।
9. पुस्तकालय में छात्र सदैव अध्ययनरत रहता है अत: वह अप्रत्यक्ष माध्यमों द्वारा जीवन के नये-नये अनुभवों को प्राप्त करता है ।
10. छात्रों में मौन-पाठन की आदतों का विकास होता है ।

पुस्तकालय के प्रकार (Types of Library)

नागरिक शास्त्र पुस्तकालय (Civics Library) -

विद्यालय में नागरिक शास्त्र का पुस्तकालय अवश्य होना चाहिए । नागरिक शास्त्र भिन्न प्रकृति का विषय है जिसे नोट्स विषय माना जाता है । नागरिक शास्त्र का पृथक पुस्तकालय होने से छात्रों को अच्छी पुस्तकें पत्र-पत्रिकाएं पढने का अवसर मिलेगा । इसे छात्रों में नागरिक शास्त्र के प्रति रूचि विकसित करने के साथ ही विषय के प्रति उनके दृष्टिकोण को भी धनात्मक बनाने में मदद मिलेगी । विद्यालय में नागरिक शास्त्र पुस्तकालय की व्यवस्था इस प्रकार से की जानी चाहिए ताकि छात्र सरलता से यहां उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री का अवलोकन एवं अध्ययन कर अपने ज्ञान भंडार को व्यापक बना सकें ।

नागरिक शास्त्र के पुस्तकालय में अच्छी पुस्तकों का संकलन किया जाना चाहिए । पुस्तकें जो मंगवाई जायें वे शिक्षक एवं छात्रों के लिए उपयोगी हों । अच्छे लेखकों की पुस्तकें ही खरीदी जानी चाहिये । पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान, संदर्भ ग्रन्थ, स्त्रोतों महापुरूषों

की जीवनियां आदि भी पुस्तकालय में होनी चाहिए । छोटी कक्षा के बच्चों में नागरिक शास्त्र के प्रति रूचि विकसित करने के लिए चित्रात्मक पुस्तकें तथा कहानियों की पुस्तकें रखी जा सकती है । कक्षा अध्यापन के समय अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को उस पाठ्यवस्तु से संबंधित अन्य पुस्तकों की जानकारी प्रदान करें तथा उनका अध्ययन करने के लिए प्रेरित करें । अध्यापक गह कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करें । अध्यापक गृह कार्य को पूरा करने के लिए सहायक पुस्तकों से मदद लेने के लिए भी छात्र को प्रेरित कर सकता है । नागरिक शास्त्र विषय को, रोचक बनाने के लिए अध्यापक विचार-विमर्श, वाद-विवाद तथा प्रायोजना आदि विधियों का प्रयोग करें तथा छात्रों को इनकी तैयारी के लिए पुस्तकालय में इसे संदर्भ संदर्भ मथों की जानकारी प्रदान करें ताकि अन्य सहायक पुस्तकों से छात्र अच्छी तैयारी कर सकें । इस प्रकार नागरिक शास्त्र शिक्षण में रोचकता उत्पन्न हो सकेगी तथा छात्र इस विषय का गहनता के साथ अध्ययन कर सकेंगे । नवीन शिक्षण विधियों की सफलता के लिए भी विषय पुस्तकालय का होना आवश्यक है ।

पुस्तकालय के प्रकार (Types of Library) -

1. **केन्द्रीय पुस्तकालय (Central Library)**
2. **कक्षा पुस्तकालय (Class Library)**
3. **विषय पुस्तकालय (Subject Library)**

1. केन्द्रीय पुस्तकालय (Central Library) - केन्द्रीय पुस्तकालय में सभी कक्षाओं तथा सभी विषयों की पुस्तकें रखी जाती है । इसमें पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि रखे जाते है । इसकी व्यवस्था के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष होता है ।

2. कक्षा पुस्तकालय (Class Library) - कक्षा पुस्तकालय प्रत्येक कक्षा में होता है । इसमें उस कक्षा की पुस्तकें रखी जाती है । इसका अध्यक्ष कक्षा अध्यापक होता है । इसके लिए कक्षा-कक्ष में ही एक आलमारी की व्यवस्था करनी होती है । छात्रों को पुस्तकालय प्रयोग का प्रशिक्षण देने का यह एक अच्छा माध्यम है ।

3. विषय पुस्तकालय (Subject Library) - प्रत्येक विषय की पुस्तकें अलग-अलग रखने की व्यवस्था विषय पुस्तकालय कहलाती है । इसमें अनुभवी तथा रूचि रखने वाले अध्यापक अपने विषय को प्रिय बनाने तथा उसके विषय के छात्रों की उपलब्धियों का उच्च रखने के लिए विषय पुस्तकालय बनाते है । प्रत्येक प्रकार के पुस्तकालय के गुण तथा सीमा है । किसी भी एक व्यवस्था को सर्वोत्तम नहीं कहा जा सकता है । विशेषज्ञों के अनुसार सर्वोत्तम व्यवस्थ केन्द्रीय पुस्तकालय तथा विषय पुस्तकालय का मिला जुला रूप है । इसमें एक केन्द्रीय पुस्तकालय होता है । तथा प्रत्येक विषयाध्यापक की देखरेख में एक विषय पुस्तकालय होता है । पत्र पत्रिकाऐ तथा सामान्य पुस्तके केन्द्रीय पुस्तकालय में रखी जायें तथा प्रत्येक विषय की पुस्तकें उस विषय के पुस्तकालय में रखी जाती है । प्रत्येक पुस्तक की दो-दो प्रतियां खरीदी जायें । एक प्रति केन्द्रीय पुस्तकालय में तथा दूसरी प्रति को विषय पुस्तकालय में रखा जा सकता है । नागरिक शास्त्र पुस्तकालय भी विषय पुस्तकालय की श्रेणी में आता है ।

अन्य संसाधन (Other Resources) -

नागरिक शास्त्र शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कुछ अन्य संसाधनों का प्रयोग भी किया जा सकता है । जिसमें से कुछ पर्यटन, नाटकीकरण, सामाजिक उत्सव, मेले, शोभायात्रायें,

संगोष्ठियां तथा नागरिक शास्त्र क्लब इत्यादि है । विद्यालय द्वारा इनसैट की सुविधा भी प्रदान की जा सकती है ।

- **पर्यटन (Excurssion)** - नागरिक शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसका सैद्धान्तिक ज्ञान पर्याप्त नहीं होता है । नागरिक शास्त्र शिक्षण को प्रभावी रोचक तथा बोधगम्य बनाने के लिए छात्रों को शासन से संबंधित स्थलों का अवलोकन कराने के लिए वहां ले जाना चाहिए । जिससे छात्र का मनोरंजन तो होता ही है साथ ही प्राप्त ज्ञान व्यावहारिक तथा अधिगम स्थाई होता है । पर्यटन के समय छात्र द्वारा प्राप्त किया गया प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होता है । स्थानीय शासन को पढाने का यह सबसे सुगम प्रभावी माध्यम है।
- **नाटकीकरण (Dramatization)** - नागरिक शास्त्र शिक्षण में रोचकता उत्पन्न करने के लिए नाटकीकरण का प्रयोग किया जा सकता है । नागरिक शास्त्र के विभिन्न प्रकरणों को अभिनय के माध्यम से बहुत ही कम समय में सरलता से समझाया जा सकता है । इसके द्वारा छात्रों में संवेग, कल्पना, स्मृति आदि का विकास किया जा सकता है । महापुरूषों की जीवनियों जैसे अनेक शीर्षकों का शिक्षण नाटकीकरण के माध्यम से सफलतापूर्वक किया जा सकता है ।
- **राष्ट्रीय उत्सव (Festival) -** राष्ट्रीय उत्सवों के माध्यम से छात्र उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जान सकेंगे । किसी भी उत्सव को मनाने की परम्परा किस शासक के शासन काल से प्रारम्भ हुई तथा किस-किस में इन्हें संरक्षण प्रदान किया इसकी जानकारी भी इनसे मिलती है ।
- **मेले (Fair) -** मेले हमारे गौरवशाली अतीत की पहचान है । इनसे न केवल मनोरंजन होता है बल्कि हम भावी पीढी को उसके अतीत के बारे में जानकारी भी प्रदान कर सकते है । इससे वे अपने अतीत पर गौरव कर सके तथा इसके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर सकेंगे । राजस्थान का मरूमेला, पुस्तक मेला इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है ।
- **संगोष्ठियां (Seminar) -** कक्षा-कक्ष के वातावरण से भिन्न वातावरण में छात्र के ज्ञान में वृद्धि करने का एम प्रभावी माध्यम है संगोष्ठि । संगोष्ठि में विशेषज्ञों के विचारों को सुनने का अवसर छात्रों को मिलता है । इससे उनके ज्ञान में वृद्धि तो होती ही है । साथ ही अनेक प्रत्यक्ष अनुभव भी प्राप्त होते है । विभिन्न विषयों पर संगोष्ठियों का आयोजन करके भी नागरिक शास्त्र शिक्षण को रोचक बनाया जा सकता है ।
- **राजनैतिक क्लब (Civics Club) -** विद्यालय में राजनैतिक क्लब का गठन कर समय-समय पर वार्ता, वाद-विवाद, कार्य गोष्ठी, परिचर्चा आदि का आयोजन कर छात्र के ज्ञान तथा अधिगम दोनों में वृद्धि के साथ ही नागरिक शास्त्र में रूचि उत्पन्न की जा सकती है।
- **इन्टरनेट (Internet) -** विद्यालय में छात्रों को इन्टरनैट की सुविधा प्रदान कर भी हम उसकी रूचि विकसित कर सकते है । इन्टरनैट के माध्यम से छात्र विषय से संबंधित नवीनतम सूचनाएं तुरन्त प्राप्त कर सकता है तथा अपनी ज्ञान पिपासा को शांत कर सकता है ।

12.6 सारांश

(Summary)

नागरिक शास्त्र कक्ष के द्वारा छात्रों में नागरिक शास्त्र के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता हैं इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय में नागरिक शास्त्र कक्ष अवश्य हो जहां चित्र चार्ट, मॉडल, मानचित्र, उपयुक्त तथा पर्याप्त फर्नीचर हों । रेखाचित्र, प्रतिरूप आदि को शो-केस अथवा आलमारियों में सुरक्षित रखा जाना चाहिए तथा आवश्यकता के समय उन्हें नागरिक शास्त्र शिक्षण को प्रभावी तथा रोचक बनाने के लिए प्रयुक्त किया जायें । इनके प्रयोग से छात्रों को सीखने के अधिक अवसर प्राप्त होते है और वे स्वयं क्रिया करके सीख सकते है । जिससे शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति आसानी से की जा सकती है । साथ ही विद्यार्थी की पूर्ति आसानी से की जा सकती है ।

विज्ञान की भांति वर्तमान युग में भाषा तथा सामाजिक विज्ञान के लिए भी प्रयोगशाला की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है । इससे बालकों को प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा सीखने के अवसर उपलब्ध होते है । परिणामस्वरूप ज्ञान स्थाई तथा व्यवहारिक बनता है । प्रयोगशाला में मिलजुल कर एक साथ कार्य करने के कारण छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास किया जा सकता है । उपयुक्त वातावरण प्रदान कर छात्रों में अनेक कौशलों का विकास किया जा सकता है । नागरिक शास्त्र शिक्षक विद्यालय में नागरिक शास्त्र की प्रयोगशाला की व्यवस्था कर अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है । इसके लिए उसका उत्साही, सृजनशील तथा श्रमशील होना आवश्यक है । नागरिक शास्त्र के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति तथा ऐतिहासिक तथ्यों में विश्वास से ही वह ऐसा करने में सक्षम हो सकता है ।

संग्रहालय नागरिक शास्त्र शिक्षण को रोचक तथा प्रभावी बनाने का एक सशक्त माध्यम है । संग्रहालय में छात्र ऐतिहासिक वस्तुओं का अवलोकन करता है तथा अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा विषय वस्तु से उनका संबंध स्थापित करता है । इससे उसके सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है । विषय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होता है । छात्रों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के संग्रह की आदत विकसित होती है । राष्ट्रीय महत्व के स्थलों तथा वस्तुओं के संरक्षण की प्रेरणा प्रदान की जा सकती है । इसलिए विद्यालय में नागरिक शास्त्र शिक्षक को विद्यालय के अन्य शिक्षकों, छात्रों तथा अभिभावकों के सहयोग से एक संग्रहालय की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि नागरिक शास्त्र को रोचक बनाया जा सकें ।

विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय छात्रों के ज्ञान भंडार में वृद्धि करने, स्वाध्याय की आदत का विकास आत्मविश्वास में वृद्धि, पुस्तकों के उचित प्रयोग तथा रख रखाव का प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक होता है । विषय पुस्तकालय छात्रों में उस विषय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास के साथ हो सकता है । नागरिक शास्त्र पुस्कालय की स्थापना करके छात्रों में नागरिक शास्त्र के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति तथा रूचि को विकसित किया जा सकता है । अध्यापक अपने व्यक्तिगत प्रयासों प्रधानाध्यापक, अन्य अध्यापकों, छात्रों तथा अभिभावकों से सहयोग प्राप्त कर विद्यालय में एक पुस्तकालय की व्यवस्था कर सकता है ।

नागरिक शास्त्र एक आदर्श विषय है इसके द्वारा शिक्षार्थियों में नेतृत्व, अनुकरण तथा सामूहिक क्रियाओं के प्रति रूझान होता है । साथ ही स्वशासन से उत्तरदायित्व की भावना का

विकास होता है 1 अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी होती है । अत: नागरिक शास्त्र में शिक्षक तथा शिक्षण विधियों का अत्यधिक महत्त्व है । इससे इस विषय को प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

निर्देश - नीचे दिये गये प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए ।

1. नागरिक शास्त्र कक्ष में कौन-कौन सी सामग्री होनी चाहिए?
2. नागरिक शास्त्र कक्ष की व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए ।
3. नागरिक शास्त्र कक्ष शिक्षण को सजीव बना देता है, कोई दो कारण बताईये ।
4. नागरिक शास्त्र कक्ष की व्यवस्था में किन संसाधनों का सहयोग लिया जा सकता है?
5. प्रयोगशाला के लिए आवश्यक पांच उपकरणों के नाम बताईये ।
6. प्रयोगशाला सीखने के किस सिद्धान्त पर आधारित होती है?
7. नागरिक शास्त्र की प्रयोगशाला से धन एवं श्रम की बचत कैसे होती है?
8. विद्‌यालय में सभी विषयों की प्रयोगशालाएं क्यों नहीं बनाई जाती है? कोई दो कारण लिखिए ।
9. संग्रहालय छात्रों के विषय ज्ञान में वृद्धि करता है । ....
10. संग्रहालय छात्रों को विश्वास दिलाता है कि नागरिक शास्त्र एक आदर्श विज्ञान है ।
11. संग्रहालय बालकों की मानसिक कुशलताओं के विकास में सहायक है । ....
12. राष्ट्रीय विरासत के संरक्षण में संग्रहालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । ....
13. पुस्तकालय ज्ञान को सब के लिए प्राप्य बनाते है । ....
14. पुस्तकालय छात्रों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है । ....
15. पुस्तकालय का प्रयोग करने से छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है । ...
16. पुस्तकालय आत्म विश्वास में वृद्धि करते है । ....
17. केन्द्रीय पुस्तकालय में पुस्तकालयाध्यक्ष का होना आवश्यक है ।....................
18. नागरिक शास्त्र में नाटकीकरण प्रयोग से क्या लाभ है?
19. स्थलीय स्वशासन का ज्ञान छात्रों को किन-किन साधनों से प्राप्त हो सकता है?
20. स्थानीय स्वशासन को जानने की क्या आवश्यकता हें?
21. नागरिक शास्त्र क्लब के माध्यम से कौन-कौन से कार्य किये जा सकते है?
22. नागरिक शास्त्र कक्ष नागरिक अध्ययन को अधिक प्रभावी एवं महत्वपूर्ण बनाता है, कैसे?
23. नागरिक शास्त्र प्रयोगशाला नागरिक के अध्ययन को और अधिक महत्व प्रदान करती है । इस कथन को मध्यवर रखते हुए स्पष्ट कीजिये कि आप नागरिक शास्त्र को किस प्रकार सुसज्जित करेंगे
24. ऐतिहासिक संग्रहालय का क्या महत्व है? विद्‌यालय में इसकी व्यवस्था हेतु सुझाव दीजिए ।

25. नागरिक शास्त्र शिक्षक किस प्रकार विद्यालय एवं समुदाय के संबंधों को प्रगाढ बना सकता है? स्पष्ट कीजिए ।

26. नागरिक शास्त्र के पुस्तकालय के लिए आवश्यक उपकरणों के नाम बताईये । इसे अधिक उपयोगी बनाने हेतु सुझाव दीजिए ।

12.7 संदर्भ ग्रंथ (Reference)

1. गुरसरण दास त्यागी – नागरिक शास्त्र शिक्षण (विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा)
2. हरिश चन्द्र व्यास – नागरिक शास्त्र शिक्षण (हिन्दी ग्रन्थ अकादमी)
3. भाई योगेन्द्रजीत – नागरिक शास्त्र शिक्षण की रूपरेखा (विनोद, पुस्तक मन्दिर, आगरा)
4. बघेला हेत सिंह – नागरिक शास्त्र शिक्षण (राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी)
5. डॉ. रामपाल सिंह – नागरिक शास्त्र शिक्षण (आरलाल बुक डिपो)

इकाई-13

नागरिक शास्त्र शिक्षण में नवाचार एवं उनका भविष्य
Innovations in Civics teaching and its future

इकाई की संरचना (Structure of Unit)

13.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य (Aims and Objectives)
13.1 प्रस्तावना (Introduction)
13.2 नवाचार का अर्थ, परिभाषा. आवश्यकता एवं महत्त्व, विशेषताएँ तथा प्रकार (Meaning, Definition, need and importance, characteristics and types of Innovations)
13.3 सूक्ष्म-शिक्षण (Micro Teaching)
13.4 पात्र अभिनय (Role Playing)
13.5 दल शिक्षण (Team Teaching)
13.6 अभिक्रमित अनुदेशन (Programmed Teaching)
13.7 दूरदर्शन (Television)
13.8 मस्तिष्क उद्वेलन (Brain Storming)
13.9 बहु कक्षीय शिक्षण (Multiclassroom Teaching)
13.10 दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था (Distance Education System)
13.11 सारांश (Summary)
13.12 संदर्भ ग्रंथ सूची (Bibliography)

13.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य (Aims and Objectives)

इस इकाई की सम्प्राप्ति पर आप -

1. नागरिक शास्त्र में विभिन्न नवाचारों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे ।
2. नवाचारों का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं उद्देश्य का अवबोधन कर सकेंगे ।
3. सूक्ष्म-शिक्षण के अर्थ एवं परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे ।
4. पात्र अभिनय की उपयोगिता की व्याख्या कर सकेंगे ।
5. दल-शिक्षण की आवश्यकता व महत्त्व का अवबोधन कर सकेंगे ।
6. अभिक्रमित अनुदेशन की प्रक्रिया का अवबोधन कर सकेंगे ।
7. दूरदर्शन की विषय शिक्षण में उपयोगिता व महत्त्व की व्याख्या कर सकेंगे ।
8. मस्तिष्क-उद्वेलन की अवधारणा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे ।
9. बहु कक्षीय शिक्षण व्यवस्था का सम्प्रत्यय एवं महत्त्व का अवबोधन कर सकेंगे ।
10. शिक्षा व्यवस्था की अवधारणा उपादेयता की व्याख्या कर सकेंगे

13.1 प्रस्तावना

(Introduction)

तेजी से बढ़ती जनसंख्या, तीव्र वैज्ञानिक प्रगति, उद्योगो की उन्नति, नगरों में बढ़ती जनसंख्या, राजनीतिक परिवर्तन, विश्व परिदृश्य में परिवर्तन आदि के कारण विकसित और विकासशील देशों में मानव के समक्ष अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई है । भारत जैसे विकासशील देश में बेरोजगारी, छात्र असंतोष, युवा असंतोष आदि अनेक समस्याएं शिक्षा प्रणाली एवं शिक्षाविदों के लिए गम्भीर चुनौती प्रस्तुत कर रही है । इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षाविदों, मनीशियों, विचारकों, शिक्षा समितियों एवं शिक्षा आयोगों ने शिक्षा में नये विचार, कार्यक्रम, विधियाँ एवं नवप्रणालियों की आवश्यकता पर बल दिया है । इस दिशा में कुछ परिवर्तन, यथा-दूरस्थ शिक्षा, खुला विश्वविद्यालय, जनशिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा आदि की गई है । शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे ऐसे परिवर्तन जिनसे नवीन प्रवृत्तियों, नवीन प्रयोगों, नवीन विधियों एवं नवीन तकनीकों को स्थान मिलता है, ये 'नवाचार' की श्रेणी में आते है ।

13.2 नवाचार का अर्थ, परिभाषा. आवश्यकता एवं महत्त्व,विशेषताएँ तथा प्रकार

(Meaning, Definition, need and importance, characteristics and types of Innovations)

13.2.1 नवाचार का अर्थ एवं अवधारणा (Meaning and concept of innovation)

नवाचार का शाब्दिक अर्थ - 'नवाचार' अंग्रेजी भाषा के शब्द इन्नोवेशन (Innovation) शब्द का हिन्दी रूपान्तर है । वही इसका अर्थ नई रीति या नये विचार का प्रचलन या नव निर्माण है । हिन्दी भाषा का शब्द नवाचार भी इसी अर्थ का द्योतक है । नवाचार शब्द नव फ़ आचार को मिलाकर बना है । जिनका अलग-अलग नया और व्यवहार अथवा आचरण है । नया व्यवहार का अभिप्राय प्रचलित परम्परा में नवीनता का समावेश है । शिक्षा में नवाचार का अभिप्राय स्थापित शिक्षा प्रणाली में नये व्यवहार अर्थात् नवीन विधियों एवं रीतियों का समावेश करना है ।

13.2.2 परिभाषाएँ (Definition)

नवाचार को अनेक विद्वानों ने अपने-अपने शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास किया है । नवाचार को स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषायें इस प्रकार है -

1. **एच.जी. बारनेट के अनुसार** - 'नवाचार एक विचार, व्यवहार अथवा वस्तु है, जो नवीन है और स्थापित स्वरूप से, गुणात्मक रूप से भिन्न है ।

2. **एमबी. माइल्स के अनुसार** - 'नवाचार सोच-समझकर किया. जाने वाला नवीन और विशिष्ट परिवर्तन है, जिसे किसी प्रणाली के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रभावकारी समझा जाता है ।"

नवाचार का प्रादुर्भाव एवं विकास - टार्सन -हुसैन (Torsten Husen) के अनुसार, 'शैक्षिक नवाचारों का उद्भव स्वतः, नहीं होता वरन् उन्हें खोजना पड़ता है तथा सुनियोजित ढंग से प्रयोग में लाना होता है ताकि शैक्षिक कार्यक्रमों को परिवर्तित परिवेश में गति मिल सकें और वे परिवर्तन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाये रख सकें । स्पष्ट है कि नवाचार स्वत: उद्भव नहीं होते, उन्हें सुनियोजित ढंग से विकसित करना पड़ता है । वर्तमान समय में जिन नवाचारों की चर्चा है, उनके विकास में बीसवी शताब्दी के कुछ महान विचारकों का प्रमुख योगदान है । इन महान शिक्षाशास्त्रियों द्वारा रचित पुस्तकों ने शिक्षाशास्त्रियों को नवीन दिशा एवं नये विचार दिये और परिवर्तन हेतु सोचने एवं कार्य करने को विवश किया । इनमें से कुछ विचारकों और उनकी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण यहां प्रस्तुत है -

डी स्कूलिंग सोसायटी (De Schooling Sociaty)- प्रसिद्ध शिक्षाविद् इवान इलिच द्वारा रचित क्रान्तिकारी पुस्तक Deschooling Sociaty में शिक्षा के लिए विद्यालयों की भूमिका को नकारते हुए विद्यालय मुक्त समाज की नवीन अवधारणा प्रस्तुत की । इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद शिक्षाशास्त्रियों शिक्षा की नीति निर्धारकों को एक नई दिशा प्रदान की ।

स्कूल इज डेड (School is Dead) - सत्तर के दशक में ही एवरेट रीमर (Everett Reimer) द्वारा लिखित इस पुस्तक में मौजूदा शिक्षा प्रणाली के नये एवं संगत विकल्प प्रस्तुत किये गये है । रीमर शिक्षा को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने पर बल देते है ।

पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड (Pedagogy of the Oppressed) - इस पुस्तक के रचनाकार पाल फ्रेरे (Paulo Freire) थे । उन्होंने इस पुस्तक में साक्षरता पर विशेष बल दिया । फ्रेरे ने निरक्षरता को मानव के लिए अभिशाप माना है । उनकी दृढ़ धारणा है कि साक्षरता अनेक समस्याओं के समाधान का साधन है ।

कम्पल्सरी मिसएजूकेशन (Compulsory Miseducation)-पाल गुडमैन (Paul goodman) द्वारा प्रणीत इस पुस्तक में अनिवार्य औपचारिक शिक्षा के स्थान पर अनौपचारिक शिक्षा को प्रमुखता दी । वे बालक के लिए विद्यालयीय शिक्षा को आवश्यक नहीं मानते ।

एसेज ऑन एजूकेशन (Essays on Education) - इस पुस्तक में परिवर्तन संबंधी नये दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए जूल्स हेनरी (Jules Henery) ने लिखा है कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए वह बालकों की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें ।

हाऊ चिल्ड्रन फेल (How to Children Fail) - इस पुस्तक में जॉन हाट (John Halt) ने उन कारणों पर प्रकाश डाला है जिनके कारण बालक विद्यालय में अपने आपको समायोजित नहीं कर पाता तथा असफल हो जाता है । जॉन हीट ने हाऊ चिल्हेन लर्न एवं द अच्छर अचीविग स्कूल (Under Achieving School) का भी प्रकाशन किया ।

लर्निग टू बी (Learning to be) - 1980 में भारत सरकार में विशेष सचिव उच्च शिक्षा डी किरीट जोशी ने लर्निग टू बी की धारणा प्रस्तुत की । इस धारणा में उन्होंने मूल्य आधारित शिक्षा पर बल दिया । उन्होंने सत्यं, शिवं, सुन्दरं को शिक्षा का लक्ष्य मानते हुए शिक्षा को स्वभाव, स्वदेश एवं स्वधर्म के अनुकूल विकसित करने पर बल दिया ।

13.2.3 नवाचार की आवश्यकता एवं महत्त्व (Need and importance of Innovation)

शिक्षा और समाज का घनिष्ठ संबंध है । ज्ञान की अभिवृद्धि, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति तथा भौतिकता के संचार के कारण समाज तेजी से बदल रहा है । लोगों की सोच, रहन-सहन का स्तर, आवश्यकताएं बदल रही है । समाज में सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिवर्तन भी तेजी से परिदृश्य को बदलते जा रहे है । इन परिवर्तनों के अनुरूप शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन नहीं हो पा रहे है, क्योंकि शिक्षा में स्वत: परिवर्तन महत्त्वपूर्ण नहीं होते, उन्हें सुविचारित ढंग से प्रायोजित किया जाता है । अतएव शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप लाने एवं जनआकाँक्षाओं की प्रतिपूर्ति हेतु सक्षम बनाने के लिए नये विचारों, नई तकनीकों, नई विधियों अर्थात् नवाचार की आवश्यकता है ।

सम्पूर्ण विश्व की भाँति भारत में परिवर्तनों का चक्र गतिमान है । 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ । स्वतंत्रता के फलस्वरूप राजनीतिक ढाँचे में मौलिक परिवर्तन हुआ । 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसमें मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों द्वारा भारतीय जनता को कतिपय अधिकार कर्त्तव्य दिये गये । इन अधिकारों एवं आश्वासनों की प्रतिपूर्ति एवं क्रियान्वयन हेतु लार्ड मैकाले द्वारा तैयार शिक्षा प्रतिरूप (मॉडल) में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव होती है ।

आर्थिक क्षेत्र में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सामन्ती एवं ब्रिटिशकालीन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के प्रयास किये गये । तीव्र आर्थिक - विकास एवं आत्म निर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गयी । इन पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत हमारी कृषि एवं औद्योगिक प्रणाली में तीव्र परिवर्तन हुए है । इस कारण देश के समक्ष अनेक नई समस्याएँ भी उत्पन्न हुई । तीव्र जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, उद्योगीकरण, पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई, जिनके समाधान हेतु शिक्षा प्रणाली समर्थ नहीं हो पा रही है । इसके लिए भी शिक्षा में नयेपन अर्थात् नवाचार को लागू करना आवश्यक है ।

भारतीय सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन हुए है । जातियों का बंधन शिथिल हुआ है, लिंग भेद जो पहले से ही मौजूद है, के प्रति चेतना जागत हुई है, साम्प्रदायिक सद्भाव बढाने की आवश्यकता अधिक तीव्र हुई है, सामाजिक शोषण के विरूद्ध मानसिकता का उदय हुआ है । ये और ऐसे ही अनेक अन्य परिवर्तन नवाचार की आवश्यकता प्रतिपादित करते है ।

इस प्रकार देश में हो रहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन आवश्यक है । भारतीय परिप्रेक्ष्य में नवाचार की आवश्यकता एवं महत्त्व को निम्नांकित बिन्दुओं के अंतर्गत व्यक्त किया जा सकता हैं-

1. कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु
2. वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के अनुरूप शिक्षा प्रणाली
3. वर्तमान न संख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु
4. तीव्र आर्थिक विकास हेतु
5. मानव संसाधन का विकास करने हेतु
6. रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु
7. विशिष्टीकरण की वृद्धि एवं तदजनिक समस्याओं की पूर्ति हेतु
8. सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप शिक्षा

9. पर्यावरण प्रदूषणजनित समस्याओं के समाधान हेतु

13.2.4 नवाचार की विशेषताएं (Characteristics of Innovation)

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर नवाचार की जो अवधारणा प्रकट होती है, उसके अनुसार नवाचार में निम्नांकित विशेषताएं स्पष्ट है -

1. नवाचार एक नया विचार है
2. नवाचार सचेतन एवं सप्रयास अपनाया जाता है ।
3. इसका लक्ष्य प्रचलित प्रणाली में सुधार लाना होता है, ताकि उससे श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किये जा सकें
4. नवाचार का उद्भव आवश्यकता एवं परिस्थितिजन्य होता हैं
5. नवाचार में सदैव विशिष्टता के तत्त्व विद्यमान होते है
6. नवाचार में लोचनशीलता गत्यात्कता एवं उत्पेरणा के गुण होते हैं ।

13.2.5

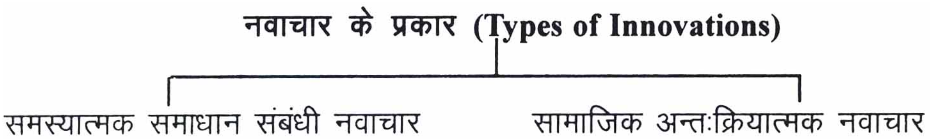

इन दोनों प्रकार के नवाचारों को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है ।

समस्या समाधान संबंधी नवाचार - स्थापित या प्रचलित प्रणाली, विधा या तंत्र में वांछित सुधार लाने के लिए अथवा किसी उत्पन्न समस्या के निराकरण के लिए जब कोई नवीन विधि या तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे नवाचार को समस्या संबंधी नवाचार की श्रेणी में रखा जाता है ।

सामाजिक अन्तःक्रियात्मक नवाचार - सामाजिक अन्तःक्रियात्मक नवाचार में ऐसे नवाचारों को सम्मिलित किया जात है जो अन्तःक्रिया (Interaction) द्वारा उद्भूत हों । उदाहरणार्थ शिक्षा के किसी उपकरण परिवार, समुदाय, विद्यालय द्वारा अन्य अंगो जैसे शिक्षकों और विचारकों द्वारा आपसी विचार-विमर्श एवं वाद-विवाद से किसी नवाचार की जानकारी या जन्म इस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. नवाचार का सामान्य अर्थ क्या है ?
   What is the general meaning of Innovation?
2. नवाचार कितने प्रकार के होते है ?
   What is the types of Innovation
3. नवाचार की तीन विशेषताये लिखिए।
   Mention three characteristics of Innovations?

13.3 सूक्ष्म-शिक्षण
(Micro Teaching)

सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रशिक्षण प्रणाली है जो शिक्षको (छात्राध्यापकों) को कक्षा शिक्षण प्रक्रिया की शिक्षा देती है । इसके अन्तर्गत हम शिक्षक के व्यवहार में कौशल-विकास के द्वारा वाँछित परिवर्तन लाने का प्रयास करते है । सूक्ष्म शिक्षण का विकास 1960- 67 के मध्य स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रो. ड्वाइट एलन एवं राबर्ट बुश द्वारा किया गया था ।

13.3.1 सम्प्रत्यय (Concept)

किसी एक अत्यन्त सक्षम तथा सीमित कौशल अथवा योग्यता को सीखने तथा विकसित करने हेतु किए गए शिक्षण कार्य को सूक्ष्म शिक्षण कहा गया है । यदि हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सूक्ष्म शिक्षण पर ध्यान दें तो ज्ञात होता है कि सूक्ष्म शिक्षण द्वारा जिस कौशल अथवा योग्यता का विकास कराया जाए, उसके तीन पक्ष आवश्यक है-

1. ज्ञानात्मक (Cognition)
2. प्रत्यक्षीकरण (Perception)
3. क्रियात्मक (Action)

सूक्ष्म शिक्षण द्वारा कौशलों के विकास की बात इसलिए आवश्यक व महत्वपूर्ण है क्योंकि वृहद शिक्षण (Macro Teaching) द्वारा हम विभिन्न कौशलों का प्रयोग तो कर सकते है किन्तु कितनी निपुणता से इसमें संदेह रहता हे । इसके पीछे यह कारण निहित है कि यथार्थ कक्षागत स्थिति में ज्ञान, प्रत्यक्षीकरण तथा क्रिया इन तीनों के समन्वय का अभ्यास असम्भव तो नही किन्तु कठिन अवश्य है । अत: वैयक्तिक विभिन्नताओं के कारण छात्राध्यापकों को विभिन्न कौशलों में अभ्यस्त करने हेतु सूक्ष्म शिक्षण की उपादेयता सिद्ध होती है । अत: तीनों पक्ष के माध्यम से शिक्षार्थी में कौशल विशेष की जानकारी प्रत्यक्षीकरण व क्रियात्मकता का विकास किया जाता है ।

13.3.2 परिभाषाएँ (Definition) -

1. **डी ऐलन के शब्दों में -** "सूक्ष्म शिक्षण समस्त को लघु क्रियाओं में बांटना है ।"
   "Micro-Teaching is a scaled down teaching encounter”

   -D. Allen

2. **ऐलन और ईव** - "यह वो नियंत्रित अभ्यास की प्रणाली है जो विशिष्ट व्यवहार पर केन्द्रित होना और शिक्षण को नियंत्रित परिस्थितियों में संभव बनाती है ।
   "A system of control practice that makes it possible to concentrate on specific teaching behavior and to practice teaching under controlled condition”.

   –Allen & Eve

13.3.3 सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धान्त (Principles of Micro teaching) - सूक्ष्म शिक्षण को प्रमुखत: पांच सिद्धान्तों पर आधारित बताया गया है-

- यह वास्तविक शिक्षण है जिसमें शिक्षण कौशल विकसित करने पर बल दिया जाता है ।

- सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या 5 से 10 तक होती है तथा अभ्यास का समय 5 से 10 मिनट तक होता है । इस दृष्टि से सूक्ष्म शिक्षण में सामान्य कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है ।
- एक समय में विषय वस्तु को विशेष कौशल से सम्बन्धित करके शिक्षण कार्य किया जाता है ।
- यह व्यक्तिगत प्रशिक्षण है ।
- सूक्ष्म शिक्षण में प्रशिक्षणार्थी को उसके शिक्षण के विषय में सुधार हेतु तुरन्त पृष्ठ पोषण (Feedback) दिया जाता है ।

13.3.4 सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य (Objective of Micro teaching) -

- प्रशिक्षणार्थियों को नियन्त्रित स्थितियों में शिक्षण कौशलों को सिखाना एवं आत्मसात करने में सक्षम बनाना ।
- प्रशिक्षणार्थियों को आत्मविश्वास के साथ विभिन्न कौशलों के प्रयोग में दक्ष बनाना ।
- शिक्षकों को सेवा पूर्व स्तर पर ही शिक्षण कौशल के घटकों के प्रयोग का प्रशिक्षण देना ।
- कम समय व साधनों में प्रशिक्षणार्थियों की शैक्षिक योग्यताओं का आवश्यक पृष्ठपोषण द्वारा सर्वोत्तम उपयोग करना ।

13.3.5 सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि के घटक (Components of Micro Technique) - इस प्रविधियों में निम्नलिखित घटकों का भाग देना अनिवार्य होता है । किसी भी घटक की अनुपस्थिति में इस प्रविधियों की सफलता संदिग्ध हो जाती है ।

1. **सूक्ष्म-शिक्षण की परिस्थिति (Micro- Teaching Situation)** -इस घटक में कक्षा का आकार, पाठ्य वस्तु की लंबाई तथा शिक्षण अविध आदि शामिल है । कक्षा में 5 से 10 तक विद्यार्थी होते है तथा शिक्षण अविध 6 मिनट तक की होती है ।
2. **शिक्षण कौशल (Teaching Skill)** - प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र-अध्यापक के शिक्षण कौशलों के विकास की ओर उचित ध्यान दिया जाता है ।
3. **छात्र-अध्यापक (Pupil - Teacher)** - अध्यापक का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को छात्र- अध्यापक कहा जाता है । प्रशिक्षण के दौरान इनमें विभिन्न योग्यताओं का विकास किया जाता है । जैसे कक्षा प्रबंध की क्षमता, अनुशासत्त स्थापित करने की क्षमता इत्यादि ।
4. **पृष्ठ पोषण के साधन (Feed back device)** - छात्र-अध्यापकों के व्यवहारों में परिवर्तन लाने के लिये उन्हें प्रति-पुष्टि प्रदान करनी आवश्यक होती है । वे प्रति-पुष्टि विडियो, ओडियो टेप तथा प्रति-पुष्टि प्रश्नावली द्वारा की जा सकती है ।
5. **सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशाला (Micro- Teaching Laboratory)**-सूक्ष्म-शिक्षण के लिये प्रयोगशाला को होना भी आवश्यक है । इनमें पृष्ठ पोषण की आवश्यक सुविधाऐं संचित की जा सकती है ।

13.3.6 सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया (Process of Micro Teaching) - सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया की सम्पन्नता हेतु क्लिफट (Clift-1976) द्वारा तीन स्थितियाँ बतायी गयी : -

1. **ज्ञान अधिग्रहण की स्थिति (Knowledge Acquistion Phase)** →
   - A. प्रदर्शित कौशल का निरीक्षण
   - B. प्रदर्शित किए गए कौशल का विश्लेषण एवं विचार विमर्श

2. **कौशल अधिग्रहण की स्थिति** →
   - A. सूक्ष्म शिक्षण की योजना
   - B. सूक्ष्म शिक्षण के कौशल का अभ्यास
   - C. निष्पादन का मूल्यांकन

3. **अन्तरण स्थिति** →
   - A. कौशल का सामन्य कक्षागत स्थिति में प्रयोग

सूक्ष्म शिक्षण का चक्र उपर्युक्त प्रक्रिया की पूर्व दो स्थितियों से ही सम्बन्धित है, जिसके चरण इस प्रकार है-

कौशल का परिभाषीकरण

↓

कौशल का प्रदर्शन

↓

प्रदर्शित कौशल का विश्लेषण

↓

सूक्ष्म पाठ की योजना

↓

योजित पाठ का अभ्यास

↓

पाठित पाठ का पृष्ठपोषण

↓

पाठ की पुंर्ननियोजन

↓

पाठ का पुन: अध्यापन

↓

पुन: प्रतिपुष्टि

↓

चक्र की पुनरावृति

उपर्युक्त चरणों मे से तीन चरणों का सम्बन्ध शिक्षक प्रशिक्षक से है, तदन्तर प्रशिक्षणार्थी अपने अध्यापन में सुधार हेतु शेष चरणों का प्रयोग करता है और कौशल अर्जित करने तक सूक्ष्म शिक्षण का चक्र चलता रहता है ।

13.3.7 प्रशिक्षणार्थियों हेतु सूक्ष्म-शिक्षण का महत्व (Importance of Micro teaching for the Pupil teacher)- सूक्ष्म शिक्षण द्वारा प्रशिक्षणार्थियों का निष्पादन उत्तम होता है क्योंकि इसमे 'विभिन्न कौशलों का अभ्यास नियन्त्रित परिस्थितियों में किया जाता है जिससें वास्तविक अध्यापन अभ्यास की जटिलताएँ कम हो जाती है तथा प्रशिक्षणार्थी अभिरूपित कक्षाध्यापन द्वारा कौशल- अभ्यास के साथ आत्मविश्वास भी हो जाता है । वास्तविक अध्यापन अभ्यास में शिक्षक प्रशिक्षार्थी अपनी समस्याओं पर विचार-विमर्श नहीं कर पाते किन्तु सूक्ष्म शिक्षण में चूंकि व्यक्तिगत प्रशिक्षण को महत्ता प्रदान की जाती है अत: इसमें प्रशिक्षणार्थियों को अभ्यास के उपरान्त पृष्ठपोषण द्वारा सुधार हेतु उपयुक्ता सुझाव दिए जाते है व उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाता है । सुरक्षित अभ्यास पृष्ठभूमि मिलने के साथ-साथ सूक्ष्म शिक्षण ' वास्तविक कक्षा अध्यापन' ' की भूमिका का कार्य करता है जिसमें छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है । शिक्षण प्रशिक्षक भी इस शिक्षण अभ्यास के दौरान एक ही कोशल पर अपना ध्यान केन्द्रित कर उसका परिष्कार करता है । इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण छात्रों के व्यवहार मे परिवर्तन लाने हेतु प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह करता है ।

13.3.8 सूक्ष्म-शिक्षण प्रणाली में सावधानियाँ (Precaution in Micro-Teaching approach) -

1. सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग केवल शिक्षण प्राप्त कर रहे छात्राध्यापकों / छात्राध्यापिकाओ हेतु होना चाहिए ।
2. सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य की स्पष्टता का होना अति-आवश्यक है ।
3. सूक्ष्म-शिक्षण में एक बार में केवल एक ही कौशल से संबंधित पाठ योजना तैयार की जानी चाहिये ।
4. अभ्यास करने से पहले छात्र-अध्यापक को अपनी पाठ योजना अवश्य तैयार कर लेनी चाहिये ।
5. सूक्ष्म-शिक्षण प्रणाली में आदर्श पाठ प्रस्तुत करने अति आवश्यक होते हैं ।
6. इसमें केवल आलोचना ही नहीं करनी चाहिये बल्कि छात्र-अध्यापक को अपने शिक्षण कौशल को सुधारने के लिये ठोस सुझाव देने चाहिये ।
7. शिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को दिए गए पृष्ठ पोषण के अनुसार पुन: शिक्षण अवश्य करना चाहिए ।
8. जब तक एक शिक्षण कौशल में प्रशिक्षणार्थी की दक्षता विकसित होने पर सूक्ष्म शिक्षण में दूसरे कौशल का अभ्यास करना चाहिए ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं?
   What do you mean by Micro teaching ?

2.	सूक्ष्म शिक्षण के कितने सोपान हैं?	
	How many steps are there in Micro teaching?	
3.	सूक्ष्म शिक्षण में पृष्ठ पोषण से क्या अभिप्राय है?	
	What is the Feedback in Micro teaching?	

13.4 पात्र (Role Playing)

13.4.1 अर्थ (Meaning) - पात्र अभिनय से आशय है कक्षा के चार या पाँच विद्यार्थी अथवा छोटे समूह को दूसरों के अनुभवों का अनुकरण करवाया जाना । इस नीति में कक्षा को छोटे-छोटे समूहों में बाँट दिया जाता है और उनको वास्तविक पात्रों का अनुसरण करने हेतु प्रेरित किया जाता है । यह प्रविधि सामाजिक अध्ययनों के अन्तर्सबंधों को विकसित करने में सहयोग प्रदान करती है । यह छात्रों में हीन भावना दूर करने तथा नागरिकता के प्रशिक्षण में अवसर प्रदान करती है । यह एक सहयोगी कार्य है जो छात्रों में सहयोग तथा सामाजिक समझदारी विकसित करती है । इनमें अभिप्राययुक्त समन्वय निहित है । इसमें छात्र क्रियाशील रहते हैं । यह बालकों की इन्द्रियों को शिक्षित एवं प्रफुल्लित करती है । इसके द्वारा विषय ग्राह्यता, आत्मविश्वास तथा आत्मविश्लेषण क्षमताओं का विकास होता है । बालक प्रस्तुतिकरण की कला को ही सीख पाता है, क्योंकि बालक को मौखिक एवं अमौखिक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किये जाते हैं ।

13.4.2 स्वरूप (Nature) - यह एक नाटकीय विधि मानी जाती है । बालक को इसके अभ्यास में पात्र की भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है । बालक एक विषय-वस्तु को अभिनय के माध्यम से अपने ही साथियों के समक्ष प्रस्तुत करता है । कार्य की पूर्ति पर शिक्षक उसे पृष्ठ पोषण-प्रदान करता है ।

13.4.3 सिद्धान्त (Principles) - यह विधि निम्नलिखित सिद्धान्तों पर आधारित है:

1. बालक स्वयं कार्य करके अधिक सीखता है ।
2. कृत्रिम परिस्थितियों में अभ्यास द्वारा सीखा जा सकता है ।
3. पृष्ठ-पोषण अधिगम में सहायता प्रदान करता है ।
4. सामाजिक कौशलों का विकास मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों के उपयोग से किया जाता है ।

13.4.4सोपान (Steps)- इस विधि का क्रियान्वयन निम्नलिखित सोपानों में किया जाता है ।

प्रथम सोपान - कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है ।
द्वितीय सोपान - किस छात्र को किस पात्र की भूमिका अदा करनी है, का चयन किया जाता है।
तृतीय सोपान - छात्र अपने संवाद (विषय-वस्तु) का चयन करते हैं ।
चतुर्थ सोपान - मूल्यांकन प्रविधियों का चयन किया जाता है ।
पंचम सोपान - कार्य की योजनानुसार क्रियान्विति की जाती है ।
षष्ठम सोपान - कार्य की समीक्षा की जाती है तथा पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है ।

13.4.5 विशेषताएँ (Charactestics) इस शिक्षण विधि की विशेषताएँ अग्रलिखित हैं.

1. इसमें छात्रों के जीवन से संबंधित कौशलों का विकास अनुभव द्वारा किया जाता है ।
2. अपनी क्रियाओं का विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन छात्र स्वयं समझ लेते हैं ।
3. इसमें सामाजिक कौशलों का विकास किया जाता है ।
4. अपेक्षित उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है ।
5. छात्र व्यवहार के स्वरूप का विकास अपेक्षित ढंग से किया जा सकता है ।

13.4.6 पात्र अभिनय की सीमाएँ (Limitation of Role Playing) -

1. इसमें सम्पूर्ण वातावरण बनावटी होती है । इसलिए वास्तविक शिक्षण की कल्पना व्यर्थ है ।
2. शिक्षण में अधिक समय लगता है ।
3. कभी-कभी अनुशासनहीनता की समस्या आने की संभावना बनी रहती है ।
4. इस विधा से सभी विषयों का शिक्षण करवाना व्यवहारिक रूप से उचित नहीं होता है ।

13.4.7 आवश्यक सावधानियाँ (Necessary Precaution)- अभिनय विधि का प्रयोग करते समय अध्यापक को निम्न बातों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है-

1. अभिनय या नाट्य विधि का प्रयोग आवश्यकता से अधिक नहीं किया जाये ।
2. इस विधि का प्रयोग कक्षा में करने से पूर्व भली प्रकार कर ली जाये ।
3. सामाजिक जीवन की विभिन्न समस्याओं को भी अभिनीत किया जाना चाहिए ।
4. नाटक ऐसा हो जिसमें कक्षा के अधिक से अधिक छात्र भाग ले सके ।
5. जिस घटना या तथ्य को अभिनय द्वारा प्रदर्शित करना है उसके विषय में अध्यापक को पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए ।
6. अभिनय करते समय वास्तविकता का अवश्य ध्यान रखा जाये ।
7. बालकों को उचित ढंग से निर्देशित भी किया जाये ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. पात्र अभिनय का अर्थ स्पष्ट कीजिए ।
   Explain the meaning of Role Playing
2. पात्र अभिनय के कोई सिद्धान्त लिखिये ।
   Write any three principles of Role Playing
3. पात्र अभिनय के संबंध में कोई तीन सावधानियों का उल्लेख कीजिए ।
   Mention any three precaution related to Role Playing

13.5 दल शिक्षण (Team Teaching)

शिक्षा शिक्षण शास्त्र के संबंध में समय-समय पर विद्वानों, विचारकों व शोधार्थियों द्वारा अपने मत/प्रक्रियाएँ सूझाव समय-समय पर शिक्षाविदों तथा शिक्षा नियोजकों को दिए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में दल शिक्षण प्रविधि का विकास सर्वप्रथम सन् 1955 में हावर्ड विश्वविद्यालय में हुआ

था । इसके बाद यह प्रत्यय सन् 1960 में ब्रिटेन पहुँचा । ब्रिटेन में इसका विकास जेफ्रिमैन ने किया । धीरे-धीरे इसका उपयोग स्कूलों और कॉलेजों में किया जाने लगा । शिकागों विश्वविद्यालय के फासिज चेज ने दल शिक्षण को प्रभावशाली प्रयोग शिक्षण के लिये किया ।

13.5.1 दल शिक्षण की अवधारणा एवं परिभाषा (Meaning & definition of Team Teaching)

दल शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों से किसी पाठ्यवस्तु/इकाई या पाठ के संबंध में पाठ्यवस्तु की प्रकृति के अनुसार विशेषज्ञों व शिक्षाविदों के एक साथ एक मंच पर अनुभव व विचारों का अवबोध व जानकारी प्राप्त होती है ।

डेविड वारविक के शब्दों में दल शिक्षण संगठन का एक स्वरूप है जिसमें कई शिक्षक अपने साधनों, रूचियों तथा दक्षताओं को इकट्ठा कर लेते है तथा विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षकों की एक टोली द्वारा उन्हें प्रस्तुत किया जाता है और स्कूल की सुविधाओं के अनुसार प्रयोग किया जाता है ।

"Team Teaching is a form of an organization in which individual teacher decide to pool resources, interest and expertise in order to devise and implement the scheme of work suitable to the needs of their schools."

अर्थात् दल शिक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो या अधिक अध्यापक सहायक सामग्री के साथ या उसके बिना मिलकर योजना बनाते है, एक या अधिक कक्षा समूहों को उपयुक्त अनुदेशात्मक स्थान और अवधि के अनुसार निर्देश देते है और मूल्यांकन करते है जिससे दल के सदस्यों की विशिष्ट योग्यताओं का लाभ उठाया जा सकें ।

13.5.2 दल शिक्षण के उद्देश्य (Purpose of Team Teaching)

1. शिक्षक वर्ग में आकर्षक योग्यताओं, दक्षताओं और उनकी रूचियों का सर्वोत्तम उपयोग करना ।
2. विद्यार्थी की रूचियों तथा क्षमताओं के अनुसार कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाना ।
3. अनुदेशन की गुणवत्ता में वृद्धि करना ।
4. विद्यार्थी के समूहीकरण में लचीलेपन को बढ़ाना ।

13.5.3 दल शिक्षण की विशेषताएं (Characterstics of Team Teaching) -

1. ये शिक्षण विधि मानी जाती है ।
2. इस प्रकार के शिल्प में दो या दो से अधिक शिक्षक शिक्षण कार्य में भाग लेते है ।
3. यह सहकारिता पर आधारित है । इसमें भाग लेने वाले शिक्षक अपने-अपने साधनों, योग्यताओं तथा अनुभवों को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं ।
4. इसमें स्कूल तथा विद्यार्थी की आवश्यकताओं तथा उपलब्ध साधनों को ध्यान में अवश्य रखा जाता है ।
5. इसमें लगे शिक्षक शिक्षण की योजना मिलकर बनाते है तथा उसके लागू भी मिलकर ही करते है । मूल्यांकन कार्य भी मिलकर ही किया जाता है ।
6. इसका मूख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रभावी बनाना होता है ।
7. इसके दौरान एक विषय में किसी एक प्रकरण के विभिन्न पक्षों को एक-एक करके क्रम में दो से अधिक शिक्षक पढ़ाते है ।

8. इसकी योजना लचीली होती है ।
9. यह अनुदेशन परिस्थितियों को उत्पन्न करने की एक प्रविधि है ।
10. इसमें शिक्षक अपनी क्रियाओं को स्वयं निर्धारित करते है ।

13.5.4 दल शिक्षण की प्रक्रिया के सोपान (Steps of the Process of the Team Teaching)-

1. **योजना बनाना (Planning)** - इसके अन्तर्गत दल शिक्षण की योजना तैयार की जाती है।
2. **व्यवस्था करना (Organization)** - इसके अन्तर्गत दल शिक्षण की व्यवस्था कीजाती है।
3. **परिणामों का मूल्यांकन करना (Evaluation of result)** - इस चरण में विद्‌यार्थी की उपलब्धियों के आधार पर उद्देश्य की प्राप्ति के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाता है अर्थात् यह देखा जाता है कि उद्देश्य की प्राप्ति हुई अथवा नहीं ।

13.5.5 दल शिक्षण के लाभ (Advantage of Team Teaching) -

1. **शिक्षार्थियों की सूझ विकसित करना (Develop insight of learner)** - इसमें शिक्षण के दौरान एक साथ कई विशेषज्ञों द्‌वारा पाठ्‌यवस्तु के अवधारणात्मक पक्षों पर व्याख्याएँ प्रस्तुत की जाती है जिससे पाठ्‌यवस्तु के प्रति शिक्षार्थियों की सूझ विकसित होने में सहायता मिलती है ।
2. **अनुदेशन की गुणवत्ता (Quality of Instruction) -** इससें अनुदेशन की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है ।
3. **आर्थिक दृष्टि से लाभदायक (Economical)** - इससे समय व शक्ति की बचत होती है तथा साथ ही कक्षा में अनुशासन स्थापित करने में भी सहायता मिलती है ।
4. **समूहों का अधिक विशेषज्ञों से समझना (Exposures of Groups to more specialities) -** विद्‌यार्थी को अधिक विशेषज्ञों का सामना करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार विद्‌यार्थी को विभिन्न शिक्षकों के विशिष्ट ज्ञान का लाभ मिल जाता हैं
5. **शिक्षक के व्यावसायिक स्तर का विकास (Development of professional status of the Teacher) -** शिक्षकों का व्यावसायिक स्तर विकसित होता है क्योंकि इसमें शिक्षकों को नया साहित्य पढने का अवसर मिलता है । वह दलशिक्षण में स्वयं भी बहुत परिश्रम करता है ।
6. **मानव संबंधों का विकास (Development of Human relation) -** दल शिक्षण में मानव संबंध के विकास का अवसर मिलता है ।
7. **स्वतंत्र चर्चा के अवसर (Oppertunity for free discussion) -** इससे दल के सभी सदस्य विद्‌यार्थी को चर्चा में भाग लेने के कई अवसर मिलते है । विद्‌यार्थी एवं शिक्षकों में विचारों को उद्दीपन प्रदान किया जा सकता है । विद्‌यार्थी और शिक्षकों में भाग लेने की शक्तिशाली इच्छा और उत्तरदायित्व का विकास होता है ।

8. **लचीलापन (Flexibility) -** इसके द्‌वारा स्कूल भवन, स्कूल स्टॉफ तथा स्कूल के अन्य साधनों को बडे ही लचीले ढंग से उपयोग किया जा सकता है, साथ ही समय सारणी से छुटकारा मिलता है ।
9. **मूल्यांकन (Evaluation) -** इसका परिलाभ मूल्यांकन के चरण में बहुत उठाया जा सकता है । इसमें सभी शिक्षकों को एक-दूसरे शिक्षण के कार्य का मूल्यांकन करने का अवसर मिल जाता है तथा आवश्यक सूझाव दिये जा सकते है ताकि शिक्षण में आवश्यक सुधार किये जा सकें । दल शिक्षण द्‌वारा सभी शिक्षकों को एकत्रित किया जा सकता है और उन्हें उनके शिक्षण के बारे में बताया जा सकता है ।
10. **समूह कार्य संस्कृति का विकास (Development of Group work culture)** - इस नवाचार के माध्यम से विद्‌यार्थी में समूह में कार्य करने की संस्कृति का प्रत्यक्ष लाभ व अनुभव उन्हें प्राप्त होता है । इस अनुभव से विद्‌यार्थी के दैनिक जीवन में समूह कार्य संस्कृति का भाव विकसित करने में सहायता मिलती है ।

13.5.6 दल शिक्षण की सीमाएँ (Limitation of Team Teaching) -

1. **खर्चीली विधि (Costly Method)** - पारस्परिक शिक्षण की तुलना में दल शिक्षण का खर्चा प्रति विद्‌यार्थी के हिसाब से बहुत अधिक पडता है ।
2. **भवन का अभाव (Lack of accommodation)** - परम्परागत शिक्षण की अपेक्षा दल शिक्षण में अधिक कमरे तथा फर्नीचर आदि की आवश्यकता होती है । अधिक कमरों के अलावा कमरे बडे भी होने चाहिए । दल शिक्षण के लिये पर्याप्त स्थान तथा भवन के होने के कार दल शिक्षण की प्रभावशीलता संदेहशील हो जाती है ।
3. **सहयोग का अभाव (Lack of Co-operation)** - दल शिक्षण का आधार ही सहयोग है । लेकिन कई बार शिक्षक दूसरे शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने से कुछ हिचकिचाते है ।
4. **शक्ति और उत्तरदायित्वों का विभाजन (Deligation of power and responsibilities)-** दल शिक्षण में जो शक्तियों और उत्तरदायित्वों के विभाजन की आवश्यकता होती है वह वर्तमान स्कूल व्यवस्था में नही है क्योंकि कोई भी व्यवस्थापक अपनी शक्तियों को दूसरे को प्रदान करना पसंद नही करेगा ।
5. **छोटे समूह की गतिशीलता की अबहेलना (Desregard to the dynamics of small group)** - दल शिक्षण के दौरान स्कूल स्टॉफ एक टीम की तरह कार्य नहीं कर सकता ।
6. **सभी प्रकार के विद्‌यालयों में दल शिक्षण का आयोजन करने में कठिनाई (Difficulty to organize team teaching in all types of schools) -** भौगोलिक दृष्टि से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षण संस्थाओं में एक साथ कई विशेषज्ञों को बुलाकर दल शिक्षण करवाने संबंधी अनेक प्रकार की व्यवहारिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. दल शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए ।
   Explain the meaning of Team Teaching
2. दल शिक्षण व सामान्य शिक्षण में क्या अन्तर है?
   What is the difference between Team teaching and General teaching?
3. दल शिक्षण के सोपानों का वर्णन कीजिए ।
   Mention about the steps of Team Teaching.
4. दल शिक्षण की कोई चार विशेषताएँ लिखिये ।
   Write any four characterstics of Team Teaching.

13.6 अभिक्रमित अनुदेशन (Programmed Teaching)

13.6.1 अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ (Meaning of Programmed Indtruction)'

बी.एफ.स्किंनर ने इस प्रत्यय को शिक्षण और कला और अधिगम के विज्ञान की संज्ञा दी है । इसका आविर्भाव अधिगम के सिद्धान्तों के आधार पर अनुदेशन की व्यूह रचना के रूप मं हुआ है । इसके छात्रा कें अधिगम के लिये पाठयवस्तु को क्रमबद्ध रूप से छोटे-छोटे पदों में प्रस्तुत किया जाता है । प्रत्येक पद को पढने के साथ छात्र को अनुक्रिया से पुनर्बलन भी मिलता है और वह अपने सीखने की गति के अनुसार आगे बढ़ता है । छात्रों की अनुक्रियायें उनके अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं होता है तब इसका अर्थ यह होता है कि छात्रों की अनुक्रियायें उपयोगी नहीं है । इसकी परिभाषा कई प्रकार से की गई है । **सूसन मारकल** में एक व्यापक परिभाषा दी है । जो इस प्रकार है-

अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसी व्यूह रचना है जिसकी सहायता से शिक्षण से सामग्री को एक ऐसे क्रम में नियोजित किया जीता है कि जिसमें छात्रों में लगातार अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है और उसका मापन में किया जा सकता है ।

अभिक्रमित अनुदेशन को कई नामों से संबोधित किया जाता है । इसे व्यक्तिगत अनुदेशन तथास्वत अनुदेशन भी कहा जाता है । इसकी व्यवहारिक परिभाषा इस प्रकार है ।

अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षकी आवश्यकता नहीं होती है । इसमें व्यक्तिगत अनुदशेन के रूप में सीखने के लिये अवसर दिया जाता है । इसमें छात्र तत्पर होकर अपनी गति एवं क्षमताओं के अनुसार सीखता है और अपनी ज्ञान-प्राप्ति का भी बोध करता है । इसे व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया मानते है ।

इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि यह सीखने की अथवा अनुदेशन की एक नवीन विधि है । जिसमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती । छात्र स्वयं अध्ययन के द्‌वारा सीखता है । छात्रों को उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है । अधिगम की प्रक्रिया में छात्र लगातार तत्पर रहता है और उसे अपने ज्ञान की प्राप्ति का भी बोध रहता हैं इसमें छात्रों के व्यवहार परिवर्तन पर ही विशेषज्ञ बल दिया जाता है । छात्रों को अध्ययन के समय अनुक्रियाये भी करनी होती है । ये अनुक्रियायें छात्रों को नवीन ज्ञान तथा पुनर्बलन

प्रदान करती है । प्रत्येक अनुक्रिया की स्वयं जांच करनी होती है । यह अनुक्रियायें ही अन्तिम व्यवहार की श्रृंखला को विकसित करती है । इसलिये इसे श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन कहते है ।

13.6.2 अभिक्रमित अनुदेशन की आवश्यकता (Need of Programmed Instruction)

अभिक्रमित अनुदेशन का व्यवहार परिवर्तन की दृष्टि से विशेष महत्व है शिक्षण की गंभीर समस्याओं में इसका अद्भुत योगदान माना जाता है । इसका प्रयोग निम्नलिखित समस्याओं के समाधान के लिये किया जाता है-

1. शिक्षण में सभी छात्रों को अपनी गति से सीखने का अवसर नहीं दिया जाता है । व्यक्तिगत भिन्नता शिक्षण की प्रमुख समस्या है ।
2. शिक्षण में छात्रों को क्रियाशील की अपेक्षा प्रस्तुतीकरण पर अधिक बल दिया जाता हैं ।
3. शिक्षण विधियों पाठ्य पुस्तकें, सहायक सामग्री, छात्रों की तत्काल जांच के लिये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करते जिससे यह जानकारी हो सके कि छात्रों को कितनी सफलता मिल रही है ।
4. शिक्षण में छात्रों की कमजोरियों के निदान की कोई व्यवस्था नहीं और न उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती हैं ।
5. छात्रों के अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों तथा अध्ययन सहायक सामग्री के छात्रों के व्यवहार तथा अनुक्रियाये को पुनर्बलन प्रदान करने की व्यवस्था नहीं हैं ।

शिक्षण तथा अधिगम की क्रियाओं में केवल सामान्य छात्रों को ध्यान से रखा जाता है । अत: इन समस्याओं के समाधान की दृष्टि से अभिक्रमित अनुदेशन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनुदेशन की इस व्यूह रचना ने शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत क्रान्ति की है । यह पूर्णरूप से मनोविज्ञान के सिद्धान्तों पर आधारित है ।

13.6.3 अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं (Characterstics of programmed instructions)-

1. कठिन बात को छोटे-छोटे भागों में बांटकर छात्रों के लिए सरल बनाना ।
2. यह स्व-शिक्षण की पद्धति है । जिसमें पाठ्य पुस्तक कुछ विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर की जाती है ।
3. यह क्लो में त्रुटियों, क्षमताओं एवं योग्यताओं का अध्ययन कर मूल्यांकन के अवसर प्रदान करती है ।
4. इसमें शिक्षक की अनुपस्थिति में पाठ्य वस्तु अधिक तार्किक एवं नियंत्रित छोटे खण्डों में बांटकर छात्रों के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं
5. यह द्रश्य साधनों का प्रयोग न होकर अनुदेशन तकनीकी का अंग है ।
6. इसमें छात्र के समक्ष श्रृंखलाबद्ध विषयवस्तु प्रस्तुत की जाती है ।

13.6.4 अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धान्त (Principles of Programmed instruction)

एक प्रभावशाली अभिक्रमित अधिगम सामग्री कुछ मूल अधिनियमों पर आधारित होती है । इन्हें मौलिक सिद्धान्त भी कहते है । वास्तव में यह व्यवहारिक सिद्धान्त है । ये सिद्धान्त अभिक्रमित अनुदेशन की प्रक्रिया की व्यवस्था करते है । इन सिद्धान्तों का प्रतिपादन मनोविज्ञान की प्रयोगशाला के शोध कार्यो के आधार पर किया गया है । यह मौलिक सिद्धान्त पांच है जिनकी व्याख्या इस प्रकार है-

1. छोटे-छोटे पदों का सिद्धान्त (Principal of Small Steps) - अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री में पाठ्य वस्तु को छोटे-छोटे पदों में व्यवस्थित करके एक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है । प्रत्येक पद में छात्रों की अनुक्रिया के लिये रिक्त स्थान दिया जाता है । पद की सही अनुक्रिया भी उसी के साथ दी जाती है । पढते समय छात्र सही उत्तर को छिपाकर रखता है । छात्र एक समय में एक पद को ही पढता है । इस सिद्धान्त की यही अवधारणा कि छात्र पाठ्य वस्तु को छोटे-छोटे पदों में अध्ययन करने में सरलता से सीखता है और पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त करता है ।

2. तत्परता अनुक्रिया का सिद्धान्त (Principal of Active Responding) - मनोविज्ञान की प्रयोगशाला के शोध कार्यो की दूसरी उपलब्धि यह है कि छात्र अधिगम के समय यदि तत्पर रहता है तब वह अधिक सीखता है । अभिक्रमित अनुदेशन के पदो को पढ्ने के बाद छात्र को रिक्त स्थान के लिये समुचित अनुक्रिया करनी पड़ती है । बिना तत्पर रहे छात्र सही अनुक्रिया नहीं कर सकता । अधिगम का यह सिद्धान्त है कि शिक्षार्थी कार्य द्वारा से अधिक सीखता है । अनुदेश के इस सिद्धान्त में इस धारणा का अनुसरण किया जाता है । छात्र को पदों के लिये सही अनुक्रिया करने के लिये अधिक तत्पर रहना पड़ता है ।

3. तत्कालीन जाँच या पुष्टि का सिद्धान्त (Principle of Immediate Confirmation) - यह सिद्धान्त मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की तीसरी उपलब्धि है । इसकी यह धारणा है कि छात्रों को अनुक्रियायों की पुष्टि साथ-साथ करने से छात्र अधिक सीखते है, पदों को पढते समय तत्पर होकर छात्र जो अनुक्रिया करता है उनकी जांच भी तत्काल करनी होती है । सही अनुक्रिया से छात्र को नया ज्ञान प्राप्त होता है और उसे पुनर्बलन भी मिलता है । अनुदेशन सामग्री में पद की सही अनुक्रिया भी दी जाती है छात्र उसकी सहायता से अपनी अनुक्रिया की स्वयं जांच करता हैं

4. स्वत: अध्ययन गति का सिद्धान्त (Principle of self pacing) - मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के शोध कार्यो की यह चौथी उपलब्धि है । शिक्षार्थी को यदि अपने अध्ययन गति से सीखने का अवसर दिया जाता है, तब वह अधिक सीखता है । इस सिद्धान्त का संबंध व्यक्तिगत भिन्नता से होता है । प्रत्येक छात्र पद को पढ़कर अनुक्रिया करता है आर स्वयं उसकी जांच करता है । इसके बाद वह अगले पद पर जाता है । इन सभी क्रियाओं में छात्र को स्वतंत्रता होती है कि वह अपनी क्षमाताओं तथा अध्ययन गति के अनुसार पदों का अध्ययन करें । पदों को पढ्ने का समय प्रत्येक छात्र का अलग-अलग होता है । समय घटक के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता का नियंत्रण किया जाता है । छात्रों के अधिगम के समय शिक्षक की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है ।

सिद्धान्त	प्रक्रिया	संकेत
1. छोटे-छोटे पदों का सिद्धान्त	पढ़ना	प
(Principle of Steps)	(Reads)	(R)
2. तत्परता अनुक्रिया का सिद्धान्त	लिखना	लि
(Principle of Active Responding)	(Write)	(W)
3. तत्कालीन जांच का सिद्धान्त	पुष्टिकरण	पु
(Principle of Immediate Confirmation)	(Check)	(C)
4. स्वत: अध्ययन गति का सिद्धान्त	अग्रसर होना	अ

(Principle of self pacing)	(Advance)	(A)
5. छात्र परीक्षण का सिद्धान्त	जांच करना	जॉ
(Principle of Student Testing)	(Testing)	(T)

5. छात्र परीक्षण का सिद्धान्त (Principle of Student Testing) - यह मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की पांचवी उपलब्धि है । छात्र अपने अध्ययन के आलेख की जानकारी से अधिक सीखता है । प्रत्येक छात्र अनुदेशन सामग्री के अध्ययन के बाद अपनी अनुक्रियाओं का आलेख तैयार कर लेता है । इसकी सहायता से छात्र को यह जानकारी होती है कि उसने कितना पढ़ा है और इनकी सहायता से अनुदेशन सामग्री में सुधार तथा परिवर्तन किया जा सकता है । इस प्रकार अनुदेशन सामग्री का निर्माण छात्रों की अनुक्रियायों के आधार पर किया जाता है ।

इन पांचों सिद्धान्तों को स्मरण रखने के लिये छात्र पाँच कार्य सूचक क्रियाओं के अक्षरों के संकेत की सहायता से ले सकते है । श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धान्तों को समझने के लिये इन पांच प्रक्रियाओं तथा संकेतों को ध्यान में रखना चाहिये । इसमें छात्र सर्वप्रथम छोटे-छोटे पदों को पढ़ता है, पढने के साथ पदों के लिए अनुक्रिया को सही पाता है तब अगले पद को पढने के लिये अग्रसर होता है और अन्त में पढने का परीक्षण या जांच करता है ।

यह मौलिक सिद्धान्त समस्त अभिक्रमित अनुदेशन के नहीं है, अपितु श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन या स्किनर अनुदेशन ही इन पांचों सिद्धान्तों पर आधारित है परन्तु उन्हें अभिक्रमित अनुदेशन के मौलिक सिद्धान्त (Fundamental Principle of Programmed) के मौलिक सिद्धान्त इनसे बिल्कुल भिन्न होते है, जिनका उल्लेख शाखीय अनुदेशन के अध्याय में किया जाता है । इसी प्रकार मैथटिक्स अनुदेशन के सिद्धान्त का भी उल्लेख प थक रूप में किया गया हैं

13.6.5 अभिक्रमित अनुदेशन के गुण (Advantage of programmed instructions) -

1. पाठ्यवस्तु के प्रति विद्यार्थी की रोचकता व लगाव विकसित करने में सहायक है ।
2. इससे छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृति का विकास होता है ।
3. व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखकर प्रत्येक छात्र को उसकी गति, क्षमता व योग्यता के अनुसार पढने के अवसर मिलते है ।
4. इसके छात्रों को मूल्यांकन सरल ढंग से किया जाता है ।
5. शिक्षक को कक्षा का बहुमूल्य समय छात्रों की त्रुटियों का पता लगाने में नष्ट नहीं करना पड़ता ।
6. इसके द्वारा छात्र को सर्वागीण विकास में सहायता मिलती है ।
7. इसमें विद्यार्थी उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीण नहीं किये जाते अपितु वे स्वयं आत्म मूल्यांकन कर अपना विकास करते है ।
8. पाठ्यवस्तु के कठिनाई स्तर को दूर करने में मदद मिलती है ।

13.6.6 अभिक्रमित अनुदेशन की सीमाएं (Limitation of Programmed instructions) -

1. इसकी सामग्री तैयार करने की सुविधाएं अधिकांश विद्यालय में उपलब्ध नहीं है ।
2. इसकी सामग्री तैयार करना श्रम-साध्य है तथा इसमें निपुणता की आवश्यकता है जो सामान्य शिक्षक से अपेक्षित नहीं है ।

3. इसका प्रयोग केवल व्याख्यात्मक पाठ्य वस्तु के लिये किया जाता है तथ्यात्मक पाठ्य वस्तु के लिये नहीं ।
4. छात्रों को अनुक्रिया की स्वतंत्रता नहीं मिलती क्योंकि छात्र व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करते है ।
5. इससे सामाजिक प्रेरणा नहीं मिलती है ।
6. कक्षा शिक्षण के प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करने में सक्षम नहीं है ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. अभिक्रमित अनुदेशन को परिभाषित कीजिये ।
   Define the Programmed Instructions.
2. अभिक्रमित अनुदेशन के कितने सोपान है?
   Write the steps of Programmed Instructions
3. अभिक्रमित अनुदेशन के शिक्षार्थी हेतु कोई लाभ लिखिये ।
   Write any three advantage of Programmed instructions for learner.
4. सामान्य शिक्षण और अभिक्रमित अनुदेशन मेँ क्या अंतर है ?
   What is the difference between in general teaching and Programmed Instruction.

13.7 दूरदर्शन (Television)

वर्तमान युग में दूरदर्शन सम्प्रेषण संचार क्रिया (Communication) का एक शक्तिशाली माध्यम हो गया है । इसमें श्रवण तथा दृष्टि सम्बन्धी इन्द्रियों का प्रयोग होता है । इसके द्वारा प्रत्येक बात सुनी जा सकती है तथा प्रत्येक घटना देखी जा सकती है । इसमें प्रत्येक घटना को रिकार्ड करने की व्यवस्था तथा उसे फिर से प्रस्तुत करने की व्यवस्था होती है । भारत में सैटेलाइट्स की सहायता से राष्ट्रीय कार्यक्रम दूरदर्शन पर दिखाए जाने लगे है । ये कार्यक्रम पूरे देश मे दूरदर्शन पर देखे जा सकते हैं । दूसरे देशों के कार्यक्रम भी भारत में देखे जा सकते हैं ।

13.7.1 नागरिक शास्त्र शिक्षण में दूरदर्शन का उपयोग (Uses of Television in Civics teaching)

वर्तमान सैटेलाइट व संचार क्रांति ने दूरदर्शन को अधिक सुलभ बना दिया है । दूरदराज व भौगोलिक दृष्टि से विषमता रखने वाले क्षेत्रों में दूरदर्शन अब आसानी से पहुँच गया है । नागरिक शास्त्र की पाठ्यवस्तु को अधिक रुचिकर, बोधगम्य व सहज बनाने में दूरदर्शन अपनी महत्ती उपयोगिता रखता है । स्थानीय, राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय राजनैतिक घटनाक्रमों को प्रभावी रूप से व्याख्यित करने में दूरदर्शन एक सहज व उपयोगी साधन है । दूरदर्शन को चलाना बहुत सरल है । इसमें किसी प्रकार के विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती । इसे चलाने तथा बन्द

करने के लिए बटनों पर ही निर्देश अंकित होते है । अध्यापक को दूरदर्शन को शिक्षण में प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित सोपानों का अनुकरण करना चाहिए ।

(i) **तैयारी (Preparation)** - नागरिक शास्त्र शिक्षण के अध्यापक को स्वयं को इसके लिए तैयार कर लेना चाहिए । उसे सभी दूरदर्शन केन्द्रों से आवश्यक सामग्री प्राप्त करके सभी शैक्षिक कार्यक्रमों से अवगत हो जाना चाहिए । अध्यापक अपनी तैयारी के बाद छात्रों को दूरदर्शन के कार्यक्रमों के बारे में बताए । उन्हें मनोवैज्ञानिक ढंग से तथा मानसिक रूप से तैयार करें । दूरदर्शन सैट का जायजा लेकर ही उसे कक्षा के सम्मुख लाया जाए । छात्रों के बैठने का उचित प्रबन्ध को । दूरदर्शन का स्थान और छात्रों के बैठने के स्थान को निर्धारित कर देना चाहिए ।

(ii) **प्रस्तुतीकरण (Presentation)** - कक्षा को दिखाने से पहले अध्यापक स्वयं दूरदर्शन को चलाकर देख लें प्रसारण के समय कक्षा में पूर्ण अनुशासन होना चाहिए । छात्र कापी पर आवश्यक नोट्स लिखते रहें । प्रसारण समाप्त होने के बाद छात्रों को अपने नोट्स पूरे करने को कहा जाए ।

(iii) **अनुवर्ती कार्य (Follow-up)** - प्रसारण विषय पर विचार विमर्श होना चाहिए । छात्र अपनी शंकाओं का निवारण करें । प्रसारण से अर्जित ज्ञान को क्रियात्मक रूप देने के लिए छात्रों को अवसर दिया जाना चाहिए । प्रसारित विषय की जानकारी के मूल्यांकन का प्रबन्ध भी होना चाहिए ।

(iv) **कार्यक्रमों का मूल्यांकन (Evaluation of Programmed)-** दूरदर्शन के कार्यक्रमों के मूल्यांकन की भी समुचित व्यवस्था शिक्षण संस्थाओं में होनी चाहिए । कार्यक्रमों का मूल्यांकन विद्‌यार्थी एवं शिक्षकों के मध्य कार्यक्रमों पर परिचर्चा, संवाद एवं प्रश्नोत्तरी तथा अवलोकन आधारित टिप्पणियों के माध्यम से किया जा सकता है । इससे प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की सफलता का पता चलता है तथा भविष्य में कार्यक्रमों को प्रभावी व आवश्यकतानुरूप बनाने में मदद मिलती है ।

13.7.2 नागरिक शास्त्र शिक्षण में दूरदर्शन से लाभ (Advantage of Television in Civics teaching)

1. इससे नागरिक शास्त्र शिक्षण सरस, प्रभावी तथा मनोरंजक बनता है ।
2. नागरिक शास्त्र शिक्षण के लिए छात्रों को प्रेरणा मिलती हैं ।
3. दूरदर्शन कार्यक्रम उच्च कोटि के विद्वानों द्‌वारा तैयार किये जाते है ।
4. इनसे विषय संबंधी विस्तृत जानकारी मिलती है ।
5. दूरदर्शन से विषय से संबंधित नवीनतम, अन्वेषण तथा खोजों के परिणाम सहज ही छात्रों तक पहुंचाये जा सकते है ।
6. इससे एक ही समय में बहुत बडी संख्या में छात्रों को इतिहास विषय की जानकारी दी जा सकती है । इससे समय, साधन, श्रम की बचत होती है ।

दूरदर्शन द्‌वारा अध्यापक का अपना विकास भी सम्भव है । दूरदर्शन छात्रों के सम्मुख श्रेष्ठता के नमूने (Model of Excellence) प्रस्तुत करता है । उच्च कोटि के कलाकारों, शिक्षकों आदि को दूरदर्शन पर दिखाया जा सकता है । दूरदर्शन द्‌वारा कक्षा में बैठे-बैठे संसार की वास्तविकताओं से परिचित करवाया जा सकता है । दूरदर्शन अच्छे अध्यापकों और अन्य साधनों की कमी दूर करता है । इसकी सहायता से स्कूल को समुदाय कल्याण केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकता है । टेलिविजन द्‌वारा शिक्षा सस्ती, उच्च कोटि की हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय

स्तर के उच्चकोटि के शिक्षा शास्त्रियों को पाठ पढ़ाने के लिए बुलाया जा सकता है । किन्तु इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय की समय सारणी टेलीविजन के प्रोग्राम के अनुरूप बनाई जाए ।

स्वमूल्यांकन

1. दूरदर्शन की पाठ्यवस्तु के अधिगम में क्या भूमिका है ?
   What is Role of Television in learning of contents.
2. शिक्षण की दृष्टि से दूरदर्शन के चार उपयोग लिखिए ।
   Write four Uses of Television in view of Teaching.
3. दूरदर्शन में कार्यक्रमों की तैयारी से आप क्या समझते है?
   What do you understand about the preparation of programmes in Television.

13.8 मस्तिष्क उद्वेलन
Brain Storming

यह शिक्षण आव्यूह रचना एक प्रजातांत्रिक है । इस विधि की अवधारणा यह है कि एक व्यक्ति या बालक की अपेक्षा उन बालकों का समूह अधिक उत्तम विचार प्रस्तुत कर सकता है । इस शिक्षण प्रविधि का प्रारूप समस्या-केन्द्रित है । इसके अर्न्तगत बालकों को सामूहिक रूप से एक समस्या दे दी जाती है और उनसे उस समस्या पर वाद-विवाद करने को कहा जाता है और उनसे उस समस्या पर वाद-विवाद करने को कहा जाता है । वाद-विवाद के दौरान जो विचार उनके मस्तिष्क में आए उनको स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करें । यह आवश्यक नहीं है कि बालकों द्वारा प्रस्तुत सभी विचार पूर्णतया से सार्थक हो । इस प्रकार इस प्रविध में समूह की गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाता है । इस समूह के द्वारा उस समस्या का विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन किया जाता है | दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मस्तिष्क उद्वेलन इस सिद्धान्त पर आधारित है कि बालकों को अन्तःक्रिया द्वारा अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है । अत: इस प्रविधि का उपयोग करते समय ऐसे साधनों का उपयोग किया जाता है कि बालकों के मस्तिष्क को सामूहिक रूप से विचार-विमर्श के लिए गति प्रदान कर सकें ।

यह आव्यूह रचना बालक के संज्ञानात्मक पक्ष के विकास में अधिक सहायक सिद्ध होती है । इसमें बालक का मस्तिष्क पूर्णरूप में सक्रिय रहता है जिससे उसे अपनी मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर मिलता है ।

इसके द्वारा बालक के भावामक पक्ष का भी विकास संभव होता है । क्योंकि इसमें बालक एक समूह में रहकर समस्या के विचार-विमर्श करते है । इसमें बालकों में. आत्मविश्वास. वास्तविकता तथा सृजनात्मकता आदि अच्छे गुणों का विकास करने में सहायता मिलती है । अत: अध्यापक को इस प्रविधि का कक्षा में समय-समय पर प्रयोग करना चाहिए जिससे बालकों में विचार-विमर्श, तर्क-वितर्क तथा सृजनात्मक क्षमताओं का अधिक से अधिक विकास हो सकें ।

इसके द्वारा छात्रों में सामूहिक रूप से सीखने तथा कार्य करने कीँ आदत करने का विकास होता है । इस प्रकार इतिहास शिक्षण में इस प्रविधि का अपना एक विशेष महत्व है ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. मस्तिष्क उद्वेलन से आप क्या समझते हैं ?
   What do you mean by Brain Storming
2. मस्तिष्क उद्वेलन के उद्देश्यों के बारें में वर्णन कीजिए ।
   Mention the objectives of Brain Storming
3. मस्तिष्क उद्वेलन का चिन्तन के साथ संबंध स्पष्ट कीजिए ।
   Explain the relationship between Brain Stroming and Thinking.

13.9 बहु कक्षीय क्षण (Multiclassroom Teaching)

13.9.1 बहु कक्षीय शिक्षण व्यवस्था अभिप्राय

भारत में लगभग आधे गाँवों में से 300 से भी कम व्यक्ति रहते है । इस न्यूनतम जनसंख्या का प्रभाव सीधे रूप में गाँव के विद्यालयों पर भी पडता है । इन गांवो में 6- 11 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या कुल जनसंख्या की 15 प्रतिशत होती है । अत: इस प्रकार के गांवों में केवल बहु त कम. संख्या में ही बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढने के लिए आते है । यदि शिक्षक और शिष्य के अनुपात को 1:3 रखा जाए तो मुश्किल से 'एक' या 'दो' शिक्षक ही ऐसे विद्यालयों मे होंगे । अत: ऐसे विद्यालयों में बहु कक्षा शिक्षण लगभग आवश्यक हो जाता' है ।

13.9.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1988 एवं बहु कक्षा शिक्षण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिप्रेक्ष्य में भाग 5 में विविध स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन के अन्तर्गत 'विद्यालय सुविधाएं' के बिन्दु 5.7 में वर्णित अभिशंषा के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक हों, जिसमें एक महिला अध्यापक भी होनी चाहिए । जहाँ तक सम्भव होगा शीघ्रातिशीघ्र प्रति कक्षा एक अध्यापक की व्यवस्था कर दी जाएगी । इस सदर्भ में पूरे देश में श्यामपट्ट अभियान (Operation Black-Board) क्रियान्वित किया जा रहा है । राजस्थान राज्य में भी जिन विद्यालयों मे एक शिक्षक था उनमें कम से कम दो शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गयी है । इस प्रकार लगभग सम्पूर्ण राज्य में (वर्तमान स्थिति के संदर्भ में) प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो शिक्षा कार्यरत है । अत: प्राथमिक विद्यालय में एक अध्यापकीय व्यवस्था का सम्प्रत्यय अब विलीन हो गया है । विद्यालय में कम से कम दो शिक्षक कार्यरत होने पर बहु कक्षा शिक्षण की व्यवस्था की जाती है ।

प्राथमिक विद्यालयों में बहु कक्षा शिक्षण से संबंधित समस्याएं तीन क्षेत्रो में विभाजित की जा सकती है

(i) बहु कक्षा शिक्षण के विद्यालयों में कक्षाओं की प्रबन्ध व्यवस्था को सूचारू बनाना ।

(ii) विभिन्न विषयों में कार्य योजनाओं तथा समय-सूची को सुनियमित आयोजित करना ।

(iii) शिक्षण को अधिक अच्छा बनाने के लिए शिक्षण सम्बन्धी नीतियों का पता लगाना ।

(i) **बहुकक्षा शिक्षण के लिए कक्षा में बैठने की व्यवस्था को सुचारू बनाना-** बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति में शिक्षक २२ए यह अपेक्षा की जाती है कक्षा का प्रबन्ध कुछ इस प्रकार किया जाऐ जिसमें एक ही कक्ष मं बैठने वाले अन्य कक्षाओं के छात्रों का ध्यान इधर-उधर न बंटे । दूसरी बात यह है कि शिक्षण को ज्ञानोपार्जन के लिए एक वातावरण बनाना पडेगा ।

बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति में कक्षा में छात्रों के बैठने की योजना व्यवहार में चली आ रही योजना से भिन्न होनी चाहिए । आजकल बच्चों को एक ही ओर मुख करके, एक ही ब्लैकबोर्ड पर, एक ही तरह का प्रयोग करते हुए पंक्ति बध रूप में बैठाया जाता है । जिस समय शिक्षक एक कक्षा के बच्चों को ब्लैकबोर्ड पर कुछ समझा रहा होता है, दूसरी कक्षा के छात्रों का ध्यान बँटता है । कक्षा में बच्चों को बैठने का प्रबन्ध करते समय इस बात का ध्यान रखना - चाहिए कि बच्चों का ध्यान कम से कम बंटे और विभिन्न कक्षाओं के पढने में भी सुविधा हो ।

यह प्रबन्ध कक्षा की विभिन्न गतिविधियों जैसे - **'शैक्षिक कार्य', सामूहिक कार्य', स्वत: पाठ'** और कक्षा के **सामूहिक कार्यकलापों** के अनुसार विभिन्न प्रकार का होगा । एक ही कक्ष में विभिन्न कक्षा के छात्रो को अलग-अलग दीवार की ओर मुख करके बैठाना चाहिए । सामूहिक कार्य में सफलता लाने के लिए बच्चों के बैठने का प्रबन्ध करते समय प्रतिभावान, औसत तथा मन्दबुद्धि (कमजोर) बच्चों को एक साथ बैठाना उचित होगा ।

(ii) **विभिन्न विषयों में कार्य योजनाओं तथा समय-सूची का सूनियोजित आयोजन करना-** प्राय: प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक को एक कक्षा में सभी विषयों को पढाना पडता है । बहुकक्षा विभाग की स्थिति में वह विषय के अतिमहत्वपूर्ण पहलू पर ही ध्यान दे सकता है अथवा चुने हुए कार्यकलाप ही करा सकता है । अत: निश्चित समयावधि के दबाव मे समय के सुदपयोग के लिए समय-सूची निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण है । यह समय-सूची बहुकक्षा शिक्षण को ध्यान में रखकर किस प्रकार बनानी चाहिए । मान लीजिए कि शिक्षक को तीन कक्षाएं एक साथ लेनी है । इस प्रकार उसे एक बड़ी सीमा तक कक्षा के मॉनीटरों अथवा प्रतिभावन छात्रों की सहायता पर निर्भर रहना होगा ।

13.9.3 बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था हेतु समय-विभाग चक्र

बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था में यदि विद्यालय में दो या तीन शिक्षक (प्राथ. / उच्च प्राथ स्तर) कार्यरत हों तो एक शिक्षक को अमुक कालांश में तीन कक्षाओं का अध्यापन कार्य कराने हेतु अधोलिखित प्रकार से व्यवस्था करनी होगी-

बहुकक्षा शिक्षण में शिक्षण द्वारा शिक्षण, मॉनीटर द्वारा सहायता तथा बच्चों को स्वत: पाठ अथवा सग्रिहक पाठ कराने की स्थिति में एक घण्टे के समय का सदुपयोग करने हेतु उसका विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है-

एक घण्टे (60 मिनट) के समय का विभाजन	कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3
पहले 20 मिनट	शिक्षक	मानीटर	स्वतः पाठ
अगले 20 मिनट	स्वतः पाठ	शिक्षक	मानीटर
अंतिम 20 मिनट	मानीटर	स्वतः पाठ	शिक्षक

बहुकक्षा विभाग के समय शिक्षक को समय-सारिणी इस प्रकार बनानी चाहिए कि एक कक्षा को पढाते समय वह अन्य दो कक्षाओं का जो मॉनीटर द्वारा पढाए जा रहे हैं अथवा स्वत: पाठ कर रहे हैं-निरीक्षण कर सके ।

ध्यातव्य- (अ) इसी प्रकार दूसरे शिक्षक को अन्य दो कक्षाओं (कक्षा 4 व 5) का शिक्षण कराने हेतु मॉनीटर की सहायता लेते हुए समय सूची तैयार करनी चाहिए ।

(ब) सामूहिक पाठ अथवा सामूहिक के अन्तर्गत लिए जाने वाले कार्यकलाप इस प्रकार हो सकते है-विद्यालयों के प्रांगण में सफाई करना, खेल द्वारा शिक्षण की गतिविधियां, खेलकूद, कहानी कहना, नाटक खेलना, कविता पाठ करना, खेत प्रतियोगिता का आयोजन करना आदि ।

(iii) **शिक्षण प्रभावी बनाने हेतु शिक्षण सम्बन्धी नीतियाँ (Strategies)-** प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन भी एक विषय है । इस क्षेत्र में पुस्तकीय ज्ञान (कक्षा शिक्षण) से जारे हटाकर प्राकृतिक अथवा सामाजिक तत्वों (कक्षा के बाहर की स्थिति में शिक्षण) पर केन्द्रित किया जा सकता है । दूसरे पर्यावरण अध्ययन की विषय-वस्तु का उपभोग भाषा, गणित, व्यावहारिक कार्य, कला आदि में भी लिया जा सकता है । कक्षा में एक लोकतन्त्रीय वातावरण बनाया जाए । वहां शिक्षक एक सेनापति के स्थान पर पथ-प्रदर्शक, चतुर मित्र और समझदार माता-पिता के रूप में कार्य करता है ।

कक्षा 1 -2 को पढाते समय ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे वे प्रोत्साहित हो सके । सबसे " पहले तो उसकी भाषा सम्बन्धी योग्यता पर ध्यान देना आवश्यक है । दूसरी बात है कि उनमें अवलोकन, देखने-समझने की क्षमता विकसित की जाए । इस स्तर पर शिक्षण **सीखने के अनुभवों** को प्रणालीबद्ध करके कराना चाहिए ।

कक्षा 3-5 के लिए भी **सीखने के अनुभवों (Learning by Experiences)** के सिद्धान्त पर शिक्षण कराया जाए । छात्रों को अपने अनुभव और अवलोकन को बनाने के लिए उत्साहित किया जा सकता है । उन्हें विभिन्न प्रकार के अवलोकनों पर नोट तैयार करना ही सिखाया जाना चाहिए । बच्चे प्राय: गतिशील, क्रियाशील और अपन आप कार्य करने में रूचि रखने वाले होते है । अत: काम करने के अनुभवों और खेलो द्वारा उनमें हस्त-कौशल के विशय पर अधिकाधिक जोर दिया जाना चाहिए ।

13.9.4 कक्षा-कक्ष में छात्रों के बैठने की व्यवस्था.

(Seating arrangements of students in Classroom)

भूमिका-विद्यालय संगठन में प्रधानाध्यापक मानवीय एवं भौतिक साधनों को जुटाकर विद्यालय की समुचित व्यवस्था करता है और सभी के समन्वित सहयोग एवं प्रयोग से शैक्षिक उद्देश्य की प्रगति की दिशा में अग्रसर होता है । इन उद्देश्य की प्राप्ति विशेषत: कक्षा-व्यवस्था पर निर्भर होती है । विद्यालय में सफल शिक्षण के लिए कक्षा को समुचित व्यवस्था के बैठने की व्यवस्था में अनेक तत्वों का समावेश किया जाता है । इस प्रकार छात्रों के बैठने की व्यवस्था कक्षा-व्यवस्था के विभिन्न तत्वों में से एक प्रमुख तत्व है । कक्षा व्यवस्था में बैठने की व्यवस्था विद्यालयी भौतिक संसाधनों का समुचित उपयोग कर आसन में छात्रों को बैठाया जा सकता है ।

13.9.6 बैठक की व्यवस्था के विभिन्न स्वरूप (संसाधन)

कक्षा में छात्रों के बैठने की व्यवस्था के विभिन्न रूप हो सकता है । स्पष्ट है कि ये विद्यालय की आर्थिक स्थिति एवं उपलब्ध साधनों पर आधारित है । अत: कक्षा में छात्रों के बैठने की व्यवस्था के अधोलिखित विभिन्न स्वरूप हो सकते है, जो इस प्रकार है-

1. कुछ विद्यालय में केवल दरी-पट्टी ही उपलब्ध होती हैं
2. कुछ विद्यालयों में दरी-पट्टी बैठने तथा लिखने के लिए नीची बैंचों की व्यवस्था होती है । ऐसी व्यवस्था सामान्यत: पब्लिक स्कूल में होती है ।
3. कुछ विद्यालयों में बैठने के लिए नीची बैंचों तथा उनके साथ लिखने के लिए ऊँची बैंच (बडी) होती है । यह स्थित अधिकांश विद्यालयों में पाई जाती है ।
4. साधन-सम्पन्न विद्यालयों में छात्रों के बैठने के लिए छोटी-छोटी मेजें तथा कुर्सियों की व्यवस्था भी होती है ।

आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार बैठने की व्यवस्था में हेर-फेर - कक्षा में अधोलिखित आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार बैठक की व्यवस्था में हेर-फेर करना अत्यावश्यक है, जो इस प्रकार है-

1. कक्षा में अकस्मात् प्रकाश आदि की व्यवस्था में गडबडी होने के कारण हेर-फेर करनी पडती है । ऐसी स्थिति बहुत कम घटित हों पाती है ।
2. कक्षा में प्रोजेक्ट (ओवर हैड या फिल्म स्ट्रिप या फिल्म), एपीडॉयस्कोप आदि का प्रयोग करते समय भी हेर-फेर की आवश्यकता पडती है. ।
3. सर्दी-गर्मी तथा वर्षा आदि मौसम से संबंधित परिवर्तनों के फलस्वरूप भी कक्षा-व्यवस्था में हेर-फेर करनी पडती है ।
4. कक्षा की उचित व्यवस्था की जानकारी हेतु हेर-फेर करना आवश्यक है ।
5. अन्त्याक्षरी, वाद-विवाद आदि का आयोजन करते समय भी हेर-फेर करनी पडती है । यह. स्थिति कार्यक्रम के आयोजन पर निर्भर रहती है ।
6. कक्षा के अनुशासनहीनता एवं अन्य ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए बैठने की व्यवस्था में हेर-फेर करना आवश्यक या वांछनीय होता है ।
7. कक्षा में कोई प्रायोगिक या प्रदर्शन कार्य करते समय कक्षा-व्यवस्था में हेर-फेर करनी पडती है । तथा अन्य विषयों के अध्यापन हेतु पुन: परिवर्तन किया जाता है ।

8. कक्षा में छात्रों को ठीक ढंग से (आयु व कद के अनुसार) बिठाने के लिए हेर-फेर करनी पडती
9. कक्षा में सामयिक जांच, परीक्षा, श्रुतिलेख आदि के आयोजन करते समय भी उचित आसन में बैठने के लिए हेर-फेर किया जा सकता है । ;

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. बहुकक्षीय शिक्षण की अवधारणा स्पष्ट कीजिये ।
   Specify the concept of multiclassroom teaching.
2. बहुकक्षीय शिक्षण में शिक्षक कैसे शिक्षण करता है?
   How the teacher teaches in Multiclassroom teaching?
3. बहुकक्षीय शिक्षण के मुख्य लाभों का वर्णन कीजिये ।
   Explain the main advantage of Multiclassroom teaching?

13.10 दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था (Distance Education System)

13.10.1 भारत दूरस्थ का स्वरूप

सामान्यत: दूरस्थ शिक्षा से अर्थ दूर-दराज में रहने वाले उन व्यक्तियों की शिक्षा से लिया जाता है जो किसी कारण किसी स्तर की औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए अथवा नहीं कर पा रहे है, परन्तु दूरस्थ शिक्षा का अर्थ इससे भिन्न है । वास्तव में दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा (Non-formal Education) की वह प्रणाली है जिसके द्वारा शिक्षक और शिक्षण संस्थाओं से दूर बैठे उन बच्चों, युवकों और प्रौढ़ों की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है जो किसी कारण किसी स्तर की औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए अथवा नहीं कर पा रहे और उनमें उसे प्राप्त करने की इच्छा, लगन एवं शक्ति है । चूंकि इस प्रणाली में सिखाने वाले अपने से दूर बैठे बच्चों, युवकों और प्रौढ़ों की सीखने में सहायता करते है इसलिए इसे दूर शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा अथवा दूरवर्ती शिक्षा (Distance Education) कहा जाता है और चूंकि इस प्रणाली में सीखने वाले शिक्षण संस्थाओं में उपस्थित हुए बिना घर बैठे सीखते है इसलिए कुछ विद्वान इसे दूर अध्ययन (Distance Learning) और कुछ विद्धान ग्रह अध्ययन (Home Study) कहते है । दूरस्थ शिक्षा को अन्य दो नामों से भी जाना जाता है - दूर शिक्षण (Distance Teaching) और परिसर बाहर अध्ययन (Off campus Study) ।

दूरस्थ शिक्षा की शुरूआत अंग्रेजी भाषा में शार्ट हैन्ड का विकास करने वाले आइजक पिटमैन ने की । उसने 1840 में दूर बैठे शार्ट हैण्ड सीखने के इस्छुक व्यक्तियों को शार्ट हैन्ड के पाठ डॉक द्वारा प्रेशित किए । उसके कुछ वर्ष 1656 में जर्मनी के लैंगेनशीट और टासैन्ट ने पत्राचार द्वारा भाषाओं का शिक्षण शुरू किया । 1873 में अमेरिका में पत्राचार द्वारा अनुदेशन को संगठित करने का प्रयत्न किया गया । 1890 में जर्मनी और स्वीडन में पत्राचार संस्थाओं की स्थापना हुई । धीरे-धीरे इसका प्रचार अन्य देशो में भी हुआ। 1938 मे अन्तर्राष्ट्रीय पत्राचार शिक्षा

परिषद् (International Council for Correspondance Education, ICCE) का गठन किया गया । रूस संसार का पहला देश है जिसकी सरकार ने 1982 में पत्राचार के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति प्रदान की । रूस में पत्राचार प्रणाली की सफलता के आधार पर कई अन्य देशों में भी इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में चलाया गया । हमारे देश में सर्वप्रथम 1982 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया ।

13.10.2 दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Distance Education)

हमारे देश में दूरस्थ शिक्षा का शुभारम्भ 1962 में पत्राचार शिक्षा से हुआ था और वह भी केवल उच्च शिक्षा के केवल कला एवं विज्ञान पाठ्यक्रमों की शिक्षा से, अत: उस समय पत्राचार शिक्षा के जो उद्देश्य निश्चित किए गए थे आज अपने अपूर्ण है । वर्तमान में हमारे देश में दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था कई रूपों में हो रही है - पत्राचार शिक्षा, खुली शिक्षा और जन संचार के माध्यमों से प्रौढ़ शिक्षा, सतत् शिक्षा एवं जन शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का प्रसारण । वर्तमान में हमारे देश भारत में दूरस्थ शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

1. जो बच्चे, युवक अथवा प्रौढ़ किसी कारण से माध्यमिक एवं उच्च स्तर की औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए अथवा नहीं कर पा रहे, उनकी इस स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना ।
2. काम में लगे स्त्री-पुरूषों के लिए उनकी इच्छा एव आवश्यकतानुसार शिक्षा की व्यवस्था करना ।
3. देश के दूर-दराजों में रहने वाले बच्चो, युवकों और प्रौढ़ों की शिक्षा की व्यवस्था ।
4. बीच में पढाई छोड़ने वाले, आगे की शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक और व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की सतत् शिक्षा की व्यवस्था करना ।
5. देश के सभी बच्चों, युवकों और प्रौढ़ों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर सुलभ कराना ।
6. औपचारिक शिक्षा की अपेक्षा कम खर्चीली शिक्षा की व्यवस्था करना ।
7. औपचारिक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के दबाव को कम करना ।

13.10.3 भारत में दूरस्थ शिक्षा का महत्त्व एवं आवश्यकता (Importance and need of Distance Education in India)

वैसे तो किसी भी देश में दूरस्थ शिक्षा का बडा महत्त्व है, उसकी बडी आवश्यकता है परन्तु भारत में इसका अपेक्षाकृत और अधिक महत्त्व है, और अधिक आवश्यकता है ।

1. **संवैधानिक दायित्व की पूर्ति के लिए** - भारत के संविधान में शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार माना गया है । इस अधिकार का वे प्रयोग तभी कर सकते है । जब सबको शिक्षा सुलभ हो । औपचारिक शिक्षा द्वारा हम शिक्षा को सर्वसुलभ नहीं बना पा रहे थे, उसी की पूर्ति के लिए हमने इस शिक्षा का विधान किया है ।

2. **काम में लगे स्त्री-पुरूषों की शिक्षा व्यवस्था के लिए** - काम-धन्धों में लगे स्त्री-पुरूष शिक्षण संस्थाओं में तो उपस्थित हो नहीं सकते । उनमें से जो लोग किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हों, उनकी शिक्षा की व्यवस्था दूरस्थ शिक्षा द्वारा की जाती है । इस दृष्टि रवे हमारे देश में इस शिक्षा का बडा महत्त्व है, इसकी बडी आवश्यकता है ।

3. **दूर-दराज में रहने वालों की शिक्षा व्यवस्था के लिए** - हम देश के दूर-दराओं में विशेषकर जहाँ जनसंख्या बहुत कम है, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थापक नहीं स्थापित कर पा रहे है । इन दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वालों की शिक्षा की व्यवस्था दूरस्थ शिक्षा द्वारा की जा रही है इसलिए इस शिक्षा प्रणाली का बडा महत्त्व है, इसकी बडी आवश्यकता है ।

4. **बीच में पढ़ाई छोडने वालों के लिए** - कुछ बच्चे अपरिहार्य कारणों से बीच में ही पढाई छोड देते है और कुछ युवक आगे की शिक्षा प्राप्त तो करना चाहते है पर कुछ कारणों से कर नहीं पाते दूरस्थ शिक्षा द्वारा इनकी शिक्षा व्यवस्था संभव हुई है । सतत् शिक्षा के लिए तो दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था वरदान सिद्ध हुई है ।

5. **शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए -** हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शैक्षिक अवसरों की समानता पर बडा बल दिया गया है । दूरस्थ शिक्षा इसकी प्राप्ति में सहायक हो रही है ।

6. **सीमित वित्तीय साधनों में शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए -** हमारा देश आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न नहीं है । दूरस्थ शिक्षा कम व्यय साध्य शिक्षा प्रणाली है । इस दृष्टि से भी इसका हमारे देश में बडा महत्त्व है, इसकी बडी आवश्यकता है ।

7. **औपचारिक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश दवाब कम करने के लिए** - हमारे देश में वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क है । तब माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं और तद्नुकूल उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश का दबाव बढ़ना स्वाभाविक है । नई संस्थाएं हम स्थापित नहीं कर पा रहे है । इस स्थिति में दूरस्थ शिक्षा औपचारिक शिक्षा संस्थाओं में नामांकन के दबाव को कम करने में सहायक हो रही है ।

13.10.4 दूरस्थ शिक्षा के गुण (Merits of Distance Education) -

1. दूरस्थ शिक्षा द्वारा ऐसे बच्चों, युवकों और प्रोढों की शिक्षा व्यवस्था की जाती है जो किसी कारण किसी स्तर की औपचारिक शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाए है अथवा नहीं कर पा रहे है, परन्तु उनमें उस शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा, लगन एवं शक्ति है ।
2. इस शिक्षा द्वारा काम-धन्धों में लगे स्त्री-पुरूषों को उनकी इच्छा एवं आवश्यकतानुसार शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाते है ।
3. दूरस्थ शिक्षा द्वारा दूर-दराज में रहने वालों की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है ।
4. दूरस्थ शिक्षा की पत्राचार प्रणाली द्वारा तो केवल कला एवं वाणिज्य वर्ग के विषयों की शिक्षा दी जाती है परन्तु खुली शिक्षा द्वारा तो इनके साथ-साथ विज्ञान, तकनीकी एवं व्यावसायिक, सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती है ।
5. दूरस्थ शिक्षा सतत् शिक्षा में बडी सहायक है । इसके द्वारा स्त्री-पुरूषों को अपनी शिक्षा जारी रखने में सहायता की जाती है और उन्हें अपने कर्म से संबंधित अद्यतन ज्ञान एवं कौशल प्रदान किया जाता है ।
6. दूरस्थ शिक्षा क्योंकि सबको अपने-अपने स्थान पर सुलभ है इसलिए यह शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करने में बडी सहायक है ।
7. दूरस्थ शिक्षा में सीखने वालों को अपने-अपने स्थान पर रहते हुए अपनी-अपनी सुविधा, क्षमता और गति के अनुसार सीखने की सुविधा रहती है ।

13.10.5 दूरस्थ शिक्षा की सीमाएँ (Limitation of Distance Education) -

1. दूरस्थ शिक्षा की पत्राचार प्रणाली में जो मुद्रित सामग्री तैयार की जाती है, वह बहुत संक्षिप्त होती है, उससे विषय सामग्री का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता । खुली शिक्षा प्रणाली में तो बहुमाध्यम उपागम का प्रयोग किया जाता है, इनके लिए तत्तसंबंधी उपर्युक्त सामग्री का निर्माण तो और भी कठिन होता है ।
2. पत्राचार शिक्षा प्रणाली में डॉक द्वारा प्रेशित सामग्री के प्राप्त करने और दत्त कार्य को पूरा करके लौटाने में प्राय: विलम्ब होता है, दूर-दराज के क्षेत्रों में तो डॉक पहुंचाना और भी कठिन होता है । खुली शिक्षा में तो रेडियों, टेपरिकॉर्डर, टेलीविजन, वीडियों और कम्प्यूटरों का प्रयोग भी होता है, औपचारिक शिक्षा का लाभ न उठा पाने वालों के पास ये सब साधन होंगे, यह कैसे सोचा जा सकता हैं । वैसे भी प्रसारण समय और सीखने वालों के अवकाश के समय में ताल-मेल बैठाना कठिन होता है ।
3. पत्राचार प्रणाली में यदि कोई पाठ्य सामग्री प्राप्त नहीं हो पाती तो उससे आगे की सामग्री समझना कठिन होता है और रेडियों अथवा दूरदर्शन पर प्रसारित यदि कोई पाठ छूट जाता है तो उसके साथ-साथ उसके आगे के पाठ को भी समझना कठिन हो जाता है ।
4. पत्राचार प्रणाली में तो अध्ययन केन्द्रों की सुविधा ही प्रदान नहीं की जाती और खुली शिक्षा के लिए भी जो अध्ययन केन्द्र बनाए जाते हैं वे भी खुली शिक्षा के शिक्षार्थियों को पूरी सुविधा प्रदान नहीं करते ।
5. हमारे देश में तो सम्प्रेषण के माध्यम भाषा की भी समस्या है, सीखने वाले शब्द कोष का प्रयोग कहां तक करें ।
6. दूरस्थ शिक्षा में शिक्षक-शिक्षार्थी के बीच बहुत कम समय के लिए सम्पर्क होता है इसलिए शिक्षार्थिथों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. दूरस्थ शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
   What do you mean by Distance Education
2. दूरस्थ शिक्षा की वर्तमान में आवश्यकता स्पष्ट कीजिए ।
   Specify the need of distance education in Present time.
3. दूरस्थ और परम्परागत शिक्षा में क्या अंतर है ?
   What is the difference between Distance and conventional education
4. दूरस्थ शिक्षा के मुख्य साधन कौन-कौनसे हैं?
   What are the main of distance education?

13.11 सारांश (Summary)

शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे ऐसे परिवर्तन जिनसे नवीन प्रवृत्तियों, नवीन प्रयोगों, नवीन विधियों एवं नवीन तकनीकों को स्थान मिलता है, ये 'नवाचार' की श्रेणी में आते है । 'नवाचार अंग्रेजी भाषा के शब्द इन्नोवेशन (Innovations) शब्द का हिन्दी रूपान्तर है । वहां इसका अर्थ नई रीति या नये विचार का प्रचलन या नव निर्माण है ।

नवाचार का प्रादुर्भाव एवं विकास - टार्सन हुसेन (Torsten Husen) के अनुसार, 'शैक्षिक नवाचारों का उद्भव स्वत: नहीं होता वरन् उन्हें खोजना पडता है तथा सुनियोजित ढंग से प्रयोग में लाना होता है ताकि शैक्षिक कार्यक्रमों को परिवर्तित परिवेश में गति मिल सकें और वे परिवर्तन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाये रख सकें । स्पष्ट है कि नवाचार स्वत: उद्भूत नहीं होते, उन्हें सुनियोजित ढंग से विकसित करना पड़ता है ।

शिक्षा और समाज का घनिष्ठ संबंध है । शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप लाने एव जनआकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति हेतु सक्षम बनाने के लिए नये विचारों, नई तकनीकों, नई विधियों अर्थात् नवाचार की आवश्यकता है । इस प्रकार देश में हो रहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन आवश्यक है । भारतीय परिप्रेक्ष्य में नवाचार की आवश्यकता एवं महत्व यथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के अनुरूप शिक्षा प्रणाली, वर्तमान जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति, तीव्र आर्थिक विकास, मानव संसाधन का विकास करने, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, विशिष्टीकरण की वृद्धि एवं तद्जनिक समस्याओं की पूर्ति, सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषणजनित समस्याओं के समाधान हेतु शैक्षिक नवाचारों का महत्त्व है । नवाचारों की प्रकृति एवं विशेषताएं जिसके अन्तर्गत नवाचार एक नया विचार है, नवाचार सचेतन एवं सप्रयास अपनाया जाता है, इसका लक्ष्य प्रचलित प्रणाली में सुधार लाना होता है, ताकि उससे श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किये जा सकें, नवाचार का उद्भव आवश्यकता एवं परिस्थितिजन्य होता हैं । नवाचारों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है प्रथम समस्यात्मक समाधान संबंधी नवाचार तथा द्वितीय सामाजिक अन्तःक्रियात्मक नवाचार ।

सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रशिक्षण प्रणाली है जो शिक्षको (छात्राध्यापकों) को कक्षा शिक्षण प्रक्रिया की शिक्षा देती है । इसके अन्तर्गत हम शिक्षक के व्यवहार में कौशल-विकास के द्वारा वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास करते है । सूक्ष्म शिक्षण द्वारा जिस कौशल अथवा योग्यता का विकास कराया जाए, उसके तीन पक्ष आवश्यक हैं, 1 ज्ञानात्मक (Cognition), 2. प्रत्यक्षीकरण (Perception), 3. क्रियात्मक (Action).

सूक्ष्म शिक्षण विधि के मुख्य घटक सूक्ष्म-शिक्षण की परिस्थिति, शिक्षण कौशल, छात्र-अध्यापक, प्रति-पुष्टि के साधन, सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशाला आदि हैं ।

सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के चक्र के चरण -इस प्रकार हैं- कौशल का परिभाषीकरण, कौशल का प्रदर्शन, प्रदर्शित कौशल का विश्लेषण, सूक्ष्म पाठ की योजना, योजित पाठ का अभ्यास, पाठित पाठ का पृष्ठपोषण, पाठ की पुनर्योजना, पाठ का पुन: अध्यापन, पुन: प्रतिपुष्टि, चक्र की पुनरावृत्ति ।

पात्र अभिनय से आशय है कक्षा के चार या पाँच विद्यार्थी अथवा छोटे समूह को दूसरों के अनुभवों का अनुकरण करवाया जाता है । इस नीति में कक्षा को छोटे-छोटे समूहों में बाँट दिया जाता है और उनको वास्तविक पात्रों का अनुसरण करने हेतु प्रेरित किया जाता है । यह एक नाटकीय विधि मानी जाती है । बालक को इसके अभ्यास में पात्र की भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है । इस विधि के सोपानो के अन्तर्गत प्रथम सोपान कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है, द्वितीय सोपान किस छात्र को किस पात्र की भूमिका अदा करनी है, का चयन किया जाता है, तृतीय सोपान छात्र अपने संवाद (विषय-वस्तु का चयन करते हैं, चतुर्थ सोपान मूल्यांकन प्रविधियों का चयन किया जाता है, पंचम सोपान कार्य की योजनानुसार क्रियान्विति की जाती है, षष्ठम सोपान कार्य की समीक्षा की जाती है तथा पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है ।

दल शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों से किसी पाठ्यवस्तु 7 इकाई या पाठ के संबंध में पाठ्यवस्तु की प्रकृति के अनुसार विशेषज्ञों व शिक्षाविदों के एक साथ एक मंच पर अनुभव व विचारों का अवबोध व जानकारी प्राप्त होती है । दल शिक्षण के मुख्य उद्देश्य शिक्षक वर्ग में आकर्षक योग्यताओं, दक्षताओं और उनकी रूचियों का सर्वोत्तम उपयोग करना, विद्यार्थी की रूचियों तथा क्षमताओं के अनुसार कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, अनुदेशन की गुणवत्ता में वृद्धि करना, विद्यार्थी के समूहीकरण में लचीलेपन को बढ़ाना है । दल शिक्षण की प्रक्रिया के सोपानों में योजना बनाना, व्यवस्था करना, परिणामों का मूल्यांकन करना आदि प्रमुख हैं ।'

अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसी व्यूह रचना है जिसकी सहायता से शिक्षण से सामग्री को एक ऐसे क्रम में नियोजित किया जाता है कि जिसमें छात्रों में लगातार अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है और उसका मापन में किया जा सकता है । अभिक्रमित अनुदेशन की मुख्य विशेषताएं, कठिन बात को छोटे-छोटे भागों में बांटकर छात्रों के लिए सरल बनाना, यह स्व-शिक्षण की पद्धति है, जिसमें पाठ्य पुस्तक कुछ विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर की. जाती है, यह छात्रों में त्रुटियों, क्षमताओं एवं योग्यताओं का अध्ययन कर मूल्यांकन के अवसर प्रदान करती है । इसके प्रमुख सिद्धान्तों के अन्तर्गत स्वत: अध्ययन गति का सिद्धान्त सबसे उपयोगी सिद्धान्त है जिसमें - छोटे-छोटे पदों का सिद्धान्त, तत्परता अनुक्रिया का सिद्धान्त, तत्कालीन जांच का सिद्धान्त, स्वत: अध्ययन गति का सिद्धान्त, छात्र परीक्षण का सिद्धान्त आदि प्रमुख हैं ।

दूरदर्शन - वर्तमान सैटेलाइट व संचार क्रांति ने दूरदर्शन को अधिक सुलभ बना दिया है । दूरदराज व भौगोलिक दृष्टि से विषमता रखने वाले क्षेत्रों में दूरदर्शन अब आसानी से पहुँच गया है । नागरिक शास्त्र की पाठ्यवस्तु को अधिक रुचिकर, बोधगम्य व सहज बनाने में दूरदर्शन अपनी महत्ती उपयोगिता रखता है । स्थानीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक घटनाक्रमों को प्रभावी रूप से व्याख्यित करने में दूरदर्शन एक सहज व उपयोगी साधन है । नागरिक शास्त्र शिक्षण में दूरदर्शन का महत्त्व विभिन्न प्रकार से व्याख्यित किया गया है जिसके अन्तर्गत शिक्षण की प्रभावशीलता, सरसता, गुणवत्ता एवं उसका मनोरंजनात्मक पक्ष सम्मिलित है ।

बहुकक्षा शिक्षण - प्राथमिक विद्यालय में एक अध्यापकीय व्यवस्था का सम्प्रत्यय अब विलीन हो गया है । विद्यालय में कम से कम दो शिक्षक कार्यरत होने पर बहुकक्षा शिक्षण की व्यवस्था की जाती है । प्राथमिक विद्यालयों में बहुकक्षा शिक्षण से संबंधित समस्याएं तीन क्षेत्रो

में विभाजित की जा सकती है- बहुकक्षा शिक्षण के विद्यालयों में कक्षाओं की प्रबन्ध व्यवस्था को सुचारु बनाना, विभिन्न विषयों में कार्य योजनाओं तथा समय-सूची को सुनियमित आयोजित करना, शिक्षण को अधिक अच्छा बनाने के लिए शिक्षण सम्बन्धी नीतियों का पता लगाना ।

दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में सिखाने वाले अपने से दूर बैठे बच्चों, युवकों और प्रौढ़ों की सीखने में सहायता करते है इसलिए इसे दूर शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा अथवा दूरवर्ती शिक्षा (Distance Education) कहा जाता है । इस शिक्षा के मुख्य उद्देश्य जो बच्चे, युवक अथवा प्रौढ़ किसी कारण से माध्यमिक एवं उच्च स्तर की औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए अथवा नहीं कर पा रहे, उनकी इस स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना, काम -में लगे स्त्री-पुरूषों के लिए उनकी इच्छा एवं आवश्यकतानुसार शिक्षा की व्यवस्था करना, देश के दूर-दराजों में रहने वाले बच्चो, युवकों और प्रौढ़ों की शिक्षा की व्यवस्था करना । दूरस्थ शिक्षा की प्रकृति के अनुसार इसके जो सबल पक्ष है वहीं इसके कुछ कमजोर पक्ष एवं इसकी सीमाएं हैं जैसे मुद्रित सामग्री का संक्षिप्त होना, डाक व्यवस्था में देरी होना, शिक्षक-शिक्षार्थी के बीच बहुत कम समय के लिए सम्पर्क होना ।

13.12 संदर्भ ग्रंथ (Reference)

- R.A. Sharma, (1990), Programmed Instructions, Loyal Book Depot, Meerut.
- Pipe Peter (1996), Practical Programming", New York, Holt Rinehart & Winston.
- D.L. Sharma(1995), R. Lall Book Depot, Meerut.
- Rajan K.M.(1997) : Teachers Role in three organizational Models, new frontiers in Education। Vol। XXVII, No. 1 Jan- March 1997
- Rajput J.S.(1997) : Role of the Teacher in 21st Century, New Frontiers in Education, Vol. XXVII, No.1, Jan-March 1997
- Nayar, P.R. Deve, P.N. and Arora, K. (1982) : The Teacher and Education in Emerging Indian Society, New Delhi
- Passi, B.K. (1976): Becoming Better Teacher-Micro Teaching Approach, Sahitya Mudranalya, Ahmedabad.
- Grelach, V.S. and Ely D.P.(1980) Teaching and Media: A Systematic Approach, Prentice- Hall Inc. New York.
- वर्मा जी. एस., (2004), शैक्षिक तकनीकी के मूलाधार एवं प्रबन्ध, इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ

- अग्रवाल जेसी., (2003), शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबन्ध, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा शिक्षा के नये आयाम, (2006)ए, प्रो. एमपारीक डी.' अशोक कुमार सिडाना शिक्षा प्रकाशन, जयपुर
- श्रीवास्तव जेपी. एवं मित्तल एमएल., (1994), आधुनिक भारतीय शिक्षा, ईगल बुक्स इण्टरनेशलन, मेरठ
- भारतीय शिक्षा की समस्याऐं एवं, नई प्रवृत्तियाँ, (2006), प्रो. एम.पारीक, डी. अशोक कुमार सिडाना शिक्षा प्रकाशन, जयपुर ।

इकाई - 14

शिक्षा की शब्द सूची

Glossary of Education

अ

1. **अधिकार (Right)** - देश के नागरिक होने के नाते प्राप्त होने वाली सुविधाये ।
2. **अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना (International Harmony)** -सम्पूर्ण विश्व के देशों के मनुष्य-मनुष्य के मध्य प्रेम, सहयोग व सद्भावना ।
3. **अनुक्रिया (Response)** - किसी उद्दीपक के प्रति की गई अनुक्रिया ।
4. **अभिरूचि (Aptitude)** - विषय वस्तु की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना ।
5. **अभिवृत्ति (Attitude)** - किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के प्रति सकारात्मक अथवा नकारात्मक दृष्टिकोण ।
6. **आदर्शवादी विचारधारा (Idealism)** - बालक में नैतिक, सामाजिक एवं चारित्रिक मूल्यों का विकास करना ।
7. **अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धान्त (Principal of Teaching for Leisure)** - अवकाश के समय का सार्थक गतिविधियों में उपयोग का प्रशिक्षण ।
8. **अग्रदर्शिता का सिद्धान्त (Principal of looking Forward)** - भावी जीवन में अनुकूलन व समायोजन करने की शिक्षा प्रदान करना ।
9. **अधिगम (Learning)** - अनुभव एवं क्रियाओं के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ।
10. **अनुदेशन (Instruction)** - व्यवहार परिवर्तन के लिए दिये जाने वाले निर्देश ।
11. **आकलन (Apprasial)** - विद्यार्थी की आतरिक एवं बाध्य क्षमताओं का समन्वित, एकीकृत एवं प्रतिगामी विकास का पता लगाना

आ

1. **आदर्श नागरिकता (Ideal Citizenship)** - देश के नागरिक मेँ उच्च आदर्श से जुड़े गुणो यथा - दया, प्रेम, करूणा, सौहार्द, सहिष्णुता, उदारता, त्याग, बलिदान, भ्रातृत्व व देश-प्रेम की भावना का विकास ।
2. **आवश्यकता की संतुष्टि (Satisfication of need)** - जिन क्रियाओं को करने में रूचि, संतुष्टि प्राप्त हों ।

इ

1. **इकाई योजना (Unit Plan)-** पाठ्यक्रम की इकाई के शिक्षण हेतु शिक्षण योजना ।

उ

1. **उद्देश्य (Objectives)** - वे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो एक शिक्षक अपने शिक्षार्थी में देखना चाहता है ।
2. **उपयोगिता का सिद्धान्त (Principal of utility) -** भावी जीवन में उपयोगी बातों का अभ्यास ।
3. **उद्देश्य के आधार पर पाठयवस्तु का संगठन (Organization of basis of objectives and aims)** - लक्ष्य एवं प्राप्य उद्देश्य के आधार पर विषय-वस्तु का संगठन करना ।
4. **उपागम (Approach)** - शिक्षण का प्रारूप, विषय की प्रत्यक्ष व परोक्ष विशेषताओं, छात्रों विषय वस्तु व परिवेश के आधार पर विधियों व साधनों का चयन ।
5. **उद्देश्य निष्ठ आकलन (Objective based appriasal)** - निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति का पता लगाने के लिए किये जाने वाला मूल्यांकन ।

ए

1. **ऐतिहासिक आधार (Historical Basis)** - इतिहास की घटनाओं, अनुभवों व परिस्थितियों का उल्लेख ।

ओ

1. **ओवरहैड प्रॉजेक्टर (Overhead Projector)** - पारदर्शी छाया को समतल आधार पर रोशनी से प्रस्तुत करने पर चित्र अथवा लेख का प्रदर्शन करने वाला उपकरण ।

क

1. **कला (Art)** - किसी भी हुए प्राप्त ज्ञान का उपयोग व्यावहारिक जीवन में करना ।
2. **कर्तव्य (Duty)** - देश के नागरिकों से शासन में सहयोग करने वाले दायित्व अथवा कार्य।
3. **क्रियात्मक (Affective)** - आंगकि गति का संचालन ।
4. **कार्य कुशलता (Work efficiency)** - किसी क्रिया को शीघ्र, आसान व प्रभावी तरीके से करना ।
5. **क्रिया का सिद्धान्त (Principal of Activities)** - पाठयक्रम द्वारा बालक को क्रियाशील बनाये रखने पर बल ।
6. **क्रियात्मक प्रतिमान (Functional Model)** - शिक्षण प्रणाली के विभिन्न अंगों में अदा, प्रदा तथा प्रक्रिया का प्रदर्शन ।

ग

1. **गत्यात्मकता (Dynamics)** - चलायमान, गतिशील, चरित्रबल, एवं शक्तिशाली गति ।

2. **ग्रहण करना (Receiving)** - ज्ञान के लिए चेतना, स्वीकारना - नियंत्रण तथा चयन करने की इच्छा ।

ज

1. **जीवन संबंधित का सिद्धान्त (Principal of Relationship with life)** -पाठयक्रम द्वारा विद्यार्थी को जीवन के समीप तथा जीवन के विभिन्न पक्षों पर ले जाना ।
2. **जनतंत्रीय भावना के विकास का सिद्धान्त (Principal of development of democratic)** - पाठयक्रम में प्रजातंत्र के सिद्धान्तों तथा समानता, दया, भ्रातृत्व भावना, दया, करूणा व प्रेम का विकास करना ।
3. **जन माध्यम (Media)** - सूचनाओं को प्रेशित एवं ग्रहण करने की प्रक्रिया ।
4. **जनमाध्यम के रूप में रेडियों (Radio as a Media)** - औपचारिक व अनौपचारिक रूप से श्रव्य माध्यम से सूचनाओं को प्रसारित करना ।
5. **जनमाध्यम के रूप मे टेलीवीजन (T.V. as a Media)** - द्रश्य एवं श्रव्य माध्यम से सूचनाओं का प्रसारण एवं आग्रहण ।
6. **जनमाध्यम के रूप में इंटरनेट (Internet as a Media)** - विभिन्न कम्प्यूटर के द्वारा आपस में सूचनाओं का आदान-प्रदान ।
7. **जनमाध्यम के रूप में कम्प्यूटर (Computer as a Media) -** अंकन तथा सूचनाओं की प्राप्ति का विद्युतीय उपकरण ।
8. **जनमाध्यम के रूप में टेली कॉन्फ्रेंसिंग (Teleconferencing as a Media)** - छात्र तथा विशेषज्ञ द्वारा एक दूसरे से प्रत्यक्ष संवाद का विश्वव्यापी उपकरण ।

द

1. **दार्शनिक आधार (Philosophical Basis)** - पाठयक्रम निर्माण में दार्शनिक विचारधारा ।
2. **दैनिक पाठ योजना (Daily Lesson Plan)** -उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट साधनों व क्रियाओं पर आधारित प्रतिदिवसीय-शिक्षण योजना ।
3. **दूरस्थ शिक्षा (Distance Education)** - दूर दराज स्थानों से सुविधानुसार समयाविधि तथा पाठयक्रम से औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा प्राप्ति का तरीका ।

न

1. **नागरिक शास्त्र (Civics)** - समाज मैं मनुष्य के अधिकारों एवं कर्तव्य का विज्ञान ।
2. **नागरिक (Citizen)** - जन्म से या ग्रहण करने से किसी देश के अधिकारों की प्राप्ति का हकदार ।
3. **नियोजन (Planning)** - शिक्षा की प्रक्रिया के सफल संचालन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया ।
4. **नील पत्र (Blue Print)** - उद्देश्य, इकाई व प्रश्नों के स्वरूपों के आधार पर मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र का नमूना ।

5. **नवाचार (Innovation)** - शिक्षा में नवीनता अथवा नवीन प्रयोग तथा व्यवहार ।

प

1. **प्रत्याभिज्ञान (Recognization)** - किसी सिद्धांत, तथ्य, संप्रत्यय, नियम, संबंध तथा अन्य संकल्पनाओं को पुनः पहचानना ।
2. **प्रत्यास्मरण (Recall)** - किसी सिद्धान्त, तथ्य, संप्रत्यय, नियम, संबंध तथा अन्य संकल्पनाओं का पुन: कथन ।
3. **परिवेश (Circumscribe)** - व्यक्ति के आस-पास का मानवीय, भौतिक एवं प्राकृतिक घेरा अथवा सीमा ।
4. **पारिभाषिक शब्दावली - (Terminology)** - ज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट शाब्दिक तथा ' अशाब्दिक संदर्भो का ज्ञान ।
5. **प्रयोग (Application)** - सीखे हुए ज्ञान का जीवन में प्रयोग ।
6. **प्रत्ययीकरण (Conceptualization)** - प्राप्त जानकारी को समझना, विश्लेषण करना व प्रत्ययों को प्रदर्शित करना ।
7. **प्रत्यक्षीकरण (Perception)** - किसी भी बाहरी वस्तु, घटना के आधार ज्ञानेन्द्रियों के जागरूक होने की प्रक्रिया ।
8. **पाठयक्रम (Curriculum)** - वे समस्त क्रियाएँ जिनका शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विद्यालय में उपयोग किया जाता है ।
9. **प्रकृतिवादी पाठयक्रम (Naturnalism Syllabus)** - बालक की प्राकृतिक स्वतंत्रता पर आधारित पाठयक्रम ।
10. **पाठयक्रम का सामाजिक आधार (Social Basis of Curriculum)** - पाठयक्रम के निर्माण में समाज विशेष की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का उल्लेख ।
11. **पाठयक्रम का वैज्ञानिक आधार (Scientific Basis of Curriculum)** - पाठयक्रम के निर्माण में वैज्ञानिक विषयों यथा - शरीर विज्ञान, गह-विज्ञान जीव विज्ञान, समाज-शास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र का उल्लेख ।
12. **पाठयक्रम तत्त्व (Curricular Element)** - पाठयक्रम में प्रयुक्त समस्त क्रियाएँ यथा - विषय वस्तु, अधिगम परिस्थिति, सहायक सामग्री आदि ।
13. **प्रायोजना (Project)** - समस्याओं का उत्पादन के रूप में समाधान करना ।
14. **पर्यवेक्षित अध्ययन - (Supervised)** - शिक्षार्थी की अध्ययन आदतों का निरीक्षण करना।,

`ब’

1. **बोध (Comprehension)** - प्राप्त सूचनाओ द्वारा स्पष्टीकरण, उदाहरण, वर्गिकरण, तुलना, संबंध तथा अशुद्धि पहचानना तथा अशुद्धि दूर करना ।

`भ'

1. **भौतिक संसाधन (Physical Resource)** - भवन, फर्नीचर, दृश्य-श्रव्य साधन
2. **भूमिका निर्वाह (Role Play)** - किसी परिस्थिति अथवा समस्या को अभिनय द्‌वारा प्रस्तुत करना ।

`म'

1. **मानसिक शक्तियाँ (Mental Powers)**विचार-विमर्श, अभिव्यंजना शक्ति आदि ।
2. **मूल्यांकन (Evaluation)** - विद्‌यालय में हुए विद्‌यार्थी के व्यवहार परिवर्तन की साक्षियों का संकलन यथा - परीक्षण आदि ।
3. **मूल्य (Value)** जीवन जीने के लिये अपनाये जाने वाली क्रियाएँ ।
4. **मनोवैज्ञानिक आधार (Psychological Basis)** - बालक की मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित पाठयक्रम ।
5. **मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त (Psychological Principal)** - बालक की रूचि योग्यता, मनोवृत्ति, इच्छा, क्षमता, अभिवृत्ति के आधार पर पाठयक्रम का निर्माण ।
6. **मूल्यांकन उपागम (Evaluation Approach)** - उद्देश्य, अधिगम परिस्थिति तथा उद्देश्य की प्राप्ति का पता लगाने तक सम्पूर्ण क्रियाओं का
7. **मानवीय संसाधन (Human Resources)** - शिक्षक, शिक्षार्थी, विशेषज्ञ आदि ।
8. **मस्तिष्क-मन्धन (Brain Storming)** - छात्रों को कोई समस्या देकर उसके हल के लिए स्वतन्त्रता निर्भीक वैचारिक प्रतिक्रिया का अवसर देना ।

`र'

1. **राष्ट्रीय चरित्र (National Character)** - राष्ट्रीय विचार, राष्ट्रीय भावनाये, सुरक्षा, देश-प्रेम, वसुधैव कुटुंबकम की भावना ।
2. **राजनैतिक जागरुकता (Political Awarness)** - अधिकार व कर्त्तव्यों की जानकारी व गालन, शासन व्यवस्था की जानकारी, राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय समसामयिक जानकारी ।
3. **रचनात्मक कार्य का सिद्धान्त (Principle of constructive Work)** -बालक में रचनात्मक व सृजनात्मक शक्ति का विकास करना ।

`ल'

1. **लक्ष्य (Aims)** - वे दिशा-निर्देश तत्व जिनके द्‌वारा ज्ञानार्जन का आदान प्रदान करने हेतु शिक्षण क्रिया केन्द्रित की जाए ।
2. **लोकतंत्र (Democracy)** - शासन का जनता के हाथ में नियंत्रण, जनता का, जनता के द्‌वारा, जनता के लिए किया जाने वाला शासन ।

`व'

1. **विज्ञान (Science)** - किसी भी विषय का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान जिसे परीक्षण द्‌वारा सत्यापित किया जा सके ।

2. **विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान (Knowledge of specific facts)** - विशिष्ट से सम्बद्ध तिथियों, घटनाओं, व्यक्ति तथा स्थानों का ज्ञान ।
3. **विशिष्ट से सम्बद्ध साधनों एवं रीतियों का ज्ञान (Knowledge of ways and means of dealing with specifies)** - विशिष्ट से सम्बद्ध ज्ञान के विभिन्न पक्षों का स्पष्ट व्यवस्थित अध्ययन ।
4. **विश्लेषण (Analysis)** - प्राप्त सूचना को उसके अवयवों मे बांट देना ।
5. **विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धान्त (Principal of Variety and elasticity)** - बालक की रुचि व जिज्ञासा को जाग्रत करते हुए व्यक्तिगत विभेद के अनुसार पाठयक्रम में लचीलापन ।
6. **व्यक्तिगत भिन्नता (Individual difference)** -अधिगमकर्ता में आयु लिंग, शैक्षिक योग्यता. अभिरुचि, क्षमता, आर्थिक, सामाजिक आदि भेद ।
7. **व्यवहारवादी अनुदेशन उपागम (Behaviouristic Instructional Approach)** - व्यवहार के विश्लेषण और क्रिया विशेषण के माध्यम से प्रत्यक्षीकरण ।
8. **व्याख्यान (Lecture)** - वे तथ्य, सिद्धान्त तथा संबंध जिन्हें सीखने वाला स्पष्ट करे तथा सीखने वाला समझे ।
9. **विचार-विमर्श (Discussion)** - सग्रिहक शैक्षिक प्रक्रिया जिसमैं शिक्षक तथा छात्र सहयोगी रूप में किसी प्रकरण पर चर्चा करें ।
10. **वस्तुनिष्ठता (Objectivity)** - परीक्षण में जाचकर्त्ता की भिन्नता होने पर भी परिणाम समान होना ।
11. **विश्वसनीयता (Reliability)** - परीक्षा एक से अधिक' समय होने पर भी परिणामों की समानता ।
12. **वैधता (Validity)** - विषय-वस्तु की उद्देश्य की जाँच ।
13. **व्यावहारिकता (Practicability)** - वे परीक्षण जिन्हें व्यवहार में प्रयोग में लाया जा सके।
14. **व्यापकता एवं पर्याप्तता (Broad and Appropriateness)** - पाठ्यक्रम के अधिकांश भाग पर आधारित तथा सभी पक्षों का परीक्षण ।

\`श'

---

1. **शासन व्यवस्था (Goverment System)** - संविधान द्वारा सरकार चलाने के लिए की जाने वाली व्यवस्था ।
2. **शिक्षण पद्धति (Teaching Method)** - शिक्षक निर्देशित की गतिविधि की वह श्रृंखला, जिसका परिणाम छात्र-अधिगम के रूप में प्राप्त हो ।
3. **शिक्षण (Teaching)** - शिक्षक-शिक्षार्थी अन्तःक्रिया द्वारा ज्ञान का आदन-प्रदान ।
4. **शिक्षण-कौशल (Teaching Skill)** - शिक्षण की वे समस्त क्रियाएँ जिनके द्वारा शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन हो ।
5. **शिक्षण की योजना (Planning of Teaching)** - शिक्षक-शिक्षार्थी पाठयक्रम एवं परस्पर क्रिया द्वारा ज्ञानार्जन करने की पूर्व तैयारी ।

`स'

1. **सभ्यता (Civilization)-** व्यवहार और जीवन शैली को सुसंस्कृत बनाना ।
2. **संस्कृति (Culture)** - स्वस्थ्य नागरिक गुणों का विकास कर आदर्शो व मूल्यों का परिसंचरण करना ।
3. **सामान्यीकरण (Generalization) -** विभिन्न उदाहरणों से एक सामान्य नियम ज्ञात करना ।
4. **संश्लेषण (Synthetic)** - प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण के बाद नयी संरचना तैयार करना।
5. **सामाजिक जीवन से संबंधित सिद्धान्त (Principle of living with social Life)** - बालक को जीवन की व्यावहारिक व वास्तविक शिक्षा प्रदान करना ।
6. **सहसंबंध का सिद्धान्त (Principle of Correlation)** - विभिन्न विषयों का आपस में संबंध स्थापित करके सहसंबंध स्थापित करना ।
7. **समसामयिक (Contemporary)** - तात्कालिक तथा नवीनतम ज्ञान ।
8. **सृजनात्मक (Creativity)** - परम्परा अथवा लीक से हटकर अलग प्रकार ।
9. **संकल्पनात्मक चित्रण (Conceptual Mapping)** - तथ्यों को चित्रों अथवा प्रतीकों द्वारा प्रदर्शन ।
10. **समस्या समाधान (Problem Solving)** - प्रश्न, निर्मेय, संदिग्ध, अनिश्चित, जटिल तथ्यों को हल करना ।

`ह'

1. हरबर्ट पंचपदीय प्रणाली (Herbert Five Steps System)- पाठ योजना शिक्षण हेतु अपनायी जाने वाली पाँच क्रियाएँ प्रस्तावना, प्रस्तुतीकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग ।